

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# भारत का वैधानिक

एवं

## राष्ट्रीय विकास

(सन् १६०० से सन् १९१९ तक)

लेखक

गुरुमुख निहाल सिंह

एम० एम-सी० (इकॉनॉमिक्स) सन्दन, वाराणसी में  
अध्यक्ष, दिल्ली-प्रदेश विधान-सभा

अनुवादक

सुरेश शर्मा, एम० ए०



१९५२

आत्माराम एण्ड सन  
प्रकाशक तथा पुस्तक-वित्रेता  
काशमोरी गेट  
दिल्ली ६

## आमुख

कितने ही वर्षों से मुझे अपन 'Landmark in Indian Constitutional and National Development' का हिंदी-संस्करण निकालने को कहा जा रहा था और हिंदी के देश की राष्ट्रभाषा एवं भारतीय प्रजातन्त्र की राजभाषा और साथ ही कुछ माध्यमिक शिक्षा मंडलों तथा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा और परीक्षा का माध्यम स्वीकार होने पर यह माँग और भी अधिक हो गई है। मुझे यह कहने हुए हर्ष है कि अब मेरे लिए श्री सुरेश शर्मा एम ए तथा श्री रामलाल पुरी के सहयोग से यह संस्करण निकालना संभव हो गया है। हिंदी-अनुवाद के लिए मैं श्री सुरेश शर्मा का कृतज्ञ हूँ और इसके प्रकाशन का दायित्व लेने के लिए मैं श्री आत्माराम एड सम के मंचालक श्री पुरी का आभारी हूँ।

× × × ×

१५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भारतीय इतिहास को नए युग, जो सन् १६०० में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से आरम्भ हुआ था अब समाप्त हो गया है और एक नया युग आरम्भ हो गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य सम्पूर्ण ब्रिटिश युग (१६००-१९४७) के भारत के वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास का विवरण देना है। इस अध्ययन को दो खंडों में बाँटा गया है—(१) सन् १६०० से १९१९ तक और (२) सन् १९१९ से १९४७ तक। सन् १९५० के मध्य में प्रथम खंड के द्वितीय संस्करण के प्रकाशित होने के समय मैंने यह आशा की थी कि मैं १९५० के अन्त तक द्वितीय खंड को पूरा लिख लूँगा। किंतु मुझे इस बात का खेद है कि अन्य कार्यों के दायित्व के कारण उस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सन् १९५१ के अन्त में पहले, द्वितीय खंड को पूरा करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार, प्रस्तुत खंड में भारत में अंग्रेजी राज्य की कहानी, माष्ट फोर्ड सुधारों तक ही हो पाई है।

× × × ×

पहला खंड अंग्रेजी में पहली बार १९३३ में प्रकाशित हुआ था। उस समय से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीति-विज्ञान के अध्ययन में, भारत के वैधानिक इतिहास का अध्ययन एक अविभाज्य अंग हो गया है। अतः, वैधानिक इतिहास के अध्ययन के महत्त्व को सविस्तार समझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक समस्याओं का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में

अन्य दो पुस्तकें हैं—(१) Sapre : "Growth of the Indian Constitution and System of Administration", (२) C. L. Anand . "History of the Government of India", Part II इन पुस्तकों में भारतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न भागों का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है किंतु उनमें राष्ट्रीय जीवन की चर्चा नहीं की गई और उनको वैधानिक इतिहास की पुस्तक नहीं कहा जा सकता। सन् १९१८ की भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है और उसमें भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं के विकास का काफी अच्छा वर्णन किया गया है।

पिछली दशाब्दी में भारतीय वैधानिक इतिहास पर तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं—(१) Keith . "Constitutional History of India", (२) Punniyah : "Indian Constitutional History" और (३) Shri Ram Sharma . "Constitutional History of India" पिछली पुस्तक सबसे बाद का प्रकाशन है और उसका वर्णन प्रकाशन के समय तक का है। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलैंड ने भारतीय वैधानिक समस्या पर अपनी रिपोर्ट के पहले दो भागों में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। इनके शीर्षक हैं—"The Indian Problem, 1813-1935" और "Indian Politics, 1936-1942"

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बन्ध में कितनी ही पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। संभवतः इनमें सबसे पहली पुस्तक थी सर बर्नार्ड लोवेट की 'The History of the Indian Nationalist Movement.' यद्यपि उस पुस्तक का लेखक उस समय वाक्सफोर्ड में भारतीय इतिहास का अध्यापक था किंतु उक्त पुस्तक में ऐतिहासिक वर्णन का अभाव है। डॉ. टोपा की "The Growth and Development of National Thought in India" नामक पुस्तक भी असन्तोषजनक है। डॉ. टोपा ने आदि काल से १९१९ तक के विकास का विवरण देने का प्रयत्न किया है। किंतु यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। इसके अतिरिक्त उस पुस्तक में विशेषकर उसके अन्तिम भाग में यह ध्यान स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय विचार-धारा का इतिहास लिखा है अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन का। विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास पर पुस्तकें लिखी हैं—राजपतराय "Young India", अम्बिकाचरण मजूमदार "Indian National Evolution", श्रीमती एनी बेसेंट 'How India Wrought for Freedom', प्रधान "India's Struggle for Swaraj", एस एस कबीर "India's Fight for

Freedom' और डॉ पट्टाभि मीतारामप्पा 'वायस का इतिहास'। राष्ट्रीय आन्दोलन को समनाने में बहुत से राष्ट्रीय नेताओं और ब्रिटिश शासकों की आमकथाओं अथवा जीवनीया ने भी बहुत बड़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में ये पुस्तकें उल्लेखनीय हैं—सर मुर्देनाप बनर्जी, 'A Nation in Making', महात्मा गांधी, 'आम कथा, जवाहरलाल नेहरू 'मिरी कहानी', मुभापचन्द्र बोस 'An Autobiography', और लाई लिटन, लाई रिपन, लाई वॉर्न, लाई मिश्रो सर प्रीरोज शाह मेहता लोकमान्य तिलक, देशबन्धु सी आर दास, मि एम ए जिता, सर फ्रज्जेहुनेन, मौगना अब्दुलकलाम आजाद और महात्मा गांधी की जीवनीया। अन्तिम पुस्तक के सङ्कल लेखक हैं पोलक, ब्रेन्मफोर्ट और पेथिक लारेंस। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की माँग पर भी प्रकाश डालने वाली कई पुस्तकें हैं जिनमें निम्न लिखित विशेष महत्व की हैं—मुभास 'Muslim India', स्मिथ 'Modern Islam in India'; अम्बेदकर 'Thoughts on Pakistan'; राजेंद्रप्रसाद 'संश्लिष्ट भारत', अमोल मेहता और अच्युत पटवर्धन 'Communal Triangle in India', बेनीप्रसाद 'The Hindu Muslim Question', और अन्तरी 'Pakistan, The Problem of India.'

तीन प्रकार के प्रकाशन और हैं जो भारत के वैधानिक इतिहासकार के लिए बड़े महत्व के हैं—(१) वार्षिक पत्रालोकन और नामयिक रिपोर्ट, (२) कमेटियों और समीक्षकों की रिपोर्टें और (३) राजनीतिक लेखकों और विदेशी नायकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें। पहले वर्ग में भारत की नैतिक और नीतिक प्रगति के सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्टों की गणना है। ये रिपोर्टें सन १९१८ से १९३५ तक 'India in..... (वर्ष की सख्या)' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुईं। इसी श्रेणी में 'The Indian Annual Register' की भी गणना है जिसका कलकत्ता से एम एम मिश्र ने प्रकाशन किया। दूसरे वर्ग में निम्नलिखित प्रकाशनों की गणना है—भारतीय निव्वेन्डीकरण कमीशन की रिपोर्ट, विभिन्न लोक-सेवा आयोगों की रिपोर्टें, माण्ट फोर्ट रिपोर्ट, इष्टन-कमेटी रिपोर्ट, मुडीमैन्ड कमेटी रिपोर्ट, गोट मेन्-रिपोर्टों की कार्यवाही; सन् १९३३ का मुघल-सम्बन्धी श्वेल-पत्र; सन् १९१९ और १९३५ के मुघल-विषयकों पर पार्लियामेंट की सङ्घट प्रवर समितियों की रिपोर्टें, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उसके दिव्युत परिशिष्ट; और १९१९ तथा १९३५ के मुघलों के सम्बन्ध में निव्वुक्त की हुईं विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टें। तीसरे वर्ग में निम्न लिखित लेखकों की पुस्तकों की गणना है—हैनरी नेविन्सन, सर वॉलेन्टाइन गिरोट, सर हेवरी कार्टन;

सर विलियम वेडरबर्न, सर सिडनी लो और कमांडर केनवर्दी; फेनर ब्रॉकवे और निकॉलस बेवरले; एडवर्ड टामसन और जी टी गैरेट; शुस्टर और विण्ट, ब्रेल्सफोर्ड और पेण्डेरल मून, वार्टन और कोटमैन, रसब्रुक विलियम्स और एल एस एस ओ मॉली, क्यूमिंग्स और उके; हिक्म और पाकिन; ग्रिफिथ और रालिन्सन।

और बहुत सी पुस्तकें, रिपोर्टें, समाचार-पत्र आदि हैं, जिनको मैंने भारत के वैधानिक एव राष्ट्रीय विकास की कहानी को पूरा करने में उपयोगी पाया है। उन सबका यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है। पुस्तक की पाद टिप्पणियों में मैंने यथा स्थान उनके प्रति कृतज्ञता स्वीकार की है।

× × × ×

अगले पृष्ठों में भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार का, देश में ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के विकास; भारत में राजनीतिक जीवन के आरम्भ और उसके उत्थान, देश के शासन में हाथ बटाने के लिए भारतीय माँग के आरम्भ और उसकी वृद्धि; राष्ट्रीय आन्दोलन और अपनी आकांक्षाओं एव आदर्शों के लिए राष्ट्रीय सघर्ष, मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म और उसके विकास, पाकिस्तान की माँग और देश के विभाजन, भीषण साम्प्रदायिक दंगों और सामूहिक निष्क्रमण; फूट डालकर राज्य करने की नीति, ब्रिटिश सरकार के दमन और सुधार; अहिंसात्मक असहयोग अथवा सत्याग्रह की पद्धति के विकास और सफल प्रयोग, शान्ति के साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपलब्धि, और ब्रिटेन के साथ मित्रता और कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनाये रखने का, काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस वर्णन के सिलसिले में तथ्यों की तह में जाने का और उद्देश्यों तथा मनोवृत्तियों के विश्लेषण का प्रयत्न किया गया है और विभिन्न कारणों अथवा पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही विभिन्न युगों की परिस्थितियों का भी उचित रूप से उल्लेख किया गया है। इस उद्देश्य के लिए आर्थिक और सामाजिक तथ्यों तथा आन्दोलनों का विवरण भी दिया गया है जिसका देश के वैधानिक इतिहास में अन्यथा कोई स्थान नहीं था। इतने पर भी यह संभव है कि कुछ लोगों के अनुसार बितनी ही बातें छोड़ी हुई प्रतीत हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैंने इस बान का अधिकाधिक प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य से सगत कोई तथ्य और विवरण छूट न जाय।

मैं इस पुस्तक में निर्णय देने से दूर रहा हूँ। मैंने तथ्यों को वैज्ञानिक रूप में, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है, मैंने निन्दा अथवा स्तुति के दायित्व को निश्चित नहीं किया।

प्रस्तुत सब दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में नागर में कम्पनी के राज्य का वर्णन किया गया है। यह वर्णन, सुशिक्षित है; वह परिचायक के रूप में है और इसके द्वारा भारत-सरकार के राजनीतिक एवं प्रशासकीय विचार को पूर्ण किया गया है। इसी कारण भारत की प्रांतीय सरकारों पर पार्लियामेंट और मन्त्रियों के नियंत्रण, मन्त्रिमन्त्रियों के नियंत्रण और विपक्षों जैसी विषयों की जोर दिशाएँ रूप में ध्यान आकर्षित किया गया है।

दूसरे भाग का शीर्षक है 'भारत में ब्रिटिश राज्य, जिसे परम्परा के अनुसार ही मान्यता दी गई है। कम्पनी के मत से दूसरे भाग का वैधानिक दृष्टि से सही शीर्षक है 'भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संसदात्मक विचार। छत्रपति की दृष्टि से यह शीर्षक अनुविधानिक या व्योक्ति पुस्तक के दूसरे भाग के प्रथम पृष्ठ के आरम्भ में उसे रचने में बली बलिदान है।

दूसरे भाग को तीन खानाबिन्दों और सुशिक्षित युग में विभाजित किया गया है—सन् १८६१ से १८९२ तक, सन् १८९२ से १९०९ तक, और सन् १९०९ से १९१९ तक। प्रथम युग की प्रशासकीय एवं वैधानिक महत्त्व की घटनाओं का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया है और साथ ही उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर दिया गया है। वैधानिक परिवर्तनों और राष्ट्रीय प्रगति के कारणों पर उचित रूप से प्रकाश डाला गया है। सभी महत्त्व में प्रगति के लिए सधर्म, उच्च स्वरूप, प्रजाह और परिणामों का वर्णन किया गया है; उस युग की सारी उपलब्धियों का बताया गया है।

यह वर्णन युगानुसार न होकर विषयानुसार भी हो सकता था, किन्तु नेरे विचार से युगानुसार वर्णन अधिक खानाबिन्दों और उपयोगी है। उनमें अधिक स्पष्टता है और घटनाओं का प्रवाह सरलता से समन्वित हो सकता है। दूसरे खण्ड में अगले दो युगों—सन् १९१९ से १९३५ तक और १९३५ से १९४७ तक—की बातें हैं। जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, न यह आशा करता हूँ कि दूसरा खण्ड सन् १९५१ के अन्त तक पूरा हो सकता है।

×                      ×                      ×                      ×

राजनीति-विज्ञान, इतिहास और भारतीय वैधानिक संस्थाओं के विचारधर्मों के अनिद्वेष, सर्वजनिक संस्थाओं के विचारधर्मों और पार्लियामेंट की प्रस्तुत पुस्तक को उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। मैंने विषय को, तथा खानाबिन्दों, स्पष्टता और सरलता के साथ प्रस्तुत करने की चेष्टा की है किन्तु मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि वैधानिक सुनिश्चितता को कोई भी क्षति न पहुँचे। जैसा कि मैंने जगह कहा है, "निद्वेष विद्यालय स्वतन्त्र विचारों का स्थान है और मोहोका के लिए यह एक गौरव की बात है कि वह मोहल विषयों को भी पूर्ण स्पष्टता

और स्पष्टता के साथ समझाता है ।' इस पुस्तक में मैंने उसी भावना को सर्वोपरि स्थान दिया है ।

× × × × ×

काशी-विश्वविद्यालय के बहुत-से मित्रों और सहयोगियों के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ । यह दुःख की बात है कि आज उनमें से कुछ व्यक्ति इस सप्ताह में नहीं हैं । मुझे इस बात का विश्वास है कि बनारस के मेरे मित्र और सहयोगी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने में उनके नामों का उल्लेख नहीं कर रहा । भेद-भाव न करने की दृष्टि से मैं रामजस कॉलेज, दिल्ली के अपने तरुण सहयोगी को भी बिना नाम लिये ही धन्यवाद दूँगा । यहाँ पर मैं केवल अपने भाई सन्त निहाल सिंह और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती कैथिलीन निहालसिंह के ही नामों का उल्लेख करूँगा—उनके प्रति मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ और उनकी आदर और श्रद्धा के साथ मैं इस पुस्तक को समर्पण करता हूँ, जिसको लिखन में मैंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किये हैं ।

अन्त में, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस खंड में जो कुछ भी दोष हो, उनके लिए मैं स्वयं ही उत्तरदायी हूँ ।

कॉलेज ऑफ कामर्स,  
दिल्ली । }

गुरुमुख निहाल सिंह



# विषय-सूची

भाग १

भारत में कम्पनी का राज्य

( पृष्ठ १ से पृष्ठ ८२ तक )

अध्याय

- १/ ब्रिटेनवासियों का आगमन
- २/ ब्रिटिश राज्य का आरम्भ
- ३/ द्वैध शासन का युग
- ४/ कम्पनी के अन्तिम दिन

भाग २

भारत में ब्रिटिश राज्य

( पृष्ठ ८३ से पृष्ठ ४१९ तक )

	नेधि सस्याओ का आरम्भ	८५
६	शासन और राजनीति में परिवर्तन	९७
७	वैधानिक विकास	१०४
८	वित्तीय निक्षेपण और स्थानीय स्वशासन	११५
९	भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ	१२४
१०	१८९२ का भारतीय परिषद् एक्ट	१३६
११	शासन तथा सविधान से सम्बन्धित परिवर्तन	१४०
१२	धार्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ	१५१
१३	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वैधानिक एवं क्रांतिकारी	१६७
१४	दमन और सुधार	१९३
१५	मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ	२०७
१६	मॉर्ले-मिण्टो सुधार १९०१	२३१
१७	शासन तथा सविधान से सम्बन्धित परिवर्तन	२५१
१८	क्रान्ति और दमन	२७३
१९	वैधानिक आन्दोलन	३०१
२०	मोन्टेफोर्ड सुधारी	३२३
२१	विच्छिन्नता की वृद्धि	३७३
२२	अमृतसर का हत्याकाण्ड	३८९

# भाग १

भारत में कम्पनी का राज्य

साथ ही अपनी रक्षा के लिए सीमित<sup>१</sup> किन्तु मगस्थ, ममुद्री सेना रखने का अधिकार मिला। आरम्भ में अधिकार-पत्र १५ वर्षों के लिए था। यह अवधि बीतने पर फिर से जारी किया जाता, यह परीक्षण करने के बाद कि राजसूना और मर्बनाधारण के हितों को कोई क्षति तो नहीं पहुँचती, दो वर्ष का नोटिस देकर अधिकार-पत्र नमोप्राप्त किया जा सकता था।

लन्दन-कम्पनी एक 'रेगुलेटड'<sup>२</sup> कम्पनी की तरह आरम्भ हुई। वह 'ज्वाइण्ट स्टॉक' कम्पनी नहीं थी। कम्पनी के नाम न जा सबसे पहली ममुद्री यात्राएँ हुईं वह पृथक् यात्राएँ थीं, मयुक्त यात्राएँ नहीं थीं। उन यात्राजा में केवल उन्हीं सदस्यों को लाभ हुआ, जो स्वयं ही अपनी इच्छा से उन यात्राजा में सम्मिलित हुए। किन्तु सन् १६१२ में मयुक्त पूँजी की आवश्यकता अनुभव की गई और सब सदस्यों ने साझादारी में पूँजी लगान के लिए कहा गया। आरम्भ में यह साझा निश्चित और सीमित अवधि के लिए था।<sup>३</sup> सन् १६५७ में पहली बार सदस्यों ने स्थायी मयुक्त पूँजी के लिए धन दिया और कम्पनी को एक ज्वाइण्ट स्टॉक कारपोरेशन बना दिया।

### (२)

अधिकार-पत्र से सुरक्षित, लन्दन कम्पनी अपन अत्यन्त घटनापूर्ण जीवन में आगे बढ़ी। एक म्याची आगल-भारतीय व्यापार की नींव रखने के लिए उसने भारतीय समुद्र-तट के महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर फँकड़ी बनाना और बन्नी बसाना आरम्भ किया। कम्पनी द्वारा स्थापित सबसे पहला व्यापारिक बन्दरगाह था-

१ कम्पनी को अधिकार-पत्र (चाट्टर) में 'छ अच्छे जहाज और छ अच्छी लडाकू नावें' और उनके लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री, शस्त्र आदि और पाँच सौ नाविक रखने का अधिकार मिला।

Mukherjee Indian Constitutional Documents  
Vol. I., page 14.

२. "ऐसी कम्पनी के सदस्य कुछ ऐसे नियमों के अधीन थे जो सबसे सम्बन्धित थे और कुछ मुविधाओं के लिए सबको अधिकार था लेकिन प्रत्येक सदस्य अपनी निजी पूँजी पर कायम व्यापार था और कोई मयुक्त पूँजी नहीं थी।"

Ilbert - Govt. of India Historical Survey,  
page 7.

३. "अवधि पर समाप्त होने वाली साझेदारी में, समय आने पर, साथे का विभाजन हो जाता।"

The Cambridge History of India, Vol. V., page 89.

सूरत<sup>१</sup>, जहाँ उसे सम्राट् जहाँगीर से जमीन और कुछ दूसरी सुविधाएँ मिली थी। सन् १६१६ में मछलीपट्टन में एक फ़ैक्ट्री स्थापित की गई। सन् १६३३ में (महानदी डेल्टा में) एक फ़ैक्ट्री हरिहरपुर में खोली गई। सन् १६४० में सेण्ट जार्ज का किला मद्रास में बनाया गया। सन् १६५० में कम्पनी को बंगाल के शासक से, उस प्रान्त में व्यापार करने, फ़ैक्ट्री बनाने आदि का अधिकार मिला (जा बंगाल जीतने पर औरंगज़ेब के शाही प्रतिनिधि ने बना रहने दिया)। फलतः शाही बन्दरगाह हुगली पर एक फ़ैक्ट्री खोली गई लेकिन नये शाही प्रतिनिधि शाइस्ताखा के विरोध के कारण कम्पनी विशेष प्रगति नहीं कर सकी। सन् १६८६ में जॉब चारनॉक को हुगली छोड़ना पड़ा और सुतनती, जहाँ वर्तमान कलकत्ता स्थित है, आना पड़ा। १६९० में वहाँ एक फ़ैक्ट्री बनाई गई। १६६९ में राजा चार्ल्स द्वितीय ने राजसत्ता के नाम से १० पौड वार्षिक लगान पर बम्बई द्वीप और बन्दरगाह भेंट किये। इस प्रकार भारत के समुद्र-तट के महत्त्वपूर्ण स्थान सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक कम्पनी को प्राप्त हो गए। इन स्थानों से कम्पनी अपना व्यापार और अपने दूसरे धधे सुविधा के साथ कर सकती थी।

### (३)

किसी कम्पनी को एकाधिपत्य देना, आजकल, नागरिकता के साधारण अधिकारों पर प्रबल आघात समझा जा सकता है कि तु वह समय विशेषाधिकार और एकाधिपत्य का था और विदेश-व्यापार के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि अधिकांश जनता को गिने-चुने लोगों की कारपोरेशनों<sup>२</sup> का एकाधिपत्य मानना पड़ता। जैसा कि इल्वर्ट ने सकेत किया है "पूर्वी व्यापार को सफलता से चलाने के लिए यह आवश्यक था कि ऐसी समितियाँ बनाई जायें जो देशी राजाओं से समझौता और सौदा करने में, अपने नौकरों में अनुशासन बनाये रखने में और अपने यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों को जवाब फेंकने में समर्थ हों। स्वतन्त्र या अनधिकृत व्यापारी अपनी दिवंगता

१ कम्पनी की पहली दो यात्राएँ भारत के लिए नहीं हुईं वरन् आचीन (सुमात्रा), बान्तुम (जावा), और मौलुकास के लिए हुईं। तीसरी यात्रा में बान्तुम के मार्ग में सूरत पर रुकने की व्यवस्था हुई (२४ अगस्त १६०८)। लेकिन शाही फरमान १६१३ में मिला और उस समय सूरत में स्थायी फ़ैक्ट्री खोली गई।

२ आंग्ल रूसी व्यापार का एकाधिपत्य १५५३-५८ में रूसी कम्पनी को और भूमध्य सागर के व्यापार का एकाधिपत्य १५८१ में लीवेण्ट कम्पनी को दिया गया था।

के कारण, विदेशियों की दया पर रहता और अपने उत्तरदायित्व से विहीन होने के कारण अपने देशवासियों के लिए मुक़्त का कारण हो सकता था।<sup>१</sup>

(५)

फिर भी लन्दन-कम्पनी के प्रति आरम्भ में ही ईर्ष्या और रोष की भावना जाग्रत हुई और उसे देशी तथा विदेशी<sup>२</sup> अनधिकृत व्यापारियों और प्रतिद्वन्द्वियों ने परेशान किया। उसकी पहली मुठभेड़ हुई अनाटा-कम्पनी से। इस कम्पनी को उसके सस्थापक सर विलियम कोर्टीन के नाम पर कोर्टीन एसोसियेशन भी कहते थे। सर कोर्टीन ने अपने प्रभाव और अपनी पहुँच द्वारा चार्ल्स प्रथम से अधिकार-पत्र प्राप्त कर लिया था। इस कम्पनी ने अनाटा (मंडगाम्बर) में एक बस्ती बसाई थी। कुछ समय तक इनने बड़े जोरो से व्यापार चलाया और लन्दन-कम्पनी को नारो क्षति पहुँचाई। अन्त में एक समझौता हुआ और अनाटा-कम्पनी, लन्दन-कम्पनी में मिला ली गई। गृह-युद्ध का भी कम्पनी को स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा<sup>३</sup> लेकिन विजेता ने उसकी रक्षा की। उसने देशी और विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों के साथ कम्पनी के झगड़ों का निन्दारा किया और १६५७ में एक नया अधिकार-पत्र दिया और साथ ही उसे एक स्थायी समुक्त पूंजी की कम्पनी के रूप में बदल दिया।<sup>४</sup>

नये अधिकार-पत्र के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ५ पौंड प्रवेश-शुल्क और कम्पनी की पूंजी में कम-से-कम १०० पौंड देकर, उसका सदस्य हो सकता था किन्तु कम्पनी के साधारण अधिकेशन या 'जनरल कोर्ट' में मत वही व्यक्ति दे सकता था जिसका पूंजी में साझा ५०० पौंड या उससे अधिक हो। १००० पौंड के साझेदार कनेटियों अथवा 'कोर्ट ऑफ़ हाट-रेक्टर्स' की मददस्त्रता के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे। इनमें से प्रतिवर्ष आठ सदस्यों को अवधि समाप्त होती। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का

१. Ilbert : Historical Survey, page 9.

२. विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों से संपर्क के सम्बन्ध में पृष्ठ ९ और १० देखिये।

३. पार्लियामेंट के राउलट्लेड अपॉन्स्योग्मिंटन बिल ने कम्पनी से बरात ५००० पौंड का ऋण लिया।

४. १९ अक्टूबर १६५७ के अधिकार-पत्र ने कम्पनी को एक स्थायी समुक्त पूंजी बनाने के लिए जोर दिया। इस प्रकार हटर के शर्तों में कम्पनी, "मध्यकालीन व्यापार-मध्य के दुर्बल अवशिष्ट से जागत आधुनिक ब्याडष्ट स्टॉक कम्पनी" के रूप में बदल दी गई।

कार्य-काल घटा दिया गया जो अधिक-से-अधिक लगातार दो वर्षों के लिए सीमित था ।

चार्ल्स द्वितीय के प्रत्यागमन के बाद कुछ समय तक कम्पनी की समृद्धि की धूम रही । यह चढाव सत्रहवीं शताब्दी की नवीं दशाब्दी में अपने सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँचा । उस समय कम्पनी का निर्देशन सर जोशिया चाइल्ड के महान् व्यक्तित्व द्वारा हो रहा था । उसी समय सन् १६८८ का प्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ।<sup>१</sup> किन्तु १६८८ की क्रान्ति के बाद कम्पनी के लिए स्थिति बिगड़ गई ।

कम्पनी के प्रतिद्वन्द्वियों ने क्रांति और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाया और एक प्रबल विरोध का संगठन किया । १६९१ में पार्लियामेंट ने सुदूर पूर्व के व्यापार की सफलता और उस व्यापार को एक ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी के हाथों में बने रहने देने की उपयोगिता को स्वीकार किया, और लन्दन-कम्पनी को उसके प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा बनाई हुई नई कम्पनी में मिला देने का प्रस्ताव किया गया । लेकिन बहुत बड़ी रिश्वतों<sup>२</sup> देकर सर जोशिया चाइल्ड ने १६९३ में कम्पनीका अधिकार-पत्र फिर से जारी करा लिया ।

सन् १६९३ के अधिकार-पत्र के अनुसार कम्पनी की पूंजी बड़ाकर ७,४४,००० पाँड कर दी गई, किन्तु एक व्यक्ति का अधिकतम साझा १०,००० पाँड पर सीमित कर दिया गया और हर १००० पाँड की पूंजी<sup>३</sup> पर एक वोट के अनुसार किसी एक साझेदार के लिए अधिक-से-अधिक १० वोट की सीमा निश्चित कर दी गई । १००० पाँड देने वाले साझेदार

१. सन् १६८८ का प्रस्ताव . "हमारी आय में वृद्धि हमारे ध्यान का विषय है . . . उतने ही ध्यान का जितना कि हमारा व्यापार, अपने व्यापार में बाधाओं और दुर्घटनाओं के समक्ष उसी से बल बनाये रखना है, उसी से हमें अपने को भारत में एक राष्ट्र बनाना है ।"

२. सन् १६९५ में हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सामने रखे गए कम्पनी के गुप्त खर्चों के हिसाब के अनुसार २३,४६९ पाँड सन् १६८८ और १६९२ के बीच खर्च किये गए और १६९३ में ८०,४६८ पाँड खर्च किये गए ।

*Thakore: Indian Administration to the Dawn of Responsible Government.*

३. सन् १६९८ के अधिकार-पत्र द्वारा एक वोट के लिए ५०० पाँड के साझे का नियम हो गया और अधिकतम वोटों की संख्या ५ कर दी गई ।

कमेटियों के चुनाव के लिए तैयार हो सकते थे<sup>१</sup>; लेकिन गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होने के लिए ४००० पौंड का साझा होना आवश्यक था। सारे स्थान-परिवर्तनों का उल्लेख एक रजिस्टर में किया जाना था। इस रजिस्टर को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मुलभ रखना था। मयूकन पूंजी का भुगतान केवल इक्कीस वर्षों के लिए था।<sup>२</sup>

अधिकार-पत्र फिर से मिलान के कारण लन्दन-बम्पनी का बल बड़ा और उसने पूर्वी द्वीप समूह के लिए जाने वाले रेट्रिज जहाज का रोक लिया। बम्पनी ने इस व्यवहार पर आपत्ति की और प्रेस पार्लियामेंट के मामले आया। हाउस ऑफ़ कामन्स ने १६९४ में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, "कि इंग्लैंड की सारी प्रजा को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का ममान अधिकार है, जब तक कि पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा ही उस पर रोक न लगा दी जाय।" इस प्रकार उस समय के लिए लन्दन-बम्पनी का एकाधिपत्य तोड़ दिया गया। साथ ही लॉर्ड मैन्वॉले के राज में मदद के लिए यह निर्णय कर दिया गया कि, "लाक सभा के अतिरिक्त और कोई सत्ता किसी व्यक्ति या समुदाय को सत्तार के किसी भाग में व्यापार करने के लिए एकाधिपत्य अथवा विगपाधिकार नहीं दे सकती।"<sup>३</sup>

सन् १६९४ के प्रस्ताव से व्यापारिक एकाधिपत्य प्रदान करने का अधिकार राज-पद से हटकर पार्लियामेंट में आ गया। अब एक एक्ट के लिए तत्कालीन अर्थ-मन्त्री ( चांसलर ऑफ़ दी एक्सचेंजर ) मि माष्टेगु द्वारा, पुरानी और नई दोनों बम्पनियाँ, लोक सभा में पयल करने लगीं। माष्टेगु को घन की बड़ी भारी आवश्यकता थी और दोनों बम्पनियों के बीच व्यापार का एकाधिपत्य "नीलाम पर रख दिया गया।"<sup>३</sup> पुरानी बम्पनी ने पहले ही रिस्वत में बर्तानवर्ती रकम खर्च की थी और हाल में ही फ्रान में युद्ध के समय में बड़ा भारी घाटा उठाया था और वह ४ प्रतिशत व्याज पर केवल ७,००,००० पौंड का ऋण दे सकती थी और वह भी पूंजी बटाकर १५,००,००० पौंड करने

१ सन् १६९८ में बढ़ाकर २००० पौंड कर दी गई।

२ Ilbert: Historical Survey, page 26.

३ "(विगोपाधिकारों के बढ़ते में राज्य के लिए ऋण लेने की) यह व्यवस्था हमने अच्छी थी जिसमें व्यापारियों को विगोपाधिकार राजाओं को नैट देने और मन्त्रियों को रिस्वत देने में मिलने थे और इन्हे अगले पीढ़ी में बहुत पछावा मिलना था।" Ilbert: Historical Survey, page 28.

की अनुमति मिलान पर। किंतु नई कंपनी २० लाख पौंड उधार देन को प्रस्तुत थी। माण्डगु को इतन की ही आवश्यकता था। पर नई कंपनी की व्याज की दर ८ प्रातान थी। पार्लियामन्ट म बिल रखा गया जिसके अनुसार सरकार के लिए २० लाख पौंड ऋण की मांग की गई। उसके बदले म ऋण देन वाला को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करन का एकाधिकार था।<sup>१</sup> पुरानी कंपनी का उसका अधिकार पत्र के अनुसार ३ वष अयात सितम्बर १७०१ तक समय देना था। जब पुरानी कंपनी न यह अनुभव किया कि एकाधिकार और किसी प्रकार नहीं बच सकता ता वह सारी रकम का प्रबंध करन के लिए तयार हुई किन्तु यह प्रस्ताव देर स आया। नई कंपनी को एकाधिकार देन वाला बिल पार्लियामन्ट के दाना भवता से स्वीकृत हो गया और जुलाई १६९८ म उस राजकीय स्वीकृति मिल गई।

सन् १६९८ के एक न ऋण देन वाला को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे अपनी पूंजी के परिमाण के अन्तगत अलग-अलग अथवा राजकीय अधिकार-पत्र के अधीन<sup>२</sup> समुक्त रूप से व्यापार कर सकते ह। अधिकार न पिछली बात का पसंद किया और परिणामत ५ सितम्बर १६९८ को शाही अधिकार पत्र द्वारा दी इंगलिंग कंपनी ट्रेडिंग दि ईस्ट इंडीज नाम की नई कंपनी बनी। उसका प्रबंध २४ डाइरेक्टरो को सौंपा गया। य लोग अपन म से ही एक अध्यक्ष (चेयरमन) और एक उपाध्यक्ष नियुक्त करत। इस सम्बन्ध म एक ध्यान देन की बात यह ह कि पट्टी कंपनी की तरह इस कंपनी के लिए कोई पक्क प्रवेग गुल्क नहीं था।<sup>३</sup>

सन् १६९८ के एक न जान के फलस्वरूप दोनों कंपनियों म घातक प्रतिद्वन्द्वता हुई जिसम सचाई के साथ व्यापार करन के सारे नियमों की अवहलना की गई। पुरानी कंपनी को अनुभव था और साथ ही नई कंपनी में कुछ स्वाय भी था। कारण यह था कि भविष्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी कंपनी न नई कंपनी की २० लाख पौंड की पूंजी म ३१५००० पौंड दिए थ। दूसरी आर सन १७०१ म पुरानी कंपनी के बन्द होन तक नई कंपनी प्रतीक्षा कर सकती थी। किन्तु इसी बीच स्थिति बड़ी विकट

१ Foster Chapter IV, Cambridge History of India, Vol V, pages 98 99

२ Ilbert Historical Survey, page 28

३ Foster Chapter IV, Cambridge History of India, Vol V, pages 98 99



हो गई। नई बम्पनी को असाधारण शक्ति होने लगी। उसके लिए एकमात्र उपाय पुरानी बम्पनी से किसी प्रकार समझौता करना था। इस प्रकार लार्ड गोंडोलफिन के हस्तक्षेप से समझौता हुआ। उसके अनुसार दोनों बम्पनियों अपनी सम्पत्ति के मूल्य आँके जाने के बाद, बराबर के चाँसे में एक हो जाने की तैयारी हो गई। सन् १७०० के इस समझौते के अनुसार "पुरानी बम्पनी को सात वर्ष तक पयन् सत्ता बनाये रखने की अवधि मिली, किन्तु इंग्लिश बम्पनी के नाम से व्यापार संपन्न रूप से चलने की व्यवस्था थी। इस नुसुक्त व्यापार का लाभ दोना के लिए था और उसका निर्देशन २४ सदस्यों के हाथ में होगा था—१० सदस्य पुरानी बम्पनी द्वारा छाँट हुए और १० नई बम्पनी द्वारा। सात वर्ष बीतने पर पुरानी बम्पनी को अपने अधिकार-पत्र छोड़ देने की बात थी" और नई बम्पनी दी यूनाइटेड बम्पनी ऑन्स मर्चण्ट्स ऑन्स इंग्लैंड ट्रेडिंग टु दी ईस्ट इंडीज नाम से व्यापार चलाती।

सन् १७०० के समझौते में कुछ झगड़े उठ खड़े हुए और कठिनाइयाँ सामने आईं। इनका निपटारा करने के लिए १७०७ में एक एक्ट बनाया गया। इसके द्वारा नई बम्पनी से सरकार को बिना व्याज के १० लाख पौंड का एक अतिरिक्त ऋण देने के लिए कहा गया। इस प्रकार कुल ३२ लाख पौंड पर व्याज की दर घटकर केवल ५ प्रतिशत रह गई। बदले में इंग्लिश बम्पनी के विशेषाधिकार १७२६ तक बढ़ा दिए गए। साथ ही इस बम्पनी को उन व्यापारियों से, जिन्होंने १६९८ में व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने का निश्चय किया था, उनका व्यापार खरीद लेने का अधिकार दिया गया। दोनों बम्पनियों के प्रमुख प्रदाताओं को हल करने के लिए लार्ड गोंडोलफिन मध्यस्थ नियुक्त किये गए। उन्होंने नवम्बर १७०८ में अपना निर्णय दिया। मार्च १७०९ में पुरानी बम्पनी ने अपने अधिकार-पत्र रानी को सौंप दिए। इस प्रकार लंदन-बम्पनी के पृथक् अस्तित्व का अन्त हो गया। नई बम्पनी ने अपने उपर्युक्त नाम से पुरानी बम्पनी का काम हाथ में ले लिया और अपना घटनापूर्ण एवं समृद्धिशाली जीवन आरम्भ किया।

१. Ilbert : Historical Survey, page 30.

२. ओवर ने यूनाइटेड बम्पनी का विधान इस प्रकार दिया है: "बम्पनी उन सब व्यक्तियों की थी जिनका दत्तकालीन २० लाख पौंड की पूंजी में हिस्सा था। प्रत्येक पुरुष या स्त्री को, जिसका अपने या दूसरे नाम में ५०० पौंड का सात्ता था, वोट देने का अधिकार था। वह मास्को की नीति में, जिसे चाटर्स द्वारा 'जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' का नाम दिया गया था,

(५)

यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी का जन्म और औरंगजेब के महान् मुगल व्यक्तित्व का अवनतन, ये दोनों बातें एक ही साथ हुईं। यह एक ऐसा सयोग था जिसका आगे चलकर भारत के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत में अपना प्रभुत्व जमाने से पहले यूनाइटेड कम्पनी को यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों, विशेषकर फ्रांस और साथ ही भारतीय शासकों के प्रबल विरोध का सामना करना था।

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में ही पुर्तगालवासियों की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। १६४८ में मन्स्टर की संधि के अनुसार भारत में पुर्तगालवासियों का अधिकार पश्चिम तट पर दीव, दामन और गोआ पर ही रह गया था।<sup>१</sup> १६४८ के बाद पूर्व में पुर्तगाल वालों का महत्त्व समाप्त हो गया था।

हॉलैंड वालों से सत्रहवें अधिक समय तक चला। १६२३ में एम्बायना में हॉलैंड वालों ने सब अंग्रेजों को मार डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि लदन-कम्पनी स्पाइस द्वीप के साथ व्यापार से हट आई और उसने अपनी शक्ति भारतीय व्यापार में केन्द्रित की। १६५४ में वेस्टमिन्स्टर की संधि के अनुसार क्षति-पूर्ति के रूप में कम्पनी को ८५,०००<sup>२</sup> पाँड मिले। (क्रोमवेल के अधीन) ब्रिटेन और हॉलैंड में तीन वर्ष युद्ध होने के बाद यह संधि हुई थी। अन्त में फ्रांस ने यूरोप में हॉलैंड की शक्ति को कुचल दिया और

विवाद में भाग ले सकता था। प्रोप्राइटर्स को २००० पाँड के साझेदारों में से २४ डाइरेक्टर चुनने होते थे। काम करने के लिए कम-से-कम १३ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। समुक्त रूप से उनका नाम था 'कोर्ट ऑव डाइरेक्टर्स'। चार्टर के अनुसार हर तीन महीने बाद कोर्ट की मीटिंग होनी अनिवार्य थी। कम्पनी के शासन के लिए नियम बनाने को एक कमेटी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी। वह नियम-कानून उतने ही मान्य थे जितने कि पार्लियामेंट के नियम, बशर्ते कि वह किसी एक्ट के प्रतिकूल न हो।" Auber · The Rise and Progress of British Power in India page 13

१. ये स्थान अब भी पुर्तगाल वालों के अधिकार में हैं किन्तु १५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र होने के बाद उनका भविष्य भारत और पुर्तगाल, दोनों देशों की सरकार के विचाराधीन है।
२. इसमें से क्रोमवेल ने कॉमन वेल्थ सरकार के लिए ५०,००० पाँड उधार के लिए।

१६९७ में रिसर्विक की मधि होने पर पूर्व में हॉलैण्ड वालों का व्यापारिक प्रभुत्व नो समाप्त हुआ गया।

(६)

इस प्रकार महत्की घटनादी में डगलेण्ड के दो यूरोपीय प्रतिद्वन्दी मंडान से निकल गए किन्तु फ्रांसीसी अभी जमे हुए थे। भारत के पूर्वी तट पर मद्रास के निकट पाटिचेरी और कलकत्ते के निकट चन्द्रनगर में उन्होंने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली थी।<sup>१</sup> स्थानीय फ्रांसीसी शासकों न भारतीय शासकों से मित्रता बटाई और फलन देग में अपनी शक्ति और प्रभुता जमान में मफल हुए।

फ्रांसीसिया और अंग्रेजों में प्रभुता के लिए वास्तविक युद्ध १७४१ में डुप्ले के पाटिचेरी के शासक ( गवर्नर ) नियुक्त होने पर आरम्भ हुआ। यह युद्ध २० वर्ष तक चला। पहले आठ वर्षों में अर्थात् १७४९ तक फ्रांसीसिया का पक्ष प्रबलतर रहा। कलाश्व द्वारा आर्कांट जीत लेने पर पासा फलट गया किन्तु अन्तिम रूप से फ्रांसीसी शक्ति अंग्रेजों द्वारा कन्दवग का जीत के बाद ही २१ जनवरी १७६० का परास्त हुई।

(७)

इस बीच बंगाल में महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घट रही थीं।

बंगाल के नये नवाब मिर्जासुदांला ने अंग्रेजों की अकड और शत्रुतापूर्ण हरकतों से चिढ़कर १७५६ में कलकत्ते पर बटाई की। गवर्नर ( डेक् ) और मुख्य सैनिक अधिकारियों ने किले का उससे भाग्य पर छाट दिया—और स्वयं भागकर हुगली में ब्रिटिश अहाजा पर पहुँच गए। मामूली लडाई के बाद फोर्ट विलियम की सेना ने हथियार टाल दिए और डेक् हाल<sup>२</sup> की कथित घटना हुई। कलाश्व

१ यमन, हरिकल और माही—इन तीन म्थानों पर भारत में फ्रांसीसी अधिकार और बना हुआ है। १९ जून १९४९ को चन्द्रनगर में भारत में विलयन के लिए मत द दिया है। दोष चार फ्रांसीसी अधिकारियों के प्रश्न पर दोनों सरकारों में वानचीत चल रही है।

२ Keith Speeches and Documents on Indian Policy. Vol 1, page 3.

३ ब्लैक होल के विषय में इतिहासकारों के विवाद में पडने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अधिकांश भारतीय और कुछ अंग्रेज और विदेशी इतिहासकार यह मानते हैं कि यह घटना कभी हुई ही नहीं; यदि हुई तो नगण्य रूप में। अन्यथा कोर्ट ऑव टाहरेक्टर्स के पास बंगाल कौमिल से जो कागज भेजे जाते थे उनमें इसकी चर्चा अवश्य होती। फ्रांसीसी भारत के एक नूतपूर्व गवर्नर-

और वाटसन मद्रास से हालत सँभालने और क्षति-पूर्ति करने के लिए भेजे गए। उन्होंने तुरन्त ही वज्रबज के किले को अपने अधीन किया और २ जनवरी १७५७ को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। एक सप्ताह बाद हुगली का किला भी जीत लिया गया। क्षति-पूर्ति करने के आवार पर नवाब के साथ सधि भी की गई।

क्लाइव ने कलकत्ते में बसकर नवाब के मन्त्रियों के साथ पद्यत्र रचने शुरू किये। उस नवाब के सेनानायक मीर जाफर के साथ एक सधि की। क्लाइव ने घोखे और जालसाजों<sup>१</sup> से अमीचन्द को उसके इनाम के मामले में ठगा। इस प्रकार अपनी स्थिति दृढ़ करके क्लाइव नवाब की सेना से मुर्शिदाबाद के पास टक्कर लेने के लिए बढ़ा। पलासी में युद्ध हुआ। नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला बेप बदलकर भागा, पर पकड़ा गया और बन्दीखाने में डाल दिया गया। बाद में मीर जाफर के एक लडके ने उसको मार डाला। अंग्रेजों ने सधि का पालन किया और २७ जून १७५७ को मीर जाफर नवाब घोषित कर दिया गया।

(८)

सन् १७६१ तक अंग्रेजों ने परिस्थितियों को अपने वश में कर लिया। उन्होंने फ्रांसीसियों को और सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दक्षिण में और पूर्व में उनकी शक्ति सर्वोपरि थी। मराठों से, जो उस समय भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, उन्हें अपनी साम्राज्यवादी योजनाओं के लिए खतरा हो सकता था। किन्तु उनके भाग्य से, १७६१ में पानीपत की हार से मराठों की दशा बहुत विगड़ गई। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए मार्ग खुला हुआ था।

क्लाइव ने भारत में ब्रिटेनवासियों का भविष्य स्पष्टता के साथ देखा उसने अपने साम्राज्य की नींव बड़ी चतुराई और दृढ़ता के साथ रखी। शीघ्रता से विस्तार करने और सशस्त्र विजय की नीति अपनाने के स्थान पर वह बड़ी सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ा, एक स्थान पर कुछ भूमि का अधिकार लिया तो किसी दूसरे स्थान पर मालगुजारी उगाहने का काम लिया

जनरल मार्टिनो, जो उस समय के इतिहास के अधिकारी विद्वान् माने जाते हैं, यह मत देते हैं कि जब तक नये प्रमाण न मिले, ब्लैक होल की घटना को सिद्ध करने के लिए, उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं।

१ कुछ अंग्रेज लेखकों ने क्लाइव का कलकत्ते के लिए पूर्वी देशों के रहने वालों की नैतिकता पर आघात किया है। उनके अनुसार क्लाइव ने उन्हीं लोगों की चाल अपनाई। किन्तु इससे कोई सफाई नहीं होती, एडमिरल वाटसन ने उसे ऐसा नहीं समझा।

ताकि कोई बल विरोध न उठ सके हो और भारतवासी विदेशियों<sup>१</sup> को मार भगाने के लिए मगठिन न हो उठें। क्लाइव ने बड़ी कुशलता के साथ स्थिति को संभाला। उसने दिल्ली के मुगल सम्राट् की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की। उसने सम्राट् से कम्पनी को सरकार देने की, हैदराबाद से कर्नाटक पृथक् करने की, और बंगाल में कम्पनी को दीवानों<sup>२</sup> का अधिकार देने की मांग की। उसने बंगाल को सरकार के साथ मिलाने के लिए बंगाल के राजा के प्रदेशों पर अधिकार नहीं किया बरन् राजा को मनाकर राजी कर लिया। उसने बकमर के बाद अवध को छोड़ा नहीं बरन् नवाब को अपना साथी बना लिया। बड़ मराठों से लड़ा नष्टे बरन् उड़ीशा में उनके चौथे के अधिकार को स्वीकार कर लिया। दक्षिण में पेशवा के विरुद्ध शक्ति का मजबूत करने के लिए उसने निजाम से मित्रता कर ली। इन प्रकार उसने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थिति का सुदृढ़ किया और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य को नीव रखी।

## दूसरा अध्याय

# ब्रिटिश राज्य का आरम्भ

(१)

सन् १७६५ में दीवानों का अधिकार मिल जाने से कम्पनी के मालिकों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। भविष्य की मुनहरी कल्पनाओं से उनकी जाँचें चौबिया गईं। क्लाइव के अनुसार १७६५ में बंगाल का कुल मालगुजारी ४० लाख पाँड थी और सारे व्यय निवालेवर कम्पनी की विनूद्ध आय १६,५०,००० पाँड थी। १७६७ में कम्पनी के स्टॉक की दर बढ़कर २६७ और लाभांश १२½ प्रतिशत हो

१. प्रो० कीथ लिखते हैं 'मीर कामिम के प्रबल विरोध से क्लाइव को इस बात का भय था कि वहाँ देशी लोग, यूरोपीय साधियों के अभाव में अपने ही साधनों से, अपने उस प्रभाद को छोड़कर, जो यूरोपीय सहायकों की उपस्थिति में था, अंग्रेजों के विरुद्ध, मुमगठिन होकर विकट मुद्द न करें।' Keith in his preface to 'Speeches and Documents on Indian Policy.

२. क्लाइव ने १७५९ में अंग्रेजों के लिए बंगाल की सूबेदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पिट को अपने दृष्टिकोण पर लाने का प्रयत्न किया था। Keith - Speeches and Documents on Indian Policy.

गया। कम्पनी के कर्मचारी अपने साथ बड़ी भारी सम्पत्ति ले गए और इंग्लैंड में अपने नाम की बस्ती और प्रदेश बनाकर 'नवाबों' की भाँति जम गए।<sup>१</sup> हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ने राजसत्ता के लिए वाञ्छित धन पाने का सुअवसर देखा और कम्पनी पर यह धन देने का दायित्व डालकर उन्होंने अपने निर्वाचकों की दृष्टि में अपने-आपको ग्याय्य ठहराया। किन्तु ४००,००० प्रति वर्य का मूल्य<sup>२</sup> लेकर और बदले में कम्पनी को भारत के अधिकृत प्रदेशों<sup>३</sup> पर यथावत् अधिकार बनाये रखने की अनुमति देकर वे (हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य) कुशासन के प्रति आँव वचान के नाने<sup>४</sup> एक भयंकर विश्वास-घात के अपराधी थे। जब से माण्टगु को उक्त योजना<sup>५</sup> सूझी यूनाइटेड कम्पनी ने अवधि बीतने पर अधिकार-पत्र फिर से प्राप्त करने के लिए हर बार धन दिया था। इस प्रकार १७५० तक कम्पनी ने ३ प्रतिशत व्याज पर राजसत्ता को ४२ लाख पौंड ऋण दिया था। १७६७ में पार्लियामेंट ने एक एकट धनाया। उसमें दो वर्य तक ४ लाख पौंड प्रतिवर्य के हिसाब से धन देने की माँग थी। बदले में कम्पनी को उसी अवधि के लिए मालगुजारी और प्रादेशिक अधिकार बनाये रखने की अनुमति थी। १७६९ में यह समझौता पाँच वर्य के लिए बड़ा दिया गया।

(२)

इस बीच भारतीय परिस्थिति अत्यन्त जटिल होती जा रही थी। कम्पनी के अधिकार तीन प्रेसिडेंसियों में थे। हर प्रेसिडेंसी की अपनी सरकार थी—गवर्नर और कौन्सिल—मद्रास और स्वतन्त्र। प्रमक का लन्दन में डाइरेक्टरी से

१ नवाब के वर्णन के लिए देखिये Disraeli's Sybil, Chapter III.

२ इस प्रकार राजसत्ता ने भारत से होने वाली धन-प्राप्ति में अपना हिस्सा जताया और भारतीय प्रदेशों की सत्ता के नियंत्रण करने का अधिकार भी जनाया। . . . .

३ Keith: Speeches and Documents on Indian Policy, Vol I, page XI.

४ बर्क ने कहा कि मन्त्रियों ने ४ लाख पौंड के मूल्य में इस रक्त-पात, इस बलात्कार, इस दुष्टता, इस शोषण को उचित ठहरा दिया था। इस अपराध-कार को स्वीकार करने के बाद फिर कोई बुराईयाँ नहीं सुनी गईं। . Roberts Chapter X, Cambridge History of India, Vol. V, page 183.

५ Keith: Speeches and Documents on Indian Policy. Vol. I, page 9.

सीधा मन्द्बन्ध था। डाइरेक्टरो द्वारा कम्पनी के ऊँचे कर्मचारियों में से गवर्नर और कौंसिल के सदस्यों को नियुक्ति होती थी। इन सदस्यों की मर्यादा १२ से लेकर १६ तक होती। इनमें से कुछ सदस्य बहूवा अनुपस्थित होते। केन्द्र से दूर, देश के भीतरी भागों में फैंक्ट्रियाँ उनके आधीन थीं। मना गवर्नर और कौंसिल में मनुक्त रूप से निहित थी और उसका निर्णय बहुमत पर था। कौंसिल के सदस्यों के बिखरे रहने के कारण, काम का टग से चलाना बहुत कठिन हो गया था। इस कारण क्लाइव का कौंसिल के कामों को एक छोटी हुई कमेटी को सौंपने का अधिकार दिया गया।

न्याय के सम्बन्ध में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कठिनाईयाँ अनुभव की जा रही थी। १७५३ के अधिकार-पत्र द्वारा प्रसीडेंसी के नगरों के लिए मेयर के न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। इन न्यायालयों का उन दूर-पिपियों पर, जो इन नगरों में रहते थे या उनसे सम्बन्धित फैंक्ट्रियों में रहते थे, दीवानी, फौजदारी और धार्मिक अधिकार था।<sup>१</sup> लेकिन उन समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रसीडेंसी में अंग्रेजों की मर्यादा का बड़ गटे थी। इंग्लैंड के कानून के अनुसार कलकत्ते के मेयर के अधिकार-क्षेत्र में बाहर उन्हें दख देने का कम्पनी को कोई हक नहीं था, जब तक कि वह इंग्लैंड वासिन न पहुँचे, लेकिन उन हालत में माक्षियों की गवाही न मिलती।<sup>२</sup> यह अनुभव किया गया कि इन कठिनाईका हल प्रान्त में एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) स्थापित करने में ही हो सकता है।

गवर्नर और उसकी परिषद् (कौंसिल) के अमीन निविल और सैनिक कर्मचारी थे। इनका मुगियों, दलालों और व्यापारियों में वर्गीकरण था। उनका वेतन हास्यास्पद रूप में कम था। पाँच साल में काम करने वाले मुग्यों को केवल १० पौंड प्रतिवर्ष मिलते। परिषद् के सदस्य को ८० पौंड प्रतिवर्ष मिलते और गवर्नर को ३०० पौंड प्रतिवर्ष। परन्तु उनकी ऊँची आमदनी अनाधारण थी। अनुभव ने उन्हें गरीब आम्रमिया से भेंट, रिश्वत और नजराना लेने की बला में निजुन बना दिया था। लेखा के शब्दों में, "दिसी आम्रमिया ने इससे पहले ऐसे अनाचार का अनुभव नहीं किया था जो इतना पूर्ण, इतना बुरा और इतना निर्मम हो।" पूरे जिले जो किसी समय मनुड और धने आबाद थे, अब बिलकुल उजड़ गए थे। ऐसा देखा गया कि अंग्रेज व्यापारियों का दल दिनाई पड़े ही

१. Yusuf Ali : The Making of India, pages 218-19

२. सन् १७७३ की पार्लियामेंटरी कमेटी के अनुसार सन् १७५७-६६ की अवधि में इस प्रकार ६० लाख पौंड जनता से दलान् बसूल किये गए थे। मोर जाकर से क्लाइव को जो धन मिला वह इसके अतिरिक्त था।

गाँव तुरन्त खाली कर दिए जाते, दुकानें बन्द कर दी जाती और सड़कें घबराए हुए भागने वालों से भर जाती। १७७०-७१ में फसल न होने के कारण बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा उस समय जनता का बप्ट चरम सीमा पर पहुँच गया। किन्तु कम्पनी के कर्मचारी इतने निर्दय और इतने निर्लज्ज रूप से लालची थे कि उन्होंने जनता के बप्टो से लाभ उठाया और अकाल की स्थिति का निज के लिए धन बढ़ोरने में उपयोग किया। कम्पनी के कर्मचारियों की लूट-मार इतनी नियम थी और जनता के बप्ट इतने अधिक् थे कि अन्त में पार्लियामेंट के सदस्यों को क्रुद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा।<sup>१</sup> हाउस ऑफ कॉमन्स में कर्नल बर्गोयन के प्रस्ताव पर १३ अप्रैल १७७२ को ३१ सदस्यों की एक छँटी हुई कमेटी की नियुक्ति की गई। इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के काम और उसकी व्यवस्था की जाँच करने का भार सौंपा गया।

इस बीच कम्पनी की स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही थी, वह बड़ी तेजी के साथ दिवालियेन की ओर बढ़ रही थी। अगस्त १७७२ में कम्पनी के पदाधिकारियों ने अपना व्यय न चला सकने की असमर्थता को स्वीकार किया और लार्ड नॉर्थ से ऋण माँगा। बलिहारी हैं कम्पनी के कर्मचारियों की लोलुपता को जिसके कारण कम्पनी की आय तेजी से घट गई। प्रदेशों के बड़ जाने एक बड़ी सेना बनाये रखने और जब-जब युद्ध में भाग लेने के कारण उसका व्यय बहुत बड़ गया था। हाल ही में हैदराबाद के हाथों दक्षिण में हारकर कम्पनी को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी थी। अगले तीन महीनों में आवश्यक भुगतान करने के लिए कम्पनी के पास १२,९३,००० पाँड की कमी थी। राजसत्ता का ऋण ही कम्पनी को नष्ट होने से बचर सकता था।

१. Horace Walpole ने लिखा है "अत्याचार और लूट-मार के ऐसे दृश्यों से हृदय काँप उठता है। सोने की लोलुपता में हम स्पेनवासियों की तरह हैं और उसे प्राप्त करने में हॉलैण्डवासियों की तरह परिप्लूत हैं।
२. "कम्पनी के अधिकारियों ने अनुल सम्पत्ति एकत्रित की थी। सर्वसाधारण के हृदय में यह सदेह था कि इन नवाबों ने यह सम्पत्ति अनुचित ढंग से प्राप्त की थी। इंग्लैण्ड में इन कर्मचारियों का सम्पत्ति के कारण राजनीति पर प्रभाव पड़ता था। साथ ही यह सदेह था कि किसी व्यापारिक सस्था के लिए अपने नाम पर प्रादेशिक सर्वोच्च सत्ता हथियाना नहीं तक न्यायोचित था। इन सब उपयुक्त कारणों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के कामों को ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और हाउस ऑफ कॉमन्स ने कम्पनी के भारतीय शासन की जाँच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमीटी नियुक्त की।" Kalc: Indian Administration, pages 17 and 18 से अनूदित।



२६ नवम्बर १७७२ को पार्लियामेंट खुलने पर लाई नॉर्थ ने कम्पनी की वस्तु स्थिति की जाँच करने के लिए एक गुप्त कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। कमेटी ने बड़ी जल्दी ही अपनी पहली रिपोर्ट दी। दिसम्बर १७७० में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और उसमें कम्पनी को भारत में निरीक्षण के लिए कमीशन भेजने से रोक दिया गया।

गुप्त कमेटी अपना काम करती रही और उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट मई १७७३ में दी। उसके फलस्वरूप पूर्वी प्रदेशों के शासन के नियन्त्रण का निर्णय किया गया। १० मई को बर्नल बर्गोयन और सर विलियम मेरेडिथ<sup>१</sup> ने भारतीय शासन की तीखी आलोचना की। १८ मई को लाई नॉर्थ ने अपना प्रसिद्ध बिल पेश किया जो बाद में १७७३ का रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। कम्पनी की आर्थिक कठिनाइयाँ का हल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट और पास किया। इस एक्ट के द्वारा १४ लाख पौंड का ऋण ४ प्रतिशत व्याज पर सरकार द्वारा दिया गया। ऋण लौटा देने तक ४ लाख पौंड प्रतिवर्ष का वार्षिक भुगतान छोड़ दिया गया। ऋण वापिस होने तक कम्पनी को ६ प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित करने से रोक दिया गया। जब तक बॉण्ड का ऋण घटकर १५ लाख पौंड न हो जाय, लाभांश ७ प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता था। कम्पनी का हर छ महीने बाद जाँच के लिए ट्रेजरी (अर्थ-विभाग) को अपना आय-व्यय का हिसाब देने को कहा गया।<sup>२</sup> कम्पनी को भारत-स्थित कर्मचारियों के बिल स्वीकार करने की वार्षिक सीमा ३ लाख पौंड कर दी गई और उसको ब्रिटेन में बने माल को अपनी सीमा के अन्दर ब्रिटिश वस्तुओं में निर्यात करने की सीमा भी निर्दिष्ट कर दी गई।<sup>३</sup>

( ३ )

कम्पनी (एक व्यापारिक मस्या) के राजनीतिक सत्ता हथियाने के अधिकार पर आरम्भ से ही आपत्ति की गई थी और पार्लियामेंट के हस्तक्षेप करने को कहा गया था। किन्तु कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक अविचार के दुरुपयोग के प्रमाण एकत्रित होने पर, कम्पनी द्वारा प्रादेशिक सत्ता बनाये रखने के विरोध

१. सर विलियम मेरेडिथ के शब्दों में, "ये व्यवसायी नरेश हमेशा ही खतरनाक हैं। इनका बेचने का नियम इच्छानुसार अधिक-से-अधिक मूल्य लेना है और कम करने का नियम इच्छानुसार कम-से-कम दाम देना है। Chuni Lal Anand . History of Government in India, Part II, page 14 से अनूदित।

२. Ilbert Historical Survey, page ३

में भावनाएँ बहुत प्रबल हो गईं। कम्पनी से राजनीतिक अधिकार छीन लेने के प्रयत्न किये गए पर कोई सफलता नहीं मिली। किन्तु जब कम्पनी ने आर्थिक सहायता के लिए पार्लियामेंट के सामने हाथ पसारते तो इस अवसर का भारतीय शासन के नियन्त्रण करने के लिए लाभ उठाया गया।

सन् १७७३ के एक्ट का बैधानिक महत्त्व बहुत बढ़ा है। कारण, उसने निश्चित रूप से कम्पनी की राजनीतिक कार्यवाहियों को स्वीकार किया। दूसरा कारण यह है कि उस समय तक जो कम्पनी के निजी प्रदेश समझे जाते थे<sup>१</sup>, उनमें सरकारी ढाँचा किस प्रकार का हो, यह निश्चित करने के लिए पार्लियामेंट ने अपने अधिकार पर पहली बार जोर दिया। तीसरा कारण यह है कि भारतीय सरकार का ढाँचा बदलने के लिए पार्लियामेंट ने जो बहुत से एक्ट बनाए उनमें यह सबसे पहला था। सन् १९१९ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आमुख में यह बात अन्तिम रूप से और बड़ी दृढ़ता से स्पष्ट की गई कि भारतवासियों के लिए किस प्रकार का विधान उचित और आवश्यक है, उसे निश्चय करने और लागू करने का एक-मात्र अधिकार पार्लियामेंट को है।

सन् १७७३ में 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' और 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स', गृह सरकार (होम गवर्नमेंट) के अंग थे। डाइरेक्टर्स की कुल सख्या २४ थी। प्रतिवर्ष इनका चुनाव होता जिसमें ५०० पाउंड के साझेदार मत दे सकते थे और २००० पाउंड के साझेदार खड़े हो सकते थे। नीति की दृढ़ता, स्थिरता और क्रमबद्धता की दृष्टि से डाइरेक्टर्स का कार्य-काल छोटा था। उनको पुनर्निर्वाचन की दृष्टि से बहुत से प्रोप्राइटर्स को प्रसन्न रखना पड़ता था और इस प्रकार वे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के अनुचित प्रभाव से दबे रहते थे। १७७३ के एक्ट ने उन्हीं प्रोप्राइटर्स को अधिकार दिया जो निर्वाचन-तथिय से १२ महीने पहले से साझेदार हो और जिनका हिस्सा १००० पाउंड हो। इस एक्ट ने निर्देशको (डाइरेक्टर्स) का कार्य-काल बढ़ाकर ४ वर्ष कर दिया। उनमें से चतुर्थांश अपनी अवधि समाप्त करके प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते। इस एक्ट में डाइरेक्टर्स को यह कहा गया कि सिविल और सैनिक विषयों पर सपरिपद् गवर्नर-जनरल के जो पत्र या सुझाव आवें उन्हें राज्य-मन्त्री के सामने रखा जाय और आय-व्यय व्यवस्था के सबंध में जो पत्रादिक हो उनकी प्रतिर्थां ट्रेजरी (अर्थ-विभाग) के सामने रखी जायें। भारत की आर्थी अर्थकारण को, निर्देशको के आदेशों का पूरी तरह प्रालन करना

१. कुछ मान्य और प्रभावशाली व्यक्तियों के अनुसार सन् १७७३ का एक्ट एक उद्बलरदस्ती का अधिनियम था जिससे एक व्यक्तिगत सस्या के अधिकारों और उसकी सम्पत्ति पर सक्रमण होता था।

या और कम्पनी के हितों से सम्बन्धित सारे विषयों पर उन्हें बराबर सूचित रखना था ।

एक्ट बनने से पूर्व तीनों प्रेसिडेंसियाँ एच-डूरे से पूयक् और स्वतंत्र थीं । उनका लन्दन में कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स से सीधा संबंध था । सन् १७७३ के एक्ट ने भारत के एकीकरण के लिए पहला पग उठाया । उसने बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर-जनरल और चार सदस्यों को एक परिषद् नियुक्त की । इनको "उक्त प्रेसिडेंसी की सिविल और सैनिक सरकार पर वे सारे अधिकार दिये जो पहले गवर्नर और परिषद् को प्राप्त थे ।" इस प्रेसिडेंसी में तत्कालीन रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे । साथ ही गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् को भद्रास, बम्बई और बेंकूलेन<sup>२</sup> प्रेसिडेंसियों पर सरकारों की व्यवस्था, युद्ध छेड़ने और सन्धि करने के क्षेत्र में नियंत्रण और निरीक्षण करने का अधिकार दिया । किसी असाधारण परिस्थिति में अथवा लन्दन से निर्देशकों के आदेश होने पर ही उपर्युक्त नियम का अपवाद हो सकता था । सपरिषद् गवर्नर को सपरिषद् गवर्नर-जनरल के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया । साथ ही उन्हें यह हिदायत भी की गई कि वे कम्पनी की सरकार, काम या उसके हितों से संबंध रखने वाली सारी बातों से, साथ ही अपने क्षेत्र में बनने वाले सारे नियम-उपनियमों से सपरिषद् गवर्नर-जनरल को परिचित रखें । उल्लंघन करने वाले सपरिषद् गवर्नर को, सपरिषद् गवर्नर-जनरल अधिकार-च्युत कर सकता था ।<sup>३</sup>

एक्ट में पहले गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के चार सदस्यों का नाम दिया गया था । गवर्नर-जनरल के पद के लिए वारेन हेस्टिंग्स का नाम था और परिषद् के लिए लेफ्टिनेंट-जनरल क्लेवरिंग, जार्ज मॉन्सन, रिचर्ड वॉल और फिलिप फ्रेंचिस का । इनको पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था । कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स<sup>४</sup> द्वारा आपत्ति और प्रतिनिधित्व करने पर हिंड्र मैजिस्ट्री (इंग्लैण्ड-नरेश) द्वारा ही इनको पद-च्युत किया जा सकता था । पहले पांच वर्ष बाद कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स को नियुक्तियाँ करने का अधिकार था ।

१ Clause VII, East India Company Act, 1773 (Geo. III, c 63)

२. बेंकूलेन या माद्रासो फोर्ट नुमात्रा में है । १८२४ की लन्दन-संधि के अनुसार यह हॉलैंड वालों को सौंप दिया था । Footnote 1, page 46, Ilbert Historical Survey.

३. Clause IX of the East India Company Act 1773

४. Clause X of the Act.

प्राधिकार सयुक्त रूप से गवर्नर-जनरल और परिषद् में निहित था । किसी विषय पर निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत का नियम था । परिषद् के किसी सदस्य की अनुपस्थिति, पद-च्युति अथवा मृत्यु की दशा में बराबर मन होने पर गवर्नर-जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था ।

सपरिषद् गवर्नर-जनरल को कम्पनी की फोर्ट विलियम की बस्ती और उसके अधीन फ़ैक्ट्रियो और अन्य स्थानों की सुव्यवस्था और सिविल सरकार<sup>१</sup> के लिए ऐसे सारे नियम, अधिनियम, अध्यादेश (Ordinances) बनाने और जारी करने का अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के कानूनों के विरोध में न हों । यह नियमादि सर्वोच्च न्यायालय की सहमति और स्वीकृति से वहाँ पर निबधित होने और प्रकाशित होने पर ही लागू समझे जाते । भारत या इंग्लैण्ड के किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की प्रार्थना पर सपरिषद् इंग्लैण्ड-नरेश उनको रद्द कर सकता था ।<sup>२</sup>

१७७३ के एक्ट ने हिज्ज मैजिस्ट्री (इंग्लैण्ड-नरेश) को चार्टर द्वारा फोर्ट विलियम पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया । इसमें एक प्रधान न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते जो इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड के पाँच वर्ष से अधिक अनुभव वाले बैरिस्टरो में से हिज्ज मैजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जाते । इस न्यायालय को दीवानो, फौजदारी, जल-सेना सबधी और धर्म-सबधी क्षेत्रों में न्याय करने का अधिकार दिया गया । उसे सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से सगत बेतन पर क्लर्क और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय के ही अधीन सारे सरकारी कागज, प्रमाण-पत्र और अभिलेख रखने की व्यवस्था थी ।<sup>३</sup> उसे न्याय करने और चार्टर द्वारा दिये गए अधिकारों को व्यवहार में लाने के लिए विधि-नियम बनाने का अधिकार था । बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहने वाली सारी ब्रिटिश प्रजा इस न्यायालय के क्षेत्र में थी । हिज्ज मैजिस्ट्री की इस प्रजा के किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध उसे अपराध, दुर्व्यवहार, अन्याचार के आक्षेप और अभियोग पर न्याय करने का अधिकार था ।<sup>४</sup> बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहने वाले किसी 'देशी आदमी' से ५०० रुपये से अधिक की लिखित लेन-देन के सबंध में झगडा होने पर,

१. Clause XXXVI of the Act.

२. Clause XXXVI of the Act

३. Clause XIII of the Act

४. Clause XIV of the Act.

यदि लेखे में न्यायालय में विवाद ले जाने की शर्त हो तो, सर्वोच्च न्यायालय हिड मैजिस्ट्री की प्रजा के अभियोगों और उनकी कार्यवाहियों को मुन सकता था और उन पर निर्णय कर सकता था। 'निवासियों' के विरुद्ध दूसरे सिविल अभियोगों के बारे में (अर्थात् उन अभियोगों में जब दादी और प्रतिवादी में झगडा होने पर विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की शर्त न हो) न्यायालय का क्या अधिकार होगा इस सम्बन्ध में एक्ट में कोई निर्देश नहीं है। साथ ही निवासियों के ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध अभियोगों के बारे में भी एक्ट मौन है। न्यायालय का अधिकार मौलिक अभियोगों का भी था और ज़ील मुनने का भी।

कलकत्ते में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के पक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अभियोगों का निर्णय करता। उसकी अपील सपरिपद् इंग्लैंड-नरेश से की जा सकती थी।

गवर्नर-जनरल अथवा उसकी परिपद् के किसी सदस्य के किसी अपराध के विरुद्ध न्यायालय को कोई आक्षेप या अभियोग मुनने या निर्णय करने का अधिकार नहीं था। बंगाल, बिहार अथवा उड़ीसा में उनमें से किसी के द्वारा राजद्रोह अथवा भयकर अपराध उत्तरे लिए अपवाद थे। गवर्नर-जनरल, उसकी परिपद् के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी काम या न्यायालय में चलने वाले किसी अभियोग के सिलसिले में बन्दी नहीं बनाए जा सकते थे। यह छूट केवल सिविल अभियोगों के ही लिए थी।

२६ मार्च १७७४ के अधिकार-पत्र द्वारा ऐसा न्यायालय बनाया गया। सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड सहायक न्यायाधीश नियुक्त किये गए।

गवर्नर-जनरल, उसकी परिपद् के सदस्य और उक्त न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया और उनका यह कर्तव्य था कि वे फ़ोर्ट विलियम की बस्तियों और उसके अधीन फ़ैक्ट्रियों के लिए शांति-व्यवस्थापकों की तरह वर्ष में चार बार अधिवेशन करें और अभिलेख-न्यायालय का काम करें।

सन् १७७३ के एक्ट ने भारतीय विधान में उपर्युक्त सुगोपन करने के अतिरिक्त इस बात का भी प्रयत्न किया कि भारत में कर्मचारियों में से रिटवतखोरी और दूसरी बुराइयाँ दूर हो जायें।

एक्ट ने गवर्नर-जनरल, उसकी परिपद् के सदस्यों और न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार की भेंट लेने, आर्थिक पुरस्कार लेने और (यूनाइटेड कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त) किसी व्यापार

और सोदे में सम्मिलित होने को मना कर दिया।<sup>१</sup> “कोई सरकारी सिविल अथवा सैनिक कर्मचारी अथवा यूनाइटेड कम्पनी का कर्मचारी भारत के किसी राजा, नवाब या उसके मंत्री या प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई भेंट, उपहार अथवा पुरस्कार नहीं लेगा।”<sup>२</sup> इस आदेश का उल्लंघन करने वाला को दंड में, प्राप्त हुए धन का, दूना धन देना होता और उसे भारत से हटाकर इंग्लैंड भेज दिया जाता। बंगाल, बिहार और उडोसा में मालगुजारी उगाहने वाले, निरीक्षण करने वाले या और दूसरे ब्रिटिश नागरिक कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते थे। कोई ब्रिटिश नागरिक १२% व्याज से अधिक दर ऋण नहीं दे सकता था। कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों पर, जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा सर्वसाधारण के प्रति विश्वासघात, सार्वजनिक धन अथवा सम्पत्ति के गबन, अथवा कम्पनी को धोखा देने के दोषी ठहराए जाते, जुर्माना किया जा सकता था और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था या इंग्लैंड भेजा जा सकता था। यदि कोई गवर्नर-जनरल, गवर्नर-परिषद् का सदस्य, न्यायाधीश एक्ट के विरुद्ध कोई अपराध करता और किसी दुर्व्यवहार अथवा अपराध का दोषी कहा जाता तो इंग्लैंड के राजकीय पंच द्वारा उसके अभियोग का निर्णय करके उसको दंड दिया जा सकता था।

गवर्नर जनरल, परिषद् के सदस्यों और न्यायाधीशों को लालच न हो इस उद्देश्य से उनको बड़ा वेतन देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल का वेतन २५००० पौंड प्रतिवर्ष था, परिषद् के प्रत्येक सदस्य का वेतन १०००० पौंड प्रति वर्ष था, मुख्य न्यायाधिपति का वार्षिक वेतन ८००० पौंड था और अन्य न्यायाधिपतियों का वार्षिक वेतन ६००० पौंड था।

( ४ )

जब एक्ट संशोधन के लिए हाउस ऑफ कामन्स के समक्ष आया तो मिस्टर वाउटेन राउज ने कहा कि एक्ट का उद्देश्य तो अच्छा था किंतु उसने जो व्यवस्था की वह अपूर्ण थी। इस अपूर्णता का मुख्य कारण यह था कि पार्लियामेंट को जिस समस्या का हल करना पड़ रहा था यह उसके लिए एक नए ढंग की थी। यह ब्रिटेनवासियों का सौभाग्य था कि दोष जो कितने ही थे और भयकर थे, घातक सिद्ध नहीं हुए।<sup>३</sup>

१. Clause XXIII of the Act.

२. Clause XXIV of the Act.

३. उसने (१७७३ के एक्ट में) ऐसा गवर्नर जनरल बनाया जो अपनी परिषद् के समक्ष अशक्त था, उसने ऐसी कार्यपालिका बनाई, जो सर्वोच्च न्यायालय के

सबसे पहली बात तो यह थी कि एक्ट ने सपरिपद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकार-क्षेत्र और पारम्परिक सम्बन्ध का स्पष्ट नहीं किया। गवर्नर जनरल के कुछ अधिकार तो बंगाल के मृगुल प्रान्तपतियों के ये जिनको पार्लियामेंट द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कार्यपालिका पर रोक लगाने के उद्देश्य से पार्लियामेंट ने सपरिपद गवर्नर जनरल के विधान को निषिद्ध करने का असाधारण अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में निहित कर दिया। क्षेत्राधिकार<sup>१</sup> की अस्पष्टता ने बंगाल में अराजकता-जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। सपरिपद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय का झगडा चार बातों पर था<sup>२</sup> —

झगडे की पहली बात तो यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय देश के सारे निवासियों के नाम आज्ञा-पत्र जारी कर सकते और उनके अभियोग मुनने का अपना अधिकार जताते थे। सपरिपद गवर्नर जनरल ने सफलतापूर्वक इसका विरोध किया। परिपद की आज्ञानुसार सिपाहियों के एज् जत्थे ने एज् न्यायाधिकारों और उन्हे साधियों को कासीजडा-कैस नाम से प्रसिद्ध अभियोग में आज्ञा-पत्र जारी करने से रोक दिया। इंग्लैंड में अधिकारियों ने परिपद के इस व्यवहार पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की सनवत यह अनुभव करने के कारण कि एक्ट न्यायालय के विरोध में था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है।<sup>३</sup> न्यायालय का क्षेत्राधिकार जन्ही मामली तक सीमित था जिनमें दोनों पक्षों ने झगडे की दिशा में न्यायालय के समझ जाना स्वीकार किया हो। इस कारण न्यायालय को इस बात का कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी अभियोग को बलान अपने सामने लाय।

झगडे की दूसरी बात थी कम्पनी के माल्गुशारी उगाहने वालों के ऊपर क्षेत्राधिकार के बारे में। ये लोग अपने काम के मिन्सिले में ज्यादानी करते। यहाँ न्यायालयों का पञ्ज प्रबन्ध था। एक्ट ने कम्पनी के कर्मचारियों के ऊपर न्यायालय को यह अधिकार दिया था और चाहे कम्पनी के अधिकारियों को यह बात कितनी ही अरुचिकर क्यों न हो, कम्पनी के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और

आगे अशक्य थी, ऐसा न्यायालय जिन पर देश की शान्ति और भलाई का कोई दायित्व नहीं था। Report on Indian Constitutional Reform 1918, page 17 से अनूदित।

१ C.L. Anand : Introduction to the History of the Government of India, Part II, page 22.

२ Ilbert : Historical Survey, pages 54 to 56.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७।

कोई दूसरा मार्ग नहीं था। पर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका एक्ट से कोई हल न हो पाता—कौन लोग कम्पनी के सेवक थे? क्या काम करने वाले कम्पनी के आधीन थे? प्रमाण देने और सिद्ध करने का दायित्व किस पर था? उदाहरण के लिए, क्या जमींदार और मालगुज्दार कम्पनी के सेवक थे? न्यायालय के अनुसार वे कम्पनी के सेवक थे। किंतु स्वयं वे व्यक्ति और कम्पनी के मुख्य अधिकारी न्यायालय का यह मत मानने को तैयार नहीं थे।

झगड़े की तीसरी बात यह थी कि न्यायालय कम्पनी के न्यायाधिकारियों द्वारा सरकारी हैसियत से किये गए कामों के विरुद्ध अभियोग-निर्णय करने का अधिकार जताता था। न्यायालय ने पटना प्रान्तीय परिषद् के अधिकारियों के कुछ कामों के विरुद्ध, जो उन्होंने न्यायाधिकारियों की हैसियत से किये थे, एक भारतीय वादों के पक्ष में क्षति-पूर्ति का निर्णय किया था। कम्पनी के न्यायाधिकारियों को इस प्रकार दंडित करने में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार के अन्तर्गत काम कर रहा था। प्रश्न केवल यह था कि क्या उक्त काम वस्तुतः न्याय-सम्बन्धी कर्तव्य-पालन करने में किये गए थे या नहीं? सर जेम्स स्टीफेन के मतानुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उचित और नियमानुसार मान्य था।

झगड़े की चौथी बात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय, प्रान्तीय या प्रादेशिक न्यायालयों<sup>१</sup> का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। प्रान्तीय न्यायालयों द्वारा समय पर मालगुजारी न देने वाले गिरफ्तार अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आज्ञा-पत्र (Writ of Habeas Corpus) से मुक्त कर दिया। एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक जिले के कोषाध्यक्ष को जो बन्दी के अपराध में प्रान्तीय न्यायालय की आज्ञानुसार बन्दी था, उपर्युक्त आज्ञा-पत्र से मुक्त कर दिया। इस आज्ञा-पत्र का विरोध करने वाले और प्रान्तीय न्यायालय का पक्ष लेने वाले कम्पनी के न्यायवादी (मुह्तार) को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दिया, "हम तुम्हारी प्रान्तीय परिषद् और उसके प्रमुख को नहीं जानते, तुम उसे परी प्रदेश के राजा का भी बन्दी बता सकते हो।" सर्वोच्च न्यायालय और छोटे न्यायालयों के झगड़े को दूर करने के लिए चारन हेस्टिंग्स ने सर ऐलिनाइम्पी को सदर दीवानी अदालत<sup>२</sup> का भी जज नियुक्त करके उन्हें छोटे न्यायालयों की अपील सुनने और उनका निर्णय दुहरा देने का अधिकार दे

१. इन न्यायालयों के वर्णन के लिए इसी अध्याय का उपभाग ८ देखिये।

२. सदर दीवानी अदालत बंगाल में कम्पनी का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय था। हाईकोर्ट्स-एक्ट ने सदर दीवानी अदालत और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को मिलाकर एक कर दिया।



दिया। किन्तु इस प्रकार इम्पी कम्पनी के सेवक हो गए और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति में यह बात असंगत थी। इम्पी द्वारा सदर दीवानी अदालत के जज के नाते कम्पनी से बहुत बड़ा वेतन स्वीकार करने से यह स्थिति और भी विगड़ गई।

दूसरी बात यह थी कि १७७३ के एक्ट ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि सर्वोच्च न्यायालय किस विधि (कानून) का प्रतिपादन करे। क्या वह प्रतिवादी के हिंदू, मुसलमान या अंगरेज होने के अनुसार उसके व्यक्तिगत कानून का प्रतिपादन करे या सब मामलों में अंगरेजी कानून को ही मान्यता दे ? जो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे वे अंगरेजी विधि में कुशल थे और उसी परम्परा से सुपरिचित थे। भारतीय कानूनों, रीतियों और परम्पराओं में वे बिल्कुल अपरिचित थे। उनके परिचित होने के लिए वे इच्छुक या उन्मुक्त भी नहीं थे। वे पूरी तरह अंगरेजी न्यायविधि को काम में लाने लगे। देवादासी घबरा उठे। “आश्चर्य-चकित और डरे हुए बंगाल-निवासी नए न्यायालय की आज्ञा (Decree) जारी करने के लिए कलकत्ते से संबन्धों मील दूर अंगरेज अमीन और उनके सहायक दल का दृश्य देखते और कुछ समझ न पाते।” इन अमीनों को यहाँ के रीति-रिवाजों का तो पता नहीं था। वे जबरदस्ती स्त्रियों के कमरों में, पूजाघरों में घुस जाते। जिन देव-मूर्तियों की पीठियों से पूजा होती आई थी उनको वे अपवित्र हाथों से खींचकर आज्ञा जारी करने के उद्देश्य से एवत्रित किये हुए सारे सामान के ढेर में डाल देते।<sup>१</sup> इससे बड़ा उद्वेग और क्षोभ हुआ। यदि सपरिपद् गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप न किया होता और पार्लियामेंट ने १७८१ का संशोधन एक्ट न पाम किया होता तो उसके बहुत भयंकर परिणाम होते।

एक्ट में तीसरी दोष की बात यह थी कि गवर्नर जनरल, अपनी परिपद् की दया पर छोड़ दिया गया था। परिपद् के सदस्यों में से केवल एक (मि. कार्वेल) को ही भारतीय शासन का कुछ अनुभव था। दूसरे सदस्यों को भारतीय स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी। कम्पनी और उसके कर्मचारियों के विच्छेद धाराएँ लिये हुए वह भारत में आए। शासन के बारे में उन्होंने अपनी योजनाओं और अपने विचारों को उन्होंने पहले से ही निश्चित कर रखा था। उन्होंने एक साथ काम करने और सारी शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने का निश्चय कर लिया था। जब तक यह गुट बना रहा गवर्नर जनरल और कार्वेल भी बेबस थे। उन तीनों

१. C. L. Anand: History of Government in India, Part II, pages 19-20.

का विरोध इतना असावधान और अटल था कि १७७६ में वारन हेस्टिंग्स त्याग-पत्र देने के लिए बड़ी गम्भीरता से सोचने लगे। लन्दन में अपने प्रतिनिधियों को स्थिति के अनुसार त्याग-पत्र देने का उन्होंने अधिकार भी दे दिया। कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और दूसरी नियुक्ति करने की कार्यवाही की। किंतु इसी बीच क्लेवरिंग की मृत्यु हो गई। वारन हेस्टिंग्स ने तुरन्त ही अपने दिये हुए अधिकार को हटा लिया और सर्वोच्च न्यायालय का यह मत ले लिया कि त्याग-पत्र अमान्य था। अब वारन हेस्टिंग्स निर्णायक वोट से उस गुट को हरा सकता था। इस कारण इतने बड़े वेतन के पद को छोड़ने की अब उसे कोई इच्छा नहीं थी। उसे अपने पद पर बने रहने की स्वीकृति मिल गई पर भविष्य में इसकी रोक के लिए १७९३ और १८३३ के पार्लियामेंट एक्ट में नियम बनाकर व्यवस्था कर दी गई। गवर्नर-जनरल का त्याग-पत्र उसी समय मान्य होता जब विलेज द्वारा उसकी पुष्टि हो।

अन्त में कम्पनी की गृह-सरकार के विधान में १७७३ के एक्ट ने जो परिवर्तन किये, वे दोष-रहित नहीं थे। मतदान के लिए अर्हता (Qualification) उठा देने के कारण १२४६ छोटे साक्षीदार मताधिकार से वंचित हो गए और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स पर स्थायी रूप से एक मुट्ठी-भर व्यक्तियों का आधिपत्य हो गया। सन् १७८१ की प्रवर-समिति (Select Committee) की रिपोर्ट के अनुसार: "कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से सम्बन्ध रखने वाले सारे नियमादि, दो सिद्धांतों पर (जो कितनी ही बार भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं) अवलम्बित थे। एक तो यह सिद्धांत कि छोटे समुदाय में कुम्बवस्था और छिन्नता के विरुद्ध सुरक्षा होती है, दूसरा यह कि सम्पत्तिशालियों का चरित्र दृढ़ और उज्ज्वल होता है।"<sup>२</sup> मिस्टर राबर्ट्स कहते हैं कि कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के विधान में परिवर्तन करने वाला संघ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा।<sup>३</sup>

( ५ )

सन् १७७३ के एक्ट के व्यवहार में आने पर कुछ ही वर्षों में पार्लियामेंट का ध्यान उस के दोषों को ओर आकर्षित हुआ। सन् १७८१ में दो कमेटियाँ नियुक्त की गयीं। एक को तो भारत में न्याय-व्यवस्था की जाँच करने का काम सौंपा

१. यद्यपि कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के चौथाई सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, किंतु हर बार प्रायः वही लोग फिर चुन लिए जाते थे।

२ Cambridge History of India, Vol V, page 119

३. Roberts' Cambridge History of India, Vol V Chapter X.

गया, दूसरी को पिछले कर्नाटक-युद्ध के कारण और तटवर्ती शासन की दशा पर रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया। गहलो कमेटी ने उसी साल अपनी रिपोर्ट दी जिसके फलस्वरूप सन् १७८१ का संशोधक एक्ट बनाया गया।

१७८१ के एक्ट ने १७७३ के एक्ट के कुछ दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया।

इस एक्ट में पहली बात तो यह थी कि कम्पनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से जो काम करते थे उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल और परिषद् के सदस्या को व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से अपने पदाधिकार से किये जाये जाने के सिलसिले में (बशर्त कि उनकी आज्ञाशा से ब्रिटिश नागरिकों को क्षति न पहुँचती हो) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट मिल गई। इसी प्रकार मालगुजारी बमूल करने वाला को मालगुजारी बमूल करने के मामले में छूट मिल गई। अन्त में, छोटे न्यायालयों के न्यायाधिकारियों को न्याय-कार्य से सम्बन्धित कार्यों के कारण अपराधी नहीं बनाया जा सकता था।<sup>१</sup>

सन् १७८१ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि कम्पनी के सेवका और देशवासियों के ऊपर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया। कलकत्ते के सारे निवासियों पर न्यायालय को अधिकार दिया गया, पर प्रतिवादी का व्यक्तिगत (धर्मगत) कानून सन्निपय करने का विषय बनाया गया। अपने भारतीय सेवका के नाम-व्यवसाय आदि के रजिस्टर रखना, कम्पनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। कम्पनी के सेवका, ब्रिटिश अधिकारियों और भारत में रहने वाले अन्य ब्रिटिश नागरिकों पर न्यायालय का अधिकार जमीन या माल के उत्तराधिकार और व्यापार को छोड़कर अन्य दीवानी मामलों में था। यदि कोई व्यक्ति जमींदार है या मालगुजारी देता है, या खेत जोतता है या उसे किसी सेवा या क्षति-पूर्ति के बदले में कुछ पेन्शन या धन मिलता है या जिसे लगान उगाहने के बदले में कुछ लाभांश मिलता है या उसे वहाँ पर स्थानीय अधिकार मिला है तो केवल इसी कारण वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आ सकता।<sup>२</sup> दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को कम्पनी का सेवक नहीं माना जा सकता।

तीसरी बात जो १७८१ के एक्ट ने स्पष्ट की—वह यह थी कि सर्वोच्च

१. पटना अभियोग के प्रतिवादी सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा वादी की क्षति-पूर्ति के आश्वासन पर मुक्त होते और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सपरिषद इंग्लैंड-नरैदा से अपील करने को स्वतन्त्र थे।

२. Ilbert : Historical Survey, page 56.

न्यायालय किस विधि (कानून) का अनुसरण करेगा। एक्ट ने सुनिश्चित शब्दों में यह नियम बनाया कि जमीन, लगान या सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अथवा किसी समझौते का निर्णय, यदि दोनों पक्ष मुसलमान हैं तो मुसलमानी विधि और परम्परा से होगा, यदि दोनों पक्ष हिंदू हैं तो हिंदू विधि और परम्परा से होगा, यदि एक मुसलमान और दूसरा हिंदू है तो प्रतिवादी के धर्मगत कानून से होगा। दूसरे शब्दों में विदेशी कानून के स्थान पर प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून के अनुसार निर्णय करने का नियम बनाया गया। साथ ही यह बात स्पष्ट कर दी गई कि न्यायालय को भारतीय धर्म, रीति-रिवाज, परम्पराओं, सामाजिक नियमों में, जिनमें पिता और गृहपति का अधिकार भी सम्मिलित है, साथ ही जाति के नियमों का (चाहे ये सब बातें अंगरेजी न्याय के अनुसार असंगत और अपराधपूर्ण ही बयो न हो) आदर करना चाहिए। साथ ही आज्ञाप्ति और विधि को कार्यान्वित करने में देश के निवासियों की धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं का आदर करने का आदेश दिया गया। उन से सम्बन्ध रखने वाले नियम उपनियमों को राजकीय स्वीकृति के लिए राज्य-मन्त्री के समक्ष रखने को कहा गया।

एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने सपरिपद् गवर्नर जनरल या उसकी किसी समिति द्वारा छोटे न्यायालयों के निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार माना। ५००० पाँड तक के दीवानी मामलों में सपरिपद् गवर्नर जनरल का निर्णय अन्तिम होता और वह अपील और अभिलेख का न्यायालय था। ५००० पाँड से अधिक के लिए सपरिपद् इंग्लैंड-नरेश से अपील का नियम था, मालगुजारी वसूल करने में जो अपराध हुए हो, यदि उनका दंड मृत्यु या गिरफ्तारी न हो तो ऐसे मामलों में सपरिपद् गवर्नर जनरल मालगुजारी के न्यायालय का काम करता।

अन्त में, १७८१ के एक्ट ने प्रान्तीय न्यायालयों और परिपदों के लिए समय-समय पर विनियम बनाने का अधिकार दिया। यदि इन विनियमों को सपरिपद् इंग्लैंड-नरेश दो वर्ष के अन्दर रद्द न कर दे तो ये स्थायी रूप से मान्य होते। यह कोई नया अधिकार नहीं था। स-परिपद् गवर्नर जनरल ने सन् १७७२ में बंगाल में न्याय-संचालन के लिए विनियम बनाए थे। १७७३ के एक्ट ने सपरिपद् गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार दिया था पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें निषिद्ध कर सकता था। सपरिपद् गवर्नर जनरल और न्यायालय के तीव्र सम्बन्ध के कारण १७७३ के एक्ट के बाद नए विनियम बनाना बंठिन हो गया था। अन्त में १७८० में सपरिपद् गवर्नर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकृति और वहाँ निबन्धन कराए बिना ही विनियम बनाने का निरचय किया। सन् १७८० में सपरिपद् गवर्नर जनरल ने प्रान्तीय न्यायालयों

के न्याय-कार्य के लिए अतिरिक्त विनियम बनाए और नियमों की एक दुहराई हुई संहिता (Code) जारी की। इस संहिता और अतिरिक्त विनियमों का सर्वोच्च न्यायालय में न निबन्धन कराया गया और न उनकी स्वीकृति ही ली गई। १७८१ के एक्ट ने सपरिपद् गवर्नर जनरल के इस कृत्य की पुष्टि की और उन्हें इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेने और वहाँ निबन्धन कराने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया।

( ६ )

१७८१ के एक्ट ने सपरिपद् गवर्नर जनरल की स्थिति को दृढ़ किया; एक्ट की धाराओं में विवादास्पद प्रश्नों का उसके पक्ष में निर्णय किया। इस एक्ट को स्वीकार करने से पहले जो कमेटियाँ<sup>१</sup> नियुक्त हुई थीं उनकी रिपोर्टें भारत में कम्पनी के प्रदेशों की न्यायपालिका और न्याय-व्यवस्था के और उसके शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए विरोध रूप से प्रतिकूल थीं। हाउस ऑफ कॉमन्स ने हेस्टिग्स और इम्पी को वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किये किंतु 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटिस' ने पार्लियामेंट और 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स'<sup>२</sup> की इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें अपने-अपने पदों पर बना रहने दिया। डडास ने जो विरोध में था, ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार इंग्लैंड-नरेश को कम्पनी के प्रमुख सेवकों को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को बहुत बड़े अधिकार सौंपे गए। किंतु इस प्रस्ताव ने स्वीकार होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इससे इतना अवश्य हुआ कि मन्त्रि-मंडल कुछ करने के लिए प्रेरित हो गया।

मन्त्रि-मंडल के विधेयक को फॉवन ने प्रस्तुत किया और हाउस ऑफ कॉमन्स में वह पहली बार २० नवम्बर १७८३ को पटा गया। उस समय जो

१. उपर्युक्त पुस्तक का पृष्ठ ३५ देखिये (Ilbert : Historical Survey, p. 35)

२. बाद में हेस्टिग्स पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा महाभियोग लगाया गया। वह ऐतिहासिक मुकदमा १३ फरवरी सन् १७८८ से २३ अप्रैल १७९५ तक चला। हेस्टिग्स डूट गया। इसके के शब्दों में यह सिद्धांत मान्य हुआ कि "नैतिकता के नियम सब जगह एक-से हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो काम इंग्लैंड में रिश्वतखोरी, अत्याचार या बलात्कार समझा जाता है वह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और शेष समार में कुछ और समझा जाय।" Impeachment of Warren Hastings; Keith · Speeches and Documents on Indian Policy, Vol I, page 144

व्यवस्था थी उसको फॉक्स ने अराजकतापूर्ण बनाया। उसने सुधार के लिए कम्पनी के गृह-सरकार और विदेशों में कम्पनी के कर्मचारियों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने और कम्पनी को सरक्षकता की राजसत्ता और मन्त्रियों को सौंपने का प्रस्ताव किया। फॉक्स ने 'कोर्ट ऑफ प्रोपर्टी' और 'काउंट ऑफ डाइरेक्टर्स' दोनों को तोड़कर कम्पनी का शासन-संचालन सात कमिश्नरों की एक मडली को सौंपने का सुझाव रखा। इस मडली को भारत में कम्पनी के अधिकारियों को नियुक्त करने, पद-च्युत करने और साथ ही कम्पनी की आय-व्यय और उसके व्यापार-संचालन का अधिकार देने की योजना थी। इस विधेयक (Bill) का प्रबल विरोध हुआ। ग्रैनविल, पिट, विल्बरफोर्स तथा अन्य व्यक्तियों ने इसको तीव्र आलोचना की। फिर भी हाउस ऑफ कॉमन्स में २०८ मत पक्ष में और १०२ मत विपक्ष में मिलने के कारण इसको स्वीकृति मिल गई।<sup>१</sup> किन्तु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। पिट ने अधिकार पाने पर सन् १७८४ के एक्ट द्वारा भारतीय समस्या का हल करने का प्रयत्न किया। इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के भारतीय शासन की 'गृह'-व्यवस्था में दुहरी सरकार की स्थापना हो गई। इस व्यवस्था में कितने ही दोष थे और छोटे-छोटी बातों में इसमें कितने ही परिवर्तन हुए, पर गदर के बाद इंग्लैंड की राजसत्ता द्वारा भारतीय शासन अपने हाथ में लेने के समय तक मूलतः यही व्यवस्था बनी रही।<sup>२</sup>

( ७ )

१७८४ के एक्ट की चर्चा करने से पहले यहाँ पर सुविधाजनक होगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो शासन-व्यवस्था स्थापित की थी, उसका एक सशक्ति वर्गन कर दिया जाय। १७६५ से पहले बंगाल का नवाब या सूबेदार दीवान और निजाम दोनों के ही काम करता था। निजाम की हंसियत से सेना और दंड-न्यायालय दोनों ही नवाब के आधीन थे, दीवान की हंसियत से मालगुजारी का काम और दीवानी न्याय

१ पिट ने पहला विधेयक १७८४ के आरम्भ में ही प्रस्तुत किया था पर विरोधियों ने, जो बहुमत में थे, उसे अस्वीकार कर दिया। यह बात २५ मार्च १७८४ के विघटन (dissolution) से पहले की है।

२. "पिट के १७८४ के एक्ट से स्थापित दुहरी सरकार, जिसकी कार्य-प्रवृत्ति बड़ी उलझी हुई थी और जिसमें रोक-थाम की विशद व्यवस्था थी, मूलतः १८५८ तक बनी रही।" Ilbert : Historical Survey, pages 66 and 67 से अनूद्धित।

उसके आधीन थे। १७६५ में मुगल सम्राट् द्वारा दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिल गई थी। यद्यपि निजामत नाम के लिए अब भी नवाब के हाथों में थी, किन्तु उसका वास्तविक नियंत्रण कम्पनी के हाथों में था—क्योंकि नवाब कम्पनी के हाथों में बठपुतली की तरह था। १७६५ की फरवरी में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई और कम्पनी ने उसके दूमेरे अवयव लहके को गद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार कम्पनी को दीवानी तो सम्राट् से मिली और निजामत सूबेदार से।<sup>१</sup>

आरम्भ में कम्पनी ने दीवानी और निजामत दोनों को पुराने भारतीय ढंगों के ही हाथों में रहने दिया। कम्पनी का ऊपर से नियंत्रण और निरीक्षण था। मुसिदाबाद का अग्नेय रेजीडेंट फ्रैंसिस सादकन, मुहम्मद रजा खाँ द्वारा नारे शासन का निरीक्षण और नियंत्रण करता। मुहम्मद रजा खाँ छोटा नाजिम और साथ ही छोटा दीवान था। १७६९ में कम्पनी ने जिलों में छोटे भारतीय कर्मचारियों का काम देखने के लिए कुछ निरीक्षक नियुक्त किये। १७७० में इन जिलानिरीक्षकों के अतिरिक्त मालगुजारी के नियंत्रण के लिए पटना और मुसिदाबाद में दो बोर्ड बनाए गए। इन मंडलियों (Boards) का, पुराना दीवानी अधिकार प्राप्त करने के नाते, पहले अधिकारियों की तरह, मालगुजारी और न्याय दोनों में क्षेत्र था।<sup>२</sup> इन निरीक्षकों और मंडलियों ने बलवत्ता-सरकार से स्वतन्त्र और जोखिमपूर्ण टर्राँ अपनाया। इसको कुचल देने के उद्देश्य से १ अप्रैल १७७१ को बलवत्ते में परिषद् ने अपने-आपको राजस्व-कमेटी बनाया और उस नाते से प्रान्तीय छोटे अधिकारियों को अपना पत्र-व्यवहार और लेखा भेजने का आदेश दिया।<sup>३</sup>

वारेन हेस्टिंग्स ने १७७२ के बसन्त में दीवानी का काम सँभाला। उसने अनुभव किया कि पुरानी व्यवस्था दोषपूर्ण थी। और उससे अन्याय और अत्याचार होना था। उसने बलवत्ते की राजस्व कमेटी और पटना और मुसिदाबाद की मंडलियों को तोड़ दिया। उसने मालगुजारी-व्यवस्था का फिर से संगठन करने के लिए नए विनियम जारी किये। बलवत्ते में एक सर्वोच्च राजस्व-सभा बनाई गई। इसमें नारी परिषद्, राजस्व बोर्ड की हैसियत से काम करती। हर जिले में उगाही का काम करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की व्यवस्था की

१. P. E. Roberts . History of British India, page 159

से सर जेम्स स्टीफेंस के एक वक्तव्य का अनुवाद।

२. P. E. Roberts : History of British India, page 159.

३. Monkton Jones Warren Hastings in Bengal, 1772-1774, page 288.

गई । उसने जिला-निरीक्षको को कलक्टर ( उगाही करने वाला ) बना दिया और उसके काम की पड़ताल के लिए उसने एक भारतीय नायब दीवान की राजस्व कार्यपालिका में सहायता के लिए नियुक्ति की । कलक्टर सारी आज्ञाएँ जारी करता, उन पर कम्पनी की मुहर होती और सारी निधि उसके हाथों से राज्य-कोष में आती । सारे लेखे का दीवान के यहाँ निबन्धन होता और कलक्टर के राज्य-कोष में उस सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र रिपोर्ट आती ।"<sup>१</sup>

"कलक्टर में परिपद्, राजस्व बोर्ड की हैसियत से सप्ताह में दो बार काम करती, कलक्टरों को आवश्यक आदेश देती और लेखे की पड़ताल करके उसको स्वीकार करती ।"<sup>२</sup>

१७७२ की इस योजना से कलकत्ता की परिपद् पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया । इसी कारण १७७४ में प्रान्तीय परिपदों की व्यवस्था बनाई गई । कई जिलों को मिलाकर कमिश्नरी या डिवीजन बनाये गए । हर कमिश्नरी के लिए एक मुख्य अधिकारी और परिपद् बनाई गई । इस तरह के ६ डिवीजन थे और ६ प्रान्तीय परिपदें थी । हर डिवीजन में लेखा रखने के लिए और स्थानीय भाषा में अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए दीवान की नियुक्ति की गई और उसके आधीन, पहले की तरह हर जिले में एक नायब दीवान बनाया गया ।<sup>३</sup> समय-समय पर जिलों के काम की पड़ताल करने के लिए जिलों में निरीक्षक भेजे जाते । सर्वोच्च परिपद् में मतभेद होने के कारण प्रान्तीय परिपदों का समुचित नियंत्रण नहीं था । १७७६ में वारन हेस्टिंग्स ने प्रान्तीय परिपदों का फिर से संगठन किया किंतु कलकत्ता में सारे अधिकार केन्द्रित करने के अपने अन्तिम सुधार में उसे सफलता सन् १७८१ में ही मिल सकी ।

"१७८१ में हेस्टिंग्स राजस्व कार्य में अपना सुधार पूरा कर सका । प्रान्तीय परिपद् और कलक्टर हटा दिये गए और राजस्व शासन चार आदमियों— एडवॉकेट, शेर, चार्टर्स और क्लर्क्स—को कमेटी को सौंप दिया गया । वह लिखता है —'उनका कोई नियत वेतन नहीं है । और कोई परिलब्धि (perquisites) न लेने की उन्हें शपथ है । इसके बदले में वे विशुद्ध उगाही का १% कमीशन

१. Monkton Jones : Warren Hastings in Bengal, page 289.

२. Monkton Jones : Warren Hastings in Bengal, page 289.

३. Monkton Jones : Warren Hastings in Bengal, page 291.



अथवा बलकत्ते में जमा किये हुए परिमाण पर दूना कमीशन पायेंगे। इस प्रकार कम्पनी के लिए उमे बहुत बचत की आशा थी। इस वर्ष राजस्व में २७ लाख की वृद्धि होगी और व्यय में १२ लाख की बचत होगी, कुल मिलाकर ३९ लाख की प्राप्ति।”<sup>१</sup>

(८)

वारन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी उगाहने के लिए ही पुराने भारतीय ढाँचे का उपयोग नहीं किया वरन् उसने पुरानी न्याय-व्यवस्था का भी पूरा उपयोग किया। उसके अनुसार भारतीय न्याय और व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त थे। मौन्टन जोन्स के शब्दों में, “वारन हेस्टिंग्स के दृष्टिकोण से सबसे आवश्यक बात यह थी कि देशी न्याय-व्यवस्था और लिखित अथवा अलिखित न्याय-नियमों को जिनके बिना सर्वसाधारण अभ्यस्त थे ज्यों-वा-त्यों बना रहने दिया जाय।”<sup>२</sup> उसने उस व्यवस्था को पुराने और पूरे रूप में नहीं रहने दिया किन्तु परिवर्तन में विवेक और सूझ से काम लिया। इस उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई जो १७७२ की न्याय-योजना के नाम से परिचित है।

वारन हेस्टिंग्स ने जिले की न्याय और दूसरे कामों के लिए शासन की इकाई बनाया। हर जिले में एक दीवानी और एक दंड-न्यायालय होता।<sup>३</sup> इस उद्देश्य के लिए उसने उस समय की ‘दरोगा अदालत दीवानी’ का जो प्रान्तीय दीवानी के नाम से अधिक प्रसिद्ध था दीवानी मामलों के लिए उपयोग किया और फौजदारी अदालत का अपराध और नदाचार के लिए।<sup>४</sup> हर न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र सुनिश्चित था।<sup>५</sup> जिले का यूरोपीयन कलक्टर स्थानीय दीवानी न्यायालय

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९२।

२. उपर्युक्त पुस्तक के पृष्ठ ३११ से अनूदिन।

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२।

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२-१३ — (i) प्रान्तीय दीवानी अदालत के अधिकार-क्षेत्र के तीन शीर्षक थे — (अ) सम्पत्ति, वान्ताबिद अथवा व्यक्तिगत; (ब) उत्तराधिकार, विवाह और जानीय झगड़े, और (स) श्रृण, समझौता, लगान आदि। जमींदारी और तालुकेदारी का उत्तराधिकार इस मूची के बाहर था। उमे मनापति और परिषद के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था। (ii) फौजदारी अदालत के अधिकार क्षेत्र के शीर्षक — (अ) हत्या, डकैती, चोरी, आदि (ब) बड़े अपराध, जालनाजी, झूठी गवाही, और (स) मार-पीट, झगडा, व्यभिचार, शान्ति और व्यवस्था को भंग करने वाला कोई काम। सम्पत्ति उब्ज करने अथवा प्राण-दंड देने के लिए बलकत्ते के बड़े न्यायालयों से पुष्टि होना आवश्यक था।

का समापति होना, अथवा प्रान्तीय पारपद् प्रमुख होती। साथ में सभापति और परिपद् द्वारा नियुक्त भारतीय दीवान और दूसरे पदाधिकारी होने। फौजदारी न्यायालयों के सभापति भारतीय अधिकारी ही होते, दो मौलवी न्याय नियम बताने को होते, अंग्रेज-अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार था।<sup>१</sup> जिले के इन न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय न्यायालयों को तोड़ दिया गया। हर परगने में मुख्य किसान (मुखिया) को जहाँ के तहाँ १० रुपये के मूल्य तक के छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया। इन लोगों को दंड देने या जुर्माना करने का अधिकार नहीं था। जिले के नए न्यायालया में स्वयं इन लोगों के विरुद्ध, ताले लगे बक्सों में लिखकर शिकायत की अर्जी डाली जा सकती थी।<sup>२</sup>

वरन हेस्टिंग्स ने जिले के न्यायालयों के ऊपर, अपील के न्यायालय बनाए— कलकत्ते के सदर न्यायालय। सदर दीवानी अदालत में गवर्नर और परिपद् के दो सदस्य होते। इनकी सहायता करने को अर्थ-विभाग का दीवान होता और साथ ही मुख्य कानूनगो होता। सदर निजामत (फौजदारी) अदालत में नाजिम का प्रतिनिधि, एक मुसलमान न्यायाधीश सभापति होता जिसे न्याय नियमों पर मुसलमान मौलवियों से सहायता मिलती। सभापति और परिपद् को निजामत-अदालत पर निरीक्षण का अधिकार था।

१७७२ की न्याय-योजना से केन्द्र और जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था का फिर से सगठन ही नहीं हुआ बरन् उसने कुछ साधारण नियम बनाकर न्याय-कार्य को सुधारने का भी प्रयत्न किया। इनमें से मुख्य बातें ये थी—

(१) हर छोटे-बड़े न्यायालय में कार्यवाही का अभिलेख रखा जाय।

(२) अभियोगों के लिए एक अवधि निश्चित कर दी जिसके बाद पुरानी शिकायतों को फिर से उखाड़ा नहीं जा सकता था।

(३) कानूनी 'चौख' और बड़े जुर्मानों की प्रथा को तोड़ दिया गया।

(४) साहूकार के अपने ही बाद के विषय में न्यायाधिकार निश्चित करने के स्वत्व का अवरोध, जैसे जमोदार और कानूनगो के विषय में।

१ Weitzmann: *Warren Hastings and Philip Francis*, page 60.

२. Monkton Jones: *Warren Hastings in Bengal*, page 315

(५) विवाद-ग्रस्त सम्पत्ति के मामलों को तय करने के लिए मध्यस्थ द्वारा निर्णय करने को प्रोत्साहन ।<sup>१</sup>

भारत हेरिडिग्न को इस व्यवस्था से, इस बात के अतिरिक्त कि बलवदरों के हाथों में इनकी शक्ति केन्द्रित हो गई थी, सतोष था । सन् १७७४ में प्रान्तीय परिषद् बनाकर यह दोष दूर कर दिया गया । लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है प्रान्तीय और जिला-न्यायालयों के काम में १७७३ के एक्ट के अनुसार स्थापित किया हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप होता रहता था । फिर भी यह व्यवस्था चली रही । विनिश्चय की नई संहिता में, जो १७८० में जारी की गई, इस व्यवस्था को स्थान दिया गया । १७९३ में दुहराकर जो संहिता बनाई गई उसमें भी इसकी पुष्टि की गई ।

## तीसरा अध्याय

# द्वैध शासन का युग

(१)

एक विचित्र संयोग से कम्पनी ने द्वैध या दोहरी शासन-व्यवस्था की स्थापना द्वारा भारत में प्रादेशिक प्रभुता को प्राप्त भी किया और खो भी दिया । कनाइव ने १७ अगस्त १७६५ के फ़रमान से, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीवानो मिली थी और इस प्रकार दोहरी शासन-व्यवस्था<sup>२</sup> की स्थापना हुई थी, कम्पनी के लिए प्रादेशिक अधिकार प्राप्त किया था । १७८४ के एक्ट द्वारा पिट ने दो प्राधिकारी—'बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल' और 'बोर्ड ऑफ़ टाइरेक्टर्स' बनाए और कम्पनी को भारतीय मामलों की व्यवस्था के सर्वोच्च और अन्तिम नियंत्रण से वंचित कर दिया ।

१७८४ के एक्ट ने 'प्रिन्सी कौंसिल' के सदस्यों में से छह कमिश्नर नियुक्त

१. Monkton Jones: Warren Hastings in Bengal, page 314.

२. वह व्यवस्था "जिसमें कम्पनी को देश के राजस्व पर, सैन्य शक्ति पर पूरा अधिकार था, किन्तु न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, न्यायालय के द्वारा दूसरे हाथों में छोड़ दिया गया था ।" Ilbert : Historical Survey, page 38.

करने के लिए हिज़ मंजिस्ट्री (इंग्लैंड नरेश) को प्राधिकृत<sup>१</sup> किया। इनमें से एक 'चान्सलर ऑफ दि एक्स्पेकर' (अर्थ-मन्त्री) होना और एक कोई सा राज्य-मन्त्री होना। 'वाइंड ऑफ कंट्रोल', जो उक्त कमिश्नरो की मडली से बनाया गया,<sup>२</sup> 'बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स' के भी ऊपर था। व्यवहारत 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' का अतिक्रमण कर दिया गया।<sup>३</sup> यह बोर्ड मन्त्रि-मंडल से अनु-बन्धित था और शासन में प्रत्येक परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता। "उक्त राज्य-मन्त्री, उसकी अनुपस्थिति में उक्त अर्थ-मन्त्री, दोनों की ही अनुपस्थिति में, उक्त कमिश्नरा में से अधिकार में सबसे बड़ा सदस्य बोर्ड का सभापति होता।"<sup>४</sup> 'यदि उपस्थित सदस्या में मतभेद होता और दोनों पक्ष बराबर होते तो वह निर्णायक वोट दे सकता था।'<sup>५</sup> एक्ट के अनुसार गण-भूति (Quorum) के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। इन कमिश्नरा का कोई वेतन नहीं था, वे कोई अनुग्रह<sup>६</sup> नहीं कर सकते थे। किंतु सुदूरपूर्व में ब्रिटिश प्रदेशों के राजस्व, वहाँ की सैनिक एवं असैनिक सरकार से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाल प्रत्येक कार्य और प्रत्येक विषय में इन कमिश्नरो को निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का अधिकार था। इस बोर्ड को कम्पनी के हर एक कागज, छाते और अभिलेख<sup>७</sup> देखने का अधिकार था। बोर्ड के माँगने पर वाञ्छित उदाहरण अथवा उसकी

१ Clause 1 Act of 1784, Keith Speeches and Documents, vol I, page 96

२ इसका नाम था — "Commissioners for the Affairs of India"

18873

३ 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स' की कार्यवाही की 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' की पुष्टि मिलने के बाद 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' उसको रद्द नहीं कर सकता था।  
Ilbert Historical Survey, page 45 और C L Anand History of Government in India, part II, page 27

४ व्यवहारत अधिकार में बड़ा सदस्य सभापति होता है।

५ Clause 3 of the Act, Keith Speeches and Documents, vol 1, page 96

६. Clause 4 उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९७ .०९.

७. Clause XVII of the Act "इस एक्ट की बिक, पृष्ठ १०२ इस बोर्ड को उक्त यूनाइटेड कम्पनी के किसी कर्मचारी के का अधिकार नहीं होगा" उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १०२ से

प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती थी।<sup>१</sup> कोर्ट ऑफ टाइरेक्टर्स या उसकी किसी कमेटी द्वारा, भेजे हुए आदेश या पाई हुई रिपोर्ट या उसकी कार्यवाही और प्रस्ताव आदि सभी को यह बोर्ड देना सूचना था।<sup>२</sup> बोर्ड की टाइरेक्टर्स के आदेशों का सशोधन करने का अधिकार था। उन दशा में टाइरेक्टर्स अपने भारत के अधिकारियों को सशोधित आदेश ही भेज सकते थे। बाद में १८५८ के एक्ट में जो अधिकार भारत-मन्त्री को दिये गए बोर्ड को लगभग वे सभी अधिकार कोर्ट ऑफ टाइरेक्टर्स और भारत में कम्पनी के अधिकारियों के ऊपर प्राप्त थे। वस्तुतः १७८४ के एक्ट का छठा खंड (Clause VI) बाद के विधानों में लगभग उन्हीं शब्दों में दोहरा दिया गया है।<sup>३</sup>

साधारणतया 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' अपने आदेश और निर्देश, बोर्ड ऑफ टाइरेक्टर्स के द्वारा ही भेजता। किन्तु कुछ मामलों में कमिश्नर अपने आदेश और निर्देश गुप्त कमेटी को भेज सकते थे। यह गुप्त कमेटी टाइरेक्टर्स द्वारा अपने-आप में से ही चुने हुए<sup>४</sup> तीन सदस्यों की होनी। कमेटी उन आदेशों को दूसरों को बताए बिना ही भारत की सम्बन्धित सरकारों के पास भेज देती।<sup>५</sup>

यद्यपि टाइरेक्टर्स-मंडल का भारत-सरकार पर सन् १८५८ में इंग्लैंड की राजसत्ता के हाथों में आने तक बहुत बड़ा प्रभाव बना रहा किन्तु जंग कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है अन्तिम नियंत्रण इस नए बोर्ड के हाथों में आ गया। सन् १९१८ में भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में यह लिखा गया है—“हमको इस परिणाम पर नहीं पहुँचना चाहिए कि 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के सभापति की प्रभुता के कारण टाइरेक्टर्स के हाथों में कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा। उनकी स्थिति अब भी गुद्द थी, साधारणतया उपक्रमण करने (Initiative) का अधिकार अब भी उन्हीं के हाथों में था; अनुभव-ज्ञान उन्हीं के पास था। यद्यपि वैधानिक उत्तरदायित्व सरकार पर था किन्तु अन्त तक

१ Clause VI of the Act, Keith : Speeches and Documents, vol I, page 97.

२ Clause XI उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ९८.

—e II Sub-section 2 of the Consolidated Govt.

३ Monro's Act. Bose : Working Constitution of India, page 14.

४ वह अध्याय VI of the Act, Keith : Speeches and Documents, vol. I, page 101.

५ न्यायालय V उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १००  
Historical

शासन की अधिकांश छोटी-छोटी बातों पर, उनके विस्तार पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव बना रहा ।<sup>१</sup>

१७८४ के एक्ट से भारत का एकीकरण एक पग और आगे बढ़ा । एक्ट ने बम्बई और मद्रास के सपरिषद् गवर्नरों के ऊपर सपरिषद् गवर्नर-जनरल के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित किया । एक्ट के सड ३१ में यह कहा गया है कि सपरिषद् गवर्नर-जनरल को, "विभिन्न प्रेसिडेंसियों और वहाँ की सरकारों का राजस्व, सेना, भारतीय सत्ताओं से युद्ध और सधि के मामलों में अथवा डाइरेक्टर्स मंडल से निर्दिष्ट विषयों में " निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देश करने का अधिकार होगा ।"<sup>२</sup> सपरिषद् गवर्नर-जनरल के ऊपर डाइरेक्टर्स मंडल को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था ।

१७८४ के एक्ट से गवर्नर-जनरल और गवर्नरों की परिषदों के विधान में भी परिवर्तन हुआ ।<sup>३</sup> हर परिषद् के तीन सदस्य होने, उनमें सेनापति भी एक सदस्य होता । नियुक्तियाँ अब भी कौर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के हाथों में थीं किंतु राज-सत्ता को कम्पनी के सेवकों को पद-च्युत करने या वापिस बुलाने<sup>४</sup> का अधिकार था । कम्पनी के प्रदेशों को पहली बार "ब्रिटिश भारतीय प्रदेश", "इस (ब्रिटिश) राज्य के प्रदेश" कहा गया ।<sup>५</sup>

कम्पनी को अपनी व्यवस्था ठीक करने को कहा गया । साथ ही राज्य-विस्तार और विजय की योजनाओं को छोड़ देने और 'अनावश्यक सेवकों का अवच्छेद' करने को कहा गया । "भारत में राज्य-विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के प्रतिकूल" बताया गया ।<sup>६</sup>

अन्त में १७८४ के एक्ट ने इस बात की भी पहली ही अच्छी व्यवस्था की कि जो अंग्रेज भारत में अपराध करें उन पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाकर न्यायानुसार दंड दिया जाय । ऐसे अभियोगों के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया गया । इसमें तीन जज और चार लार्ड और छ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते ।

१. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918 के पृष्ठ १८, पैराग्राफ ३१ का अनुवाद ।

२. Clause XXX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०९.

३. Clause XVIII and XIX of the Act उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०२

४. Clause XXII उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०४

५. Clause I उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९६

६. Clause XXXIV उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १११.

सन १७८४ के एक्ट से मुख्य बात यह हुई कि देश के शासन का वास्तविक अधिकार 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के सभापति को दे दिया गया।<sup>१</sup> इसके बड़े कारण थे : पहले सभापति सर हेनरी डण्डास पिट के मित्र थे और वे आरम्भ से ही बोर्ड के अधिकारों को मनवा सकते थे। डाइरेक्टर्स, जिनकी साधारण आय तो कम थी और जिनकी मुख्य प्राप्ति अनुग्रह करने (नौकरी आदि दिलाने) में थी, बोर्ड को इस डर से अप्रसन्न नहीं कर सकते थे कि वही उनके रहे-सहे अधिकार भी न छीन लिये जायें। बोर्ड के सभापति को, पार्लियामेंट को बोर्ड वार्षिक हिसाब नहीं देना पड़ता था और वह लगभग उत्तरदायित्व निहित था।<sup>२</sup> यद्यपि पिट ने इस बात का ध्यान रखा था कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की स्थिति और प्रतिष्ठा ज्यों-की-त्यों बनी रहे किन्तु उपर्युक्त कारणों ने बोर्ड और उसके सभापति को बहुत शक्तिशाली बना दिया।<sup>३</sup>

इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन एक निरन्तर बदलती रहने वाली परिपद में निहित हुआ।<sup>४</sup> वारन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी मिस्टर मंचेस्टर के दुर्बल शासन में इस व्यवस्था ने दोष विशेष रूप से स्पष्ट हुए। मिस्टर मंचेस्टर सबसे पुराने और अधिकार में सबसे बड़े अधिकारी थे, किन्तु उनमें और कोई योग्यता नहीं थी। बाद में जब लॉर्ड कार्नवालिस से<sup>५</sup> गवर्नर-जनरल बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन करने और अपने अधिकार

१. यद्यपि एक्ट ने अधिकार बोर्ड को समुक्त रूप में दिया था किन्तु वह सभापति के हाथों में केन्द्रित हो गया। प्रो डॉडवेल लिखते हैं, "यह परिवर्तन बिना किसी दुर्भावना के नहीं हुआ। डडाम आरम्भ से ही प्रमुख स्थिति में था। यह बात सबको, विशेषकर लॉर्ड सिडनी को, बुरी लगी। उन्होंने भारत में स्कॉटलैंडवासियों के प्रति डडाम के भेद-भावपूर्ण व्यवहार पर आपत्ति की। सन् १७८६ में इस परिवर्तन को कानूनी रूप देने का प्रयत्न किया गया। डडाम ने कहा कि इस प्रकार आपका सेवक बेवक वस्तुतः ही नहीं बरन् घोषित रूप में भी भारत के लिए राज्य-मन्त्री माना जायगा। किन्तु इस कार्यवाही को कानूनी रूप देने के लिए सभापति को अपने साधियों की स्वीकृति अनिवार्य थी।

२. मन्त्रि-मंडल में उसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व पर थी।

३. Thakore Indian Administration to the Dawn of Responsible Govt., page 42

४. Chesney - Indian Polity, page 19

५. डडाम ने लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय शासन के लिए सत्कार-नर में सब

बढ़ाने के लिए कहा। फलतः १७८६ में एक एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार असाधारण स्थिति में गवर्नर-जनरल—साथ ही गवर्नरो को भी—अपनी परिपद की स्वीकृति लिये बिना ही निर्णय करने का अधिकार दिया गया। साथ ही लार्ड कॉर्नवालिस को स्वयं ही गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों पदों का काम सँभालने का प्राधिकार मिला। एक्ट ने यह नियम भी बनाया कि सेनापति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जिसने भारत में कम से कम बारह वर्ष तक सेवा न की हो, गवर्नर-जनरल या उसकी परिपद का सदस्य नियुक्त न किया जाय।

पिट ने सन् १७८४ के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डाइरेक्टर्स के अलग-अलग अधिकारों को जान-बूझकर निश्चित नहीं किया था और विरोध शान्त करने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिस के दोहरे अर्थ हो सकते थे। किंतु जब विधेयक स्वीकार होकर एक्ट बन गया तो डाइरेक्टर्स को प्रसन्न रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई और मंत्रिमंडल ने अपना वास्तविक उद्देश्य प्रकट करना आरम्भ किया। फॉक्स की ही तरह पिट का उद्देश्य भी यही था कि कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाय और भारतीय शासन का वास्तविक नियंत्रण कम्पनियों के बोर्ड को सौंप दिया जाय। इसी दृष्टि से जोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारों को एक्ट में साधारण किंतु विस्तृत रूप में रखा गया था। आरम्भ से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने दृढ़ और कठोर ढंग अपनाया और डाइरेक्टर्स के ऊपर अपनी श्रेष्ठता और अपना अधिकार जताया। अगले तीन वर्षों में कई बार मतभेद हुए। यदि कभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को झुकना भी पड़ा तो यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया कि डाइरेक्टर्स की जो कुछ भी सत्ता थी वह केवल श्रेष्ठतर शक्ति के निष्पत्ति के ही रूप में थी। सन् १७८४ में एक गम्भीर और महत्वपूर्ण मतभेद हुआ। दोनों मंडलों के बीच का यह मतभेद १७८८ के अभिधायक (Declaratory) एक्ट ने समाप्त किया।

से उपयुक्त व्यक्ति बताया "यहाँ किसी खोई सम्पत्ति की क्षति-पूर्ति नहीं करनी थी, किसी लालच की भूल नहीं मिटानी थी, किसी दरिद्री व्यवस्था नहीं करनी थी, किन्हीं भूखे आधितों का मुँह नहीं भरना था।"  
Quotation by Thakore from Mill & Wilson. History of India, Vol. V, Chap. IX, in Indian Administration from the Dawn of responsible Government

44 का अनुवाद।

१ Ilbert : Historical Survey, pages 67-68.

४  
•मीयालय



‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ ने कम्पनी के व्यय पर (शाही) ब्रिटिश सेना को भारत भेजा था। डाइरेक्टर्स ने बोर्ड के इन अधिकार पर आपत्ति की। बोर्ड ने सन् १७८४ के एक्ट के अन्तर्गत अपना यह अधिकार बताया और फलतः भारत में चार शाही सैन्य-दल भेजे और उनका व्यय भारतीय राजस्व के हिस्सा में डाल दिया। डाइरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और साथ ही सैन्य-दल को भेजने की आवश्यकता और उसके औचित्य पर भी आपत्ति की। उन्होंने सन् १७८१ के एक्ट की उन धाराओं का सहारा लिया जो रद्द नहीं हुई थीं। इनके अनुसार कम्पनी उन्हीं सैन्य-दलों का व्यय देने को बाध्य की जा सकती थी जिनकी कि उसने स्वयं मांग की हो।

पिट ने ऐसे विवादों को सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनिश्चित विधेयक प्रस्तुत किया। उसके अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अन्तिम अधिकार दे दिया गया। डडास के मत से इस अधिकार के बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक निरर्थक सस्था थी।<sup>१</sup> उस विधेयक का विरोध किया गया। यह कहा गया कि व्यय करने के अनिश्चित अधिकार का अर्थ यह होगा कि कम्पनी की व्यावसायिक निधि राजनीतिक उद्देश्यों<sup>२</sup> के कारण विलकुल खल हो जायगी। भारत में सैन्य-दल भेजने के विरुद्ध दो आपत्तियाँ की गईं। एक तो यह कि कम्पनी को जिनकी सेना की आवश्यकता थी, उतनी उसके पास मौजूद थी। साथ ही इंग्लैंड से सेना भेजने की अपेक्षा, कम्पनी के लिए भारत में ही सेना तैयार करने में कम व्यय होता था। दूसरी आपत्ति यह थी कि राज-सत्ता के लिए ऐसी सेना बनाए रखना, जिसके लिए पार्लियामेंट से व्यय स्वीकार न किया गया हो, अवैधानिक था। इसके अतिरिक्त शाही सेना भेजने से भारत में सैन्य-संगठन का गान उठित हो जाता, क्योंकि इस तरह कम्पनी की सेना और शाही सैन्य-दल एक मूत्र में आ जाते थे।

पिट और डडास ने इन आपत्तियों से मुलजने का प्रयत्न किया। प्रधान मन्त्री ने समस्त राजकीय स्थल और जल-सेना को असतोषजनक स्थिति की ओर धेत करके वैधानिक प्रश्न को समाप्त कर दिया। “वर्तमान प्रश्न पर विचार करने नर्थ होगा, वैधानिक कानून के महत्त्वपूर्ण त्रिभु कोषयुक्त भाग की ओर ध्यान पेट करना और उसका सुधार करना।”<sup>३</sup> भारत में दो प्रकार के सैनिक संगठन

२. <sup>२</sup>नाई की पिट ने स्वीकार किया और उसने पार्लियामेंट के भवन में कहा

३. Th.

Res. History of India, Vol V, page 78

४ Chesil मन्त्रक, पृष्ठ ७५

५. डडास पुस्तक, पृष्ठ ७९.

कि भारत में सारी सेना (इंग्लैंड की) राज-सत्ता के ही आधीन होनी चाहिए और साथ ही यह भी कहा कि इस मुद्धार के लिए योजना तैयार हो रही है। सच बात तो यह थी कि पिट और डब्लस दोनों ही भारत की सारी शक्ति राज-सत्ता अर्थात् मन्त्रि-मंडल को हस्तान्तरित करने पर तुले हुए थे। पार्लियामेंट और डाइरेक्टर्स की स्पष्ट इच्छा के विरोध में, उनकी नीति भारत में राजनीतिक शक्ति के विस्तार के पक्ष में थी।

मन्त्रि-मंडल द्वारा इस प्रकार अनन्त शक्ति हथियाने के प्रयत्न से काफी विरोध उठ खड़ा हुआ। संदेह के कारण उसके प्रति सतर्कता भी बढी। उन्हे शान्त करने के उद्देश्य से पिट ने कुछ ऐसी धाराएँ जोड़ दीं जिन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कुछ अधिकार कम होते थे। बोर्ड एक सीमा के अन्दर ही सैन्य-दल भेज सकता था। बोर्ड को पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाने अथवा किसी सेना के बदले उपदान देने का अधिकार नहीं था जब तक कि पार्लियामेंट और डाइरेक्टर्स की स्वीकृति न हो। डाइरेक्टर्स को पार्लियामेंट के सामने कम्पनी के आय-व्यय का वार्षिक लेखा रखना होना था।

इस प्रकार १७८४ के एक्ट का अर्थ बताने का प्रयत्न समाप्त हुआ। पार्लियामेंट का यह काम नहीं है कि वह नियमों का अर्थ बताए, यह काम न्यायपालिका का है। किंतु अभिधायक विधेयक में यही उल्टी बात है। उसके अनुसार वह नियम, जिसको धाराओं से सीमित किया गया हो अथवा वह नियम जिसको इस प्रकार सीमित न किया गया हो, दोनों एक ही बातें हैं।<sup>१</sup>

## (२)

लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आए तो वह गवर्नर-जनरल भी थे और सेनापति भी थे। कुछ विशेष स्थितियों में किंतु पूर्ण सद्देश्य के साथ, उन्हें अपनी परिपक्व को उपेक्षा करने का अधिकार भी था। वह टीपू के साथ एक बड़ी लड़ाई में फँस गए। इस लड़ाई का उन्होंने स्वयं बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया। उसमें मालाबार और सलेम के वर्तमान जिले और मदुरा जिले के कुछ भाग जीतकर मद्रास प्रेसीडेंसी में मिला दिए गए।

१७८६ के एक्ट ने गवर्नर-जनरल को परिपक्व को उपेक्षा करने का अधिकार तो दिया, किंतु उससे परामर्श करना अनिवार्य था। १७९१ में एक एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार गवर्नर-जनरल युद्ध समाप्त होने के तीन महीने बाद तक विना परिपक्व के नाम-तर-सफाया-आ-जाए-के-विषयों में इसे संपादन अधिकार बना दिया गया।

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ८०.

२. Chesney: Indian Polity, page 22.

भारतीय इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन स्मरणीय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में आने पर असाधारण अविवार दिये गए थे। कॉर्नवालिस के नाम के साथ यह अपवाद लगा हुआ था — “वह व्यक्ति जो अमेरिका में पराजित हो चुका था।”<sup>१</sup> भारत में कॉर्नवालिस ने सात वर्ष की अवधि में केवल एक बड़ी लड़ाई ही नहीं जीती<sup>२</sup> वरन् ब्रिटिश भारत को शासन, राजस्व और न्याय-व्यवस्था में बड़े महत्वपूर्ण सुधार भी किये।

सम्बन्धन मन्ने बड़ा सुधार भारत की सैनिक एवं सिविल नौकरियों में सम्बन्धित था। पेशवों के राज्य में भारतीय सावंजनिक सेवा विभाग, “अनेक दोषों से भरा हुआ था।”<sup>३</sup> मिस्टर विन्सेंट स्मिथ बनारस के रेजीडेंट का उदाहरण देते हैं, जिसकी वाषिष्ठ आय ४०००० पीट थी।<sup>४</sup> असली वेतन बहुत कम था। इस प्रचलित कदाचार का मुख्य कारण डाइरेक्टर्स का वह व्यावसायिक दृष्टिकोण था जिसके अनुसार वे स्वयं में अल्प वेतन दिखाना चाहते थे। उन्हें इन बातों की कोई चिन्ता न थी कि परिलब्धि का परिमाण क्या होता है।<sup>५</sup> लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह सब डरा बदल दिया। उन्होंने उचित वेतन दिये और दूसरे प्रकार की आय वजित कर दी। अपने ही उदाहरण से उन्होंने सावंजनिक सेवा और वर्तव्य का स्तर उंचा किया।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सावंजनिक सेवा का नैतिक स्तर ही उंचा नहीं किया वरन् शासन-व्यवस्था का भी फिर से संगठन किया। फिर से जिलों के क्षेत्र बनाए, और जिले को भारतीय शासन की इकाई बनाया। हर जिले की माल-गुजारी व्यवस्था के लिए एक कलक्टर नियुक्त किया जिसको न्यायाधिकार से अलग रखा। हर जिले में एक दीवानी न्यायालय था जिसका समस्त एक

### १. Smith: Oxford History of India—Quotation from Macshman.

(लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेना को अक्टूबर १७८१ में अमेरिका के स्टटवर्ती यॉर्क नगर में हथियार टाटने पड़े थे) page 558.

२ सन् १७९२ की शौरंगपट्टम संधि से मैसूर युद्ध समाप्त हुआ।

३ Chesney: Indian Polity, page 23.

४ Smith: Oxford History of India, page 557.

५ उपर्युक्त पुस्तक, एक पृष्ठ।

६. ‘लॉर्ड कॉर्नवालिस ईमानदार, परिश्रमी शासक थे। उन्होंने श्री रणपट्टन की संधि में कोई आर्थिक साझा लेना अस्वीकार कर दिया’ उपर्युक्त पुस्तक के

४. पृष्ठ ५७४ से अनूदित।

५. डडास

यूरोपीयन जज होता। उसको मजिस्ट्रेट का अधिकार होना और वह पुलिस का नियंत्रण भी करता। भारतीय दरोगा के आधीन, जो स्वयं जिला जज के आधीन होता था, पुलिस-मंडल होता। फौजदारी न्याय प्रान्तीय अदालतों द्वारा वायान्वित होता।

यह विचित्र बात है कि जिस तर्क से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मालगुजारी और न्याय-विभाग को अलग किया उसी के अनुसार न्याय और कार्यपालिका को अलग नहीं किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलक्टर को न्यायाधिकार से अलग कर दिया, किंतु जिला जज को न्यायाध्यक्ष और पुलिस दोनों का ही काम दे दिया।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी न्याय के लिए तीन प्रकार के न्यायालय बनाए। सबसे पहले तो बड़े नगरों और जिलों में स्थानीय न्यायालय थे। बड़े नगरों में मुन्सिफ और अमीन के न्यायालय थे। जिनमें पचास रुपये तक के मुकदमों का निर्णय होता। इससे अधिक और २०० रुपये तक के लिए रजिस्ट्रार का न्यायालय था। हर जिले में एक यूरोपीयन जज के आधीन जिला-न्यायालय था। यह जज पद में कलक्टर से बड़ा होता। उसकी सहायता के लिए एक वाजी होना और एक पंडित होता, जो क्रमशः मुसलमानी-न्याय अथवा हिंदू-न्याय में दक्ष होता। जिला-न्यायालय का मौलिक अधिकार भी होता और अपील सुनने का अधिकार भी होता। यह अपील उन अभियोगों पर होती जो मुन्सिफ या रजिस्ट्रार द्वारा तय किये जा चुके थे। दूसरे प्रकार के न्यायालय केवल अपील के लिए थे। इनको प्रान्तीय न्यायालय कहा जाता। इनमें से एक कलकत्ता के निकट था, दूसरा पटना में था, तीसरा ढाका में और चौथा मुशिदाबाद में। इनमें से प्रत्येक न्यायालय में तीन जज होने, एक रजिस्ट्रार होता, एक या अधिक सहायक होने और भारतीय कानूनों को जानने वाले तीन व्यक्ति होते—एक वाजी, एक मुफ्ती, और एक पंडित। इनमें छोटे न्यायालयों की अपील सुनी जाती। १००० रुपये तक के मामलों में इनके निर्णय अन्तिम होने। १००० रुपये से अधिक के मामलों की कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी। कलकत्ता के न्यायालय को सदर दीवानी अदालत भी कहते थे। वह न्यायालय गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के सदस्यों से निर्मित होता। इनकी सहायता को एक मुख्य वाजी, दो मुफ्ती, दो पंडित, एक रजिस्ट्रार और कुछ दूसरे कर्मचारी होते। ५०००० रु० से अधिक मूल्य के मामलों की प्रिवी कांसिल (सपरिपड् इंग्लैंड-नरेश) से अपील की जा सकती थी।

फौजदारी न्याय चार प्रान्तीय न्यायालयों के आधीन था। ये न्यायालय एक मंडल से दूसरे मंडल में परिभ्रमण करते और अपील सुनते। ये न्यायालय

वर्ष में चार बार कड़कता में, वर्ष में दो बार हर जिले में और प्रान्तीय केन्द्र में हर महीने में एक बार न्याय-कार्य करने। हर मडल के काम के लिए प्रान्तीय न्यायालय दो हिस्सों में बँट जाता था। एक दल में एक जज और उसके साथ में रजिस्ट्रार और मुफ्ती होता, दूसरे दल में अन्य दो जज, काजी और दूसरा सहायक होता। मडल के इन न्यायालयों के ऊपर सदर निजामत अदालत थी जिसमें गवर्नर-जनरल, उसकी परिषद् के सदस्य और सहायता के लिए एक काजी और दो मुफ्ती होते। इन प्रान्तीय न्यायालयों और सदर निजामत अदालत के अतिरिक्त हर जिले में शान्ति के न्यायाधिकारी (Justices of the Peace)<sup>१</sup> होते। ये अपने क्षेत्राधिकार के अभियोगों में १५ दिन की जेल या २०० रुपये तक जुर्माना कर सकते थे।

अन्त में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस-व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयत्न किया। पुलिस के अधिकार ज़म्मेदारों को मिले हुए थे जिनके अपने सशस्त्र अनुयायी होते। शहरों में बोनवाल होते, इनके भी अपने सशस्त्र अनुयायी होते। इन व्यक्तियों को पुलिस के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हर जिले को वृत्तों में बाँट दिया गया। इनमें से प्रत्येक वृत्त लगभग २० मील का था। हर वृत्त के लिए जिला जज एक दरोगा नियुक्त करता और इसकी सहायता को सशस्त्र आदमी होने। बड़-बड़ नगरों को विभागों में बाँटा गया। प्रत्येक विभाग एक दरोगा और उसके सशस्त्र आदमियों के आधीन होता। दरोगा और उसके सहायक जिला जज के आधीन होने, जो जिले का मुख्य न्यायाधिकारी होता और साथ ही जिले की पुलिस का निरीक्षण और नियंत्रण करता।

शासन के क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किये, उनमें तीन बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो है कि यद्यपि कर्मचारियों के वेतन काफी बढ़ाये गए और उन्हें किसी तरह की फीस, कमीशन, बँट आदि लेने से रोक दिया, किन्तु भारतीय सहायकों और नौकरों को अब भी बहुत थोड़ा वेतन दिया जाता। कमी-कमी तो उन्हें कोई वेतन दिया ही नहीं जाता बल्कि प्रीस दी जाती या उपदान दिया जाता। रजिस्ट्रार, अमीन, या मुफ्ती के लिए कोई वेतन नहीं था। उन्हें हर रुपये में एक आना प्रीस का मिलता। दरोगा का वेतन केवल २५ रुपये मासिक था। हर डाकू या लुटेरे को पकटने पर १० रुपये और मिलते। चोरी किये हुए माल को फिर से प्राप्त करने पर कुछ कमीशन मिलना। परिणाम यह हुआ कि दरोगा बदमाशों की अपेक्षा भले आदमियों के लिए अधिक आतंक की

१. जिला जज, रजिस्ट्रार और अमीन—ये सब भी शान्ति के न्यायाधिकारी थे।

चीज बन गए।<sup>१</sup> दूसरी बात यह है कि यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह आदेश दिया था कि अब तक सपरिपद् गवर्नर-जनरल द्वारा जो विनियम बनाये गये हैं, उनको त्रमबद्ध करके सार्वजनिक जानकारी<sup>२</sup> के लिए छापकर प्रकाशित किया जाय, किन्तु भारतीय न्याय-नियमों की सहिता बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। पडितों और काञ्चियों की सम्मतियों में अन्तर और विकल्प हो सञ्चता था। "हर एक चीज अस्पष्ट और अनिश्चित थी और फलतः मनमानी थी।"<sup>३</sup> अन्त में तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन से भारतीयों को विधिवत् दूर रखने की नीति अपनाई।<sup>४</sup> मार्शमैन के अनुसार यह लॉर्ड कॉर्नवालिस की बहुत बड़ी गलती थी और अब इस नीति के अविवेक और अनौचित्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं।<sup>५</sup>

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया जो उनके सारे सुधारों में सबसे अधिक महत्व का था। यह सुधार मालगुजारी व्यवस्था से सम्बन्धित था। कुछ समय पहले<sup>६</sup> तक इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किन्तु अब अधिकांश लेखक उसे बहुत बड़ी भूल बताते हैं। सन् १७९३ में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी व्यवस्था का बन्दोबस्त किया और सन् १७९५ में बनारस डिवीजन का बन्दोबस्त किया। यह स्थायी बन्दोबस्त की

१ Smith The Oxford History of India, page 570.

२ Sapre The Growth of the Indian Constitution and Administration, page 135

३ Mill History of British India, Book VI page 432

४ Chesney . Indian Polity, page 25.

५ प्रो डाडवेल लिखते हैं कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने में कितनी ही दुस्तर कठिनाइयाँ थीं। सन् १७९१ के एक्ट के अनुसार, "५०० पौंड से अधिक वेतन, परिलब्धि और आय के किसी पद के लिए उसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती हो जो कम-से-कम तीन साल तक कम्पनी की सेवा में रहा हो।" प्रो डाडवेल आगे लिखते हैं कि यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ५०० पौंड प्रति वर्ष से अधिक आय के किसी पद पर किसी भारतीय को नियुक्त किया भी होता तो वह अवर्ष होता, क्योंकि एक्ट के अर्थानुसार कोई भी भारतीय, कम्पनी का सेवक नहीं था।" Cambridge History of India Vol. V, page 319 से अनूदित।

६ इस स्थायी बन्दोबस्त के विवेचन के लिए पढ़िय—R C Dutt. History of Early British Rule in India

व्यवस्था थी। सर जान शोर ने बन्दोबस्त का विरोध किया। लेकिन लॉर्ड कॉर्न-वालिस ने शोर, जो उम विषय के विशेषज्ञ थे, का मत न मानकर, जल्दी ही स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था कर दी। हाल में इस व्यवस्था की बड़ी तीखी आलोचना हुई है।

## (३)

लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन-काल समाप्त होने के समय कम्पनी के अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रश्न पार्लियामेंट के सामने आया। सन् १७७३ में इस अधिकार-पत्र की फिर २० वर्षों के लिए पुष्टि की गई थी। अब यह अवधि समाप्त हो रही थी। इस अवसर पर इंग्लैंड के व्यापारियों और व्यवसायियों ने पूर्वीय वाणिज्य की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन खड़ा किया। किन्तु वोर्ड ऑफ कंट्रोल और वोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपनी योजना बड़ी चतुराई से तैयार की थी। उन्होंने पूर्वीय वाणिज्य और रोपण (पाँच वाली खती) पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाइरेक्टर्स की एक कमेटी नियुक्त की। यह रिपोर्ट उचित अवसर पर हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत की जाती। इस बीच २५ फ़रवरी सन् १७९३ को वोर्ड ऑफ कंट्रोल के समापति सर हनरी डेविस ने भारतीय व्यवस्था की पूर्णतः सतोपजनक स्थिति पर पार्लियामेंट-भवन में एक वक्तव्य दिया और यह जताया कि उस व्यवस्था से सबको लाभ होगा। इस प्रकार अधिकार-पत्र को फिर से जारी कराने के लिए चतुराई से मार्ग तैयार किया गया। पिट उस समय अपनी शक्ति के शिखर पर थे और राष्ट्र का स्वार्थ प्राप्त के साथ युद्ध की समस्या में केन्द्रित था। भवन के सामने अधिकार-पत्र का प्रश्न आने से कुछ पहले यह युद्ध आरम्भ हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में डेविस और पिट को इस अधिकार-पत्र का फिर से जारी कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी। परिणामस्वरूप १७९३ का एक्ट बना और कुछ साधारण से शर्तों के बाद बीस वर्षों के लिए कम्पनी के एकाधिपत्य को फिर स्वीकृति दे दी गई।

## (४)

१७९३ का एक्ट बहुत बड़ा था। उसने बहुत से पहले नियमों को रद्द कर दिया और कानून का एकीकरण किया, किन्तु उसने बहुत से परिवर्तन और सन्तोषन नहीं किये।

पहली बात तो यह थी कि पूर्व में कम्पनी के व्यावसायिक एकाधिपत्य को बीस वर्षों की अवधि और मिश्र गई। अगरेज व्यापारियों और निर्माताओं के विरोध को दान्त करने के लिए ३००० टन के परिमाण तक व्यक्तिगत व्यापार

के लिए अनुमति दी गई। किंतु इस अधिकार पर इतने प्रतिबन्ध<sup>१</sup> थे कि व्यापारियों ने इस नये खुले हुए लाभहीन मार्ग<sup>२</sup> को उपयोग में न लाने का ही निश्चय किया।

B-152  
A 112

इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और सहायकों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की। इस प्रकार वह अभगल दर्रा आरम्भ हुआ, जो अपने अवाञ्छित परिणाम<sup>३</sup> के साथ सन् १९१९ के एक्ट लागू होने तक बना रहा। इस एक्ट के अनुसार बोर्ड के दो छोटे सदस्यों के लिए प्रिवी कांसिल का मेम्बर होना अनिवार्य नहीं था।

तीसरी बात यह हुई कि एक्ट ने कितनी ही बड़ी धाराओं में, कम्पनी के राजस्व का नियंत्रण किया। १२,३९२४१ पौण्ड की वार्षिक वचत का अनुमान किया गया। इसमें से ५ लाख पौण्ड कम्पनी के ऋण के भुगतान में जाते और ५ लाख पौण्ड लाभांश को ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १० प्रतिशत करने में खपते। कम्पनी को २० लाख पौण्ड के ऋण का, २०० प्रतिशत के भाव के हिस्से से १० लाख पौण्ड की पूंजी (Stock) के आधार पर प्रबन्ध करना था। इन नई पूंजी के लाभांश के लिए १ लाख पौण्ड अलग कर दिए गए। किन्तु अनुमानित वचत वस्तुतः हुई नहीं और ब्रिटेन को ५ लाख पौण्ड का अपना वार्षिक भाग प्राप्त नहीं हुआ। साझेदारों को, लाभांश बढ़कर ८ से १० प्रतिशत हो जाने के कारण, अवश्य लाभ हुआ।

एक्ट ने चौथी बात यह की कि भारत की शासन-व्यवस्था में कुछ थोड़े से संशोधन किये। हर प्रेसिडेन्सी की परिषद् की कार्य-पद्धति का विनियमन किया गया और गवर्नर जनरल और गवर्नरों को परिषद् के परामर्श की उपेक्षा कर सकने का अधिकार दिया गया। अन्य प्रेसिडेन्सियों के शासन पर नियंत्रण करने

१ व्यक्तिगत व्यापार के लिए जो अनुमति मिली "उसमें सैन्य-सामग्रियों के आयात पर प्रतिबन्ध था। यही प्रतिबन्ध कपड़े पर था। इसके अतिरिक्त सामान को कम्पनी के गोदामों में रखने और कम्पनी के भाव पर बेचने की भी शर्त थी" Mill History of British India, Book VI, page 8 से अनूदित।

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४

३ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का मुख्य परिणाम यह हुआ कि पार्लियामेंट के नियंत्रण के अवनति बहुत घट गए, क्योंकि हर विभाग के व्यय के लिए रकम स्वीकार करने के समय पर ही पार्लियामेंट में उस विभाग के काम की जाँच और आलोचना होती है।



का गवर्नर जनरल को जो अधिकार था उसे पुष्ट किया गया। भाय ही यह भी कहा गया कि जब स्वयं गवर्नर जनरल किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में उपस्थित हो तो वहाँ का गवर्नर और सारा शासन उससे आधीन होगा। गवर्नर जनरल, गवर्नरों, सेनापति और कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को अपने पद की अवधि में भारत से बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती थी। यह नियम सन् १९२५ में पार्लियामेंट के एक विशेष एक्ट द्वारा बदला गया। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में जाने के समय, अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए, वह परिषद् के किसी सदस्य को उप-सेनापति नियुक्त कर सकता था जो उसके स्थान पर काम करता। अब सेनापति<sup>१</sup> डाइरेक्टर्स द्वारा विशेष रूप से परिषद् का सदस्य नियुक्त किये जाने पर ही उत्तना सदस्य हो सकता था अन्यथा नहीं।

एक्ट ने पाँचवीं बात यह भी कि कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय का जल-सेना पर जो क्षेत्राधिकार था, उसे सुदूर समुद्रों तक बढ़ा दिया। साथ ही एक्ट के अन्तर्गत, सिविल सर्विस के कर्मचारियों, शान्ति के न्यायाधिकारियों और प्रेसिडेन्सी के नगरों के लिए समाजिक नियुक्त करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कर लगाने का अधिकार दिया। विना अनुज्ञप्ति (License) के मादक द्रव्य के विजय पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

इसके अतिरिक्त एक्ट की अन्य धाराएँ एकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने वाली थी।

### ( ५ )

सन् १७९३ के एक्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि "भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना, इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, इच्छा और उसके मान के प्रतिकूल है।" 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स' को भी अपने<sup>२</sup> कारणों से विजय और विस्तार की यह नीति पसन्द नहीं थी। किन्तु परिस्थितियों के प्रवाह और भारत में उपस्थित अधिकारियों की आकांक्षाओं के कारण व्यवहार में टीक उलटी नीति अपनाई गई। लार्ड वेल्डली ने गवर्नर जनरल की हैसियत से अपने ७ वर्षों के कार्य-काल में कम्पनी के प्रदेशों का बहुत बड़ा विस्तार किया। पंजाब, सिंध और नेपाल को छोड़कर लगभग सारा भारत, ब्रिटिश प्रभुता के क्षेत्र में आ गया।

१. केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों का पद एक साथ मिला था।

२. डाइरेक्टर्स विजय और प्रादेशिक विस्तार की नीति से इस कारण असहमत थे कि उसमें बड़ा भारी खर्च होता था और कम्पनी का लाभ कम होता था।

लाई वेल्जली की इन लडाइयो से कम्पनी का ऋण बहुत बढ गया । ५ वर्षों में वह दूना हो गया और १८०५ में उसका परिमाण २१० लाख पौण्ड हो गया । इसका वार्षिक व्याज २७,९१,००० पौण्ड था ।<sup>१</sup> कम्पनी के व्यापार में भी गिराव आया । सन् १८०८ में अपने कोष की स्थिति के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स बहुत व्यग्र हुए और स्थिति संभालने के लिए पार्लियामेण्ट से अपील की । कम्पनी का सरकार पर १२ लाख पौण्ड उधार था । अपने प्रार्थना-पत्र में कम्पनी ने इस परिमाण को लौटाने के लिए कहा और साथ ही अपने भुगतान करने के लिए इतने ही परिमाण का ऋण मांगा । धन के अनुदान के सम्बन्ध में भारतीय मामलो की वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए ११ मार्च १८०८ को एक कमेटी नियुक्त की गई ।<sup>२</sup> १३ जून को रिपोर्ट प्राप्त हुई और कम्पनी को पुराने हिसाब में १५ लाख पौण्ड की रकम दिया जाना निश्चित हुआ । सन् १८११ में कम्पनी को १५ लाख पौण्ड का ऋण स्वीकार हुआ और सन् १८१२ में उसे प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर २० लाख पौण्ड का ऋण उगाहने की अनुमति मिली । जून १८१२ में पार्लियामेण्ट ने कम्पनी को २५ लाख पौण्ड का एक ऋण ओर दिया ।<sup>३</sup>

सन् १८०८ की कमेटी कम्पनी की वस्तुस्थिति की जांच का काम पांच वर्षों तक करती रही और उसने पांच रिपोर्टें तैयार की । इनमें से पांचवी रिपोर्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी । जुलाई १८१२ में इसे प्रकाशित किया गया और इल्वर्ट के अनुसार, "भारतीय भूमि-व्यवस्था पर उसे अब भी प्रामाणिक माना जाता है और तत्कालीन पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी उसका काम सबसे अधिक प्रामाणिक है ।"<sup>४</sup> इस प्रकार पार्लियामेण्ट के सामने अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रश्न आने से पहले भारतीय व्यवस्था की पूरी-पूरी जांच की जा चुकी थी ।

सन् १८१३ में अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने के समय मुख्य विवादास्पद प्रश्न यह था कि कम्पनी के व्यावसायिक विशेषाधिकारों को जारी रहने दिया जाय या नहीं । उस समय कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं था ।

१ Mill and Wilson . History of British India, vol VII, pages 485-486

२. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १६३.

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ४५४-४५५.

४. Ilbert : Historical Survey, page 73

उस समय तक कम्पनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त था। जहाँ तक चीन के साथ व्यापार का सम्बन्ध था मॉन्टेगुमरी उसे अब भी कम्पनी के हाथ में रखना चाहता था। इस प्रस्ताव के लिए महत्त्वपूर्ण कारण थे। चीन के साथ व्यापार बड़ी विचित्र परिस्थितियों में होता था। चीनी सरकार विदेशियों के प्रति अत्यन्त ईर्ष्यालु थी। व्यापार केवल एक बन्दरगाह तक ही नहीं बल्कि एक (हाऊ नामक) दी तक ही सीमित था। इस प्रकार अन्य चीन वास्तियों का लिए विदेशियों से सम्पर्क निषिद्ध था। अब वहाँ प्रतिद्वन्द्विता<sup>१</sup> के लिए कोई धक्का ही नहीं था। दूसरी ओर इस बात का भय था कि नए अग्रज व्यापारियों की अनन्यता या असावधानी के कारण वहाँ चीनी अधिकारी प्रतिकूल न हो जायें और पणत उनके साथ व्यापार विजुक्त ही बन्द न हो जाय। इस प्रकार चाय का जाना बन्द हो जाता। अंग्रेज बन्द चाय को अपना अन्वेषण हो गई थी और उससे न जान से जदता में बड़ा संशय अनुभव किया जाता। साथ ही सरकार का ध्यान पर<sup>२</sup> चीना-बालू में ४० लाख पौण्ड की वार्षिक आय जाती थी। इस प्रकार चीन के साथ व्यापार बन्द होने से राजस्व को बड़ी भारी क्षति पहुँचती। इन सब बातों को सोचकर सरकार ने आरम्भ से ही कम्पनी के इस एकाधिकार को बनाए रखने का निश्चय कर लिया था।

भारत के साथ व्यापार की स्थिति दूसरी थी। कम्पनी के विरोधियों का भारतीय व्यापार के एकाधिकार के प्रति ही विशेष आक्षेप था। सारे ब्रिटेन में व्यापारियों, निर्माताओं और जहाजों के मालिकों ने आन्दोलन खड़ा कर दिया था। लन्दन, ब्रिस्टल, रिवरपूल, ग्लाउगो, मंचेस्टर, शेफील्ड, नॉटिंघम, ब्लैकवर्न आदि अनेक नगरों में पार्लियामेन्ट के पास प्रार्थना-पत्र भेजे गए। उनमें यह निवेदन किया गया कि कम्पनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार की फिर अनुमति न दी जाय और उस व्यापार के लिए सारे ब्रिटिश प्रजा की ममान रूप में स्वतन्त्रता दी जाय। प्राधियों ने इस बात पर जोर दिया कि हर ब्रिटिश नागरिक को अपना रोस्टाक, वाणिज्य और व्यापार करने का समान अधिकार है। उन्होंने एडम स्मिथ के लक्ष उद्धृत किये और एकाधिकार के विरोध तथा स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष की विवेचना की। इस एकाधिकार को तोड़ने

१ Mill and Wilson History of British India, vol VII. page 512.

२. Sir G Stimson - Considerations on the China Trade —Quoted by Mill and Wilson - History of British India. Vol. VII pages 511 and 512.

में ब्रिटेन के लिए चार लाभ बताए गए — (१) ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग का विस्तार; (२) भारतीय व्यापार के यूरोप और अमेरिका के अन्य देशों की ओर विकसित होने पर प्रतिरोध, (३) व्यापारिक मूल्य में—विशेषकर यातायात और पण्यशाला के मूल्य में कमी, (४) ब्रिटेन में भारतीय कच्चे माल का सस्ता आयात।<sup>१</sup> कम्पनी ने उत्तर में इन लाभों को प्राल्पनिक बताया। भारतीय व्यापार बिल्कुल लाभदायी नहीं था और भारतीयों के स्वभाव और मापदण्ड के कारण भविष्य में कोई विस्तार संभव नहीं था। डाइरेक्टर्स ने बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत किया और कहा कि भारत के साथ स्वतन्त्र व्यापार से कम्पनी नष्ट हो जायगी और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त हो जायगा। उनके मत का वारन हेस्टिंग्स, टेनमाउथ, माल्कम और मुनरो जैसे बड़े पदाधिकारियों ने समर्थन किया। किन्तु जैसा कि मिल के ब्रिटिश भारतीय इतिहास में विल्सन ने संकेत किया है, भारतीय व्यापार के लिए स्वतन्त्रता उपर्युक्त कारणों से नहीं दी गई वरन् यह निर्णय तो नेपोलियन की आज्ञापतियों से ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग की जो दुर्गति हो रही थी उससे बचाने की आशा से किया गया।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो विवाद हुआ, उसमें तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए — (१) भारत में ब्रिटिश उपनिवेश बनाने की वाछनोयता अथवा अवाछनीयता, (२) कम्पनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त करने का, भारतीय जनता और उद्योगों पर प्रभाव, (३) भारत में (ईसाई) धर्म प्रचार की आवश्यकता और उपयोगिता।

कम्पनी के कर्मचारियों ने भारत में यूरोपियन बस्ती बसाने के कारण प्रत्याशित भयकर परिणामों का चित्र खींचा। वारन हेस्टिंग्स ने कहा कि ये (यूरोपियन) वहाँ के निवासियों का अपमान करेंगे, उन्हें लूटेंगे और उन पर अत्याचार करेंगे और इंग्लैण्ड के कोई भी कानून उनको व्यभिचार से न रोक सकेगा।<sup>२</sup> जैसा कि इल्वर्ट ने कहा है, कम्पनी के समर्थकों का भय निराश्रय नहीं था किन्तु उसको अत्यन्त उग्र भाषा में अतिरजित करके प्रकट किया गया था। बाद में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार एक कठोर अनुज्ञप्ति व्यवस्था के अनुसार यूरोपियनों को बसाने के लिए भारत जाने की अनुमति मिली। उन्हें

१. Mill and Wilson History of British India, vol VII, pages 424 and 485

२. Ilbert Historical Introduction to the Government of India, page 75.

क्षेत्राधिकार में रोक दिया गया। साथ ही उन्हें म्यानीय गामन के यूरोपियों और भारतवासियों के सम्बन्ध से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का पालन करने को कहा गया।<sup>१</sup>

दूसरी बात जो पार्लियामेंट में नहीं गई थी वह मुक्त व्यापार से भारतीयों को हीन बाड़े लगाने के सम्बन्ध में थी। भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुओं पर इंग्लैंड के बाजार में रोक लगी हुई थी या उन पर बहुत बड़ा कर लगा हुआ था। जैसा कि डा० साह ने अपनी पुस्तक (*History of Indian Tariff*, page 105) में कहा है, तब यह था कि "भारत के साथ मुक्त व्यापार का अर्थ या उद्देश्य, इंग्लैंड और भारत के बीच मुक्त व्यापार नहीं था। वह तो ईस्ट इंडिया कम्पनी व एजायिपत्य के विरोध में एक स्वार्थलिप्त दुहाई थी।"

अन्त में पार्लियामेंट भवन में और बाहर भी, धर्म-प्रचार के नेताओं ने प्रचल आन्दोलन किया। ये लोग भारत के मति-यूजकों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ चाहते थे। बिल्वरफोर्स तथा अन्य व्यक्तियों ने भारतवासियों का भीषण विष खोला। यद्यपि मि० मार्श और लार्ड टेनमाउथ ने भारतवासियों की पार्सिव आस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की पुरानी नीति का आन्तपूर्ण भाषा में प्रतिपादन किया, किन्तु सरकार को झुकना पड़ा। यह कहा गया कि इस देश (इंग्लैंड) का यह कर्तव्य है कि वह भारतवासियों के हित और मुक्त का प्रान्हादन दे और उनके धार्मिक एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी ज्ञान का प्रसार करे। जो व्यक्ति इस उद्देश्य से भारत जाना चाहें उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इस प्रकार इल्वर्ट के शब्दों में, "धर्म-प्रचारक के पीछे राक्षस (पीछे लगाने वाला) दिखाई पड़ता है, दोनों के ही प्रति कम्पनी के कर्मचारी ईर्ष्यालु थे।"<sup>२</sup>

सन् १८१३ के एक्ट ने कम्पनी के अधिकार-धन को फिर जारी कर दिया। एक्ट ने अन्तिम प्रस्तावों को राज-सत्ता में निहित की किन्तु भारतीय प्रदेशों और उनके राजस्व को कम्पनी के ही हाथों में रहने दिया। साथ ही चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कम्पनी के एजायिपत्य की अवधि २० वर्ष के लिए और बढ़ा दी।

इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि अब ब्रिटिश व्यापारियों को, एक्ट में उल्लेख किये हुए कुछ प्रतिशतों के अन्तर्गत, साधारण भारतीय व्यापार के लिए

१. See the 13th resolution—Appendix X. Mill and Wilson, *History of British India*, vol. VII, page 608.
२. Ilbert: *Historical Survey*, page 72 में अन्वित।

स्वतन्त्रता दे दी। एक्ट ने डाइरेक्टर्स को और उनके मना करने पर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल को इस बात का अधिकार दिया कि जागृति, सुधार अथवा किसी दूसरे वैध उद्देश्य से भारत जाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाय। विना अनुज्ञप्ति लिये हुए भारत जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सकता था।

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने भारतीय राजस्व का किस प्रकार उपयोग हो, इसका विनियमन किया। सबसे पहला दायित्व सेना को बनाए रखने का था, दूसरा दायित्व व्याज देने का था। राजस्व के व्यय का तीसरा अधिकरण असैनिक एवं व्यावसायिक कार्यालयों को बनाए रखने का था। कम्पनी के ऋण को घटाने की भी व्यवस्था की गई। कम्पनी और राष्ट्र में वचन के बटवारे का अनुपात क्रमशः एक और पाँच निर्दिष्ट किया गया। कम्पनी को, व्यावसायिक और प्रादेशिक लेखे, पृथक् और स्पष्ट रखने के लिए कहा गया।

एक्ट ने चौथी बात यह की कि कम्पनी की आय से वेतन पाने वाली सेना की संख्या २९००० निर्दिष्ट कर दी। एक्ट ने कम्पनी को इस सेना के लिए नियम, विनियम आदि बनाने, उसके लिए युद्ध-सामग्री तैयार करने और सेना-न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार दिया।

एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के अधीक्षण और निर्देशन के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित कर दिया। साथ ही भारत की स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, कर लगाने का प्राधिकार दिया। ये सरकारें कर न देने वालों को दण्ड दे सकती थीं।

एक्ट की छठी बात कम्पनी के सैनिक एवं असैनिक कर्मचारियों के शिक्षण की व्यवस्था थी। हेलवरी कालेज और एडिस्कोम्ब सैन्य शिक्षण-केन्द्र को चलाने की व्यवस्था की गई और उन पर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल का प्राधिकार कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और भारत में अन्य स्थानों के कालेजों को भी बोर्ड के विनियमन में कर दिया। भारत में यूरोपियों के धार्मिक हित के लिए एक विशाल और तीन अन्य बड़े पादरियों की नियुक्ति की गई। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने और साहित्यिक सुधार और पुनरुत्थान के लिए और साथ ही ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये व्यय करने की भी व्यवस्था की गई।

एक्ट की सातवीं बात अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो अभियोग होते, उनके लिए न्याय की व्यवस्था थी;<sup>१</sup> बरेली, जलसाराजी और जाली सिक्के बनाने के लिए विशेष दण्ड का नियम बनाया गया।

१. विस्तृत बर्णन के लिए देखिये—Ilbert's Historical Introduction, pages 79-80.

( ६ )

लाई वेन्जरी के तीन उन्नाधिकारियों को विवका होकर, किन्हीं भी मूल्य पर, हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया पडा। सर जार्ज बारलो ने मराठों को मन्त्र भारत के राजपूतों के साथ अपनी मनमानी करने को छोड दिया। लाई मिश्रो न एक बीच का टर्मा अपनाया और इन्ट्रिग्ट के अधिकारियों की नीति को बदलने का प्रयत्न किया। उसने भारतीय महासागर में फ्रेंच द्वीप और हार्नेट वायो के अधिकार से जावा द्वीप जोता। उसने सर चार्ल्स मैटकाड को कूटनीति द्वारा सन १८०९ में महागजा रणजीतसिंह के साथ सधि करने में सफलता प्राप्त की। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश सीमा जमुना से आगे बढ़कर सतलुज तक पहुँच गई।

जब अक्तूबर १८१३ में लाई हेन्स्टिग्म भारत में आया तो उसके सामने सात ऐसे झगडे थे जिनके निणय के लिए समस्त युद्ध की आवश्यकता ही सकती थी। लाई वेन्जरी ने स्थिति को एसा कर दिया था कि भारत में अंग्रेजों के लिए चुपचाप खटे रहना असम्भव हो गया था। लाई हेन्स्टिग्म ने वेन्जरी के काम को पूरा करने के लिए आगे बढन का निश्चय किया।

लाई हेन्स्टिग्म ने नेपाल को हराया और सन १८१६ की सुगौली की सधि से ब्रिटिश प्रदेश में कुमायूँ का क्षेत्र—जिसमें नैनीताल, अल्मोडा और गढ़वाल जिले थे—और देहरादून का जिला (जिसमें ममुरी और बनभान शिमला जिले का कुछ भाग भी था) मिलाया। उनके बाद पिठारियों, पठानों और मराठा सरदारों से निपटने का प्रयत्न किया। हेन्स्टिग्म ने मराठों और पिठारियों से पठान सरदार अमीर खाँ को अलग कर लिया और उसे टोक का नवाब बना दिया और बाद में एक बहूव वशी प्रोज की सहायता से पिठारियों को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही महीनों में पिठारी नेता-विहीन होकर पहाडो गौहों में भाग गए। हेन्स्टिग्म ने राजपूताने की बहूव सी बड़ी रियासतों से सधियों की ओर मराठा शक्ति को छिन-भिन्न करने का प्रयत्न किया। इस समय मराठे—पेशवा, भोंसले (अन्ना साहेब) और होन्कर, ये सब—सन्तुष्ट थे। कुछ ही समय में हेन्स्टिग्म नयको हगने में सफल हुआ। पेशवा की पेशन बांध दी गई। अन्ना साहेब को गद्दी से उतार दिया गया और उसके राज्य प्रदेश को छीन लिया गया। इन्दौर राज्य को घटाकर पहुँचा जाया कर दिया गया। मिथिया राज्य अलग कर दिया गया और वह किन्हीं का पत न ले मकने के लिए विवका था। इस प्रकार लाई हेन्स्टिग्म ने भारत में पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।<sup>१</sup>

१ सिगापुर का बन्दरगाह भी लाई हेन्स्टिग्म के राज्य-काल में जीता गया। यह

( ७ )

लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन-काल शासन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए और साथ ही देशवासियों के प्रति अधिक उदार और सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति को फलटा, और न्यायाध्यक्ष तथा मालगुजारी उगाहने और शासन के काम को एक में मिला दिया। कलकत्ता अपने जिले का मुख्य न्यायाध्यक्ष और साथ ही जिला-पुलिस का भी अध्यक्ष बना दिया गया। दरोगा का पद तोड़ दिया गया। उसका काम गाँव के मुखियाओं को सौंप दिया गया। गाँव का लेखा रखने वाले और तलियारी, अथवा गाँव के चौकीदार और साथ ही तहसीलदार, जमींदार, जमीन और कोतवाल सब उनकी सहायता करने।<sup>१</sup> लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न्याय के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया और उन्हें अधिक अधिकार दिये। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की प्रगति की ओर भी उसने काफी ध्यान दिया। उसी के राज्य-काल में कलकत्ता का हिन्दू-कॉलेज खुला ताकि हिन्दू लड़के यूरोप और एशिया की भाषाएँ सीख सकें और विज्ञान की शिक्षा पा सकें।<sup>२</sup> मार्शमैन ने श्रीरामपुर में ईसाई-धर्म-प्रचार के लिए एक बड़ा केन्द्र खोला। उसके लड़के जे० सी० मार्शमैन (इतिहासकार) ने वहाँ एक कॉलेज खोला, जो सन् १८२७ में एक विश्वविद्यालय बन गया।<sup>३</sup> सन् १८१८ में श्रीरामपुर से भारतीय भाषा में सबसे पहला समाचार-पत्र 'ससार दर्पण' प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था, इसका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था।

गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स के ही समय में समाचार-संपादन के नियंत्रण के प्रश्न ने बड़ा महत्वपूर्ण रूप धारण किया। इस विषय पर सन् १८२२ में मद्रास के गवर्नर सर टॉमस मुनरो ने एक विस्तृत लेख लिखा। इस लेख ने उस समय के ही विधान पर प्रभाव नहीं डाला वरन् बाद में भी ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया।

बन्दरगाह बड़ा था, उसकी स्थिति महत्वपूर्ण थी और वहाँ रोम की महत्वपूर्ण खानें थी।

१. Mill and Wilson History of British India, vol. VIII, page 533

२. Haveli. A Short History of India, page 238.

३. डेन्मार्क के राजा फ्रेडरिक पष्ठम ने इस कॉलेज को डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार दिया और इस प्रकार उसे विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया। भारत के लिए यह सबसे पहला विश्वविद्यालय था।



सरकारी जाँच का नियम टूट जाने पर नये समाचार-पत्र अस्तित्व में आए। सन् १८१८ में मिस्टर जे. एस बकिंघम ने 'कलकत्ता जर्नल' प्रकाशित किया। कुछ ही समय में उस पर सरकारी कोप हुआ। सन् १८२३ में संपादक को नोटिस पाने के बाद दो महीने के ही अन्दर भारत छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी गई। समाचार-पत्रों के संपादन के विषय पर सरकार ने फिर विचार किया और सर टॉमस मुनरो के लेख पर विशेष रूप से ध्यान दिया। परिणाम यह हुआ कि सन् १८२३ में बंगाल के लिए और सन् १८२७ में बम्बई के लिए पहले से भी अधिक कठोर विनियम बनाये गए। सन् १८२३ के विनियमों का परिचय देने से पहले, सर टॉमस मुनरो के मत का सक्षिप्त वर्णन सगत होगा। सर टॉमस की दृष्टि में यूरोपीय समाचार-पत्रों के सम्पादन की समस्या गम्भीर नहीं थी। सर मुनरो ने लिखा "जहाँ तक केवल यूरोपियनों का प्रश्न है, चाहे वे सरकारी (कम्पनी के) नौकर हों या न हों, उनके सम्पादन-कार्य की स्वतन्त्रता अथवा उस पर प्रतिबन्ध से कोई विशेष हित या अहित नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।" फिर भी मुनरो ने प्रकाशन से पहले उनके समाचारों की जाँच करने और अपराधी सम्पादकों के भारत से बाहर भेज देने के अधिकार को बनाये रखने के लिए कहा। सर मुनरो की विशेष चिन्ता तो भारतीय समाचार-पत्रों के संपादन से सम्बन्धित थी। सर मुनरो ने लिखा — "यद्यपि यह सकेट अभी दूर है किन्तु समाचार-पत्रों को स्वतन्त्रता दे देने पर यह अनिवार्य रूप से हमारे सामने आ जायगा।" उसका भारतीय सेना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और ब्रिटिश शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरक होगा। "उससे जनता में स्वतन्त्रता की भावना फैलेगी और वे विदेशियों को भगाकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए प्रेरित होंगे।" सर टॉमस ने यह नियम बताया कि, "स्वतन्त्र समाचार पत्र और विदेशी शासन—ये दोनों बातें एक दूसरे की विलकुल विरोधी हैं और बहुत समय तक एक साथ टिक नहीं सकती।"<sup>४</sup>

१. "The History of Press Legislation in India" :  
Modern Review August, 1913

२. उपर्युक्त

३. उपर्युक्त निबन्ध ।

४. उपर्युक्त निबन्ध ।

सर टॉमस के मन को मान्यता दी गई और नये विनियम १५ मार्च सन् १८०३ को निबन्धन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए। इन विनियमों के अनुसार सरकार से अनुज्ञप्ति लिये बिना न कोई प्रेस स्थापित हो सकता था, न कोई समाचार-पत्र निकाला जा सकता था और न कोई पुस्तक प्रकाशित की जा सकती थी। इन अनुज्ञप्ति-व्यवस्था के अनुसार छोटे हुए सारे समाचार-पत्र और पुस्तकें निरीक्षण के लिए सरकार के सामने रखी जातीं। सरकारों गजट में केवल एक सूचना निकालकर सरकार इन पत्रों और पुस्तकों का चलन रोक सकती थी। राजा राममोहन राय और श्री शारदामाध टेंगोर-जैसे विख्यात व्यक्तियों ने इन विनियमों के दोष बताने हुए उनको रद्द करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया। किन्तु विनियमों का निबन्धन बर दिया गया और वे ५ अप्रैल १८२३ से बंध हो गए। सन् १८३५ में सर चार्ल्स मैटकाफ द्वारा फिर दोहराये जाने के समय तक वे बराबर लागू रहे। यद्यपि सर चार्ल्स मैटकाफ का कार्य-काल लॉर्ड विलियम बेंटिन्क के स्थायी उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक ही था किन्तु उनसे बड़े साहस से काम लिया और लॉर्ड मैकाले की सहायता से १८३५ का एक्ट न० ११ बनाया। इस एक्ट में १८०३ और १८२७ के विनियमों को दोहराया गया और नारे ब्रिटिश भारत के लिए अनुज्ञप्ति और प्रकाशन से पहले सरकारी जांच को व्यवस्था को तोड़ दिया गया। उसके बदले इंग्लैंड की तरह साधारण निबन्धन का नियम बना दिया गया।

अब हम फिर गवर्नर-जनरल लॉर्ड हेन्स्टिम्स के राज्य-काल की घटनाओं के वर्णन पर आते हैं—ग्रन्थिम महत्त्वपूर्ण घटना जमीन के बन्दोबस्त से सम्बन्धित थी। यह बन्दोबस्त भारत के विभिन्न भागों में—मद्रास, बम्बई और आगरा कमिश्नरी में—अस्थायी आधार पर किया गया। मद्रास और बम्बई के बन्दोबस्त में मुनरो और एर्शमिन्टन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

लॉर्ड हेन्स्टिम्स का उत्तराधिकारी एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था। उनके शासन-काल में भरतपुर की हार और धर्मा-युद्ध (१८२४-२६) के अति-रिक्त और कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं हुई। यह युद्ध यदावू की संधि से समाप्त हुआ। इनमें मजालत और यांत्रता की त्रुटियों के कारण दहत से जीवन व्यर्थ हो नष्ट हुए और दहून से सम्पत्ति बेकार हो बरबाद हुई।<sup>१</sup> यदावू की संधि से अंग्रेजों को एक करोड़ रुपया और आसाम, अराकान और सालवीन नदी के पूर्व में सर्वबान प्रान्त के कुछ हिस्सों के साथ टेनागरिम के प्रदेश मिले।

१. सन् १८३४ में वीर राजा के अपाचारपूर्ण व्यवहार के कारण युग को खोन लिया गया।

अगली दशाब्दि में शान्ति रही और मुघार हुए। कुर्ग<sup>१</sup> और दो अन्य महत्त्वहीन स्थानों के अतिरिक्त कोई नए क्षेत्र ब्रिटिश सीमाओं के अन्तर्गत नहीं मिलाये गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती-प्रथा बन्द की गई और ठगी का दमन किया गया। बेंटिंक के ही राज्य-काल में व्यय में वचत की गई और अफीम के व्यापार में एकाधिपत्य के कारण राजस्व में वृद्धि हुई। कॉर्नवालिस द्वारा अंग्रेजी ढर्रे के प्रांतीय न्यायालयों को बन्द किया गया और न्यायालयों<sup>२</sup> में फारसी के स्थान पर देश-भाषा को जगह दी गई। साथ ही न्यायपालिका और कार्यपालिका में भारतीयों की नियुक्ति की गई। भारतीय रियासतों की ओर बेंटिंक की नीति, दुर्बल और अस्थिर थी। उसने मंसूर के प्रति नीति में दृढ़ता और शीघ्रता से अवश्य काम लिया। बहुत हद तक इसका कारण यह था कि वह इस विषय में इंग्लैण्ड के अधिकारियों की इच्छानुसार काम करने को उत्सुक था। उसके व्यवहार के प्रति केवल यही आपत्ति की जा सकती है कि जहाँ दीनता अहितकर थी वहाँ भी उसने दृढ़ता नहीं दिखाई।<sup>३</sup>

१ Smith *The Oxford History of British India*, page 659.

२ Havell *A Short History of India*, page 241

३. विन्सेण्ट स्मिथ ने अपनी (उपर्युक्त) पुस्तक में इस नीति के परिणाम का जो वर्णन किया है उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है —

“अवध में मंत्री, हकीम मेहता का अंग्रेज-सरकार ने साथ छोड़ दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। निजाम के राज्य की दुर्व्यवस्था को चुपचाप देखा गया। अवधस्क होलकर को सहायता नहीं दी गई और वहाँ भी राज्य की दुर्व्यवस्था हुई। ग्वालियर में भयकर क्षय हुआ, पर कोई बंधन नहीं उठाया गया। गायरुवाड ने धैर्य भाव धारण किया। राजपूत रियासतों को गृह-युद्ध में कँसे रहने को प्रोत्साहन दिया गया। उज्जयिणी में मुघार रोक दिए गए। जयपुर में नीति का अनर्थ में अन्त हुआ, अर्थात् वहाँ ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण किया गया जिसके कारण वहाँ का रेजीडेण्ट दुरी तरह घायल हुआ और उसका सहायक चलेक मर गया।”

## चौथा अध्याय कम्पनी के अन्तिम दिन

( १ )

सन् १८३३ में कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि फिर से बढ़ाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में आने के समय तक इंग्लैंड का वातावरण बदल चुका था। विदेशों में व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का और इंग्लैंड में मानव-अधिकार के सिद्धान्त का प्रचार किया जा रहा था। ७ जून १८३२ को सुधार विधयक (Reform Bill) एक बन गया और १८३३ में दलितों को सारे ब्रिटिश साम्राज्य में अवधि कर दिया। इस वातावरण में कम्पनी के लिए फिर से व्यापारिक एकाधिकार के अधिकार-पत्र की अवधि बढ़वाना समझ नहीं था। अतः सन् १८३३ के एक न सबसे पहला काम यह किया कि चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार का समाप्त कर दिया।

इस एक के दूसरा काम लॉर्डलिन भारतीय शासन के दो मुख्य दोषों में से एक को दूर करने का प्रयत्न था। पार्लियामेंट के सदस्य मिस्टर चार्ल्स श्याप के शब्दों में यह दोष था, "व्यापारी और सार्वभौम सत्ता का ऐक्य"।<sup>१</sup> एक ने इस दोष को दूर करने के लिए कम्पनी से मुक्तिपूर्वक शीघ्रता<sup>२</sup> के साथ अपने व्यावसायिक कार-बार को हटाने, और राजदरों की भारतीय राजस्व से १०% प्रतिशत रकमा देने और कम्पनी के स्टॉक को ब्रज करने के लिए १२० लाख पाउंड एकत्रित करने को कहा। किन्तु हाउस ऑफ कॉमन्स में मि० बकिंघम तथा अन्य सदस्यों का विरोध होते हुए भी पार्लियामेंट ने भारतीय शासन, कम्पनी को सौंप दिया। मि० बकिंघम ने इतने बड़े साम्राज्य के राजनीतिक शासन को एक जॉइन्ट स्टॉक कम्पनी को सौंपना असंगत बताया और यह सुझाव दिया कि भारत की सर्वोच्च परिषद् में, भारत में रहने वाले जजों और साथ ही स्वयं भारतीयों के कुछ प्रतिनिधि निये जायें ताकि स्व-शासन की व्यवस्था का बम-बे-बन आरम्भ तो हो ही जाय।<sup>३</sup>

१. C. L. Anand : Introduction to the History of Government in India, page 35 के एक उद्धरण का अनुवाद।
२. Section IV of the Act, Keith : Speeches and Documents, vol. I, pages. 26-27.
३. C. L. Anand : An Introduction to the History of Government in India, page 38.

लॉर्ड मैकालि ने इस अवसर पर एक स्मरणीय वक्तृता दी और भारत में कम्पनी का शासन बनाए रखने के पक्ष का प्रतिपादन किया। मैकालि ने मिल को उद्भूत किया और प्रतिनिधि-सरकार की चर्चा को बेतुका बताया।<sup>१</sup> उसने इस बात को अस्वीकार किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स भारत में होने वाली बुराइयों पर कोई सत्रिय अथवा कुशल रोक लगा सकेगा।<sup>२</sup> उसने कहा 'यह स्पष्ट है कि भवन के पास इन (भारतीय) विषयों का निर्णय करने के लिए आवश्यक समय नहीं है, न उसको आवश्यक जानकारी है और न उस जानकारी को प्राप्त करने का उद्देश्य ही है। हाल ही में उसके विधान में जो परिवर्तन हुआ है उससे वह ब्रिटिश जनता का अधिक सही प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने से आज भी वह इतना ही दूर है जितना कि पहले कभी था। भारत की तीन घमासान लड़ाइयों से यहाँ इतनी हलचल नहीं होगी जितनी कि इंग्लैण्ड की एक अपेक्षाकृत बहुत छोटी जगह की सिर फुटौवल से। कुछ ही सप्ताह पहले भारतीय राजस्व के विपक्ष में एक व्यक्ति के दावे का निर्णय किया था। यदि वह अंग्रेजों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न होता तो यह सभा-भवन मत-विभाजन के इच्छुक सदस्यों के लिए छोटा पड़ता। वह एक भारतीय प्रश्न था और इसी कारण हम गण-पूर्ति भी कठिनाई से कर सके। यहाँ तक कि जब मेरे माननीय मित्र 'बोर्ड ऑफ कर्पोरल' के सभापति ने अपना मनोरजक और अत्यन्त योग्यतापूर्ण वक्तव्य दिया और १० करोड़ मनुष्यों के शासन के लिए अपने प्रस्तावों को पस्तुत किया, तो उपस्थिति इतनी भी नहीं थी जितनी की किसी नई रेलवे लाइन खोलने अथवा चुगो की चौकी बनाने के समय होती है।'<sup>३</sup>

दूसरी ओर लॉर्ड मैकालि ने कहा कि "कम्पनी ह्लिग या टोरी दोनों में से किसी राजनीतिक दल से अथवा किसी धार्मिक मत या सम्प्रदाय से सम्बन्धित नहीं थी। उसके प्रति यह दोष नहीं मड़ा जा सकता था कि उसने कैथोलिक बिल (Catholic Bill) या सुधार विधेयक (Reform Bill) का पक्ष अथवा विपक्ष लिया। उसका काम करने का दृष्टिकोण अंग्रेजों राजनीति नहीं, वरन् बराबर भारतीय राजनीति रहा है। ... सारे आन्दोलनों के बीच कम्पनी विलकुल असन्दिग्ध रूप से निष्पक्ष रही है।"<sup>४</sup> भारत में उसके शासन

१. Keith : Speeches and Documents on Indian Policy, vol I, page 234.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३५

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३६-३७।

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३९-२४०.

का इतिहास और भारतवासियों के हित और कल्याण के लिए उसकी उत्तुङ्गता, ये दोनों बातें प्रशंसनीय हैं। "विदेशी, सैनिक और स्वेच्छाचारी शासन में इतनी भलाई की भावना अल्प नही मिल सकती।"<sup>१</sup> लॉर्ड मैकडोने ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में वह भारतीय शासन को कम्पनी के हाथों से हटा देने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड मैकडोने के मन को पार्लियामेंट ने माना और कम्पनी को भारतीय प्रदेशों और उनके शासन का अधिकार फिर बीस वर्ष के लिए सौंप दिया।

सन् १८३३ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उनमें भारत में बसने के लिए जाने वाले यूरोपियों पर जो प्रतिबन्ध थे उन्हें समाप्त कर दिया और उन्हें जमीन का मालिक बनने के लिए कोई रोक-टोक नहीं रहने दी। किन्तु वहाँ ये विदेशी भारतवासियों के धर्म और विश्वास आदि से छेड़-छाड़ न करे और उनका अपमान न करे, इस उद्देश्य से भारतवासियों की रक्षा के लिए गवर्नर-जनरल को परामर्श शीघ्रता के साथ नियम-विनियम बनाने के लिए कहा गया।<sup>२</sup>

सन् १८३३ में यूरोपियनों के भारत में बसने के प्रश्न पर विवाद के समय कम्पनी और उसके उच्च कर्मचारियों<sup>३</sup> ने तीव्र विरोध किया था पर इस बार भारत के उच्च अधिकारियों ने यूरोपियनों के वहाँ बसने की माँग का प्रबल समर्थन किया। सर मेटकाफ और लॉर्ड वॉट्स दोनों ने भारत में यूरोपियनों की बसने के लिए बे-रोक-टोक जाने देने के पक्ष का प्रतिपादन किया और उसके विपक्ष ही लान बचाए। एक लान तो यह बताया कि उसमें भारतीय साम्राज्य की समृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा यह कि उससे राजस्व में वृद्धि होगी और तीसरा यह कि उसमें भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य अधिक सुदृढ़ होगा। सन् १८३२ की प्रवर-समिति ने भारत जाने वाले यूरोपियनों पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक कारण प्रस्तुत किये जैसे, इंग्लैंड की विदेशी बच्चे माल के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता हो जानी, भारत में ब्रिटिश माल की माँग बढ़ जाती और इंग्लैंड की प्रेषित धन अर्थात् 'होम चार्ज' का परिमाण बड़ जाता।<sup>४</sup> प्रवर-समिति के समक्ष कुछ भाषियों ने बे-रोक-टोक यूरोपियनों को भारत में

१. Keith . Speeches and Documents on Indian Policy, page 249.

२. Article LXXXV of the Act.

३. इनी पुस्तक का पृष्ठ ४६

४. History of Indian Tariffs by Shah, pages 128-29.

जाने देने की नीति का खतरा बनाया और यूरोपीय उपनिवेश बनाने से देश-वासियों<sup>१</sup> का जो अहित होता उसकी ओर ध्यान दिलाया किन्तु मेटकाफ और बेंटॉक का मत माना गया और भारत में जाने वाले यूरोपियना पर से सब प्रतिबन्ध हटा लिये गए ।

सन् १८३३ के एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने निश्चित और स्पष्ट भाषा में यह उल्लेख किया, "भविष्य में किसी पद के लिए योग्यता<sup>२</sup> की ही कसौटी है" और "केवल अपने धर्म, जन्म-स्थान, जाति अथवा वर्ण के कारण उक्त (भारतीय) प्रदेशों का कोई निवासी अथवा हिन्दू मजिस्ट्री की प्रजा का कोई भी व्यक्ति, कम्पनी<sup>३</sup> के किसी भी पद या उसकी किसी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जायगा ।" उक्त खण्ड के कारण लॉर्ड मॉलें ने सन् १८३३ के एक्ट को सन् १९०९ से पहले पार्लियामेण्ट द्वारा बनाए हुए भारतीय एक्टों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया ।<sup>४</sup> एक बार नीति और स्वार्थ के सकीर्ण विचारों को हटाकर उदार मानवीय सिद्धान्तों को व्यक्त होने का स्थान दिया गया ।

पंचमी

नए एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने भारत के गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के विधान और अधिकारों में परिवर्तन किये । गवर्नर-जनरल की परिषद् में विधान कार्य के लिए एक विधि सदस्य और बढ़ाया गया । इस नए सदस्य को कार्यपालिका में कोई अधिकार नहीं था । सपरिषद् गवर्नर-जनरल के विधान-कार्य को भी बहुत बड़ा दिया गया । जैसा कि सन् १८७२ के टेंगोर-व्याख्यानों में मिन्टर कैबेल ने सकेत किया, उस समय का सबसे बड़ा दोष विधान बनाने वाले और शासन करने वाले अधिकारियों का सघर्ष और विधान का अनिश्चित स्वरूप था । पहली बात तो यह थी कि "उस समय भारत में पाँच प्रकार के विधान लगू हो रहे थे ।"<sup>५</sup> हर प्रेसीडेन्सी को सरकार को

१. Major Basu: The Colonization of India by Europeans, pages 64 to 94.

२. Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol. I. Despatch of the Court of Directors, 1834, page 120

३. Clause LXXXVII of the Act

४. Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol I., page 120

५. Ilbert's Historical Introduction to the Government of India Quotation on page 84

नियम-विनियम बनाने का अधिकार था। सपरिषद् गवर्नर-जनरल का विधान बनाने का अधिकार बिलकुल अपर्याप्त था। सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए नियम-विनियम केवल भारतीय जनता और कम्पनी के सेवकों पर ही लागू होते थे किन्तु उनका भारत में बसे हुए अन्य अंग्रेजों और विदेशियों पर कोई अधिकार नहीं था। इनके अनिश्चित उनका सर्वोच्च न्यायालय पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। सन् १८३३ के एक्ट ने इन दावों को दूर करने का प्रयत्न किया। एक्ट न प्रांतीय सरकारों के विधान बनाने के अधिकार को हटा दिया और उन्हें केवल यह साधारण अधिकार दिया कि वे जिन विधानों और विनियमों को आवश्यक<sup>१</sup> और उपयोगी समझें उनको लिखकर सपरिषद् गवर्नर-जनरल के पास भेज दें। इस प्रकार भाग्य में विधान बनाने का अधिकार सपरिषद् गवर्नर-जनरल के हाथों में केन्द्रित कर दिया गया। इन विधानों का क्षेत्राधिकार सब व्यक्तिगत, न्यायालयों, स्थानों और वस्तुओं पर था। उक्त (भारतीय) प्रदेशों के प्रत्येक भाग का तथा सभी द्वारा कम्पनी से सम्बन्धित प्रत्येक देशी राज्य और कम्पनी के प्रत्येक सदस्य का इन विधानों में समावेश था।<sup>२</sup> राजसत्ता और पार्लियामेंट को प्रभुता का मनुचिन्त संरक्षण किया गया था।<sup>३</sup>

एक्ट में यह उल्लेख किया गया कि उक्त (भारतीय) प्रदेशों और वहाँ के निवासियों ने सम्बन्धित उक्त सपरिषद् गवर्नर-जनरल के हर कार्य और उनकी हर कार्यवाही का राजन, उसका उल्लेखन और नियंत्रण करने का पार्लियामेंट का पूर्ण और स्वामी अधिकार सुरक्षित है।<sup>४</sup> सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए विनियम जिनको कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने अस्वीकार न किया हो, एक्ट कहते हैं। उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखा जाता, किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि जिनो न्यायालय में उनका निबन्धन किया जाय और उनको प्रकाशित किया जाय। अन्त में अनिश्चितता समाप्त करने के लिए सपरिषद् गवर्नर-जनरल को इंडियन लॉ-कमीशन नाम से एक आयोग (Commission) बनाने का निर्देश दिया गया। इस कमीशन को स्थानीय परिस्थितियों<sup>५</sup> का ध्यान रखने हुए सामान्य विधान बनाना था।

१ Clause 66 of the Act. Mukherjee : *Indian Constitutional Documents*, Vol I, page 96

२ Clause XLIII of Act, Keith : *Speeches on Indian Policy*, Vol I, page 268

३. Clause XLIII of the Act. उक्त पुस्तक, पृष्ठ २६८।

४ Clause LI of the Act. उक्त पुस्तक, पृष्ठ २६९-२७०।

५. Clause LIII of the Act. उक्त पुस्तक, पृष्ठ २७१-२७२।



इस आयोग को उक्त प्रदेश की वर्तमान न्याय और पुलिस-व्यवस्था, उनके क्षेत्र-धिकार, नियम और उनकी कार्य पद्धति, लिखित अथवा प्रचलित दीवानी और फौजदारी विधान की जांच करके सपरिपद् गवर्नर-जनरल को रिपोर्ट देनी थी। पहले विधान-आयोग के सभापति का पद लॉर्ड मैकॉलि को मिला। यह आयोग, जितनी आशा थी, उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) इस आयोग के ही परिश्रम का फल थी। यह सन् १८६० में स्वीकृत होने पर लागू हो गई। इस आयोग ने दीवानी और फौजदारी पद्धति की संहिताओं के लिए भी नींव तैयार कर दी।

एक्ट की छठी बात, बंगाल की अल्पधिकु बड़ी प्रेसिडेन्सी को विभाजित करके दो प्रेसिडेन्सियाँ बनाने की व्यवस्था थी, किन्तु यह कार्यान्वित ही नहीं हुई। पहले तो इसे सन् १८३५ के एक्ट से निलम्बित कर दिया गया और बाद में सन् १८५३ के एक्ट से।

एक्ट ने सातवीं बात यह की कि उसने सपरिपद् गवर्नर-जनरल को भारत में गुलामों की दशा सुधारने और सारे भारत में गुलामी प्रथा (दास प्रथा) समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश किया।

एक्ट ने आठवीं बात यह की कि एक विशप के स्थान पर तीन विशप बनाए और बल्कते के विशप को भारत का मेट्रोपोलिटन विशप (लाट पादरी) बना दिया।

अन्त में एक्ट ने हेल्डरी में कम्पनी के कॉलेज में भारत के असैनिक सेवकों के शिक्षण की व्यवस्था की और कॉलेज में प्रवेश के लिए विनियम बनाए।

( २ )

भारत में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय इस विषय पर एक दशब्दी से प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों में विवाद चल रहा था। लॉर्ड मैकॉलि ने सार्वजनिक शिक्षा-कमेटी के सभापति नियुक्त होने पर, अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा प्रबल समर्थन किया। ७ मार्च १८३५ के प्रस्ताव द्वारा सरकारी निर्णय प्रकाशित हुआ "ब्रिटिश सरकार का महान् उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार होना चाहिए और शिक्षा के लिए जो निधि है उनका सर्वोत्तम उपयोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में ही होगा।"<sup>१</sup>

लॉर्ड आँकलैण्ड के राज्य-काल में प्रथम अफगान-युद्ध की विपत्ति, एक मुख्य घटना थी। यह युद्ध पामस्टर्न की इस विरोधी नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। उसके उत्तराधिकारी के समय में अफगानिस्तान से बढ़ला लेने के लिए लड़ाई लड़ी गई

प्रोम और पेगू का सारा प्रान्त आ गया। साथ ही घटगाँव से लेकर सिगापुर तक सारे समुद्र-तट पर ब्रिटिश अधिकार हो गया।

लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य को बढ़ाने के लिए केवल युद्ध-विजय का ही सहारा नहीं लिया वरन् किसी देशी राज्य में उत्तराधिकारी न होने पर उस राज्य पर ब्रिटिश आधिपत्य जमा लेने की नीति से भी काम लिया। इस प्रकार डलहौजी ने सितारा, नागपुर, झाँसी, जंतपुर, साँभलपुर और कुछ दूसरी छोटी रियासतों पर अधिकार कर लिया। अवध पर अधिकार एक दूसरे ही प्रकार से—उच्छृङ्खल और मनमाने ढंग से—किया गया। सिक्किम को तत्कालीन राजा द्वारा डॉ० कैम्पबेल और डॉ० हुकर को पकड़ने के अपराध के दण्डस्वरूप ले लिया गया। महायुद्ध सेना के निर्वाह के नाम पर निजाम से बरार को ले लिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को ८ लाख रुपये का वार्षिक भत्ता मिलता था। उसके दत्तक पुत्र को यह भत्ता देना अस्वीकार कर दिया गया। सन् १८५५ में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु का लाभ उठाकर, उसके कुटुम्ब के मान और उसके भत्ते को घटा दिया गया। सशेष में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रत्येक समव उपाय से ब्रिटिश राज्य और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया। सन् १८५७ के उत्थान में, डलहौजी की देशी राज्यों को छीनने की नीति भी कुछ अंशों तक उत्तरदायी है।

डलहौजी एक अत्यन्त उत्साही और कर्मठ व्यक्ति था। उसने शासन के प्रत्येक विभाग के काम की देख-भाल की और बहुत से सुधार किये, भारत के सर्वोच्च शासन को विभागानुसार व्यवस्थित किया, बंगाल के लिए एक पृथक् उप-गवर्नर नियुक्त किया। उसने एक पृथक् सार्वजनिक निर्माण-विभाग बनाया और ग्राण्ड ट्रंक रोड बनवाने, सिंचाई के लिए नहरे निकालने और रेलवे-लाइन बिछाने के कामों को आरम्भ किया। उसने बिजली के द्वारा तार भेजने की व्यवस्था चलाई और डाक के लिए आधा आना प्रति पत्र की एक ही दर निश्चित की। सन् १८५४ के 'बुड डिस्पेंच' नाम से प्रसिद्ध आदेशों को पूरी तरह कार्यान्वित किया और देश की वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था की नींव रखी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय मेका के पुनर्संगठन का भी प्रवन्ध किया और इस विषय पर नौ विस्तृत लेख लिखे, (इन लेखों पर इंग्लैण्ड के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया)। लॉर्ड डलहौजी के कार्य-काल में ही कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि फिर बढ़ा देने का प्रश्न अन्तिम बार पार्लियामेण्ट के सामने आया।

( ३ )

अब तक कम्पनी के राज्य का विरोध अंग्रेजों ने ही किया था। या तो अंग्रेज व्यापारियों ने या अंग्रेज प्रगतिवादियों अथवा मानववादियों ने ही अधिकार-पत्र

की अवधि बढ़ाने में आपत्ति प्रकट की थी। किन्तु १८५३ में अधिकार-पत्र की अवधि बढ़ाने का विराय मुख्यतः भारतीयों ने किया। सन् १८३३ के एक्ट के विभाग न० ८७ ने भारतीयों में उच्च आशाओं का संचार किया था। कुछ नवयुवक भारत के बड़े पदा के लिए शिक्षित होने को इच्छुक हुए थे। भारत लौटने पर उन्हें बहुत निराशा हुई। जैसा कि गवर्नर-जनरल की परिपत्र के सदस्य और इन्डियन लॉ कमीशन के मनासि मि कैंपेगन ने कहा,—“इन (सन् १८३३ का एक्ट बनने के पश्चात् के) बीस वर्षों में कोई भी देशी आदमी किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया गया जिसके लिए उसका एक्ट बनने से पहले अधिकार न हो।”<sup>१</sup> सीता प्रेसिडेन्सिया के निवासियों ने पार्लियामेण्ट के समक्ष, कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि न बढ़ाने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे। बंगाल के प्रार्थना-पत्र में द्वेषमान को समाप्त करने, एक राज्य-मन्त्री नियुक्त करने और एक ऐसी भारत-परिपत्र, जिसमें कुछ सदस्य निर्धारित हों और कुछ नाम निर्दिष्ट हों, नियुक्त करने का निवेदन किया गया। इस प्रार्थना-पत्र में भारत के लिए एक विधान-मण्डल बनाने, गवर्नर-जनरल की परिपत्र की सम्मति में काम करने, प्रेसिडेन्सियाओं को एक प्रकार की प्रांतीय स्वायत्तता देना, छोटी नौकरियों का वेतन बढ़ाने और बड़े पदों का वेतन घटाने, सारी ब्रिटिश प्रजा को सिविल सर्विस का पात्र बनाने और उक्त सिविल सर्विस की परीक्षा द्वारा भर्ती करने का निवेदन किया गया।<sup>२</sup>

ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के दोनों भवनो ने सन् १८५० में जाँच के लिए कमेटीयों नियुक्त की और उनको जाँच के आधार पर सन १८५३ का चार्टर-(अधिकार-पत्र) एक्ट तैयार किया।

इस चार्टर एक्ट ने सबसे पहली बात तो यह की कि उसने कम्पनी के अधिकारों को फिर जीवन-दान दिया और उसे हर मैजिस्ट्री (मैजिस्ट्री की गनी) और उसके उपाधिकारियों की ओर में घरेलू के रूप में भारतीय प्रदेशों पर अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी। पहले अधिकार-पत्रों में यह अनुमति एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी, किन्तु इस बार उल्लेखित अधिकार उस समय तक के लिए दिये गए जब तक कि पार्लियामेण्ट कोई अन्य व्यवस्था न करे।

१. C. L. Anand Introduction to the History of Government in India, Part I, page 41 के एक उद्धरण का अनुवाद।

२. उल्लेखित पुस्तक पृष्ठ ४२-४३।

सन् १८५३ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि डाइरेक्टर्स की सख्या को २४ से घटाकर १८ कर दिया गया। इनमें से ६ राज-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते।

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि गवर्नर-जनरल को बंगाल की गवर्नरी के काम से मुक्त कर दिया और बंगाल के लिए एक और गवर्नर को नियुक्त करने की व्यवस्था की। किन्तु नया गवर्नर नियुक्त होने के समय तक गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ कंट्रोल की स्वीकृति से एक उप-गवर्नर (Lieut.-Governor) नियुक्त कर दे। यद्यपि उप-गवर्नर की नियुक्ति तो सन् १८५४ में कर दी गई, परन्तु गवर्नर की नियुक्ति सन् १९१२ तक नहीं हुई।

एक्ट ने चौथी बात यह की कि हाल में देशी राज्यों को अधिकार में लेने के कारण जो प्रदेश-विस्तार हुआ था, उसके फलस्वरूप डाइरेक्टर्स को यह निर्देश दिया गया कि वे एक ऐसी नई प्रेसीडेन्सी बनायें, जिसकी शासन-व्यवस्था मद्रास और बम्बई की तरह हो। यदि ऐसा न हो तो एक उप-गवर्नर की नियुक्ति की जाय। इस विभाग में जो अधिकार दिया गया उसके अन्तर्गत १८५९ में पंजाब के लिए उप-गवर्नर की नियुक्ति की गई।

एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि गवर्नर-जनरल की परिषद् के विधि-सदस्य को परिषद् का पूरा सदस्य बना दिया। अब वह कार्यपालिका से सम्बन्धित परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता था और अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता था।

एक्ट ने छठी बात यह की कि भारत के लिए पहली बार एक पूवक् विधान-परिषद् बनाई। जैसा कि माण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने सकेत किया, अब पहली बार विधान (कानून) बनाने को सरकार का एक विशेष कार्य माना गया और उसके लिए एक विशेष उपकरण और पद्धति की आवश्यकता अनुभव की गई।<sup>१</sup> गवर्नर-जनरल की परिषद् का विधान-कार्य के लिए विस्तार किया गया। उसमें छ नये सदस्य बढ़ाये गए, जो विधान-सदस्य कहलाते। इस प्रकार विधान-कार्य के लिए परिषद् में १२ सदस्य होते—गवर्नर-जनरल, सेनापति, परिषद् के चार सदस्य और छ विधान-सदस्य, जिनमें से दो सदस्य बलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय के अग्रेज जज (एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश) होते, और चार सदस्य, मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरे की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किये हुए सरकारी कर्मचारी होते। प्रान्तीय सरकारों के इन प्रतिनिधियों

१. चस्तुतः यह एक पूवक् विधान-परिषद् नहीं थी। कार्यपालिका-परिषद् ही विधान-कार्य के लिए विस्तृत कर दी गई थी।

में से प्रत्येक को ५००० पौण्ड का वार्षिक वेतन मिलता। इस रूप में भारतीय विधान-मंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया। परिषद् का काम मौखिक और खुला हुआ होता। प्रत्येक विधेयक पर उचित रूप से विचार होता और उनका प्रवर-समिति में परीक्षण होता। 'परिषद् में कम-से-कम एक ऐसा सदस्य होता जिसे स्थानीय विषयों की जानकारी होती। साथ ही परिषद् में अंग्रेजी विधि का बहुत बड़ा जगह होता।'<sup>१</sup> इन परिषद् ने अपने-आपको विधान-कार्य में सीमित नहीं रखा किन्तु उसने शिवायता की जाँच करने और उनको दूर करने का एक छोटी प्रतिनिधि-सभा का रूप ले लिया।<sup>२</sup> किन्तु उनका कोई प्रस्ताव बिना गवर्नर जनरल की स्वीकृति के विधि नहीं बन सकता था।

एक्ट ने माननीय बात यह की कि भारतीय विधि-आयोग की सिफारिशों की जाँच करने के लिए, अंग्रेज आयोगको के निवाय की नियुक्ति के लिए प्राधिकार दिया। (भारतीय विधि-आयोग इस समय तक टूट गया था।)

एक्ट ने जाटवी चान कम्पनी की आय में से बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की। हिज मैजिस्ट्री द्वारा वेतन के परिमाण का निश्चय होता। बोर्ड के सभासित व वेतन के बारे में यह कहा गया कि वह किसी प्रमुख राज्य-सर्वो के वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

अन्य में एक्ट ने डाइरेक्टर्स को भारतीय नियुक्तियों में अनुग्रह के अधिकार से वंचित कर दिया और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को इस सम्बन्ध में विनियम बनाने का निर्देश दिया। सन् १८५४ में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसका समापति लॉर्ड मैकाली को बनाया गया। इन कमेटी ने विनियम बनाये। इनके अनुसार मिनिस्टर सविन की नहीं, परीक्षा में प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर होती। जनवरी १८५६ में हेल्थरो काटेज के लिए दायित्व बन्द कर दिए गए। सन् १८५५ के इसी एक्ट<sup>३</sup> के अनुसार ३१ जनवरी १८५८ ने कॉलेज बन्द करा देने का निर्देश दिया गया। कम्पनी ने स्वयं ही १८३३ में कॉलेज बन्द कराने की माँग की थी। उनका एक कारण तो कॉलेज का अत्यधिक व्यय था और दूसरा कारण

१ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, P. 3.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३९

३. 18 and 19. Victoria C. 53. Ilbert: Historical Introduction, page 93.

यह था कि "विदेशों में नौकरी को जाने वाले नवयुवकों का सम्पर्क उन्हीं के जैसे दूसरे नवयुवकों तक सीमित कर देने में बहुत से दुष्परिणाम थे।"<sup>१</sup>

१८५४ में फालियामेंट ने एक एक्ट और बनाया, जिसका भारतीय शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ।<sup>२</sup> इस एक्ट ने सपरिपद गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार दिया कि वह कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल की अनुमति से, उद्घोषणा द्वारा, ईस्ट इंडिया कम्पनी के किसी प्रदेश के किसी भी भाग को अपने निजी अधिकार और प्रबन्ध में ला सकता है और उस भाग के शासन के लिए आदेश, निर्देश दे सकता है अथवा शासन की व्यवस्था कर सकता है।<sup>३</sup> इस अधिकार का चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति करने में उपयोग किया गया। ऐसे सारे अधिकार, जो केन्द्रीय सरकार के लिए अनावश्यक थे, उन्हें प्रदान कर दिए गए। इसी एक्ट के अन्तर्गत आसाम, मध्य प्रान्त, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, बर्मा, ब्रिटिश बिलोचिस्तान और दिल्ली के लिए समय-समय पर चीफ कमिश्नर बनाए गए। सन् १८५४ के एक्ट ने सपरिपद गवर्नर-जनरल को इस बात का भी अधिकार दिया कि डाइरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल की अनुमति से वह विभिन्न प्रान्तों की सीमाओं को निश्चित कर सकता है। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में गवर्नर-जनरल के पद में बंगाल के गवर्नर का पद न जोड़ा जाय।

( ४ )

लॉर्ड डलहौजी को दृढ़ विश्वास था कि वह अपने उत्तराधिकारी के लिए शान्तिपूर्ण भारत छोड़कर जा रहा था। उसे इस बात का भान भी नहीं था कि उसने असन्तोष के बीज बो दिए थे, जो कुछ समय में निश्चित रूप से अकुरित होते और जो देश में ब्रिटिश राज्य के लिए एक भीषण सक्कट का कारण हो सकते थे। लॉर्ड डलहौजी की लडाइयों और छीना झपटी से भारतीय सेना और शासक वर्ग दोनों ही अव्यवस्थित और व्यथित हुए थे। आक्रामक यूरोपीय नई रियासतों से देशवासियों की पुरानी कट्टर वृत्तियाँ उमड़ उठीं। ईसाई धर्म का, सरकारी आश्रय और सहायता के साथ सोल्साह प्रबल प्रचार हो रहा था। उससे लोगों को बलात् धर्म-परिवर्तन का भय और सन्देह हुआ। कैनिंग के इस

१. B. K. Thakore : Indian Administration to the Dawn of Responsible Government, page 62, के एक उद्धरण का अनुवाद.

२ 17 and 18. Victoria C. 53. Mukherji : Indian Constitutional Documents, Vol I, pages 132 to 134

३ उपर्युक्त पुस्तक, page 19 (XIX)

निर्णय ने कि, "बहादुर शाह<sup>१</sup> की मृत्यु के बाद सम्राट् का पद स्वीकार नहीं किया जायगा," उनको और उनके समर्थकों को बड़ा नुद्ध और उत्तेजित कर दिया। इनके अनिश्चय, नानासहब, झांसी की रानी और अन्य ऐसे सामन्त थे जिनको उनके अधिभारों में वञ्चित कर दिया गया था और जो चिढ़े हुए थे। वे सब उस समय की विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाने को तैयार थे।<sup>२</sup> दूसरी ओर ब्रिटिश स्थिति बड़ी दुर्बल थी। ब्रिटिश सना का संगठन और वितरण बड़ा दोषपूर्ण था। सना में अनुशासन की बहुत बड़ी कमी थी। महत्त्व के स्थानों (जैसे दिल्ली और इलाहाबाद) और साथ ही अधिकांश तोपों का अधिकार भारतीय हाथों में दिया हुआ था।<sup>३</sup> फारस की खाड़ी और चीन के लिए संन्य-दूत भेजे गए थे और भारतीय मोर्चों की विगपकर बंगाल और उत्तरी पश्चिमी प्रान्त की स्थिति बड़ी दुर्बल थी। चर्खा के बारतूमों का अच्छा बहाना मिला और २३ जनवरी १८५७ को बलकत्ते के पाम्प-मदम में विद्रोह आरम्भ हुआ। मार्च में बैरकपुर, अप्रैल में अम्बाला और मई में मेरठ लखनऊ और दिल्ली में उभार हुआ। मई में चारा और स्पट्टे फँल गई और बाकायदा लड़ाई होने लगी। इनके पाँच मुख्य मोर्चे थे—दिल्ली, लखनऊ, बानपुर, रहलखण्ड और मध्यभारत जिसमें बुन्देखण्ड भी सम्मिलित था। निम्नो ग्वालियर के मग दिनकर राव, हैदराबाद के मर सालार जग, नेपाल के सर जगबहादुर न समय पर महायत्ना दी। इस सहायता और कुछ ब्रिटिश अधिकायियों के शौर्य ने स्थिति को संभाल लिया गया। विद्रोह का दमन हुआ और विद्रोही दल परास्त हुआ। हारे हुए स्थानों को फिर से जीता गया और विद्रोह के नेताओं को दण्ड दिया गया, मार दिया गया अथवा बग़ा दिया गया।

फिर में व्यवस्था लाने में अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये जिनकी स्मृति भारतीय मन्त्रिमण्डल में विद्रोह के दमन के बहुत दिनों बाद तक चम्कती रही और उनके ऐसे परिणाम हुए जिनके महत्त्व पर कुछ समय पहले तक ध्यान नहीं गया। "अंग्रेजों ने अपने बन्दियों को बिना अभियोग चढ़ाये मार डाला और उनका मारने का ढग अत्यन्त बर्बरतापूर्ण था। मुसलमानों को सूअर की खाँचों में सी दिया, प्राण-दण्ड देने में पहले उन पर सूअर की चर्खों मली, और उनके शरीरों को जलाया और हिन्दुओं को स्वयं अपने-आपको अपवित्र और दूषित करने के लिए विवश किया।" उन्होंने दिल्ली और चारों ओर के देहानों में हजारों अस्सैनिक व्यक्तियों का बल्ल कर दिया। जनरल नील ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुछ

१ Cambridge History of India, Vol V, page 607

२ Smith : The Oxford History of India, page 712

अपराधी गाँवों को तप्त करने का निर्णय किया गया और ( फलत ) वहाँ के सारे निवासियों का कत्ल कर दिया गया, और जहाँ-जहाँ हमारी (अंग्रेज) सेनाएँ गईं, वहाँ के निवासियों को बिना सोचे-बिचारे जला दिया गया।<sup>१</sup> लन्दन के 'टाइम्स' के तत्कालीन सवाइदाता रसेल ने अपनी डायरी में ब्रिटिश सेनाओं की बर्बरता का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। यहाँ विस्तृत उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है उदाहरण के लिए उनमें से एक ही पर्याप्त होगा। हैवलॉक के अग्रिम सैन्य-दल के बारे में उसने लिखा है —

"उस दल का मुख्य अधिकारी (जनरल) नील का प्रतिस्पर्धी था और वह अपना पौरव्य कम न समझता था—दो दिन में बयालीस आदमियों को प्राण-दण्ड दिया गया इस कारण कि प्रस्थान में सेना की ओर उनकी पीठ थी। जिन स्थानों पर उसने विराम किया वहाँ के सारे गाँवों को जला दिया गया। कानपुर के हत्या-काण्ड के नाम पर इस उग्रता को न्याय नहीं ठहुराया जा सकता, क्योंकि ये घटनाएँ उक्त हत्या-काण्ड से पहले ही हुईं।"<sup>२</sup>

ऐसी उग्रता को सहज ही विस्मृत नहीं किया जा सकता था। उससे जातीय कटुता की भावना चारों ओर फँली। बालान्तर में यह कटुता लुप्त हो गई होती, किन्तु समय-समय पर १९१९ की जालियान वाले बाग-जैसी निष्ठुरताओं ने उसे जीवित बनाये रखा।

1858 का Act

(4) w

१८५७ की घटनाओं के फलस्वरूप कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ। जैसा कि ब्राइट ने कहा कि, "उक्त प्रश्न पर राष्ट्र की आत्मा—अदमनीय रूप से—जग उठी और उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी को तोड़ देने का निर्णय किया।"<sup>३</sup> प्रधान मंत्री लार्ड पाम्स्टन ने १२ फरवरी १८५८ को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में विधेयक प्रस्तुत करते हुए एक स्मरणीय वक्तृता दी और द्वैध शासन-व्यवस्था का अन्त करने के लिए अपने कारण बताए। कम्पनी के शासन का, लार्ड पाम्स्टन के अनुसार, सबसे बड़ा दोष उसकी नितान्त उत्तरदायित्वहीनता—की। "हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धान्त यह है कि सारे शासन-कार्य के लिए मन्त्रि-मंडल का उत्तरदायित्व हो—पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व, जनमत के

१. Garret : An Indian Commentary, page 112
२. Russel Diary I, page 222, quoted by Garret I.C.S. (Rtd.) in an Indian Commentary, page 113
३. Speech of Lord Palmerston, Keith : "Speeches on Indian policy", vol. I, page 320.



राज-सत्ता को सौंपने पर कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की निष्पक्ष, निरदलीय और विशिष्ट रोक की जगह पार्लियामेण्ट की अवाञ्छनीय और असमर्थ रोक होगी। लॉर्ड पामस्टन ने उत्तर में पार्लियामेण्ट की नीतिज्ञता, उसके विवेक और उत्तरदायित्व की ओर सकेत किया और साथ ही यह बताया कि भारत के "बे अधिकांश सुधार, जिन पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टर्स गर्व करते हैं, पार्लियामेण्ट में भारतीय शासन पर विवादों के परिणामस्वरूप ही हुए हैं।"<sup>१</sup> सर जार्ज कॉर्नवॉल लेविस की भाषा और भी उग्र थी। उन्होंने कहा "मझे पूरा विश्वास है कि इस भूल पर कोई सम्य सरकार इतनी गूढ़, विश्वासघातक, लोलुप और लुटरी नहीं हुई जितनी कि सन् १७६५ से १७८४ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी का सरकार थी।"<sup>२</sup> उन्होंने कम्पनी का राजनीतिक स्वरूप जानने के लिए,<sup>३</sup> पार्लियामेण्ट के लेखे और भवन की रिपोर्ट और प्रामाणिक-पत्र देखने के लिए कहा। सन् १७८४ से पार्लियामेण्ट द्वारा नियंत्रण आरम्भ होने के ही बाद कम्पनी का शासन सहनीय हुआ था।

कम्पनी ने इस बात का सकेत किया था कि 'मन्त्री की सहायता के लिए भारतीय मामलों में प्रवीण नीतिज्ञों की परिपक्व अनिवार्य होगी।'<sup>४</sup> इसी सिलसिले में उन्होंने यह कहा था कि उक्त कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स से अधिक उपयुक्त कोई निकाय होना सन्देहास्पद है।<sup>५</sup> लॉर्ड पामस्टन ने परिपक्व की आवश्यकता को स्वीकार किया और कम्पनी द्वारा अनिवार्य बताई हुई बहुत सी बातों की प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की।

कम्पनी ने तीसरी बात यह कही थी कि एक राज्य मन्त्री को पद-नियुक्ति का अनुग्रहाधिकार देना खतरे से खाली नहीं है। साथ ही कम्पनी ने अपने शासन में भारतीय कर्मचारियों की श्रेष्ठता का कारण यह बताया था कि उन अनुग्रहाधिकार करने वाले व्यक्ति निर्दली रहे थे और उन्हें पार्लियामेण्ट में समर्थन अपेक्षित नहीं था।<sup>६</sup> लॉर्ड पामस्टन ने उत्तर दिया कि कार्यपालिका सरकार को ऐसे कोई अतिरिक्त अनुग्रहाधिकार नहीं दिये जायें जिसके कारण हाउस ऑफ कॉमन्स को वैधानिक ईर्ष्या हो सके।<sup>७</sup>

१ Keith Speeches on Indian Policy, vol. I, page 349.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३४०

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१५

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२

५ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३३२

६ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३०७

७ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३२७

अन्त में कम्पनी ने यह कहा कि यदि विचाराधीन परिवर्तन उचित नों हों तो वह समय तो निश्चित रूप से उन (परिवर्तनों) के लिए अनुपयुक्त था। कम्पनी ने ऐसे परिवर्तना का पार्लियामेंट से उस समय स्वीकृत कर देने के लिए निवेदन किया ताकि उनका हाथ ब विद्रोह से कोर्ट सम्बन्ध न जोटा जा सके। लार्ड पामस्टन ने उत्तर में कहा कि अमाधारण परिस्थितियों में ही शासन की अनुविधाया की आर सुरक्षा और जनता का ध्यान आकर्षित होता है, हमारा (इस समय) भारत की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का उद्देश्य नहीं है, एक मुदत अधिक दक्षिणायनी और अधिक कारगर शासन के स्थापना को स्थापित करने की जगह वर्तमान दुर्वल व्यवस्था को यथावत् बनाए रखने में बाई बुद्धिमत्ता नहीं है, बिनापकर एक ऐसे समय जबकि वहाँ फिर से शान्ति स्थापित करने का कार्य अयत्न कठिन है। अन्त में पामस्टन ने कहा, 'निदान अनुग्रहाधिकार समय और बंधानिक मकद के आधार पर ऐसी कोई बात नहीं है जिसे भारत हम इस विधेयक को अविलम्ब स्वीकार न कर सकें।'<sup>१</sup> किन्तु इस विधेयक को विधि-पुस्तक में निबधित करने का अभी समय नहीं आया था। हमारे वाचक के कुछ ही समय बाद पामस्टन प्रधान मंत्री के पद से हटा दिए गए। लार्ड टर्नी उनका उत्तराधिकारी हुए और मिस्टर डिब्ररायने हाउस ऑफ कॉमन्स बनना बन।

नए यंत्रिमंडल के लिए पामस्टन के मन्त्रिमंडल की ही नीति का अनुसरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ३० अप्रैल १८५८ को भयत ने १४ प्रस्ताव स्वीकार किए। इनके आधार पर सरकार ने नया विधेयक संसार किया। यही विधेयक भारत के श्रेयतर शासन के लिये १८५८ का एकट बन गया।

### (६)

१८५८ के एकट ने भारत के शासन को कम्पनी के हाथों से राज्य-सत्ता के हाथों में धीरे-धीरे स्थाना। भविष्य में भारत का शासन 'हर मैजेस्टी' के नाम से, उसी के अधीन होना था<sup>२</sup> और भारत की भारत प्रादेशिक तथा अन्य आय हर

१ Keith: Speeches on Indian Policy, page 328.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३०८

३ Clause II of the Act. Keith Speeches on Indian Policy, page 370

मंजिस्ट्री के नाम में और उसी के आधीन प्रान्त की जानी थी और केवल भारत सरकार के ही नामों में उसका व्यय किया जाना था।<sup>१</sup>

दूसरी बात यह हुई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स के सारे अधिकार, हर मंजिस्ट्री के एक प्रमुख राज्य-मंत्री को हस्तान्तरित कर दिए गए। राज्य-सत्ता को एक पाँचवाँ राज्य-मंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यह राज्य-मंत्री भारतीय शासन का काम संभालता किन्तु इस ब्रिटिश राज्य-मंत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता।

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि कुल १५ सदस्यों की एक भारत-परिषद् (Council of India) बनाई। इनमें से ७ सदस्य कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा निर्वाचित होते और शेष ८ सदस्य राज्य-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते। परिषद् के आधे से अधिक सदस्य—कम-से-कम नौ—ऐसे व्यक्ति होते जो कम-से-कम दस वर्ष तक भारत में रहे होते और जिन्हें नियुक्ति के समय भारत छोड़े हुए दस वर्ष से अधिक न हुए होते।<sup>२</sup> भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति राज्य-सत्ता द्वारा की जाती। सदस्यों का कार्य-काल सद्व्यवहार पर था किन्तु पार्लियामेण्ट के दोनों भवनों की<sup>३</sup> प्रार्थना पर उनको हटाया जा सकता था। प्रत्येक सदस्य को भारतीय राजस्व से एक हजार दो सौ पौण्ड का वार्षिक वेतन दिया जाता।<sup>४</sup>

परिषद् को राज्य-मंत्री के निर्देशान के आधीन, इंग्लैंड में भारतीय शासन और पत्र-व्यवहार से संबंधित सारा कार्य करना था।<sup>५</sup> राज्य-मंत्री को परिषद् के समाप्ति का पद दिया गया था और उसे मताधिकार प्राप्त था।<sup>६</sup> बराबर मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त निर्णायक मत दिया गया था।<sup>७</sup> काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये समाप्ति परिषद् को कमेटियों में विभाजित कर सकता था।<sup>८</sup> यदि परिषद् के अधिकांश सदस्य राज्य मंत्री के किसी

१ Clause II of the Act. Keith Speeches on Indian Policy, page 370.

२ Clause X of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७२

३ Clause XII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४.

४. Clause XIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४.

५. Clause XIX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४

६ Clause XXI of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७५.

७. Clause XXIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७५

८ Clause XX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७४

7) एक्ट ने पाँचवी बात यह की कि कम्पनी की स्थल और जल सेना को, राज्य-सत्ता के अधिकार में सौंप दिया। इनको "हर मैजिस्ट्री की भारतीय सेना और जलसेना समझा जायगा। इनका कार्य-क्षेत्र, उन्ही प्रदेशों में, उन्ही शर्तों पर और यथापूर्व वेतन, पेन्शन, भत्ता और विशेषाधिकार के अनुसार होगा। इनकी पदोन्नति भी उसी भाँति होगी जैसी कि उक्त कम्पनी की सेवा में होती।<sup>१</sup> भविष्य में भारतीय सेना में नई भर्तियों के नियम और उसकी शर्तें बदलन का राज्य-सत्ता को अधिकार दिया गया।

एक्ट ने छठी बात यह की कि उसने सपरिषद राज्य-मंत्री के लिए पार्लियामेण्ट के दोनों भवनो के समस्त गत वर्ष से पहले वर्ष का आधिक्य लेखा प्रस्तुत करने का नियम बनाया। इस लेखे के साथ में भारत को नैतिक और भौतिक प्रगति और स्थिति के प्रकटीकरण के लिए एक वक्तव्य भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।<sup>२</sup> एक्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध आरम्भ करने के लिए भारत में आदेश भेजने के तीन महीने के अन्दर ही पार्लियामेण्ट में उसका ब्यौरा दिया जाय। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय राजस्व का पार्लियामेण्ट के दोनों भवनो की स्वीकृति के बिना भारतीय सीमाओं के बाहर<sup>३</sup> किसी सैनिक काम के लिए उपयोग नहीं किया जायगा।

अन्त में १८५८ के एक्ट ने सपरिषद राज्य-मंत्री को एक समुक्त निकाय बना दिया जो भारत और इंग्लड में अभियोग का वादी अथवा प्रतिवादी हो सकता था।

( ७ )

भारत के श्रेष्ठतर शासन के लिए इस एक्ट को २ अगस्त १८५८ को राजकीय स्वीकृति-मिली। १ सितम्बर को कौर्ट ऑफ इंडियन प्रिन्सिपल्स (और) गभोरतापूर्ण सन्ना हुई और कम्पनी ने "पूर्व में अपने सेवकों के नाम अन्तिम आदेश दिये," भारत स्थित अपने अधिकारियों की बहुत प्रशंसा की और अपने उद्योग और साहस, और अपनी चतुराई से बनाए हुए साम्राज्य को अपनी राज्य-सत्ता को इन हृदयस्पर्शी शब्दों में प्रदान किया -

"हर मैजिस्ट्री इस मूल्यवान उपहार को—इस विस्तृत भारत देश और वहाँ के परिपूर्ण करोड़ों निवासियों को स्वयं अपने नियंत्रण में ले किन्तु वे उस बड़ी

१ Clause LVII *Kant's Speeches on Indian Policy* page 380

२ Clause LVI उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७९

३ Clause IV of the Act उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३८०.

कम्पनी को जिनमें उन्हें यह (उपहार) प्राप्त हुआ है विस्तृत न करें, और उस (कम्पनी) की सहायता में नीचे जान वाले पाठों को मुद्रा न दें।”<sup>१</sup>

इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य का अन्त हो गया।

---

<sup>१</sup> Smith The Oxford History of India page 707

## भाग २

भारत में ब्रिटिश राज्य

युग १

(सन् १८६१ से १८९२ तक)

पाँचवाँ अध्याय

## प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ

( १ )

सन् १८५८ के भारतीय शासन एक्ट के बनने से भारतीय इतिहास का एक बड़ा युग समाप्त हुआ और एक दूसरा बड़ा—ब्रिटिश राज्य का युग आरम्भ हुआ। १ नवम्बर १८५८ को इस हस्तान्तरण को राजकीय उद्घोषणा हुई। इस उद्घोषणा की भाषा सुन्दर और शालीन थी और वह उदारता, अनुग्रह, मित्रता और न्याय की भावना से परिपूर्ण थी। उसमें देशों राज्यों के शासकों को उनके अधिकारों, उनके मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का और सर्वसाधारण का धर्म की स्वतन्त्रता और न्याय के संरक्षण का आश्वासन था। साथ ही इस बात का विश्वास दिलाया गया कि किसी पद को नियुक्ति के लिए जाति और धर्म के कारण कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा और वह नियुक्ति केवल शिक्षा, योग्यता और उद्युक्तता के आधार पर होगी।

( २ )

१८५७ के भारतीय विद्रोह का मुख्य कारण था शासकों और शासितों के बीच सम्पर्क का अभाव। जैसा कि सर सैयद अहमद ने सचेत किया, परिपदों में भारतीयों का नियंत्रण करने की नीति ने सरकार को जनमत जानने के अवसर से वंचित कर दिया। साथ ही उक्त नीति के कारण ऐसी कोई भी सम्पर्क रखा न तो जहाँ से दृष्टिकोण और उद्देश्य के सम्बन्ध में सरकार और जनता के पारस्परिक भ्रम दूर किये जा सकें।<sup>१</sup> इसलिए सन् १८६० के अपने प्रसिद्ध लेख में सर वॉल फ्रेजर ने परिपदों में देशवासियों<sup>२</sup> को लेने पर जोर दिया।

भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन् १८५८ में भी उठाया गया था, किन्तु उस समय भी बहुत से देशवासी, अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध कर रहे थे। इसी कारण उस समय यह अधिकार देना अनौचित्य समझा गया। सन् १८६१ में पहली बार भारत में विधान-कार्य के लिए भारतीयों को साथ लेने की स्थापना हुई।

१. C. L. Anand Introduction to The History of Govt. in India Part II, pages 72 and 73.

२. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918. page 38.

( ३ ) Act of 1861

भारत के वैधानिक इतिहास में १८६१ के भारतीय परिषद एक्ट के महत्त्व के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह, कि उसने गवर्नर-जनरल को विधान के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया, दूसरा यह कि उसने बम्बई और मद्रास की सरकार को फिर से विधान-कार्य का अधिकार दिया, और अन्य प्रान्तों में भी वैसे ही विधान-परिषद बनाने की व्यवस्था की। इस प्रकार विधान की उस नीति का आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप अन्त में प्रान्तों को सन् १९३७ में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता (Complete Internal Autonomy) प्रदान की गई। तत्कालीन भारत-मन्त्री सर चार्ल्स ब्रुड ने पार्लियामेंट में अपने आरम्भिक व्याख्यान में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न को विस्तृत विवेचना की किन्तु उस (प्रतिनिधित्व के अधिकार) को प्रदान करना नितान्त असंभव माना गया।<sup>१</sup> किन्तु देशों राज्यों के शासकों, सामन्तों और उच्च वर्ग के भारतीयों को "अपने अगुओं राज्य के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से"<sup>२</sup> विधान-कार्य में साथ लेना आवश्यक समझा गया। अतः एक्ट में गवर्नर-जनरल को विधान कार्य के लिए कार्यपालिका-परिषद् में कुछ अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्देशित कर लेने का प्राधिकार दिया गया।

सन् १८६१ के एक्ट ने एक बात तो यह की कि उसने गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका-परिषद् में एक और—पाँचवाँ सदस्य बढ़ाया जो विधि वृत्ति से सम्बन्धित कोई न्यायकार अथवा वकील होना था।<sup>३</sup> परिषद् के पाँच सदस्यों में से तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होने थे जो नियुक्ति से पहले भारत में कम-से-कम दस वर्षों तक सेवा कर चुके हों।<sup>४</sup> शेष दो में से एक सदस्य स्कॉटलैंड का कम-से-कम पाँच वर्षों का अनुभवो बैरिस्टर या एडवोकेट होना था।<sup>५</sup> भारत-मन्त्री को सेनापति को

१. Pradhan India's Struggle for Swaraj, page 45.
२. ६ जन १८६१ का सर चार्ल्स ब्रुड का व्याख्यान देखिये। Keith-Speeches and Documents on Indian Policy. Vol. II page 7.
३. Clause III of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१
४. Clause IX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५
५. Clause VI of the Act. उपर्युक्त पुस्तक



(परिषद् का) अमाधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था। जिस प्रान्त में परिषद् की बैठक हो रही हो, उसके गवर्नर अथवा उप-गवर्नर को अमाधारण सदस्य की तरह परिषद् में सम्मिलित करने की व्यवस्था भी की गई। एक्ट ने सार्वभौम गवर्नर-जनरल को, क्षेत्र से गवर्नर-जनरल को प्रत्यागित अनुपस्थिति के लिए परिषद् का सभापति नियुक्त करने का प्राधिकार दिया। नये विधि और विनियमों पर अपनी स्वीकृति देने, न देने अथवा उनको सघाट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के अधिकार के अतिरिक्त इस सभापति को गवर्नर-जनरल के सारे अधिकार प्राप्त थे।<sup>1</sup> सार्वभौम गवर्नर जनरल को विधि और विनियम बनाने के अतिरिक्त अपने सब अधिकार गवर्नर-जनरल को दे सवने का प्राधिकार दिया गया था।<sup>2</sup>

एक्ट ने गवर्नर-जनरल को परिषद् का काम मुचाह रूप से चलाने के लिए नियम और जादेग बनाने का अधिकार दिया।<sup>3</sup> लॉर्ड कॅनिंग ने इस अधिकार का उपयोग मामू-नरकार में विभाग-व्यवस्था चलाने के लिए और विभागाध्यक्ष सदस्य (Member-in-charge of the Department) को अपने विभाग के छोटे बियोग का स्वयं तथा अधिक महत्वपूर्ण विषयों का वादनराय के परामर्श न निरदारा करन के लिए किया।<sup>4</sup>

सन् १८६१ के एक्ट ने इसकी बात यह की कि अपने विधि और विनियम बनाने के लिए वादनराय को परिषद् का विचार किया। परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संज्ञा छँ ने कम और चारह में अधिक नहीं होती थी। इन सम्बन्ध में यह बात आवश्यक थी कि इन प्रकार नियुक्त किये हुए व्यक्तियों में गैर-नरकारी मदस्यो की संज्ञा बाय से कम नहीं होगी।<sup>5</sup> अतिरिक्त मदस्यो का कार्य-काल दो वर्ष था। सन् १८५३ के एक्ट के अनुसार बतार्द हुई परिषद् द्वारा हरियाए हुए कामों को ध्यान में रखते हुए, उन बार सर चार्ल्स वुड ने परिषद् के अधिकारों को सावधानी से सीमित और निरिक्त कर दिया था।

१ Clause IX of the Act, Keith : Speeches and Documents on Indian Policy, page 25.

२ Clause VI of the Act. उपर्युक्त पुस्तक,

३ Clause VIII of the Act. उपर्युक्त पुस्तक

४ सन् १८५९ में लॉर्ड कॅनिंग ने विभाग-व्यवस्था को आरम्भ तो कर दिया था पर उसके लिए कोई भी बंध निर्देश अथवा वापाह नहीं था। सन् १८६१ के एक्ट में यह आधार मिला।

५ Clause XIX of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८-२९

✓ प्रदत्त विधानाधिकार भी सञ्चित थे। गवर्नर जनरल की पूर्ण स्वीकृति के बिना सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, धर्म, सेना और जल सेना से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे। गवर्नर-जनरल को किसी प्रस्ताव को निषिद्ध करने का और अध्यादेश बनाने का पूर्ण अधिकार था।<sup>१</sup> किसी एक्ट को अमान्य करन का राज-सूत्रा का अधिकार सुरक्षित था। राज-मता और पालियामेंट के साधारण अधिकार का स्पष्ट शब्दों में संरक्षण किया गया था।

१८६१ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने मद्रास और बम्बई की सरकारों को विधियों को बनाने और उनका संशोधन करने का अधिकार फिर से प्रदान कर दिया। इस सम्बन्ध में कुछ विषयों<sup>२</sup> के लिए गवर्नर जनरल की पूर्ण स्वीकृति लेना आवश्यक था। गवर्नर-जनरल को इन विधियों को निषिद्ध करने का और राजसत्ता को भारत-मन्त्री के परामर्श पर इन्को अमान्य कर देने का अधिकार था।

प्रान्तीय विधान कार्य के लिए हर प्रसीडेन्सी के गवर्नर को प्रसीडेन्सी के महाविबवना ( Advocate General ) को अपनी परिषद का सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। साथ ही परिषद के लिए अन्य अतिरिक्त सदस्य भी गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इनकी संख्या चार से कम और आठ से अधिक नहीं होती थी। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि इस प्रकार नियुक्त किये हुए व्यक्तियों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या आठ से कम नहीं होगी।<sup>३</sup> गवर्नर-जनरल को फोर्ड विलियम प्रेसीडेन्सी के बंगाल क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही विधान परिषद् बनाने के लिए निर्देश किया गया। इसके अतिरिक्त सपरिषद गवर्नर-जनरल को उत्तरी पश्चिमी प्रान्त और पंजाब नाम से प्रसिद्ध प्रदेशों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था करन का अधिकार दिया गया।<sup>४</sup> २५ जनवरी १८६२ में बंगाल के लिए, सन् १८८६ में उत्तर-पश्चिमी प्रान्त और अवध के लिए और सन् १८९३ में पंजाब के लिए, विधान परिषद की स्थापना हुई।

१ Clause XXII of the Act Keith's Speeches and Documents an Indian Policy page 30

२ भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व मुद्रा, डाक, तार, सेना, एक्स्चेंज, प्रतिस्पर्धाधिकार, और विदेश-नीति से सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए पूर्ण स्वीकृति लेना आवश्यक था।

३ Clause XXIX of the Act Keith : उद्धृत पुस्तक पृष्ठ ३५ और ३६

४ Clause 44 of the Act उद्धृत पुस्तक

कानून में गवर्नर-जनरल को विधान-कार्य के लिए नये प्रान्त बनाने और इनके लिए जनसंख्या नियन्त्रण करने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर-जनरल को किसी प्रेसीडेंसी, प्रान्त या प्रदेश को विभाजित करने अथवा उसकी सीमाएँ बढ़ाने-कटाने का भी अधिकार दिया गया।

( १ )

सन् १८६१ में पार्लियामन्ट ने दो महत्वपूर्ण एक्ट और बनाए। इनमें से एक का नाम था १८६१ का इंडियन मिजिल सर्विस एक्ट। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कुछ पदवीय नियुक्तियों का बंध बनाना था। उक्त नियुक्तियों, १८६३ के अधिकांश-कानून एक्ट की शर्तों के विरुद्ध गिन्तु समझ की राजस्व-सहायता, कर दो गई थी। भविष्य में लगभग सारी उच्च अर्थनिय नियुक्तियाँ सिविल सर्विस के अर्थियों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। इन नियुक्तियों का एक परिशिष्ट में निर्देश किया गया और इनमें कार्यपालिका-परिषद के सदस्य, भारत-सरकार और विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के विभाग के सचिव (Secretary), मुख्य लेखाध्यक्ष (Accountant General) राजस्व बोर्ड के सदस्य आदि में लेकर सहायक सचिव तक सभी सम्मिलित थे।

सुरक्षित भागन-भारी द्वारा निम्न नियमों के अनुसार, सिविल सर्विस कार्यपालिका में नियुक्तियों में उक्त कनेक्टेड सिविल सर्विस को शर्तों के लिए लन्दन में प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रतिद्वन्द्विता द्वारा छोट की जाती थी। सन् १८६० में परीक्षापरियों के लिए अधिकांश कानून की अधिकांश को पठान २२ वर्ष और १८६६ में फिर पठान २१ वर्ष कर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि भारतीय नवयुवकों को कनेक्टेड सिविल सर्विस में—और १८६१ के एक्ट के अनुसार पाठ्य वेतनी सारी उच्च अर्थनिय नियुक्तियों में प्रवेश पाने के लिए द्वार बन्द कर दिया गया और इन सम्बन्ध में पार्लियामन्ट और राज-सलाह द्वारा दिये हुए सारे आश्वासनों को खतरा की गई। सत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं शिक्षण परिस्थितियों में, भारतीयों के लिए उक्त कुशागरबन्धा में लन्दन जाकर परीक्षा में सफल करना असम्भव नहीं था। इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि सन् १८६० में भारतीय परिषद् के पांच सदस्यों की एक कनेक्टेड नियुक्ति की गई थी

१. १७९३ के एक्ट के अनुसार परिषद्-सदस्य के पद के नीचे की सारी अर्थनिय नियुक्तियाँ प्रेसीडेंसी के सिविल सेवकों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। परीक्षा के कार्य-काल के अनुसार विनियमित थी। इन प्रतिद्वन्द्वियों को माना नहीं गया। उन्हीं कारण १८६१ के एक्ट से ऐसी नियुक्तियों की बंध पाने की आवश्यकता हुई।

और उसे भारतवासियों के प्रति पार्लियामेण्ट के आश्वासनों को पूरा करने के लिए मार्ग बनाने का काम सौंपा गया था। इस कमेटी ने एक मात्र समझ मार्ग को सिफारिश की कि सिविल सर्विस की भर्ती के लिए इंग्लैण्ड और भारत में सम-कालिक परीक्षा की व्यवस्था की जाय। सिविल सर्विस आयोगको के यह कहने पर भी, कि उन्हें उक्त व्यवस्था करने में कोई प्रत्याशित कठिनाई नहीं है, उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया।<sup>१</sup> इस सम्बन्ध में यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस विषय पर तत्कालीन भारत-सरकार ने जो सरकारी पत्र प्रकाशित किये थे उनमें १८६० की कमेटी की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं की गई थी।

(५)

१८६१ का दूसरा एक्ट या भारतीय उच्च-न्यायालय (Indian High Courts) एक्ट। सन १८३३ और १८५३ के एक्टों के अनुसार नियुक्त किये गए विधि-आयोगको के परिश्रम के फलस्वरूप विधियों और पद्धतियों को सहितावद्ध किया गया था। दोबानो पद्धति सहिता १८५९ में भारतीय दण्ड सहिता १८६० म और फौजदारी पद्धति सहिता १८६१ में बंध हो गई। सन १८६१ का भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट बनाकर भारत में न्याय-कार्य को सुधारने के लिए एक और महत्वपूर्ण पग आगे बढ़ाया गया। इस एक्ट ने राज-सत्ता को स्पष्ट शर्तों में कलकत्ता मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया। इनकी स्थापना पर पुराने सर्वोच्च न्यायालय और सदर दोबानो तथा फौजदारी न्यायालय तोड़कर उनके क्षेत्र धिकार तय उच्च न्यायालयों को हस्तान्तरित होने थे। इन हर एक नए न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधिपति और अधिक-से-अधिक पन्द्रह अन्य न्यायाधिपति होने थे जिनमें से "मुख्य न्यायाधिपति सहित कम से-कम एक तिहाई के लिए नियुक्ति से पहले बैरिस्टर होना आवश्यक था और कम-से-कम एक तिहाई के लिए कवनेण्टड सिविल सर्विस का सदस्य होना आवश्यक था।"<sup>२</sup> अवशिष्ट स्थानों की पूर्ति ऐसे व्यक्तियों से होनी थी जो कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधिकारी रहे हो अथवा दस वर्ष तक वकील रहे हो। इन न्यायाधिपतियों का कार्य काल "हर मैजिस्ट्रो के प्रसाद-पर्यन्त था।"<sup>३</sup> उच्च न्यायालयों को स्थापित करने के निमित्त

१ Mr. Ramsay Macdonald's book. Government of India page 103

२ Clause II of the Act. Mukherjee: Indian Constitutional Documents, vol I page 391.

३ Clause IV of the Act उपर्युक्त पुस्तक।

राजकीय जाना में उन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार व्यक्त किया जाना था। एक्ट ने पुराने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अनिश्चित, इन नये न्यायालयों को अपने कर्षण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सब न्यायालयों का अधीन करने, उनके जाना-अन भंगाने अनिश्चित हो स्थापित करने और "उनके कार्य तथा उनकी पद्धति को नियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया।"<sup>१</sup> अन्त में एक्ट न हर मैजिस्ट्री को इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहर अपने भारतीय मामलों के अन्य किसी प्रदेस के लिए उक्त प्रकार के न्यायालय बनाने का अधिकार दिया।<sup>२</sup> सन् १८६६ में उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने के निमित्त इस अधिकार का उपयोग किया गया।

सन् १८६७ के भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट ने सरिपट्टू गवर्नर-जनरल को किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी प्रदेश या स्थान को दूसरे<sup>३</sup> न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित करने का अधिकार दिया। सन् १८६५ के एक्ट ने सरिपट्टू गवर्नर-जनरल को देशों राज्यों में रहने वाला, सभाओं को ईसाई प्रजा को उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में लाने का भी अधिकार दिया।

( ६ )

सन् १८६१ में एक एक्ट और बनाया गया जिसने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यूरोपीय नेता को पूर्ण सत्ता समाप्त हो गई। इन यूरोपियों को नियमित नेता में सम्मिलित होने का अवकाश पद-मुक्त होने को कहा गया। इसका अर्थ भारत में ब्रिटिश सैन्य शक्ति को घटाना नहीं था। इसके स्थान पर १८५७ के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन में उनकी काफी बड़ा हिस्सा था।

१८५७ के भारतीय विद्रोह के समय भारतीय सेना में ४०,००० यूरोपियन और २,१५,००० भारतीय थे। ब्रिटिश राजकीय सैन्य दल को कुछ सत्ता २५,२६३ थी।<sup>४</sup> इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में कम्पनी के लगभग १५,००० ब्रिटिश सैनिक थे। कम्पनी की सेना के तीन पूर्ण सैन्य-दल थे—एक बम्बई प्रेसीडेंसी के लिए, एक बंगाल के लिए और एक मद्रास के लिए। इनकी स्वतंत्र रूप से, विभिन्न नियमानुसार भर्ती होती थी। कम्पनी के इन नियमित

१. Clause XV of the Act. Mukherji: Indian Constitutional Documents.

२. Clause CXI of the Act उल्लिखित पुस्तक।

३. Clause III of the Act. उल्लिखित पुस्तक vol. I, page 412.

४. Appendix I. The Army in India and its Evolution (Government Publication) page 195.

इन्ध दलों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय और अनियमित<sup>१</sup> सैन्य-दल भी थे जो देश के विभिन्न भागों में तैयार किये गये थे।<sup>२</sup> कम्पनों के विभिन्न प्रकार के नियमित, अनियमित और स्थानीय सैन्य-दलों के अतिरिक्त, एक बहुत बड़ी ब्रह्म देशी सेना घोरे-घोरे तैयार हो गई थी जो समय पर ब्रिटिश सरकार के काम आ सकती थी। यह सेना देशी राज्यों की थी और इसकी कुल संख्या ३५,००० थी।<sup>३</sup>

१८५७ के विद्रोह से पहले हर प्रेसीडेन्सी का अपना स्वयं सैन्य-संगठन था। रक्षित युद्ध-काल में दूसरी प्रेसीडेन्सियों में लड़ने और सेवा करने के दायित्व को ऐतिहासिक रूप से माना जाता था किन्तु हर प्रेसीडेन्सी को अपना पृथक् सेना थी। आरम्भ से ही इन सेनाओं को किलों की वार दूसरी प्रेसीडेन्सियों में जाकर इकट्ठा पठा था किन्तु विभिन्न नियमानुसार भर्तों की हुई इन सेनाओं के सार्वजनिक सहयोग में कठिनाई होती थी। "बंगाल की सेना का वर्मानुसार बंभाजन था और उसमें उच्च वर्णों के लोग भर्तों किये गए थे। किन्तु बम्बई और मद्रास के सैन्य-दलों में निम्न वर्णों के लोग<sup>४</sup> भी मिले हुए थे। कुछ प्रेसीडेन्सियों में सैनिकों को अपना कुटुम्ब अपने साथ रखने के लिए स्थान दिया जाता था और कुछ प्रेसीडेन्सियों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए एक प्रेसीडेन्सी के सैनिक दूसरी प्रेसीडेन्सी में जाकर सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस सम्बन्ध में कई बार व्यवहार में आजा बग की गई यहाँ तक कि कभी-कभी उत्तका स्व विद्रोहात्मक भी हो गया।<sup>५</sup> तथापि सेना में अंग्रेजों और भारतीयों का सम्बन्ध रहा मित्रतापूर्ण-था। ब्रिटिश अधिकारियों को अपने सैनिकों में पूर्ण विश्वास था और उन्हें "भारतीय सैनिकों पर कोई सन्देह नहीं था। भारत के अधिकांश लोकमाने इसी सैनिकों के हाथों में थे।"<sup>६</sup>

१८५७ के बाद यह सब बदल दिया गया। १८५८ में पोल कमीशन नामक

१. अनियमित सेनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेना (पंजाब में) सिखों, पठानों और अन्य लडाकू जातियों से तैयार की गई थी। Strachey : India, Its Administration and Progress, page 477.

२. Chesney, Indian Polity, pages 285-286.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८६.

४. The Army in India and its Evolution, page 15.

५. The Army in India and its Evolution, page 17.

६. Strachey. India; Its Administration and Progress, 477.

सैनिकों के परस्पर सतुलन की नीति के फलस्वरूप की गई। मद्रास और बम्बई की सेनाओं के लिए अब भी स्थानीय और मिश्रित आधार पर भर्ती होती थी। किन्तु बम्बई के सैन्य-दलों में उत्तर भारत<sup>१</sup> के सिख और हिन्दुस्तानियों को भी मिला दिया गया।

२ पाँचवीं बात यह की गई कि यूरोपीय सैन्य-दल की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया गया। "यह निश्चित किया गया कि अनुपात में देशी सेना, यूरोपियन सेना के दूने से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हर प्रकार के सैनिकों को पूरी तरह यूरोपीय हाथों में ही रहने चाहिए।"<sup>२</sup> भारत में ब्रिटिश सैनिकों की अधिकतम संख्या ८०,००० निश्चित कर दी। सन् १८७९ में इनकी वास्तविक संख्या ६५,००० और भारतीय सैनिकों की संख्या १,३५,००० थी।<sup>३</sup> "देश के सारे किस्मों पर ब्रिटिश तोपखानों का आधिपत्य था। विभिन्न प्रकार की भारी तोपों को चलाने वाले सभी सैनिक यूरोपीय थे।"<sup>४</sup>

३ अन्तिम बात थी सैनिक-अफसरों की नियत संख्या के विषय में पुरानी व्यवस्था के दो दोषों का सुधार—एक तो विशिष्ट कार्यवश अफसरों के बाहर जाने पर उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्य-भार को उचित रूप से संभालने के लिए सुचारु व्यवस्था की गई, दूसरी बात यह कि सेवाओं में पदोन्नति की विभिन्नता को सुधारने के लिए सैनिक अफसर सैन्य-दल बनाए गये। सारे सेना के अफसरों को, चाहे वे किसी सेना या दल या किसी असैनिक पद पर काम करते हों, सम्बन्धित प्रान्त के अफसर दल का सदस्य होना आवश्यक था।

४ सन् १८६१ का सैन्य-पुनर्संगठन १८६३ में सम्पूर्ण हुआ। कुछ वर्षों में यह अनुभव किया गया कि नई व्यवस्था भी दोष-रहित नहीं थी। सन् १८७८-८० के अफगान-युद्ध के कारण स्थिति का फिर से परीक्षण करना आवश्यक हो गया। फलतः १८७९ में एक दूसरा आयोग<sup>५</sup> नियुक्त किया गया। इस आयोग की

zation 1879. Quoted by Strachey: India: Its Administration and Progress. page 480.

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८०

२. Report of the Commission, Strachey उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८०

३. Indian Army and its Evolution. page 21.

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९

५. यह कमीशन ईडन-कमीशन नाम से प्रसिद्ध है।

सैनिक-व्यय घटाने की मर्दें खोजने का और युद्ध की दृष्टि से भारतीय सेना को क्षमता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया।<sup>१</sup>

कमीशन की सिफारिश का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय घुड़-सवार सैन्य-दल आर पैदल सैनिका की टुकड़ियां में ब्रिटिश अधिकारियों नियुक्त कर दिए गए। साथ ही भारतीय सेना का घटाया गया और चार घुड़सवार सैन्य-दल और १८ पैदल सैन्य-दल तोड़ दिए गए। इसके अतिरिक्त हर घुड़सवार दल की शक्ति बढ़ाकर ४९९ के स्थान पर कुल ५५० कर दी गई और प्रत्येक पैदल सैन्य दल की शक्ति बढ़ाकर ७१२ के स्थान पर ८१२ कर दी गई।<sup>२</sup>

ईटन-कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश प्रेसीडेन्सी सेनाओं को वस्तुतः तोड़ देने के सम्बन्ध में थी किन्तु इसको सन् १८९५ तक कार्यान्वित नहीं किया गया। सैन्य नियंत्रण और मगटन के एकीकरण में सम्बन्धित परिवर्तनों का वांछित वाद के अध्याय में किया जायगा।<sup>३</sup>

कम्पनी के हाथों से राजसत्ता के हाथों में शक्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप ये परिवर्तन हुए १८५८ में कम्पनी की जल-सेना भी राजसत्ता की हस्तान्तरित कर दी गई किन्तु इस राजकीय (ब्रिटिश) जल-सेना में मिलाया नहीं गया बल्कि सन् १८६३ में उसका तोड़ दिया गया। यह निश्चय किया गया कि भारत की समुद्री रक्षा का दायित्व राजकीय (ब्रिटिश) जल-सेना पर रहे। भारत, ब्रिटिश राज्य काल में अपनी समुद्री रक्षा के लिए, सदैव (ब्रिटिश) राजकीय जल-सेना पर निर्भर रहा और उसने उक्त जल-सेना के निर्वाह के लिए १ लाख पाँड का वार्षिक अग्रदान दिया। पहले महायुद्ध के बाद एक राजकीय भारतीय जल-सेना (Royal Indian Marine) बनाई गई किन्तु उसका काम सेनाओं के यातायात, बन्दरगाहों के निरोक्षण और समुद्री भाग तक ही सीमित था।

१ The Army in India and its Evolution. page 21.

२ उक्त पुस्तक, page 21.

३ इसी पुस्तक का अध्याय १३ देखिये।



## शासन और राजनीति में परिवर्तन

( १ ) ✓

सन् १८६१ का विधान बड़े मौलिक महत्त्व का था। उसने १८६१ के एक्ट के साथ भारतीय शासन के लिए एक पूरा ढाँचा तैयार किया, जो बाद में विधानों द्वारा बहुत से परिवर्तन किये जान पर भी भारत में ब्रिटिश राज्य के अन्त तक बना रहा।

शासन के ढाँचे में पहला परिवर्तन १८६९ के भारत-शासन-एक्ट द्वारा किया गया। इनके अनुसार भारत मंत्री को भारत-परिषद् के गिकन होनेवाले स्थानों की पूर्ति करने का अधिकार दिया गया। परिषद् के सदस्यों का कार्य काल जो पहले सदाचार पर्यन्त था, अब दस वर्षों के लिए निश्चित कर दिया गया।

सन् १८७० में एक और एक्ट बनाया गया। यह सन् १८७० के भारतीय परिषद् एक्ट ( Indian Councils Act ) नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार पहली बात ता यह हुई कि सपरिषद् गवर्नर जनरल को कुछ विषयों में विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। इनको विधान-परिषद् के समझ रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक्ट के विभाग न० १ को किसी प्रान्त या क्षेत्र पर लागू कर देने पर वहाँ को कार्यपालिका सपरिषद् गवर्नर-जनरल के समझ विनियमों के लेख और उनके प्रस्ताव करने के कारण प्रस्तुत कर सकती थी। उक्त लेखों को सपरिषद् गवर्नर-जनरल की स्वीकृति मिल जाने पर वे नियम, विधान-परिषद् में प्रस्तुत हुए बिना और बिना उसकी स्वीकृति पाए ही, केन्द्रीय और म्यान्सोय सूचना-पत्रों (Gazettes) में प्रकाशित होने पर बंध हो जाने से।

सन् १८७० के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उनमें यह नियम बनाया कि जिस प्रदेश में केन्द्रीय विधान-परिषद् की बैठक हो रही हो, वहाँ के उप-गवर्नर अथवा चीफ कमिश्नर को एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में परिषद् के काम में सम्मिलित किया जाय।

इस एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया कि यदि उसके मतानुसार भारत में अथवा उसके किसी भाग में, शान्ति,

१ सन् १८६५ के एक्ट के अनुसार सपरिषद् गवर्नर-जनरल का वैधानिक क्षेत्र-धिकार पहले तो देशों राज्यों की ब्रिटिश प्रजा पर बढाया गया। बाद में १८६९ के एक्ट के अनुसार यह अधिकार सम्राट् की सारी भारतीय प्रजा पर दे दिया गया चाहे कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो अथवा विदेश में हो।

सुरक्षा और ब्रिटिश हिता का कोई मसूदा है तो वह अपनी परिपद के बहुमत के विरोध में भी उक्त वाता का प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को न छेड़ देन अथवा अस्वीकार कर सकता था (अथवा आवश्यकतानुसार) वैध और कार्यान्वित कर सकता था। उन विषय के तथ्य और विरोध में अभिलिखित कारणों का दो या अधिक सदस्या को इच्छा पर भारत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था।

अन्त में एक्ट ने गवर्नर जनरल को सिविल सर्विस में भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार दिया। इन नियुक्त भारतीयों का इंग्लैण्ड की परीक्षा में सफल होने का आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन् १८६१ के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, सन् १८६० और १८६६ के परीक्षा-सम्बन्धी विनियमों और भारत को तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों ने देश-वास्तव्या के लिए सहायक कर्कटर में उच्चतर पद पाने के लिए द्वार बन्द कर दिया था। असन्तोष का घमन करने के लिए लॉर्ड लॉरेन्स ने विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ स्थापित की। इनका उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों को इंग्लैण्ड जाकर पढ़ने के लिए और भारत की सिविल सर्विस अथवा अन्य सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रत्येक छात्रवृत्ति में २०० पाँड प्रति वर्ष दिये जाते। किन्तु तत्कालीन भारत-मन्त्रा ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहीं किया और यह छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर दी गईं। किन्तु जैसा कि सन् १८७० के एक्ट में उल्लेख किया गया है, सरकार ने इन बात की आवश्यकता अनुभव की— 'एक प्रमाणित प्रतिभा और योग्यता के भारतीयों को सिविल सर्विस में भर्ती करने के लिए अधिक सुविधाएँ' प्रदान की जायँ। एक्ट के खंड न० ६ में दी हुई धाराओं का वाचनवित्र करने के लिए भारत-सरकार से नियम बनाने को कहा गया।

( २ )

भारत-सरकार को सन् १८७० में एक्ट की व्यवस्था सचिकर नहीं थी फलतः भारत-मन्त्री द्वारा बार-बार अनुबोधन करने पर भी, उसने १८७३ तक इन विनियमों को नहीं बनाया। जब अन्त में ये विनियम बनकर इंग्लैण्ड पहुँचे तो राज-मत्ता के विधि-अधिकाारियों ने उनको एक्ट के उद्देश्य और उसकी भावना

१. Clause VI of the Act Mukherjee: Indian Constitutional Documents vol I page 235.
२. G. L. Anand History of the Government of India, part II page 255.

के विलकुल विरुद्ध पाया। इन विनियमों में एक्ट<sup>१</sup> का अर्थ अत्यन्त सङ्कुचित कर दिया गया था। सन् १८७५ में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की सरकार द्वारा नये नियम बनाए गए। इन नियमों को सिविल सर्विस के न्याय-विभाग की एक या दो नियुक्ति के अतिरिक्त कार्यान्वित ही नहीं किया गया।<sup>२</sup> सन् १८७९ में भारत-सरकार ने एक (मि० रैमजे मैकडोनेल्ड के शब्दों में गृहित) राज-पत्र में भारतीयों के लिए कवेनेण्टेड सिविल सर्विस का द्वार बन्द करने का प्रस्ताव किया। वायसराय (लॉर्ड लिटन) ने इस राज-पत्र के साथ एक गुप्त पत्र में अपने मनोभावों को प्रकट किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया "कि इंग्लैंड और भारत, दोनों की ही सरकारें इस आक्षेप का सन्तोषप्रद उत्तर देने में असमर्थ हैं कि उन्होंने प्रदत्त प्रतिज्ञाओं को पूर्ण रूप से<sup>३</sup> भंग करने के लिए प्रत्येक समभव उपाय का उपयोग किया है। . . . . . शिक्षित देशी व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और सरकार इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किये बिना ही, उनको वृद्धि को प्रोत्साहन दे रही है। एक्ट की उन व्यवस्थाओं के अनुसार, जिन्हें इन देशी आदिमियों ने पढ़कर हृदयगम किया है, यदि उन नौकरियों में, जो अब तक कवेनेण्टेड सिविल सर्विस के सदस्यों के लिए सुरक्षित रही हैं, किसी देशी आदमी को लिया गया तो पदोन्नति के निष्पक्ष नियमानुसार उसे उच्चतर पदों पर पहुँचने की आशा होगी और इस पदोन्नति के लिए उसका अधिकार होगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि ऐसी आशाओं और इन अधिकारों को न तो पूरा किया जा सकता है और न पूरा किया जायगा। हमको दो में से एक बात छाँटना है—या तो हम उन पर रोक लगा दें या उन्हें धोखा दें और हमने कम-से-कम सोचा रास्ता छाँटा है। इंग्लैंड में परीक्षा का प्रबन्ध, और हाल ही में परीक्षार्थियों के लिए घटाई हुई आयु—ये सब ऐसे निश्चित और स्पष्ट छल हैं जो एक्ट को निरर्थक बना देते हैं।"<sup>४</sup> फ्रॉन्ट लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के लिए कवेनेण्टेड सिविल सर्विस का द्वार बन्द करने का, और साथ ही १८७० के एक्ट की धाराओं का पालन करने के उद्देश्य से देशी लोगों के लिए एक अवगुणित नौकरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया। किन्तु

१. Quoted by Ramsy Macdonald in his *Government of India*, Page 103
२. Decennial Report on Moral and Material Progress, 8892, Extracts given by Chablan and Joshi: Readings in Indian Constitution and Administration page 361.
३. Ramsay Macdonald, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १०४।
४. CL Anand: *History of Government in India*, part II, page 255 के एक उद्धरण का अनुवाद.

और कुछ वर्गों को अनुचित लाभ होगा। साथ ही यह कहा गया कि प्रतिवर्ष भूति करने के लिए कुछ गिने-चुने स्थान होंगे और अधिकांश परोक्षार्थियों के अमफल और निरास हाने से एक ऐसा असन्तुष्ट वर्ग बन जायगा जो सरकार के लिए व्यग्रता का कारण हो सकता है।<sup>१</sup> अन्त में आयोग ने “(भारत में स्थायी रूप से अग्रज अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालों) उक्त सर्विस को भर्ती अग्रज सिद्धान्तों और शासन-दृष्टि के अनुकूल करने के महत्त्व पर जोर दिया।<sup>२</sup> सर जॉन स्ट्रैची ने वास्तविक कारण को अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट किया “हमारे उद्देश्य के बारे में किसी प्रकार का कपट नहीं है। यह उद्देश्य उन कार्यपालक पदों को—जिनकी सरया बहुत नहीं है—अपने आदमियों के हाथों में रखना है। (भारत) देश में हमारा राज्य इन (आदमियों) पर और हमारी राजनीतिक और सैनिक शक्ति पर निर्भर है।”<sup>३</sup>

आयोग को स्पष्टतः एक ऐसी योजना की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था, कि जिसके अनुसार सिविल सर्विस में भारतीयों की विस्तृत और उच्चतर नियुक्ति के सम्बन्ध में, उन (भारतियों) के प्रति न्याय किया जा सके। आयोग की सिफारिशों पर कवेनेण्टेड सिविल सर्विस नाम तोट दिया गया और समस्त लोक-सेवाओं को तीन श्रेणियों—साम्राज्यीय, प्रान्तीय और अधीन—में विभाजित कर दिया गया। सारे महत्त्वपूर्ण उच्च पद पहले श्रेणी के अन्तर्गत थे और इनके लिए नियुक्ति सपरिपद भारत मंत्री के आधीन थी। इनमें से अधिकांश पदों से भारतवासी, जातीय प्रतिबन्ध<sup>४</sup> अथवा नियम, विनियम<sup>५</sup> की व्यावहारिक कठिनाइयों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए थे। इंडियन सिविल सर्विस के लिए अब

१. Report of the Public Service Commission 1886  
page 49

२. उपर्युक्त रिपोर्टें।

३. Strachey India Its Administration and Progress  
page 54.

४. पुलिस परीक्षा में ब्रिटिश प्रजा के यूरोपीय व्यक्ति ही बैठ सकते थे।

५. सार्वजनिक निर्माण विभाग (P W D), वन-विभाग आदि के लिए या तो राजकीय इंजीनियरों अथवा हिल कालेज के स्नातकों की नियुक्ति की जाती। इनका व्यय भारत के सिर मटा जाता किन्तु इनमें ब्रिटिश प्रजा के यूरोपीयनों को ही प्रवेश मिल सकता था। विदुद्ध भारतीयों को प्रवेश पाने में बहुत कठिनाई होनी। इसके बाद भी एक निश्चित अल्पसंख्यक प्रतिशत से अधिक संख्या में भारतीय नियुक्त नहीं किये जा सकते थे।

अधिकतम आय २३ वर्ष कर दी गई थी ताकि कुछ भारतीय विद्यार्थी-स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठ सकें। अन्य दो श्रेणियों के लिए भर्ती, माध्याह्निक, भारतीयों को बढ़ावा देना हीने हुए लोगों में से, प्रान्तीय सरकारों द्वारा की जानी थी। विधिवत् सिविल सर्विस लीड दी गई और उसके स्थान पर कुछ पद—जिनकी संख्या समस्त भारत के लिए केवल ६१ थी और—जिन पर उच्च सेवा के सदस्य आमोन थे सूचीबद्ध किये गए और उनके लिए पदोपति द्वारा प्रान्तीय सेवकों की नियुक्ति कर दी गई। इन प्रकार धन में १८७० के एक्ट की धाराओं का सूचीबद्ध पदों की व्यवस्था से पालन किया गया। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इन पदों के सेवक उच्च सेवा में प्रवेश नहीं पा सकते थे और उन्हें मूलाधिकारों का अधिकार दो निहाई केलन मिलता था।

( ३ )

गवर्नर जनरल और भारत-भरी दोनों की ही परिपरी में उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत के दिवसों द्वारा घोषणा-परिवर्तन किया गया। सन् १८७४ के भारतीय परिषद एक्ट ने हर मैजिस्ट्री की आयुधाय की परिषद के लिए छटा—सांस्कृतिक निर्माण कार्य-सम्बन्धी—सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। हर मैजिस्ट्री का आयुधायता होने पर परिषद के सदस्यों को सभा पदा-कर फिर बांध करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए विधि-सदस्य के अनिश्चित अन्य किन्हीं सदस्य द्वारा अचानक प्रेषण करने पर रिक्त स्थान की पूर्ति न करने का नियम था।

१८७६ के भारतीय परिषद एक्ट ने भारतीयों को विशेष और निश्चित योग्यता वाले व्यक्तियों को भारतीय परिषद के सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। किन्हीं समय तब से अधिकांश नियुक्तियाँ नहीं की जा सकी थीं। यद्यपि १८६९ के एक्ट के अनुसार परिषद के सदस्यों का कार्य-काल दस वर्ष कर दिया गया था किन्तु उक्त सदस्यों का कार्य-काल सदाचार पर्यन्त था। समय से पहले किन्हीं सदस्य को कार्य-अवधि की विशेष कारणों से समाप्त करने पर, एक ऐस में उन कारणों की पार्लियामेंट के दोनों भवनों के समक्ष रखना आवश्यक था।

इसके बाद का विचार है कि यह एक्ट भारतीय परिषद में सर हेनरी मॉन्ट की नियुक्ति के उद्देश्य से बनाया गया था।

सन् १८८९ में भारतीय परिषद-न्यूनन एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार भारत-भरी का, भारतीय परिषद की सत्ता दस न हो जाते तब रिक्त स्थानों की पूर्ति न करने का अधिकार दिया गया था।

1. Clause I. of the Act. Mukherjee : Indian Constitutional Documents, page 191.

( ४ )

सन् १८७६ में राजकीय उपाधि एकट बनाकर १८५८ को कमी को पूरा किया गया। उस समय १८५८ में कम्पनी द्वारा भारतीय शासन को राज-पना के हाथों में सौंपने के फलस्वरूप, इंग्लैण्ड की महारानी के पद और उसकी स्थिति में कोई (बैध) परिवर्तन नहीं किया गया था। उपर्युक्त उपाधि के अभाव में भारतीय शासको द्वारा एक सम्भ्रम का बराबर अनुभव किया जा रहा था और १८७५-७६ में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स (इंग्लैण्ड के राजकुमार) के आने के कारण एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।<sup>१</sup> अब लॉर्ड नाँयंत्रक की सरकार ने महारानी द्वारा एक नई उपर्युक्त उपाधि धारण करने के लिए प्रस्ताव किया। ऐश्वर्य-प्रेमी, साम्राज्यवादी डिजरायलो को, जो उस समय इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री था, यह प्रस्ताव बहुत रुचा। फलतः १८७६ का राजकीय उपाधि-एक्ट बना। इस एक्ट के अनुसार हर मैजेस्टी को पूरी उपाधि यह हुई "ईश्वरानुग्रहोना, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के सयुक्त राज्य की महारानी, धर्मरक्षिका और भारत की सम्राज्ञी, विक्टोरिया 1"<sup>२</sup> (Victoria, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith and Empress of India )

इस एक्ट का एक परिणाम यह हुआ कि देशों राज्य, भारतीय साम्राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत आ गए और भारतीय शासको को वैध स्थिति बदल गई। वे सर्वोच्च सत्ता के भिन्न होने के स्थान पर साम्राज्यवादी नरेश हो गए। देशों राज्यों के साथ संधि में जिन अन्तर्राष्ट्रीय विधि विद्वानों को मान्यता दी गई थी, अब वे अमान्य हो गए। "सर्वोच्च सरकार को हिमा सरक्षित राज्य के आन्तरिक विषयों में सकाकरण हस्तक्षेप करने और आवश्यकता होने पर शासक को भी बदल देने में अब कोई शिक्का नहीं रहो।"<sup>३</sup>

१. उपर्युक्त पुस्तक (Page XXVIII).

२. भारत को सम्राज्ञी के लिए भारतीय भाषा में कर्नरे-हिन्द का उस समय उपयोग किया जिसका कारण उसका ऐतिहासिक और साम्राज्यवादी स्वरूप था।

३. Smith · Oxford History of India, Pages 739-40 से भारत-सरकार के १८९१ के एक प्रस्ताव का अनुवाद—भारत-सरकार (जो सम्राज्ञी का प्रतिनिधित्व करती है) और देशों राज्यों के (जो सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत हैं), पारस्परिक सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का कोई प्रश्न ही नहीं है। सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत देशों राज्य, प्रतिनिधि भारत-सरकार के अधीन है।

(५)

सन् १८६१-९० में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में, अन्तिम प्रदेश को अनुबंधित किया गया। विलेन्ट स्मिथ के वाक्यांश में, "जब कुछ लेने का मोह ही नहीं रहा था।" ब्रिटेनो प्रभाव का दूर गन्त के उद्देश्य में दो बड़े युद्ध लड़े गए। अफगान-युद्ध में रूस के प्रभाव का और बर्मा-युद्ध में फ्रांस के प्रभाव को दूर रखना था।

१८५७ के विद्रोह के बाद भारत-सर्वकार ने हुमन निष्पत्तता की नीति का अनवरण किया था और उसके कारण हस्त-प्रतिष्ठान में रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इसका निवारण के लिए लाई रिपन को गवर्नर-जनरल बनाकर भारत भेजा गया। जनतंत्र-संस्था में केंद्रों के महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार किया। अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध प्राप्त किया गया, जो नवम्बर १८७८ में आरम्भ हुआ। कुछ समय बाद शान्तता विजय हुई और २६ मई १८७९ की गुटमब की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पिशीत जिला प्राप्त हुआ और अफगानिस्तान के (विदेश) सम्बन्ध ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। किन्तु यह सन्धि कुछ ही महीनों में समाप्त हो गई। ३ नवम्बर १८७९ को काबुल में अफगान-राजकुमार को बन्धक कर दिया गया। फलतः हुप्पर एवं स्वयंपूर्ण युद्ध आरम्भ किया गया। अन्त में लाई रिपन ने प्रयोग अनुरोहमान से समझौता किया, जो अधिक स्यासी सिद्ध हुआ। इसके अनुसार अफगानिस्तान पर ब्रिटिश नियंत्रण हा गया और पिशीत भी भारत-सर्वकार के अधिकार में रहा।

तीसरा बर्मा-युद्ध हिन्द चीन की ओर से फ्रांसीसी प्रभाव को दूर रखने के लिए लड़ा गया। यह केवल एक सप्ताह तक चला और २५ नवम्बर सन् १८८६ को समाप्त हो गया। फलतः उत्तरी बर्मा ब्रिटिश अधिकार में आ गया और नरेस घाँवों का (बर्मा में) निर्वाहिन कर दिया गया।

सातवाँ अध्याय

## वैधानिक विकास

१८६१-१८९२

(१)

सन् १८६१ और १८९० के बीच, भारत में वैधानिक महत्व को बिलकुल ही पटनाएँ हुईं। ब्रिटिश राजपराने और भारतीय नरेशों तथा जनता में पारस्परिक विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुए। सन् १८६९ में महाराणी बिकटोरिया के द्वितीय पुत्र हिन रॉबल हार्नेस ड्यूक ओफ एडिनबरा भारत आए और १८७५-७६ में

सरकारी (ब्रिटिश) राजकुमार ने जो बाद में एडवर्ड सप्तम हुए सारे देश का पर्यटन किया और उन्हें जनता का उत्साहपूर्ण हार्दिक स्वागत प्राप्त हुआ। इसी समय में भारत-सरकार और गृह-सरकार में गभीर मतभेद उठ खड़े हुए और फलतः वायसराय ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इस युग की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ ये हैं—  
१८७८ में वर्नाक्युलर प्रेस (समाचार-संपादन) एकट बना और रद्द हुआ, १८७८ में भारतीय दसव्व एक्ट बना, कपास पर सीमा शुल्क समाप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों के न्याय और उनकी निष्पक्षता के प्रति विश्वास समाप्त हो गया, देश में आर्थिक निक्षेपण और स्वामीय स्वशासन के विस्तार की नीति विकसित हुई, इल्लस्ट्रेट बिल पर भीषण और आवेशपूर्ण विवाद हुआ, और इंडियन नेशनल काँग्रेस तथा देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थापना हुई।

( २ )

१८५८ के एक्ट में गवर्नर-जनरल और भारत-मंत्री की पारस्परिक वैधानिक स्थिति को सुस्पष्ट कर दिया गया था। जैसा कि भारत-मंत्री ने १८७१ में एक राज-पत्र में कहा, "भारतीय विषयों के अंतिम नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार गृह-सरकार को है।" स्वयं भारत में व्यवस्था करने वालों की उच्च प्रतिष्ठा, "जुझे अधीनता के आवश्यक बंधन से तनिक भी मुक्त नहीं करती।" फिर भी १८७० तक व्यवहार में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। (भारत के) स्वामीय शासक को बहुत बड़ी स्वतन्त्रता थी। संचार साधन की कठिनाइयों और देरी के कारण भारत मंत्री कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं कर पाता था और प्रायः वायसराय, इंग्लैंड के अधिकारियों के समक्ष कार्यान्वित प्रस्ताव के तथ्य प्रस्तुत करता था। वस्तुतः भारत का अधिकारी वर्ग भारत मंत्री को "वायसराय का प्रतिनिधि समझने लगा था जो उस (वायसराय) के कामों को इंग्लैंड की पार्लियामेण्ट और जनता को समझाना था।" किन्तु १८७० में इंग्लैंड से लाल सागर होने हुए भारत तक समुद्री तार की लाइन पूरी हो जाने पर स्थिति बिल्कुल बदल गई। भविष्य में भारत-मंत्री के लिए भारत-सरकार का पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो गया और १८७० के बाद इंडिया ऑफिस (अर्थात् सररिपट्ट भारत-मंत्री का कार्यालय) हर विषय में—कार्यपालिका और विधान में—सिद्धान्त और साथ ही व्यवहार की छोटी बातों में भी नियंत्रण

१ Report on Indian Constitution Reform 1918 pages 22 and 23 के एक उद्धरण का अनुवाद

२ Sir Bartle Frere, Quoted by Dodwell History of India



करने लगा। बंदोबस्त निष्पत्ती के कारण मसफे के अक्सर बढ़े,<sup>१</sup> और बनी-बनी निष्पत्ति इतनी विकट हो गई कि बाइसरायों को त्याग-पत्र देने पड़े। १८७६ में लॉर्ड नाइंघम के साथ यही बात हुई।

( २ )

गृह-सचिव और लॉर्ड नाइंघम की सरकार में उपयुक्त गभोर मनमैद करान के सीमा-सुन्ध तोड़ने के प्रश्न पर हुआ। यह अनिलेख करते हुए दुख होता है कि भारतीयों के लिए और किसी बात ने इतनी स्पष्टता में अंग्रेजों के त्याग और निष्पत्ती के प्रश्नों को खड़ा और खोलना सिद्ध नहीं किया किना कि भारत के सीमा-सुन्ध-संबंधी इन विवाद ने। लरायावर के स्वार्थ के लिए भारतीयों हितावा निश्चयता<sup>२</sup> के साथ जान-बूझकर बलिदान कर दिया गया।

भारतीय करान-उद्योग की वृद्धि से उत्पन्न हुए मंचेस्टर के चेम्बर ऑफ कॉमर्स (अवकाशो मनुदाय) ने जनवरी १८७९ में भारत-भवा का एक स्मरण-पत्र भेजा और उसमें सूत्र पर ६५ प्रतिशत और सूती कपड़े पर ५ प्रतिशत के तत्कालीन भारतीय आयात-सुन्ध का विरोध किया गया। साथ ही यह आक्षेप किया गया कि ब्रिटिश भारत में सर्वोत्तम व्यापार बंद रहा है जो भारत और विदेश दोनों के ही अहित में है।<sup>३</sup> जल्द में उक्त सीमा-सुन्ध ताद देने का मांग का गया। भारत-सरकार ने एक विशिष्ट मन्त्रिण का सिफारिस पर आयात-सुन्ध को दर घटाने का निर्णय किया और लम्बे रेशे वाली करान पर ५ प्रतिशत आयात-सुन्ध लगाने के लिए भी अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु करान पर सीमा-सुन्ध नादने के लिए मना किया, क्योंकि "उससे देशी उद्योग का वस्तुतः कोई नरक्षण नहीं हो सकता था।"<sup>४</sup> भारत-भवा और भारत-सरकार ने एक-दूसरे को बड़े राव नय-नय भेजे, किन्तु दोनों की स्थिति वही रही। गृह-सचिव का यह आक्षेप था कि करान

१ विशेषकर उन समय जब भारत भवा और बाइसराय विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक हों, तथा लॉर्ड नाइंघम और तत्कालीन भारत-भवा।

२ सर जॉन स्टीवो ने विधान-परिषद् में १८७७ में स्पष्ट कहा, "मंचेस्टर के हिंदू, किनको कुछ मूर्ख अथवा कराल हैं, केवल एक बड़े और जाग्रत धर्म के ही हिंदू नहीं हैं बरन उनमें करोड़ों अंग्रेजों का म्वाय है। मुझे यह कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मेरी दृष्टि में, अपने देश के प्रति मेरे कर्तव्य से बहकर और कोई कर्तव्य नहीं है।" Bannerjee - Fiscal Policy in India, pages 75 and 76 से अनूदित।

३ Report of Indian Fiscal Commission, 1922, page 88.

४ Bannerjee उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९०

सीमा-शुल्क से "भारतीय निरमाता को झूठा प्रोत्साहन मिलता था और उसका भारतीय और साम्राज्य के हितों पर गभीर प्रभाव था।"<sup>१</sup> भारत-सरकार ने अपने मन-समयों के लिए तद्वर और आकड़े बनाते हुए यह कहा. "कि (उक्त) शुल्क सरसणात्मक नहीं था, भारत-सरकार इतनी राजस्व-आय का बलिदान नहीं कर सकती थी, और सरकार का यह कर्तव्य है कि इस विषय पर विचार करते समय वह भारतीय हितों का ध्यान रखे और आयतन-शुल्क को तोड़ना इन हितों के विरुद्ध है।"<sup>२</sup> लॉर्ड नाँबेंद्रक भारतीय हितों का बलिदान करने को तैयार नहीं थे। फलन उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा और उनका स्थान लॉर्ड लिटन ने लिया। नये वायसराय ने अपने अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रुचो को सहायता से ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट की आज्ञाओं का पालन किया। इस आज्ञा के अनुसार "भारत की आर्थिक परिस्थितियों में जैसे ही संभव हो कपास के माल पर वर्तमान सीमा-शुल्क को अविलम्ब" तोड़ देना था। इसके पालन के लिए वायसराय को अपनी परिषद् के बहुमत<sup>३</sup> को अवहेलना करना पड़ा। सर असंकोन पैरो के मनाबुसार वायसराय का यह कृत्य "अवैधानिक और भविष्य के लिए जोखिमपूर्ण उदाहरण था।"<sup>४</sup> भारत-शासन-एक्ट के विभाग न० ४१ के अनुसार वायसराय को केवल उस समय अपनी परिषद् के बहुमत को अवहेलना करने का अधिकार था जब उसकी सम्मति में, "ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा, शांति या उसके हितों को कोई संकट हो।"

वायसराय के कृत्य से भारत में जनमत अत्यन्त दुःख हुआ। "३ मई १८७९ को बम्बई में एक प्रतिष्ठित और बड़ी सभा हुई। उसमें हाउस ऑव कॉमन्स के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया।"<sup>५</sup> भारत मंत्री की

१. Bannerjee Fiscal Policy in India पृष्ठ ७२

२. उरयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६८

३. Report of Indian Fiscal Commission 1922 page 95

४. परिषद् के चार सदस्यों के विरोधी अधिलेख ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य हैं।

५. Bannerjee Fiscal Policy in India page 84 के एक उद्धरण का अनुवाद।

६. Mody · Sir Pherozeshah Mehta vol I page 105

भारत के यूरोपीय व्यापारी समुदाय ने भी वायसरॉय के कृत्य की तीव्र निन्दा की। उदाहरण के लिए बंगाल के व्यवसायी समुदाय ने गवर्नर-जनरल को यह लिखा कि यह अत्यन्त दुःख की बात है "कि श्रीमान् की सरकार को प्रजा के हितों और उनकी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध इंग्लैंड के अल्प

सरकार को ध्वराहट हुई और उसने दमन की नीति को अपनाया। फलस्वरूप उस वर्ष का वर्नाकुलर प्रेस (समाचार-संपादन) एक्ट बना और साथ ही भारतीय सशस्त्र एक्ट भी बनाया गया।

१३ मार्च १८७८ को वायसराय ने भारत-मंत्रों के पास एक तार भेजकर सन् १८७० के आइरिश कोअर्शन एक्ट के नमूने पर एक समाचार-सम्पादन विधि बनाने के लिए तार द्वारा स्वीकृति भेजने का निवेदन किया। वायसराय ने अपने तार में उक्त विधि की रूप रेखा भी दी और "देशी समाचार-पत्रों की उग्र और अब प्रत्यक्ष रूप से विद्रोहोत्तेजक भाषा के कारण" स्थिति को भयावह बताया। दूसरे ही दिन अनुमति प्राप्त हो गई। उसी दिन विधेयक प्रस्तुत किया गया और दो घंटों में कानून बना दिया गया।

सन् १८७८ के इस एक्ट ने जो प्रायः 'गैंगिंग (मुखावरोधक) एक्ट' नाम से प्रसिद्ध है, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वह—प्रान्तीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से— किन्हीं मुद्रक अथवा प्रकाशक को प्रतिभूति (Security) जमा करने अथवा शर्तनामा लिखने की आज्ञा दे सकता था—जिस शर्तनामे के अनुसार वह मुद्रक या प्रकाशक ऐसी कोई बात मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता था जिससे सरकार के प्रति अमानि की और विभिन्न जातियों में परस्पर घृणा की भावना उत्तेजित होने का भय हो। अवाञ्छित प्रकाशन होने पर, सरकार की चेतावनी देने और मुद्रणालय और प्रतिभूति आदि को जबरन करने का अधिकार दिया गया। इसमें बचने का दूसरा मार्ग यह था कि मुद्रक सरकारी अधिकारी के ममक्ष पहले मुद्रण के बाद किन्तु प्रकाशन से पहले सारे लेख प्रस्तुत करे और उस अधिनामी द्वारा अस्वीकृत सारी बातों को निकालकर प्रकाशित करे ~~करे~~

१८७८ का यह एक्ट सन् १८७० के आइरिश कोअर्शन एक्ट से (जो आयर्लैंड-वासियों से सबध रखता था) कहीं अधिक उग्र था। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायाधिकारी में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। सर अर्सेकोन पॅरो ने भारतीय परिपत्र की कार्यवाही में अपन विरोध के अभिलेख में इसे, "एक प्रतिगामी, विवेकहीन और भविष्य में भारत की प्रगति के लिए घातक" प्रस्ताव बताया। "कोई साम्राज्यवादी विधि बनाने वाला, विरोधी समाचार संपादन का मूलोच्छेद करने के लिए इसमें अधिक घातक उपकरण नहीं बना सकता।"<sup>१</sup>

इस मुखावरोधक एक्ट का भारतीय शिक्षित-वृत्तों में विशेषकर बंगाल में जहाँ इसके कठोरता के साथ कार्यान्वित किया गया था, प्रबल विरोध हुआ।

बलकत्ते के टाउन-हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें ५००० व्यक्ति उपस्थित हुए। सभा ने उक्त एक्ट का विरोध किया और उसे रद्द करने के लिए 'हाउस ऑफ कॉमन्स' से निवेदन किया। इंग्लैंड में मन्त्रिमंडल के बदलने और भारत के लिए लॉर्ड रिपन के नये वायसराय नियुक्त होने तक, यह आन्दोलन इंग्लैंड और भारत, दोनों ही स्थानों में चलता रहा।

लॉर्ड रिपन एक्ट को रद्द करने के लिए, वास्तुक ये विन्तु उन्हें परिपक्व के अन्दर और बाहर सरकारी विरोध का जलिकमन करने में कुछ समय लगा और उन्हें "लर्ड १८ और चार्ल्स १० के युग के भारतीय अनुदार-दल के तर्कों ध्यान में आए" और अन्त में मन्त्रापरिषद् एक्ट सन् १८८२ में जाकर रद्द हो पाया।

प्रो० टॉडरोल का यह बयान सत्य है कि लॉर्ड रिपन का यह काम "और सब कामों से बहुत आगे" था। क्योंकि मुन्रो द्वारा बहुत पहले कहे हुए शब्दों के अनुसार, "स्वतन्त्र समाचार-पत्र और विदेशी शासन, ये दोनों बातें विरोधी हैं और बहुत समय तक एक साथ टिक नहीं सकती।"<sup>१</sup>

( ५ )

इस वर्ष का दूसरा जननकारी एक्ट, भारतीय शासन एक्ट था। इसके अनुसार भारतीयों की अनुशक्ति के बिना सत्त रखना, ले जाना अथवा उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध था। एक्ट की कार्यान्वित करने के लिए, अपराधियों को दंड दे देने की व्यवस्था की गई।<sup>२</sup> इस एक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों के अनुसार, यूरोपीय और अन्त गोरे लोग अथवा यूरोपियन और कुछ सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति एक्ट की धाराओं से मुक्त कर दिए गए।<sup>३</sup> प्रेसीडेन्सी नगरों और

१. Lucien Wolf. Life of Lord Ripon Vol II. page III.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ११४.

३. Dodwell : History of British India. 1858-1918. pages 252-253.

४. एक्ट की धाराओं का पालन न करने पर साधारणतया कारावास या जुर्माने या दोनों दंड की व्यवस्था थी। इस कारावास की अवधि तीन वर्ष तक हो सकती थी। मित्तु छिपाने या छिपाने का प्रयत्न करने की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष तक हो सकती थी। साथ में जुर्माना भी हो सकता था और दंड में वेबल जुर्माना भी हो सकता था। Section X of the Act. F. C. Widge : Indian Arms Act XI. 1878. pages 47, 68 and 69.

५ See Schedule 1. of the Rules item 13, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १३०.

रगुन में पुलिस कमिश्नरो को और ब्रिटिश भारत में जिलाध्यक्षो को अधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रार्थियो का पूर्वचरित जान लेने पर, एक नियत समय के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इन व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति के बदले में नियत देय देना आवश्यक था।<sup>१</sup> इस नियम का बड़ी सकृचित भावना और कठोरता के साथ पालन किया गया और भारतीय नवयुवको में भेद भाव किया गया। इन कारणों से साहसी भारतीयों को उक्त प्रस्ताव विशेष रूप से गर्हित लगा।

( ६ )

लॉर्ड रिपन की नीति उदार और जन प्रिय थी। उनके कार्य-काल में 'इन्वर्टेड बिल' नामक विधेयक पर भीषण और तीक्ष्ण जातीय विवाद हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य क्वेनेण्टेड सिविल सर्विस के भारतीय और अंग्रेजी सदस्यों के अत्यन्त अनुचित भेद-भाव को दूर करना था। तत्कालीन विधि के अनुसार प्रेसीडेन्सी नगरो के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहने वाले यूरोपियनों का अभियोग-परीक्षण केवल यूरोपियन मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकारी हा कर सकने थे। भारतीय मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकारी चाहे वह उस जिले के अन्य यूरोपीय अधिकारियों से पद में बड़ा भी होता, किन्तु वह उक्त अभियोग का निर्णय नहीं कर सकता था। जैसा कि श्री आर सी दत्त ने कहा इस भेद-भाव के कारण भारतीय नफरतों की सत्ता बहुत क्षीण होती थी। बंगाल के उप-गवर्नर सर एशले ईडन ने स्वीकार किया कि "उस बात का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देता कि उपयुक्त अनुभव और शिक्षण से जिला-मजिस्ट्रेट और जिला जज के पद पर प्रतिष्ठित, क्वेनेण्टेड सिविल के भारतीय सदस्यों को यूरोपियनों पर वह क्षेत्राधिकार प्राप्त न हो जो उक्त सिविल के अन्य सब सदस्यों का प्राप्त होता है।"<sup>२</sup> अतः लॉर्ड रिपन की सरकार ने इस झुद्र जातीय भेद-भाव को दूर करने का निर्णय किया और इस उद्देश्य के एक विधेयक का लेख बनाकर स्वीकृति के लिए इंग्लैंड भेजा। २ फरवरी १८८३ को यह विधेयक विधान-परिषद में प्रस्तुत किया गया।<sup>३</sup>

यूरोपियनों ने सारे देश में विशेषकर बंगाल में बड़ा कोलाहल मचाया। "कलकत्ते के ध्वजसायी इस प्रश्न से सबधित नहीं थे, किन्तु वे भी उतने ही उग्र

१ See, Rule No. 30. ...

२. J. N. Gupta Life and Works of R. C. Dutt. page 94  
के एक उद्धरण का अनुवाद।

३ विस्तृत बगन के लिए देखिये Mody: Sir Pherozeshah Mehta Vol. II. pages 125-128 and Lucien Wolf. Life of Lord Ripon, Vol. II, pages 128-150.

हूए जिनने कि इन प्रश्न में सप्रथित विहार के रोपक (Planters) । लॉर्ड रिपन के गवर्नर-गमेल्टो का बहिष्कार किया गया स्वयं लॉर्ड रिपन का अग्रभात किया गया । उनके विरुद्ध आ भाव पाण्डु किया गया था वह अग्रिम म्य म उन जीवनिबोधिक भावना का शापक था जिने पश्चिमी हिन्दू शीघ्र मनुहू के अधिभारिता न जन दाना को म्यन्व दन के म्यन्व में प्रदक्षित किया था जपका उन भावना का म्यन्व करतना था जिमम दक्षिण अमेरिका के अधिवासीमप, वहाँ व जादिवाभिदा में टैनाई घम का प्रचार करत था ।<sup>१</sup>

एक म्यन्व मय्या वनार्द गट्टे और सवा स्याम स अधिक स्वया<sup>२</sup> एकत्रिज किया गया । ककरन व डाउन हाउ म आम्ब भागनीपा का रोप प्रकट करने वागे एक दिगाठ मना हूई । इममें ता व्याम्बान दिव गए उनको उग्रता, औचित्य की मारी मीमात्रा व परे थी । प्रमोडन्तो में अन्य मत्र स्वयां पर भी ऐसी ही मनाएँ हूई । आम्ब भागनीप ममाचार-यना का विगापकर इगलिजमन्त<sup>३</sup> की भाषा अल्पत भावुक और विवेकगुण्य हा गटे । इम आम्बान्द म म्बेच्छामैतिको (volunteers) की सामूहिक मत्र ने पद-पण्य करने वा उनत्रिज किया गया । कुछ व्यक्तियों ने उगाहार म्या में मैतिक वर्ग की मनाबनि का भी परक्षा<sup>४</sup> दूमेरे मद्यो में कता में अमत्रिज टन्वत करत वा भी प्रयत्न किया गया ।<sup>५</sup>

इम विरोध की लॉर्ड रिपन के मन्दातमत्र नामत में सुविधा की दृष्टि से आवश्यकता थी, किन्तु न्याय्य हात हूए भी यह अल्पत महन्वपूर्ण अथवा अधिउम्य नही था ।<sup>६</sup> इनके विरोध में आ उग्र भावनाएँ उठ खरी हूई, उनका अनुभात करता बटित है । लॉर्ड रिपन ने कहा, "अदि मुझे पता हूँडा कि क्या (परिणाम) होणा तो मैंने अपने-आपका दम नूकत में नही डाला होता ।"<sup>७</sup> लॉर्ड रिपन ने अनुभवकी अधिभारितों ने परामर्श किया था पर ऐमा प्रमीत होता है कि मर हेकरी मेत<sup>८</sup> के अनिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने किसी प्रकार उपद्रव की आशका नहीं की ।

१. Dodwell - History of India, 1858-1918, page 261.

२. Bannerjee A Nation in the Making, page 85

३. Lucien Wolf Life of Lord Ripon Vol II page 128.

४. उग्रमत्र पुस्तक, पृष्ठ १३६

५. उग्रमत्र पुस्तक, पृष्ठ १३५.

६. वह भारत का परिपद् का सदस्य था और इन दिना पेरिस में था । परामर्श विमे जाने पर उसने जी लेख लिखा उमे भारत-मत्री-परिपद् में पटने के बाद वहाँ रखकर भूल गए और वह भाग्य नहीं भेजा जा मथा । उग्रमं मंत्र ने लिखा था, "वह भावनाओं का प्रश्न है और वहाँ भावनाओं की प्रतिद्वन्दिता है ।

लॉर्ड रिपन ने कारणों की जाँच की थी और उसका यह निष्कर्ष था "न्यायाधिपतियों का वेतन घटाने और मिस्टर मित्र को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति बनाने के कारण अभिवक्ता वर्ग में बड़ा क्षोभ हुआ है और वह वर्ग सरकार को क्षति पहुँचाने के अवसर के लिए अत्यन्त लालायित था। उक्त विधेयक का विरोध करने का विचार" कुछ अगरेज बैरिस्ट्रो को न्याय-सभा के पुस्तकालय में मूसा था।" खुफिया विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष मि. लैम्बर्ट के अनुसार कलकत्ते के पूंजी-पतियों को इस बात का भय हुआ कि चाय के बगीचे में काम करने वाले उनके गोरे अभिकर्ताओं के साथ, भारतीय जजों की अध्यक्षता में काम करने वाले फौजदारों न्यायालयों द्वारा, उचित न्याय नहीं हो सकेगा। यूरेशियन समुदाय, रुइकी विधेयक के कारण चिढ़ा हुआ था। इस विधेयक के अनुसार इजीनियरिंग कॉलेज में केवल शुद्ध एशियावासियों को ही दाखिला मिल सकता था। अपने सारे समाज द्वारा इन आक्षेपों के समर्थन के लिए, यूरोपीय स्त्रियों के लिए छतरे की आवाज उठाई।<sup>१</sup>

विधेयक के मूल रूप में सब जिला मजिस्ट्रेटों और जिला जजों को यूरो-पियनों के अभियोग-निर्णय का अधिकार दिया गया था। प्रेसीडेन्सी नगरों के बाहर प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बिना जाति-भेद किये, प्रथम श्रेणी के उन मजिस्ट्रेटों को, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, उक्त अधिकार दे दें। अगस्त १८८३ में भारत-सरकार को विधेयक में संशोधन करने के लिए भारत-मन्त्री की अनुमति मिल गई। इस संशोधन के अनुसार नए अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेटों और जिला जजों को देने का निश्चय किया गया। किन्तु विरोधियों को

जातीय भेद-भाव के कारण भारतीय जजों के अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे वे अपने को थपमानित अनुभव करते हैं। देशी व्यक्तियों को अधिकार देने से यूरोपीय समुदाय संशकित है क्योंकि उसे चिढ़े हुए भारतीयों द्वारा इस अधिकार के दुरुपयोग का भय है। यह कारण यूरोपीय भावनाओं के विस्फोट का वहाना रहा है। वर्तमान प्रस्ताव के कारण ऐसा विस्फोट हो सकता है और तब हमें उसके औचित्य पर शका हो सकती है उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३७९-३८१

१ Lucien Wolf Life of Lord Ripon Vol. II p. 130

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १३१। इस आवाज कास वसे अधिक प्रभाव हुआ। मेरेडिथ टाउन सेण्ड ने टॉम ह्यग को एक पत्र में लिखा, "क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहाँ आपकी शक्ति सते जाया सते कटता मारने के लूँचे अपराध पर तीन दिन का कारावास हो सकता है, जहाँ न्यायाध्यक्ष देशी आदमी हो . . . जो गोरे आरामियों का अपमान करने के लिए अवसरों की टोह में रहता हो।

## वित्तीय निक्षेपण और स्थानीय स्वशासन

(१)

सन् १८३३ में ही भारत के समस्त वित्तीय अधिकार सपरिपद् गवर्नर-जनरल के हाथों में केन्द्रित थे। "सब प्रान्तों के सारे राजस्व की एक निधि होती थी। सपरिपद् गवर्नर-जनरल द्वारा ही व्यय का प्राधिकार दिया जा सकता था।"<sup>१</sup> प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय उपकरों (cesses) के अतिरिक्त कोई अन्य कर लगाने अथवा ऋण उगाहने का अधिकार नहीं था। अतः भारत-सरकार की अनुमति के बिना, प्रान्तीय सरकारें न तो कर लगा सकती थी, न ऋण उगाह सकती थी और न व्यय ही कर सकती थी।

एक विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण देश में उक्त केन्द्रीकरण के बहुत से दोष थे। भारत-सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं का ज्ञान न के बराबर था और साथ ही उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि राजस्व के स्थानीय अधिकरणों की किन प्रकार वृद्धि की जा सकती है। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रदेश केन्द्रीय राजस्व-कोष के समक्ष अपनी माँग रखने में अनचित प्रतिद्वन्द्विता करते थे और उन्हें मितव्ययिता के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। जैसा कि सर जान स्ट्रैची ने कहा, "सार्वजनिक आय का वितरण भ्रष्ट होकर छीना-झपटी में परिवर्तित हो गया था, जो उग्रतम होता था उसी की जीत होनी थी और उपयुक्तता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। स्थानीय मितव्ययिता से कोई स्थानीय लाभ नहीं होता था। अतः अपव्यय को रोकने के लिए उत्साह न के बराबर था। स्थानीय आय-वृद्धि से स्थानीय लाभ न होने के कारण, वहाँ की राजस्व-आय को बढ़ाने का प्रयत्न, न्यूनतम था।"<sup>२</sup>

इन व्यवस्था के दोषों की ओर कितने ही अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ था। जनरल डिकेन्स ने सन् १८६० में ही सुधार के लिए सुझाव दिया था। अर्थ-सदस्य मि लॉग ने सन् १८६१-६२ और १८६२-६३ में सरकारी बजट प्रस्तुत करने के समय अपने वक्तव्य में इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया था। सन् १८६७ में सर रिचर्ड स्ट्रैची ने प्रान्तीय वित्त के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित योजना भी बनाई थी, किन्तु इस विषय पर लॉर्ड मेयो के समय तक कोई कार्यवाही नहीं

१ Strachey India, its Administration and Progress page 121.

२ The Report of Indian Constitutional Reforms 1918 page 69



होने के कारण अथवा पिछड़ेपन या अनुदत्त होने के कारण, जिन प्रान्तों का व्यय कम था, उन्हें, मितव्ययिता, दोनता अथवा पिछड़ेपन का दण्ड दिया गया।”<sup>१</sup>

इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि राजस्व की उगाही में मितव्ययिता लागू करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ अपनी आय के मितव्ययी उपयोग और समुचित विवरण में तो था, किन्तु राजस्व की उगाही में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। इसके अतिरिक्त आवश्यकताओं और मुद्राक (स्टाम्प) शुल्क में बड़ी धाँधलेबाजी की जाती थी और उगाही में सरकार को राजस्व की हानि होती थी। अतः १८७७ की योजनानुसार लॉर्ड लिटन की सरकार ने उगाही में प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ निहित करने का प्रयत्न किया।

१८७७ की योजना को वाइसरॉय की परिपद् के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रैची ने तैयार किया था। इस योजना के अनुसार व्यय के कुछ और शोषक भी प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिए गए। इनमें मालगुजारी, आवकारी, स्टाम्प, सामान्य शासन, लिखने का सामान, विधि और न्याय की गणना थी। इन सेवाओं के बदले में प्रान्तीय सरकारों का स्थायी अनुदान नहीं बढ़ाया गया बल्कि प्रान्त में उगाही हुई राजस्व की कुछ मदों में उनका साझा कर दिया गया। आवकारी, रसीद, विधि, न्याय आदि कुछ अधिकरणों से प्राप्त होने वाली राजस्व-आय प्रान्तीय सरकारों को इस शर्त पर दे दी गई कि इन अधिकरणों की अनुमानित आय के एक निश्चित परिमाण से अधिक आय होने पर सर्वोच्च सरकार उस अतिरिक्त परिमाण का आधा भाग ले लेगी और घटा होने पर उसमें भी आधा साझा करेगी।<sup>२</sup>

प्रान्तीय सरकारों को वित्तीय नियंत्रण के अधिकार सौंपने का प्रयोग सुचारु रूप से चला। लॉर्ड रिपन, उनके अर्थ-सदस्य मेजर बोरिंग (बाद में लॉर्ड क्रोमर) तथा उनकी सरकार ने वित्तीय विषयों में प्रान्तीय उत्तरदायित्व को और अधिक बढ़ाने का निर्णय किया। यह निर्णय ३० सितम्बर १८८१ के प्रस्ताव द्वारा किया गया।

१८८२ की योजना के अनुसार निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था तोड़ दी गई और प्रान्तीय सरकारों को राजस्व की कुछ मदें पूरी तरह दे दी गई और कुछ अन्य मदों में उनका साझा कर दिया गया। राजस्व की मदों का तीन बर्गों में विभाजित किया गया — साम्राज्यीय, प्रान्तीय और विभाजित। प्रान्तीय बर्ग के राजस्व

१ Gyan Chand The Financial System of India, page 143.

२ Mukherjee Indian Constitutional Documents. vol. I. page LXI.

पर प्रान्ता को पूर्णाधिकार दिया गया और विभाजित वर्गों के राजस्व पर प्रांतीय और साम्राज्यीय सरकार को प्रायः समान अनुपात में अधिकार दिया गया। साम्राज्यीय शीर्षकान्तर्गत राजस्व, केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए था। मालगुजारी की साम्राज्यीय शीर्षक में गणना की गई थी, किन्तु प्रान्तीय आय में कमी होने पर उक्त मालगुजारी आय का एक निश्चित भाग दवर पूति करने की व्यवस्था की गई। साम्राज्यीय शीर्षक में सीमा शुल्क डाक और तार, रेलवे, अफीम, नमक, उपहार, टक्साल, होम चार्ज और सैनिक विभाग की गणना थी। दीवानी विभाग और प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की आय पूरा रूप से प्रान्तीय थी। आवकारी रसीद, वन और निवन्धन की मदें दोनों में विभाजित थी। अनिश्चितता का समाप्त करने के उद्देश्य से १८८२ के प्रस्ताव द्वारा पंचवर्षीय बन्दावस्त की व्यवस्था चलाई गई। युद्ध और दुर्भिक्ष-सम्बन्धी असाधारण व्यय के वारे में साम्राज्यीय और प्रांतीय सरकारों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध को भी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया। साधारणतया, अत्यन्त असाधारण और वर्षान्तपूर्ण परिस्थितियों के अतिरिक्त युद्ध के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों से कोई मांग नहीं की जा सकती थी। दुर्भिक्ष-व्यय के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों की शीघ्र और समय पर सहायता करने के लिए वचन दिया गया। वामा और दुर्भिक्ष-पीड़ना की सहायता के लिए भारत-सरकार की १५ लाख पौण्ड की वार्षिक वांट में से, प्रान्तीय सरकारों अकाल के लिए विशेष निधि संग्रह कर सकती थी।

इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। सन् १८८४ में प्रान्तीय वित्त के असाधारण चढाव-उतारों को रोकने के लिए हर प्रान्तीय सरकार के आकलन अवशेष (Credit balance) की न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी गई। १८८२ की इस व्यवस्था का १८८७ में, १८९२ में और फिर १८९७ में नवीकरण किया गया और उसके निहित सिद्धांतों को यथावत् रखा गया। किन्तु प्रत्येक नवीकरण के समय पंचवर्षीय बन्दावस्त की व्यवस्था के मुख्य दोष सामने आये। १८९६ में सर्वोच्च विधान-परिषद् में बंगाल के उप-गवर्नर ने अपने भाषण में इन दोषों का इन शब्दों में वर्णन किया — "मैं, प्रति पाँच वर्षों बाद ससोधन करने की वर्तमान व्यवस्था का विरोध करता हूँ। प्रान्तीय भेड का गिराकर उसके ऊन को पूरी तरह उतार लिया जाता है और नये रोपे बढ़ने तक उसे ठिठुराने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रान्तीय व्यवस्था का इतिहास साधारणतया इस प्रकार है—पहले दो वर्षों में कृपणता और मितव्ययिता बरती जाती है और वामा को स्वर्गित किया जाता है, फिर दो वर्षों तक स्वाभाविक गति और विधि से काम किया जाता है और अन्तिम वर्षों में अविशिष्ट निधि का इस भय से अपव्यय किया जाता है कि कहीं ससोधन के समय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से

सर्वोच्च सरकार बचे हुए परिमाण को छीन न ले। यदि यह बात चरित्र को गिराने वाली नहीं है तो कम-से-कम अनुचित अवश्य है। मेरी सम्मति में सर्वोच्च सरकार को हर पाँच वर्ष बाद प्रान्तीय भेड को उपर्युक्त प्रकार से नहीं भूँडना चाहिए। यदि भारत-सरकार नवीनीकरण के हर अवसर पर यथासंभव कम परिवर्तन करे तो स्थानीय सरकारों का बहुत बड़ा हित होगा। वह आर्थिक निश्चितता, जो १८७० की वर्तमान योजना की एक मुख्य वस्तु थी, केवल इस प्रकार से ही व्यवहार में अनुभव की जा सकती है।<sup>१</sup>

( २ )

वित्तीय निक्षेपण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास को प्रोत्साहन देने की नीति का घनिष्ठ सम्बन्ध था। सन् १८७० के प्रस्ताव प्रवर्तकों ने यह आशा की थी कि स्वशासन के विकास के लिए नगरपालिका-संस्थाओं को दृढ़ करने के लिए और शासन-कार्य में भारतीयों और यूरोपियनों को अधिकाधिक साथ देने के लिए, वित्तीय निक्षेपण की नीति से क्षेत्र विस्तृत होगा।

प्रेसीडेंसी नगरों में नगरपालिका सरकार १८७० से बहुत पहले से थी किन्तु अन्य नगरों में नगरपालिका-सरकार बनाने का प्रथम प्रयत्न सन् १८४२ के एक्ट न दस द्वारा किया गया। इस एक्ट के अनुसार "हर सार्वजनिक स्थान के निवासियों को स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से श्रेष्ठतर प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया।"<sup>२</sup> स्वेच्छा के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण किसी स्थान के दो तिहाई निवासियों के प्रार्थना-पत्र देने पर ही उक्त अधिकार का उपयोग किया जा सकता था। केवल एक नगर में उक्त प्रबन्ध किया गया किन्तु वहाँ के निवासियों ने कर देना केवल अस्वीकार ही नहीं किया बरन् उगाही करने वाले कलक्टर पर अनधिकार प्रवेश का अभियोग भी चलाया।<sup>३</sup> इस एक्ट को

१८५० में रद्द कर दिया गया और भारत के विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका संस्थाएँ बनाने के लिए उसी वर्ष का एक्ट न २४ बनाया गया। सन् १८४२ का एक्ट, प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था से बहुत अप्रिय हो गया था। सन् १८५० के

१ Quoted by G. K. Gokhale in his evidence before Welby Commission of 1897. page 11 Appendix 1. —Speeches of Gokhale.

२ Moral and Material Progress Report 1882 Chabla-  
na and Joshi Readings in Indian Administration  
page 400

३ Imperial Gazetteer of India Vol IV p 286

एक्ट में परोक्ष कर के लिए अनुमति दी गई। यह एक्ट भी अनुज्ञापत्र था—“प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह एक्ट को किसी नगर में इस बात का विश्वास हो जाने पर ही कार्यान्वित कर कि नगर निवासी प्रार्थना-पत्र के पूरी तरह अनुकूल हैं। तदुपरान्त सरकार को मजिस्ट्रेट और कुछ अन्य व्यक्तियों को कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कमिश्नरों को सच्चा आवश्यकता पर निर्भर थी। इन कमिश्नरों को नियम बनाने के विस्तृत अधिकार दिये गए। इन्हीं अधिकारों के अन्तर्गत वह चुगो-कर जो आज तक भारत में इतना प्रचलित है पहली बार बंध हुआ।”<sup>१</sup> इस एक्ट का उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और बम्बई में ही विस्तृत रूप से काम उठाया गया। सन १८६३ में राजकीय सना समाजर्जन आयोग (Royal Army Sanitary Commission) ने अपनी रिपोर्ट दी। इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका एक्ट बनाए गए। बंगाल का एक्ट १८६४ में बना, मद्रास का १८६५ में, पंजाब का १८६७ में और उत्तरी पश्चिमी प्रान्त का १८६८ में। इन एक्टों के अनुसार नगरपालिका बनाने के लिए, निर्वाचन का उपयोग करने का प्राधिकार दिया गया किन्तु इसका उपयोग केवल पंजाब और मध्यप्रान्त में ही किया गया। नवनिर्मित नगरपालिकाओं का मुख्य काम समाजर्जन का मुद्धार था।

सन १८७० के प्रान्तीय विन्यमन्वधी प्रस्ताव ने इसी नीति अपनाने की आवश्यकता की आरंभ विषय ध्यान दिलाया कि उसके फलस्वरूप शिक्षा, समाजर्जन, निराल्प चिकित्सा और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण के लिए निर्दिष्ट निधि की व्यवस्था द्वारा स्थानीय अभिरक्षि, निरीक्षण और सावधानी को अभिव्यक्ति मिल सके। इस उद्देश्य के विभिन्न प्रान्तों में १८७१ और १८७४ के बीच नए नगरपालिका-एक्ट बनाए गए। इनमें अविचार वृद्धि के साथ निर्वाचन सिद्धांत के विस्तार की व्यवस्था की गई किन्तु केवल मध्य प्रान्त में ही सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत रूप में सफलता के साथ अपनाया गया। १८८२ के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव में १८७० की नीति के परिणामों का इन शब्दों में सारांश दिया गया है—“सन १८७० के बाद बड़ी भारी प्रगति हुई थी। स्थानीय उपकरणों में बहुत बड़ी आय हुई थी और कुछ प्रान्तों में आय व्यवस्था को बिना किसी रोक-टोक के, स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया था। नगरपालिकाओं की संख्या और उपयोगिता में भी वृद्धि हुई थी। किन्तु देश के विभिन्न भागों की प्रगति में अब भी छतना बड़ा असाम्य

१ Moral and Material Progress Report उपर्युक्त पुस्तक

था कि उसके लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों का कारण नहीं दिया जा सकता। कुछ स्थानों में स्थानीय प्रबन्ध के लिए परिगृहीत सेवाएँ केन्द्रीय शासन के हाथों में सुरक्षित थीं। सभी स्थानों में पुलिस-कार्य के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं से एक बड़े परिमाण में खर्चा लिया जाता था किन्तु उस पुलिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।<sup>१</sup>

लॉर्ड रिपन की सरकार ने अपने १८८१ के प्रान्तीय वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव के स्थानीय स्वशासन-विकास के विषय पर प्रान्तीय सरकारों की सम्मति आमंत्रित की थी। उसने अपने निजी प्रस्तावों को १० अक्टूबर १८८१ को प्रान्तीय सरकारों के पास भेजा और उनसे उस पर अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा। फलस्वरूप १८८२ का स्थानीय स्वशासन-सम्बन्धी प्रसिद्ध प्रस्ताव बना।

( ३ )

१८८२ के प्रस्ताव से भारत में स्थानीय स्वशासन कारगर रूप से आरम्भ हुआ। स्थानीय स्वशासन के विकास का प्रतिपादन "शासन में सुधार के मुख्य उद्देश्य" से नहीं किया गया, वरन् इस कारण कि वह 'राजनीतिक और सामान्य जागृति के लिए एक उपकरण के रूप में वाछनीय था।' "कुछ समय बाद स्थानीय ज्ञान और अनुराग के कारण स्थानीय शासन में कुशलता स्वतः बढ़ेगी।"<sup>२</sup> सरकारी विभागों पर भार कम होगा और लोक-भावना से प्रेरित शिक्षित और वृद्धि-कर वर्ग को काम देकर नये कार्यालय खोलने की मांग पूरी होगी।<sup>३</sup> प्रस्ताव में कहा गया कि "सरकारी अधिकारियों ने विगत प्रयत्नों में सद्दुद्देश्य से प्रेरित होकर किन्तु बार-बार हस्तक्षेप करके इन प्रयत्नों को कुचल दिया था।"<sup>४</sup> तदुपरान्त प्रस्ताव ने भविष्य की नीति निर्धारित की।

पहली बात तो यह थी कि केवल बड़े या छोटे नगरों में ही नहीं वरन् गारे देश में स्थानीय मंडल बनाने थे। इन मंडलों की निश्चित निधि और उनके निर्दिष्ट दायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था।<sup>५</sup> ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय परामर्श-समिति की जगह इन्हीं मंडलों को मिलनी थी। उनके कार्य में स्थानीय अनुराग बढ़ाने के लिए

१ Mukherjee. Indian Constitutional Documents. Vol. I page 639

२ Para 5 of the Resolution उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४२, प्रस्ताव का छठा पैराग्राफ।

४ Mukherjee Indian Constitutional Documents Vol. I. page 643. Para 7.

५ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव का पैराग्राफ नं १०

और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए यह नियम बनाया गया कि, "इनमें से किसी मंडल का क्षेत्र किसी दशा में बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए।"<sup>१</sup> यह सुझाव रखा गया कि बड़े-से-बड़ा क्षेत्र, तहसील या ताल्लुका हो। इन स्थानीय मंडलों के ऊपर जिला-मंडल बनने थे। इन जिला-मंडलों को नियंत्रण के लिए कुछ अधिकार दिये गए।

५ दूसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में छोटे और बड़े नगरों में स्थानीय शासन के निर्वाह और विस्तार के लिए व्यवस्था की गई थी। नगरों के मंडलों को यथासंभव स्वतन्त्र रखना था, किंतु कुछ विषयों में जिला-परिषद के नियंत्रण-सम्बन्धी कुछ अधिकार हो सकते थे।

६ तीसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में यह निश्चित कर दिया गया था कि "सरकारी सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।"<sup>२</sup> इस प्रकार शहरी और ग्राम्य दोनों प्रकार के मंडलों में गैर-सरकारी सदस्यों का प्राधान्य होना था। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य-काल दो वर्षों के लिए निश्चित था।

७ चौथी बात यह थी कि सपरिषद गवर्नर-जनरल ने इस बात की सिफारिश की "कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,<sup>३</sup> निर्वाचन-व्यवस्था को अधिकाधिक व्यवहार में लाया जाय" साथ ही<sup>४</sup> हर प्रान्त को अपने लिए उपयुक्त व्यवस्था छांटने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रयोग करने का सुझाव दिया गया।"<sup>५</sup> यह कहा गया कि<sup>६</sup> साधारण मत, सजित मत, क्षेत्र विभागानुसार निर्वाचन, सारे नगर द्वारा निर्वाचन, न्यूनाधिक अर्हता द्वारा निर्वाचन, जाति और व्यवसाय के अनुसार निर्वाचन और साथ ही अन्य निर्वाचन-प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है।" प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया कि मंडल के भारतीय सदस्यों के नाम के साथ उनके कार्य-काल की अवधि में रायबहादुर अथवा खाँ बहादुर की सम्मानार्थ उपाधि व्यवहार में लाई जाय।

पाँचवीं बात सपरिषद गवर्नर-जनरल की यह इच्छा थी कि ग्राम्य और शहरी दोनों प्रकार के स्थानीय मंडलों के सभापति<sup>७</sup> यथासंभव गैरसरकारी

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents. पृष्ठ ६४४, प्रस्ताव का पैराग्राफ न० १०

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४५, प्रस्ताव का पैराग्राफ न० १२

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४५, प्रस्ताव का पैराग्राफ न० १३.

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४६ प्रस्ताव का पैराग्राफ न० १४.

५ उपर्युक्त पुस्तक, Vol. I, p 649, para 19 of the Resolution.

व्यक्ति हो। उसका यह कहना था कि जब तक मुख्य कार्यपालिका-अफसर नगरपालिका और जिला-समिति के सभापति होंगे तब तक इन समितियों द्वारा, उनके सदस्यों का, स्थानीय प्रबन्ध-कार्य के लिए कोई वास्तविक शिक्षण नहीं होगा। और उस समय तक गैरसरकारी सदस्य स्थानीय विषयों में कोई सक्रिय दिलचस्पी भी नहीं ले सकेंगे।<sup>१</sup> गैरसरकारी सदस्य जिले के कार्यपालिका अध्यक्ष के साथ भिड़ने की जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे।

अन्त में प्रस्ताव ने स्थानीय मंडलों के समुचित नियंत्रण की व्यवस्था की। यह नियंत्रण अन्दर से न होकर बाहर से होना था।<sup>२</sup> कार्यपालिका-अधिकारियों के लिए नियंत्रण के दो अधिकार सुरक्षित किये गए। पहला अधिकार तो यह था कि "कुछ कार्यवाहियों को मान्य बनाने के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक थी। उन कामों में निम्न बातों की गणना थी—रूढ़ि उगाहना, अधिकृत करो के अतिरिक्त अन्य कर लगाना, नगरपालिका-सम्पत्ति को हस्तान्तरित करना साम्प्रदायिक प्रश्नों से सम्बन्धित विषयों में हस्तक्षेप, सार्वजनिक शान्ति को प्रभावित करने वाले विषय, इत्यादि। दूसरा अधिकार यह था कि स्थानीय शासन विधेय परिस्थितियों में मंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता था और उसे रद्द कर सकता था। साथ ही किसी महत्वपूर्ण कर्तव्य की दीर्घकालीन उपेक्षा की दशा में स्थानीय शासन को मंडल का निलम्बन करने का अधिकार दिया गया। जब तक उक्त उपेक्षित कर्तव्य का सतोषप्रद रूप से पालन न हो, तब तक मंडल का कार्य करने के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने की व्यवस्था थी।"<sup>३</sup>

सन् १८८३-१८८४ में, उक्त प्रस्ताव जारी होने के कुछ ही समय बाद, उसकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन एक्ट बनाये गए।

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents,

पैरा १८, पृष्ठ ६४८-६४९

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४७-६४८, पैराग्राफ न १७

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६४७-६४८, प्रस्ताव का पैराग्राफ न. १७

# भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरंभ

( १ )

भारतीय इतिहास में सन् १८६१ से लेकर १८९२ तक के युग का, राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के कारण एक स्थायी महत्व है। सन् १८८५ में, दिसम्बर के २८, २९ और ३० दिनांक को देश के विभिन्न भागों से ७२ प्रमुखभारत वासी, राजनीतिक काम के लिए एक सर्वसम्बन्धित कार्यक्रम निश्चित करने के उद्देश्य से बम्बई में एकत्रित हुए। भारतीय इतिहास में, इतना महत्वपूर्ण और व्यापक सम्मेलन, इससे पहले कभी नहीं हुआ था।<sup>१</sup>

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ के बारे में कितने ही कारण बताये गए हैं। लाला लाजपतराय के अनुसार इनमें से मुख्य कारण था—प्रवर्तका का साम्राज्य को छिन्न होने से रोकने के लिए तीव्र इच्छा।

पिछली सताब्दी की आठवीं दशाब्दी में भारतीय स्थिति निश्चित रूप से विस्फोटक थी। १८७७ के दुर्भिक्ष के बाद असन्तोष बराबर बढ़ रहा था। कांग्रेस के पिना, मि० ह्यूम ने देश के विभिन्न भागों के सरकारी प्रतिवेदन (reports) को देखा था। इनके अनुसार सर्वसाधारण में असन्तोष उफन रहा था और उनकी उपता बढ़ रही थी। यह संभव था कि शिक्षित वर्ग में से कोई चिड़ा हुआ नवयुवक आगे आकर जन-संगठन करने लगता और—“उसे राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत कर देता।”<sup>२</sup> कम-से-कम मि० ह्यूम के विरवासानुसार भारत में एक भयंकर विस्फोट का तात्कालिक संकट निश्चय रूप से वर्तमान था। सर विलियम बेडरबर्न के अनुसार बम्बई-प्रेसीडेंसी के दक्षिण भाग में तो उपद्रव फूट भी पड़े। “इनका आरम्भ इधर-उधर की छोटी-छोटी डकैतियों से हुआ बाद में डाकुओं के इन दलों का दमन पुलिस की सामर्थ्य के बाहर हो गया, तब पूना का सारा सैन्य-दल उन्हें दवाने को भेजा गया। अधिक शिक्षित वर्ग में से एक नेता मिल गया, जो अपने-आपको शिवाजी द्वितीय कहता था। उसने सरकार का चुनौतिया दी और (बम्बई के गवर्नर) सर रिचर्ड टैम्ब्ल के सिर के लिए ५०० रुपये का पुरस्कार घोषित किया और जिस

१. Chirol India page 80 से पहले अधिवेशन के सभापति थी उमेश चन्द्र बनर्जी के व्याख्यान के एक उद्धरण का अनुवाद।

२. Lajpat Rai Young India pages 135-138



प्रकार से मराठा-शक्ति ने आरम्भ में अपने-आपको स्थापित किया था, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व करने का दावा किया।<sup>१</sup>

लाला लाजपतराय इस निष्कर्ष पर पहुँचे — 'अतः इन दोनों नेताओं (मि० ह्यूम और सर विलियम वेडरबर्न) के शब्दों में कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य, ब्रिटिश साम्राज्य को इस संकट से बचाना था।'<sup>२</sup>

यह असंभव नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बचाने, और साथ ही ब्रिटिश सम्पर्क से उत्पन्न शक्ति के निष्क्रमण के लिए कांग्रेस का सुरक्षा-छिद्र के रूप में उपयोग करने के विचार, सिविल सर्विस से निवृत्त, कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के मस्तिष्क में रहे हों। किन्तु यह विश्वास करना कठिन है कि दादा-भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, तयबजी, रानाडे, तैलंग और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी-जैसे भारतीय नेता इस उद्देश्य से प्रेरित थे। जैसा कि लाला लाज-पतराय ने स्वीकार किया है, स्वयं मि० ह्यूम भी अन्य एव उच्चतर उद्देश्यों से विशेष रूप से प्रेरित थे "ह्यूम को स्वतन्त्रता का व्यसन था। दुःख और दखिता के दृश्य से उनका हृदय बराह उठना था। भारतवासियों के प्रति अपने देशवासियों के 'नागरता-पूर्ण' व्यवहार से उन्हें बड़ा क्षोभ होता था। इतिहास के गम्भीर अध्ययन से उन्हें यह बात भलोभाति ज्ञात थी कि कोई भी सरकार, चाहे वह राष्ट्रीय हो अथवा विदेशी हो, सार्वजनिक माँगों को केवल नीचे से दबाव पड़ने पर ही स्वीकार करती है। अतः वह यह चाहते थे कि भारतवासी अपनी स्वतन्त्रता के लिए 'प्रहार' करें। प्रथम आरम्भ था संगठन। फलतः उन्होंने संगठन के लिए मन्त्रणा दी।"<sup>३</sup>

• इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की इच्छा का कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं था। वस्तुतः काफी समय से, कितनी ही शक्तियाँ काम कर रही थी। उनके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय हुआ। सन् १८८० के पश्चात् इस आन्दोलन को जन्म देने वाली मुख्य बातों को छँ शीर्षको में विभाजित किया जा सकता है —

(१) पश्चिम के राजनीतिक आदर्शों की प्रेरणा, (२) धार्मिक पुनरुत्थान और भारत के प्राचीन वैभव के प्रति श्रद्धाभाव, (३) आर्थिक असन्तोष और ब्रिटिश आस्थासना के पूर्ण न किये जाने के कारण निराशाभाव; (४) भारतीय समाचार-पत्रों का और साथ ही देशी साहित्य का

१ Lajpat Rai Young India. page 137.

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १३३.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ, १४१-१४२.

प्रभाव, (५) मद्यक माद्यनों का विक्रम और साम्राज्यीय दरवारों का आनन्द, और (६) शासक जाति के उद्वेग एवं अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण, जाति भावनाओं में कटुता की वृद्धि लॉर्ड लिटन का प्रमत्त एवं अविद्वेषपूर्ण शान्त और हृद भाग्य इन्द्रों विप्लव के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा आंग्ल भारतीयों द्वारा उन्नत और माण्डित तीक्ष्ण प्रचार का प्रदर्शन।

(h) भारत की राजनीतिक जागृति में पश्चिमी शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनके द्वारा भारतवर्सी सर्वोत्तम अग्रजी विचारों के—मिल्टन, दकें, मिड, मैकॉलि आदि के ग्रन्थों के—सम्पर्क में आये। पश्चिमी शिक्षा ने भारत-वासियों में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि के जीवन-प्रेरक विचार भरे और उन्हें देश की सन्ध्यालीन राजनीतिक स्थिति<sup>१</sup> से असन्तुष्ट कर दिया और वे स्वशासन स्थापना के लिए तथा नौकरियों में श्रेष्ठतर स्थानों के लिए माँग करने लगे। दूरदर्शी अग्रजों ने इस परिणाम की पहचान ही प्रत्याशा की थी। लॉर्ड मैकॉलि ने कहा था कि "यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन के (भारतवासियों) यूरोपीय सत्प्राप्ति के लिए माँग करेंगे" और आंग्ल इतिहास के लिए वह "अधिकतम सब का दिन" होगा।<sup>२</sup> साथ ही पश्चिमी शिक्षा ने समूचे भारत को एक राष्ट्र-भाषा का मूल्यवान् उपहार दिया। इसी के माध्यम से भारतवासियों के लिए, परस्पर निकट आना, विचार व्यक्त करना और सभाओं तथा सम्मेलनों में मिलकर सर्वसम्मन्धित वाक्यम बनाना, समभव हुआ।

पश्चिम के साथ वास्तविक, व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण, अग्रजी शिक्षा के उक्त परिणाम और भी प्रखर हो उठे। भारतीय नवपुत्रक उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, साथ ही अन्य भारतवासी अन्य उद्देश्यों से विदेश गये। विदेशों में बनने प्रवास से, ये भारतवासियों, स्वतंत्र राजनीतिक सत्प्राप्ति की कार्य-विधि में विगोच रूप में परिचित हुए। इस प्रवास ने उन्हें स्वतन्त्रता का मूल्य मिलाया और उनके सतिश्रम से दौलतद्वारा एक दान्य-मनोवृत्ति को दूर किया। विदेशों से लौटने वाले भारतीयों का यहाँ का दामतद्वारा वातावरण सज्जता या और के उद्विग्न और असन्तुष्ट होत थे। उनका यह असन्तोष मरामक मिट्ट होना था।

<sup>१</sup> पश्चिमी शिक्षा के तान्त्राण्डिक परिणाम अच्छे नहीं थे। इस नई शिक्षा-मुच ने बहुत से तरंग भारतीयों को दिग्भ्रम अष्ट कर दिया और उन्हें अराष्ट्रीय बना दिया। वे बुरी यूरोपीय बातों का अनुकरण करने लगे। "असहिष्णु मद्यपान और साथ ही विचार, रति और नस्ल का असदम व्याप्त हो गया।"

<sup>२</sup> Speeches of Lord Macaulay. July 10th 1833. Keith "Speeches and Documents on Indian Policy". Vol. I. page 265

( २ )

इसी दिशा में एक दूसरी बात का प्रभाव हुआ। यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और पुरानी भारतीय सस्कृति एवं सम्पत्ता की प्रशंसा की। मैक्समूलर, मोनियर विलियम्स, रीय, सैमुन वर्नफ आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने "सस्कृत भाषा की सम्पन्नता एवं श्रेष्ठता का उसके ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्त्व का (संक्षेप में) भारतीय सम्पत्ता के आधारभूत हिन्दू साहित्य का केवल पश्चिमी जगत् के लिए ही नहीं, वरन् स्वयं भारत के लिए भी प्रकटीकरण किया।"<sup>१</sup>

इस सम्बन्ध में विभिन्न धार्मिक सुधारकों का काम और भी अधिक महत्त्वपूर्ण था। लोगो ने उस सार्ई को अनुभव किया, जो सन् १८६१-१८९२ के भारत और उस प्राचीन युग के भारत में थी, जब वेद और उपनिषद् प्रकट किये गए थे और जब अन्य धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की गई थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के पूर्वगामी एवं प्रेरक, धार्मिक सुधार-आन्दोलनों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्यसमाज, ब्रिगोसॉफी और श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों का समावेश था। ये सुधार-आन्दोलन, मुख्यतः धार्मिक होने के साथ ही राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने भारतवासियों को अपने महान उत्तराधिकार के प्रति सचेत किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की। धर्म ने राष्ट्रीयता का प्रेरित किया।

( ३ )

जैसा कि मि० गैरट ने कहा है, "राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग, हमेशा ही, कुछ हद तक आर्थिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से हुआ है।"<sup>२</sup> यह निर्विवाद सत्य है कि देश की आर्थिक स्थिति के हास ने और सरकार की अराष्ट्रीय आर्थिक नीति ने, भारतीयों के उच्च पदों से बहिष्कृत करने की नीति के साथ मिलकर, भारतवासियों में ब्रिटिश विरोधी और राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने में बहुत बड़ा प्रभाव डाला।

विदेशी मशीन से बने माल के साथ प्रतिद्वन्द्विता न कर सकने के कारण, भारत के उद्योग-धर्म नष्ट हो गए थे और देश निर्धन होता जा रहा था। सरकार ने संरक्षण देने और सहायता करने के स्थान पर, इंग्लैण्ड के स्वार्थ के लिए मुक्त व्यापार की नीति को जान-बूझकर अपनाया और उन घघों के विनाश में सहयोग दिया। इस पुस्तक के सातवें अध्याय में कपास सीमा-शुल्क-सम्बन्धी विवाद का विवरण दिया जा चुका है। उक्त विवाद के कारण व्यावसायिक एवं उद्योग वर्गों की सद्भावनाएँ समाप्त हो गई थीं। हस्तशिल्प नष्ट हो जाने के कारण धरती (वृषि) पर दबाव

१ Chirol India page 80

२ Gerrat: An Indian Commentary 119

( ४ )

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों ने, जिनके मालिक और सम्पादक भारतीय ही थे, राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न किया और उसका पोषण किया। देश के आगल भारतीय और भारतीय समाचार-पत्रों के बीच एक बड़ी खाई थी। आगल भारतीय पत्र राष्ट्रीयता-विरोधी थे और सदा सरकार का पक्ष लेते थे। वे शासक और दासित जातियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की नीति को व्यवहार में लाने के कट्टर विरोधी थे। दूसरी ओर भारतीय पत्र राष्ट्रवादी, सरकारी नीति के आलोचक और जातीय समानाधिकार के प्रतिपादक थे। इसके अतिरिक्त वे पत्र, देश का शासन और नियंत्रण करने के लिए भारतीयों के अधिकार का भी प्रतिपादन करते थे। सरकारी और गैर-सरकारी आगल-भारतीयों का यह सामान्य आक्षेप रहा है कि भारतीय पत्रों का—विशेषकर अंग्रेजी भाषा के पत्रों का—दृष्टिकोण द्रोहात्मक रहा है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय पत्रों ने विभिन्न (संपादन सम्बन्धी) कानून और अध्यादेशों के द्वारा बड़ी क्षति उड़ाई है और उन्होंने स्वदेश की बहुत बड़ी सेवा की है। आरम्भ में कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था और उसका काम समाचार-पत्रों ने ही किया। उन्होंने शिक्षित वर्गों को जगाया और उनमें स्वदेश-भक्ति की भावना और राष्ट्रीय चेतना के बीज बोये। भारतीय पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीयता और राजनीतिक मंचार के पत्र में निरन्तर प्रचार किया। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाना उचित होगा कि विभिन्न भाषाओं में—विशेषकर बंगला में—लोक-साहित्य के विकास ने महत्वपूर्ण काम किया। बकिमचन्द्र चटर्जी विरचित 'आनन्द मठ' को कुछ लोगो ने 'आधुनिक बंगाली देशभक्ति की गीता' कहकर पुकारा है। इसी पुस्तक में 'बन्दे मातरम्' गान पहली बार सामने आया। 'आनन्द मठ' ने बंगाल में क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता को पाठ्य पुस्तक का काम किया।

( ५ )

आधुनिक यातायात के विकास ने भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि व सहायता की। संचार साधनों ने विस्तृत देश को एक सूत्र में भूँथ दिया और भौगोलिक ऐक्य सुस्पष्ट हो गया। अब, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के सिविल सर्विस-सम्बन्धी अखिल भारतीय दौरे की तरह, राष्ट्रीय पैमाने पर प्रचार करना, और अल्पधिकू दूरी के कारण विच्छिन्न लोगो में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भरना संभव हो गया।

१८७७ में इंग्लैण्ड की सहारानी द्वारा नई उपाधि धारण करने के समय, वाइसराय ने उसकी घोषणा के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार किया और इसमें सम्मिलित होने के लिए देश के प्रत्येक भाग से राजा, नवाब और सामन्त आदि आए। यह देखकर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को अखिल भारतीय सम्मेलनों का

विद्रोह के बाद, भारत में आने वाले अंग्रेज नवयुवकों के मस्तिष्क में भारतीयों के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएँ होती थीं। वे, पंच के तत्कालीन हास्य-चित्रों के अनुसार<sup>१</sup> भारतीयों को ऐसा जन्तु समझते थे, जो आधा वनमानुष और आधा नौशेरो था, और जिसे केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता था, और जिसके लिए जनरल नोल और उसके साथियों का घृणा और आतंक का व्यवहार ही उपयुक्त था। जब भारत आने पर वे अपने उन देशवासियों के सम्पर्क में आते थे जिन्हें विद्रोह के भयकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उनकी घृणा की भावनाएँ, दृढतर हो जाती थीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ स्वतन्त्रता के साथ घुलना मिलना और उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना असम्भव था। अतः उन लोगों ने अपनी छानियों और बस्तियाँ अलग बनाईं। साथ ही उन्होंने अपने लिए एक विचित्र व्यवहार-नीति बनाई। मि० गैरट के अनुसार इसके तीन महत्वपूर्ण सिद्धान्त थे— एक तो यह कि एक यूरॉपियन का जीवन, कितने ही भारतीयों के जीवन के बराबर था। दूसरा यह कि “प्राच्य देशवासी केवल भय को ही समझता था।” तीसरा यह, कि वे वहाँ (भारत में) लोक हित के लिए नहीं, बरन् अपने त्याग के फलों का स्वाद लेने के लिए, और साथ ही अपने निजी लाभ के लिए आये थे।<sup>२</sup> इन बातों के भयकर परिणाम हुए और भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच की खाई बराबर बढ़ती गई।

आरम्भ-भारतीयों की मनमानी और आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष रूप से खटकती थी। १८७२ में मलेरकोटला के उपद्रव में, बिना अभियोग-निर्णय किये, ४९ सिखों को तोप से उड़ा दिया गया।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त और बहुत-सी ऐसी घटनाएँ बार-बार हुईं जिनमें अंग्रेजों ने भारतीयों की हत्या की अथवा उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया।<sup>४</sup> इन अपराधों के लिए या तो कोई दंड ही नहीं दिया

---

गए। विद्रोह के बाद आत्म-दैन्य की वह भावना आरम्भ हुई जो ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक थी। Garrat An. Indian Commentary, page 44-

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४५

२. Garrat : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४४

३. Writes Sir Henry Cotton — For my part I can recall nothing during my service in India more revolting and shocking than these executions

४. Theodore Morrison: Imperial Rule in India. page 280 से अनूदित उद्धरण.—“बैरकपुर के एक प्रतिष्ठित वकील की बर्बरतापूर्ण दण्ड से हत्या करने के अपराध में,

गया अथवा केवल साधारण-मा जुनाई कर दिया गया। उपर्युक्त बातों ने सर्व साधारण के मस्तिष्क में घना की ज्वाला को जीवित बनाए रखा। साथ ही सब कभी उपर्युक्त प्रकार की घटनाएँ होतीं यों तो सरकारी और गैर-सरकारी सब अंग्रेज उनका समर्थन करते थे और आंग्ल-भारतीय पत्र उग्र आन्दोलन खड़ा कर देने थे। इन बातों में स्थिति और भी बिगड़ जाती थी। सर हेनरी बॉटन लिखते हैं "यदि किसी चाय के रोपक पर किसी अन्याय कुली को निर्दमनापूर्वक पीटने का अन्याय चलाया जाता है तो इसका निर्णय करने के लिए चाय के रोपकों को जूरी बनाई जाती है। यह जूरी स्वाभाविक रूप से अनियुक्त के पक्ष में होती है। यदि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से या अन्य किसी कारण से दोष मिट्टि होगी है तो अंग्रेजों का मारा उनमें उम निर्णय की निन्दा करना है। आंग्ल भारतीय समाचार पत्र अग्नि में आहुति डालते हैं और अपने पत्र में इस विरोध को व्यक्त करते हैं। अपराधी के व्यय के लिए चन्दे की उगाही की जाती है। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सरकार के लिए स्मरण-पत्र तैयार किये जाते हैं और उनमें अनियुक्त के छुटकारे के लिए निवेदन किया जाता है।" इसका स्वाभाविक परिणाम था जातीय कटुता में वृद्धि। जैसा कि मि० गैरट न सकेत किया है, भारतीय राष्ट्रियता की बगल में उक्त कटुता की भावना का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ।

( ३ )

लार्ड रिटन के राज्य-काल में एसी बहुत सी घटनाएँ हुईं जिनके फलस्वरूप भारत में जातीय विराय और कटुता की भावनाओं में वृद्धि हुई। साम्राज्यीय दरबार ममारहा के समय, भारतीय जेमा भीषण दुर्मिष की नयकर कठिनाइयों में मृत्यु में सचय कर रहे थे। "इस दरबार के अनिमिष, काबुठ पर म्बेच्छानुसार आक्रमण किया गया" और दूसरा अथगत-मुद्र हुआ, म्मी आनक के मारण सेना में बहुत बड़ी वृद्धि की गई और वैज्ञानिक ढंग में सुरक्षा मीमा बनाने के लिए काफी व्यय किया गया, एक असह्य और निरपराध जनता का पूरी तरह निःसम्भो-करण किया गया (किन्तु यूरानियता की नहीं छटा गया), देशी पत्रों का मुखा-

तापवाने के तीन आदमी अनियुक्त हुए किन्तु उनको केवल मात्र वर्षों के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। इस पर एक मैजिस्ट्रेट अधिकारी ने कहा कि 'सत्कार के अन्य किसी भाग में इन आदमियों को पंजाबी की सजा दी जाती। इस पर लन्दन के एक पत्र ने कहा कि नाम जाने बिना यह विद्वान् करना कठिन है कि भारत में ऐसा भी कोई अग्रज है जिसको उक्त अधिकारी की सी सम्मति है।"

रोधन किया गया, लकाशायर के स्वार्थ के लिए वपाम-सीमा-शुल्क का बलिदान किया गया।<sup>१</sup> उपर्युक्त सारी बातें भारतवासियों के लिए अत्यन्त अहंकार की और उनका प्रबल विरोध हुआ और उनके कारण, सर्वसाधारण में प्रचार और आन्दोलन के लिए विभिन्न भारतीय सस्थाओं का संगठन किया गया।

किन्तु अभी अखिल भारतीय संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए स्थिति परिपक्व नहीं हो पाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के लिए अभी इल्वर्ट विधेयक पर आंग्ल-भारतीय आन्दोलन, और शासक वर्ग के क्षुद्र स्वार्थ उसके जातीय अहंकार तथा उसकी उग्रता का प्रदर्शन होना आवश्यक था।<sup>२</sup>

( ८ )

इल्वर्ट विधेयक-सम्बन्धी विवाद में भारतीयों की असफलता ने प्रान्तों की जनता को जगाया और तीन प्रेसिडेन्सियों में पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक सस्थाएँ काम कर रही थी, उनमें नया जीवन भर दिया। कलकत्ता के इंडियन एसोसियेशन ने १८३३ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें बंगाल के अधिकांश बड़े नगरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे 'राष्ट्रीय ससद् की दिशा में प्रथम चरण' बताया गया। १८८४ में मद्रास महाजन सभा ने मद्रास में एक प्रान्तीय सम्मेलन किया। ३१ जनवरी १८८५ को बम्बई में एक सार्वजनिक सभा हुई और उसने फलस्वरूप बम्बई प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन अस्तित्व में आया। सन् १८७० में पूना में 'सार्वजनिक सभा' नामक सस्था बनी और उपयोगी काम करती रही। उसने "पश्चिमी भारत को जगाने में और साथ ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण काम किया।"<sup>३</sup> सन् १८८३ में एक मार्च को मि० ह्यूमन "कलकत्ता विश्वविद्यालय के

१. A C Mazumdar Indian National Evolution.

२ इसी पुस्तक के छठे और सातवें अध्यायों को देखिये। जातीय भेद-भाव को समाप्त न कर सकने का कारण यह बताया गया कि 'आंग्ल भारतीय जाति के मुसगठित और प्रबल विरोध का सन्तुलन करने के लिए सारे देश में प्रबल एवं सयुक्त समर्थन का अभाव था। A C Mazumdar Indian National Evolution, page 39 के एक उद्धरण से अनूदित।

३ Reported by Mr Wilfred Blant Quoted in Bannerji A Nation in the Making pages 86 87

४ Kellock Mahadeva Govind Ranade page 25

५ मि० ह्यूम भारत के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने १८८२ में सचिव से त्याग पत्र दे दिया था और वे शिमले में बस गए थे। वे 'इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता' के नाम से परिचित हैं।

स्वातंत्र्य के नाम एक खुला पत्र सम्बोधित किया और उनसे राष्ट्रीय सेवा के लिए आमसमर्पण करने को जर्जीब की। मि० ह्यूम ने इस पत्र में "इस शास्त्र पर जोर दिया कि मुक्त और स्वतन्त्रता के लिए, आत्म त्याग और विश्वासपात्रता ही विश्वस्तनीय निर्देश मिलता है।" उनके बाद सन् १८८४ के दिसम्बर में, देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले १० मठे और सच्चे व्यक्तियों ने मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास-स्थान पर एक बैठक की और राष्ट्रीय संस्था<sup>१</sup> बनाने का उद्देश्य मद्रास के विभिन्न भागों में काम करने का निश्चय किया। इनमें से अधिकांश व्यक्ति मद्रास में फिदाभाईफकल मानास्ट्री के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आयें थे। लगभग इसी समय एक 'इंडियन यूनिऑन' स्थापित हुई। १८८५ के मार्च में इस यूनिऑन ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया और आगामी बडे दिन पर पूना में इस उद्देश्य से एक सम्मेलन बुझाया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता परस्पर परिचित हो सकें और आगामी वर्ष के लिए विचार-विनिमय द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम निश्चित कर सकें।"

इस विज्ञापन का प्रकाशित करने में पहले मि० ह्यूम ने वायसरॉय लॉर्ड डफरिन से परामर्श कर लिया था और उन्होंने वायसरॉय के सुझाव पर उक्त संस्था को राजनीतिक रूप दिया था अन्वयात् उनका निजी विचार तो सामाजिक सम्मेलन के लिए एक मंच बनाने का था। लॉर्ड डफरिन यह चाहते थे कि नई संस्था इंग्लैंड के राजकीय विरोधी बल की भांति काम करे। सरकार को यह बजाने कि शासन में कहीं और क्या बाध है और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है।"<sup>२</sup>

विज्ञापन को प्रकाशित करके और साथ ही सम्मेलन के लिए दिनांक (२८, २९ और ३० दिसम्बर १८८५) निश्चित करके, मि० ह्यूम, इंग्लैंड में उनके अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य में, बहा गए। बापस में सम्मिलित होने के लिए वह समय पर भारत लौट आए। हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान पूना से हटाकर बम्बई कर दिया गया। इस प्रकार १८८५ के १८ दिसम्बर को, राष्ट्रीय महत्त्व के राजनीतिक विषयों पर विचार करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ।<sup>३</sup> इनमें देश के विभिन्न भागों के बहतर प्रतिनिधि

१ Mazumdar - Indian National Evolution. page. 47  
२ Annie Besant : How India wrought for Freedom page 1.

३. Mazumdar उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५१

४. लगभग इसी समय बलवत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें केवल बंगाल



सम्मिलित हुए। उस समय के बाद कांग्रेस का अधिवेशन भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र में प्रतिवर्ष हुआ है।

कांग्रेस राष्ट्रीय सस्था थी और उसमें देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था। आरम्भ में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम थी<sup>१</sup> और तत्कालीन महान् मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद कांग्रेस से दूर थे, यहाँ तक कि उन्होंने बनारस के राजा शिवप्रसाद की सहायता से 'परम राजभक्तों' की एक विरोधी सस्था बनाई थी।<sup>२</sup> अन्यथा कांग्रेस पूरी तरह लोक-प्रतिनिधि संस्था थी<sup>३</sup> और सन् १९०७ के विभेद तक, लगभग सभी प्रमुख भारतीय उसकी परिधि के अन्तर्गत थे। साथ ही, मि० ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, सर हेनरी कॉटन, मि० एण्ड्रू मूल और मि० नॉर्टन-जैसे अनेक योग्य एवं उदारमना आंग्ल भारतीय भी कांग्रेस में सम्मिलित थे।<sup>४</sup> मुरत की फूटके समय तक कांग्रेस एक उदार और नरमदली सस्था थी और

के ही नहीं बरन् उत्तरी भारत के नगरो—मेरठ, इलाहाबाद, बनारस से भी प्रतिनिधि आए। "सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और अमीर अली, मुख्य संगठनकर्ता थे। उन्हें बम्बई के सम्मेलन का जब पता लगा तो उस समय तक देर हो गई थी और बलकंठा सम्मेलन का निलवन करना सम्भव नहीं था किन्तु अगले वर्ष से वे लोग कांग्रेस में मिल गए और उसकी हादिक सहयोग दिया।"

Bannerjee. A Nation in the Making page 89-99

१. पहले अधिवेशन में दो मुस्लिम प्रतिनिधि आये, दूसरे में ३३ और छठे में १०७
२. मि ह्यूम ने कांग्रेस-विरोधियों को तीन वर्गों में बाँटा—(१) आंग्ल-भारतीय अधिकारी और पत्र, (२) कुछ नासमझ किन्तु ईमानदार भारतीय, (३) कुछ अवसरवादी जैसे मुस्लिमवर्ग। मि० ह्यूम के अनुसार इस विरोध की प्रेरणा बाहर से फूट डालकर राज्य करने की नीति से चिपके हुए कुछ मान्य अधिकारियों से मिली। उन्होंने विरोधी आन्दोलन को अस्वाभाविक और कुटिल बताया। Wedderburn Allam Octarian Hume Pages 71 to 73 से अनूदित।
३. ये प्रतिनिधि लोक-निर्वाचित नहीं थे। वे राष्ट्र के सर्वोत्तम विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे।
४. लाला लाजपतराय लिखते हैं, "इस आन्दोलन को एक अग्रज ने, एक अग्रज-रूपरूप के युवाओं पर प्रभावित। यह आन्दोलन अन्तर्गत से तैरती उठा था।" (Young India page 154 से अनूदित)। यह सब है कि मि० ह्यूम प्रमुख संगठनकर्ता थे। और लॉर्ड डफरिन के परामर्श से ही उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक रूप दिया। किन्तु यह भी सच है कि सन् १८८८ में डफरिन

\* सुधार और विस्तार किया जाय, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त और अवध, और साथ में पंजाब के लिए भी वैसे ही परिपद बनाई जायें और, परिपदों को वजह पर चर्चा करने और "कार्यपालिका से शासन के प्रत्येक विषय पर प्रश्न करने" का अधिकार दिया जाय।<sup>१</sup>

पहले दो वर्षों तक कांग्रेस की कार्यवाहियों के प्रति सरकार की दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण रही, किन्तु १८८८ से उसकी नीति एकदम बदल गई। कारण यह था कि कांग्रेस भारत और इंग्लैंड—दोनों ही स्थानों—में अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने लगी थी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की शिक्षित भारतीयों की 'नगण्य सख्या' को<sup>२</sup> प्रतिनिधि सभा बताया। इलाहाबाद के लिए निर्दिष्ट चौथे अधिवेशन के मार्ग में हर प्रकार की बाधाएँ डाली गईं और १८९० में सरकारी नौकरों को कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित न होने के लिए अनुदेश दिये गए।

तथापि लॉर्ड डफरिन ने परिपदों के सुधार के लिए कांग्रेस की माँग पर ध्यान देना आवश्यक समझा। उसने अपनी परिपद की एक कमेटी नियुक्त की और उसकी सहायता से, 'प्रान्तीय परिपदों के विस्तार के लिए उनका पद और कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए, उनमें निर्वाचन-सिद्धान्त अशरत पुर स्थापन करने के लिए और उनके राजनीतिक स्वरूप को विस्तृत करने के लिए एक योजना' तैयार की।<sup>३</sup> किन्तु संसद व्यवस्था (Parliamentary System) के पुर स्थापन के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कार्यपालिका अब भी "किसी स्थानीय सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं की गई, वह यथापूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बनी रही।"<sup>४</sup> इसी कारण उक्त योजना में नाम निर्दिष्ट अशरत का आधिक्य बनाये रखने की और साथ ही कार्यपालिका-अध्यक्ष को अपनी परिपद की उपेक्षा करने के अधिकार को व्यवस्था की गई।<sup>५</sup>

भारत-मंत्री ने उक्त योजना में और सब बातों का अनुमोदन किया लेकिन निर्वाचन सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। अस्तु, अभी भारत-मंत्री और भारत-

१ Resolution No. 3 —Besant, How India wrought for freedom page 13

२ Speech of Lord Dufferin at St Andrews Club Calcutta.

३ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 42

४ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 43

५ उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ४४

एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने गपरिपद गवर्नर-जनरल को सपरिपद भारत-मन्त्री के अनुमोदन से अतिरिक्त सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए विनियम बनाने और "उन विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए पद्धति निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया।"<sup>१</sup> जैसा कि लॉर्ड किम्बर्ले ने कहा है, सरकार ने आश्वासन दिलाया कि इस खण्ड के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल के लिए ऐसी व्यवस्था करना समभव होगा कि उसके अनुसार वह निर्वाचन द्वारा छूटे हुए व्यक्तियों में से नाम निर्देशन कर सकेगा।<sup>२</sup>

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने परिपदा को वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा करने का अधिकार दिया—"प्रत्येक वर्ष हर मद्र पर एक-एक करके मत देने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि सरकार को वित्तीय नीति की पूर्ण एवं स्वतन्त्र समालोचना करने का अधिकार दिया।"<sup>३</sup>

अन्त में परिपदों के सदस्यों को गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों द्वारा निर्मित नियमों और प्रतिबंधों के अन्वयन सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।<sup>४</sup>

१. Clause I. Sub section 4 of the Act, Mukherjee :  
Indian Constitutional Documents. vol 5 page 227.

२. Keith · Speeches and Documents on Indian Policy  
vol. II page 60.

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५६

४. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७

युग २  
(सन् १८९२ से १९०९ तक)

ग्यारहवाँ अध्याय

## शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन

( १ )

भारत के वैधानिक विकास में अगला महत्वपूर्ण सोमाक है सन् १९०९ का भारतीय परिपद् एक्ट। इसमें लॉर्ड मॉले और लॉर्ड मिण्टो के नाम से संबंधित सुधार योजनाओं को रूप दिया गया। सन् १८९२ से १९०९ तक के युग में कितने ही महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य एक परिवर्तन हुए, इनमें से अधिकांश के साथ लॉर्ड कर्जन का नाम जुड़ा हुआ है। इन परिवर्तनों में मौलिक बात है राज्य का वेन्द्रीकरण और अधिकारीकरण, किन्तु वित्तीय क्षेत्र में, पिछले युग में आरम्भ की हुई निक्षेपण की नीति को ही व्यवहार में लाया गया। लॉर्ड कर्जन के राज्य-काल में एक ओर तो भारतवासियों के प्रति, साथ ही उनकी योग्यता और सचाई के प्रति अविश्वास था, और दूसरी ओर कुशलता एवं निपुणता<sup>१</sup> के लिए दृढ़ खोज थी, फिर चाहे परिणाम कुछ भी क्या न हो। किन्तु इस युग १८९२-१९०९ की सबसे अधिक महत्व की घटना यह थी कि लोगों में एक नई भावना का—आत्म-विश्वास और पीछे की भावना का और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए बलिदान करने की तत्परता का जन्म हुआ। इस युग के अन्तिम छ वर्षों में बड़ी भारी उथल-पुथल हुई और दो राजनीतिक विचार-धाराओं का जन्म हुआ—एक धारा थी आत्म-वादी एवं अराजकतावादी और दूसरी थी शौर्यपूर्ण राष्ट्रीयतावादी जिन्होंने नेता थे, श्री तिलक, अरविन्द घोष, बाबू विपिनचन्द्रपाल और लाला लाजपत राय। कांग्रेस दो दलों में बँट गई—नरम दली और उग्र दली, और ब्रिटिश सरकार ने उग्रता और शक्ति के ज्वार को रोकने के लिए नरमदली लोगों और मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने और परिपदों में सुधार करने की नीति अपनाई। ये सुधार, मॉले मिण्टो सुधार के नाम से प्रसिद्ध हैं।

१. ३० मिनम्बर १९०५ की लॉर्ड कर्जन ने अपनी विद्वान्ता के एक व्याख्यान में कहा "एक शब्द में मेरे काम का परिचय पूछा जाय तो मैं कहूँगा, कुशलता। वही उद्देश्य है और वही हमारे शासन की कुजी है।" Nevinson : The New Spirit in India. page 13 से अनूचित।

( २ )

सन् १८९२-१९०९ के युग में सबसे पहली बात तो यह थी कि वित्तीय निःश्रेयण की नीति को जारी रखा गया। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने सन् १८८२ की व्यवस्था के चौदह दोषों<sup>१</sup> को दूर करने के लिए सन् १९०४ में अर्ध-स्थायी बन्दोबस्त किया। इसमें प्रत्येक प्रान्त का राजस्व में साझा निश्चित कर दिया गया और सन्नातीय आवश्यकता की असाधारण परिस्थिति के अतिरिक्त इन साझे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। कालान्तर में अनुभव से यह पता लगने पर कि प्रान्तीय आवश्यकता की दृष्टि से उक्त बँटवारा अनुचित अनुपात में हुआ है तो उस दशा में भी उम साझ में परिवर्तन हो सकता था।<sup>२</sup> यहाँ बँटवारा तत्कालीन आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था और विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए वार्षिक अनुदान की व्यवस्था थी। इससे तत्कालीन असाम्य स्थायी कर दिया गया किन्तु अनिश्चितता दूर हो गई और अपव्यय के लिए अथवा वचन को समाप्त करने के लिए कोई लालच नहीं रहा। प्रान्तीय वचन को हथियाने की नीति छोड़ने के फलस्वरूप मितव्ययिता केवल संभव ही नहीं हुई वरन् उसे प्रोत्साहन भी मिला।

यह व्यवस्था सन् १९०४ में आरम्भ हो गई और सन् १९०६ तक यह सब प्रान्तों में लागू हो गई। अप्रैल १९०७ में इसे वर्मा में भी कार्यान्वित कर दिया गया। कुछ नगण्य परिवर्तनों के अतिरिक्त सन् १९१२ तक मूलतः यही व्यवस्था बनी रही।

( ३ )

इस युग में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत की सेना का एकीकरण किया गया और युद्धकालीन क्षमता की दृष्टि से उसका पुनर्संगठन किया गया। इसका ध्येय है लॉर्ड किचनर को जो, १९०२ से १९०९ तक भारत में सेनापति थे। यद्यपि सुधार-योजना को नवम्बर १९०३ में सरकार के समझ रखा गया था किन्तु वास्तविक पुनर्संगठन १९०८ तक पूरा नहीं हो पाया। इस दिशा में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने १८९३ में मद्रास और बम्बई सेना एकट बना कर एक महत्वपूर्ण पग आगे बढ़ाया। इस एकट के अनुसार मद्रास और बम्बई की सेनाओं के सेनापतियों के पद तोड़ दिये गए, भारत की सारी सेना की एक सेनापति के आधीन कर दिया गया और सपरिपद् गवर्नर-जनरल को उसके नियंत्रण का अधिकार दिया गया।<sup>३</sup>

१ इसी पुस्तक का आठवाँ अध्याय देखिये। ये चार दोष थे—बोहराने के समय होने वाले झगड़े, अपव्यय, मालगुजारी की उगाही में अत्यन्त बढोरता, और विभिन्न प्रान्तों की विषमता में वृद्धि।

२. Report on Indian Constitutional Reforms 1918 page 70

३. सेना के एकीकरण के लिए मार्ग तैयार किया जा चुका था। सन् १८६४ में

रहनी थी, अत्यधिक केन्द्रीकरण या और कामों में अतिदाय विलम्ब होता था।<sup>१</sup> लॉर्ड कर्जन ने इस द्वैध नियंत्रण को तोड़कर, एक पृथक् उत्तरी सीमा प्रान्त बनाने का प्रस्ताव किया। इस नए प्रान्त के लिए, भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी एक चीफ कमिश्नर की व्यवस्था थी। इस प्रस्ताव को भारत मंत्री ने स्वीकार किया और मघाट एडवर्ड सप्तम के जन्म दिन पर १९०१ में ९ नवम्बर को नया प्रान्त बन गया।

लॉर्ड लंसडाउन ने जाने से पहले सीमा प्रान्तीय प्रदेश पर पूर्ण नियंत्रण की प्रगतिशील नीति आरम्भ कर दी थी। कुछ सैनिक विरोधियों ने सिंधु नदी पर सीमा बनाने की नीति का प्रतिपादन किया था। लॉर्ड कर्जन ने मध्य स्थिति को अपनाया। उसने अग्रिम मोर्चों के १५,००० ब्रिटिश अथवा नियमित सैनिकों में से १०,००० को वापिस बुला लिया और जन जाति क्षेत्रों (Tribal Territory) की रक्षा का काम उन्हीं में से तैयार किये हुए १०,००० अनियमित सैनिकों को सौंप दिया। उसने नियत अवधि के बाद इन जातियों को भत्त व निश्चित रकम देने की व्यवस्था को अपनाया। बदले में इन लोगों का यह दायित्व था कि सड़का और घाटियों के मार्ग खुले रहें, उस क्षेत्र में शान्ति रखी जाय और अपराधियों का दंड दिया जाय।<sup>२</sup> ब्रिटिश क्षेत्र में लूट-मार के हमले रोकने के लिए अनियमित सैन्य दल की सहायता, सैनिक पुलिस की व्यवस्था थी। निकट के सुविधापूर्ण केन्द्रों में नियमित सैन्य-दल थे जो आदेश पाने पर अविलम्ब घाबा बोलने को तैयार रहते थे। अन्त में सड़को का सुधार किया गया और सैनिक यातायात की सुविधा के लिये सड़कपूर्ण रेलवे मार्ग बनाए गये। इस प्रकार भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ की गई।

( ५ )

लॉर्ड कर्जन ने शासन के अन्य क्षेत्रों में भी केन्द्रीकरण की नीति को अपनाया। उसने शिक्षा, कृषि, समाज, सिंचाई, पुरातत्त्व, खानों इत्यादि के विषयों में निरीक्षण और नियंत्रण के लिए विरोधियों की नियुक्तियाँ कीं। उसने यह अनुभव किया कि सुनिश्चित एवं समान नीति के तथा केन्द्रीय नियंत्रण के अभाव में उपर्युक्त विषयों का शासन ठीक नहीं होता था। अतः उनके दोषों को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा, पुरातत्त्व, वाणिज्य, लघु और गृहकार्य—इनमें से प्रत्येक विभाग के लिए एक-एक डाइरेक्टर-जनरल की, कृषि और सिंचाई के लिए इंस्पेक्टर-जनरल की, समाज के लिए निरीक्षक की और खानों के लिये मुख्य निरीक्षक की, नियुक्तियाँ की गईं।

लॉर्ड कर्जन ने बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेन्सी सरकारों की स्वायत्तता को

१ Ronaldshay . Life of Lord Curzon. Vol. II. page 134

२ Frazer . India under Curzon and After, pages 53-54.

सन् १९०४ के एक्ट में तीन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था—(१) विश्वविद्यालय का कार्य केवल परीक्षा लेने तक ही सीमित न हो वरन् वहाँ अध्ययन और अनुसंधान को सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाय—यह बात कई दशाब्दियों तक केवल एक आशा-मात्र ही रही, (२) विश्वविद्यालय और उसके अन्तर्गत कॉलेजों में घनिष्ठतर सवध हो और कॉलेजों का कठोरतर नियंत्रण हो, और (३) सीनेट, सिण्डिकेट और फ़ैकल्टी का आकार कम किया जाय। नई सीनेटों के ८० प्रतिशत सदस्यों के सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गए।

लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखने में जैसा कि लॉर्ड रोनेल्डशे ने कहा है इस एक्ट ने आशाओं को पूरा नहीं किया—“सत्य इस बात को मानने के लिए विवश करता है कि वायसराय ने जितना समय और ध्यान दिया था उसकी तुलना में . . . जो वास्तविक परिवर्तन हुए वे नहीं के बराबर थे।”<sup>१</sup>

समीन और मालगुजारी, मुद्रा एवं व्यवसाय, सिंचाई, पुलिस, रेलवे-शासन और सरकारी शासन-सबधी सुधारों में लॉर्ड कर्जन को अधिक सफलता मिली।

शासन ढर्रेदार हो गया था और उसमें गति एवं मुचार्ता का अभाव था। विचाराधीन प्रश्न पर इतनी रिपोर्ट और सम्मतियाँ लिखी जाती थी कि उन रिपोर्टों के बीच वास्तविक प्रश्न खो जाता था।<sup>२</sup> इसके कारण निर्णय में बहुत देर होती थी—एक विषय तो निर्णय के लिए इक्कठ वर्षों तक लटका रहा। लॉर्ड कर्जन ने कितने ही सुधार मुझाये। उसने विभिन्न विभागों को अपने विषयों का व्यक्तिगत परामर्श द्वारा निपटारा करने की सलाह दी और साथ ही लम्बे विवादों से बचने, नोट लिखने का काम घटाने और शीघ्र निर्णय<sup>३</sup> करने के लिए कहा।

लॉर्ड कर्जन के अन्य सब प्रशासनीय सुधारों का वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं है किन्तु पुलिस और रेलवे-शासन-सबधी सुधारों का सक्षिप्त विवरण देना उचित होगा।

सन् १८६० के पुलिस-कमीशन की सिफारिशों के आधार पर १८६१ में पुलिस-व्यवस्था का पुनर्संगठन किया गया था। हर प्रान्त में पुलिस विभाग का साधारण प्रबन्ध एक इन्स्पेक्टर-जनरल के आधीन था। हर जिले में एक यूरोपियन सुपरिन्टेण्डेण्ट था और बड़े जिलों में उसके साथ एक यूरोपियन सहायक भी होता था। प्रत्येक जिला बृतों में बाँटा गया था और प्रत्येक बृत एक इन्स्पेक्टर के आधीन

१ Ronaldshay The Life of Lord Curzon page 195.

२ उपर्युक्त पुस्तक, Vol II, page 26.

३. Frazer. India under Curzon and After page 256

किया गया था। हर वृत्त को किन्नर हो जाना में बाँटा गया था और हर धाने का दायित्व एक हेट कान्स्टबल को दिया गया था। उन धानों के अन्तर्गत सार्वेष्ट और अन्य कान्स्टबल थे। ये सब नौकरियाँ आधीन नौकरियों के वर्ग में लिनी जाती थीं। जिगा-मजिस्ट्रेट को निरीक्षण और प्रबन्ध के सामान्य अधिकार प्राप्त थे।

पुलिस-व्यवस्था के प्रति एक आम सिफारिश थी और सन् १९०२ में सर एण्ड्रयू प्रज्ज की अध्यक्षता में एक पुलिस-कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने विगत सिफारिशों की जो १२७ शीर्षकों में बाँटी गई थी। अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया और सन् १९०५ में उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया। कमीशन की मुख्य सिफारिशें ये थी—(१) पुलिस-मगस्ट्रेट में हंड कान्स्टेबल वर्ग में उच्चतर पदों के लिए पदानति द्वारा भर्ती न की जाय बल्कि उक्त उच्च एवं पुषर् वर्ग के लिए सीधी भर्ती की जाय, (२) वेतन बढ़ाये जायें, (३) पुलिस-शक्ति में वृद्धि की जाय और पुलिस-कार्य के लिए शाका के वर्तमान अभिकरणों का उत्प्रेर किया जाय, (४) अज्ञानों और कान्स्टेबल के लिए शिक्षण-शालाएँ खोली जायें, (५) राँच के टग में सुधार हो, (६) म्यानीय निरीक्षण और देख-भाट से काम का निरन्तर किया जाय आकड़ों से नहीं (७) जपराधियों की शोख के लिए प्रान्तीय विभाग स्थापित किए जायें और साथ ही एक टाइटलर के आधीन एक डेन्डीय विभाग हो।

सन् १९०५ के पुनर्गठन के फलस्वरूप पुलिस-शानत का व्यय, जो सन् १९०१-१९०२ में २६९१ ३४४ पाँण्ड था, सन् १९११-१२ में बढ़कर ४५,०२,९९७ पाँण्ड हो गया। किन्तु पुलिस-शल की कुशलता में वृद्धि इस अनुपात में नहीं हुई और वह अब भी पट्टे की तरह अप्रिय बना रहा।

भारत में रेलवे-शानत भी कमनोपद्रव था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी मरगा के लिए रेलवे-मिनोपक्ष सर टॉमस रावटसन को उपलेंट से बुलाया। उसने रेलवे-शानत में जामूल सुधार करने की आवश्यकता बनाई। उसी की सिफारिशों के आधार पर सन् १९०५ में एक रेलवे बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड में सनापति के अनिरीक्षित दो सदस्य और थे। सन् १९०८ में इस बोर्ड और उसके सहायकों को एक पुषर् रेलवे-विभाग में परिणत कर दिया गया। इस विभाग का अपने अध्यक्ष द्वारा वायमराय में सीधा संध था। उसके विन्तून अधिभार थे; और उसका अपना महागणक और मुख्य इंजीनियर था। यह विभाग बणिज और उद्योग के सदस्य के आधीन था।

१ कान्स्टेबल के लिए ८ र० प्रति महीने के न्यूनतम वेतन के लिए सिफारिश की गई किन्तु सरकार ने केवल ७ र० महीने वेतन देना निश्चित किया।



( ८ )

इस युग में बर्धानिक महत्त्व की कई उल्लेखनीय घटनाएँ हुईं। सन १८९३ में हाउस आफ कामन्स ने इंडियन सिविल सर्विस के लिए समकालिक परीक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली-दरवार हुआ और प्रिंस ऑफ वेल्स (राजकुमार) भारत में आए। सन १९०४ में और फिर सन १९०७ में भारतीय परिषद् एक बनाने का वायसराय की परिषद् के सदस्यों की स्थिति का और साथ ही भारत मंत्री और गवर्नर-जनरल के संबंध का स्पष्टीकरण हुआ।

समकालिक परीक्षाओं के प्रस्ताव के स्वीकृत होने का श्रेय श्री दादाभाई नौरोजी को है जो उस समय हाउस आफ कामन्स के सदस्य थे। भारत मंत्री के अनुसार प्रस्ताव केवल एक वोट से स्वीकृत हुआ था। उसे सम्मति के लिए भारत भेजा गया था किन्तु मद्रास सरकार<sup>१</sup> के अतिरिक्त केन्द्रीय और अन्य प्रांतीय सरकारों ने उसका प्रबल विरोध किया था।

२३ जनवरी १९०१ को महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई। लार्ड कर्जन ने उसके राज्य-काल की स्मृति में एक ऐसे स्मारक की स्थापना करने का निश्चय किया जिसमें विगतकालीन महत्त्वपूर्ण उपस्थानों का और साथ ही भविष्य<sup>२</sup> में उसी प्रकार की वस्तुओं का संग्रहालय हो। फलतः ५५०००० पौण्ड के व्यय पर कलकत्ता का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल हाठ बना। लार्ड रोबर्ट्स के अनुसार मुग़लों के बाद वह भारत की सर्वोत्तम इमारत है और ब्रिटिश राज्य का सर्वोपरि बर्भवपूर्ण स्मारक है।<sup>३</sup>

लार्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम से आगामी गिण्टर में भारत आकर राज्याभिषेक दरवार करने का प्रस्ताव किया किन्तु जब यह स्वीकार नहीं हुआ तो उसने एक साम्राज्यीय दरवार के लिए प्रस्ताव किया। यह बर्भवपूर्ण दरवार १ जनवरी १९०३ को हुआ। इसमें सत्र व्यय के अतिरिक्त १८०००० पौण्ड खर्च किए गए। देशी राज्यों ने जो अपरिमित धनोत्सर्ग किया वह अलग था।

इसी युग में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स और प्रिंससज भारत आए। बग भंग के कारण देश में रोष छाया हुआ था और उस वातावरण के कारण अब्बवस्था का भय था किन्तु उनके उपलक्ष्य में कोई अप्रकृत क्रान्ति नहीं हुई।

१ मद्रास-सरकार ने १८७८ के मुजबरोधक एक्ट का भी विरोध किया था।

२ Ronaldshay Life of Lord Curzon Vol II page 155

३ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १६२

( ९ )

१८७४ के एक्ट की धाराओं के अनुसार सार्वजनिक निर्माण सदस्य की नियुक्ति (१८७५ में) की गई और उसी एक्ट के अनुसार (लॉर्ड कर्जन के भारत में आने पर) उस पद को ताट दिया गया। सन् १९०३ में वायसराय ने फिर (इस बार व्यवसाय और उद्योग-विभाग के लिए) परिषद का छठा सदस्य नियुक्त करने के लिए धार दिया। १९०४ के भारतीय परिषद एक्ट ने यह अधिकार निला। एक्ट ने सम्राट् की गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका-परिषद् में एक छठा साधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस प्रकार व्यवसाय और उद्योग के लिए सन् १९०५ में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई।

सन् १९०७ में भारत-परिषद-एक्ट द्वारा भारत-परिषद् के सचिवालय में भी परिवर्तन किया गया। इन एक्ट के अनुसार भारत-मंत्री को सदस्यों की सूची बढ़ाकर १४ करने का अधिकार दिया गया। मंत्री की सूची में भी परिवर्तन किया गया और अधि का दस वर्षों से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया। सदस्यों का वेतन १२०० पौण्ड प्रतिवर्ष से घटाकर १००० पौण्ड प्रतिवर्ष कर दिया गया और कार्य-काल को भी १० वर्षों के स्थान पर ७ वर्ष कर दिया गया।

( १० )

सन् १८९२ में विधान-परिषदा के आगार और अधिकारों में वृद्धि होने पर यह प्रश्न उठा कि क्या कार्यपालिका-परिषद के सदस्य, विधान-मंडल में अपनी इच्छानुसार अपना मत प्रकट कर सकते हैं और क्या वे अवसर आने पर परम्परा विरोध कर सकते हैं? सन् १८९५ में २६ जून को भारत-मंत्री ने एक राज-पत्र द्वारा इस बात का अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया और स्पष्ट शब्दों में यह सिद्धान्त रखा कि कार्यपालिका-परिषद्, कार्यपालिका और विधान दोनों ही कानों में सशक्त और मुद्ध है। "जनाई हुई नीति, सारी सरकार की नीति है और उन लोगों की, जो शासन के सदस्य रहना चाहते हैं, उस नीति की स्वीकार करना चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।"<sup>१</sup>

अगले कुछ ही वर्षों में वायसराय की कार्यपालिका-परिषद् में गभार मन्त्रों के उठ सके ए और अन्त में लॉर्ड कर्जन ने त्याग-पत्र दे दिया। विवाद, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न पर था कि देश की शासन-व्यवस्था में सेनापति की क्या स्थिति है? लॉर्ड विन्डर ने जो स्थिति अपनाई थी वह वैधानिक दृष्टि से गलत थी और व्यवहार में जोखिम से भरी हुई थी। जैसा कि लॉर्ड कर्जन ने कहा वह

१. Dumbell : Loyal India : A Survey of Seventy Years-  
pages 37 and 38

(किचनर) एक साथ, सेनापति और युद्ध-मंत्री दोनों ही होना चाहते थे। तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने सेनापति का वायसराय से अधिक पक्ष लिया।<sup>१</sup> भारत-मंत्री ने एक समझौते का प्रस्ताव किया। उसमें, वायसराय ने कुछ सशोधन किया और दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया।<sup>२</sup> किन्तु जब उसे कार्यान्वित करने का समय आया तो वायसराय को यह पता लगा कि भारत-मंत्री उसे उचित रूप में कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। वायसराय ने जनरल बॅरो का नाम सुझाया था किन्तु भारत-मंत्री ने उस सुझाव को अस्वीकार किया और एक अन्य व्यक्ति को रसद विभाग का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव किया। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड कर्जन ने तार द्वारा अपना त्याग-पत्र दे दिया। १२ अगस्त १९०५ के इस त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया गया और लॉर्ड मिण्टो को लॉर्ड कर्जन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया।

सन् १९०६ में १९ मार्च को जो व्यवस्था अन्तिम रूप से अपनाई गई, उसके अनुसार सेना विभाग को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। सेना-विभाग सेनापति के आधीन किया गया और सेना के रसद विभाग के दायित्व को नए सदस्य को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार सेनापति का काम अत्यधिक हो गया। सन् १९०९ में पर्याप्त काम न होने के कारण रसद-विभाग तोड़ दिया गया। उस समय सेनापति का काम और भी अधिक हो गया। जैसा कि मेसोपोटामियन-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा—किसी व्यक्ति के लिए सेनापति और परियट्ट के सेना-सदस्य का काम एक साथ करना सम्भव नहीं था और युद्ध-काल में उसकी स्थिति और भी विकट थी। पहले महायुद्ध के समय में मेसोपोटामिया के विह्वल सैन्य-संचालन में यह बात दुःखद रूप से स्पष्ट हो गई। सैन्य-व्यय और सेना के भारतीयकरण की दृष्टि से भी स्थिति गंभीर थी। सैनिक नियंत्रण की अपेक्षा सिविल नियंत्रण में सैनिक व्यय घटाना और भारतीयकरण की गति बढ़ाना सरलतर था।

### ( ११ )

लॉर्ड कर्जन के त्याग-पत्र से भारतीय सरकार के दो अध्यक्षों के सदस्य का प्रश्न फिर सामने आ गया—एक ओर इंग्लैंड में वैध, अन्तिम सत्ता थी, और दूसरी

- १ सूडान की विजय के बाद किचनर को राष्ट्रीय महारथी समझा जाता था और यह भय था कि उसके त्याग-पत्र देने से इंग्लैंड का मन्त्रि-मंडल अपने पद पर टिक नहीं सकेगा।
- २ समझौते में यह तय हुआ कि सेनापति के अतिरिक्त एक रसद विभाग का सदस्य होगा जो सैन्य विषयों पर सरकार के लिए हमारे परामर्शदाता का काम करेगा।

शासन को कुशल बनाने के लिए उत्सुक था तथापि वह इंग्लैंड और भारत में सार्वजनिक विश्वास और समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा।

लॉर्ड कर्जन के उत्तराधिकारी लॉर्ड मिण्टो का व्यक्तित्व अलग ही था। मिण्टो की जीवनी में कहा गया है कि मिण्टो ने भारत मंत्रा के स्वभाव को चतुराई से समझ लिया और उसके सक्तों से वचन के लिए अपन-आपको तैयार कर लिया। उसका उद्देश्य यह था कि धैर्यपूर्ण तरीकों और चतुरतापूर्ण मुझावा से मिण्टो मालों को यह विद्वानस ही जाय कि भारत सरकार की नीति का उपक्रमण उनके ही हृदय से हो रहा है।<sup>१</sup> लॉर्ड मिण्टो के राज्य काल समाप्त होने के समय उनके पारस्परिक सवध कुछ खिच गए थ। इसका कारण था भारत सरकार पर गृह-संस्कार का कठोर नियंत्रण। लॉर्ड मिण्टो ने लिखा है कि जो लोग यस्तुस्थिति से परिचित ह वे यह अच्छी तरह जानते ह कि प्रत्येक छोटी-म छोटी बात में भी हस्तक्षेप किया गया है।<sup>२</sup> किन्तु मिण्टो की चतुराई शिष्टता और व्यवहार-कुशलता ने स्थिति को बचाया और लॉर्ड मिण्टो ने ह् वात में अपना काम निकाल लिया।

### बारहवाँ अध्याय

## धार्मिक राष्ट्रीयता का आरम्भ

( १ )

सन् १८८५ में इंडियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना होने पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गया था। उसी आंदोलन के फलस्वरूप पार्लियामेंट ने १८९० का भारतीय परिषद एक्ट बनाया। इस एक्ट के सुधारों ने काँग्रेस को सन्तुष्ट नहीं किया और उसने १८९३ में बड दिन पर अपन अधिवेशन के समय अपन असतोय को व्यक्त किया। निर्वाचन व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था परिषदों के सदस्यों के अधिकार अत्यंत सीमित थ। वाइसरॉय की परिषद में अथवा प्धानीय परिषद में पंजाब को अपन प्रतिनिधि भजन का अधिकार नहीं दिया गया था, निर्वाचन के लिए जो नियम बनाय गए व अनुचित थ—कुछ वर्गों का प्रतिनिधि भजन के अधिकार से विलकुल वंचित कर दिया गया था और कुछ शिनों को अत्य

१ Buchan Lord Minto pages 223 & 224

२ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२ & ३१३

द्विज प्रतिनिधित्व दे दिया गया था।<sup>१</sup> नियम बनाने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि छोटे हुए लोग जहाँ तक सम्भव हो, स्वतन्त्र व्यक्ति न हों, वरन् ऐसे हो कि उनको सरकारी से प्रभावित किया जा सके।<sup>२</sup> गैरसरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी।<sup>३</sup> परिषदों के कार्य और अधिकार अत्यन्त सीमित थे। ऐसी दशा में राष्ट्रीय जागृति व उदय से जनसंगी काम करने के लिए परिषदों में क्षम बहुत मरुचित था। वह काम बन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सम्प्रदायों के बीच न और भारतीय सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकता था।

राष्ट्रीय जागृति एवं पुनर्जन्म के लिए काम करने वाली इन अन्य संस्थाओं में इन्डियन नेशनल कांग्रेस प्रमुख थी। प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्त में गिरिशि मारतीय, ब्रिटीश राजनीतिक काम में और राष्ट्रीयता बनाने में अनुरोध था, इन के प्रत्येक प्रांत के किसी महत्त्वपूर्ण नगर में एकत्रित होते थे। ये लोग राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर विशेषकर शासन, शिक्षा एवं अर्थ-व्यवस्था-सदस्यों विषयों पर विचार-विनिमय करते थे और अपने दृष्टिकोण का विनिर्णय, तर्कसंगत एवं राजनैतिक रूप से माया में लिखे हुए प्रस्तावों द्वारा व्यक्त करते थे। भारतीय पत्रों में इन प्रस्तावों को और नेताओं के व्याख्यानो को प्रकाशित किया जाता था और उनकी सलाह-लोचना को जाली थी। देश के सर्वोच्च नागरिक इन चींटों को पढ़ते थे, उन पर विचार करते थे और महत्त्वपूर्ण बातें हा या कि इन बातों से उन लोगों का हृदय और मस्तिष्क प्रभावित होता था। यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि कांग्रेस के इन प्रस्तावों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं था और सरकार प्रस्तावित सुधार नहीं करती थी। परन्तु कांग्रेस के काम का सीमा-विशेष के लिए बहुत बड़ा महत्त्व था। मार्क्सवादी कामों में दिग्दर्शनी लेने वाले लोगों की संख्या बढ रही थी और राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर उनका तैयार हो रहा था। सरकार के कामों पर ध्यान रखा जाता था और बीसवीं शताब्दी के पहले पांच वर्षों में उनके प्रति प्रबल विरोध उठ खड़ा हुआ। बन्तुन लोगों में एक नए जीवन का मन्थन हो गया था और

१. Resolution 1 of 1893 Besant . How India Wrought for Freedom page 177.

२ उदाहरण के लिए दम्बर में ६ स्थानों में से दो स्थान प्रांतीय व्यवसायियों को दिये गए थे किन्तु नागरिक व्यवसायियों को एक भी स्थान नहीं दिया गया था। निम्न की दो स्थान दिये गए थे किन्तु दम्बर-प्रेसिडेंसी के केन्द्रीय विधान को, जिनमें पूना और मद्रास थे, कोई स्थान नहीं दिया गया था।

३ केन्द्रीय विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या २४ थी। इनमें से १४ सरकारी सदस्य थे, ५ नाम निर्देशित गैर-सरकारी सदस्य और ५ निर्वाचित।

राष्ट्रीय आंदोलन विस्तृत होकर जन-आंदोलन के रूप में परिणत हो रहा था। इस समय राष्ट्रीयता में दो विचार-धाराएँ आरम्भ हुईं। इन दोनों में धार्मिक भावना समाई हुई थी। किंतु मार्ग दोनों का अलग था। दोनों ही विचार-धाराओं के नेता-गण साहसी व्यक्ति थे। उनमें आत्म-बलिदान और स्वतंत्रता की भावना थी, प्रबल देश-प्रेम था और विदेशी राज्य के प्रति तीव्र घृणा थी। पुराने कांग्रेसियों की भाँति उन्हें अंगरेजों की उदारता और सच्चाई में विश्वास नहीं था और न उनकी राजनीतिक भिक्षा-वृत्ति में ही कोई निष्ठा थी। उन्हें तो आत्मनिर्भर एव स्वतंत्र कार्य में विश्वास था। इन नेतागणों की प्रेरक भावनाएँ एक ही थी, वे भारत और उसकी जनता के पश्चिमीकरण के विरुद्ध थे, वे प्रबल ही नहीं बरन उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत, जो फिर प्राचीन वैभव, समृद्धि एव पवित्रता से परिपूर्ण हो। दोनों में भेद केवल मार्ग का था। उग्र दल का राजनीतिक आंदोलन में और ब्रिटिश चीजों और सत्ताओं के बहिष्कार द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में विश्वास था। वे सरकारी कार्यालय, न्यायालय और स्कूल आदि सब सत्ताओं के बहिष्कार के पक्ष में थे और वे उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्याय-मंडल, पंचायत, स्कूल आदि स्थापित करना चाहते थे। कानिकारी दल को पश्चिमी क्रांतिकारी साधनों में, विशेषकर बम और पिस्तौल द्वारा आतंकवाद, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक ढकैतियों में विश्वास था।

( २ )

विचार

राष्ट्रीयता

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में नई राष्ट्रीयता के उदय के लिए कोई इस प्रकार का एक कारण नहीं दिया जा सकता कि उसके द्वारा पूर्व प्रतिष्ठा से च्युत ब्राह्मण<sup>१</sup> वर्ग शक्ति हथियाना चाहता था अथवा इस राष्ट्रीयता के तल में केवल बग-भग का असतोष था और लॉर्ड कर्जन के अप्रिय राज्य-काल के प्रति रोष था अथवा इसका कारण कांग्रेस के अब तक के साधनों की असफलता का अनुभव था। उक्त पिछले दो कारणों के अतिरिक्त और कई कारण भी थे जिनके फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ग्रहण की और उसमें दो—उग्र तथा क्रांतिकारी—विचार-धाराएँ उत्पन्न हुईं।

पहली बात तो यह थी कि विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनका भारतीय मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। १८९६ में इटली को एबीसीनिया<sup>२</sup> के निवासियों ने परास्त किया और १९०५ में जापान ने रूस को हराया। इन दोनों

१ Chirol Indian Unrest. page X and XI and 40 & 43

२ "इटली की हार ने १८९७ में तिलक के आंदोलन में घृणाहित दी"

Garrat. An Indian Commentary, page 134.

कट्टर लोपो में इसके प्रति बड़ा रोप था। सन् १९०४ में एक दूसरा एक्ट बना जिसके प्रति भारतीयों में बड़ी तीखी भावना जाग्रत हुई। यह एक्ट सरकारी गोप्य विषयों से संबंधित था। इस एक्ट में १८८९ के इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और १८९८ के एक्ट नं ४ को दो दिसाओ में बढ़ा दिया गया था। सन् १८८९ के एक्ट में केवल सैनिक भेद देना ही दंडनीय था अब उसमें सिविल (असैनिक) विषयों का भेद देना भी दंडनीय कर दिया गया। साथ ही १८९८ के एक्ट से समाचार-पत्रों की समालोचना के संबंध में जिन बातों को अपराध बनाया गया था, उनमें यह जोड़ दिया गया कि ऐसी समालोचनाएँ, जिनमें विधि निर्मित सत्ता अथवा सरकार के प्रति अनास्था अथवा घृणा जाग्रत हो, दंडनीय हों। सन् १८९८ के एक्ट के अनुसार साम्राज्य अथवा ब्रिटिश भारत में विधि निर्मित सरकार के प्रति, अभक्ति की भावनाएँ उत्तेजित करने को अथवा उत्तेजित करने के प्रयत्न को राजद्रोह बताया गया था। भारतीय दंड संहिता में एक नया विभाग (नं १५३ ए) जोड़ दिया गया था जिसके अनुसार बर्ग-द्वेष को प्रोत्साहन देने वाले अपराधी दंडनीय थे।

लॉर्ड कर्जन की सीमा प्रांतीय और अफ़गानिस्तान तथा तिब्बत-संबंधी नीति से भी भारतवासी अप्रसन्न थे। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और सैन्य-ध्वज में वृद्धि के विरुद्ध थे। इन्हीं कारणों से वे चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए भारतीय सेना भेजने के विरोधी थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजनाओं में भारतीय सेना के उपयोग के कारण भारतवासियों में तीव्र रोप था।

उपर्युक्त बातें अप्रिय तो थीं तथापि सन् १९०५ और बाद के वर्षों के सरकार-विरोधी आंदोलन को जन्म देने के लिए ये बातें स्वयमेव अपर्याप्त थीं। इन सब बातों के साथ मौलिक बात यह थी कि बग-भग के संबंध में व्यापक विरोध के होते हुए भी लॉर्ड कर्जन की सरकार को मूढ़तापूर्ण एवं कुटिल दृढ़ता की नीति ने लोपो के रोप को चरम सीमा पर ला दिया था और परिणामस्वरूप वह आंदोलन फूट पड़ा।

( ३ )

सन् १९०५ में १६ अक्टूबर को, प्रकटतः शासन में सुविधा और कुशलता के कारणों से बग-भग किया गया। यह सच है कि ८ करोड़ जनसंख्या का बंगाल प्रकट एक अख्यल—और वह भी एक उप-गवर्नर—के लिए बहुत बड़ा दायित्व था। किंतु यह बाल ध्यान में रखने योग्य है कि तत्कालीन बंगाल में बहुत से अ-बंगाली लोग थे। बिहार और उड़ीसा, तत्कालीन बंगाल के अन्तर्गत थे और उनकी जनसंख्या २ करोड़ १० लाख थी। शासन में कुशलता लाने की दृष्टि से बंगाल को ऐसे दो भागों में बाँटा जा सकता था जिनमें से एक बंगला बोलने वाला होता और दूसरा अन्य भाषाओं के बोलने वाला। वस्तुतः छह वर्ष बाद यह बात भी गई।

विनु सन् १९०५ के बग भग के अनुसार स्वयं बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया। नये बंगाल की कुल जन-संख्या ५ करोड़ ४० लाख थी इसमें से बंगला-भाषियों की संख्या केवल १ करोड़ ८० लाख थी। पूर्वी बंगाल और बांग्ला-देश के नये प्रांत की कुल जन-संख्या ३ करोड़ १० लाख थी और इसमें २३ करोड़ बंगलाभाषी थे और १ करोड़ ८० लाख मुसलमान थे। स्पष्ट है कि इस विभाजन का उद्देश्य वस्तुतः शासन में सुविधा का नहीं था बल्कि यह तो बहुत कुटिल और गूढ़ था। जैसा कि लॉर्ड रोसबरी ने कहा है "प्रात के जाग्रत वर्ग के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रियता की बढ़ती हुई दृष्टि पर आश्चर्य किया गया था।"<sup>१</sup> जिस दंग से विभाजन की योजना बनाई गई और उसको कार्यान्वित किया, उससे और साथ ही इस विषय में लॉर्ड कर्जन के व्याख्यान से यह स्पष्ट है कि वास्तविक उद्देश्य फूट डालकर राज्य करने की नीति के अनुसार लोगो को घमं के आधार पर विभाजित करना था और हिंदुओं और मुसलमानों में द्वेष भाव फैलाना था। श्री मजूमदार ने लिखा है "जुई चेतना को कुचलने के लिए लोगो को परस्पर विभाजित करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन पूर्वी-बंगाल गये। वहाँ पर इसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई मुसलमानों की सभाओं में उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के ही लिए नहीं किया जा रहा था बल्कि उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा था जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी . . ."<sup>२</sup> विभाजन के समयका ने भारतीय विरोध के लिए यह कारण प्रस्तुत किया है कि दकोल राजनीतिकों और सपादका को विभाजन के फलस्वरूप<sup>३</sup> भौतिक और राजनीतिक क्षति का डर था। किंतु उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि इस आंदोलन की प्रेरक शक्ति एक प्रबल भावना थी।<sup>४</sup> मि. नेविन्सन ने लिखा है - "रोप की मूल में भावना है और क्योंकि यह भावना है इसी कारण किसी भौतिक क्षति और शासन की सुविधा से इसकी क्षतिप्रति नहीं हो सकती।"<sup>५</sup> अतः यह कहना असत्य है कि आंदोलन के समयक भौतिक हितों से प्रेरित थे। दूसरी ओर अधिकांश

१ Ronaldshay Life of Lord Curzon. vol. I. page 332.

२ A. C. Mazumdar Indian National Evolution, page 207.

३ Frazer India under Curzon & After page 384. Also Ronaldshay Life of Lord Curzon. vol. I. page 332.

४ Ronaldshay उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३२२

५ Nevins - The New Spirit in India. page 172.



जोगो के लिए प्रेरक शक्ति यह इच्छा थी कि सर्वसाधारण में ऐक्य और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे। साथ ही यह भी सच है कि पूर्वी बंगाल के बहुत से मुसलमानों को लॉर्ड कर्जन की बातों ने लुभा लिया और वे नए, मुस्लिम बहुमत प्रांत में अपने पुरस्कारों के स्वप्न देखने लगे। फिर भी केवल बंगाल में ही नहीं बरन् सारे देश में अधिकांश लोगों ने विभाजन का तीव्र विरोध किया। फलतः एक सुमगठित एवं अनुशासनपूर्ण प्रबल आंदोलन हुआ।

( ४ )

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में देश में अकाल, प्लेग आदि राष्ट्रीय विपत्तियों का सामना करने के लिए सरकार ने सत्तोपजनक नीति नहीं अपनाई। सरकारी आर्थिक नीति तो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी ही। परिणाम यह हुआ कि सरकार के प्रति रोष और भी अधिक बढ़ा और साथ ही नई राष्ट्रीयता को गृष्टि मिली।

१८९६-९७ में बड़ा भूयण दुर्भिक्ष पड़ा था। ब्रिटिश राज्य काल में उस समय तक ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। सन् १८९७ के वसंतकाल में सहायता गाने वाले अकाल-पीड़ितों की संख्या ४० लाख से ऊपर पहुँच गई थी। मरने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ी थी। सहायता के लिए और मालगुजारी दोहराने के लिए सरकारी मशीन बड़ी धीमी चाल से चल रही थी, कष्ट और कठिनाइयों से हाहाकार मचा हुआ था। बम्बई प्रांत में प्लेग की महामारी आरंभ हो जाने से दशा और भी बिगड़ गई। सन् १८९८ के अन्त तक अगिलिखित मृत्यु-संख्या १,७३,००० पर पहुँच गई जो सम्भवतः वास्तविक संख्या से बहुत कम थी। सरकार ने उपायों की सोत्साह अगोकार किया, किंतु उन्हें कार्यान्वित करने का ढग शलत था। पूना के प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड ने ब्रिटिश सैनिकों से काम लिया। ये सैनिक मकानों में घुसकर पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जाँच करते थे और प्लेग का सदेह होने पर उन्हें अलग अस्पतालों में ले जाते थे। इससे लोगों में बड़ा रोष फैला। उपद्रव आरंभ हो गए। पत्रों में उग्र लेख लिखे गए। एक भावुक नवयुवक ने अग्रिम प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड को गोली से मार दिया। उसके साथी ने तत्काल पकड़े जाने के भय से लेफ्टिनेंट ऐपस्टैंट को गोली से मार दिया। ऐपस्टैंट, रैण्ड के पीछे एक गाड़ी में आ रहा था। इस काण्ड के बाद कठोर दमन और आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र इसका विशेष क्षेत्र था।

सारे देश में असंतोष का प्रबल ज्वार उमड़ रहा था। दुर्भाग्य से १८९९ में र्पा न होने के कारण भारत में फिर १८९९-१९०० में भूयण दुर्भिक्ष पड़ा। यह

दुर्भाग्य पहले ने भी अधिक नयन या और इनने पहले ने भी अधिक से अधिक हो गए।

उन कारणों से आपदाओं और कष्टों के कारण लोगों में बड़ा असंतोष हुआ और सरकार को विरोध रूप में दाप दिया गया। जनता के अनुसार उनके दुस्वर्तों की उठ सरकार की वह आर्थिक नीति थी जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिबल थी। इस प्रकार सर्वनाधारण में अपन विदेशी शासन के प्रति संतोषजनक बहुत बट गया।

सरकार की राष्ट्र-विरोधी आर्थिक नीति ने ब्रिटिश राज्य के प्रति सर्वनाधारण के सम्बन्ध में जो घृणा उत्पन्न और पुष्ट की उनके महाब के बारे में कोई अन्त-शयान्ति नहीं की जा सकती। विदेशी राज्य में देश अल्पत निर्यत ही गया था। इस पय न दादाभाई नौरोजी ग्नेगबन्ध दन रानाडे, डॉ. एन दासा और नर दिल्दियम डिगली के अनुमयाना और लेखा न निर्धनता की उक्त म्पति की विशेष रूप में स्पष्ट कर दिया था। नर धियाडार मॉरसन ने इन नर का प्रतिवाद करने का प्रयत्न भी किया किन्तु भारतीय नेताओं और पत्रों ने भारत से इंग्लैंड के लिए होने वाले द्रव्य-निकास में सर्वनाधारण को मजबूत-भांति परिचित करा दिया था। भारत में ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण जनता का विदेशी शासकों की न्यायप्रियता और मचाई में से दिखान उठ गया और ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ बढ़ गईं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है लॉर्ड कर्जन का कुशलता, केन्द्रीकरण और अधिकारीकरण के लिए विरोध मोह था। और स्वशासन और भारतीयकरण के लिए विरोध था। १९०४ में कर्जन ने भारतीयों के निराकरण की बड़े चुनने वाले दय से उचित टहराया। उसमें लोगों के लिए एक चुनी चुनी थी। उनसे कहा गया कि सर्वोच्च सिविल पद केवल अगरेजों के ही लिए थे क्योंकि उनमें करने पैतृवाधिकार, पौषण और शिक्षा के कारण, शासन के लिए अनिदार्य, चरित्र-बल, शासन के सिद्धांतों का बोध और मनोयोग था। कुछ सिद्धि भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए उगठन करने लगे।

उनी मदर्भ में ध्यान देने योग्य कुछ आर्थिक प्रश्न हैं जिनके सबष में भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यावसायिक, औद्योगिक और वित्तीय स्वार्थों के लिए भारतीय हितों को निर्णयता के साथ बलिदान दिया। मन् १८९४ में जगम-मोना शुल्क का विवाद फिर उठ खड़ा हुआ और वित्तीय आवश्यकताओं के कारण जो ५ प्रतिशत का माधारण कर लगाया गया था उससे मूठी माल को छूट देने पर बड़ा दादोहन हुआ। भारत-मजरी ने इस कठिनार्दी को हल करने के लिए यह प्रस्ताव किया कि नई कर-सूची में विदेशों में आने वाले सूची माल को सम्मिलित किया

जाय और उसका सतुलन करने के लिए २० न से ऊँचे माप के भारत में तैयार किये हुए मूल पर उत्पादन-कर लगाया जाय। भारतीयों का विरोध होने हुए भी दिसम्बर १८९४ में इस प्रस्ताव को बंध कर दिया गया। किंतु लकाशायर को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि १८९६ में दो नये प्रस्ताव स्वीकार किये गए। एक के अनुसार सूती माल पर आयात-कर घटाकर  $3\frac{1}{2}$  प्रतिशत कर दिया गया और दूसरे के द्वारा भारतीय मिलों के सूती माल पर  $3\frac{1}{2}$  प्रतिशत का प्रत्यक्ष उत्पादन कर लगा दिया गया। भारत परियट् में सर जेम्स पाइल और सर एलेक्जेंडर आर्वथनॉट ने इन अरक्षणीय एकटो का विरोध करते हुए कहा "कि इस उत्पादन-कर से वस्तुतः कोई सतुलन नहीं होता था क्योंकि भारतीय मिलों के मोटे सूती माल में और लकाशायर के कारीक माल में कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं थी, भारतीय बाजार में दोनों की माँग थी।" देश में बड़ा आंदोलन हुआ और अगरेजों राज्य के प्रति घृणा और तीक्ष्णता को बड़ा पोषण मिला।

भारतीय मद्रा और विनिमय का प्रबन्ध अगरेजी स्वार्थों के अनुसार होता था। भारतीय व्यापारी वर्ग इस कारण बड़ी कठिनाई अनुभव करता था। एक भारतीय लेखक ने भारतीय आलोचना को सकलित रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है — "ये आलोचनाएँ मुख्यतः, स्वर्ण रक्षित मान को भारतवर्ष में स्वर्ण पाट के रूप में रखने के स्थान पर, अन्य प्रतिभूतियों (Securities) में लगाने के विरुद्ध थी, रेलवे-व्यय के सबंध में सरकार की तत्कालीन कठिनाइयों की दूर करने के लिए, उस रक्षित मान को काम में लाने के विरुद्ध थी, कागजी द्रव्य के रक्षित मान को, भारत से लन्दन के लिए स्थानांतरित करने के विरुद्ध थी, स्वर्ण मान की सुरक्षा के लिये सोने के स्थान पर चाँदी रखने के विरुद्ध थी, और ऊँचे भाव पर कौंसिल के विनिमय पत्रों के असीमित विक्रय के विरुद्ध थी। इस विक्रय के कारण भारत में सोने का आना रुक गया था जिसके फलस्वरूप देश की आवश्यकता से अधिक मात्रा में, कागजी द्रव्य का परिचलन अनिवार्य हो गया था। इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि ७ करोड़ पाँड से अधिक परिमाण की भारतीय संपत्ति, भारत से लन्दन के लिये स्थानांतरित हो गई। इस भारतीय संपत्ति को अत्यल्प व्याज पर लन्दन के शोधियों को उधार दिया गया जबकि भारत में रुपये की कमी थी यहाँ तक कि एक समय पर सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर भी ऋण उगाहना संभव नहीं था यद्यपि व्याज की दर अस्वाभाविक रूप से अधिक रखी गई थी।" इस नीति के विरुद्ध भारतवासियों में प्रबल रोष फैलना स्वाभाविक ही था, और भारतीय व्यापारी वर्ग का सरकार पर से विश्वास उठ गया।

१ Indian Year Book, 1931. page 860 के एक उद्धरण से अनूदित।

( ५ )

भारत में नई राष्ट्रीयता के जन्म और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का कारण था। भारतवासियों के प्रति आग्य भारतीयों का व्यवहार और आग्य भारतीय पत्रों का भारतीय विरोधी दृष्टिकोण और प्रचार। इन वर्षों में किन्हीं ही बार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने अतहास्य भारतीयों के साथ घातक मा' पीठ की और कई बार पाहन व्यक्ति मर नी गए किन्तु गोरे अपराधी दंड से बच गए अथवा उन्हें बहुत साधारण-सा दंड दिया गया। लाड बचन न पोंड ही समय में यह अनुभव किया कि इस प्रकार के अभियोगों से भारत में ब्रिटिश राज्य के बन रहने के लिए बहुत बड़ा मक्का है और फलन ऐसे अभियोगों में ध्यान में लाने पर उसमें अपराधियों को दंड दिग्गन की व्यवस्था की। एक जान योग में अपराधियों में दो भारतीयों को हत्या की थी। उस समय में लाड बचन न भारत-भंगी को अपने अभियोग में लिखा गया नहीं। इन अभियोगों के बारे में आपसे क्या विचार है। किन्तु इनसे मेरी आशा तो कराह उठती है। \* उदाहरण के लिए इन दोनों प्रभाग अभियोगों को चर्चा की जा सकती है। एक मामले में ब्रिटिश सैनिकों ने एक देगी स्त्री को बाग्यदार से मार डाला। उन सैनिकों को कोई दंड नहीं दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि स्पानीय सैनिक अधिकारियों ने सारे मामलों को दबा देने का प्रयत्न किया और स्पानीय सिविल अधिकारियों ने अपनी उदासीनता से उनके प्रयत्नों का समर्थन किया। \* दूसरे अभियोग में सन १९०१ में सिंगलहोर्न में स्थित (9th Lancers) घुड़सवार दल के दो सैनिकों ने एक भारतीय रसोइय को इतना पीटा कि वह मर गया। उस रसोइये का अपराध यह था कि उसने उनके लिए एक देगी स्त्री का प्रबंध करने के लिए मना कर दिया था। पहले अभियोग में कोई वायवाही नहीं की गई—लाड बचन के हस्ताक्षर करने पर केवल कुछ अनुशासना संबंधी वायवाही की गई।

इन अपराधों और हत्याओं का होना स्वयं दुर्भाग्यपूर्ण था किन्तु इससे भी बुरी बात यह थी कि आगल भारतीय समाचार-पत्रों से ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता था। वस्तुतः जातीय बटुता की भावनाओं को फँसान में आग्य भारतीय पत्रों ने जो काम किया वह अत्यन्त निच था। लाहौर के सिविल एण्ड मिलिट्री गजट-जैसे महत्वपूर्ण पत्र भी लिखित भारतीयों को गालियाँ देते थे। \* व आग्य भारतीयों को अपराध करने के लिए उत्तेजित करते थे इन पत्रों को इसके लिए कोई दंड नहीं दिया

१ Ronaldshay Life of Lord Curzon Vol II p 246

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ७१

३ लिखित भारतीयों को 'बाचल बी ए', 'हीन जाति बी ए', 'मुलाम'

जाता था। मि<sup>१</sup> किंग्सफोर्ड नामक एक अप्रिय मजिस्ट्रेट को गोली मारने के प्रयत्न में दो अगरेज स्त्रियों की मृत्यु हो गई। इस पर कलकत्ते के 'एशियन' ने लिखा, "मिस्टर किंग्सफोर्ड को अब एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। हमारा ऐसा ध्यान है कि वह पिस्तौल से निशाना मारने में होशियार है। हम मौजूर पिस्तौल की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं .. हम आशा करते हैं कि मिस्टर किंग्सफोर्ड को एक बड़ा शिकार हाथ लगेगा। हम उनके से अवसर के लिए रुलवाते हैं। उनके निवासस्थान की ओर अथवा स्वयं उनकी ओर यदि कोई अपरिचित देशी आदमी आवे तो उसको गोली मार देना उनके लिये पूर्ण रूप से न्याय्य है।"<sup>२</sup>

आंग्ल-भारतीय पत्रों में ऐसे लेख प्रकाशित होते थे और उन पत्रों को कोई वैध दंड नहीं मिलता था। इन लेखों के कारण कटुता की भावना बढ़ती थी और कभी-कभी हिंसा भी होती थी। भारतीय चरित्र पर उच्च पदों से जो बलक लगाया जाता था उसके कारण भारतीयों को बड़ा क्षोभ होता था। फरवरी १९०५ में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना दीक्षांत भाषण दिया। उसमें उन्होंने पश्चिमी लोगों की सचाई की और प्राच्यवायियों की धूर्तता की गायी गई। उसी व्याख्यान में यह कहा गया कि भारत राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं है। सारे देश में क्रोध का उफान आया और विरोध में भारत के विभिन्न भागों में सभाएँ की गईं। वायसरॉय के शब्दों ने बहुत से बंगाली नवयुवकों को उग्र-दल का समर्थक बना दिया।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके कारण भी भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ पुष्ट हुईं। आरम्भ में भारतवासी शर्तबन्ध मजदूरों की तरह दक्षिण अफ्रीका गये थे किन्तु उनके बाद में कुछ व्यापारी और अन्य व्यवसायी भी गये थे। दक्षिण अफ्रीका में, विशेषकर बोर उपनिवेश में सभी भारतीय समाज से बहिष्कृत थे। उन पर व्यक्तिगत कर लगता था। सहरों के बाहर कुछ निर्दिष्ट स्थानों में "घूरो" पर उन्हें रहना पड़ता था। कुछ उपनिवेशों में वे राज मार्ग पर नहीं चल सकते थे और न रेल के पहले और दूसरे दर्जे में यात्रा कर सकते थे। वे वहाँ का सोना नहीं रख सकते थे और न रात के ९ बजे के बाद

---

"घुडसवार मिसमर्ग", "नीच जाति" आदि गालियाँ दी जाती थी—  
Nevinson 'The New Spirit in India, pages 17-18'  
से अनुवादित।

१. Nevinson ; The New Spirit in India, page 229.

२. Besant 'How India Wrought for Freedom, page 280.

घर के बाहर रह सकते थे।<sup>१</sup> बन्धुन वहाँ रहने की शर्तें इतनी अपमानजनक थीं कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने बोर प्रजातन्त्र से अपने झगड़े के कारणों में इन शर्तों को भी गाना की। एक अवसर पर उन्होंने कहा कि, "हमारी भारतीय प्रजा के इस अपमान से हमारा रक्त उबलने लगता है।" बोर युद्ध में ब्रिटिश विजय हुई किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ बरन् दसा और बिगड़ गई। सन् १९०७ में ट्रांसवाल में एगिपाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना। इसके अनुसार भारतीयों को अपरोधी जातियों की तरह बगुलिया की छाप दकर अपना निवर्धन कराना आवश्यक था। भारत-वासियों ने इन अपमानजनक नियम का जर्स्वाकार किया और महात्मा गांधी<sup>२</sup> के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। उन्होंने अपना निवर्धन कराने के लिए मना कर दिया और फलतः महात्मा गांधी और अन्य सहस्रा भारतीयों को कारावास दंड दिया गया। मरण कई वर्षों तक चला और उसमें भारतीयों का आर्थिक और नागरिक जीवन छिन हो गया।<sup>३</sup>

दक्षिण अफ्रीका की स्थिति की भारतवासियों के मस्तिष्क में प्रतिक्रिया हुई। एक बोर तो महात्मा गांधी और उनके साथियों के साहसपूर्ण विरोध के लिए प्रशंसानाव था, सत्याग्रहियों की महायत्ना के लिए सार्वजनिक चन्दे किये गये और देश के विभिन्न भागों में सहायता और सहानुभूति के लिए सभाएँ की गईं। दूसरी ओर भारतवासियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके प्रति रोष था। भारतवासियों की दृष्टि में गृह-सरकार और दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों की सरकारों में कोई भेद नहीं था। सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर मढ़ा गया और इस प्रकार देश में ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं में बहुत बड़ी वृद्धि हुई।

## ६

बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में देश में जो नया जीवन दिखाई दिया उसके कुछ कारणों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त और भी कारण थे—स्वूलो और कॉलेजों का प्रभाव; कांग्रेस और भारतीय पत्रों के कई

१. Thompson The Reconstruction of India, page 76.

२. मिस्टर गांधी—जो उस समय इसी नाम से परिचित थे—आरम्भ में एक मुकदमे में १८९३ में दक्षिण अफ्रीका गये थे। नेटाल में भारतीयों की दसा देखकर उन्होंने वही बसाने का निश्चय किया। दरबान के पास उन्होंने एक बस्ती बसाई। वहाँ के निवासियों के लिए सरल और प्राथमिक जीवन का आदर्श था। वहाँ गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धान्त का पहली बार प्रतिपादन किया।

३. Kohu History of Nationalism in the East, page 401.

दशान्द्रियों के आन्दोलन का प्रभाव; स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और श्रीमती एनी बेसेन्ट के महान् एव धार्मिक व्यक्तित्वों का प्रभाव, और आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा भारत सेवक समिति (Servant of India Society) आदि सस्थाओं के कार्यों का प्रभाव। वस्तुतः उस समय भारत में अनेकांगी पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था। कला के नये केन्द्र खोले जा रहे थे, बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कवियों और द्रष्टाओं द्वारा भारतीय भाषाओं की सम्पन्नता बढ़ रही थी, तिलक और भडारकर जैसे व्यक्तियों के अनुसंधानों के फलस्वरूप ज्ञान की सीमायें बढ़ रही थी, भारतीय संगीत, प्राचीन साहित्य एवं सस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व हो रहा था। पश्चिमी वस्तुओं और पश्चिमी पोशाक के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी रहन-सहन से विकर्षण हुआ। भारतीय वस्तुओं और भारतीय विचारधारा के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ। विदेशों में भी स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की नई भावना दिखाई पड़ी। वस्तुतः १९०५ के राष्ट्रीय आन्दोलन को देश के धार्मिक पुनरुत्थान से प्रेरणा मिली। तिलक, अरविन्द, बारीन्द्र घोष, बिपिन चन्द्र पाल और राजपनराय—ये सब महत्वपूर्ण नेता धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थे। अरविन्द घोष इस युग की भावनाओं का और इस युग की विचारधारा का मूर्तमान स्वरूप थे। वे राजनीतिक जीवन में तीर की तरह आये और उसी वेग से लुप्त भी हो गये। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता, किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा भौतिक सुधार के किसी साधन से कही बड़ी चीज थी। उनकी दृष्टि में उसके चारों ओर एक ऐसा तेज पृष्ठ था जो मध्यकालीन सन्तों की दृष्टि में धर्म पर बलि हो जाने वाले के चारों ओर होता था।<sup>१</sup>

७

सन् १९०५ में नये राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस के तरुण वर्ग को राजनीतिक निष्ठावृत्ति में आस्था मिट चुकी थी। लॉर्ड कर्जन के आधीन भारत सरकार की नीति ने कांग्रेस के स्वर की अज्ञहेलना की और शिक्षित वर्ग को निरन्तर अपमानित किया तथा इस प्रकार तरुण राष्ट्रवादियों को उप्रवादी बना दिया। इन लोगों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं रहा था। ये लोग इस निश्चय पर पहुँचे थे कि प्रार्थनाभक्तों द्वारा कुछ प्राप्त करना असम्भव है। इन लोगों की दृष्टि में विदेशी राज्य स्वयं अपमानजनक था। उनकी आत्म निर्भर स्वयन्त कार्य में विश्वास था किन्तु अंग्रेजों

की उदारता और परोपकारिता से उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं थी। उन्हें अपना कार्य-क्रम निरन्तर किया—विदेशी वस्तुओं का, विदेशी-सत्त्वों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और राष्ट्रीय सत्त्वों की स्थापना।

८

१९०५ में बड़े दिनों पर बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के समय नई भावना ने अपने आपका व्यक्त किया। मन् १९०४ के अधिवेशन का समाप्तित्व मर हुंरुं वॉटन ने किया था। उन अधिवेशन में मर वॉटन के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल नियुक्त किया गया था और उसे वापसराय के समक्ष अधिवेशन के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। किन्तु लॉर्ड कर्जन ने उस शिष्टमण्डल से मिलना अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की अवहेलना की। फलतः यह निरन्तर किया गया कि ब्रिटिश जनता को भारतवासियों के कष्टों से परिचित करने के लिए श्री गोखले और लाला लाजपतराय का एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजा जाय।

पुराने कांग्रेसियों का भारत के ब्रिटिश शासकों की न्यायनिष्ठा में से विश्वास उठ गया था किन्तु ब्रिटिश राजनीतिको और ब्रिटिश जनता की आन्तरिक न्याय प्रियता में उनका विश्वास अब भी बना हुआ था। आरम्भ से ही उन्होंने इंग्लैंड में कांग्रेस के काम पर धोर दिया था। मन् १८८९ में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना हुई थी और उनके निर्वाह के लिए ४५००० रु स्वीकार किये गए थे। १८९३ में एक ब्रिटिश पार्लियामेण्टरी कमेटी का संगठन किया गया था। इस कमेटी को हाउस ऑव कॉमन्स में भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त करने का काम सौंपा गया था। पार्लियामेण्ट के सदस्यों और ब्रिटिश जनता को सही सूचना देने के लिए 'इंडिया' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। ब्रिटिश जनमत को शिक्षित और प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने समय-समय पर प्रमुख भारतीयों के शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजे थे। पहले शिष्टमण्डल को मुत्सद्दनाय बनर्जी के आधीन १८८९ में इंग्लैंड भेजा गया था। दूसरा शिष्टमण्डल १८९० में इंग्लैंड गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है एक शिष्टमण्डल १९०५ में भेजा गया। किन्तु उनके सदस्यों को—और कम से कम एक सदस्य को तो निरन्तर ही बड़ी निराशा हुई। ब्रिटिश जनता अपने निजी विषयों में व्यस्त व्यस्त थी; ब्रिटिश समाचार-पत्र भारतीयों को बहिष्कारों को व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं थे और भारतीय समाजियों को लोगो तक पहुँचाना बहुत कठिन था। लाला लाजपतराय ने बनारस अधिवेशन में अपने देशवासियों से कहा कि स्वतन्त्रता पाने के लिए उन्हें केवल अपने आप पर ही भरोसा करना होगा।



इस मदेश का बनारस अधिवेशन के तरुण वर्ग पर विशेष प्रभाव पडा। उस समय तक बंगाल का विभाजन हो चुका था और विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार का आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। विषय समिति में महत्वपूर्ण मतभेद थे किन्तु पुराने राष्ट्रवादियों के झुक जाने से समझौता होगया। कांग्रेस शिविर में तरुण प्रतिनिधियों ने एक खुला सम्मेलन किया और एक नया राष्ट्रीय दल बनाया। इस दल ने कांग्रेस के अन्तर्गत रहना निश्चित किया और निष्क्रिय विरोध एवं राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के कार्यक्रम को अपनाया।

सन् १८९२ के बाद कांग्रेस ने फिर १९०५ में पहली बार राजनीतिक मुद्धारों की माँग की। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय प्रतिनिधित्व देने के लिये माँग की गई और साथ ही वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद् और बम्बई तथा मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीयों को नियुक्त करने के लिये माँग की गई।<sup>१</sup>

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में १९०६ की कांग्रेस का विशेष महत्व है। इस अधिवेशन पर सभापति दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की। नरम दल के कांग्रेसियों ने मुख्यतः तिलक<sup>२</sup> को सभापति न बनने देने के उद्देश्य से ८२ वर्ष के वृद्ध दादाभाई नौरोजी को इंग्लैंड से विशेष रूप से बुलाया था। कांग्रेस में विच्छेद का भय था किन्तु दादाभाई के कौशल ने और साथ ही जनमत ने स्थिति को बचा दिया। इस जनमत के कारण नरम दल के कांग्रेसी, उग्र दल के बहुत निकट आ गये थे। नरम दल वालों के अनुसार बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा-सबधी स्वीकृत प्रस्ताव, आवश्यकता से कहीं अधिक कठोर थे। अतः अगले वर्ष सूरत में उन्होंने इन प्रस्तावों में सशोधन करने का प्रयत्न किया और वस्तुतः इसी प्रयत्न के कारण कांग्रेस में फूट पड़ी। सन् १९०७ में बडे दिनों पर सूरत कांग्रेस की फूट के लिये कौन उत्तरदायी है यहाँ पर इस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों दलों में गभीर मतभेद था और केवल शब्द परिवर्तन से वह मतभेद दूर नहीं हो सकता था। दोनों दल अपनी बात पर दृढ़ थे। एक को अपने बहुमत पर विश्वास था और दूसरे दल को अपने भविष्य और सार्वजनिक समर्थन पर विश्वास था। ऐसी परिस्थिति में फूट अनिवार्य थी। समझौते के लिए सारे प्रयत्न असफल रहे<sup>३</sup> और १९०७ में २७ दिसम्बर को उपद्रव और अव्यवस्था के अत्यन्त खेदपूर्ण वातावरण में अधिवेशन विच्छिन्न हो गया।

१ सन् १९०५ के अधिवेशन का प्रस्ताव न० २ Besant How India Wrought for Freedom, pages 432 and 433

२ Athalye - Life of Lokmanya Tilak, page 157

३ २७ दिसम्बर को सभापति ने निर्वाचन के बाद अपना आसन ग्रहण किया। तब

नरम दली नेताओं ने दूसरे दिन २८ दिसम्बर को कांग्रेस पडाल में पुलिस के संरक्षण में एक सम्मेलन किया। कुल १६०० प्रतिनिधियों में से इस सम्मेलन में १००० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इनमें लाला लाजपतराय भी थे। लगभग १०० प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की एक कमेटी बनाई गई जिसे कांग्रेस का विधान तैयार करने का काम सौंपा गया। यह विधान १९०८ में तैयार हुआ। इसमें कांग्रेस कार्य के लिये पुरानी पद्धति और परम्परा को पुष्टि की गई और वैधानिक साधनों—वर्तमान शासन व्यवस्था में श्रमवद्ध सुधारों—द्वारा स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य प्रकट किया गया।

इस पुनरुत्थापित कांग्रेस ने १९०८ के बड़े दिन के अवसर पर डा० रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में मद्रास में अपना अधिवेशन किया और इसमें ६०६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कांग्रेस, प्रचलित ढंग पर काम करती रही। प्रतिवर्ष बड़े दिन के अवसर पर वह देश के किसी महत्वपूर्ण नगर में अपना सम्मेलन करती थी और राजनीतिक मुद्दों के लिए तथा लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा ठीक करने के लिये अपनी मांग प्रस्तुत करती थी।

---

लोकमान्य तिलक एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को मूढे हुए। उसके लिये नियमानुसार एक दिन पहले सूचना दी जा चुकी थी परन्तु सभापति ने आज्ञा प्रदान नहीं की। तिलक मंच से नहीं हटे। नरम दल वालों ने उन्हें वहाँ से नीचे खींचना चाहा। उसी समय एक मराठी जूता मंच की ओर फेंका गया जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और फीरोजशाह मेहता के लगा। कुछ ही देर में बहुत से आदमी लाठियाँ लिये हुए दौड़ पड़े और वे जिस किसी को नरम दली होने का सन्देह करते, उसी को मारते। “भारतीय महिलाएँ पडाल से बाहर खिसक गईं, मंच के नेता भी खिसक गये—तिलक को उनके अनुयायी ले गये—किन्तु पडाल में बड़ा उपद्रव हुआ—कुर्सियाँ फेंक कर मारी गईं, लाठियाँ चली और बहुत से सिर फूट गये।” अन्त में पुलिस ने आकर पडाल को खाली करा दिया।

Nevinson : The New Spirit in India, pages 256-259

पर हस्ताक्षर करने की अपील की। इसी दृग् की सभाएँ बंगाल में अन्य स्थानों पर हुईं। उनमें स्वदेशी के प्रयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रस्ताव स्वीकार किये गए और बहिष्कार सबंधी प्रतिज्ञा की गई।<sup>१</sup>

इस आन्दोलन के होने हुए भी १६ अक्टूबर को विभाजन कर दिया गया। उस दिन सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया। बलकृष्ण के कार्यक्रम में चार बातें मुख्य थी - (१) राखी बधन-विभाजित प्रान्तों की एकता के प्रतीक स्वरूप पुरपों की बलाइयों में लाल धागे बाँधे गए, (२) हुडताल और उपवास, (३) पेरिस के एक भवन (Hotel des Invalides) के नमूने पर एक 'फेड-रेशन हॉल' का सिलालान्नाम। इस भवन में बंगाल के सब जिलों की मूर्तियाँ रखी जानी थी। पृथक् किये हुए जिलों की मूर्तियों को, फिर एक होने के दिन तक<sup>२</sup> ढका रखना था। और (४) बुनकर-उद्योग की महायत्ता के उद्देश्य से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना। इसके लिए सायकाल को एक सार्व-जनिक सभा हुई और ७०००० रुपये तो सभास्थल में ही एकत्रित हो गए।

विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल और आसाम का नया प्रान्त बना। इस प्रान्त की राजधानी ढाका में बनाई गई और उसके लिए सर बंमफील्ड फुलर को उप गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। किन्तु आन्दोलन यथापूर्व गति से चलता रहा। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्र पाल जैसे नेताओं ने सारे नये प्रान्त का परिभ्रमण किया, विराट सभाओं में भाषण दिया और उपस्थित जनों से स्वदेशी और बहिष्कार की सपथ ग्रहण कराई। राष्ट्रीय पत्रों द्वारा प्रबल प्रचार किया गया। बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी आन्दोलन फैल गया। सन् १९०५ के कांग्रेस अधिवेशन ने राजनीतिक बहिष्कार और आर्थिक स्वदेशी, दोनों बातों के लिए स्वीकृति दी। सन् १९०६ में इस स्वीकृति की और भी प्रबल भाषा में पृष्टि की गई। दोनों आन्दोलनों की काफी सफलता मिली। इंग्लैंड से सूती और अन्य माल का आयात घट गया और भारत के बुनकर-उद्योग को और अन्य धंधों को बड़ा प्रोत्साहन मिला।<sup>३</sup> स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में ये आन्दोलन विशेष रूप

का श्रय नहीं करूंगा। ईश्वर शक्ति दे।" Bannerjee A Nation in the Making, pages 189-191

१ २० जुलाई और २६ अक्टूबर के बीच बंगाल में लगभग २००० सभाएँ हुईं।

२ Bannerjee उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २१३.

३ पूर्वी बंगाल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार १९०५-०६ में बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनीं और विदेशी आयात में १६ प्रतिशत कमी हुई। १९०७ की मई में लन्दन के टाइम्स के अनुसार मंचेस्टर से सूती बपड़े के आयात में

किया और सम्मेलन को भग कर दिया। सारे देश में इस पर विरोध सभाएँ हुईं।<sup>१</sup> कलकत्ते की एक सभा में राय नरेन्द्र नाथ सेन ने कहा कि इस दमन का एकमात्र परिणाम यह होगा कि नवयुवक अराजकतावादी हो जाएँगे। मद्रास की एक सभा में भारत मंत्री से यह प्रार्थना की गई कि वे हस्तक्षेप करें और इस घटना से सबधित अधिकारियों को दंड दें।<sup>२</sup>

किंतु पूर्वी बंगाल की सरकार ने अपना ढर्रा नहीं बदला। उसने केवल दमन की नीति को ही जारी नहीं रखा बरन् जनता में फूट डालने और मुसलमानों का पदा लेने की नीति को भी आगे बढ़ाया। मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और विभाजन विरोधी आन्दोलन में हिन्दुओं को पृथक् करने के लिये सर बंम्फील्ड ने हर प्रकार के उपायों का उपयोग किया। ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने आरम्भ में विभाजन को "पाशविक व्यवस्था" बताया। उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे १ लाख पौण्ड का ऋण दिया गया। "बहुत से सरकारी पदों को मुसलमानों के लिये सुरक्षित रखा गया और कुछ स्थानों को उपयुक्त मुसलमान न मिलने पर रिक्त रखा गया।"<sup>३</sup> अधिकारियों की छेड़छाड़ तो केवल हिन्दुओं के ही लिए थी। उन्हें सरकारी पदों से दूर रखा गया। हिन्दू स्कूलों की सरकारी अनुग्रह और सहायता से वंचित किया गया। जब मुसलमान उपद्रव करते थे तो पुलिस अपराधियों को दंड देने के लिये हिन्दू घरों पर छापा मारती थी। हिन्दू वस्तियों में गुरबा संनिकों को सुरक्षा के लिये नियुक्त किया गया।<sup>४</sup> उप-गवर्नर ने इस बात की हसी करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया कि उनको अपनी दो पत्नियों में मुस्लिम पत्नी अधिक प्रिय थी। "मुसलमानों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश अधिकारी उनके सब अत्याचारों को<sup>५</sup> क्षमा कर देंगे।" मुसलमान मौलवी चारों ओर यह कहते फिरते थे कि हिन्दुओं के प्रति हिंसा करने के बदले में अथवा हिन्दुओं की दुकानें लूटने और हिन्दू विधवाओं को भगाने के बदले में मुसलमानों को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। एक लाख पुस्तिका प्रकाशित की गई जिनमें इन्हीं बातों का प्रतिपादन किया गया था।<sup>६</sup> कामिला, जमालपुर और ढाका आदि कई स्थानों में उपद्रव आरम्भ हो गए। ढाका में तीन दिन और तीन रात तक मुस्लिम उपद्रवियों का आधिपत्य रहा और उन्होंने घनी मारवाड़ी रत्नकारों को जी भरकर लूटा।<sup>६</sup>

१. Bannerji : A Nation in the Making, page 219

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३२

३. Nevinson The New Spirit in India, page 192

४. Nevinson ' The New Spirit in India, page 202

५. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९१

६. Mazumdar : Indian National Evolution, page 235

पिछले अध्याय में नये राष्ट्रीय दल, उसके सिद्धान्तों और उसके कार्यक्रम का उल्लेख किया जा चुका है।<sup>१</sup> इस समय भारत में विवेकानन्द के महान व्यक्तित्व की प्रेरणा से बहुत बड़ा हिन्दू पुनरुत्थान हो रहा था। इन दोनों (नये राष्ट्रीय, और हिन्दू पुनरुत्थान) आन्दोलनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और यह बात बंगाल में विशेष रूप से प्रकट हुई। जैसा कि सर बैलेष्ट्राइन शिरोल ने कहा है—  
 "इस नयी राष्ट्रीयता के मूढ़ घोष स्वदेशी' और स्वराज्य हैं और उनका अर्थ केवल आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। उनका अर्थ विदेशी जाति, और विदेशी सभ्यता के आदर्शों के स्थान पर सामाजिक धार्मिक बौद्धिक और नैतिक क्षत्र में पुरानी हिन्दू परम्पराओं का संगठित उत्थान करना है। इस विचार-धारा के कुछ प्रतिपादकों की हार्दिक सच्चाई के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। अरविन्द घोष की भांति उनको यह दृढ़ विश्वास है कि 'देश की सारी नैतिक शक्ति हमारे साथ है न्याय हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है और ईश्वरीय नियम जो सर्वोपरि है वह भी हमारे साथ का न्याय्य ठहरता है।'<sup>२</sup> बिपिन चन्द्र पाल लिखते हैं—  
 "भारत में राष्ट्रीय चेतना और आकांक्षाओं की पुनर्जागरण के कारण शक्ति उपासना के प्राचीन आदर्शों का पुनरुत्थान हुआ है। दुर्गा, काली, जगद्धात्री और भवानी आदि शक्ति की विभिन्न प्रतिमाओं का नया अर्थ दिया गया है। ये प्राचीन देवी और देवता आधुनिक मस्तिष्क में पुन-प्रतिष्ठित किये गये हैं और उनकी एक नयी ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय व्याख्या भारत की आत्मा और मस्तिष्क के समक्ष रखी गई है।"<sup>३</sup>

लोगों के मस्तिष्क पर, विशेषकर बंगाल के तटस्थों पर इस नये राष्ट्रीय दल के नया आकांक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। सन् १९०६-१९०८ में इस दल की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और उसके प्रभाव ने बहिष्कार तथा स्वदेशी के आन्दोलनों को बहुत सहायता दी। इस दल के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ चलाई गईं। कलकत्ता में एक कालेज चलाया गया। अरविन्द घोष इसके प्रिन्सीपल थे। मन्न और जे. दीना के द्वारा दल जोरों से प्रचार कर रहा था। बिपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष ने अपने मुख पत्र—'न्यू इण्डिया' तथा 'बन्दे मातरम्'—द्वारा प्रबल और प्रभावशाली भाषा में स्वतन्त्र भारत का आदर्श प्रस्तुत किया और धार्मिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों की व्याख्या की। बिपिन चन्द्र पाल के अनुसार डोमोनियन स्टेट्स

१ इसी पुस्तक का बारहवा अध्याय देखिये।

२ Chhrol Indian Unrest, page 12.

३ B. C. Pal The Soul of India, pages 186-187.

स्वतन्त्रता के आदर्श को फैलाने का प्रयत्न किया था। सन् १९०५ में वे बंगाल लौट कर आये और उस समय तक उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि देश में विशुद्ध राजनीतिक प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होगा और सकटों का सामना करने के लिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण द्वारा ही समर्थ बनाया जा सकता है। उन्होंने 'युगान्तर' नामक पत्र चलाया और उसके द्वारा सर्वमाधारण में राजनीतिक एवं धार्मिक प्रचार किया। उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए १४-१५ नवम्बर कार्यकर्ताओं को तैयार किया। "हमारी दृष्टि मुद्गर भविष्य में प्राति पर जमी हुई है और हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं"।<sup>१</sup>

बारीन्द्र घोष ने एक निबन्ध लिखा जिसके शीर्षक का भाव था 'भारत में गीता के रंग का पुनरागमन'। इस लेख द्वारा उन्होंने अपने प्रातिकारी विचारों को समझाया। "श्रीकृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होगा, तब धर्म को स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर-वचन होगा"। "वर्तमान परिस्थितियों में धर्म का हास और अधर्म का अभ्युदय दृष्टिगोचर हो रहा है। मुझी भर विदेशी लुटेरे करोड़ों भारतवासियों को बरबाद कर रहे हैं और भारत की सभ्यता को लूट रहे हैं। इस दासता के चक्र में अनगिनती लोगों को पसलिया चूर चूर हो गई हैं। भारतवासियों, डरो नहीं। ईश्वर निष्कण्य नहीं रहेगा। वह अपने बचन का पालन करेगा। ईश्वर के शब्दों में दृढ़ विश्वास रख कर ईश्वरोप शक्ति का आवाहन करो। हृदय में दिव्य ज्योति आने पर मनुष्य अमम्भव कार्य भी कर सकते हैं।"<sup>२</sup>

उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्यक्रम में ६ बातें बताई गईं। पहली बात तो यह थी कि पत्नी की सहायता से प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में दासता के प्रति नृणा जाग्रत कर दी जावे। दूसरी बात यह थी कि लोगों के मस्तिष्क से वेहारी और भूल का डर दूर कर दिया जावे और उनमें मातृभूमि और स्वतन्त्रता का प्रेम भर दिया जावे। इसके लिए संगीत और नाट्यकला को साधन बनाया गया। राष्ट्रीय वीरो और शहीदों के जीवन चरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के लिए कहा गया और साथ ही देश भक्ति से ओत प्रोत गानों को हृदयस्पर्शी सगौन द्वारा लोगों तक पहुँचाने के लिए कहा गया।<sup>३</sup> तीसरी बात यह थी कि शत्रु को प्रदर्शनों और आन्दोलन—वन्देमातरम् अलूस, स्वदेशी सम्मेलन, बहिष्कार

१. सन् १९०८ को २२ मई का एक मजिस्ट्रेट के सामने बारीन्द्र घोष का बयान  
—Sedition Committee Report, 1918, page 20.

२. Chitral Indian Unrest, pages 90 and 91.

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ९३।

बंगाल में शक्तिकारी अपराधों का इतिहास, उपयुक्त दोनों घटनाओं से आरम्भ होता है। किन्तु आन्दोलन के आरम्भिक दिनों में ही एक और घटना हुई और उसके फलस्वरूप इंग्लैंड और भारत में बड़ा उद्वेग हुआ। शक्तिकारी दल ने, मुजफ्फरपुर (बिहार) के जज मि. किम्सफोर्ड की हत्या करने का काम, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक अपने दो सदस्यों को सौंपा था। बिहार आने से पहले मि. किम्सफोर्ड कलकत्ता के मुख्य प्रसीडन्सी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को कठोर दण्ड दिये थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठित घरानों के नवयुवकों को शारीरिक दण्ड दिया था।<sup>१</sup> और इसके कारण वे अत्यन्त अप्रिय हो गये थे। शक्तिकारी दल ने उनकी हत्या करने का निश्चय किया। पहले तो उन्होंने एक बट बिल्क्षण उपाय में काम लिया। उन्होंने मि. किम्सफोर्ड से मांगी किसी पुस्तक को हथिया लिया। तदुपरान्त उन लोगों ने पुस्तक के पृष्ठों को बीच में से काट लिया और रिक्त स्थान में एक बम रख दिया और उसमें एक स्प्रिंग लगा दी ताकि पुस्तक खोलने पर बम का विस्फोट हो जावे। पुस्तक को पासल से मि. किम्सफोर्ड के पास भेज दिया गया किन्तु तुरन्त आवश्यकता न होने के कारण उन्होंने उम पानल को नहीं खोला। कुछ महीने बाद किसी शक्तिकारी से यह भद प्रकट हो गया। इस उपाय का असफल हो जान पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को हत्या के लिए नियुक्त किया गया और वे बम लेकर मुजफ्फरपुर गये। मि. किम्सफोर्ड के बंगले की ओर से एक गाड़ी आ रही थी और इन लोगों ने यह समझकर कि उसमें अत्यन्त अप्रिय मि. किम्सफोर्ड होंगे, उस बम को गाड़ी पर फेंक दिया। किन्तु उस गाड़ी में मिसेज कॅनेडी और मिम कॅनेडी नामक दो अग्रज महिलायें थी और उस बम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सन् १९०८ की ३० अप्रैल को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दो दिन बाद अपराधी पकड़े गये—प्रफुल्ल चाकी ने तुरन्त गोली मार कर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया। उसने हत्या का आक्षेप स्वीकार किया और उसको फाँसी दी गई। सर वेंलेण्टाइन शिरोड लिखते हैं—“इस प्रकार वह बंगाल के राष्ट्रवादियों को लिये राष्ट्रीय वीर और शहीद हो गया। विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों ने उसके लिये शोक की पोशाक पहनी, दो तीन दिन के लिये स्कूल बन्द कर दिये गये और उनकी स्मृति में श्रद्धाजलिया

१ मुशील सेन नामक १५ वर्षीय विद्यार्थी को बेल से मारा गया। इस घटना से देश में बड़ा रोप उत्पन्न हुआ। Bannerjee A Nation in Making, page 248. इसके अतिरिक्त देखिये P. C Roy Life and Times of C. R. Das, page 51.

डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मि दममुल आलम को गोली से मार दिया गया। यह पुलिस अधिकारी जलीपुर अभियोग के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ था।

क्रान्तिकारी दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये बड़ी कठोरता से काम लिया जाता था। किसी पर विश्वासघात का सन्देह होने पर उसे बड़ी निष्ठुरता से दण्ड दिया जाता था। नवम्बर १९०८ में तीन विश्वासघातियों को गोली से मार दिया गया। क्रान्तिकारी दल, पुलिस अधिकारियों को, अभियोग निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों को, सरकारी बकौला को और सरकारो गवाहा को आतंकित करने के लिये बड़ी दृढ़ता और निर्भयता से काम करता था। कितनी ही हत्याएँ और डकैतियाँ हुईं। दमनकारी कानून, कठोर दण्ड, अथवा १९०९ और बाद में १९१९ के सुधार भी इन लोगों को उनके निश्चित मार्ग से विचलित नहीं कर सके। सन् १९०८ और १९०९ के विचाराधीन युग में हत्याएँ और डकैतियाँ की सरया बढ़ती ही गई। सन् १९०८ में ७ नवम्बर को बंगाल के उप-गवर्नर सर एण्ड्रयू फ्रेजर की हत्या करने का प्रयत्न किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली। गोली मारने वाला पकड़ा गया उस पर अभियोग चला और उसे १० वर्ष के लिये कठोर कारावास दंड दिया गया।

५

सन् १९०६ से १९१० तक के वर्षों में क्रान्तिकारी केवल बंगाल में ही सक्रिय नहीं थे बल्कि वे भारत के अन्य प्रान्तों में और विदेशों में भी काम कर रहे थे। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है क्रान्तिकारी आन्दोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उसके फलस्वरूप मि० रैण्ड और लेफ्टिनेण्ट ऐंगस्ट की हत्याएँ हुई थीं। इनके अनिश्चित दामोदर चपेकर को गिरफ्तारी और दोष-सिद्धि के लिये सूचना देने वाले दो माइया की भी हत्या की गई थी। सन् १८९९ के बाद दक्षिण में प्रकटत पूर्ण शान्ति थी किन्तु क्रान्तिकारी काम को फिर आरम्भ करने के लिये महाराष्ट्र और लन्दन में गुप्त रूप से तयारियाँ हो रही थी। इस आन्दोलन के नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर बन्धु—गणेश और विनायक सावरकर।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा रैण्ड हत्या से किसी प्रकार संबंधित थे और वे चुनचाप इंग्लैंड लिसक आये। सन् १९०५ तक तो वे ठिपे हुए से रहे किन्तु उस वर्ष की जनवरी में उन्होंने लन्दन में इंडियन होम रुल सोसाइटी चलाई और एक पेंस का इंडियन सोशियोजोर्जिस्ट नामक मासिक पत्र निकाला। मिस्टर एस आर राना नामक एक सज्जन पेरिस में बस गये थे। उनके सहयोग में श्यामजी



इस अवसर पर इयामजी कृष्ण वर्मा ने दो सन्देश पत्र भेजे । एक सन्देश के शीर्षक में शहीदों का सरोधित किया गया था और दूसरे सन्देश में गम्भीर चेतावनी दी गई थी । इन सन्देशों को विद्रोह दिवस की समारोह में पढ़ा गया और आग-तुफानों में उनका वितरण किया गया और उनसे इन सन्देश पत्रों को पृथक् रूप में भारत भ्रमण की प्रार्थना की गई । जन १९०८ में इंडिया हाउस में एक व्याख्यान दिया गया । इस व्याख्यान में वक्त्र के प्रयोग को न्याय्य ठहराया गया और उन्हें वक्तव्य की प्रशिक्षण बताया गया । लगभग इसी समय इंडिया हाउस के सदस्य रिवावर से निशाना लगाने का अभ्यास भी करना लग्य ।

धीरे धीरे इंडिया हाउस के सदस्य विनायक सावरकर के नेतृत्व को मानने लग्य । सावरकर ने भारत में क्रान्तिकारी काम की संघारियों को भी आगे बढ़ाया । फरवरी १९०९ में उसने २० नवीनतम प्रकार की पिस्तौलों का पासल बम्बई भेजा । इस पासल के साथ पिस्तौलों के कारतूस भी थे । इन चीजों को एक बक्स के झूठे तले के नीचे छिपा दिया गया था और इस बक्स का इंडिया हाउस के एक चतुर्भुज अमीन नामक रमोइय के मामान के साथ पासल किया गया था ।<sup>१</sup> यह पिस्तौलें अभिनव भारत समिति के सदस्यों के कान में आनी थी । यह समिति विनायक के बड़े भाई गणेश के नेतृत्व में काम कर रही थी । किन्तु पासल के भारत पहुंचने से पहले ही गणेश सावरकर को २ मार्च १९०९ को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया । पासल एक मित्र के नाम था जिस पहले ही फोटा लिया गया था ।

गणेश सावरकर ने विरुद्ध यह आक्षेप था कि उन्होंने लघु अभिनव भारत मेला नामक शापक के अंतर्गत १९०८ के आरम्भ में भडकाने वाले कविताज्ञा का एक सकलन प्रकाशित किया था । अभियाग का अंतिम निणय बम्बई के उच्च न्यायालय ने किया । उसके अंज के शब्दों में इस सकलन से इस बात का प्रचार होता था कि 'सत्त्वहार हाथ में लो और सरकार को भिगा दो क्योंकि वह विदेशी और असाधारणी है' ।<sup>२</sup> ९ जून १९०९ को गणेश सावरकर को आजीवन देश निर्वासन का दंड मिला । विनायक को समुद्री तार द्वारा दंड की सूचना दी गई । रविवार २० जून को समिति की बैठक में विनायक विनायक रूप में उग्र था और उसने अग्रजों से बदला लेने की अपनी शपथ को दोहराया ।<sup>३</sup>

बंगाल संबंधी समाचारों ने भी इंडिया हाउस के सदस्यों को उत्तजित किया ।

१ Sedition Committee Report page 9

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९

राष्ट्र भी एक ही स्थान से प्राप्त होते थे तथापि एक समुदाय के सदस्य दूसरे समुदाय के सदस्यों से विलुप्त अपरिचित थे। गणेश सावरकर के हाथों में उनका नेतृत्व था और विनायक सावरकर उनका मित्र, प्रेरक और निर्देशक था। वह लन्दन से, टाइप की हुई प्रतियाँ बम बनाने के लिये हिदायत देता था और उनके लिये नातिकारी साहित्य भेजता था। वह विदेशों से राष्ट्र भेजना था और उन्हें आतंकपूर्ण कामों के लिये प्रेरित करता था।

बिहल के देशों राज्या म भी अभिनव भारत समिति की उप शाखाएँ थी। ग्वालियर म एक नव भारत समिति थी। इसके २२ सदस्यों पर सम्राट् के विरुद्ध युद्ध संगठन करने के अपराध में अभियोग चलाया गया। ग्वालियर पड़यंत्र केस के इन अभियुक्तों को विभिन्न अवधियों के लिये कारावास दंड दिया गया।

अभिनव समिति की एक शाखा १९०७ स सतारा म काम कर रही थी। सन् १९१० में उसके तीन सदस्यों पर सम्राट् के विरुद्ध पड़यंत्र का परिचिन आरोप लगाया गया। सतारा पड़यंत्र केस के सभी अभियुक्तों का अपराध सिद्ध हुआ और उन्हें कारावास दंड दिया गया।

नातिकारी आन्दोलन, पश्चिमी भारत के विभिन्न भागों में फैल गया था। नातिकारियों के प्रभाव से गुजरात भी नहीं बचा था। नवम्बर १९०९ में अहमदाबाद में लॉर्ड और लेडी मिटो जिस गाडी में शहर म घूम रहे थे, उन्हे उड़ाने का प्रयत्न किया गया। दो नारियल बम फेंके गए पर वे फटे नहीं। बाद में उनमें से एक बम को कौतूहलवश एक पथिक ने उठाया और बिस्फोट के कारण उसका एक हाथ उड़ गया।

६

सन् १९०६ से १९१० तक के वर्षों म दक्षिण के नातिकारियों का काम उपर्युक्त ढंग से चल रहा था। मद्रास प्रान्त भी सक्रिय था। अप्रैल १९०७ में विपिन चन्द्र पाल ने व्याख्यान देने के उद्देश्य से मद्रास का परिभ्रमण किया था और स्वराज्य के आदर्श को प्रस्तुत करके नवयुवकों के मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया था। अरविन्द घोष के विरुद्ध राजद्रोह अभियोग में गवाही न देने के अपराध में विपिन चन्द्र को अक्टूबर १९०७ में छ महीने का कारावास दंड दिया गया। मि पाल के दो मद्रासी प्रशंसकों ने १९०८ की ९ मार्च को उनके छूटने की प्रसन्नता में एक सभा की। उस सार्वजनिक सभा में स्वराज्य का झंडा फहराया गया और प्रत्येक विदेशी वस्तु के बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा की गयी। इन दोनों प्रशंसकों—सुब्रह्मण्यम् शिव और चिदम्बरम पिलार्ड—को १२ मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन टिनेवली में भीषण उपद्रव हुआ। सरकारी सत्ता की अवहेलना की गई और सरकारी सम्पत्ति को जानबूझ कर नष्ट किया गया। उस नगर में सब-रजिस्ट्रार

संस्थाओं में विद्यार्थी, विभापकर वगाली विद्यार्थी मुख्य कायकता थ। इनको आयरिश अमेरिकन फिनियन्स का सहयोग प्राप्त था। इन की विचारधारा से अमेरिका में आकर बसने वाले अधिकांश भारतवासी प्रभावित हुए। य वह लग थ जिन्हान प्रगान्त् तत् पर एशिया विरोधी आन्दोलन में कष्ट सह थ। इन में स कुछ लग सिख और पुरान सिपाही थ। यह बान कम महत्व की नहीं थी क्योंकि इन सैनिकों द्वारा उन सैन्य दल में जिन में पहले य सैनिक काम करत थ अब सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था और कम में कमजिन वर्गों में भारतीय सना की भर्ती होती थी, उनको तो प्रभावित किया ही जा सकता था। तीन बप पूव सिपाहियों में जो पच बाट गय थ वे अमेरिका में ही छप थ।<sup>१</sup>

इस अमेरिकन एसोसियेशन मुख्यत एक प्रचार समिति थी। इसके मुख्यपत्र का नाम फा हिंदुस्तान था और यह नियत समय पर प्रकाशित जाता था। किंतु यह इंडिया एसोसियेशन का आयर्लैंड की क्रांतिकारी संस्थाओं के द्वय पर गगनन किया गया था और उसका मुख्य काम विम्पोजका का अध्ययन करना और भारत को गुप्त रूप में दासक भजना था। सर वैन्सेन्टाइन गिरोल के अनुसार इन दोनों संस्थाओं का भारत के विभिन्न स्थानों—दक्षिण बंगाल और पंजाब—की संस्थाओं से सम्बन्ध था और उनका राजद्रोहपूर्ण समाचार पत्र और साहित्य मुद्रित और प्रकाशित करने वाला से पत्र-व्यवहार होता रहता था।

७

सन् १९०७ में पंजाब का आंदोलन वस्तुतः क्रांतिकारी नहीं था। जैसा कि पंजाब के उप गवर्नर सर डनिजल ने उस समय कहा यह सब सच है कि १९०७ की गर्मियों में बहा की स्थिति गम्भीर थी। सारे प्रान्त में प्रबल असंतोष था और उसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में उपद्रव भी हुए। किंतु बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास की तरह पंजाब में आतंकवादी गुप्त समितियां नहीं थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन में पंजाब के शिक्षित वर्ग को झकझोर दिया था। स्वामी दयानन्द की शिक्षा का फलस्वरूप हिंदू नवयुवकों में स्वतंत्रता और स्वदेशी की भावना को पनपने में सहायता मिली। भारतीय पत्र प्रबल प्रचार कर रहे थे और कुछ पत्र तो वैधानिक सीमाओं को भी पार कर गये थे। उनके सम्पादकों और मुद्रकों पर अभियोग चलाया गया और उनको दंड दिया गया। आगल भारतीय पत्र जाननीय घुणा और द्वेष का प्रचार कर रहे थे किंतु उनका विरुद्ध कोई भी कायवाही नहीं की गयी। लाहौर का सिविल और मिलिटरी गजट इन पत्रों का अप्रणी था।

१ Chitrol Indian Unrest, page 147

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १४७

वह शिक्षित वर्ग के विरुद्ध नमसूर्य लेन लिखना था और उन्हें तरह-तरह की मारिबा देना था। उनमें विद्रोह के मकड़ का हल्का मचाया। उनमें रहा तक वहा गया कि विद्रोह की पचावबी वर्ष गाठ पर (१० मई १९०३ को) जरेडों के विरुद्ध नम व्युत्थान हागा। उम नूठ प्रचार पर विद्वान किया गया और पचाव के बर्द गहरों में अजरेडा की रसा के लिये प्रवन्ध किया गया और अरब निवासियों को किरों में रखने के लिये जगह दो गई। नबिन्सन ने लिखा है — "किन्तु इस भविष्यवाणी के होते हुए भी वार्द व्युत्थान नही हुआ।" १

किन्तु मन् १९०३-८ में पचाव की स्थिति बडी गम्भीर हुई और इसके बर्द कारण थे। एक आर ना आर-मार्गीय पत्र भारत-विरोधी प्रचार बडे जोरों से कर रहे थे दूसरी ओर बगाल का राष्ट्रीय आन्दोलन उमड रहा था। इसी समय प्लेग और अकाल का देवी काप हुआ और सरकार न विवेक-शून्य नूमि विपयक नीति अपना कर स्थिति को और भी बिगाड दिया। अप्रैल १९०३ में 'इडिया' और 'पजावी' नामक दो भारतीय पत्र पर अभियोग चलाया गया। 'इडिया' के मालिक और सम्पादन को पाव वर्ष का कारावास दड दिया गया और भूदक को एक राजद्रोह-पूर्ण पत्र छापने के अपराध में दो वर्ष का कारावास दिया गया। यह पत्र अमरीका से आया था और इसमें भारतीय सेना को नडकाया गया था। २ 'पजावी' ने एक बंगार के मामले में सम्पादकीय आलोचना की थी। एक सरकारी अधिकारी ने दो गाव वाला से बलान् काम कराया था और बंगार के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। अपील पर निर्णय के अनुसार 'पजावी' के मालिक को ६ महीने का कारावास दड दिया गया और उनपर १००० रपया जुर्माना किया गया और सम्पादन को छ महीने का कारावास दड दिया गया और उनपर २०० रपया जुर्माना किया गया। इस अभियोग का अन्तिम निर्णय लाहौर हाई कोर्ट ने १६ अप्रैल १९०७ को सुनाया। पत्रा लगने पर बडी भीड एकत्रिन हुई और बह जेल बाते हुए बन्दियों से मिली। उत्साह और उद्वेग के कारण अन्त में एक उपद्रव हो गया।

आरम्भ में पचाव के अगडे नूमि विपयक थे। ३ लॉर्ड मिण्टो के जीवन लेखक ने इस बात को स्वीकार किया है कि "नहर उपनिवेशों में स्थानीय सरकार ने विवेक शून्य नीति अपनाई और इसी के कारण अगडे हुए।" ४ मालगुजारी की

१. Nevinson : The New Spirit in India, page 20.

२ Nevinson : The New Spirit in India, page 18.

३ पचाव के कारणों के लिये देखिये—Lajpat Rai : Story of my Deportation Appendix B.

४. Buchan : Lord Minto : page 256.

काफ़ा बढ़ा दिया गया सभा उपनिवेशों में विगपकर वारी दोआब क्षेत्र में सिंचाई की दर को बढ़ा दिया गया और सब से बड़ी बात यह थी कि चेनाब उपनिवेश में फिर से प्राप्त की हुई भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में सरकार न अपना बचन का पालन नही किया। पंजाब विधान परिषद् में एक उपनिवेश विधायक शाघना से स्वीकार किया गया और उसके द्वारा १८९३ के एक्ट की शर्तों को बदल दिया गया। इन कायवाहियों का प्रबल विरोध हुआ। इस आन्दोलन के नेता मि अजीतसिंह और सैयद हैदर रिजाथ। उन्होंने आन्दोलन चलाने के लिये एक सस्था बनाई जिसका नाम इंडियन पेट्रियट्स एसोसियेशन था। सारे प्रान्त में विगप कर प्रभावित क्षेत्र में सभाएं की गयीं। २२ मार्च १९०७ को लाहलपुर में एक सभा हुई। इसमें लाला लाजपतराय को बोलने के लिये आमन्त्रित किया गया था। उन्होंने सरकारी कायवाहियों की आलोचना की और उन्हें बढ़ते हुए असनोप के लिये उत्तरदायी ठहराया। इस सभा में मि अजीत सिंह ने भी व्याख्यान दिया। एक ही सभा में दोनों नेताओं ने भाषण दिया। सम्भवत इसी संयोग के कारण लाला लाजपतराय और मि अजीत सिंह—दोनों ही सज्जनों को सन १८१८ के पुराने और कुटिल विनियम के अन्तगत भारत से एक साथ निर्वासित कर दिया गया।

रावलपिंडी जिले में मालगुजारी में विसय रूप से वृद्धि की गई। अप्रैल १९०७ में इस अत्यधिक मालगुजारी के विरोध में दो सभाएं की गयीं। दूसरी सभा २१ अप्रैल को हुई और इसमें मि अजीतसिंह प्रमुख बक्ता थे। जब मि अजीतसिंह की भाषा वस्तुतः उग्र हो गयी तो सभाध्यक्ष लाला हसराम ने उन्हें रोक दिया परन्तु कुछ ही दिनों बाद सभाध्यक्ष को और साथ ही २१ अप्रैल को सभा से सम्बंधित लाला अमोलक राम और लाला गुरदास राम नामक दो प्रतिष्ठित बकीलों को यह सरकारी सूचना दी गई कि भारतीय दंड संहिता की न १२४ ए और न ५०५ धाराओं के अन्तगत उन पर अभियोग चलाया जावेगा और इन लोगों को २ मई को ११ बजे न्यायालय में उपस्थित होने के लिये कहा गया। लाला लाजपतराय अपने वकील मित्रों की यथासंभव सहायता करने के लिये रावलपिंडी पहुँचे। इन सब के मतानुसार सूचनापत्र अवैध था और उन्होंने न्यायालय में उपस्थित न होने का निश्चय किया। परन्तु उन्होंने मि अजीतसिंह अहमद और मि बोधराज नामक दो नये बरिस्टर्स को अपनी ओर से कायवाहियों में भाग लेने के लिये अधिकार दिया। २ मई को जिलाध्यक्ष के न्यायालय के सामने बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और हड़ताल करने वाले मजदूरों के कारण यह भीड़ और भी बढ़ गई। उस दिन सरकारी तोपखाने में रेलवे बकगाप में और रायबहादुर सरदार बूटासिंह के निजी कारखाने में मजदूर लोग काम पर नहीं गए। जब ग्यारह बजे पर भी जिलाध्यक्ष नहीं आया तो

## चौदहवाँ अध्याय दमन और सुधार

भारत की १९०५-६ की घटनाओं के कारण भारतीय शासन के दोनो नये अध्याय विन्तित हुए। नवम्बर १९०५ में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय हो गये थे और दिसम्बर १९०५ में प्रगतिवादी जॉन मॉर्ले भारत मन्त्री हो गये थे। ६ जून १९०६ को मि जॉन मॉर्ले (बाद में लॉर्ड मॉर्ले) ने लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लॉर्ड्स, विरोध सिद्धी लो जैसे प्रमुख लेखकों के दृष्टिकोणों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये लोग हाल ही में भारत में प्रवास करते आये थे और इन्होंने "बहु एक नई भावना को बढते हुए और फैलते हुए देखा था।" इन लोगों का यह मन था कि भविष्य में यथा पूर्ववत् से भारत का शासन करना असम्भव है और सरकार को कांग्रेस सत्या और कांग्रेस सिद्धांतों के साथ व्यवहार रखना होगा।<sup>१</sup> इन्ही विचारों को भारतीय नरम दल के दूरदर्शी नेता सन् १९०५ के कांग्रेस अधिवेशन के सभापति और 'भारत सेवक समिति' के संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ी कुशलता के साथ अत्यन्त प्रभावपूर्ण शब्दा म व्यक्त किया था। मार्च १९०६ में साम्राज्यीय विधान परिषद में ब्रजट सम्पन्धी अपने व्याख्यान में श्री गोखले ने लॉर्ड मिंटो से एक सार्वजनिक अपील की। "शिक्षित वर्गों को शान्त करने की समस्या को सुलझान में ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की परीक्षा होगी। उन्हें शान्त करने का केवल यही उपाय है कि उनको अपने देश के शान्त में अधिकाधिक साथ लिया जावे।<sup>२</sup> परिषद के अधिवेशन के बाद श्री गोखले इंग्लैंड गये और भारत मन्त्री से कई बार मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि मि मॉर्ले को श्री गोखले की सद्भावनाएँ प्राप्त हुईं और कुछ सामान्य सुधारों के लिये उन्हें गोखले का समर्थन भी मिला।<sup>३</sup> भारत मन्त्री और वाइसरॉय में परामर्श होने के बाद यह

१ Morley Recollections Vol II, pages 172-174

२ Buchan Lord Minto, page 231

३ मि मॉर्ले ने १ अगस्त १९०६ की बैठ में गोखले से कहा "अब आपकी दिशा में युक्त सुधारों के लिये अभूतपूर्व अवसर है इसके लिये केवल एक बात कहो डर है और वह है आपके मित्रोंका विरोध से आरम्भ किसी दायित्व में नहीं बाधना पर आप प्रयत्न करें। यदि मच और पत्रा द्वारा आपके साथियों ने उद्देश्य की तो सब मिट्टी में मिल जायगा।" मि गोखले ने हार्दिक सहयोग दिया और उन्होंने भारत में अपने मित्रों

निश्चय हुआ कि भारत सरकार उक्त मुद्दों का उपक्रम करे। इस सम्बन्ध में मि. मॉर्ले व १५ जून १९०६ के पत्रोत्तर में लॉर्ड मिंटो ने लिखा, "भारत सरकार द्वारा उपक्रम करने की बात को मैं विरोध महत्व देना हूँ।"

इसके लिये लॉर्ड मिंटो ने सब से पहली बात तो यह की कि उन्होंने अपनी कार्यकारिणी परिषद की अगस्त १९०६ में एक कमेटी नियुक्त की और एक लेख द्वारा कमेटी का उम का उद्देश्य और उनका कार्य शोध बताया। "कमेटी को उन विषयों पर विचार करना था (१) देशी नरेशों की परिषद और यदि यह सम्भव न हो ना करा वादसराय की विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, (२) वादसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति (३) केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व में वृद्धि, (४) बजट पर विचार प्रकट करने के लिये समय में वृद्धि और साथ ही सुसोपन प्रस्तुत करने के अधिकार में वृद्धि।" इस कमेटी के अध्यक्ष सर ए. टी. ऐरन्डाल हैं।

कमेटी ने अक्तूबर १९०६ में अपनी रिपोर्ट दी परन्तु वादसराय की कार्यकारिणी में उम पर विचार करने में बहुत समय लगा जिस के फलस्वरूप मुद्दों सम्बन्धी भारत सरकार का राजपत्र, भारत मन्त्री के पास सन् १९०७ की मार्च के अन्त में भेजा गया। मि. मॉर्ले ने अपनी परिषद से तुरन्त ही परामर्श किया और भारत मन्त्री को स्थानीय सरकारों की सम्मति जानने के लिये कहा। स्थानीय सरकारों और जनता का मत जानने में एक वर्ष में अधिक समय लगा और इस प्रकार मुद्दों के सम्बन्ध में १ अक्तूबर १९०८ से पहले कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

## २

दही दिना में देश के विभिन्न भागों में स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही थी। पूर्वी बंगाल और आसाम प्रान्त के उम-गवर्नर ने बड़े अविवेक और अज्ञानसे काम लिया। लोगों को आनक्तिन करने के उद्देश्य से उसने प्रान्त के बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों में गुरजा संजिक्ता के उत्पत्तों की स्थापित कर दिया। लॉर्ड मिंटो को "इस बात का पूरा विश्वास था कि सर वॉल्फोर्ड के बौद्धगम्य शासन से बड़ा भारी

के लिये अत्यन्त आभापूर्ण पत्र लिखा।" Morley Recollections.  
Vol II pages 181-182

१. Buchan : Lord Minto, page 234--letter dated 11-7-1906

२. Buchan Lord Minto, page 240

३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ, २२७.

सतरा या पर वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से इस लिये क्षिप्तकते थे कि सरकार के आलोचक उसका गलत अर्थ अवश्य लगावेंगे। जुलाई १९०६ में एक घटना हुई जो वाइसरॉय अथवा भारत मन्त्री को विशेष रु। से अप्रिय नहीं थी। दो स्कूलों के विद्यार्थियों ने सिराजगंज में बड़ा उपनापूर्ण और उच्च श्रुततापूर्ण व्यवहार किया था। इस पर उप-गवर्नर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उक्त दोनों स्कूलों को बहिष्कृत करने के लिये कहा। भारत सरकार के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में यह काम अविवेकपूर्ण था और उसने सर बंम्फ्रील्ड से अपना निवेदन वापिस लेने के लिये कहा। इस पर सर बंम्फ्रील्ड ने वाइसरॉय को यह लिखा कि या तो स्कूलों को बहिष्कृत किया जावे अथवा उसका त्याग-पत्र स्वीकार किया जावे। लार्ड मॉल्ल ने लिखा है—“लार्ड मिंटो आन्दोलन के समय में उप-गवर्नर बदलने के विरोधी तर्कों के प्रति सजग थे किंतु यह बात प्रतिदिन अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि नये प्रान्त का शासन अविश्वसनीय है और उससे अन्य नई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं—अतः त्याग-पत्र स्वीकार किया गया, मने भी अपनी स्वीकृति तार द्वारा तुरन्त भेज दी।”

पंजाब की सरकार ने अपने यहां की स्थिति को विमाड लिया था। जैसा कि पहले<sup>२</sup> कहा जा चुका है पंजाब झगडे आरम्भ में भूमि विपयक थे। पंजाब सरकार ने बेटों को कम करने और झगडे के कारणों को दूर करने के स्थान पर बठोर व्यवहार से काम लेने का निश्चय किया और १८१८ के पुराने विनियमन<sup>३</sup> के अन्तगत लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को देश से निर्वासित करने के लिये भारत सरकार पर जोर डाला। लाला लाजपतराय का कई क्षेत्रों में प्रमुख स्थान था। वे एक धार्मिक गुघारक थे, आर्य समाज के नेता था और शिक्षा प्रसारक थे। वे परोपकारी थे और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता थे। सर्वसाधारण और दुखी लोगों से उन्हें सच्चा प्रेम था। वे एक प्रमुख काग्रसी भी थे और नये उग्र दल के तीन महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। वे अप्रेषी में और विशेष कर उर्दू में ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता थे। सरकार उनकी स्वतन्त्रता और उनके बढ़ते हुए प्रभाव से शक्ति हो गई थी। दूसरी ओर सभी—सहमत और भिन्नमत—देशवासी उन्हें सत्यशील और निस्वार्थ-प्रेरित देशभक्त मानते थे। उनके अनुसार वे सरकार के विरुद्ध पडपत्र रचने में अथवा संनिकों में राजद्रोह का प्रचार करने में अथवा अन्य कोई

१. Morley · Recollections, page 84.

२. इस पुस्तक का १३ वा अध्याय देखिये।



पुप्त काम कराने में असमर्थ थे। सरकार की नीति के सम्बन्ध में उनकी आशावादी स्पष्ट और निष्पक्ष थी। भूमि विषयक आन्दोलन से उनका सम्बन्ध न बराबर था। इन सम्बन्ध में जबल एक बार उन्होंने सरदार अजीतसिंह के साथ एक सभा में भाषण दिया था। सरदार अजीतसिंह लायलपुर जिले के एक सतिहरद और पृष्ठ उन्हें बहुत कम लागू जानते थे। सन् १९०६-७ के भूमि विषयक आन्दोलन के एक प्रमुख मगठनकर्ता के नाते वे प्रसिद्ध हो गये। वे एक प्रभावशाली और साहसी उग्र बक्ता थे और अत्यन्त लोकप्रिय थे। सतिहरद आन्दोलन के गौधने में बटन के कारण सरकार का धराहट हुए और उन रातों के लिये सरकार ने सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपतराय का निर्वासित करना ही उचित समझा। मन्त्रिमण्डल मन्त्र-सचिव न इन दोनों सज्जनों का गिरफ्तार करके निर्वासित करने के लिये अनुज्ञापत्र दिया और ९ मई १९०७ को इन दोनों व्यक्तियों का निर्वासित करके माहल (वसा) भेजा दिया गया। ११ मई १९०७ का वाइसरॉय ने एक अध्यादेश (Ordinance) प्रकाशित किया। इसके अन्तर्गत सतिहरद सभा आयोजित करने के अधिकार का अधिकार सौंपित कर दिया गया। सभा का आयोजन करने वाला को सभा की तिथि से सात दिन पहले सरकार का पत्र भेजकर सूचित करने के लिये कहा गया। मन्त्रिमण्डल सभा का सचिव का अधिकार दिया गया। सरकार द्वारा स्वीकृत सभाओं में पुलिस के लिये उपस्थित रहने का नियम था। यह अध्यादेश मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू किया जाना था। इस अध्यादेश का पंजाब और पूर्वी बंगाल में तुरन्त ही लागू कर दिया गया।

लाला लाजपतराय के निर्वासित से देश के विभिन्न भागों में बड़ा उद्वेग हुआ और उनके पालक-पालन करने वाले, विशेष कर बंगाल के तरुण वर्ग उत्तेजित हुए और उन्होंने उग्रवाद हिंसा और आतंकवाद का अपनाया।

१ लाला लाजपतराय के निर्वासित के सम्बन्ध में श्री गांधी ने सभासभा विधान परिषद में कहा — "केवल पंजाब में ही नहीं बरने अन्य प्रांतों में भी महान् व्यक्तियों लाला लाजपतराय का आदर्श करते हैं। उनका चरित्र उच्च काठि का है और उनके विचार पवित्र हैं। एक एक प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक कार्यकर्ता को जिम्मे सारी काम स्पष्ट और प्रकट रूप में हुए, बिना किसी अभिप्राय के देश में निर्वासित कर देने के कारण भारे देश के साथ आतंक और दुःख मजबूत हो गये।" Page 43

Proceedings of the Indian Legislative Council, Vol XLVI 1907-8

दोनों बगालों की दशा पहले ही बिगड़ी हुई थी। सरकार विभाजन विरोधी आन्दोलन का निष्ठुरता से दमन कर रही थी और मुसलमानों का पक्ष ले रही थी। सरकार की इस नीति के कारण लोग वचन और कर्म दोनों में उग्र होते जा रहे थे। "कुछ बगाली पत्रों ने सब प्रतिबन्धों को दूर हटा दिया और वे झिझक छोड़ कर तीव्र आलोचना करने लगे।" बगाल सरकार ने इन पत्रों पर अभियोग चलाने का निश्चय किया। त्रमपूर्वक आक्रमण किया गया और सब से पहली चोट 'बन्दे मातरम्' पर हुई। यह अंग्रेजी का राष्ट्रवादी दैनिक पत्र था और इसके सम्पादक मडल में ब्राह्म अरविन्द घोष भी थे। सरकार ने अगस्त १९०७ में अरविन्द घोष और मुद्रक पर राजद्रोह का आक्षेप लगाया। सब लोग यह बात भली भाँति जानते थे कि अरविन्द घोष उक्त पत्र में तन, मन, धन, सभी से सम्बन्धित व कितु सम्पादक के नाम को प्रमाणित करने के लिये कोई साक्षी नहीं मिला।<sup>१</sup> जब मि बिपिन चन्द्र पाल को प्रमाण देने के लिये बुलाया गया तो उन्होंने कार्यवाहियों में भाग लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके मतानुसार अभियोग देश के हितों के विरुद्ध था। इस अपराध के लिय स्वयं मि. पाल पर अभियोग चलाया गया और उन्हें छ महीने का कारावास दंड दिया गया। अरविन्द घोष के विरुद्ध अभियोग नहीं चल सका और उन्हें छोड़ दिया गया। मुद्रक का दोष सिद्ध हुआ और उमें तीन महीने का कारावास दंड दिया गया।

लगभग इसी समय 'सध्या' और 'युगान्तर' नामक बगला के प्रभावशाली पत्रों के सम्पादक—श्री ब्रह्म बान्धव उपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्त—पर अभियोग चलाया गया। मि उपाध्याय ने एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने यह कहा — "मैं इस अभियोग निर्णय में भाग नहीं लेना चाहता। स्वराज्य का उद्देश्य ईश्वर-प्रेरित है और इस सम्बन्ध में अपने काम के लिये मैं देश के विदेशी शासकों के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। इन विदेशियों के स्वार्थ हमारे राष्ट्रीय विकास के मार्ग में विघ्नरूप हैं और ऐसा होना अनिवार्य ही है।"<sup>२</sup> ब्रिटिश न्यायालयों से असहयोग का यह सबसे पहला उदाहरण है। आगे चल कर युद्धोत्तर असहयोग आन्दोलन में इस प्रकार का असहयोग एक सामान्य बात थी। उक्त अभियोग अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि कलकत्ते के कैम्ब्रिज अस्पताल में अभियुक्त की मृत्यु हो गयी। दूसरे अभियोग में मि दत्त अपने को दोष-मुक्त सिद्ध नहीं कर सके और

१. Ray The Life and Times of C. R. Das, page 55

२. उस समय कोई ऐसा कानून नहीं था जिस के अनुसार आजकल की तरह पत्रों को अपने सम्पादक का नाम प्रकट करना अनिवार्य हो।

३. Ray उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७

उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास दंड दिया गया। आगे कुछ ही महीनों में 'गुगान्तर' पर चार मुकदम चलाये गये और हर बार सम्पादन और मूद्रक का कारावास दंड दिया गया किन्तु पत्र बराबर प्रकाशित हुआ और बराबर प्रचार करता रहा।

एक बार ना बंगाल और पंजाब में ये अभियोग चल रहे थे और दूसरी बार भारत सरकार एक विधायक (समाचार-पत्र सम्बन्धी) अनुभव बनान के लिये भारत मन्त्री पर जार दे रही थी। जुलाई १९०७ में इस विषय पर भारत में एक राजपत्र भेजा गया। लार्ड माले ने स्वीकार किया है कि इस राजपत्र ने उन्हें 'कैफा दिया'।<sup>१</sup> पर भारत सरकार कठोर और दमनकारी नीति को व्यवहार में लाने के लिये तुली हुई थी। भारत मन्त्री ने जारम्भ में विरोध किया। कई बार उन्होंने सरकारी सदस्य<sup>२</sup> के व्यवहार को तीव्र आलोचना की और उनके लिये गहित रूसी नाम त्शिनोवनिक्स (Tchinovniks) का उपयोग किया। इसके बाद जब भारत सरकार ने राजपत्रार्थ सभाओं को रोकने के उद्देश से एक विधायक बनाने के लिये लार्ड माले का अनुमति मागी ता वह त्रास में उठ पड़े।<sup>३</sup> उन्होंने वाइमंगर का लिखा कि 'जिन लोग न जानका एरन्डा के मुधारा में विरोध किया था और जिन लोग न लार्डों और राजपत्रों के साथ का कहाना लखर उन मुधारा का रद्द करने के लिये कहा था, आज उन लोग की बातों पर रूसी भर भी ध्यान न दीजिये।'<sup>४</sup> उन्होंने प्रेषित प्रस्तावों का अनाधारता, प्रतिशिक्षावादी और अनावदनक बताया और उन्हें निषिद्ध कर दिया। लेकिन अन्त में भारत सरकार को प्रबल एव आग्रहपूर्ण मागा के आगे भारत मन्त्री को मुकना पड़ा।<sup>५</sup> भारत सरकार ने कई दमनकारी एकट बनाये और उन्हें देश में बगे कठोरता के साथ लागू किया।

३

राजपत्रार्थ पूर्ण सभाओं का रोकने वाला एकट १ नवम्बर १९०७ को बना। स्वयं गृह सदस्य के अनुसार इस एकट में दमन के लिये प्रचुर सामर्थ्य निहित थी।<sup>६</sup>

१. Morley's Recollections, Vol II, Page 226

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१४

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१-२३२—लॉर्ड मॉले का उत्तर पढ़ने योग्य है।

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१

५ भारत मन्त्री ने बड सकार के साथ अपनी इच्छा और आना के विरुद्ध स्वीकृति दी।

६. Proceedings of the Legislative Council, Vol XLVI Page 25

सभाओं का विनियमन करने के लिये ११ मई को जो अध्यादेश लागू किया गया था उसकी अवधि १० नवम्बर को समाप्त होने वाली थी क्योंकि विधि के अनुसार अध्यादेश केवल ६ महीने के लिये ही सीमित होना है। यद्यपि उम अध्यादेश के प्रतिबन्धों को जारी रखने के लिये कोई कारण नहीं था,<sup>१</sup> तथापि भारत सरकार ने १९०७ के एक्ट द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान करने का निश्चय किया। परिषद ने कुछ सुधार किये लेकिन इनके पर भी एक उग्र रूप से दमनकारी था। एक्ट ने भारत सरकार को उसे किसी भी प्रान्त में लागू करने का अधिकार दिया। किसी भी उद्देश्य के लिये २० से अधिक व्यक्तियों की सभा करने के लिये स्थानीय अधिकारियों को सभा की तिथि से तीन दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक था। सार्वजनिक सभा की परिभाषा इतनी विस्तृत की गयी कि उ के अनुसार व्यक्तिगत घटों में सामाजिक मिलन को भी सार्वजनिक सभा माना जा सकता था। इस बात से ही लॉर्ड मॉल्ले काप गये थे। उन्होंने लिखा कि सैन्य अधिकारियों के उपनमन पर प्रेस कानून बनाना स्वयं एक नई और दुरी बात थी, पर व्यक्तिगत मिलन को सार्वजनिक सभा बना देने की बात तो उससे भी बड़ कर है।

“उप-नवंबर अथवा अन्य अधिकारी, किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जिनके विचारों से वह असहमत है, ब्यारयान देने से रोक सकता है। इसके स्थान पर ईमानदारी से गला घोट देना अच्छा होगा।”<sup>२</sup> अधिकारियों का किसी भी सभा को रोकने और सभा में किसी भी बोलने वाले का मुंह बन्द करने का अधिकार दिया गया था। ये अधिकारी सार्वजनिक शान्ति के नाम पर कोई भी प्रतिबन्ध लगा सकते थे। स्वीडिश सभाओं में पुलिस के आदमी भेजे जाने थे। जैसा कि सर रास बिहारी घोष ने कहा, इन उपायों द्वारा देश के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था।<sup>३</sup> प्रवर-समिति में दो महत्वपूर्ण सुधार हुए—एक तो यह कि एक्ट केवल तीन साल के ही लिए लागू रहना चाहिए और दूसरा यह कि एक्ट की धाराओं के अनुसार किसी स्थानीय सरकार द्वारा

१. इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री गोखले ने निम्नलिखित तथ्य बनाये “पिछले ६ महीनों में पन्नाब और दिल्ली में केवल एक सभा हुई थी और उस के फलस्वरूप शान्ति और व्यवस्था में कोई बिध्न नहीं पडा। पूर्वी बंगाल में केवल एक सभा हुई थी और फरीदपुर में विचाराधीन विधेयों पर कठोर नियंत्रण के कारण प्रस्तावित सभा का विचार छोड़ दिया गया था।
२. Morley : Recollections, Vol. II, pages 232-33
३. Proceedings of the Legislative Council, Vol. XLVI

निर्दिष्ट क्षेत्र में, यह एक्ट केवल छ महीने के लिए लागू होना चाहिए। किन्तु इन सुधारों से इस अत्यन्त दमनकारी एक्ट को बँटोरता में न तो कोई कमी हुई और न ही हो सकती थी। डा० रास बिहारी घोष के अनुसार इस एक्ट का किसी सम्य सरकार की विधि की अपेक्षा स्वी यूकेस (Ukase) से अधिक साहस्य था।<sup>१</sup>

## ४

नरमदगी नेताओं के पूर्व कथन के अनुसार<sup>२</sup> सरकार की दमनकारी नीति ने अमलाप को गुप्त धाराओं में ढकेल दिया। बहुत सी गुप्त समितियाँ बनीं और बगावत नवयुवकों में तान्त्रिकारिया की सख्या बहुत बड़ गई। आतंकवादी अपराध प्रकट हुए। 'सरकारी तंत्र घबराया और अपनी भूलों के परिणामों में उद्विग्न हुआ। उसने व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने के लिए एक के बाद एक करके विभिन्न दमनकारी उपायों से काम लिया, मार्गजनिव जीवन ठटा पट गया और उसका विकास रुक गया।<sup>३</sup> सन् १९०८ की ८ जून को एक ही दिन में भारत सरकार ने दो अत्यन्त दमनकारी एक्ट बनाये—एक ता विस्फोटक पदार्थों एक्ट था और दूसरा समाचार-पत्र (अपराध-उत्तजक) एक्ट था। इनका बनाने के लिए परिषद की कार्य पद्धति के सामान्य नियमों का टुकरा दिया गया। इसके अतिरिक्त उस दिन परिषद में कोई स्वतन्त्र भारतीय सदस्य भी उपस्थित नहीं था।

सन् १८८८ का विस्फोटक एक्ट अभी लागू था। उसकी महायत्ना के लिए १८७८ का भारतीय शस्त्र एक्ट था। इन दोनों के अतिरिक्त भारतीय दृष्टि संहिता की कुछ धाराओं के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थों से क्षति पहुँचाने वालों को आजीवन निर्वासन तक का दण्ड दिया जा सकता था। परन्तु भारत सरकार की दृष्टि में ये कानून अपर्याप्त थे और उसने इस कमी को पूरा करने के लिए और कम के उपयोग के कारण उत्पन्न हुई नई स्थिति का सामना करने के लिए सन् १९०८ का एक्ट बनाया।

नये एक्ट के क्षेत्र के अन्तर्गत विस्फोटक के अतिरिक्त विस्फोटक बनाने वाले पदार्थों और उपकरणों को भी गणना थी। सन्देहात्मक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के पास उक्त कोई वस्तु प्राप्त होने पर १४ वर्ष के निर्वासन अथवा पाँच वर्ष के

१ Proceedings of the Legislative Council, Vol. XLVI, page 49

२ उपर्युक्त पुस्तक, Speech of Dr. Ghosh, page 53—"यह नीति एक उद्देश्य के लिए अवश्य समर्थ है उससे गुप्त राजद्रोह के कीटाणुना का प्रचार होगा।"

३ Bannerjee A Nation in the Making, page 249.

कारावास का दण्ड था।<sup>१</sup> जित विस्फोटों के कारण मृत्यु हो जाती थी उनसे एकट का कोई सम्बन्ध नहीं था—एसे मामला में हत्या के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता था अथ विस्फोटों के लिए कठोर दण्ड था।<sup>२</sup> यदि वस्तुन कोई विस्फोट न हुआ हो किन्तु उसके लिए उद्देश्य या प्रयत्न का प्रमाण हो तो २० वर्षों के लिए निर्वासन और सात वर्षों के लिए कारावास का दण्ड था।<sup>३</sup> अन्त में विस्फोटको की तैयारी के लिए स्थान, वन सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायता देन वाल व्यक्ति अपराधी की ही भांति दण्डनीय था।<sup>४</sup>

८ जून १९०८ का दूसरा एक समाचार पत्र (अपराध उत्तजक) एकट था। गृह सदस्य के अनुसार यह एक तनिक भी दमनकारी नहीं था भारतीय मत इसके विरुद्ध विपरीत था। गृह सदस्य के शब्दों में इस एक का उद्देश्य 'हत्या अथवा सन १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एकट के अन्तगत किसी हिंसाभूषण अपराध'<sup>५</sup> के लिए उत्तजना देन वाले पत्रों का अस्तित्व मिटा देना था। अपराधी छापेखाना को जन्म करने का और पत्र के उच्छेद करने का नियम था।<sup>६</sup> यदि जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति में किसी पत्र से हिंसात्मक कामों का उत्तजना मिलता है तो उसके प्रस को एकट के अधिकार के बल पर वह जन्त कर सकता है। यदि किसी प्रस से उक्त आशय का कोई पत्र निकलन आता हो तो जिलाधारा को यह प्रतिबन्ध आना देने का अधिकार था कि सम्बन्धित व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित होकर कारण व्यक्त करें कि वह आना स्थायी क्या न कर दी जाव।<sup>७</sup> यदि प्रस्तुत प्रमाण से जिला मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट है कि समाचार-पत्र न अपराध किया है तो उक्त प्रतिबन्ध आना स्थायी को जा सकती थी<sup>८</sup> और वह (जिला मजिस्ट्रेट) किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रस तथा उस सम्बन्धित अथ संपत्ति को कुक करने का अधिकार दे सकता

१ Clause V of the Act Agarwala The Lawyers Vade Mecum for Criminal Courts Vol I, page 53

२ Clause III उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५१-५२

३ Clause IV उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५२ ५३

४ Clause VI उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५३

५ Clause LIL Ghosh Press and Press Laws in India, page 63

६ Proceedings of the Legislative Council, Vol XLVII, page 12

७ Clause III Ghose उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६३ ६४

८ Clause III उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६४

था।<sup>१</sup> विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा को त्थापी करने से पहले भी कुर्बानों का धारण दे सकता था।<sup>२</sup> भारत मन्त्री के हस्तक्षेप करने पर इस उन्नी के विषय में<sup>३</sup> न्यायसूक्त कार्यवाही का दिग्बाधा सा हो सकता था। आज्ञा के स्थायी बनाने के पन्द्रह दिन के अन्दर हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी।<sup>४</sup> अन्त में एकट ने प्रान्तीय सरकार का समाचार-पत्रके मुद्रक अथवा प्रकाशक को १८९९ के प्रेम तथा पुस्तक नियन्धन एकट के अनुमार<sup>५</sup> को हुई घोषणा को रद्द करने का अधिकार दिया था, जिसके फलस्वरूप समाचार-पत्रका बंध अस्तित्व समाप्त हो जाता था।<sup>६</sup>

## ५

इस समय एक ओर तो परिपद में शीघ्रता से ये एकट बनाये जा रहे थे और दूसरी ओर सरकार, विभाग न० १०८ ए और १५३ ए के अन्तर्गत, भारत के लगभग सभी भागों में राजद्रोह के अभियोग चला रही थी। निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों ने इतने बठोर दण्ड दिये कि स्वयं भारत मन्त्री ने उन्हें "वीरगन्ध, अत्यन्त उग्र और अशुभित" बनाया।<sup>७</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादी अपराधों से वर्तमान तन्त्र और आतंक-भारतीय बंध पवरा गये थे और इसी कारण उन्होंने प्रतिकार और अपरिमित दमन को नीति का प्रतिपादन किया। लाटें माँटें ने दम नीति से मय-भौत हाकर विरोध किया चेतावना भती—लेखित मय व्यर्थ।<sup>८</sup> १९०८ में १४ जुलाई का उन्होंने लाटें मिटा का रिक्ता "राजद्रोह और अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जादिल दहला देने वाले दण्ड दिये जा रहे हैं उनके कारण में अत्यन्त चिन्तित और चकित हूँ। आज ही मैं यह पडा हू कि बम्बई में पत्थर फेंकने वालों को बाह्य महीने का कारावान दण्ड दिया गया है। बम्बुत यह अतिक्रमण है। तिन बेली-नूतों-कोरन वाले मामले में दो आदमियों को जो दण्ड दिया गया है वह अरक्षणीय है—एक को आजीवन निर्वासन दिया है और दूसरे को दम बंध का कारावास। ये बातें चल नहीं सकती। ऐसी वीरगन्ध बातों का रक्षण करने के लिए मैं किसी भी शर्त पर

१. Clause IV उपसूक्त पुस्तक पृष्ठ ६४-६५

२. Clause II उपसूक्त पुस्तक पृष्ठ ६४.

३. Morley Recollections, page 260

४. Clause V, Ghose : उपसूक्त पुस्तक पृष्ठ ६५.

५. Clause VII उपसूक्त पुस्तक पृष्ठ ६५

६. Proceedings of the Legislative Council Vol XLVII, page 13

७. Morley. Recollections Vol. II pages 269-70.

## दमन और सुघार

सहमत नहीं हूँ। इसी कारण मैं इन गलतियों और भूला की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ। हम व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन व्यवस्था लाने के लिए अत्यन्तिक कठोरता के उपयोग से सफलता नहीं मिलेगी, उसका परिणाम उलटा होगा और लोग बम का सहारा लेंगे।”

इस प्रकार केवल भारतीय नेताओं के ही अनुसार नहीं बरन् सर्वोच्च अधिकारियों के अनुसार भी बम का मार्ग, दमन की नीति का परिणाम था। लॉर्ड मॉर्ले तो वस्तुतः और भी आगे बढ़े। उन्होंने अशान्ति का सारा दायित्व कर्मचारों तन्त्र के कट्टर छडिवाइयों पर डाला। उन्होंने लॉर्ड मिटो को लिखा “इस अशान्ति का दायित्व आप पर या मुझपर नहीं है, यह तो उन अतिविश्वासी और अत्यन्त-व्यस्त चीनोविनक्स (Tchinovniks) पर है जो पिछले पचास वर्षों से भारत का संचालन करते रहे हैं।”<sup>२</sup>

और अब भी इन्हीं लोगों की जीत हुई। सन् १९०८ के राजद्रोह सम्बन्धी अभियोगों का वर्णन करना न तो यहाँ सम्भव है और न आवश्यक ही है। केवल कुछ अभियोगों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। मद्रास में तीन महत्वपूर्ण अभियोग हुए। तिनेवेली अभियोग, चिदम्बरम पिलाई और सुब्रह्मण्य शिव के विरुद्ध था। इसमें मद्रास के उच्च न्यायालय ने दण्ड घटाकर, दोनों को छ वर्षों के लिए निर्वासित किया। ‘इडिया’ के सम्पादक श्री निवास आयगर को पांच वर्षों के लिए निर्वासित किया गया। ‘स्वराज्य’ के सम्पादक और मालिक ने सरकार से लिखित क्षमा माँगी लेकिन फिर भी उनपर अभियोग चलाया गया।<sup>३</sup> बंगाल में समाचार-पत्र (अपराध-उत्तेजक) एक्ट के अन्तर्गत ‘बन्दे मातरम्’, ‘युगान्तर’ आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, राजद्रोह के अभियोग जिन पत्रों का गला न घोट सके, उनके अस्तित्व को नये एक्ट के प्रहार ने समाप्त कर दिया। मध्य प्रान्त में एक पृष्ठ के एक देसी पत्र के सम्पादक हरी किशोर को पाँच वर्षों का कठोर कारावास दण्ड दिया गया। और जहाँ वह पृष्ठ मुद्रित होता था, उस छापेखाने को ज्त कर लिया गया। सयुक्त प्रान्त में ‘उर्दू ऐ-मोअल्ला’ के सम्पादक को दो वर्षों का कठोर कारावास दण्ड दिया गया और उस पर ५०० रुपये जुर्माना किया गया—उस सम्पादक का अपराध यह था कि उसने मिस्र में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति की आलोचना की थी।

१ Morley : Recollections, पृष्ठ २६९-७०

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६३

३. क्षमा माचना के कारण इन लोगों को केवल ९ और छ महीने का कारावास दण्ड दिया गया। ‘हिन्दू’ (मद्रास) के सम्पादक ने लिखित क्षमा माँगी और भविष्य के लिए जायदासन दिया। अतः उन पर अभियोग नहीं चलाया गया।



६

इतने पर भी दमन का प्याला पूरा नहीं भरा था। दिसम्बर १९०८ में भारत सरकार ने परिषद को एक ही बैठक में एक अत्यन्त दमनकारी एक्ट तैयार किया। इसका उद्देश्य आतङ्कवादी अपराधों और अराजकतावादी पद्धतियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अभियोगों का शीघ्र निणय करना था और साथ ही कुछ स्वयंसेवक सस्याओं को अवैध घोषित करना था। १९०८ के दण्ड विधि (संशोधन) एक्ट के दो भाग थे—पहले भाग में अराजकता सम्बन्धी अपराधों के लिए एक विशेष ढंग से अभियोग-निणय की व्यवस्था की गई थी, दूसरा भाग सस्याओं से सम्बन्धित था। पहले भाग के अनुसार मजिस्ट्रेट अभियोग-निणय के लिए अभिवृक्त को अप्रतिवादित रूप से विशेष न्यायालय के सुपुद कर सकता था। यह विशेष न्यायालय हाईकोर्ट के तीन जजों से निर्मित होता था किन्तु वह जूरी से भिन्न था। परीक्षण से पहले साक्षियों की मृत्यु हो जाने की दशा में भी, उनका वक्तव्य मान्य था और तीनों जजों का निर्णय अन्तिम था। इस भाग की धाराओं के विषय में सर हार्वे एडमसन ने परिषद में कहा—“वस्तुतः तीन के स्थान पर एक अभियोग निर्णय होगा और वह एक ऐसे न्यायालय में होगा, जिसे, अपने अवमान को दण्ड देने का पूरा अधिकार होगा और जो विचाराधीन अभियोगों पर अनुचित आलोचना सहन नहीं करेगा।” दूसरे भाग के अनुसार, किसी भी सस्या को जो उसके मत से न्याय, व्यवस्था और शान्ति में हस्तक्षेप करती हो, सरकार अवैध घोषित कर सकती थी। अवैध सस्याओं की बैठक में भाग लेने वालों को, अथवा उसके लिए चन्दा देने या लेने वाला को अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे सहायता देने वालों को एक्ट के अनुसार छ महीने तक का कारावास दण्ड दिया जा सकता था। अवैध सस्याओं की सभा आयोजित करने वालों को, अथवा आयोजन में सहायता देने वालों को अथवा आयोजन के लिए प्रोत्साहन देने वालों को एक्ट के अनुसार तीन वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया जा सकता था।

इस एक्ट के अन्तर्गत, उन सब स्वयंसेवक सस्याओं को जो बंगाल में सन् १९०२ से जनता की विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएँ कर रही थी, अवैध घोषित कर दिया गया क्योंकि सरकार को इस बात का सन्देह था कि वे सस्याएँ गुप्त रूप से शान्तिकारी आन्दोलन में भाग ले रही हैं। फलतः कुछ ही समय में इन सस्याओं का अस्तित्व मिट गया।

इस वर्ष का अन्तिम दमनकारी कृत्य अत्यन्त कठोर भी था। बंगाल के ९ प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को १८१८ के विनियम न० ३ के अन्तर्गत एक साथ देश

से निर्वासित कर दिया। ये लोग नरम दली नीति के लिए सुपरिचित थे। सर मुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं —

“दिसम्बर १९०८ में एक दिन प्रातःकाल लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मिश्र, सनीमचन्द्र चटर्जी, गणेश प्रसाद वास और मुवाय मलिक का १८१८ के विनियमन ० ३ के अन्तर्गत देश से ब्रजमोहन कालेज से निर्वासित कर दिया गया है।<sup>१</sup> अश्विनी कुमार वाराणसी के नेता और सस्थापक थे, कृष्णकुमार मिश्र ब्रह्मममाज के एक प्रमुख नेता थे और भी परिचित व्यक्ति उनका अदर करते थे, सतीश चटर्जी और गणेश वास प्रसिद्ध स्वदेशी कार्यकर्ता थे और मुवाय मलिक एक सम्पन्न और धनी घराने के सदस्य और सयतोल देशभक्त थे। इस निर्वासन से देश में बड़ा उद्वेग हुआ; और नरमदल तथा उग्र दल दोनों के ही लोगों ने, समान रूप से इस कृत्य की निन्दा की।

## ७

भारत सरकार एक ओर तो गिफ्टुर दमन की नीति का अनुसरण कर रही थी और साथ ही वैधानिक एव कान्तिकारी, दाना ही विचारधाराओं के उग्रवादियों को दवाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी और दूसरी ओर वह नरम दल वालों, मुसलमानों, जमोदारों और दर्या नरेशों का अपने पक्ष में लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा थी। १ अक्टूबर १९०८ के राजपत्र में इन प्रस्तावों का रूप दिया गया और उन्हें अगली रात ने भारत मन्त्री के पास भेज दिया गया। भारत परिषद को एक छोटी सी समिति ने भारत सरकार के इस राजपत्र का सावधानी से परीक्षण किया। उसके बाद पूरी परिषद ने उस पर विचार किया। अन्त में लॉर्ड मॉर्ले ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को रूप देना आरम्भ किया। ५ नवम्बर १९०८ का उन्होंने लॉर्ड मिट्रो को लिखा— “यह विषय गम्भीर है, आपका सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमका ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं कि उनसे न तो कर्मचारी तन्त्र बुधित हो, न आन्दोलन-भारतीय बुधित हों और साथ ही मुसलमान और दक्षिणपक्षी कार्यक्षेत्र भी बुधित न हों। यह काम साधारण नहीं है।”<sup>२</sup> लेकिन लॉर्ड मॉर्ले ने अपना काम पूरा किया और अपने राजपत्र को परिषद के समक्ष रखा और उसका अनुमोदन प्राप्त किया। “(मन्त्रिमंडल) के दो सदस्यों ने मतभेद प्रकट किया और यह मतभेद केवल सरकारी बहुमत के प्रत्यय पर था।”<sup>३</sup> “आश्वासन मिलने पर मन्त्रिमंडल ने भी अपनी स्वीकृति दी . . . उस

१ Bannerjee A Nation in the Making, page 249.

२. Morley : Recollections, Vol. II, page 281.

३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ २८२.

समय वह घरेलू महत्व के अविलम्ब कामों में फसा हुआ था।" २७ नवम्बर १९०८ को यह राजपत्र भारत में ज दिया गया।

इसी बीच दो नवम्बर को, महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा की पचासवो वर्षगांठ पर, सम्राट एडवर्ड ने भारतीय जनता और देशी राज्या के शासकों के लिए एक राजकीय सन्देश भेजा और उसमें आगत राजनीतिक मुद्दों का पूर्वाभास दिया। वाइसराय ने जोधपुर में एक विराट दरबार में उक्त सन्देश को पढ़कर सुनाया। वर्तमान उद्घोषणा ने सन् १८५८ के सिद्धान्त की धृष्टि की और उन्हें कार्यान्वित करने के प्रयत्नों का वर्णन किया और कहा — "आरम्भ से ही प्रतिनिधि सभाओं के सिद्धान्त को व्यवहार में लाया गया था और अब वह समय आ गया है कि .. उस सिद्धान्त को सविवेक विस्तृत किया जा सकता है इन उद्देश्यों के लिए बड़े परिधम के साथ जो साधन बनाये जा रहे हैं में उनकी चर्चा नहीं करूँगा। निकट भविष्य में आप लोग उनसे परिचित हो जावेंगे।" १७ दिसम्बर १९०८ को लॉर्ड मॉल ने हाउस ऑफ़ लार्ड्स में एक विस्तृत व्याख्यान में सरकारी सुधार प्रस्तावों पर प्रकाश डाला और दोनों—१ अक्टूबर १९०८ के और २७ नवम्बर १९०८ के—राजपत्रों को पार्लियामेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। दिसम्बर के अन्त में—बाम-पक्ष से विहीन—कार्प्रेस ने मद्रास में अपना अविदेशन क्रिया और मॉर्डे-मिटो योजनाओं का हार्दिक स्वागत किया। एक सक्रिय विवेक में इन प्रस्तावों को रूप दिया गया और भारत मन्त्री ने २३ फरवरी १९०९ को उमे लॉर्ड भवन में प्रस्तुत किया। यही विवेक २५ मई १९०९ को भारतीय परिपद एकट बन गया।

पन्द्रहवां अध्याय

## मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ

१

एक ओर तो मि. मॉल और लॉर्ड मिटो में राजनीतिक मुद्दों के विषय में कार्प्रेस को अपने साथ लेने की आवश्यकता पर पत्र-व्यवहार हो रहा था और भारत

१. Morley: Recollections, Vol. II, page 283

२ सन् १९०८ की राजकीय उद्घोषणा Morley's Recollections Vol II के अन्त में एक परिशिष्ट के रूप में विस्तृत रूप से उद्धृत की गई है।

को कुचलने के लिये प्रयत्नशील थे। श्री मुहम्मद नुमान लिखते हैं — "अपरेजो को यह निश्चय हो गया था कि नई सत्ता के विस्तार तथा अस्तित्व के लिये मुसलमानों को कुचलना अनिवार्य है, अतः उन्होंने जान बूझ कर ऐसी नीति अपनाई जिससे मुसलमानों की आर्थिक बरबादी हो, प्रतिभा कुञ्चित हो और उनका सामान्य पतन हो।"<sup>१</sup>

यद्यपि ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मुगल सम्राट से मिला था तथापि उसकी नीति आरम्भ से ही मुस्लिम विरोधी थी। स्थायी बन्दोबस्त के विषय के एक अधिकारी विद्वान मि. जेम्स ओ. किनेले लिखते हैं, कि इस बन्दोबस्त ने "हिन्दु उगाही करने वालों को ( जो अब तक केवल महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे ) ऊपर उठा कर जमींदार बना दिया। मुसलमानों के राज्य में जो सम्पत्ति मुसलमानों को मिलती, अब हिन्दुओं को उसी सम्पत्ति को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया।" साथ ही बंगाल में (और बाद में सारे देश में) सेना में मुसलमानों की भर्ती के लिये द्वार बन्द कर दिया गया, — सैनिक कार्य मुसलमानों का मनोवान्छित व्यवसाय<sup>२</sup> था।" कलकत्ते के तत्कालीन फारसी पर 'दूरबोन' के एक लेख के अनुसार, "बड़ी और छोटी सभी प्रकार की नौकरिया धीरे-धीरे मुसलमानों से छीन कर, अन्य जाति के लोगों को, विशेषकर हिन्दुओं को, दी जा रही हैं। हाल ही में मुन्दरवन के कमिश्नर के कार्यालय में कई स्थान रिक्त हुए। उनके लिये विज्ञापन में कमिश्नर ने कहा कि त्रियुक्तिया केवल हिन्दुओं में से ही की जावगी।"<sup>३</sup> अन्य व्यवसायों में भी मुसलमानों की स्थिति बहुत गिर गई। "सन् १८५२ से १८६८ तक २४० भारतीयों को उच्च न्यायालय में बकालत करने की अनुमति दी गई, इन में मुसलमान केवल एक ही था।"<sup>४</sup> भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प कुचलने के लिये जो नीति जान बूझ कर अपनाई गई थी, उससे भी मुस्लिम समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश शिल्पी तथा बुनकर लोग मुसलमान थे। अशोक महता और अब्युत पटवर्धन लिखते हैं — "लेकिन मुसलमानों पर सब से बड़ा अन्याय शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। स्कूलों में फारसी और अरबी

१ Noman : Muslim India, page 23.

२ H C Bowen . Mohammedanism in India, page 45

३ सन् १८७१ में बंगाल में गजट की हुई नौकरियों की कुल संख्या २१४१ थी. इनमें मुसलमान ९२ थे, हिन्दु ७११ थे और १३६८ यूरोपियन थे।

Noman : Muslim India, page 22.

४ H.C Bowen : Mohammedanism in India, page 45.

के लिये कोई स्वाम नहीं था।<sup>१</sup> विंगलराल में धनी मुसलमानों द्वारा दान की हुई शिक्षण निधियाँ को अब उच्चतर शिक्षा के लिये निरिष्ट कर दिया गया। यह शिक्षा मुसलमानों की आवश्यकताओं के लिये अनुपयुक्त थी और इस से अन्य लोगों को ही लाभ हुआ। विंगल शताब्दी की सातवीं दशाब्दी में हुगली कॉलेज में लगभग ३०० विद्यार्थी थे इन में से केवल तीन मुसलमान थे।<sup>२</sup> मि नुमान लिखते हैं — "सारांश यह है कि शिक्षण नीति के कारण मुसलमानों में बेकारी बढ़ी और मुसलमानों के लिए अन्य मार्ग बन्द हो गये। आर्थिक नीति ने भारतीय मुसलमानों को निधन बना दिया। सेना में उनकी सत्ता बहुत खोड़ी कर दी गई, और हस्तशिल्प को बुलन्द कर उन्हें असहाय बना दिया गया। १८५७ का विद्रोह इन्हीं नीतियों का परिणाम था और उस कोई माननीय शक्ति टाल नहीं सकती थी।"<sup>३</sup>

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अठारहवीं शताब्दी के पिछले त्रुर्मास और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में (बस्तुतः आठवाँ दशाब्दी के आरम्भ तक) सरकारी नीति निरिष्ट रूप से मुसलमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में थी और उस नीति ने मुसलमानों को राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में नीचे गिरा कर उन्हें नरस्य की ओर डकेल दिया।

वहाबी नेताओं ने इस असन्तोष के वातावरण में मुसलमानों का संगठन किया और उनके साथ का सरकार तथा उच्च वर्गों के विरुद्ध विद्रोह में परिणत कर दिया। वहाबी आन्दोलन आरम्भ में विगुद्ध रूप से धार्मिक था और इसकी प्रेरणा अरब देश से मिली थी। सैयद अहमद शेरवी हज करने के लिये मक्का गये थे और वे अरब में फंसे हुए वहाबी आन्दोलन से प्रभावित हुए थे। सन् १८२० में भारत लौटने पर इस्लाम में सुधार और शुद्धि के उद्देश्य से उन्होंने वहाबी आन्दोलन आरम्भ किया। "उन्होंने अपने शिष्यों का सहायता से मुस्लिम जनता को ज्ञानशील किया और सारे देश में जोस का लहरें दौड़ा दी। इस आन्दोलन में इतना वेग था कि डा. ह्यूटन ने 'उसे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक पुनरुत्थान' बताया है।"<sup>४</sup>

यह वहाबी आन्दोलन मूलतः धार्मिक होने हुए भी शान्तिकारी था और साथ ही सर्वसाधारण से सम्बन्धित था। सर विलियम ह्यूटन के अनुसार वहाबी लोग

१ Mehta and Patwardhan The Communal Triangle in India, page 87

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ८८

३ Noman - Muslim India, pages 26-27.

४ Mehta and Patwardhan: The Communal Triangle in India, page 95.

“प्रगतिवादी थे और श्रद्धा की बातों पर हाथ रखते थे, राजनीति में यह लोग साम्प्रदायी और लाल प्रजातंत्रवादी थे।”<sup>१</sup> इन लोगों ने बंगाल के निर्बन्ध किसानों का संगठन किया, फरोदपुर, नादिया और चौबीस परगना में खेतियार विद्रोह का नेतृत्व किया। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की संख्या अस्सी हजार थी। ये लोग निम्नतम वर्गों के सदस्य थे और इन में परस्पर पूर्ण समता का व्यवहार था।

सरकार ने बहावी आन्दोलन का निष्फुरता से दमन किया। लेकिन अन्तिम रूप से समाप्त होने से पहले इस आन्दोलन ने १८५७ के व्युत्थान को जन्म देने में सहायता दी। सर जॉन कैरी के अनुसार, “विद्रोह के मुख्य चालक मुसलमान थे।” इसी अवधि में मि एच सी ब्राउन कहते हैं “ये मुसलमान निश्चित रूप से बहावी थे।”<sup>२</sup> सन् १८५७ के विद्रोह के बाद भी बहावी लोग सीमा प्रदेश में युद्ध करते रहे और उन्हें सारे देश से जन और धन की सहायता मिलती रही।<sup>३</sup>

सत्य तो यह है कि १८५७ के व्युत्थान का आधार अत्यन्त विस्तृत था किन्तु अगरेजों की दृष्टि में न तो वह हिन्दु विद्रोह था और न वह राष्ट्रीय विद्रोह था वरन् वह मुस्लिम विद्रोह था और इसी कारण दमन करने में विशेष कोप मुसलमानों पर हुआ और कम से कम एक दशब्दी तक सरकारी नीति मुसलमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में रही।

घोरे गिरे ब्रिटिश कर्मचारियों को भारतीय परिस्थिति के पूर्ण रूप से बदल जाने का भान हुआ और उन्होंने सरकारी नीति को उलटने की आवश्यकता अनुभव की। भविष्य में मुसलमानों की ओर से किसी सकट का भय नहीं था क्योंकि “विद्रोह (उनकी ओर से) प्रमुत्ता पाने का अन्तिम प्रयत्न था और उसे पूरी तरह दूबड़ दिया गया था। भविष्य में केवल अपनी शक्ति के बल पर विद्रोह करने के लिये वे असमर्थ थे किन्तु प्रभावशाली वे अब भी थे। ऐसी दशा में उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार छोड़ कर अब उन्हें अपने पक्ष में लेना अधिक उपयोगी था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, पूँजीवादी मध्यम वर्गों—मुख्यतः हिन्दुओं की ओर से अब राष्ट्रीयता का सकट दिखाई दे रहा था। बहुत से महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों ने, अगरेजों और भारतीय मुसलमानों में मेल और मित्रता की आवश्यकता की ओर, सरकार और उच्चतर मुस्लिम वर्गों का ध्यान

१ Hunter . The Indian Mussalmans, page 206-7.

२ Mehta & Patwardhan . उन्मत्त पुस्तक, पृष्ठ १६

३ Mehta and Patwardhan : The Communal Triangle in India, page 96.

४ W. G. Smith : Modern Islam in India, page 196.

आर्कपित किया।<sup>१</sup> समस्त इन अधिकारियों में सबसे अधिक प्रभावशाली से सर विलियम हॉटर जिन्की पुस्तक 'दि इंडियन मुसलमान्स' सन् १८३१ में प्रकाशित हुई थी। अन्तु, भारत चाहे जो कुछ हो परन्तु १८३० के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ और धीरे-धीरे मुसलमानों के साथ मित्रता की नींव रखी गई। भारत में आंग्ल-मुस्लिम मित्रता के लिये प्रयत्न करने वालों में सर सैयद अहमद और अलीगढ़ के एम ए ओ कॉलेज के ट्रिनिटी हॉल बेंक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सर सैयद अहमद के पूर्वज ईरानी सामन्त थे जिन्का मुगल दरबार में बड़ी मान और प्रभाव था। सैयद अहमद को अपने जीवन के आरम्भ में ही यह निश्चय हो गया था कि भारत का भविष्य जीर्ण मुगल साम्राज्य के हाथों में नहीं बल्क अंगरेजों के हाथ में है।<sup>२</sup> मुगल सम्राट के यहाँ नौकरी करने के स्थान पर उन्होंने सन् १८३७ में कम्पनी की नौकरी शुरू की। विद्रोह के समय के बिदरौर में सर अमीन थे। इस समय तक वे एक योग्य जज और प्राच्य सम्बन्धी एक महाविद्वान के नाते काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। दिल्ली के मन्बरों सहृदयों और उन की कारीगरों के सम्बन्ध में सैयद अहमद ने 'आमारे सनदिनाल' नामक एक पुस्तक लिखी थी जिन्का एक फ्रांसीसी विद्वान ने अनुवाद किया था और इसकी ओर काफ़ी ध्यान आर्कपित हुआ था। विद्रोह के समय उन्होंने अंगरेजों का पूर्ण साथ दिया और बितने ही अंगरेजों के साथ बचाये।

विद्रोह के बाद सर सैयद ने अबतक मुस्लिम समाज के पुनरुत्थान और आंग्ल मुस्लिम मित्रता के लिये काम करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने शेष जीवन में इन दोहरे उद्देश्यों के लिये असाधारण दृढ़ता और निष्ठा से काम किया। अपनी जाति के उत्थान के लिये उन्होंने सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा का प्रवि-पादन किया—और इन दिशाओं में उनका काम इतना प्रख्यात है कि यहाँ उनका विस्तृत वर्णन करना आवश्यक नहीं है। केवल यह कहना ही पर्याप्त होगा कि अपने मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिये उन्होंने जो काम किया, अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय उसका स्यादी स्मारक है।

१. "वे मुसलमान जिन्के राजनीतिक उद्देश्य हमारे उद्देश्यों से तद्रूप थे"—  
Sir John Strachey : India, its Administration and Progress, page 308.

२. An Indian Mussalman : Indian Muslims and Muslim Politics—An Article in the Hindustan Review, January 1909, page 51.

विद्रोह के कुछ समय बाद सर सैयद ने अपने सह-धर्मावलम्बियों के माये से राजद्रोह का कलक मिटाने के उद्देश्य से लॉयल मुहम्मडन्स ऑव इंडिया (भारत के अपने उद्देश्य के लिये काम करते रहे। उन्हें यह बात भली भाँति ज्ञात थी कि जब तक मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक वैर है तब तक भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति भक्ति नहीं होगी और उस समय तक ईसाई शासन भी उन्हें राज-भक्त नहीं समझेंगे।<sup>१</sup> अतः उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक मेल करने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य के लिये उन्होंने एक पुस्तिका लिखी और उसमें यह बताया कि इस्लाम के एक अघ्यादेश के अनुसार इस्लाम मतावलम्बी यहूदियों और ईसाइयों के साथ भोजन कर सकते हैं। ईसाइयों के धर्म ग्रन्थ बाइबल पर उन्होंने एक टीका लिखी जिसका उद्देश्य मुसलमानों और ईसाइयों के पारस्परिक भ्रमों को दूर करना था। और जब सर विलियम ह्यूटर की पुस्तक प्रकाशित हुई तो सर सैयद ने 'पायोनियर' में प्रबल एवं प्रत्युक्ति पूर्ण लेख लिखे। जस्टिस शाह दीन का कहना है कि इन लेखों से "बहुत से अविश्वासी अधिकारियों को भी विश्वास हुआ और मुसलमानों की राजभक्ति पर जो सन्देह के बादल थे, वे कुछ ही समय में दूर हो गये।"<sup>२</sup> उसके बाद जब अलीगढ़ का एम ए ओ कॉलेज स्थापित किया गया तो सर सैयद ने उस समय (सन् १८८७ में) लॉर्ड लिटन के समक्ष एक सन्बोधन पत्र प्रस्तुत किया और अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया—प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान में मेल हो, भारतीय मुसलमान, ब्रिटिश सम्राट के अनुरूप तथा उपयोगी प्रजाजन हो, और उन्हें—विदेशी राज्य की दीनपूर्ण दासता के कारण नहीं बरन् सुशासन से प्राप्त होने वाले आशीर्वादों के बोध से—राजभक्ति की प्रेरणा मिले।<sup>३</sup> इस प्रकार सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों में राजभक्ति की भावना भरने के लिये और साथ ही उनके लिये अगरेज शासक की कृपा प्राप्त करने के लिये, यथासंभव प्रयत्न किया।

३

१८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय सभी विचारशील व्यक्तियों के समक्ष यह प्रश्न था—सर सैयद अहमद क्या करेंगे? क्या वह कांग्रेस में सम्मिलित होंगे अथवा वह अपने अनुयायियों के साथ अलग रह कर राष्ट्रीय मोर्चे में फूट डालेंगे? कुछ काफ़सी जन आशायुक्त थे। सन् १८९० में

१ Shah Din Sir Syed Ahmed as a Political Leader, page 423 Hindustan Review, December 1905.

२ उपयुक्त प्रति—पृष्ठ ४१४

३. Hindustan Review, Jan. 1909, page 53.



हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई बात स्पष्ट नहीं होती। किन्तु यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हम लोग एक ही देश के निवासी हैं, हम सब के शासक एक ही हैं और दुनिया के कारण हम लोग समान रूप से कष्ट उठाते हैं।<sup>१</sup>

उक्त बातों के कारण यह आशा की जाती थी कि उन भारतीय नेताओं को जो भारतीय राष्ट्र बनाने के लिये और साथ ही जनता की आवश्यकताओं, इच्छाओं और शिकायतों को व्यक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंच बनाने के लिये प्रयत्नशील थे, सर सैयद अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किन्तु अपनी अमीरता केवल एक साल पहले की अपनी इस दृढ़ धारणा को भूल गये कि "पारस्परिक विरोध से दोनों ही का नाश और पतन होगा।" उन्होंने कांग्रेस से केवल असहयोग ही नहीं किया बरन् बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिल कर एक सक्रिय रूप से विरोधी सभा की स्थापना भी की।

इस विच्छेद पूर्ण कृत्य के कारणों पर विस्तृत रूप से विवाद किया गया है। सर सैयद के समर्थकों ने इसका दायित्व कांग्रेस के प्रचार की उग्रता पर डाला है। मुसलमान पिछड़े हुए थे और स्वभाव से जल्दी ही उत्तेजित हो जाते थे और ऐसी दशा में कांग्रेस के विनाश वा और एक दूसरे खुले विद्रोह का डर था। उससे मुस्लिम समाज को और सारे राष्ट्र को क्षति पहुंचती। इन बातों के अतिरिक्त उक्त समर्थकों के अनुसार कांग्रेस कार्यक्रम में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी।<sup>२</sup> दूसरी ओर सर सैयद के विरोधियों ने उनके पृथक् रहने का दायित्व अधिक स्वायत्तपूर्ण कारणों पर डाला है। इन लोगों के अनुसार सर सैयद अपनी जाति के लोगों को सरकार का कृपापात्र बनाना चाहते थे, अपनी जाति को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक राक्षस बनाना चाहते थे, और राष्ट्र के स्याई हितों को क्षति पहुंचाने की जोखिम उठा कर भी अपनी जाति के उत्कालीन स्वार्थों को प्रोत्साहित करना चाहते थे।

सर सैयद के साथ अलीगढ़ के कालेज में मौलाना शिबली ने पन्द्रह वर्ष तक काम

१ Eminent Mussalmans (Nateson), पृष्ठ ३३

२. यह सच है कि सर सैयद के अनुसार विशुद्ध एवं साधारण निर्वाचन व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त थी। जनवरी १८८३ में सी पी स्थानीय स्वशासन विधेयक पर विधान परिषद में उन्होंने अपने विचार विस्तारपूर्वक प्रकट किये और यह बताया कि इस प्रकार के निर्वाचन में बहुत से महत्वपूर्ण खोप होंगे। उनका अभिप्राय यह था कि अल्पसंख्यकों के प्रति-निधियों का नाम निर्दिष्ट किया जावे। यह कहना गलत है कि उस समय उन की दृष्टि साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों पर थी।

विद्या और उन्हीं के सामने सर सैयद प्रगतिशील राष्ट्रवादी से बदल कर प्रतिनिधायक सम्प्रदायवादी बने। मौलाना मित्रली स्वयं राष्ट्रवादी थे और यह एक दुर्लभ की बात है कि उन्होंने इन दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन के कारणों को प्रकट करना "हमारे उद्देश्य के लिये अनिवार्य" माना। जन्म, "मौलाना नाहिव के उन समय चुन रहने का चाहे जो कारण हो अब समय ने हमें उनका उत्तर दे दिया है। सर सैयद की राजनीति में परिवर्तन का दायित्व अलीगढ़ कॉलेज के तत्कालीन यूरोपियन प्रिन्सीपल को कूट नीति पर था।" इन वाक्यों को दिनांक १८९९ में प्रिन्सीपल बेक के मरने पर सर जान स्ट्रेची ने लन्दन टाइम्स के अपने लेख में सूक्ष्म भाव से स्वीकार किया — यह एक एम अगरेज का देहावासन है जो एक दूर देश में साम्राज्य निर्माण के कार्यों में मग्न था। उनकी मृत्यु अपने कर्तव्य पद पर खड़े हुए एक सैनिक की भाँति हुई है। मुसलमानों को आरम्भ में मि बेक पर मन्देह था और उन लोगों ने मि बेक को ब्रिटिश भेदिना समझ कर उनका विरोध किया किन्तु थोड़े ही समय में उनके अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से उनके विश्वास को प्राप्त कर लिया।<sup>१</sup>

प्रिन्सीपल बेक को अपने साम्राज्यवादी काम में सफलता मिली। उन्होंने सर सैयद की बहका कर उनके हृदय में यह विश्वास जमा दिया कि आंग्ल-मुस्लिम गठ-बधन में मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी और राष्ट्रवादियों के साथ मिलने से उनके दुःख और कष्ट फिर बट जायेंगे। इनके अतिरिक्त सर सैयद को इस बात का भी दृढ़ विश्वास दिया गया कि सरकार का समर्थन करने से उनकी जाति की अग्री उन्नति के लिये विघ्न नृविधा निलेगी। इस प्रकार उनके असाधारण प्रभाव द्वारा मुसलमानों को—विरोध कर उत्तर भारत के मुगल शासकों की—बाद से दूर रखा गया।<sup>२</sup> एक भारतीय म्मन्मान ने लिखा है — "आरम्भ में सहारे की आवश्यकता

१ मौलाना मित्रली ने सर सैयद के बारे में लिखा है कि प्रवृत्ति ने उन्हें सारे भारत का नेता बनने की प्रतिभा दी थी। किन्तु उनके चारों ओर के दानावरण ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलमानों को दूर खींच लिया। "ऐसा क्यों हुआ?" इसका उत्तर अनावश्यक है। केवल यही नहीं बरन इसका उत्तर हमारे उद्देश्य के लिये अतिरूप ही सक्षम है।" Ashok Mehta and Achut Patwardhan *The Communal Triangle in India*, pages 23 and 24 से अनुवादित।

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६१.

४ Mehta & Patwardhan: *The Communal Triangle in India*, page 24

हो सकती थी किन्तु अपने पैरो पर खड़े होने की सामर्थ्य या जाने पर भी मुसलमान इस बात का साहस न कर सके कि वे राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से चलें। सरकार की मनोवृत्ति से पूरी तरह परिचित होने पर वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि कांग्रेस में सम्मिलित होने से उनकी मुक्ति संभव नहीं थी। वहाँ स्वार्थ, अविश्वास, जातीय घृणा, सरकार के कृपापात्र बनने की अभिलाषा और अपना पर्यक अस्तित्व बनाये रखने की भावना के कारण मुसलमानों और कांग्रेस वालों के बीच एक चौड़ी खाई बनी रही।<sup>१</sup>

सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे वर्ष सर सैयद न मुस्लिम शिक्षण कांग्रेस (बाद में सम्मेलन) की स्थापना की। शिक्षित मुसलमानों का ध्यान और अनुराग केन्द्रित करने के लिये और साथ ही उन्हें कांग्रेस और राजनीतिक आलोचना से दूर रखने के लिये इस सस्या के अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के ही दिना में किये जाते थे। सर सैयद और उनकी जाति की राजनीति थी ब्रिटिश सरकार का समर्थन, उसके साथ सक्रिय सहयोग, ब्रिटिश सत्ता के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन और सरकारी कामों पर आलोचना की निन्दा।

४

सन् १८५९ की पंजाब सैन्य पुनर्संगठन कमेटी की भाषा के अनुसार देशी आर्मीयों का परस्पर सतुलन करने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने १८६१ में भारतीय सेना में सबसे पहली बार लागू किया। केवल सर सैयद का ही नहीं बल्कि सैन्य अधिकारियों का भी यह विश्वास था कि १८५७ के विद्रोह का बल विभिन्न प्रान्तों, सम्प्रदायों, समुदायों और जातियों के लोगों की एक्य भावना में निहित था—सब लोग सेना में घुल मिल कर रहते थे। भविष्य में ऐसे विद्रोहों की संभावना मिटा देने के उद्देश्य से भारतीय सेना को वर्ग आधार पर फिर से संगठित किया गया। किन्तु अपनी साक्ष जमाने के उद्देश्य से सिविल शासन में उचित नीति को व्यवहार में लाना आवश्यक समझा गया। सरकारी पदों के लिये नियुक्ति करने में और राजभक्ति के आधार पर पुरस्कार और उपाधि वितरण करने में विद्रोह के बाद दशाब्दियों तक, साधारणतया कोई जातीय भेद भाव नहीं किया गया। सर एल्फ्रेड लॉयल ने लिखा है—“हमको अनिवार्य न्याय और उपयोगिता के आधार पर उचित नीति को व्यवहार में लाना चाहिये। भारत में सामयिक एवं अल्प-कालीन पक्षपात के कारण हम उक्त आधार को बराबर तोड़-मरोड़ नहीं सकते।

१ An Indian Mussalman Indian Mussalmans and Indian Politics, Hindustan Review, January 1909, page 55.

किया जा चुका है। यहाँ उस सत्रघ में कुछ और लिखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। अब केवल इस बात का विवरण करना शेष है कि १९०९ के सुधारों में मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की नीति किस प्रकार विकसित हुई।

५

जैसा कि पहले कहा जा चुका है १८८५-८६ में सर सैयद ने अविवाश मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने और शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिये प्रोत्साहित किया था। किन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिनों में "सर सैयद ने कांग्रेस की माँगों के औचित्य को अनुभव किया। उन्होंने सरकारी परिपदों में अपने देश-वासियों की निम्न स्थिति को तीव्रपन के साथ अनुभव किया यहाँ तक कि सुदूर भविष्य में भी शासकों और शासितों के बीच समान व्यवहार की बात उन्हें दुरासामान प्रतीत हुई।" इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उनके पुत्र सैयद महमूद से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे १८९२ में विवाह करके त्याग पत्र दिलाया गया था। अस्तु, कारण चाहे जो कुछ हो, सन् १८९३ में सर सैयद ने मुस्लिम हिन्दुओं के संरक्षण के लिये एक राजनीतिक सस्था स्थापित करना स्वीकार किया। इस सस्था का नाम था मुहम्मदन डिपेंड एसोसियेशन ऑफ अपर इंडिया। इसमें विभिन्न प्रान्तों के छोटे हुए प्रतिनिधि लिये गये और सैयद महमूद तथा प्रिन्सोपल बैंक इसके मन्त्री बनाये गये। इस सस्था का उद्देश्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व द्वारा मुस्लिम हिन्दुओं की रक्षा करना और उनको प्रोत्साहित करना था। उसकी नीति भारत में ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ करने वाले उपायों का समर्थन करने की और मुसलमानों में राजभक्ति की भावना पैलाने की थी—यह नीति आन्दोलन और राजनीतिक प्रचार के विरुद्ध थी। इस सस्था का मुख्य बाम था मुसल-ानों को कांग्रेस से दूर रखना, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई बनाये रखना और आगल मुस्लिम सहयोग को प्रोत्साहित करना। मि बैंक के शब्दों में, "कांग्रेस का उद्देश्य देश की राजनीतिसत्ता को अंग्रेजों से हिन्दुओं को हस्तान्तरित करना है। उसकी माँगें हैं—शास्त्र एकट को रद्द करना, सैन्य व्यय को घटाना और इस प्रकार सीमा प्रदेशीय मोर्चों को दुर्बल बनाना। इन माँगों के साथ मुसलमानों की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। इन आन्दोलन करने वालों से लड़ने के लिये और लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना रोकने के लिये अंग्रेजों और मुसलमानों का एक होना आवश्यक है। लोकतन्त्रीय शासन देश की आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के लिये अनुपयुक्त है। अतः हम सरकार के प्रति राजभक्ति और आगल-मुस्लिम सहयोग का प्रतिपादन करते हैं।" १

१. Eminent Mussalmans, page 35

२. Mehta and Patwardhan · The Communal Triangle in

देश के विभिन्न स्थानों में अन्य मुस्लिम समस्याएँ—जैसे अजमेर इत्यादिवा  
और यग मेन्स मुहम्मदन एनोमिनेशन— अस्तित्व में आ गई थी। यद्यपि ये मुस्लिमों  
राजनीतिक मामलों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेती थी किन्तु वे मुख्यतः अराज-  
नीतिक थी। अलीगढ़ और अन्य भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा  
पाये हुए मुस्लिम कांग्रेसके ही टगकी एक नियमित राजनीतिक समस्याकी आवश्यकता  
अनुभव करने लगे थे। सितम्बर १९०१ में सर मुहम्मद शफी ने लाहौर के 'ऑब्जेक्टिव'  
में कट लेख लिखे और एक भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने के विचार का  
प्रतिपादन किया। उसी वर्ष (१९०१ में) मुसलमानों के अरिबानों के रक्षण के  
लिए प्रांतीय और अखिल भारतीय कांग्रेस बनाने के लिये सूची में निराशा  
की गई। किन्तु ये विचार कार्यान्वित नहीं हुए। अन्त में १ अक्टूबर १९०६ में  
प्रसिद्ध मुस्लिम शिष्ट मण्डल के सदस्यों ने शिमला में विचार विनिमय किया  
और उसके पल्लवस्वरूप दिसम्बर १९०६ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाई गई।

मौलाना मुहम्मद अली ने सन् १९०३ में बताया—और यह नेद पहले भी  
प्रकट था—कि उक्त शिष्ट मण्डल का अविमल अग्रज सूत्रधारों के निर्देशानुसार  
किया गया था।<sup>१</sup> अलीगढ़ कॉलेज के प्रिन्सिपल ऑर्बोल्ड<sup>२</sup> के द्वारा ध्वस्त्या की  
गई थी और उन्होंने शिमला में वादसराय के निजी महाजन कर्नल टनरय मिनर  
के साथ शिष्ट मण्डल के संगठन और वादसराय के समग्र प्रवृत्त किये जाने  
वाले निवेदन पत्र के सबंध में सारी बातें निश्चित कर ली थी। अलीगढ़ में सर  
संघ के उपाध्यक्षों तथा मोहम्मिन-उस-मुलक और राजमन्त मुसलमानों के  
नेताओं का १० अगस्त १९०६ के पत्र में उक्त बातों की सूचना दी गई। पत्र इस  
प्रकार था —

“महामहिम वादसराय के निजी महाजन कर्नल टनरय मिनर ने मुझे बताया  
है कि महामहिम मुस्लिम शिष्ट मण्डल ने भेंट करने के लिये महत्प्रयत्न हैं। उन्होंने  
यह कहा है कि महामहिम ने भेंट करने की अनुमति मागने के लिये ध्वस्त्या-

India, pages 59-60

१ Congress Presidential Address Indian Annual Register 1924 Vol. II Supplement page 27

२ अपने मरने से पहले प्रिन्सिपल बैंक ने अपने उपाध्यक्षों के लिये प्रयत्न कर  
दिया था और उस प्रकार बैंक का पद सर थियोडोर मॉगिन को  
मिला जो बाद में भारत परिषद के सदस्य हुए। उस समय मॉगिन का  
स्थान ऑर्बोल्ड ने लिया। यह अग्रज भी नि बैंक की नाति मुस्लिम हितों  
का उपाही समर्थक था।

नुसार एक पत्र उनके पास भेज दिया जावे। इस सबब में मुझ कुछ बातें उपयुक्त मालूम होती हैं। उस नियमानुसार पत्र में कुछ प्रतिनिधि मुसलमानों के हस्ताक्षर होने चाहियें। स्वयं शिष्ट मंडल में सब प्रान्तों के प्रतिनिधि होने चाहियें। तीसरी बात निवेदन पत्र से संबंधित है। मेरा सुझाव यह है कि हम उस पत्र का आरम्भ राजभक्ति की गभीर अभिव्यक्ति द्वारा करें। बाद में हम स्वराज्य की दिशा में सरकारी प्रयत्न की सराहना करें किन्तु उसी सबब में हम अपना यह भय भी प्रकट कर दें कि निर्वाचन सिद्धान्त मुस्लिम अल्प सख्यता के हितों के प्रतिकूल होगा। तदुपरान्त विनयपूर्वक यह संकेत किया जाना चाहिये कि मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिये धर्मानुसार प्रतिनिधित्व देने अथवा नाम निर्देशन करने की व्यवस्था की जावे। इसके अतिरिक्त हमें यह भी कहना चाहिये कि भारत जैसे देश में जमींदारों को उपयुक्त महत्व देना आवश्यक है।

व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि नामनिर्देशन की व्यवस्था का समर्थन करना मुसलमानों के लिये हितकर होगा—निर्वाचन पद्धति के प्रयोग करने का समय अभी नहीं आया है। निर्वाचन द्वारा मुसलमानों के लिये उचित अनुपात में स्या प्रान्त करना अत्यन्त कठिन होगा। दृष्टिकोण के सबब में मुझे पृष्ठ भूमि में स्या जावे। यह दृष्टिकोण आपकी ओर से व्यक्त होता चांसिये। आप लोगों के लिए प्रस्तावित निवेदन पत्र तैयार कर सकता हूँ, अथवा दोहरा सकता हूँ। यदि इस पत्र को बम्बई में भाषाबद्ध किया जावे तब भी मैं उसे देख सकता हूँ क्योंकि जैसा कि आप परिचित हैं, ऐसी बातों को मैं उपयुक्त भाषा में लिखना अच्छी तरह जानता हूँ। कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखिये कि समय अधिक नहीं है और प्रबल संगठन करने के लिये हम शीघ्रता करनी चाहिये।<sup>१</sup>

इस पत्र के आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और हिज हार्डिनम आगा खा के नेतृत्व में विभिन्न प्रान्तों के ३५ प्रभावशाली मुसलमानों के एक शिष्ट मंडल का संगठन किया गया और इस शिष्ट मंडल ने १ अक्टूबर १९०६ को शिमला में वाइसरॉय से भेंट की। निवेदन पत्र मि आर्क बोल्ड के अनुसार ही तैयार किया गया था और उसे मुख्यतः मि सैयद हुसन बिलग्रामी और सर अली इमाम ने लिखा था और सम्भवतः वह प्रिन्सीपल आर्कबोल्ड द्वारा दोहराया गया था। १ अक्टूबर १९०६ को शिमला में लॉर्ड मिण्टो के समक्ष जो पत्र प्रस्तुत किया गया था, वह एक लम्बा और महत्वपूर्ण लेख्य था। उस में मुस्लिम वर्ग की

से सम्बन्ध होगा, मुस्लिम हितों और राजनीतिक अधिकारों को सरलान प्राप्त होगा।" वह वाक्यावली इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे विस्तार पूर्वक उद्धृत करना उपयुक्त होगा। वाइसरॉय ने कहा —

"मैं आपके सम्बोधन का सार यह समझ पाया हूँ कि किसी भी प्रतिनिधित्व व्यवस्था में जिस में निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जयवा बढ़ाया जावे, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक समाज के रूप में होना चाहिए। आपने इस बात का संकेत दिया है कि बहुत से वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों से मुसलमानों के चुने जाने की आशा नहीं की जा सकती। यदि संयोगवशा वह चुन भी लिया जाता है तो वह एक विरोधी बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आप लोगों को यह भाग उचित है कि मुसलमानों की स्थिति उन की सत्या शक्ति से न आकी जावे वरन् उसका माप उन की राजनीतिक महत्ता और साम्राज्य सेवा के आधार पर की जावे। मैं आप से पूर्णतः सहमत हूँ। वृषथा मुझे प्रलन न समझियेगा, मैं किसी साधन या व्यवस्था का निर्देश नहीं कर रहा। किंतु आप की भांति मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस महादेश की विभिन्न जातियों की धारणाओं और परम्पराओं से असंबद्ध निर्वाचन व्यवस्था का भविष्य कुटिलता और असफलता से भरा हुआ है।"<sup>१</sup>

इस प्रकार भारत में सम्राट् के प्रतिनिधि ने साम्प्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। लॉर्ड मिंटो की जीवनी में मौलिक उद्देश्य को एक महत्वपूर्ण वाक्य में इन प्रकार प्रकट किया गया है — "इस व्याख्यान ने निःसंदेह रूप से मुसलमानों को राजद्रोही दल में भर्ती होने से रोक दिया; उपद्रव के बादल मडरा रहे थे और उन दिनों इस रोक का असाधारण मूल्य था।"<sup>२</sup>

भारत सरकार को अपनी प्रतिनिधित्व योजना बनाने में पूरे दो वर्ष लगे और इस योजना में मुसलमानों के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को

१. An Indian Mohammedan - British India, page 486

२. Buchan : Lord Minto, page 244

३. Buchan Lord Minto, page 244 यह लॉर्ड मिंटो के व्याख्यान के सम्बन्ध में लॉर्ड मॉर्ले के मत का अभिलेख करना उचित होगा। उन्होंने कहा, "मुस्लिम विवाद में अब मैं आपका अनुसरण नहीं करूँगा। मैं आप को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके असाधारण अधिकारों के बारे में आपके व्याख्यान ने ही यह मुस्लिम हौजा खड़ा कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा निर्णय सर्वोत्तम था।" (Recollections, Vol II, page 325) इसी अध्याय में आगे चल कर लॉर्ड मॉर्ले के प्रस्ताव की चर्चा की गई है।

रूप दिया गया। भारतीय विधान परिषद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भारत सरकार ने १ अक्टूबर १९०८ को भारत मन्त्री के पास अपना राजपत्र भेजा और उसमें लिखा—“हमने मुसलमानों की मांगों और हिंदुओं के दृष्टिकोण पर भली भाँति ध्यान दिया है। हमारे विचार ने मुसलमानों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें चार निर्वाचन स्थान प्रदान किये जावें और जब तक निर्वाचन के लिए उपयुक्त प्रबन्ध न हो तब तक पाचवें स्थान के लिये नाम निर्देशन दिया जावे। अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या वाले चार प्रान्तों को—अर्थात् बंगाल, पूर्वी बंगाल तथा आसाम पंजाब और यू पी को—उक्त चार निर्वाचन-स्थान स्थायी रूप से प्रदान कर दिये जावें और पाचवें स्थान को पूर्ण यथाक्रम सम्बन्ध और मद्रास में दी जावे क्योंकि इन प्रान्तों में मुस्लिम जनसंख्या कम है।”<sup>१</sup> भारत सरकार के मतानुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में सभी प्रान्तों के लिए एक ही व्यवस्था अपनाना सम्भव नहीं था। राजपत्र में कहा गया, “हमारा यह मत है कि जिन प्रान्तों में नियमित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव सम्भव है, वहाँ उस व्यवस्था को अपना लिया जावे जहाँ निर्वाचन क्षेत्र नहीं बन सकते वहाँ मुस्लिम संख्याओं से लाभ उठाया जावे, और जहाँ उपर्युक्त दोनों बातें सम्भव न हों वहाँ सरकार नाम निर्देशन करे।”<sup>२</sup> प्रान्तीय परिषदों के लिए मुसलमानों को कुछ स्थान प्रदान किए गए थे। इन के लिए भी पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गयी और निर्दिष्ट मालगुजारी अथवा आय-कर देने वालों की अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के पाच वर्ष में अधिक अवधि के निवृत्त स्नानकों को मनाधिकार दिया गया।

मुसलमानों और उमीदारा के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में लॉर्ड मॉलें ने भारत सरकार की योजना का अनुमोदन नहीं किया। भारतीय विधान मंडल के सम्बन्ध में अन्य जातियों के लिए प्रान्तीय परिषदों के ग्रैंड-मैजिस्ट्री सदस्यों द्वारा परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों के लिए चुनी और जिला मजिस्ट्री के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था थी। लॉर्ड मॉलें ने २७ नवम्बर १९०८ के अपने राजपत्र में इन प्रस्तावों का कई कारणों से विरोध किया। एक कारण तो यह था—और यह आपत्ति भारतीय राष्ट्रवादियों को भी थी—कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सख्त अविश्वास चौड़ी होती जायगी। इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री की दो मुख्य आपत्तियाँ और थीं। एक तो यह कि भारत सरकार के प्रस्तावों

१. Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 293.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४.



ने हिन्दुओं और मुसलमानों में द्वेषपूर्ण भेदभाव किया था, और दूसरा यह कि चहुँप सी स्थितियों में मुसलमानों को दुहरा मनाधिकार दिया गया था। इन दोनों को दूर करने के उद्देश्य से लॉर्ड मॉर्ले ने विभिन्न जातियों और वर्गों के अभ्यर्चियों के चुनाव के लिए एक संयुक्त निर्वाचन मंडल की योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में विभिन्न जातियों और वर्गों के अनुपातानुसार उन्हीं विभिन्न जातियों और वर्गों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन मंडल बनाने का प्रस्ताव किया गया। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि किसी निर्दिष्ट स्थान से तीन हिंदू और एक मुस्लिम प्रतिनिधि चुन कर भेजे जाने थे। ऐसी दशा में उपर्युक्त योजना के अनुसार तीन और एक के अनुपात में ७५ हिंदुओं और २५ मुसलमानों का निर्वाचन मंडल बनाया जा सकता था। इस मंडल को बनाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जैसे (१) निर्दिष्ट रकम से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों (२) ग्राम्य अथवा तहसील मंडलों के सदस्यों, (३) जिला मंडलों के सदस्यों (४) और नगरपालिका सत्याजा के सदस्यों द्वारा, इन क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट सत्या के अनुसार प्रतिनिधि चुनवाने की व्यवस्था थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों से बहुमत पाने वाले ७५ हिंदू और २५ मुसलमान चुने जाने थे। निर्वाचित मुसलमानों की सत्या २५ से कम होने की दशा में नाम निर्देशन द्वारा कमी को पूरा करने की व्यवस्था थी।<sup>१</sup> निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार था। इस प्रकार उपर्युक्त योजना के फलस्वरूप एक मुस्लिम और तीन हिंदू सदस्य चुने जा सकते थे।

लॉर्ड मॉर्ले ने अपनी इस योजना को भारत सरकार के समक्ष रखा और इस सम्बन्ध में उन्होंने ये ध्यान देने के योग्य शब्द लिखे — “यह सच है कि इस योजना में प्रारम्भिक निर्वाचक और अन्तिम रूप से निर्वाचन व्यक्ति के बीच बहुत बड़ी दूरी है, साथ ही यह पद्धति सरल प्रतीत नहीं होती। परन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अल्पसङ्ख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हमारे सरलतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। एक वोट की प्रणाली इस योजना का अनिवार्य अंग है, उसे सनोपप्रद रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है और निर्वाचक उसे समझ सकते हैं। साथ ही इस योजना में कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। इस योजना में सभी सम्बन्धित वर्ग सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रहेंगे और हिंदुओं की आलोचना का आधार मिट जावेगा—, दूसरी बात यह है कि इस योजना में एक ऐसे सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि उसके द्वारा विशेष वर्गों और सत्याओं की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मांग का सामना किया जा सकता है,

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents, Vol.

उम वर्ष लीग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण त्यागपत्र देकर अलग हो गये ।

कांग्रेस की भांति अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी विभिन्न प्रान्तों में और साथ ही लन्दन में शाखाएँ बनाई गईं । लन्दन शाखा के अध्यक्ष थे सर सैयद अमीर अली । सविधान में लीग के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया — “(१) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावनाओं को बढ़ाना और सरकार के उद्देश्य तथा उस की नीति के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम पूर्ण धारणा हो तो उसे दूर करना, (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष मृदु भाषा में प्रस्तुत करना, (३) पहले दोनों उद्देश्यों को दिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये मुसलमानों और भारत की अन्य जातियों में मित्रता की भावनाओं का प्रसार करना ।”<sup>१</sup>

इस प्रकार लीग एक राजभक्त सस्था थी जिसका सगठन सरकार के समक्ष मुसलमानों की विशेष माँगें प्रस्तुत करने के लिए किया गया था । पहले दो वर्षों (१९०६ और १९०७) में लीग की केन्द्रीय समिति और प्रान्तीय शाखाओं ने अपने प्रस्तावों में केवल एक माँग अलापा था और वह यह था कि मुसलमानों के हित में सरकारी उपहारों—नौकरियों और पदों—के प्रचुर वितरण का अनुग्रह किया जावे ।<sup>२</sup> परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, लीग का दृष्टिकोण अधिकाधिक स्वतन्त्र होना गया और वह माँगें पूरी न की जाने की दशा में अभक्ति के लिए धमकी भी देने लगी । सन् १९०८ में सर सैयद अली इमाम ने समापति के पद से अपने भाषण में शिक्षित मुसलमानों को ओर से कहा, “मान्भूमि के लिये हमारा प्रेम और आदर किसी से कम नहीं है ।” उन्होंने यह भी कहा कि व्यावहारिक राजनीति के महावपूर्ण प्रश्नों पर कांग्रेस और लीग में कोई भेद नहीं है ।<sup>३</sup> अन्तर मुस्यत उद्देश्य

१ Hindustan Review, April 1909, pages 346-347.

२ Hindustan Review, April 1909, page 350

३. उन्होंने १४ बातों की सूची दी — (१) न्यायपालिका और कार्यवाहिकी का पृथक्करण, (२) अपमानजनक और तनिवेशिक अध्यादेशों का खंडन, (३) प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, (४) सार्वजनिक नौकरियों के उच्च पदों पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति, (५) समाज की व्यवस्था , (६) स्थानीय स्वशासन में सरकारी हस्तक्षेप की नीति का परिवर्तन, (७) सैन्य व्यय में उचित कमी, (८) भारत की सामरिक जातियों के लिए स्वयं सेवकों की भांति लड़ने के अधिकार की मान्यता, (९) भारतीयों की सैनिक अफसरों के पदा पर नियुक्ति; (१०) होम चार्ज का समुचित

और पद्धति में था। कांग्रेस औपनिवेशिक दृष्टि पर स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी लीग प्रशासनीय सुधारों की मांग में नतुष्ट थी और वह चाहती थी कि एक उदार व्यवस्था में शिक्षित भारतीयों की स्वभाविक भावाभावाएँ में पूर्ण हों।<sup>१</sup> उस सम्बन्ध में मन्त्री जेम्स डेविस ने कहा — क्या इन स्वशासन के आदर्शों ने लोगों को उत्तेजित नहीं कर दिया है? उनके कारण लोगों में अर्थर्य आ गया है। संसुलन के अभाव में उन्नता आ गई है और इस उन्नता ने अराजकता, दम, गुण ममिनियों और हत्याओं को जन्म दिया है। \* इन लीग ने अपन लिए एक नये आदर्श निश्चित किया और शान्तिपूर्ण उपायों का अपनाया। ”

किन्तु साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उमने बड़ी बड़ी नीति जनार्त और मागें पूरी न की जान की दगा में राजनक्ति और समर्थन की नीति छोड़ देने की धमकी दी। लीग न मयुक्त निर्वाचन मंडल की यात्रना का विरोध किया और विद्रुद्ध रूप में साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के टिए” जोर दिया। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड और भारत में मन्त्री और पत्रों का सहायता न एक बड़ आन्दोलन का संगठन किया गया। ” इंग्लैंड में मि अमौर जली और मेजर मंचंद हसन विद्यार्थियों न लॉर्ड मॉर्ले को अपने पक्ष में लाने के उद्देश्य में लन्दन टाइम्स में पत्र लिखे। लेकिन जब इन पत्रों का कोई प्रभाव नहा हुआ तो एक शिष्टमण्डल का संगठन किया गया और उमने भारत मन्त्री में भेंट की। लॉर्ड मॉर्ले का उत्तर कूट नीति पूर्ण था और उस में कोई बात निश्चित नहीं हाती थी। लॉर्ड मॉर्ले के अस्पष्ट आश्वासन से संसुलन न होने के कारण अखिल भारतीय मुस्लिम लीग फिर लॉर्ड मॉर्ले के पाम पहुँची। ”<sup>२</sup> और उमने समझ वही निवेदन किया जो लन्दन में लॉर्ड मॉर्ले के सामने किया जा चुका था। इस भेंट में लीग की सफलता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने मुस्लिम मागों का समर्थन किया, भारत मन्त्री झुक गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की योजना को स्वीकार कर लिया।

विभाजन, (११) मालगुजारी की सीमा, (१२) ग्राम समितियों की स्थापना, (१३) भारतीय शिल्प और धंधों का संरक्षण और उनका प्रोत्साहन, (१४) शासकों और शासितों के बीच समान व्यवहार।  
Hindustan Review April 1909 pages 350-351 में अनुवादित।

१. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ ३५१.

२. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ ३५४.

३. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ ३५६.

एक ओर तो मुसलमानों की नई साम्प्रदायिक सस्या पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग पर जोर दे रही थी और दूसरी ओर देश के राष्ट्रवादी—हिन्दू आर मुसलमान—नेता तथा समाचार-पत्र उसका प्रबल विरोध कर रहे थे। लाला लाजपतराय और श्री सी वाई चिन्तामणि<sup>१</sup> दोनों ने बड़ी योग्यता के साथ राष्ट्रवादी पक्ष को प्रस्तुत किया और मुस्लिम मांगों के अनौचित्य और उनकी कुटिलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धान्त को स्वीकार करने और साथ ही अल्पसंख्यकों को उनकी सख्या शक्ति से अधिक प्रतिनिधित्व देने के दुष्परिणामों को बताया। कुछ देशभक्त मुसलमानों ने भी इन लोगों का समर्थन किया। सन् १९०८ में नवाब सादिक अली खा, वैरिस्टर ने लखनऊ में कहा “इस योजना में वर्ग और धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त अत्यन्त कुटिलतापूर्ण है। मुसलमानों को यह सिखाना ठीक नहीं है कि उनके और हिन्दुओं के राजनीतिक हित भिन्न हैं। मेरी अपनी सम्मति यह है कि स्वयं मुसलमानों के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धान्त कुटिलतापूर्ण है।”<sup>२</sup> उसी अवसर पर एक दूसरे मुसलमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा “भारत में एक राष्ट्र बनाने के प्रयत्न को निष्फल करने के उद्देश्य से यह कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। इस व्यवस्था से पारस्परिक विच्छेद को प्रोत्साहन मिलेगा दूसरी ओर सद्युक्त क्षेत्र से निर्वाचित होने की दशा में पारस्परिक सम्पर्क घनिष्ठतर होगा।”<sup>३</sup> सन् १९११ में मि रैमजे मैकडोनल्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा —“मुस्लिम समाज के कुछ दूरदर्शी सदस्य अब इस बात को अनभव करने लगे हैं कि उनके शक्ति हो गई है। उनमें से कुछ लोगों ने बड़े तीक्ष्ण के साथ मुझे यह बताया कि किन प्रकार उनके कुछ नेताओं ने जागल-भारतीय अधिकारियों द्वारा रचे हुए अभिनय में सहयोग प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थी, अन्य कुछ लोग इस मत के हैं कि जो कुछ हुआ वह ठीक है लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी यह बोध हो रहा है कि आगे खतरा है और वे यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी लम्बी चौड़ी मार्गों की होनी तो ज्यादा अच्छा होता।”

मुसलमानों में चाहे जो मतभेद हो कि लोग की नीति बुद्धिमत्तापूर्ण थी अथवा

१ Hindustan Review, April 1909, page 320 to 336

२ उपर्युक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२३

३ उपर्युक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२४.

४ Macdonald The Awakening of India, page 129

नहीं किन्तु इस बात में सभी नागरिक सहमत थे कि लोगों को एक होने से<sup>१</sup> रोल्स के लिये ब्रिटिश कर्मचारीगण ने बड़ी चाखी की चाक बर्तनी थी और इस प्रकार मुधारों को उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता में बचित कर दिया था। अप्रैल १९०९ के हिन्दुस्तान रिव्यू में एक नागरिक मनमान ने लिखा है—“मैंने जाति-भाटवों का मान में एक अक्षय अन्तः कानन का प्रयत्न कर लिया है।” उसी लेखक ने इस मद्रक में एक अच्छी भविष्यवाणी की—“इस प्रयत्न से दूनत की पौराणिक भाषाओं के पंडोरा का दुर्भाग्य पिटाया मूल जादेगा और मान को एक अक्षय अन्तः और सभी परिस्थिति का मानना करना पड़ेगा।”<sup>२</sup>

१ मि मैकडोमल्ट लिखते हैं :—“यह कहना कठिन है कि जंगल अधिवासियों में इस भाँति की जान बूझ कर, पेट बाल कर राज्य करने के कृत्रिम उद्देश्य से अपनाया अथवा भारत की ठीक न समझने के कारण और अपने बाँसों के फल का अनुमान न कर सकने की दशा में यह उनकी एक भरकर मूल थी। लॉर्ड मिंटो के व्याख्यानों, उत्तर में लॉर्ड मॉले के व्याख्यानों और पम्पन-विरोधी राजपूतों के तथ्यों पर अभी प्रकाश पड़ना बाकी है।”—*The Awakening of India*, page 176

२ *Hindustan Review*, April 1909, page 357-

## सोलहवां अध्याय मॉर्ले-मिण्टो सुधार

१

भारत के नरम दली नेताओं ने मॉर्ले मिण्टी सुधारों का सोत्साह स्वामत किया लेकिन १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट के अन्तगत भारत सरकार द्वारा निमित्त विनियमों की दिनाम्बर, १९०९ के कानून अधिवेशन में गीब आलोचना की गई। इन विनियमों को १५ नवम्बर १९०९ के सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में रूप दिया गया था। उन पर अपना मत प्रकट करते हुए सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा 'इन नियमों और विनियमाने सुधारों की याचना को व्यक्त निरर्थक कर दिया है।'<sup>१</sup> अस्तु, सुधारों—एस् और विनियमों—के गुणों और दोषों का विश्लेषण करने में पहले स्वयं सुधारों की रूपरेखा का परीक्षण करना उपयुक्त होगा।

२

लार्ड मॉर्ले और मिण्टो के नामों से सम्बन्धित पहला महत्वपूर्ण सुधार यह था कि भारत पत्रों और वाइसरॉय, दोनों की परिषदों में भारतवासियों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी।

वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद् में किसी भारतीय को नियुक्त करने का प्रश्न पर मार्च १९०६ म लॉर्ड मिण्टो ने अपनी परिषद् के कुछ सदस्यों के साथ सबसे पहली बार विचार किया था। वाइसरॉय ने सुधारों से सम्बन्धित कमेटी से भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा। कमेटी के आठ सदस्य पत्र और वायें सदस्य विपक्ष में थे। लेकिन परिषद् में इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध हुआ—केवल एक सदस्य ने उसके पक्ष में अपना मत दिया। किन्तु इतने पर भी वाइसरॉय अपने मन पर दृढ़ रहे क्योंकि उनकी सम्मति में विरोधियों के विरोध का आधा अल्पमत तकनीक था। इन लोगों के अनुसार "अमाधारण उत्त रवसिध के पक्ष पर किसी देशी आदमी का विश्वास करना असम्भव जायिमपूर्ण था।"<sup>२</sup> इसके अतिरिक्त लॉर्ड मिण्टो ने सरकारी विरोध को विशेष महत्व नहीं दिया किन्तु दूसरी ओर परिषद् में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति न होना को दया में उन्हें देखो

१ Mrs. Besant How India Wrought for Freedom, page 495

२ लॉर्ड रिचमंड और सर डेविड इबटसन ने प्रबल विरोध किया था।

३ Buchan Lord Minto, page 253

आन्दोलन का डर था। इस सम्बन्ध में भारत मंत्री और इम्प्लेंट के अन्य राजमन्त्री भारत परिषद् तथा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य और लॉर्ड रिपन तथा लॉर्ड एलिंगन जैसे व्यक्तियों की सम्मति या की उपेक्षा करने का तयार नहीं था।<sup>१</sup> लॉर्ड मॉले ने लॉर्ड मिंटो को लिखा "भारतीय सदस्य के सम्बन्ध में मुख्य विचारणीय बात है आपकी और मेरी परिषद् के सदस्य का दृष्टिकोण,<sup>२</sup> और दूसरी बात है आगल भारतीय कोष और भय के उद्घाटन की जीवित।<sup>३</sup> लेकिन जुलाई १९०७ में लॉर्ड मॉले ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पग बढान का निश्चय किया और अपनी परिषद् में एक या दो भारतीयों को नियुक्त करने का अपना उद्देश्य प्रकट किया। इसी विचार में अगस्त १९०७ में एक एक्ट द्वारा भारत परिषद् के मविधान में संशोधन किया गया और उर्मी नाम में भारत परिषद् के लिए दो भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिए गए। ये सदस्य थे मि० एम० क० गुप्त और मंसूद हुसेन विलग्रामी। मि० गुप्त मिथिल सविन के सदस्य थे और मि० विलग्रामी एक योग्य, चालाक और राजभक्त व्यक्ति थे।

१ अक्टूबर १९०६ को वाइसरॉय के समक्ष मुस्लिम शिष्ट मंडल ने जा निवेदनपत्र प्रस्तुत किया था मि० विलग्रामी उनके लेखक थे और नियुक्ति के समय वे हंदरावाद के निजाम के प्रमुख पगमसंदाता थे।

लॉर्ड मॉले ने अपनी परिषद् में दो भारतीयों की नियुक्ति को विशेष महत्व दिया। वाइसरॉय की कार्यकारिणी के लिए भारतीय सदस्य नियुक्त करना इसी दिशा में अगला कदम था और अब केवल समय का प्रश्न था।<sup>४</sup> अस्तु, २४ मार्च

१ लॉर्ड रिपन और लॉर्ड एलिंगन का विरोध इस आधार पर था कि भारतीय सदस्य में सैनिक और विदेशी भेद गुप्त न रह सकेगे।

२ भारत परिषद् ने एकमत से इस प्रस्ताव का विरोध किया था।

३ Morley Recollections, Vol II, page 212.

४ लॉर्ड मॉले ने अपनी परिषद् में दो भारतीयों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में १८ जुलाई १९०७ को लॉर्ड मिंटो को एक पत्र में बताया कि वाइसरॉय की परिषद् में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की दिशा में यह पहला कदम था। देखिये Morley Recollections, Vol. II, page 226

भारतीय दृष्टिकोण का हिन्दुस्तान रिव्यू (सितम्बर १९०७) में इस प्रकार व्यक्त किया गया — भारतीय जनमत और भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिए एक दिशावादी किया गया है। दाहिने हाथ से जो दिया गया है उसे बायें हाथ से ले लिया गया है। वेस्टमिंस्टर के आगल-भारतीय मंदिर में उन लोगों का प्रवेश नहीं है जो भारत सरकार की हा में हा नहीं मिला

१९०९ को बंगाल के तत्कालीन महाधिवक्ता मि० एस० पी० सिन्हा की भारत सरकार का विधि सन्म्य नियुक्त किया गया। मि० सिन्हा बाद में सर सय्यद और जतम लाइ सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हुए।

यह समझना गलत होगा कि इस नियुक्ति का विरोध नहीं हुआ जब १७ जून १९०८ को लाइ माउन्ट बैनन में वाइसराय की कार्यालयी के लिए स्थान रिक्त होने पर किसी भारतीय को नियुक्ति करने के लिए अपना उद्देश्य पहली बार प्रकट किया तो उसका प्रबल विरोध किया गया इस पर लाइ माउन्ट वाइसराय को लिखा — वह सौभाग्य की बात है कि आपकी कार्यालयी में भारतीय सन्म्य नियुक्त करने के लिए मुझ पार्लियामण्ट की स्वीकृति प्राप्त करने की बधानिक आवश्यकता नहीं है म इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि लाइ बैनन से स्वीकृति नहीं मिल सकती।

वाइसराय की कार्यालयी में एक भारतीय सन्म्य की नियुक्ति का विरोध केवल आंग्ल भारतीयों अधिकारियों और भारत मंत्री तथा वाइसराय का परिषदों के सदस्यों ने ही नहीं किया बरन भारतीय मसलमानान भी किया। उन्हें इस बात का डर था कि यदि केवल एक भारतीय की नियुक्ति की गई तो वह व्यक्ति अवश्य ही हिंदू होगा। एक मुस्लिम गिण्टमडल ने भारत मंत्री से भ्रष्ट की और दो भारतीयों की नियुक्ति के लिए मांग की ताकि उनमें से एक मुसलमान अवश्य हो। लाइ माउन्ट के मतानुसार यह प्रस्ताव अव्यवहार्य था— क्योंकि उस दशा में अग्रजों का अनपात आपत्तिजनक रूप से घट जान का भय था— और यह एक अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन था।

३

मन् १९०९ के भारतीय परिषद एकट का दूसरा मह वरुण सुधार, भारत का विभिन्न विधान परिषदों में सम्बन्धित था।

यह सम्बन्ध में एक न पहली बात तो यह की कि उसमें प्रत्येक विधाय परिषद मकने। इस समिति के लिए दत्त और गावले की तो बात ही क्या महता यहां तक कि अमार अन्ने भा उपयोग सन्म्य नंगा हो सके। जिन दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया उनसे विसा प्रकार की धर्म की आंगवा नहा है तथापि एक विंग विधायक स्वीकार किया गया है परिषद की सन्म्य बनाई गई है ताकि विसा अग्रजों को भारताय के लिए अपना स्थान न छोड़ना पड।

१ Morley Recollections Vol II page 93

२ Indian Speeches of John Morley page 265



की सत्ता-शक्ति को बढ़ा दिया। एकट के विनियमों ने उनकी सत्ता इन प्रकार निश्चित की—महाशोय विधान परिषद्, ६९; बंगाल विधान परिषद्, ५२; मद्रास, बम्बई और यू पी—प्रत्येक की विधान परिषद्, ४७; पूर्वी बंगाल तथा आनाम की विधान परिषद्, ८१; पंजाब विधान परिषद्, २५; बर्मा विधान परिषद् १९। सन् १९११ में जब बंग नग रद्द किया गया तो बंगाल के अतिरिक्त दो अन्य प्रान्त बनाए गए। इन परिषदों के बाद इन प्रान्तों की विधान परिषदों की सत्ता इस प्रकार थी—बंगाल, ५२; बिहार तथा उड़ीसा, ८४; और आनाम, २५। इनके अतिरिक्त सरकार के अध्यक्ष या प्रान्तीय विधान परिषद् के लिए विशिष्ट विधान कार्य में परामर्श देन के उद्देश्य से एक या दो विधोपज्ञों का नाम निर्देशन करने का अधिकार दिया गया।

प्रत्येक विधान परिषद् में तीन प्रकार के—(१) सरकारी, (२) निर्वाचित, और (३) नाम निर्देशित संसदकारी—सदस्य थे। उनकी तुलना यह सत्ता निम्न तालिका में व्यक्त की गई है। सम्झाएँ सन् १९१२ के आधार पर हैं और उनमें सरकार के अध्यक्ष अथवा विधोपज्ञों की गणना नहीं की गई है।

विधान परिषद् का नाम	निर्वाचित सदस्य	नाम निर्देशित संसदकारी सदस्य	सरकारी सदस्य	कुल सत्ता
भारतीय				
मद्रास	२७	५	३६	६८
बम्बई	२१	५	२०	६६
बंगाल	२८	७	१८	६६
यू पी	२१	८	२०	५०
पूर्वी बंगाल तथा आनाम	१८	६	२०	४७
पंजाब	८	५	१७	६०
बर्मा	१	६	१०	२६
बिहार तथा उड़ीसा	१	८	६	१५
आनाम	२१	६	१८	४७
	११	४	१	२४

१. सन् १९०५ में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसे सन् १९११ में रद्द कर दिया गया और प्रान्तीय सीमाओं को फिर से निश्चित किया गया और तीन प्रान्त बनाए गए—(१) बंगाल; (२) आनाम, और (३) बिहार तथा उड़ीसा।

२. सन् १९०९ से पहले परिषदों की सत्ता इस प्रकार थी—महाशोय

## मॉलें मिष्टो सुधार

सम्राज्यीय विधान परिषद् के सम्बन्ध में भारत सरकार का मौलिक प्रस्ताव यह था कि उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बराबर रखी जाय, ऐसी दशा में वादसराय अपनी बोट से पलड़ा झुका सकता था। किंतु भारत मन्त्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने केन्द्र में सरकारी बहुमत बनाए रखना आवश्यक समझा। हाँ, प्रांतीय विधान परिषदों के सम्बन्ध में लॉर्ड मॉलें ने भारत सरकार को सरकारी बहुमत का विचार छोड़ देने की सलाह अवश्य दी। लेकिन इसके दो कारण थे। पहली बात तो यह थी कि इन परिषदों के अधिकार बहुत सीमित थे और दूसरी बात यह थी कि इन प्रांतों के सरकारी अधिकारों को इन परिषदों द्वारा स्वीकार किए हुए विधेयकों को निषिद्ध कर देने का अधिकार मिला हुआ था। तथापि निर्वाचित सदस्यों को केवल बगाल में ही बहुमत प्राप्त हुआ।

विनियमों में, नामनिर्देशित (गैर सरकारी) सदस्यों के सम्बन्ध में कोई विशेष अर्हता निर्दिष्ट नहीं की गई। कुछ ऐसे हित थे जिन्हें निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता था अथवा जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। नाम निर्देशन का उद्देश्य ऐसे हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। इसी दृष्टि से सम्राज्यीय विधान परिषद् के लिए यह निर्दिष्ट किया गया कि नामनिर्देशित सदस्यों में एक व्यक्ति भारतीय व्यावसायिक समुदाय का प्रतिनिधि होना चाहिए, एक पंजाब का मुसलमान होना चाहिए और एक पंजाब का जमींदार होना चाहिए। सरकारी व्यक्तियों में कुछ लोग पदेन सदस्य होने थे और अन्य सदस्य सरकार के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने थे। पदेन सदस्यों में सरकार के अध्यक्ष और कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की गणना थी। किन्तु निर्वाचित सदस्यों के राय में बहुत से नियमों को बड़े परिश्रम के साथ बनाया गया—उन पर पूरक रूप से विचार करना उपयुक्त होगा।

विनियमों में प्रत्येक विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट कर दिया था और यह संख्या वर्गों में १ से लेकर बगाल में २६ तक थी—जो बाद में बढ़ाकर २८ कर दी गई।<sup>१</sup> इन सदस्यों का प्रादेशिक क्षेत्रों में तो बहुत सीमित रूप में निर्वाचन होता था। भारत सरकार के अनुसार भारत की परिस्थितियों पश्चिमी देशों की परिस्थितियों से भिन्न थी और इस कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से

विधान परिषद्, २५, मद्रास, २४, बम्बई, २४, बगाल, २१, पू० पी०, १६; पूर्वी बगाल तथा आन्ध्र, १६, पंजाब, १०; और वर्मा, १०।

१. अन्य आंकड़ों के लिए इसी अध्याय का तीसरा खंड देखिए।

भारत और पश्चिमी देशों में कोई अन्तर नहीं था। इसके अतिरिक्त किमी और दृष्टि से भी भारत और पश्चिमी देशों में कोई एसा मौलिक अन्तर भी नहीं था जिसका तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या पर प्रभाव हो। स्वयं पश्चिमी देशों में भूमि और अन्य कुछ हितों को बहुधा अपपाप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, और धार्मिक अल्पसंख्यका—जस यहूदिया और प्रोटस्टैण्ट देशों में रोमन कैथोलिक मनावलम्बियों—को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और उह किमी भी देश न कभी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। और इन में स क्षत्रा की पद्धति को नहीं अपनाया। किन्तु भारत सरकार के नियमानुसार भारत का विशय परिस्थितियों के लिए वग और सम्प्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता थी।

सन १९०९ के एक्ट सम्बन्धी विनियमों में तीन प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे—(१) साधारण निर्वाचन क्षेत्र—इन में प्रांतीय विधान परिषदा के अध्यक्ष नगरपालिका और जिला मडला के गरसरकारी सदस्यों को गणना थी, (२) वग निर्वाचन क्षेत्र—इन में (अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों का तथा (ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की गणना थी और (३) विशेष निर्वाचन क्षेत्र—इन में नगर पालिका कार्पोरेशनों विश्वविद्यालयों धार्मिक मडला तथा बन्दरगाह मडला की और रोपक तथा व्यापारिक हितों की गणना थी।

सम्राज्यीय विधान परिषद के ३३ निर्वाचित सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होता था—(१) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से १३ सदस्य (बंगाल बम्बई मद्रास और य पी—इन में से प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य और पंजाब बिहार तथा उड़ीसा आसाम बर्मा और मध्य प्रान्त—इन में से प्रत्येक प्रान्त से एक सदस्य) प्रतिनिधि प्रांतीय विधान परिषदा के गरसरकारी सदस्यों द्वारा चुन जायें।<sup>१</sup> (२) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल बम्बई मद्रास य पी बिहार तथा उड़ीसा और मध्य प्रान्त—इन में से प्रत्येक प्रान्त से एक सदस्य)<sup>२</sup>, (३) पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल से दो<sup>३</sup> और

- १ मध्य प्रान्त की विधान परिषद १९१४ में बनी, उस से पहले नगरपालिका और जिला बोर्डों के ५० प्रतिनिधियों के निर्वाचन मडल द्वारा सदस्य का चुनाव किया जाता था।
- २ पंजाब के जमींदारों में से एक व्यक्ति को नाम निर्देशन द्वारा वाइसराय नियुक्त करता था।
- ३ इनमें से एक सदस्य को विशेष मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता था,

मद्रास, बम्बई बिहार तथा उड़ीसा, और यू. पी., इन में से प्रत्येक प्रान्त में से एक सदस्य) (४) विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में से दो सदस्य (एक बंगाल के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि और एक बम्बई के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि)।<sup>१</sup>

दूसरी प्रकार प्रान्तीय विधान परिषदों के सदस्य तीन प्रकार के (साधारण, वन और विशेष) निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते थे। उदाहरण के लिए बम्बई को विधान परिषद की सीजिये। उन में निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या २१ थी और उनका चुनाव इस प्रकार हुआ था -- (१) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आठ सदस्य—प्रान्त के चार विभागों में से प्रत्येक में एक नगरपालिका मंडलों का प्रतिनिधि और एक जिला बोर्डों का प्रतिनिधि<sup>२</sup>, (२) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों से तीन सदस्य—दक्षिण के सरदारों का एक प्रतिनिधि, गुजरात के सरदारों का एक प्रतिनिधि और मिथ जागीरदारों का तथा जमींदारों का एक प्रतिनिधि, (३) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में चार सदस्य—बम्बई नगर से एक, प्रान्त के दक्षिणी विभाग से एक, उत्तरी विभाग से एक और केंद्रीय विभाग से एक, और (४) विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में छह सदस्य—बम्बई वाणिज्य का एक प्रतिनिधि, बम्बई तथा अहमदाबाद के मिल मालिकों के दो प्रतिनिधि और बम्बई तथा वराची के चम्बरे और कामर्स (वाणिज्य मंडल तथा भारतीय व्यापारियों) के दो प्रतिनिधि।

✓ विनियमों में (क) निर्वाचन के उम्मीदवारों और (ख) मतदाताओं के लिए अहंतायें भी निश्चित की गई थीं। "ऐसे किन्हीं व्यक्ति को निर्वाचन के लिए

दूसरे सदस्य को यथाक्रम बंगाल के मुस्लिम जमींदारों और बंगाल के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता था।

- १ पञ्जाब के लिए चाइमराँय एक मुसलमान को नाम निर्देशित करता था।
- २ ये वाणिज्य मंडल यूरोपीय थे, भारतीय वाणिज्य समुदाय के सदस्य का चाइमराँय द्वारा नाम निर्देशन होता था।
- ३ प्रत्येक नगरपालिका और जिला बोर्ड के गैरसरकारी सदस्य अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक विभाग अथवा जमींदारी के दो निर्वाचन मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते थे। प्रत्येक निर्वाचन मंडल, प्रान्तीय परिषद के लिए एक सदस्य चुनता था। अन्य कुछ प्रान्तों में जैसे बंगाल में प्रतिनिधियों का चुनाव नगर पालिका बोर्ड अथवा जिला बोर्डों की कामदनी के अनुसार होता था। बम्बई में हर नगरपालिका बोर्ड को प्रति १०,००० आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि और हर जिला बोर्डों को प्रति १ लाख आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। विनायीय निर्वाचन मंडल इन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होता था।

अभ्यर्थी होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन नहीं है, अथवा (२) सरकारी अधिकारी है, अथवा (३) स्त्री है, अथवा (४) विकृत मस्तिष्क है, अथवा (५) २१ वर्ष से कम आय का है, अथवा (६) दिवालिया है, अथवा (७) सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है अथवा (८) किसी बड़े न्यायालय द्वारा, छे महीने से अधिक कारावास अथवा देशनिर्वासन के उपयुक्त अपराध के फलस्वरूप, दंडित है, अथवा अपने सद्ब्यवहार के लिए जमानत से बचा हुआ है, अथवा (९) बकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, अथवा (१०) कुख्याति और पूर्व चरित के कारण गवर्नर-जनरल द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से निर्वाचन के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।" इतम से पिछली चार<sup>२</sup> अर्हताओं की परिपद गवर्नर-जनरल के आदेश द्वारा दूर किया जा सकता था। भारतवासियों ने इस विनियम की तीव्र आलोचना की क्योंकि उसके अनुसार पिछले (१९०५-१९०९) के आन्दोलन में भाग लेने वाले लोग परिपदों के चुनाव के लिए सह्य होने से वंचित कर दिए गए थे। इन सामान्य अर्हताओं के अतिरिक्त, वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष अर्हताएँ निश्चित की गई थी।

इसी प्रकार मतदाताओं की अर्हताएँ निश्चित की गई थी। उनके अनुसार स्त्रियों, अल्पवयस्कों और विकृत मस्तिष्क के व्यक्तियों को किसी भी निर्वाचन में वोट देने का अधिकार नहीं था। (अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों और (ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक् रूप से अर्हताएँ निश्चित की गई थी।

(अ) जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्रों की अर्हताएँ सम्प्रदायीय तथा प्रान्तीय परिपदों के लिए, हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए<sup>३</sup> और विभिन्न प्रांतों के

१. विनियम न ४—देखिये Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol 1, pages 350-1.

२. सन् १९१४ के बाद अर्हता न (१) को भी स-परिपद गवर्नर-जनरल के आदेश से रद्द किया जा सकता है।

३. उदाहरण के लिए पूर्वी बंगाल की अर्हताओं को उद्धृत किया जाता है। "मताधिकार के लिए हिंदू जमींदार को ५०००) रु. मालगुजारी देने का नियम है लेकिन मुस्लिम जमींदारों को केवल ७५०) रु. मालगुजारी देने पर मताधिकार प्राप्त हो जाता है। हिंदू जमींदार को १२५० रु. उपकार देने पर मताधिकार मिलता है किन्तु मुस्लिम जमींदार को केवल १८८ रु. उपकार देने की आवश्यकता है। अर्धनिक मजिस्ट्रेट अथवा जायकर देने वाले अथवा पेंशन पाने वाले मुसलमान को मताधिकार दिया गया है किन्तु हिंदुओं के लिए ये अर्हताएँ अपर्याप्त हैं। मुसलमानों के साथ यह पक्षपात एक ऐसे प्रांत में है जहाँ वे

लिए विभिन्न थी। मन्त्रालीय परिषद् के लिए वही बड़े जमांदाज वोट दे सकते थे जिन की आय एक निश्चित रकम में अधिक थी अथवा जो एक निश्चित रकम से अधिक माश्रुजारी देने थे<sup>१</sup> अथवा जिन्हें उच्च उपाधियां मिली हई थी<sup>२</sup> अथवा जिन्हें अर्बननिक याम्बर पद<sup>३</sup> प्राप्त थे। इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों के लिए मन्त्रालीय परिषदा की अपक्षा कुछ मोची अहंताएं निश्चित की गई थी।

(ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की अहंताय भी मन्त्रालीय तथा प्रान्तीय परिषदों के लिए और विभिन्न प्रान्ता के लिए विभिन्न थी। उनमें से प्रत्येक का विवरण देना नभव नहीं किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रान्तीय परिषदों की अपक्षा मन्त्रालीय परिषद् के लिए मतदानाश की मस्या कम थी और उन मतदानाशों को सूची में उन लागा की गणना थी जो निश्चित रकम में अधिक मालशुजारी देने थे अथवा प्रान्तीय परिषदा के सदस्य थे अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्य थे अथवा निश्चित अवधि में पढ़ने के स्नातक थे अथवा सरकारी पेशा पाते थे।

वर्ग निर्वाचनक्षत्रा के अभ्यर्थियों के लिए अन्य अभ्यर्थियों की भांति, उपयुक्त सामान्य अहंताश के जनिरित्त, उनके वग विदाप की अहंतायें भी आवश्यक थी।

इस विवरण को समाप्त करने में पढ़ने कुछ अन्य बातों की ओर ध्यान दिलाना भी उपयुक्त होगा। स्वीकृत व्यवस्था में पढ़ी बात तो यह थी कि परिषदों के सभी सदस्यों का अपना स्थान अगोकार करने में पढ़ने मन्त्राल के प्रति निष्ठा की शाय ग्रहण करनी पडती थी, दूसरी बात यह थी कि सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया तीन वर्ष के लिए निश्चित था, तीसरी बात यह थी कि १९०९ के विनियमों में, भारत सरकार ने अपनी २४ अगस्त १९०७ की जाति और धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित योजना को स्प नहीं दिया था; और अन्तिम बात यह थी कि १९०९ के एक्ट को व्यवहार में लाने के लिए जो विनियम बनाए गए थे वे लांड मिटों के शब्दों में, "अन्यन्त जटिल और अमपूर्ण थे।"<sup>४</sup>

वहमस्यक है।" — Macdonald : The Awakening of India, page 176

१ मद्रास में यह रकम १५००० रुपए थी।

२ साधारणतया यह रकम १०००० रुपए थी।

३ बंगाल में जिन लोगों को राजा और नवाब की उपाधियां प्राप्त थी उन्हें मताधिकार दिया गया था।

४ मध्यप्रान्त में अर्बननिक मजिस्ट्रेट भी वोट दे सकते थे।

५ Quoted in R. S. Iyengar's Indian Constitution, page 155.

कारण यह था कि लॉर्ड मिंटो के शब्दानुसार सरकार "सुधारों से लोक प्रतिनिधित्व को दूर रखने के लिए बहुत चिन्तित थी। मैंने इस बात का भरसक प्रयत्न किया कि सुधारों से उसकी शलक भी न मिले। हम किसी भी प्रकार की ससद के पक्ष में नहीं हैं, हम परिपद् बनाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए हम ससद के ढग पर चुनाव के पक्ष में नहीं हैं।"<sup>१</sup>

इस प्रकार नई परिपदों को जानबूझ कर दोषपूर्ण बनाया गया था ताकि सदस्यता की दृष्टि से भी उनमें और ब्रिटिश ससद (पार्लियामेंट) में कोई सादृश्य न हो। किन्तु इस से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारण एक और था। उसकी ओर पहले भी सकेत किया जा चुका है और उसकी शलक २४ अगस्त १९०७ के सरकारी लेख में भी मिलती है।<sup>२</sup> वह कारण यह था कि "देशी आदमियों में परस्पर सतुलन बनाए रखने की नीति के" अनुसार, अमरेज शासक, एकता की ओर प्रवृत्त भारतीय जनता को परस्पर असम्बद्ध विभागों में बांटना चाहते थे।

५

सन् १९०९ के भारतीय परिपद् एक्ट ने परिपदों के आकार और गैरसरकारी सदस्यों की सख्या में ही विस्तार नहीं किया बल्कि उसने भारत की विभिन्न सरकारों को परिपदों के कार्य-विस्तार के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया। इन नियमों ने परिपदों को राजस्व संबंधी वक्तव्यों पर विचार करने का, उन पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विचार करने और उन पर वोट लेने का अधिकार प्रदान किया।

सन् १९०९ के सुधारों से सार्वजनिक महत्व के, विशेषकर राजस्व संबंधी, विषयों पर विचार करने के अधिकारों की दिशा में विशेष प्रगति हुई। उदाहरण के लिए सम्राज्यीय विधान परिपद् में अर्थ सदस्य द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद कोई भी सदस्य उस वक्तव्य पर अपने प्रस्ताव के लिए सूचना दे सकता था। यह प्रस्ताव उस वक्तव्य के किसी भी निम्नलिखित विषय के संबंध में प्रस्तुत किया जा सकता था—कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन, कोई नया ऋण, नया स्थानीय सरकार के लिए कोई अनिश्चित अनुदान। नियत नियमों को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, उस पर विचार होता था और परिपद् उस पर अपना मत प्रकट करती थी। इस प्रकार के सब प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत समूह पर पूर्वोक्त रूप से विचार करने की व्यवस्था थी। कोई भी सदस्य

१. R. S. Iyengar's Indian Constitution, पृष्ठ १५७

२. Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol I, page 262.

इन शीर्षकों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता था और परिषद् उन पर विचार करने की और अपना मन प्रकट करती थी। इन शीर्षकों की चर्चा समाप्त करने के बाद अर्थ मंत्री २४ मार्च अथवा उससे पहले किसी तारीख को बजट प्रस्तुत करता था। वित्तीय विवरण के आरम्भ में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता था तो अर्थ मन्त्र्य उस पर प्रकाश डालता था और साथ ही यह भी बताता था कि परिषद् द्वारा स्वीकार किए हुए किसी प्रस्ताव को मान्यता क्यों नहीं दी गई।<sup>१</sup> तदुपरान्त कुछ बजट पर सामान्य रूप से विचार करने के लिए एक दिन निरिक्त किया जाता था लेकिन किसी मन्त्र्य को उस पर किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, उस समय बजट के सम्बन्ध में परिषद् का मत भी नहीं लिया जाता था।<sup>२</sup> वित्तीय विषयों पर विचार करने के समय में मन्त्र्यों के अधिवासों पर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त दो प्रतिबंध और थे। पहला प्रतिबंध तो यह था कि सरकारों आय<sup>३</sup> और व्यय<sup>४</sup>, दोनों ही के कुछ शीर्षकों के संबंध में परिषद् को किसी प्रकार की चर्चा करने का अधिकार ही नहीं था, और दूसरा प्रतिबंध यह था कि परिषद् का अध्यक्ष किसी प्रस्ताव अथवा उनके किसी अंग को प्रस्तुत किए जाने से रोक सकता था। और उसे उन निषेध के लिये कारण बताते की आवश्यकता नहीं थी।<sup>५</sup>

नियमों के अनुसार सम्राज्यीय विधान परिषद् को सार्वजनिक हित के सामान्य विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार करने का अधिकार था। इस अधिकार पर भी कुछ प्रतिबन्ध थे और अप्यक्ष किसी ऐसे प्रस्ताव का जो उसके मत से

१. Rule No 21 (1). R. S. Iyengar : Indian Constitution, page ccii

२. Rule No 22 (2) उपर्युक्त पुनः

३. आय के निम्नलिखित शीर्षकों पर विचार करने का अधिकार नहीं था—  
मुद्राक शुल्क, सीमा शुल्क, देशी राज्यों के उपहार, निर्धारित कर, संघ राजस्व, विगृह रूप से प्रान्तीय राजस्व—R. S. Iyengar : Indian Constitution, page ccii.

४. व्यय के निम्नलिखित शीर्षकों पर विचार करने का अधिकार नहीं था—  
क्षतिपूर्ति, ऋण पर व्याज, धर्म सम्बन्धी व्यय, राजनीतिक व्यय, प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशन, राजकीय रेल मार्ग, सेना, जल सेना, संघ निर्माण, सुरक्षा, वैधानिक व्यय, विगृह रूप से प्रान्तीय व्यय,—Iyengar Indian Constitution, page ccii.

५. Rule No. 8 Ibid, page cci.



सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हो, निषिद्ध कर सकता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए साधारणतया १५ दिन पहले सूचना देना आवश्यक था। सूचना एक नियत प्रपत्र पर लिख कर देनी होती थी। सशोधनों को विवाद के समय में प्रस्तुत किया जा सकता था। परिषद् को प्रस्ताव और सशोधनों पर मत प्रकट करने का अधिकार था। परिषद् द्वारा स्वीकार किए हुए प्रस्ताव सरकार के लिए सिफारिश के ढंग पर होते थे और सरकार उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र थी।

नये विनियमों ने प्रश्न करने के अधिकार को भी विस्तृत किया—प्रश्न करने वाले सदस्य को उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया गया।

इसी प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अनुपूरक प्रश्न करने और आर्थिक वक्तव्य पर विचार करने के अधिकार प्रत्येक प्रांतीय परिषद् के सदस्यों को भी प्रदान किए गये थे और इस सबध में पृथक् रूप से विशेष नियम बनाए गए थे।

#### ६

सन् १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट ने कार्यकारिणी परिषदों की रचना के सबध में भी निर्देश किया। भारत सरकार ने १९०८ के अपने राजपत्र के अन्तिम भाग में यह विचार प्रकट किया था—“अनुभव से हम सम्भवतः इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि बड़े प्रांतों में उपगवर्नरों की शासन शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करना वांछनीय है . . . और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की महामत्ता के लिए उन प्रेसिडेन्सियों की वर्तमान कार्यकारिणी परिषदों का विस्तार करना आवश्यक है।” लॉर्ड मॉर्ले ने इस प्रश्न को अधिक सुनिश्चित रूप दिया और इस सम्बन्ध में पार्लियामेण्ट से सुनिश्चित अधिकार प्राप्त करने के लिए उस अवसर को उपयुक्त अनुभव किया। भारत भन्नों की इच्छा यह थी कि बम्बई और मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों में सदस्यों की संख्या का बड़ा वृद्धि कर दिया जावे और उन में कम से कम एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जावे।<sup>१</sup> इस सबध में वे पार्लियामेंट से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय सदस्य की नियुक्ति के लिए व्यवहार द्वारा परंपरा डालने का विचार था, उसके लिए कोई वैधानिक व्यवस्था करने का उद्देश्य नहीं था। एक्ट (सन् १९०९) के विभाग २ (१) ने स-परिषद् भारत मंत्री को प्रेसिडेन्सिया के

१. Mukherjee : Indian Constitutional Documents. Vol. I, page 309.

२. Mukherjee . Indian Constitutional Documents Vol I. page 324.

गवर्नरों की परिषदों के लिए चार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया। लॉर्ड मॉण्टे के मतानुसार अन्य बड़े प्रान्तों के लिए भी कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने पार्लियामेंट में सभी उप-गवर्नरों के प्रान्तों के लिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना के निमित्त, एक सामान्य अधिकार की मांग की और इसी आशय की एक धारा को भारतीय परिषद् विधेयक में जोड़ दिया। इस विधेयक को लॉर्ड मॉण्टे ने छोटे भवन में प्रस्तुत किया किन्तु प्रबल विरोध के कारण विधेयक को बीच ही में छोड़ देना पड़ा। कुछ समय बाद जंगी विधेयक को सशोधित रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया और इस बार उसे दोनों भवनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस प्रकार पार्लियामेंट ने स-परिषद गवर्नर-जनरल को भारत मंत्री की सहमति से बंगाल के लिए कार्यकारिणी परिषद् की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया। इन सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती थी। अन्य प्रान्तों के लिए कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने के संबंध में स-परिषद गवर्नर-जनरल को और कोई प्रत्यक्ष अधिकार प्रदान नहीं किया गया। केवल इतना ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने अन्य किसी कार्यकारिणी परिषद् की स्थापना का रोक्ने के संबंध में अपने अधिकार को सुरक्षित रखा। भारत सरकार को, भारत मंत्री का अनुमोदन मिलने पर भी अन्य किसी प्रान्त के लिए कार्यपालिका परिषद् की स्थापना करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में एक नूतन निम्नलिखित निर्देश दिया।—“स-परिषद् गवर्नर-जनरल को (बंगाल के विषय की भांति), भारत मंत्री की सहमति से, उप-गवर्नरों के प्रांतों में उन (उप-गवर्नरों) की सहायता के लिए—उद्घोषणा द्वारा कार्यकारिणी परिषद् स्थापित करने का वैध अधिकार होगा। किन्तु यह आवश्यक है कि उद्घोषणा करने से पहले, उसका मसविदा अधिवेशन के समय पार्लियामेंट के प्रत्येक भवन के समक्ष, कम से कम साठ दिन तक रखा जावेगा। यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले, दोनों में से कोई भवन, उस मसविदे अथवा उसके किसी भाग के विरुद्ध, यज्ञाद् के समक्ष सम्बोधन प्रस्तुत करेगा है, तो उस (मसविदे) पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी किन्तु नया मसविदा बनाने का अधिकार पहले की ही तरह बना रहेगा।” दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह था कि एक नूतन सरकार को अन्य कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना करने का अधिकार तो दिया किन्तु माय ही पार्लियामेंट के प्रत्येक भवन को उसे निषिद्ध करने का अधिकार भी दिया। उप-गवर्नरों की परिषदों के

१. Section 3 (2) of the Act. Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol. I, पृष्ठ २४०.

सदस्यों की नियुक्ति, सम्राट् की स्वीकृति से गवर्नर-जनरल द्वारा की जानी थी।

७

सन् १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट में किसी मन्त्रणा परिषद् की स्थापना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत सरकार ने अपने मौलिक प्रस्तावों में केन्द्र और प्रान्तों के लिए मन्त्रणा परिषद् की स्थापना के विचार को विशेष महत्व दिया था। विधान परिषदों के अधिवेशन इनन कम होते थे कि "उन में विश्वस्त और आत्मीय रूप से परामर्श करना सम्भव नहीं था। साथ ही पद्धति की अटिलता के कारण अधिवेशन के लिए शीघ्रता से आयोजन करना भी सम्भव नहीं था।"<sup>१</sup> फलतः सम्राज्यीय तथा प्रान्तीय मन्त्रणा परिषदों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार सम्राज्यीय परिषद् में साठ सदस्य—विभिन्न प्रान्तों के चालीस बड़े जमींदार और बीस देशी नरेश—होने थे, सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष हाना था, और प्रस्तुत विषय पर परामर्श देने के अतिरिक्त परिषद् को कोई अधिकार नहीं दिया जाना था। प्रस्ताव में कहा गया कि "साधारणतया परिषद् की कार्यवाही गुप्त होगी और उस को प्रकाशित नहीं किया जावेगा किन्तु सरकार उचित समझने पर उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।"<sup>२</sup> इसी प्रकार प्रान्तीय मन्त्रणा परिषदें होगी। हर प्रान्त की परिषद् में, सम्राज्यीय मन्त्रणा परिषद् के लिए उस प्रान्त के सदस्यों के अतिरिक्त "छोटे जमींदारों, उद्योग धंधों वाणिज्य समुदाय, पूंजीपतियों और वृत्तिमूर्त वर्गों<sup>३</sup> के प्रतिनिधिगण हारंगे।

मन्त्रणा परिषदों की स्थापना से संबंधित उपर्युक्त प्रस्ताव का भारतीय जनमत के नेताओं ने प्रबल विरोध किया। इन नेताओं ने प्रस्तावित मन्त्रणा परिषदों को केवल निरर्थक और छलपूर्ण<sup>४</sup> ही नहीं बरन कुटिलता युक्त भी बताया। उनको इस बात की आशंका थी कि ब्रिटिश जनमत को धोखा देने के लिए इन परिषदों का उपयोग किया जावेगा। "लाला लाजपत राय के देश निर्वाह जंग सरकारी कृत्यों की समस्त शिक्षित वर्ग निन्दा कर रहे हैं। इन कृत्यों के मद्दय में प्रस्तावित मन्त्रणा परिषदों के समक्ष सरकारी प्रस्ताव रखे जावेंगे और सदस्यों को फुसला कर उन प्रस्तावों पर परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावेगा। तब सरकार उन

१ Section 3 (2) of the Act, Mukherjee Indian Constitutional Documents. Vol. I, page 256

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३५६

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५९

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २७३.

प्रस्तावों को प्रकाशित करेगी और इस प्रकार अनभिज्ञ किन्तु सहज-विराघों ब्रिटिश जनता को घोलने में डालने का तथा सत्कार की आगों में धूल झोकने का प्रयत्न करेगी”<sup>१</sup> किन्तु “यदि मन्त्रणा परिषद् साहज से काम लेती है और निन्दा का प्रस्ताव पास करती है, तो अंग्रेज शासक बड़े सरलता से अपने मन को समझा लेंगे और उस प्रस्ताव को प्रकाशित नहीं करेंगे।”<sup>२</sup>

देशी नरेशों तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भी मन्त्रणा परिषद् की स्थापना के प्रस्ताव का विरोध किया। तत्कालीन मद्रास सरकार भी इस प्रस्ताव के प्रथम विरोध में थी। देशी शासक के विरोध का मुख्य कारण यह था कि प्रस्तावित परिषद् में उनको और बड़े जमींदारों को एक ही श्रेणी में रखा जा रहा था। कुछ प्रान्तीय सरकारें भी देशी नरेशों के दृष्टिकोण से सहमत थीं। इस विरोध के कारण भारत सरकार ने अपनी मौलिक योजना का छोड़ दिया और अक्टूबर १९०८ के राजपत्र में अपन संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। इनमें तीन बातें उल्लेखनीय थीं—(१) भारत सरकार ने एक छोटी (केन्द्रीय) परिषद् बनाने का विचार प्रकट किया, केवल देशी शासकगण ही इस परिषद् के सदस्य हों सक्ते थे, उनकी छाट वाइसरॉय द्वारा होनी थी, उनका कार्यकाल वाइसरॉय की सदिच्छा पर निर्भर था, और वाइसरॉय उनमें अपनी इच्छानुसार व्यक्तिगण अथवा सामूहिक रूप से परामर्श कर सकते थे,<sup>३</sup> (२) नई योजना में भारत सरकार ने ब्रिटिश भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक पृथक् परिषद् बनाने के प्रस्ताव को बर्दाश्त नहीं दिया और उनके विचार को उस समय के लिए स्थगित कर दिया, और (३) भारत सरकार ने उन प्रान्तों के लिये, जिनके अधिकांश इस पक्ष में हों, मन्त्रणा परिषद् की स्थापना करने के लिए सिफारिस की। इनका आकार भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट होता था किन्तु इनके सदस्यों की छाट “मेधा सक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव अथवा प्रतिनिधिपूर्ण स्थिति” के आधार पर मन्त्रणा परिषद् द्वारा होती थी।<sup>४</sup>

भारत मंत्रों ने इन प्रस्तावों को न तो पसन्द ही किया और न उनका समर्थन ही किया। उनके मन से, देशी शासकों की राष्ट्रीय मन्त्रणा परिषद् बनाने के सवध में, उन नरेशों के सम्मिलन की दृष्टि से, व्यय, पूर्व-परपत्र, प्रयास व्यवस्था

१. Mukherjee Indian Constitutional Documents, page 273.

२. Hindustan Review, September 1907, page 285.

३. Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 276.

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८१।

आदि की अनेक व्यवहारिक कठिनाइया थी<sup>१</sup> जिनको सरलता से दूर नहीं किया जा सकता था। "यदि परिषद् के सम्मेलन करने का उद्देश्य नहीं है तो वह (परिषद्) बिलकुल निरर्थक होगी।" प्रांतीय मन्त्रणा परिषदों के संबंध में लॉर्ड मॉलें का यह विचार था कि नई परिषदें—चाहे वे छोटी हो या बड़ी—निश्चित रूप से पुरानी विधान परिषदों के साथ प्रतिद्वन्द्वता करेंगी। "इसके अतिरिक्त यह सदेह भी किया जावेगा कि नई परिषदें, पुरानी परिषदों पर रोक लगाने के लिए बनाई गई हैं।"<sup>२</sup> लॉर्ड मॉलें के मतानुसार, भारत सरकार, महत्वपूर्ण नरेशों तथा विभिन्न स्थानों के, प्रमुख एवं प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ, नियमबधनों से मुक्त रह कर निजी रूप से परामर्श करने को वर्तमान परम्परा को विकसित करके, अपने सभी प्रस्तावित उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती थी।

भारत मन्त्री के विरोध के कारण भारत सरकार के प्रस्ताव का अन्त हो गया और इसका फल यह हुआ कि १९०९ के सुधारों में केन्द्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों के लिए मन्त्रणा परिषदों की योजना को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ।

१ Mukherjee : Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 311.

२ उर्वुपवत पुस्तक, पृष्ठ ३१२

युग ३

(सन् १९०९ से १९१९ तक)

## सत्रहवाँ अध्याय

# शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन

१

ब्रिटिश राज्याधीन भारत के इतिहास में सन् १९०९ से १९१९ तक का युग सब से छोटा है, किन्तु उसका महत्त्व उसके वर्षों की सख्या के आधार पर नहीं आका जा सकता। वस्तुतः यह युग अत्यन्त महत्त्व की घटनाओं से परिपूर्ण है। इस युग में ब्रिटिश सम्राट ने—सम्राज्ञी और एक प्रमुख राज्यमन्त्री के साथ—भारत भूमि पर पहली बार पदापेक्ष किया, सम्राज्ञीय परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं में भारत को पहली बार बराबरी का स्थान दिया गया, उप-भारत-मन्त्री के पद पर पहली बार एक भारतवासी की नियुक्ति की गई, तथा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना लक्ष्य उत्तरदायी राजनीतिक सस्याओं की स्थापना करना बताया, और स्वायत्त स्वशासक प्रांतों के सघीय भारत का चित्र क्षितिज पर उभारा हुआ दिखाई दिया। इसी समय में, जनता की इच्छाओं के अनुसार बंगाल के विभाजन में संशोधन हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली के लिए स्थानान्तरित की गई और वहाँ एक नया सम्राज्ञीय नगर बसाने का निर्णय किया गया, और विभिन्न राजनीतिक सस्याओं में—राष्ट्रवादियों के नरम और उग्र पक्ष और साथ ही मुस्लिम लोग में—ऐक्य हुआ और राष्ट्र के नेताओं ने परस्पर मिलकर राजनीतिक प्रगति के लिए एक सर्वमान्य योजना बनाई। इसी दशाब्दी में, ब्रिटिश राज्य को बल द्वारा उखाड़ फेंकने के लिए सन सत्तावत के बाद सब से बड़ा पड़्यन्त्र रचा गया, होम रूल (स्वशासन) प्राप्त करने के लिए और अयुक्त विधियों को कार्यान्वित होने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा संगठित आंदोलन किया गया, सिक्खों के तीर्थस्थान में एक ब्रिटिश जनरल की आज्ञानुसार जलियावाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ, पंजाब में मार्शल-लॉ (फौजी कानून) की घोषणा की गई और शासन का काम फौजी अधिकारियों को सौंप दिया गया और दमन की अत्यन्त कठोर तथा अत्यन्त व्यापक नीति अपनाई गई। सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महा-युद्ध का भारत पर भी प्रभाव पड़ा और देश को घन और जन की बहुत बड़ी बलि देनी पड़ी; इसी समय इन्फ्लुएंजा का भीषण प्रकोप हुआ और लोगों के कष्ट कई गुने बढ़ गए। इस महामारी के कारण कुठ ही सप्ताहों में दसियों लाख आदमी मर गये। इन मरने वालों की सख्या विभिन्न आंकड़ों के अनुसार साठ लाख से एक करोड़ तक थी। इन बातों के अतिरिक्त प्रशासनीय एवं संविधानीय महत्त्व के कितने

न वित्तीय कमिश्नरी के पदा को और राजस्व मंडलों को तोड़ने की तथा कलकटरो और कमिश्नरी के अधिकारों को बढ़ाने की सिफारिश की। कमिशन में प्रशा की जिला कमेटियों के ढंग पर जिला मंत्रणा परिषदा की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव को श्री रमेशचन्द्र दत्त और श्री गोखले ने प्रस्तुत किया था।

कमीशन न साधारणतया प्रान्तों की १९०४ की अर्ध-स्थायी वित्तीय बन्दोबस्त की व्यवस्था का अनुमोदन किया। उसके संबंध में कमीशन ने कुछ सशोधनों और परिवर्तनों के लिए अपने सुझाव भी दिए। इनमें से अधिकांश सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया और १८ मई १९१० के प्रान्तीय वित्त संबंधी अपने प्रस्ताव में उनको रूप दिया।

भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों के साथ अर्ध-वित्तीय संबंधों में, यथासंभव स्थिरता लाने के लिए उद्युक्त थी किन्तु प्रान्तीय बन्दोबस्त को म्याथी घोषित करने से पहले उमने कुछ वित्त विषयों का और निष्केन्द्रीकरण कमीशन के सुझावों का परीक्षण करना आवश्यक समझा। भारत सरकार विभिन्न प्रान्तों के साथ विषय व्यवहार संबंधी आक्षेपों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना यह था कि "प्रथम तो इस आक्षेप के अस्तित्व के विषय में ही मन्देह है—और यदि उसका कोई अस्तित्व है भी, तो वह केवल ऐतिहासिक है। "पच्चीस वर्षों के सौदे के फलस्वरूप एक ऐसी भूमि स्थापित हो गई है कि उसे कागजी लिखा पत्रों से दूर नहीं किया जा सकता।" इस बात का डा० ज्ञानचन्द ने सफलतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया है। उनके अनुसार "सन् १९११ के बन्दोबस्त में किसी प्रकार का भी साम्य नहीं था।' अस्तु, भारत सरकार की धारणा के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में साम्य या और उसने कुछ अन्य त्रुटियों को दूर करने के बाद प्रान्तों के बन्दोबस्त को स्थायी कर दिया। पहली बात तो यह थी कि कुछ प्रान्तों में निश्चित अनुदान की रकम बहुत बढ़ गई थी। भारत सरकार ने निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्रान्तों के बन्दोबस्त को दोहराया और राजस्व की कुछ मदों को पूर्णतः अथवा अंशतः प्रान्तीय शीर्षक में सम्मिलित कर दिया—इस प्रकार जंगलों की पूरी आमदनी प्रान्तों को दे दी गई, बम्बई को प्रान्तीय आवकशरी की पूरी आमदनी पर अधिकार दिया गया और मध्य प्रान्त तथा यू पी की आवकशरी की तीन चौथाई आमदनी पर अधिकार दिया गया, पंजाब को आधी मालगुजारी पर अधिकार दिया गया और वर्मा को ५/८ भाग पर; और सिन्ध की प्रमुख राजनाओं में पंजाब का साझा बँडान्तर पंचान प्रतिशत कर दिया गया। निश्चित अनुदानों को इसी अनुदान में घटा दिया गया।

दूसरी बात यह थी कि निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफारिशों के अनुसार



साम्राज्यीय नीति में प्रान्तों को बड़े अनुदान देने की नीति को भी दोहराया गया। पुरानी नीति में केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक था, अनुचित विवरण होता था और कम आवश्यक कामों में धन का उपयोग होता था। इन पृष्ठ भूमि में कमीशन ने अनुदान देने के मसल में तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने की सिफारिश की। (१) प्रान्तीय सरकारों की दृष्टियों का ध्यान रखा जावे, (२) ये अनुदान विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न कार्यों के लिए हो सकते हैं, (३) उनके कारण केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया और अनुदान मसल पर नए नियमों में उनको रूप दिया।

तीसरी बात यह थी कि भारत सरकार ने प्रान्तों के बजट के निरूपण के मसल में निषेधोक्तिपूर्ण कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नए नियम बनाए। भविष्य में, विभाजित शीपों पर और राजस्व तथा व्यय की मन्ची गवर्णों पर ही नियंत्रण किया जा सकता था। प्रान्तीय सरकारों को (केन्द्रीय सरकार के आर्गन) अपने आवश्यक अर्थों में से निश्चित परिमाण में अधिक धन लेने का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारें घाट का बजट भी बना सकती थीं। किन्तु भारत सरकार की दृष्टि में स्वतन्त्र रूप में कर लगाने का अधिकार अथवा द्रव्य बाजार में प्रान्तीय ऋण उगाहने का अधिकार अव्यवहार्य था।

विनीय बन्दोबस्त स्थायी करने से पहले, भारत सरकार ने १९१२ के प्रस्ताव द्वारा उपसूचित परिवर्तन किए। किन्तु इनका कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं था। अधिकतर दीप अब भी यथावत थे। विभाजित शीपों की और केन्द्रीय विवरण की पुरानी व्यवस्था बनी रही, प्रान्तीय व्यय का अनाम्य दूर नहीं हुआ, कर लगाने और ऋण उगाहने के स्वतंत्र अधिकार प्रान्तों को अब भी नहीं मिले। तथापि १९१२ के प्रस्ताव ने प्रान्तों के माय विनीय बन्दोबस्त को स्थायी कर दिया।

३

भारतीय निषेधोक्तिपूर्ण कमीशन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों, भारत में स्थानीय स्वशासन के विस्तार से संबंधित थीं। सन् १८८२ के प्रस्ताव के अनुसार स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का पुनर्संगठन और विस्तार करने के लिए प्रान्तों में नगरपालिका तथा स्थानीय स्वशासन एकट बनाए गए थे। किन्तु उनके फलस्वरूप अगले २५ वर्षों में नगरपालिका तथा ग्राम्य मंडलों में जो प्रगति हुई थी वह निराशाजनक थी। इस अल्प प्रगति के तीन मुख्य कारण थे। पहली बात तो यह थी कि 'स्थानीय आय बहुत थोड़ी थी और उस आय की मदें लचीली नहीं थी।'

१. सन् १९११-१२ में भारतीय नगरपालिकाओं की आय और उनकी मुख्य मदें इस प्रकार थी—जमीन और मकानों पर टैक्स १०,५६,०३० पीड; चूगो ९,१५,१०१ पीड; पानी ५,२६,१२७ पीड; अन्य टैक्स ८,५९,१९२

दूसरी बात यह थी कि स्थानीय मामलों में न तो लोगों के अनुराग में ही कोई विशेष वृद्धि हुई थी और न उन स्थानीय विषयों की व्यवस्था करने के लिए लोगों की माग्य में ही वृद्धि हुई थी।<sup>१</sup> तीसरी बात यह थी कि इन स्थानीय सत्वाओं पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था।<sup>२</sup>

भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन ने इन दोषों को—यदि पूरी तरह नहीं तो कम से कम बहुत हद तक—दूर करने के लिए निम्न ही सुझाव दिए। किन्तु दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उन पर विचार और निर्णय करने में बहुत समय लगाया। फल यह हुआ कि सन् १९१५ में सरकारी नीति निश्चित होने के समय तक प्रस्ताव पुराने और असंगत हो गए। कुछ ही समय बाद राजनीतिक सुधारों का प्रश्न उठाया गया और यह निश्चय किया गया कि स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में सबसे पहला और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा बड़ा कदम आगे बढ़ाया जावे। अतः भारत सरकार ने सन् १९१५ के अपने

पॉड, सरकारी अनुदान ५,९९,८५२ पॉड उसी वर्ष व्यय की मुख्य मदें इस प्रकार थी—मडकों ४८९,१९३ पॉड, अस्पताल आदि २६९,३०१ पॉड, शिक्षा २३८,४८७ पॉड, सार्वजनिक स्थानों और मडकों पर रोशनी २३५,४७७ पॉड।

ग्राम्य मंडलों की आय की मदें और भी संकुचित थी। उनकी आय की सबसे बड़ी मद भूमि सवधी उपकर है... यह उपकर जमीन के वापिक मूल्य के सोठहवें भाग से अधिक नहीं होता। सरकार पूरक अनुदान द्वारा सहायता करती है। यह अनुदान उपयुक्त आय का २५ प्रतिशत होता है। विशेष कामों के लिए सरकार विशेष अनुदान भी देती है। सन् १९११-१२ में २० करोड़ से अधिक लोगों पर ग्राम्य मंडलों का कुल व्यय ३३०,२६७० पॉड था।—देखिये—Material and Moral Progress Report 1911-12 pages 117 to 119

१ Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 6

२ अधिकांश नगरपालिकाओं के अध्यक्ष अथवा नगरपालिका अधिकारियों के। सन् १९१५ में ६९५ अध्यक्षों में से केवल २२८ निर्वाचित गैर सरकारी व्यक्ति थे, ५१ नाम निर्देशित गैर सरकारी व्यक्ति थे, अन्य ४२२ सरकारी अधिकारी थे। लगभग सभी प्रांतों में जिला मंडलों के अध्यक्ष जिलों के कलेक्टर थे।

को चुनना चाहता हो तो गैरसरकारी व्यक्तियों का स्पष्ट बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। बड़े शहरों में, अध्यक्ष के अनिरीकित, सरकार के अनुमोदन से मंडल द्वारा नियुक्त एक एग्जीक्यूटिव अफसर भी होना चाहिए। जिला मंडलों के सबंध में प्रस्ताव ने प्रान्तीय सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया कि उनके अध्यक्ष, यथासंभव निर्वाचित व्यक्ति हों। यदि यह संभव न हो तो गैरसरकारी अध्यक्षों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसी दशा में विशेष एग्जीक्यूटिव अफसरों की नियुक्ति भी की जाए। यदि कोई जिला मंडल इस नियुक्ति के व्यय को वचाना चाहता हो तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह गैरसरकारी बहुमत से सरकारी अफसर को अध्यक्ष-पद के लिए निर्वाचित करे।

प्रस्ताव ने तीसरी बात यह की कि उसने मंडलों के कर लगाने के अधिकार को थोड़ा-सा बड़ा दिया—अब ये मंडल, कानून द्वारा निश्चित सीमाओं के अंदर विभिन्न टैक्सों और उपकरों को घटा बड़ा सकते थे। किन्तु ऋणग्रस्त नगरपालिकाओं के लिए, स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था।

विचारार्थीन प्रस्ताव की चौथी बात यह थी कि उसने निष्केन्द्रीकरण कमिशन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि किसी नगरपालिका अथवा ग्राम्य मंडल को किसी सेवा के लिए व्यय करना पड़ता हो तो उस सेवा पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। यदि किसी सेवा पर सरकारी नियंत्रण रखना आवश्यक हो तो वह सेवा प्रान्तीय सरकार के अधीन होनी चाहिए।<sup>१</sup>

कमिशन की सिफारिशों के अनुसार, प्रस्ताव ने पाँचवीं बात यह की कि उसने मंडलों को बजट बनाने की स्वतन्त्रता दे दी। "उन पर केवल यही नियंत्रण होना चाहिए कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा निश्चित, आकलन अवशेष के न्यूनतम परिमाण को बनाए रखें। इसके अनिरीकित स्थानीय सरकारों को दोषी नगरपालिकाओं को वर्तमान-आलय के लिए विवश करने का और ऋण के सबंध में नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए।"<sup>२</sup> प्रस्ताव के अनुसार कुछ और बातों में भी नियंत्रण की कमी हुई—जैसे विशेष कामों के लिए स्थानीय राजस्व के उपयोग के सबंध में, विशेष अनुदानों के सबंध में, सार्वजनिक निर्माण सबंधी व्यय के विषय में और स्थानीय प्रबन्ध के विषय में। किन्तु उनके निरीक्षण और नियंत्रण के सबंध में कमिशनरों और

१. Para 12 of the Resolution, Mukherjee: Indian Constitutional Documents, Vol. I, page 707.

२. Para 13, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०७-८.

साम्राज्यीय संघ को दृढ़ करना था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन बातों को अनुभव कर रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के कारण बहुत-से भारतवासियों की सम्भावनाएँ लुप्त हो गई थीं और राजभक्ति की भावनाएँ अत्यन्त कम हो गई थीं और ब्रिटिश संसद के प्रति विश्वास जमाने के लिए और राजभक्ति की भावनाओं को फिर से जगाने के लिए ब्रिटिश सम्भावनाओं के महत्वपूर्ण प्रदर्शन की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, उक्त उद्देश्य के लिए, इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती थी कि ब्रिटेन के नये राजा और रानी का मुगल साम्राज्य और हिन्दू नरेशों की राजधानी दिल्ली में, भारत के सम्राट् और सम्राज्ञी के नाम से राज्याभिषेक किया जाय, और सम्राट् (भारत के विगतकालीन सम्राटों की तरह) लोगों की शिकायतों को दूर करे और उन पर अनुग्रह करे, और भारतीय जनता तथा देशी शासकों की भेंट को स्वयं स्वीकार करे। अतः १२ दिसम्बर १९११ को दिल्ली में—सन् १९०३ के दरवार की अपेक्षा कहीं अधिक वैभवपूर्ण—दरवार करने का निश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त उस अवसर पर भारतवासियों की सम्भावना और राजभक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ घोषणाएँ करने का भी निश्चय किया गया।

दिल्ली-दरवार में सम्राट् की तीसरी तथा अन्तिम घोषणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इस घोषणा के स्मरणीय शब्द इस प्रकार हैं—“भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से, भारत की प्राचीन राजधानी दिल्ली को स्थानान्तरित की जायगी और उसके साथ ही उस परिवर्तन के फलस्वरूप यथासंभव शीघ्रता से बंगाल को गवर्नर की प्रेसीडेन्सी बनाया जायगा, बिहार, छोटा नागपुर तथा उड़ीसा को सम्मरिपद उप-गवर्नर का प्रान्त बनाया जायगा और आसाम को चीफ कमिश्नर का प्रान्त बनाया जायगा, और इस संघ में आवश्यक प्रशासकीय परिवर्तन किए जायेंगे। तथा प्रांतीय सीमाओं को फिर से निश्चित किया जायगा।”

बहुत-से लोग इन परिवर्तनों के विषय में थे और यदि उनका पहले से पता होता तो उन पर तीक्ष्ण और उग्र विवाद हुआ होता। स्वयं सम्राट् द्वारा घोषणा करने के कारण इन परिवर्तनों के साथ कुछ श्रद्धा की भावना जुड़ गई थी, तथापि इंग्लैंड और भारत, दोनों ही स्थानों में, उनकी तीव्र आलोचना की गई।

भारत सरकार ने २५ अगस्त १९११ के अपने राजपत्र में इन परिवर्तनों का उपक्रमण किया था। उस राजपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रस्तावों को प्रांतीय स्वाधीनता के हित में प्रस्तुत किया गया था। “वर्तमान जटिल स्थिति

को मुलझाने का मनबन यही उपाय है कि प्रान्तों को धीरे-धीरे अधिकाधिक स्वा-  
शासन का अधिकार दिया जाय । इन प्रकार काल में भारत में बहूत-सी सरकारें  
इन जायेंगी जो नारे प्रान्तीय विषयों में स्वाधीन होंगी । इन सबके ऊपर भारत-  
सरकार होंगी जिसे कुशासन की दृशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, और  
जिसका न्यार्यत्रेण माधारणतया माम्नाज्यीय विषयों तक ही सीमित होगा । इस  
उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च सरकार किसी प्रांत विशेष की सरकार  
से जुटी हुई नहीं होंनी चाहिए ।<sup>१</sup> किन्तु भारत मंत्री तथा भारत सरकार के विन-  
मन्वय ने राजपत्र के उक्त वाक्या के मन्वय में भारत मंत्रियों की स्पष्ट व्याख्या को  
स्वीकार नहीं किया । लार्ड क्रिचके के अनुसार, भारत को औपनिवेशिक ढंग पर  
स्वशासन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था । 'उन दिना में भारत का कोई नवित्य  
दिवाटे नहीं देता ।'<sup>२</sup> लार्ड हार्डिज के विल नहीं नर विविधन मेजर ने जब श्री  
मुरेन्द्रनाथ बनर्जी न १९११ के राजपत्र की नीति के अनुसार प्रान्तों को द्वितीय  
स्वाधीनता प्रदान करने के लिए आप्रह किया तो उन्होंने श्री बनर्जी को "अधीर  
आवर्धवायी बताया ।"

<sup>१</sup> इन बातों से, और साथ ही निष्पेन्द्रोत्तरण कर्मोगत के माधारण प्रस्तावों  
को स्वीकार करन में भी भारत सरकार के सकार में, यह परिणाम निवृत्ता है  
कि "प्रान्तीय स्वाधीनता" के उद्देश्य का—वन से वन भारत मंत्री और  
बाइसरायंड की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की विचारधारा में—कोई विशेष  
महत्त्व नहीं था ।<sup>३</sup>

इस मन्वय में एक कारण और बताया गया है जो ज्यादा नहीं मालूम देता  
है—दम्पैड की लिबरल पार्टी आरम्भ से ही बंगाल विभाजन के विरोध में थी और  
लार्ड मॉले के वास्तविक विचार बहो थे जो उन्होंने पद ग्रहण करने से कुछ समय  
पहले प्रकट किए थे । उन्होंने भारत मंत्री बनने के बाद, २६ फरवरी १९०६ के  
अपने व्याख्यान में, अपने विचारों को फिर प्रकट किया । मि० नॉर्से ने (जो उस  
समय तक लार्ड नहीं बने थे) ५ कि "अब बंगाल का विभाजन एक निश्चित एव  
वास्तविक तथ्य है किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यह काम अधिकार

१. Para 3 of the Despatch, Mukherjee : Indian Constitutional Documents, vol. I, page 454.
२. Lovell : History of Indian Nationalism, page 89. Extract from the speech of 24th June 1912 in the House of Lords.
३. Bannerjee : A Nation in the Making, page 300.

संबंधित लोगो की इच्छाओं के पूर्ण विरोध में हुआ है।<sup>१</sup> लाड माल न फवरी १९१२ में लाड भवन में इस बात को फिर स्वीकार किया कि उस समय विभाजन को तुरन्त रद्द करने के लिए कोई कदम न उठाने के कारण मेरे कितने ही मित्र कई महीनों तक मुझ से नाराज रहे थे।<sup>२</sup> किन्तु मि० माल की दृष्टि में विभाजन को तुरन्त रद्द करना अनैतियक था। वे सिविल सर्विस के सभ्यो के साथ उलझना नहीं चाहते थे उन्हें सुधारो के सम्बन्ध में इन लोगो से काम लेना था। इसके अतिरिक्त उस समय विभाजन रद्द करने का लोगो पर यह प्रभाव होता कि लिबरल सरकार विच्छेदी ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी सारी नीति बदलना चाहती है। लाड मालों ने कहा उस समय बच रहना का एक कारण और था उस नीति के परिणामो पर अपना मत निश्चित करने के लिए हम पर्याप्त समय नहीं मिलता था।<sup>३</sup> अन्तिम बात यह थी कि दिसम्बर १९०६ में विभाजन रद्द करने का यह अर्थ लगाया जाता कि सरकार कोलाहल के आग झुक गई।<sup>४</sup>

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लिबरल सरकार सन १९०६ में पद ग्रहण करने के समय से ही विभाजन रद्द करने के लिए चिन्तित थी और वह उसके लिए केवल उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थी। सन १९११ में उसे यह अवसर प्राप्त हुआ— हाल ही में एक नए वाइसर (अन पद ग्रहण किया था सन् १९०९ के सुधार कार्या बित हो चुके थे) विभाजन विरोधी आन्दोलन लगभग समाप्त हो चुका था और सम्राट तथा सम्राज्ञी राजभक्ति की भावनाओं को फिर से जगान के लिए भारत जान वाले थे। ऐसे समय पर विभाजन रद्द करने का कृत्य सम्राट का अनुग्रह माना जाएगा और उसे सरकार को दुबलना नहीं समझा जाएगा। मुसलमानों को यह नीति कम आपत्तिजनक हो इस उद्देश्य से सरकार ने राजधानी को मुगलों के केन्द्र दिल्ली के लिए स्थानान्तरित करने का निणय किया। अथ कारणों से भी<sup>५</sup> राजधानी को कलकत्ता से हटाना वाछनीय था और उस परिवर्तन के लिए इस अवसर का लाभ उठाया गया।

१ लाड हार्डिंग ने मि० बनर्जी से पारस्परिक वार्तालाप में कहा था दस वर्षों में आप लोगो को प्रान्तीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी। —Bannerjee

२ A Nation in the Making, पृष्ठ ३००।

३ Speeches of John Morley pages 107 and 108

४ Lord Hardinge's Speeches, Vol I Appendix, page 505

५ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ५०४

६ राजनतिक दृष्टि से कलकत्ता की स्थिति बे-श्रीय नहीं थी वहाँ से भारतीय रियासतों की सामरिक जातियों की और महत्त्वपूर्ण उत्तरी पश्चिमी सीमा

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली दरवार करने की और साथ ही भारतवासियों की, विशेषकर बंगालियों की, सद्भावना प्राप्त करने की नीति, लॉर्ड हार्डिज के भारत आने से पहले ही इंग्लैण्ड में निश्चित कर ली गई थी और उस नीति के सम्बन्ध में लॉर्ड हार्डिज का समर्थन प्राप्त कर लिया गया था। उनके कलकत्ता आने पर बंगाल के नेताओं ने विभाजन-विरोधी सभा करने का और उनके इस सम्बन्ध में लोगों की भावनाएँ जताने का निश्चय किया। लॉर्ड हार्डिज ने श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी को तुरन्त बुलाया और उन्हें सभा करने अथवा सार्वजनिक आन्दोलन करने के विचारों को छोड़ देने के लिए समझाया और उनके स्थान पर एक स्मारक प्रस्तुत करने की सलाह दी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे उस स्मारक पर भली-भाँति विचार करेंगे। सार्वजनिक सभा करने का विचार छोड़ दिया गया और स्मारक तैयार किया गया। इस स्मारक में बंगाल के २५ जिलों में से १८ जिलों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और उसे सन् १९११ में जून के अन्त में वाइसरॉय के पास भेज दिया। श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं, "विभाजन का सशोधन करने के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी सिफारिश को २५ अगस्त १९११ के राजपत्र में रूप दिया, स्मारक में जो तर्क दिए गए थे, उनमें से कुछ को सरकार ने स्वीकार किया और अपने राजपत्र में उनका प्रबल समर्थन किया।"<sup>१</sup>

राजधानी बदलने का और साथ ही विभाजन रद्द करने का इंग्लैण्ड और भारत दोनों ही स्थानों में विरोध किया गया, मुख्य आपत्ति, परिवर्तन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में थी। लॉर्ड बर्जॉन ने परिवर्तन के उपर्युक्त ढंग को अवैधानिक, तथा एक दृढ़ लिबरल सरकार के लिए अशोभनीय, बताया। लॉर्ड मिंटो के मतानुसार, भारत के प्रान्तीय अधिकारों तथा इंग्लैण्ड के आंग्ल-भारतीय अधिकारियों के परामर्श के बिना, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय करना गलत था। अन्य आक्षेपों के अनुसार, सरकार ने स्वार्थी, वृत्तिभूत लोगों के कृत्रिम तथा अस्वाभाविक आन्दोलन के सामने हार स्वीकार की थी और इन प्रकार पूर्वी बंगाल के राजस्वक मुमलमानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था।

प्रदेश की दूरी बहुत ज्यादा थी। "इसके अनिश्चित १९०७ के बंगाली कान्तिकारों आन्दोलन ने स्थिति को अतिसन्न जटिल बना दिया था; अन्य प्रान्तों के विधायक सदस्य कलकत्ता आकर बंगाली विचारों से प्रभावित होठे थे।" तीसरी बात यह थी कि कलकत्ता में भारत सरकार की उपस्थिति के कारण प्रान्तीय सरकार बिल्कुल नगण्य और अशक्त हो गई थी।—

Indian Insistent by Sir Harcourt Butler, page 70-71 में अनूदित।

१. Bannerjee: A Nation in Making, page 85.

कलकत्ता से राजधानी हटाना, भारत में बसे हुए यूरोपियनों के हितों के विरुद्ध था। इस सम्बन्ध में विरोध का दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश सत्ता समुद्री-शक्ति पर निर्भर थी, इस दृष्टि से कलकत्ता को छोड़ना अयुक्त था। तीसरे आक्षेप का आधार, नई राजधानी दिल्ली का इतिहास था, वहाँ क़िन्ने ही साम्राज्यों का कब्रिस्तान था।<sup>१</sup> लॉर्ड कर्ज़न ने कहा, "वस्तुतः दिल्ली के इतिहास की जितनी कम चर्चा की जाए, उतना ही अच्छा है।"<sup>२</sup>

इस प्रकार उक्त कारणों से सन् १९११ के राजपत्र की नीति का विरोध किया गया। लॉर्ड भवन में लॉर्ड मॉल्ले और लॉर्ड क़िन्ने ने उनका प्रबल प्रत्युत्तर दिया और विरोध धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया। नई राजधानी बसाने के सम्बन्ध में लॉर्ड हार्डिंज की सरकार ने लगभग ४० लाख पाँड के व्यय का अनुमान किया था दूसरी ओर लॉर्ड कर्ज़न ने १ करोड़ २० लाख पाँड के व्यय का अनुमान किया था।<sup>३</sup> आगे चल कर लॉर्ड कर्ज़न की बात ख़ादा सही निकली। वस्तुतः राजधानी को केन्द्रीय तथा निष्पक्ष स्थिति में लाने के निमित्त, भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह एक अत्यन्त बड़ा परिमाण था जिस को भयंकर कहने में भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

५

सन् १९११ के दिल्ली दरबार के प्रशासनीय परिवर्तनों को कार्यकारिणी-आदेशों और उद्घोषणाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार को पिछले विधानों के अन्तर्गत अधिकांश अधिकार प्राप्त थे, कुछ विषयों के लिए अनुपूरक विधान बनाने की भी आवश्यकता हुई।

सब से पहले तो भारतमन्त्री ने सन् १८५३ के एक्ट के विभाग न १६ के अन्तर्गत यह घोषणा की कि भविष्य में गवर्नर-जनरल, बंगाल की फ़ोर्ट बिलियम

१. For a study of this mentality read "1957", a novel by Hamish Blair.

२. Lord Hardinge's speeches, vol. I Appendix page 465.

३. लॉर्ड हार्डिंज ने आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा बसाने के व्यय से नई राजधानी बसाने के व्यय की तुलना की। कैनबेरा बसाने का व्यय १ करोड़ ३० लाख पाँड था। इसी सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वाइसरॉय भवन और सेक्रेटैरियेट भवन का कुल व्यय लन्दन में बैंक ऑव इंग्लैंड की नई इमारत के अनुमानित व्यय के आधे से कुछ ही अधिक होगा।



प्रेसीडेंसी का गवर्नर नहीं होगा और उस प्रेसीडेंसी के लिए एक पृथक् गवर्नर की नियुक्ति होगी।<sup>१</sup> २० मार्च १९१२ को उद्घोषणा द्वारा नई प्रेसीडेंसी का क्षेत्र फिर से निर्दिष्ट किया गया। मन् १९०५ में बंगला बोम्बेदारी जलरा की जिन पाँच कमिश्नरियों को पृथक् किया गया था, उन्हें अब फिर पुनः प्राप्त के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार बंगाल की एक नई प्रेसीडेंसी बनाई गई।

२२ मार्च १९१२ को दूसरी उद्घोषणा द्वारा बिहार तथा उड़ीसा का नया प्रान्त बनाया गया। इस प्रान्त के लिए एक उच्चगवर्नर, कार्यकारी परिषद् तथा विधान परिषद् की व्यवस्था की गई।

उपरोक्त दिनांक की तीसरी उद्घोषणा द्वारा आसाम को एक बीछ कमिश्नर का प्रान्त बनाया गया।

आवश्यक व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मन् १९१२ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया।

इस एक्ट ने पहली बार ता यह की कि उनमें बंगाल के गवर्नर और उसकी परिषदा का वही अधिकार प्रदान किए जो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को और उनकी कार्यकारी तथा विधान परिषदों का प्रान्त थे।

एक न दूसरी बार यह की कि उनमें बिहार तथा उड़ीसा के लिए एक कार्यकारी परिषद् की स्थापना को मार्च १९०० के भारतीय परिषद् ऐक्ट को प्रांगणों के कारण उनका बनाम में विरुद्ध न हो।

अब में एक न बीछ कमिश्नरों के प्रान्तों के लिये भी विधान परिषदों की स्थापना करने का प्राधिकार दिया। मन् १९१२ के ऐक्ट के विभाग न ३ के अन्तर्गत दो विधान परिषदें बनाई गई—एक आसाम के लिए (नवम्बर १९१० में) और एक मध्य प्रान्त के लिए (नवम्बर १९१३ में)।

मन् १९१२ को एक उद्घोषणा द्वारा दिल्ली का एक छोटा-सा प्रान्त बनाया गया—दसमें नई राजधानी के चारों ओर का छोटा-सा प्रदेश सम्मिलित किया गया। इस प्रान्त के लिए एक बीछ कमिश्नर की व्यवस्था की गई। यह बीछ कमिश्नर मन्-परिषद् गवर्नर-जनरल के अधीन होगा।

मन् १९१२ के प्रशासनिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में सरकार ने भारतीय सचिवालय में सम्बन्धित विधियों को महिनाबद्ध करने की आवश्यकता को अनुभव किया। ऐसे बहू-मै ऐक्ट थे जो अयुक्त हो गए थे और व्यवहार में भी नहीं आते थे, किन्तु वे रह नहीं दिए गए थे; और भारत-सरकार के अधिकार विभिन्न विधानों

१ २१ मार्च १९१२ को लॉर्ड चार्ल्स डेविल को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया।

में विखरे हुए थे और समय तथा धक्ति का अपव्यय किए बिना उन अधिकारों को जानना अत्यन्त कठिन था। अतः जुलाई १९१५ में पार्लियामेंट ने एक कॉन्सॉलिडेटिंग ऐक्ट बनाया।

सन् १९१५ के इस ऐक्ट का उद्देश्य उपयोग में आने वाली सब विधियों को एकत्र करके एक संहिता के रूप में प्रस्तुत करना था। इसी कारण उम ऐक्ट में पिछले विधानों में किसी प्रकार का संशोधन करनेवाले कोई सड नहीं थे। "उसने सन १७७० के बाद के ४७ ऐक्टों की व्यवहार में न आनेवाली धाराओं को रद्द किया और व्यवहार में आनेवाली अन्य सब धाराओं को एकत्र किया और उनको १३५ विभागों और ५ अनुसूचियों के एक ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत किया।

उस विधेयक पर जो बाद में सन् १९१५ का ऐक्ट बना, पार्लियामेंट ने, दोनों भवनों की एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी। उसके समक्ष कुछ ऐसे प्रस्ताव आए जो उसके मतानुसार ऐक्ट के क्षेत्र से बाहर थे और इसी कारण प्रवर समिति ने उनको स्वीकार नहीं किया। इन प्रस्तावों को एक नए संशोधनकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक सन् १९१६ में ऐक्ट बन गया।

सन् १९१६ के भारतीय शासन (संशोधन ऐक्ट) ने कुछ साधारण परिवर्तन किए। उनकी धाराओं के अनुसार देशी राज्यों के कुछ छूटें हुए लोग भारतीय सिविल सर्विस परीक्षाओं की प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे, देशी राज्यों और नेपाल प्रदेश के शासकों और निवासियों की सैनिक एवं असैनिक पदों पर नियुक्ति की जा सकती थी, देशी राज्यों के शासकों और निवासियों को विधान परिषदों के लिए नामनिर्देशित किया जा सकता था।

६

विचाराधीन समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऐक्ट और बनाया, जिसका भारत सरकार के सविधान से सम्बन्ध था। यह था सन् १९११ का भारतीय उच्च न्यायालय ऐक्ट।

सन् १८६१ और १८६५ के विधानों ने उच्च न्यायालयों के सविधान, उनके क्षेत्राधिकार और उनकी संख्या आदि को विनियमित किया था।

सन १९११ के ऐक्ट ने मुख्य न्यायाधीश-संहिता, सब न्यायाधीशों की संख्या, सन् १९११ में भारत में चार उच्च न्यायालय थे—एक कलकत्ता में, एक बम्बई में, एक मद्रास में और एक इलाहाबाद में। सन् १८६५ के ऐक्ट में जो अधिकार दिया गया था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट वतान से समाप्त हो गया था। अतः एक नया ऐक्ट बनाया गया और उसमें भविष्य के लिए उक्त धारा जोड़ दी गई।

को साम्राज्यीय तथा प्रांतीय दोनों ही सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों का परीक्षण करके उनपर अपनी रिपोर्ट देनी थी—(१) भर्ती करने की प्रक्रिया और शिक्षण तथा परीक्षण की व्यवस्था, (२) सेवा, वेतन, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन की शर्तें, (३) यूरोपियनों की नियुक्ति पर प्रचलित प्रतिबन्ध और साम्राज्यीय तथा प्रांतीय सेवाओं के विभाजन की वर्तमान व्यवस्था।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त कमीशन को सामान्य रूप से इन सार्वजनिक नौकरियों की आवश्यकताओं पर विचार करना था और उनमें उपयुक्त परिवर्तन के लिए सिफारिश करनी थी।

अगस्त १९१५ में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मि अब्दुरहीम की रिपोर्ट अलग थी और इसे श्री गोखले का "पूर्ण अनुमोदन प्राप्त था, वस्तुतः इसे उन्हीं के परामर्श से तैयार किया गया था।"<sup>२</sup> किन्तु १९ फरवरी १९१५ को श्री गोखले का देहांत हो गया और इस पृथक रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर न हो सके।

रिपोर्ट को उस समय प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि सरकार, महायुद्ध के दिनों में, किसी विवाद में पड़ने से बचना चाहती थी। लेकिन जब महायुद्ध के शीघ्र समाप्त होने की आशा नहीं दिखाई दी, तो अन्त में उस रिपोर्ट को जनवरी १९१७ में प्रकाशित कर दिया गया। मॉण्ट फोर्ड रिपोर्ट का कहना है कि, "उस समय तक महायुद्ध ने भारतवासियों की आशाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था (फलतः) रिपोर्ट की निन्दा की गई उसे विलुप्त अपर्याप्त बताया गया, रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को सतुष्ट करने के स्थान पर उसे और ज्यादा चिढ़ा दिया।"<sup>३</sup>

कमीशन के सामने सब से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि सार्वजनिक नौकरियों के उच्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए। साम्राज्यीय सिविल सर्विस की अधिकांश शाखाओं के लिए साधारणतया यूरोप के लोगों में से भर्ती की जाती थी। जिन विभागों के लिए भारत में भर्ती की जाती थी, उनमें भी उच्चतर पदों के लिए यूरोपियनों, आंग्ल-भारतीयों और ईसाइयों को अधिमान दिया जाता था। ५०० रुपये प्रतिमास बयबा उससे अधिक वेतन के पदों पर भारतीयों का अनुपात केवल १९ प्रतिशत था। ८०० रुपये अथवा उससे अधिक वेतन के

१ Islington Commission Report, 1912-15-17. page 2  
 २. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ३९४,  
 ३ Report on Indian Constitutional Reforms 1918,  
 page 5

पदों पर उनका अनुपात केवल १० प्रतिशत था।<sup>१</sup> वेतन में प्रथम वृद्धि के संग भारतीयों का अनुपात उन्नीस वन से घटना जाना था, यहाँ तक कि ऐसे पर ६ जिन पर भारतीयों की कभी नियुक्ति ही नहीं हुई थी।

भारतवासियों ने यह उपाय मुनाया था कि इंग्लैंड तथा भारत, दोनों ही म्याता में प्रतिभागितापूर्ण समकालिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए। कमीशन ने इस मुनावे का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके मतानुसार ऐसी व्यवस्था को अपनाते के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया था। कमीशन का तब यह था कि भारत के विभिन्न प्रान्तों और समुदायों में शिक्षण-सुविधाओं का पयाप्त और समान रूप में प्रसार नहीं हुआ था। इसके अनिश्चित दूसरा यह था कि भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में इंग्लैंड के स्कूलों और कॉलेजों की भाँति चरित्र के विकास और उनके निर्माण के लिए कोई निश्चित सुरक्षा नहीं थी।<sup>२</sup> कमीशन की दृष्टि में सरकारी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था ने भी समस्या का हल नहीं हो सकता था। उनमें उच्चतर पदों में भारतवासियों के लिए एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखने के सिद्धांत का भी अनुमोदन नहीं किया। यह मवर्ह कि इस प्रश्न पर विचार करने का उचित दृष्टिकोण यह नहीं था कि प्रत्येक विभाग में बित्त भारतीय नियुक्त किए जाने चाहिएँ तथापि मि अन्दुरहीम का यह कहना बिल्कुल ठीक था, 'कि यूरोप में अधिकांशियों का आयात, विद्युद्ध आवश्यकता से सीमित होना चाहिए।'<sup>३</sup> किन्तु कमीशन के सदस्यों का दृष्टिकोण दूसरा ही था और उन्होंने भारतीयों के लिए अनुपात निश्चित करने के मुनावे को कोई मान्यता नहीं दी। इस सम्बन्ध में उनका एक तर्क था यह था "कि जातीय आधार पर अनुपात निश्चित करने का सिद्धांत अजायबनीय है" और दूसरा तर्क यह था कि "कि हम इस बात को जानते हैं कि न्यूनतम सीमा की प्रवृत्ति अधिकतम सीमा की ओर बढ़ने को हुवा करती है।"<sup>४</sup> लेकिन इन तर्कों के होने हुए भी कमीशन के निजी प्रस्ताव मुख्यतः जातीय भावनाओं पर अवलम्बित थे।

कमीशन का सबसे पहला प्रस्ताव तो यह था कि जिन नौकरियों के लिए साधारणतया भारत में भर्ती की जाती हैं, उनमें कुछ और नौकरियों को भी सम्मिलित कर दिया जाए। अपने दूसरे प्रस्ताव के अनुसार कमीशन ने अन्य नौकरियों

१ ये आवडें सन् १९१३ के हैं—देखिए—Islington Commission

Report, pages 24 to 26

२ उपर्युक्त रिपोर्टें पृष्ठ ३०।

३ उपर्युक्त रिपोर्टें पृष्ठ ४११.

४ उपर्युक्त रिपोर्टें पृष्ठ २६

## शामन तथा सविधान से संबंधित परिवर्तन

को तीन वर्गों में विभाजित किया—(१) आई सी एस (भारतीय सिविल सर्विस), आई पी एस (भारतीय पुलिस सर्विस) आदि नौकरियाँ—जिनमें 'अधिकांश अपसरों की भर्ती यूरोप में की जानी चाहिए।' आई सी एस के ७५ प्रतिशत पदों के लिए इंग्लैंड में प्रतियोगिता-पूर्ण परीक्षाओं के द्वारा भर्ती की जानी थी। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु २४ वर्ष से घटा कर १९ वर्ष कर दी गई थी जिसके फलस्वरूप भारतवासियों के लिए इस द्वार से प्रवेश पाना असंभव हो गया था। अन्य २५ प्रतिशत पदों के लिए, भारत में निश्चित योग्यता के अभ्यर्थियों में से नामनिर्देशन होना था। पुलिस सर्विस के लिए भारत में केवल १० प्रतिशत अभ्यर्थियों की भर्ती होनी थी, धीरे धीरे यह अनुपात २० प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। (२) दूसरे वर्ग में शिक्षा डाक्टरी सार्वजनिक निर्माण आदि से सम्बन्धित नौकरियाँ की गणना थी इसमें यूरोप-वासियों और भारतवासियों दोनों की ही भर्ती करना वाछनीय समझा गया। (३) तीसरे वर्ग में वैज्ञानिक और टैक्निकल नौकरियों की गणना थी। भारत में टैक्निकल शिक्षा की सच्चाई खुल जान पर कालान्तर में उक्त नौकरियों की भर्ती भारत में होनी थी किन्तु उस समय उनके लिए विदेशों में ही भर्ती की जानी थी।

य प्रस्ताव केवल अपर्याप्त ही नहीं य वरन् ये त्रिदश जातीय श्रेष्ठता की धारणा पर और साथ ही कुछ नौकरियों में अंग्रेजों का बहुत बड़ा अनुपात बनाए रखन की नीति पर अवलम्बित था। एसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके प्रकाशित होन पर भारत में सर्वत्र उनकी निन्दा की गई।

कमीशन ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने के लिए भी सिफारिश की, जिसका कुल जोड़ मि चौबाल के अनुसार, ८८ लाख रुपये से भी अधिक था। कमीशन के दो भारतीय सदस्यों ने इस बात को निर्विवाद रूप से सिद्ध भी किया कि भारत में इन सिविल अधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि में किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए कोई कारण नहीं था क्योंकि उनको पहले से ही जो वेतन, भत्ता, आदि दिया जा रहा था, वह इंग्लैंड, सीलोन अथवा हावकांग की सिविल सर्विस की अपेक्षा वही अधिक था।

कमीशन की अन्य सिफारिशें टैक्निकल वर्ग की थी और उन पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, कमीशन की रिपोर्ट की भारत में सभी जगह निन्दा की गई और उसे असतोषप्रद तथा अपर्याप्त बताया गया। यहाँ तक कि भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट ने भी यह लिखना आवश्यक समझा कि, "भविष्य की नीति, (इंस्टिट्यूट कमीशन की) रिपोर्ट पर

अवलम्बित होनी चाहिए, किन्तु परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण हमारा यह मन है कि कुछ महत्त्वपूर्ण दिशाओं में उसके निष्कर्षों को बागे बारात आवश्यक होगा।”<sup>१</sup>

८

सन् १९०९ से १९१९ तक के विचाराधीन युग में वैधानिक दृष्टि से किंग्म महत्व की, एक घटना हुई,—भारत को साम्राज्यीय सम्मेलन में, साम्राज्यीय युद्ध, परिषद् में, तथा शान्ति सम्मेलन के लिए ब्रिटिश साम्राज्यीय सिस्टम में, साम्राज्य के अन्य स्वशासन सदस्यों के साथ, (प्रकटन) बराबरी का स्थान दिया गया।

सन् १८८७ में, महागनी ब्रिटोरिया की जयन्ती मनाने के सम्बन्ध में औपनिवेशिक सम्मेलन के नाम से साम्राज्यीय सम्मेलन ने अपनी सबसे पहली सभा की थी। उसी औपनिवेशिक सम्मेलन को सन् १९०७ में साम्राज्यीय सम्मेलन का नाम द दिया गया और उसके नए संविधान के अनुसार इसका मतलब था—सम्राट् सरकार तथा औपनिवेशिक सरकारों की, परस्पर सम्बन्धित विषयों पर विचार करने वाली सभा।<sup>२</sup>

पहला साम्राज्यीय सम्मेलन १९११ में हुआ और उससे अगला सम्मेलन १९१५ में हान वाला था, किन्तु महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण उसकी अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन दिसम्बर १९१६ में इंग्लैंड में उन बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि सन् १९१७ के आरम्भिक महिनो में ही साम्राज्यीय सम्मेलन की मीटिंग की जाए और युद्ध परिषद् के लिए साम्राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए।

सितम्बर १९१५ में भारतीय विधान परिषद् में एक प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश की गई “कि सम्राट् सरकार से, साम्राज्यीय परिषद् में भारत को नियमानुसार प्रतिनिधित्व देने के लिए निवेदन किया जाए।”<sup>३</sup> यद्यपि भारत एक स्वशासक देश नहीं था तथापि वाइसरॉय के मंत्रानुसार “भारत के विस्तार, उसकी जनसंख्या, सम्पत्ति, सैन्य सामर्थ्य और राजभक्ति के कारण उसकी प्रतिनिधित्व की मांग उचित थी।”<sup>३</sup> फरव्र १९१७ में साम्राज्यीय युद्ध परिषद् और साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन, दोनों की सभाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत मन्त्री की सामंतिवत् लिखा गया: “भारत मन्त्री की सहायता करने के लिए भारत सरकार के

१. The Report on Indian Constitutional Reforms. 1918. page 149.

२. Mukherjee : Indian Constitutional Documents, vol. I. page 609

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६११

शासन तथा सविधान से संबंधित परिवर्तन

तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया—हिज हाइनस वीकानर नरेण मालनीय सर जम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्र सिनहा ।

साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाएँ अप्रैल १९१५ में हुईं और उनमें अद्य प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए—(१) साम्राज्यीय सम्मेलन के सविधान में उपयुक्त परिवर्तन किया जावे ताकि भविष्य के सब सम्मेलनों में भारत भी भाग ले सके और (२) युद्ध समाप्त होने के बाद क्या ताकि (अ) इस बात को मान्यता दी जा सके कि विदेश-नीति और विदेश सम्बन्ध निश्चित करने के विषय में ब्रिटिश डोमीनियनों को और साथ ही भारत को समुचित अधिकार होना चाहिए और (ब) समय-समय पर परामर्श करने के लिए और आवश्यकता होने पर मिल कर योजनानुसार कार्यवाही करने के लिए कारण व्यवस्था की जा सके ।<sup>१</sup> एक अन्य प्रस्ताव में समान पारस्परिक व्यवहार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और स्वशासक ब्रिटिश डोमीनियनों में भारतीयों की स्थिति के बारे में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए ज्ञापन पर विचार करने के लिए सम्बंधित सरकारों से सिफारिश की गई ।

साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाओं के अतिरिक्त साम्राज्यीय युद्ध परिषद् की बैठकें भी हुईं । सन १९१७ की १८ मई को ब्रिटिश प्रधान मंत्री न हाउस आफ कामन्स में यह बताया कि साम्राज्यीय युद्ध परिषद् की मीटिंग प्रतिवर्ष करने का निश्चय किया गया था लेकिन अबिलम्य साम्राज्यीय प्रश्न उपस्थित होने पर यह मीटिंग जल्दी भी की जा सकती थी । उसी अवसर पर उन्होंने निम्नलिखित व्यक्तियों को परिषद् का सदस्य बताया—संयुक्त राज्य का प्रधान मंत्री और साम्राज्यीय विषयों का संचालन करनेवाले उसके सहयोगी प्रत्येक ब्रिटिश डोमीनियम का प्रधान मंत्री अथवा उसका विषय रूप से अधिकृत प्रतिनिधि और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ भारतीय जनता का प्रतिनिधि ।<sup>२</sup>

सन १९१८ में भारत सरकार ने (तत्कालीन उप-भारत मंत्री) सर सत्येन्द्र सिनहा को साम्राज्यीय युद्ध परिषद् में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया । साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर सत्येन्द्र के अतिरिक्त पटियाला नरेश को भी नियुक्त किया गया ।<sup>३</sup>

१ Keith Speeches of Indian Policy, vol II page 133

२ Mukherjee Indian Constitutional Documents vol II page 617

३ साम्राज्यीय विधान परिषद् में एक प्रस्ताव द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की

राष्ट्र सभ की सदस्यता कोई सौभाग्य की बात नहीं थी। वरन् वह सदस्यता उसके लिए एक बोझ के रूप में थी। उन्हें राष्ट्र सभ के उद्देश्यों पर सदेह था—उनके अनुसार, शोषण करने वाले साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने सभ के रूप में अपनी गूढबन्दी की थी, और भारतीय प्रतिनिधित्व, भारत की अपेक्षा इंग्लैंड के लिए अधिक उपयोगी था क्योंकि भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए सरकारी अधिकारियाँ को नियुक्त किया जाता था और उन पर ब्रिटिश नियंत्रण होता था। इस बात में कोई सदेह नहीं है कि ये आक्षेप बहुत हद तक सच्चे थे क्योंकि राष्ट्र सभ तथा साम्राज्यीय सत्याग्रही की सदस्यता का नास्तिक लाभ उसी समय उठाया जा सकता था जब अन्य सदस्यों की भाँति भारत भी स्वाधीन हो। किन्तु दूसरी ओर यह तक भी बहुत हद तक सही था कि आरम्भिक बातों से चाहे कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ न दिखाई दे तथापि वे बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं।

## अठारहवाँ अध्याय क्रान्ति और दमन

१

लॉर्ड मॉन्ट अपनी सुधार-योजना को मिश्रण और सद्भावना के वातावरण में कार्यान्वित करना चाहते थे। अब उन्होंने वाइसरॉय पर इस बात की आवश्यकता के सबंध में जोर दिया कि मुधारा के लिए वाञ्छित वातावरण बनाने के उद्देश्य से कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जाय, जिससे सरकार का कृपा भाव प्रदर्शन हो। इस सबंध में उन्होंने बंगाल के निर्वासित व्यक्तियों को मुक्त करने का सुझाव दिया। किन्तु वाइसरॉय के मतानुसार, एक ऐसे समय पर जब भारत के विचारशील व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था, राजनैतिक क्षेत्र में इन आग जगलने वालों को मुक्त करना अविवेकपूर्ण था।<sup>१</sup> भारत सरकार के प्रबल विरोध ने भारत मंत्री को उस समय चुप कर दिया और किसी कृपा पूर्ण कृत्य के स्थान पर एक अराजकतापूर्ण हत्या के बाद मुधारा का उपक्रमण किया गया। सन् १९१० की २५ जनवरी को लॉर्ड मिंटो ने नई निर्वाचित साम्राज्यीय विधान परिषद् का उद्घाटन किया लेकिन उससे एक ही दिन पहले पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेंट, राममुल आलम को गोली से मार दिया गया था।<sup>२</sup> यह अधिकारी अलीपुर पठयंत्र अभियोग के सिलसले में बलकत्ता हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ

१ Buchan: Lord Minto, page, 392

२ इसी पुस्तक का तेरहवाँ अध्याय देखिए।



## क्रान्ति और दमन

पद्धति के साधारण नियमों को निलम्बित करके, सरकार ने साम्राज्यीय विधान-परिषद् से जल्दी से एक नठोर प्रेस कानून बनवाया। यही कानून सन् १९१० के इंडियन प्रेस ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सन् १९१० के इस ऐक्ट में, सन् १८७८ के वर्नक्युलर प्रेस ऐक्ट की सारी गहिला धारणाएँ वर्तमान थीं। किन्तु दो बातों में महत्वपूर्ण अन्तर था—नया ऐक्ट सब समाचार पत्रों पर लागू था चाहे वे पत्र भारतीय भाषाओं के हों अथवा अंगरेजी के और चाहे वे आँग्ल भारतीयों<sup>१</sup> के हों अथवा भारतवासियों के, और दूसरा अन्तर यह था कि नए ऐक्ट की एक धारा के अनुसार हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी।

सन् १९१० के इस ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर, मजिस्ट्रेट नए छापेखानों<sup>२</sup> के मुद्रकों और साथ ही नए समाचार-पत्रों के प्रकाशकों<sup>३</sup> से (सन् १८६७ के प्रेस तथा पुस्तक निवधन ऐक्ट की धारा न० ४ के अन्तर्गत उनसे अपने समस्त घोषणा कराने के बाद) कम-से-कम पाँच सौ और अधिक-से अधिक दो हजार रुपये की उमानत माँग सकता था। नए ऐक्ट के लागू होने के पहले से जो प्रेस काम कर रहे थे, और जो समाचार-पत्र निराल रहे थे, उनके सबब में भी ऐक्ट ने स्थानीय सरकारों को निश्चित प्राधिकार दिया। इसके अनुसार वे स्थानीय सरकारें उक्त छापेखाना के मुद्रकों अथवा उक्त समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से (यदि वे ऐक्ट के विभाग न ४ (१) के अन्तर्गत आने वाले लेखों को छापते या प्रकाशित करते हों), कम-से-कम पाँच सौ और अधिक से-अधिक पाँच हजार रुपये की उमानत माँग सकती थी। ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर मजिस्ट्रेट, किसी प्रेस अथवा समाचार-पत्र को जमानत को (कारणों का अभिलेख करने के बाद), छोड़ सकता था अथवा इस सबब में अपनी कितनी पिछली आज्ञा को रद्द कर सकता था अथवा उसे बदल सकता था।

१. आँग्ल-भारतीय पत्रों को सम्मिलित करने का व्यवहार कोई व्यर्थ नहीं था। वे राजद्रोह का प्रचार नहीं कर सकते थे और जातीय भेदभाव के प्रचार के तिलसिले में सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती थी।—देखिए इसी पुस्तक का बारहवाँ अध्याय—और Paragraph 7 of the Report of the Press Laws Committee, 1921
२. Section 3 (i) of the Act, Ghose Press and Press Laws in India, page 66.
३. Section 8 (1) of the Act. Ibid, page 69.

एक्ट ने अपन विभाग न ४ (१) के छे विस्तृत खंडों<sup>१</sup> में आपत्तिजनक बातों की परिभाषा बताई। इन बातों का मुद्रण अथवा प्रकाशन होने पर स्थानीय सरकार जमानत ज्वल कर सकती थी। सन् १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एक्ट<sup>२</sup> और उसी वर्ष के समाचार पत्र (अपराध उत्तजक) एक्ट<sup>३</sup> के अपराधों का सन् १९१० के एक्ट में फिर सम्मिलित किया गया। राजद्रोहपूर्ण प्रकाशन का परिभाषा इनकी विस्तृत कर दी गई कि उसमें देशी नरेशा, न्यायाधीशा, वायु वाहिनियों जफतरा और मार्गजनिक अधिकारियों के विरुद्ध लख लिखने की भी गणना की जा सकती थी। मद्राट की मेना में नीकरी करने वालों में व्यक्ति फंलान के अथवा तान्त्रिकारी कामों के लिए रज्या बमूय करन के उद्देश्य में लाल को धमकाने व अथवा तान्त्रिकारी अपराध की खोज और गवाही में सहायता देने वाला का रोकन के सारे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयत्न, विभाग न ४(१) की आपत्तिजनक बातों की परिभाषा में सम्मिलित थे। वस्तुतः इन विभाग न, समाचार-पत्रों के लिए सरकारी कामों की आलाचना करना असम्भव कर दिया था। किन्तु इससे भी ज्यादा दुरी धान यह थी कि कोई प्रकाशन, विभाग न ४(१) की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार माघारण न्यायालया के स्थान पर स्थानीय सरकार को दिया गया था।

यदि विभाग न ४(१) के अनुसार स्थानीय सरकार ने किसी छापेखाने की अथवा किसी समाचार-पत्र की जमानत ज्वल कर ली है और उस छापेखाने का मुद्रण<sup>४</sup> अथवा उस पत्र का प्रकाशन,<sup>५</sup> सन् १८६३ के प्रेस तथा पुस्तक निबन्धन ऐक्ट के विभाग न ४ के अनुसार फिर घोषणा करता है तो प्रत्येक को (मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार) कम-से-कम एक हजार रुपये की और अधिक-से-अधिक दस हजार रुपये की जमानत देनी थी। यदि स्थानीय सरकार के मतानुसार उक्त प्रेस अथवा उक्त पत्र, विभाग न ४(१) के अन्तर्गत फिर अपराध करता है, तो वह सरकार उसकी जमानत को, छापेखाने को और समाचार-पत्र को सारी प्रतिधा को और अन्य आपत्तिजनक प्रकाशना को ज्वल कर सकती थी।<sup>६</sup>

१. Section 4 (i) of the Act, Ghose The Press and Press Laws in India, pages 67-68

२ इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये।

३ इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये।

४. Section 5 of the Act, Ghose The Press and Press Laws in India, page 68

५ Section 10 of the Act उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०

६. See sections 6 and 10 of the Act, Ghose: The Press and Press Laws in India pages 69—71.

## शान्ति और दमन

इसी सवध में ऐक्ट ने स्थानीय सरकारों को एक बात का अधिकार और दिया।<sup>१</sup> इस अधिकार के अनुसार स्थानीय सरकारें, कस्टम विभाग के किसी अफसर को अथवा किसी डाकखाने के प्रमुख कर्मचारी को यह आज्ञा दे सकती थी कि यदि उस अधिकारी को इस बात का सन्देह हो कि किसी पार्सल, बडल अथवा लिफाफे में कोई ऐसी चीज है जो विभाग न ४(१) के अन्तर्गत आपत्तिजनक है तो वह उक्त पार्सल, बडल, अथवा लिफाफे को रोक ले और उसे स्थानीय सरकार को सौंप दे।

अन्त में १९१० के इस ऐक्ट ने स्थानीय सरकार की आज्ञा रद्द कराने के लिए, हाईकोर्ट में अपील<sup>२</sup> करने का अधिकार दिया। इस अपील का निर्णय तीन न्यायाधीशों की विशेष सभा द्वारा होना था।<sup>३</sup> यह अपील जूळी की आज्ञा के दो महीने के अन्दर ही इस आधार पर की जा सकती थी कि जिस विषय पर आपत्ति की गई है उसकी विभाग न ४(१) के अन्तर्गत गणना नहीं की जा सकती।

इस ऐक्ट को लागू करने के कारण, सन् १९०९ से १९१९ तक के विचाराधीन युग में जो परिणाम हुए, उनका संक्षिप्त सकलित विवरण २ जुलाई १९१९ के उस समुद्री तार में दिया गया है जो इंडियन प्रेस एसोसियेशन के मन्त्री ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्री और भारत मन्त्री के पास भेजा था — “इस ऐक्ट के अन्तर्गत ३५० छापेखानों को, ३०० समाचार-पत्रों को रद्द दिया गया, ४०००० पौंड से अधिक की जमानतें ली गईं, ५०० से अधिक प्रकाशन रद्द किए गए। जमानत न दे सकने के कारण २०० प्रेस काम शुरू नहीं कर सके, १३० समाचार-पत्रों का प्रकाशन नहीं हो सका। (भारतवासियों के) ‘अमृत बाजार पत्रिका’, ‘वाँच्चे क्रॉनिकल’, ‘हिन्दु’, ‘इंडिपेन्डेन्ट’, ‘ट्रिब्यून’ जैसे प्रमुख, प्रभावशाली अखबरो के पत्रों पर और वसुमती, स्वदेश मित्र, विजय, हिन्द वासी, भारत-मित्र’ जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों पर ऐक्ट की कठोर धाराएँ लागू की गईं। दूसरी ओर आंग्ल-भारतीय पत्रों के उद्य, उत्तेजक लेखों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।”<sup>४</sup> भारत सरकार पर, ऐक्ट के परिणामों के सवध में जाँच करने के लिए जोर दिया गया लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। अन्त में यह विषय सन् १९२१ की नई विधान सभा के सामने आया और उसने

१ ऐक्ट के विभाग न १३ और १५ देखिये, The Press and Press Laws in India पृष्ठ ७१ और ७२

२ ऐक्ट का विभाग न १७—उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७२

३ ऐक्ट का विभाग न १८—उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७२

४. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ३९-४०.

३.

प्रेस ऐक्ट का पारण करनेके कुछ ही महीने बाद सरकारने एउ विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य सन् १९०७ के राजकोटपूर्ण मीटिंग करके ऐक्ट<sup>१</sup> के जीवन-काल को २१ मार्च १९११ तक बढ़ाना था—ताकि नए गवर्नर-जनरल को अपना पद-ग्रहण करने के बाद स्थिति को स्वयं देखने, उन पर अपना मत बताने और उस मस्यवे में अपनी निष्कारियों करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाय। सन् १९०७ का ऐक्ट पूर्ण बमल और पत्रकारों की सत्ताहीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया था और वह असाधारण रूप से दमनकारी था। जैसा कि श्री गोखले ने विधान परिषद् में कहा<sup>२</sup> उस ऐक्ट को बढो बढोरता के साथ और अनुचित रूप में लागू किया गया था। अगस्त १९१० तक स्थिति भारी मनक चुकी थी और जैसा कि सादसरीय और सरकारी सदस्यों ने स्वीकार भी किया था, यह स्थिति सबकपूर्ण अथवा असाधारण नहीं थी। जत और सरकारी सदस्यों ने उस ऐक्ट का जीवन-काल बढ़ाने वाले विधेयक का विरोध किया क्योंकि क्षादरकता होने पर वह ऐक्ट फिर भी बनाया जा सकता था। लेकिन सरकार अपने निरवय पर जमो रही<sup>३</sup> और अगस्त १९१० में उस विधेयक का पारण हो गया।

सन् १९०७ का यह ऐक्ट मार्च १९११ में फिर भारतीय विधान परिषद् के सामन आया। इस बार सरकार ने ३१ मार्च के बाद उस ऐक्ट के लिए फिर जीवन-

१ *The Press and Press Laws in India* नामक पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये।

२. सन् १९०७ की परिस्थितियों के बर्न के लिए इसी पुस्तक का तेरहवा अध्याय देखिये।

३. तीन दिना सम्मेलनों को बर्जित करने का यह कारण दिया गया कि उनमें भारतीय एक प्रातौर्य विमया पर विचार होगा। समा करने की अनुमति देने से पहले प्रस्ताव माँगे जाते थे। दलित वर्गों को अपनी सामाजिक विकासों व्यक्त करने के लिये समा करने की अनुमति नहीं दी गई।—देखिये—*Gokhale's Speech—Legislative Council Proceedings, Vol. XLIX, Page 30*

४ श्री गोखले, मालवीय, मुषोलकर, तिनहा, मठमल हन, नूवा राव आदि सब गुरसरकारी सदस्य इस विधेयक के विरुद्ध थे।

५ "श्रीमान्, हम इस बात को मन्यो मानते हैं कि जब सरकार किसी नीति को अपनाते वा निरवय कर लेती है तो इस परिषद् के गुरसरकारी सदस्यों का मत उसे बदल नहीं सकता।"—देखिये *Gokhale's Speech—Legislative Council Proceedings, Vol. XLIX, Page 29.*

दान देने का विचार नहीं किया किन्तु उसके स्थान पर और उसी उद्देश्य से एक नया, कम कठोर, स्थायी कानून बनाने का निश्चय किया। फलतः सन् १९११ के राजद्रोह पूर्ण मीटिंग वर्जन ऐक्ट का मार्चमें पारण हुआ और उसे प्रविधान पुरतक (Statute Book) में स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया गया।<sup>१</sup>

सन् १९११ के ऐक्ट ने सन् १९०७ के ऐक्ट के कुछ स्पष्ट दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। सबसे पहली बात तो यह हुई कि नया ऐक्ट, स-परिपुर्ण वर्नर-जनरल की विनिर्दिष्ट अनुमति के बाद ही, किसी प्रदेश अथवा प्रान्त में लागू किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पुराने ऐक्ट की एक धारा के अनुसार बीस से अधिक व्यक्तियों की प्रत्येक सभा को सावजनिक सभा माना जाता था। नए ऐक्ट में दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि उक्त धारा को छोड़ दिया गया। इसी ऐक्ट में तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि वर्जित सभाओं की परिभाषा देने वाले शब्द न ४ में से किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये शब्दों को निकाल दिया गया। अब केवल वही सभाएँ वर्जित होंगी जो जिनसे सार्वजनिक शान्ति भंग होने का डर हो। ऐक्ट में चौथा परिवर्तन यह था कि भविष्य में सार्वजनिक सभा करने की सूचना, पुलिस सुपरिण्टेंडेंट के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस काम के लिए अधिवृत्त अन्य किसी मजिस्ट्रेट को देनी थी। इन परिवर्तनों को छोड़ कर, सन् १९०७ के ऐक्ट की धाराओं का सन् १९११ के ऐक्ट में यथावत् विधायन कर दिया गया।<sup>२</sup>

इन सशोधनों के बावजूद अधिकांश गैरसरकारी सदस्यों ने नए कानून का विरोध किया और उसे अनावश्यक, स्वेच्छापूर्ण और दमनकारी बताया। उसने कार्यकारिणी को विस्तृत, स्थायी एवं असाधारण अधिकार दिए जो देश के सार्वजनिक जीवन के लिए घातक थे।

४

इन दमनकारी प्रविधानों के पारण से भारतीय शान्तिकारियों के कामों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजनैतिक हत्याएँ और डकैतियाँ—विशेषकर पूर्वी बंगाल और कलकत्ता में—पहले ही की तरह होती रही। २४ जनवरी १९१० को कलकत्ता के डिप्टी सुपरिण्टेंडेंट पुलिस की हत्या हुई—उसकी चर्चा की जा चुकी है। मार्च १९१० में हावड़ा पड़ोस केस आरम्भ हुआ। इसमें ५० व्यक्तियों पर राजनैतिक हत्याओं का और सम्राट के विरुद्ध पड़ोस रचन का अभियोग लगाया गया था।<sup>३</sup> जुलाई में डाका पड़ोस केस में ४४ व्यक्तियों पर फिर वही १ बाद में सन् १९२१ की रिप्रसिव लाज कमेटी की सिफारिश पर इस ऐक्ट का रद्द कर दिया गया।

२ इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिय।

३ Indian Sediton Committee Report, 1918, page 44

५

इस प्रकार भारत के त्रातिकारी अपराधो को रोकने में न तो सुधार ही सफल हुए और न १९१० और १९११ के दमनकारी कानून, किन्तु दमनकारी कानूनों को सामर्थ्य के सबब में सरकारी निष्ठा यथावत् बनी रही। मार्च १९१३ में सरकार ने भारतीय विधान परिषद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता में कुछ संशोधन करना था। यही विधेयक, बाद में सन् १९१३ का फौजदारी कानून (संशोधन) ऐक्ट बन गया।

इस ऐक्ट ने पड़्यत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता में पृथक् स्थान दिया। उस समय तक यह अपराध भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित होने से किसी प्रकार छूट गया था, और गृह-सदस्य के अनुसार सन् १९१३ के विधेयक का उद्देश्य एक छूटी हुई बात को पूरित करना था। गृह-सदस्य ने यह भी कहा कि नया कानून, इंग्लैंड के कानून के ढंग पर ही बनाया गया था किन्तु गैरसरकारी सदस्य इस बात को जानते थे कि उसे भारत में बड़ी कठोरता के साथ लागू किया जायगा और उसके दो कारण थे। मिस्टर एस एन बनर्जी ने पहला कारण यह बताया कि इंग्लैंड में अभियोगो का निर्णय जुरी द्वारा होता था और वहाँ पर न्याय का स्तर भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा जँका था। और दूसरे कारण को मि जिन्ना ने इस प्रकार व्यक्त किया कि दोनों देशों की फौजदारी-पद्धति भिन्न थी और वह इंग्लैंड में, अभियुक्त के प्रति कहीं ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण थी। मि जिन्ना ने यह भी कहा कि नए कानून राजसत्ता के विरुद्ध पड़्यत्रा पर ही लागू होने चाहिए—व्यक्तिगत पड़्यत्रो पर नहीं। प्रवर-समिति ने स्थिति का सरक्षण करने का प्रयत्न किया और फौजदारी पद्धति संहिता में कुछ संशोधन भी किया।

सन् १९१३ के ऐक्ट की सब से ज्यादा महत्वपूर्ण बात, विभाग न १२० (अ) के अन्तर्गत, पड़्यत्र की परिभाषा थी—अन्य बातें गौण थी। परिभाषा इस प्रकार थी—

“जब दो या अधिक व्यक्ति, एक होकर (१) किसी अवैध काम को अथवा (२) किसी बंध काम को अवैध साधनों द्वारा, करने अथवा कराने के लिए सहमत होते हैं, तो उनका समझौता एक अपराधपूर्ण पड़्यत्र है। किन्तु अपराध करने अथवा कराने के समझौते के अतिरिक्त अन्य कोई समझौता अपराधपूर्ण पड़्यत्र नहीं है, जब तक कि समझौते के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिससे समझौता करने वाले एक या अधिक व्यक्ति या उद्देश्य प्रभावित होता हो।”

विभाग न १२० (अ) बन जाने से भारत की त्रातिकारी समितियों की

बदवार पर कोई विरोध प्रभाव नहीं हुआ। वल्कि मच तो यह है, कि अगले तीन वर्षों में देश में प्रातिकारियों आन्दोलन तेजी से बढ़ा और उच्च की भाँसाएँ पत्राव प्रान्त तक फैल गईं।

६

सन १९१२-१६ के वर्षों में प्रातिकारी आन्दोलन, बंगाल और पत्राव, दोना ही प्रान्तों में अपन दिखर पर पहुँच गया। बंगाल में पिम्पौल और वम की सहायता न राजनैतिक हत्या करने और राजनैतिक डकैतियाँ डालने का प्रन यथावत् बना रहा, और उनके अतिरिक्त एक व्यापक व्युत्थान का निष्पन्न प्रबन् भी हुआ। इस व्युत्थान की योजना जनन अभिकर्ताओं की सहायता से तैयार की गई थी। इन जनन-बगाठी पदुपत्र का अथवा अराजकतापूर्ण हत्याओं और डकैतियाँ का विम्बून विवरण देना आवश्यक प्रतीत नहीं होगा क्योंकि सन् १९१८ की निहोषन कमेटी रिपोर्ट के पृष्ठों में वह सरलता से मिल सकता है। तथापि उनका सञ्चय में वर्णन करना उचित और नगन होगा।

सन् १९१२ में बंगाल प्रान्त में प्रातिकारियों ने १६ अराजकतापूर्ण प्रहार किए—इनमें दस डकैतियाँ थी जिन में दो हत्याएँ और लगभग ६१००० रुपये की लूट सम्मिलित थी। २७ मार्च का मिडहिट में वम द्वारा मि गॉर्टन जार्ड सी एम की हत्या करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु मि गॉर्टन के मकान तक पहुँचने से पहले ही वम फट गया और वम ले जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। २९ दिसम्बर को कलकत्ता के काँटेज स्क्वायर में हूड वास्टेविल हरिपद देव को गोली से मार दिया गया। उसके दूसरे दिन मंसनमिह में इम्पेक्टर बकिमचन्द्र चौधरी की वम द्वारा हत्या की गई। ९ दिसम्बर को सिदनापुर में ब्रह्मगुरुमान की हत्या करने का फिर असफल प्रयत्न किया गया और ३० दिसम्बर को हुगरी जिले के एक घाते में वम फँसा गया। सन् १९१४ में २९ अराजकतापूर्ण प्रहार हुए—इनमें १६ डकैतियाँ थी जिनमें कुछ हत्याएँ भी सम्मिलित थी। रूहोडा एड कम्पनी नामक कलकत्ता के बन्दूक आदि शस्त्रों के विक्रेताओं के यहाँ से, पिम्पौल और उनके कारगुरुओं के दस बक्कों की चोरी की गई। इन बक्कों में ५० मोडर पिस्तौलें थीं और उनके लिए ४६००० कारतूस थे। इनके अतिरिक्त चार हथौथों के सफल प्रयत्न किए गए—एक चटगाँव में, एक टाका में और दो कलकत्ता में। इनमें से कलकत्ता की पहली हत्या, सुफिया विभाग के इम्पेक्टर नृपेन्द्र घोष की थी, जिनको तीन प्रमुख मटका के एक केन्द्र पर ट्राम में उतरने के समय मारा गया था। एक व्यक्ति ने हत्या करनेवाले का पीछा किया किन्तु उसे भी मार

दिया गया। दूसरी हत्या २५ नवम्बर को हुई—डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्त चटर्जी के मकान में दो बम फेंके गए। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट तो बच गया लेकिन एक हैड कास्टेबल मारा गया और तीन आदमी घायल हो गए।

सन् १९१५, इस युग का सबसे ज्यादा कलुषित वर्ष था और उसमें कितनी ही डकैतियाँ और सनसनी पैदा करने वाली हत्याएँ हुईं। बड़ी रकम ले जानेवाले लोगों को, अमेरिका के ढंग पर, पिस्तौल और मोटर कार की सहायता से आम सड़को पर लूटा गया, और जर्मन-बगाली पड़वच का भी इसी वर्ष पता लगा। अकेले कलकत्ता शहर में ही दस अराजकतापूर्ण आघात हुए, इनमें से दो में, अमेरिका ढंग पर मोटर टैक्सी की सहायता ली गई। तिरुोट हालदार के अतिरिक्त, पुलिस-दरोधा सुरेशचन्द्र मुकुर्जी, उप-दरोधा गिरिद्र वनर्जी तथा उनेन चटर्जी और एक कास्टेबल की हत्या की गई। कलकत्ता के इसी क्रान्तिकारी दल ने जिसका नेतृत्व जतीन मुकुर्जी और विपिन गान्गुली के हाथों से था, कलकत्ता के बाहर पांच आघात और किए। पूर्वी बंगाल में १६ आघात हुए—इनमें से तीन आघातों में सुयोजित हत्याएँ की गईं। पहली हत्या तो कामिला स्कूल के हैडमास्टर शरत् कुमार बसु की थी और दूसरी हत्या थोट्टे बिस्वास की थी जो मुखविर हो गया था। तीसरी हत्या विशेष रूप से गहिरी थी। मंगलसिंह की पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्ट अतीन मोहन अपने बच्चे को गोद में लिये हुए, अपने घर में बैठे हुए थे, उन पर गोली चलाई गई और उसके फलस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। उत्तरी बंगाल में, सबसे पहला क्रान्तिकारी अपराध भी १९१५ में हुआ। रागपुर के एडिशनल पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट राय साहब नन्दकुमार बसु को, जो अपने घर पर ही थे, गोली से मारने का प्रयत्न किया गया, पर वे बच गए। उनके नौकर ने गोली मारने वाले का पीछा किया पर उसे धुरी तरह घायल कर दिया गया। हत्या के इस प्रयत्न के अतिरिक्त रागपुर जिले में एक डाका डाला गया और एक डाका राजशाही जिले में भी डाला गया—इन दोनों डाकों में लगभग ७५००० रुपये की सम्पत्ति लूटी गई।

सन् १९१६ में छ हत्याएँ की गईं, जिनमें बसन्त चटर्जी की हत्या भी सम्मिलित थी, और कुछ डाके डाले गए जिनमें से कई डाके असफल भी रहे। इसी वर्ष बहुत से लोगों को जिन पर क्रान्तिकारी होने का संदेह था, सन् १८१८ के विनियम न ३ के अन्तर्गत अथवा सन् १९१५ के डिफेंस ऑव इंडिया ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया। सन् १९१७ में कुल ९ आघात १ सन् १८१८ के विनियम न ३ के अन्तर्गत ५६ व्यक्ति नजरबन्द किए गए थे, जिनमें से तीन को १९१६ में छोड़ दिया गया था। सन् १९१५ के ऐक्ट के अन्तर्गत २३८ व्यक्ति नजरबन्द किए गए थे—देखिये



हूए, जिनमें से दो में, पुराने नातिकारी मायिमों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया—एक ही अनेकितता के अचरस्य पर और दूसरे की विश्वासघात के अचरस्य पर, पहली हत्या का प्रयत्न सफल हुआ किंतु दूसरी हत्या के प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। इन हत्याओं के अतिरिक्त छ अनेकियों का प्रयत्न किया गया जिनमें से एक अत्यन्त सफल हुआ था। बन्दूकतो की आर्मीनिपन स्ट्रीट में एक मराफ की दुकान पर रात के नौ बजे हमला किया गया जिसके फलस्वरूप दो आदमी मारे गए, दो घायल हुए और बहुत से बहुमूल्य रत्ना और आभूषणों को लूट लिया गया। इन प्रयत्न में एक हमला करनेवाला भी मारा गया।

बंगाल के अराजकतापूर्ण अपराधों के इस वर्णन को पूरा करने के लिए मन् १९१५ के जर्मन-बंगाली पट्टवत्र की सशिक्षित बर्षा करना आवश्यक है।

७

विदेशों में रहनेवाले भारतीय नातिकारियों ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए महायुद्ध से लाभ उठाने का और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयत्न किया। भारत में व्यापक व्युत्थान होने की दशा में, यूरोप में अंग्रेजों की दक्षिण घटना स्वाभाविक था और जर्मन अधिकारियों ने इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नातिकारियों के लिए धन और शक्तों का प्रवण्य करने के विचार को स्वीकार किया। इस दिशा में जर्मन-भारतीय सहयोग के लिए बर्लिन की 'इंडियन नेशनल पार्टी' स्थापित की गई और इसे 'जर्मन जनरल स्ट्राइक' के साथ अनुवर्धित कर दिया गया। इस पार्टी के संगठनकर्त्ता थे मि फिलार्ड जो ज्यूरिच की इन्टरनशनल प्रौ इंडिया कमेटी के अध्यक्ष थे। अमेरिका की गदर पार्टी के सम्पादक हर दयाल, बरनतुल्ला, तारपनाबदास, के० सी० चक्रवर्ती और हेरम्बदास गुप्त आदि व्यक्ति इस नई पार्टी के सदस्य थे।<sup>१</sup> पार्टी ने बंगाल और पंजाब, दोनों ही प्रांतों में समकालिक व्युत्थान की योजना बनाई और उसके उपाय के निमित्त तीन केन्द्र बनाए। इनमें से एक केन्द्र बंगाल में, दंगाल के लिए था, दूसरा केन्द्र बंबई में, अमेरिका से पत्राव को फिर लौटने वाले सिक्ता के लिए था, और तीसरा केन्द्र काबुल में, उत्तरी भारत के मुसलमानों के लिए था। अमेरिका में दो भारतीय नथयुवकों को संगठन करने के लिए भेजा गया—सर्वेन्द्र नेन को बंगाल में संगठन करना था और पिगले को वही काम यू० पी० और पंजाब में करना था। नवम्बर १९१४ में वे अमेरिका से बलवत्ता आए और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने लगे। मन् १९१५ के आरम्भ में

१. Indian Sedition Committee Report, 1918, page 119

## क्रान्ति और दमन

यूरोप से जितेन्द्र नाथ लाहिरी को भेजा गया और उसके द्वारा, सहायता के लिए निश्चित जर्मन आश्वासन मिला।

बंगाल के क्रांतिकारियों ने जितेंद्र मुकुर्जी और नरेंद्र भट्टाचार्य के नेतृत्व में, बंगाल में वपुत्यान के लिए जर्मन-योजना में सहयोग देने का निश्चय किया। नरेंद्र भट्टाचार्य को सी मार्टिन के बदले हुए नाम से बटाविया भेजा गया और उसका नाम जर्मन अभिकर्ता थियोडोर हेलफेरिख से मिलकर योजनाओं को सुनिश्चित करना था। 'मैवरिक' और 'हैनरी एस०' नाम के दो जहाजों से भारत के लिए शस्त्र और धन भेजने का निश्चय किया गया। बटाविया से आनेवाले इस सामान को छुड़ाने के लिए 'हैरी एड सस' नाम की जाली कम्पनी बनाई गई। यह अनुमान किया जाता था कि बंगाल की सेना से निपटने के लिये क्रांतिकारी संगठन की शक्ति पर्याप्त होगी और दूसरे प्रांतों की सैन्य-सहायता को रोकने के लिए यह निश्चय किया गया कि बंगाल को शय भारत से जोड़नेवाले तीन प्रमुख रेल मार्गों के बड़े बड़े पुलों को उड़ा दिया जाय। सुन्दरवन क्षेत्र में राय मगल नामक स्थान पर, बटाविया से आनेवाले सामान को उतारने की और उसको एक निकटवर्ती स्थान में जमा करने की व्यवस्था की गई। बाद में उसी स्थान से, इन हथियारों का क्रांतिकारी सस्थाका में वितरण होना था।

'मैवरिक' जहाज सैन फ्रान्सिस्को से रवाना हुआ और उसमें इरानियों के वेश में पाँच भारतीय क्रांतिकारी, जहाज के परिचारकों के रूप में मौजूद थे, किंतु जहाज ने अपना नौभार नहीं लिया था। सोकोरो द्वीप के निकट 'मैवरिक' की 'एनी लासॉन' नामक स्कूजर (छोटा जहाज) से भट होनी थी। स्कूजर को न्यूयार्क से टीशर नामक जर्मन व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए हथियार लाने थे और उक्त द्वीप के निकट 'मैवरिक' को सापने थे। 'मैवरिक' ने इन हथियारों को अपने तले में एक तेल के खाँची कुंड में छिपाने की व्यवस्था की थी। किंतु 'एनी लासॉन' की 'मैवरिक' से नियत समय पर भेट नहीं हो सकी और अन्त में वह लौटकर वाशिंगटन प्रदेश में एक स्थान पर पहुँचा, जहाँ संपुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारियों ने उसके नौभार को जून १९१५ में पकड़ लिया। दूसरी ओर 'मैवरिक' जावा पहुँचा पर वह खाली था, बाद में उसे अमरीका वापिस भेज दिया गया।

'हैनरी एस०' को मनीला से रवाना होना था किंतु सीना-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने शस्त्र आदि के उसके नौभार को पकड़ लिया और उसे वही उतरवा लिया। यह सामान चटगाँव (पूर्वी बंगाल) के लिए निर्दिष्ट था। इन प्रयत्नों के असफल हो जाने पर, शपाई के जर्मन राजदूत ने हथियारों के

दो अन्य जहाज भेजने की व्यवस्था की। इनमें से एक का सामान हटिया में उतरना था और दूसरे का सामान बालासोर में उतरना था। किंतु वह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि इस बीच में भारत सरकार को सारे पड़्यत्र का पता लग गया और उसने उस पड़्यत्र को चुनलने के लिए समुचित प्रयत्न कर लिया। बंगाल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पकड़ने के प्रयत्न में दो ज्ञानिकारी मारे भी गए। इस पड़्यत्र से सम्बन्धित जो लोग रायाई में थे उन्हें वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन अधिकारियों ने अमेरिका के भारतीय ज्ञानिकारियों और उनके जर्मन-सहायकों पर सरकार की आर से दो मुनदमे चलाए—एक शिकागो में और दूसरा सैन फ्रान्सिस्को में।

८

उपद्रव का दूसरा केन्द्र पंजाब में था। सन् १९१३-१६ के बीच वहाँ का नातिकारी आन्दोलन, बंगाल के आन्दोलन से भी उदादा शक्तिशाली हो गया।

सन् १९०३-०८ में पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में एक पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है, किंतु उम समय वहाँ का आन्दोलन किसी भी रूप में नातिकारी नहीं था। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब के नातिकारी आन्दोलन की नींव सन् १९०८ में रखी जा चुकी थी। सिडीयात कमेटी ने<sup>१</sup> और साथ ही सर माइकेल ओ' डायर<sup>२</sup> ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अराजकतापूर्ण आन्दोलन से लाला लाजपतराय का सम्बन्ध था और उन्हीं के मकान से हरदयाल ने नवदुवकों को अराजकता के पथ पर अप्रसर करने का काम आरम्भ किया था। किंतु लाला लाजपतराय ने लिखा है — "यह सारा बयान बिल्कुल झूठा है।"<sup>३</sup> वह अपने बचन की सवाई को सिद्ध करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा है कि हरदयाल शहर में एक किराये के मकान में रहने थे जो उनके मकान से लगभग एक मील दूर था। यह सच है कि वह मि० चटर्जी आदि अपने नवदुवक मित्रों के साथ कभी-कभी उनसे मिलने आते थे। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत है कि मि० अजीतसिंह, भाडले से लौटने के बाद अराजकता पूर्ण आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे।<sup>४</sup> सन् १९०९ में वे ईरान भाग गए और वहाँ से पेरिस और जेनेवा होते हुए रिजो डी-जेनीरो (दक्षिण अमेरिका) चले गए। सर माइकेल ओ' डायर के अनुसार पहले महायुद्ध के दिनों में मि० अजीतसिंह का अमेरिका की गदर पार्टी से

१. See pages 144 and 145 of the Report.

२. O'Dwyer: India as I Knew it, page 186.

३. Lajpat Rai: The Political Future of India, page 163.

४. इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

सम्बन्ध था। अस्तु, दूसरे महायुद्ध के दिनों में वे इटली में थे। १५ अगस्त १९४७ के बाद उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी गई। लेकिन १९४८ में उनकी मृत्यु हो गई।

जहाँ तक पंजाब के श्रान्तिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, यह बात अब निर्विवाद है कि हरदयाल उस आन्दोलन के वास्तविक सस्थापक थे। हरदयाल दिल्ली के रहने वाले थे और उनका विद्यार्थी जीवन बड़ा उज्ज्वल था। सरकार से उन्हें विदेश-छात्रवृत्ति मिली और १९०५ में वे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन् १९०७ में छात्रवृत्ति छोट कर वे भारत चले आए। विदेशी राज्य का अन्त करने के उद्देश्य का प्रचार किया। अपने काम के लिए उन्होंने लाहौर के दो नवयुवकों को भर्ती किया—एक तो मि० जे० एन० चटर्जी थे जो बाद में वॉरिस्टर के अध्यक्ष के लिए इंग्लैंड को चले गए, और दूसरा नवयुवक या दीनानाथ जो बाद में मुख्तियार हो गया। उन्होंने इन नवयुवकों के शिक्षण का भार दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द वा सौपा। मास्टर अमीरचन्द स्वयं हरदयाल के शिक्षक रह चुके थे, लेकिन १९०८ में हरदयाल ने उन्हें श्रान्तिकारी बना लिया था। तदुपरान्त हरदयाल, आन्दोलन का सगठन करने के उद्देश्य से विदेश चले गए। अमीर चन्द ने दीनानाथ का शिक्षण जारी रखा और साथ ही अथर्व बिहारी और बालमुकुन्द नामक दो नवयुवकों को भी भर्ती किया। शिक्षण कार्य में, अमीरचन्द को, देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रासबिहारी को सहायता प्राप्त थी। रासबिहारी ने अपन बगाली नौकर बसन्तकुमार दास को भी श्रान्तिकारी दल में सम्मिलित कर लिया और धन और शस्त्रा की सहायता प्राप्त करने के लिए पंजाब के श्रान्तिकारी समुदाय का बगाल श्रान्तिकारी सगठन के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। इस प्रकार मास्टर अमीरचन्द और रासबिहारी को पंजाब के सर्वप्रथम श्रान्तिकारी दल का सहकारी सञ्चालक कहा जा सकता है।

सन् १९१३ में सरकार को इस श्रान्तिकारी दल का पता लगा और उसके सदस्यों पर पड़पत्र का मुकदमा चलाया गया। यह अभियोग, दिल्ली पड़पत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। "मुकदमे के सिलसिले में जो गवाहियाँ सामने आईं, उनसे इस बात का सदेह होना है कि (बाटसरॉय लॉर्डे हाइड्र पर बम फेंकने से सम्बन्धित) दिल्ली-कांड के लिए यही लोग उत्तरदायी थे। इन लोगों ने अत्यन्त उग्र तथा उत्तेजक पत्रें भी वाँटे थे। ये पत्रें कलकत्ता से प्राप्त किए गए थे। यह बात भी सिद्ध हुई कि इन्हीं लोगों की योजना के अनुसार बसन्तकुमार दास ने १७ मई १९१३ को कुछ यूरोपीयनों को मारने अथवा घायल करने के उद्देश्य से लाहौर के कार्ल्स गार्डेन की एक सड़क पर बम रखा था। उस बम से एक भारतीय चपरासी को,

जो अघरे ने गाइबुड पर जा रहा था, मृत्यु हो गई थी।<sup>१</sup>

इन अरराधा के लिए बन्धियों की बड़ा बड़ी दंड दिया गया। जमीर बन्द, अक्षय विहारी, बाल सुन्दर और बगलकृष्ण राज को फाँसी की सजा दी गई और दो-दो बाल मण्ड का बंडोर बागवान-बंड दिया गया। जिन लोगों को फाँसी का दंड दिया गया था ' उनमें से दो न स्वयं कोर्ट अरराध गये विद्या या किन्तु वे पर्यटन में सम्मिलित थे।<sup>२</sup> राम विहारी भाग गए। मर साइडेल जॉ हायर ने लिखा है 'वह अन्न भी छर्रा है—मेने हाउ ही में मुजा है कि यह टोकियो में है।'<sup>३</sup> हमारे महापुद्ग के दिनों में वे मुनापबन्ध दोन के मन्त्रों में वे ज्ञिज्ञान उद्दिश्य वैभनउ जामी (आजाद हिंद फौज) का संगठन विद्या या और वर्मा में भारतीय प्रजातन्त्र की सामयिक सरकार बनाई थी।

## ९

अपने तीन वर्षों में अमेरिका ने देशान्तरवासी मित्रता के बहुत बड़ी सफल में लौटने पर, पञ्जाब का क्रांतिकारी आन्दोलन और दरादा शक्तिप्राप्ति हो गया। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मित्रता न अमेरिका और मुद्दू पूर्व के लिए देशान्तर गमन विद्या। और बहुत से लोग थे जो कनाडा में बसने के लिए उत्सुक थे। लेकिन कनाडा के अधिकारीगण उनके मार्ग में अनेक बाधाएँ डाल रहे थे। वे भविष्य में, भाग्यवानियों को अपने देश में बसने में रोकने के जिसे तुके हुए थे। केवल दटना ही नहीं, बल्कि वे पहले बसे हुए भारतीयों को भी बगल के लिए हर तरह के उपायों को काम में ला रहे थे। वहाँ बसे हुए मित्रताओं को अपनी पत्नियों और बच्चों को भारत में लाने की आज्ञा नहीं थी। कनाडा में बसने के लिए आने वाले हुए एशिया निवासियों का दो सत्रे पूगे करना आवश्यक था। एक शर्त तो यह थी कि प्रत्येक देशान्तराधिकारियों के पास २०० डॉलर होने चाहिए और दूसरी शर्त यह थी कि अपने देश में कनाडा तक उनकी यात्रा अविच्छिन्न होनी चाहिए<sup>४</sup>। दूसरा अर्थ यह था कि भारतवासी कनाडा में बसने के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि भारत में सीधे कनाडा आने के लिए कोर्ट व्यवस्था नहीं थी। मत्. १९१३ में कनाडा से तीन मित्र प्रतಿನिधि आए और उन्होंने ब्रिटिश बोलचाल में रहने वाले भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय जनमत ज्ञापित किया<sup>५</sup> और भारत सरकार में यह अनुरोध किया कि यह इन संधि में उपयुक्त कायेंवाही करे। उन्होंने

१. Indian Sedition Committee Report 1918, page 144.

२. Lajpat Rai Political Future of India, page 173.

३. O'Dwyer: India as I Knew it, page 185.

४. Report of the Indian Sedition Committee, page 146.

५. सिंहासन बसेटी के अनुसार ये लोग मुद्दर पार्टी के सदस्य थे।

पञ्जाब सरकार के अध्यक्ष तथा वाइसरॉय, दोनों से भेंट की। पञ्जाब के विभिन्न स्थानों में उन्होंने सार्वजनिक सभाएँ की। किन्तु कनाडा की सरकार ने अपने प्रति वधो में कोई परिवर्तन नहीं किया। सरदार सुरदीपसिंह<sup>१</sup> नामक एक सिख सरजन ने सार्वजनिक भावनाओं से प्रेरित होकर, कनाडा के विनियमों से बचने के लिए 'कोमागाटा माल' नामक जहाज़ी जहाज़ को किराये पर लिया और उसके द्वारा यात्रियों को हाववाग, सार्घाई आदि स्थानों से सीधे बेंक्यूवर पहुँचाने का निश्चय किया। यह जहाज़ ४ अप्रैल १९१४ को हाववाग से रवाना हुआ और २३ मई को बेंक्यूवर पहुँचा और उसमें ३५१ सिख तथा २१ पञ्जाबी मुसलमान थे। स्थानीय अधिकारियों ने यात्रियों को जहाज़ से उतरने नहीं दिया क्योंकि उनके अनुसार यात्रियों ने विनियमों का पालन नहीं किया था। निवेदन किया गया विरोध किया गया और जब ये बातें चल ही रही थी, जहाज़ को, उसका शेष किराया (२२००० डालर) भी दिया गया। यह किराया बेंक्यूवर के भारतीयों ने दिया था जिसको बाद में दो प्रमुख उपद्रवियों ने अपने जिम्मे ले लिया।<sup>२</sup> जहाज़ को कनाडा-सट को छोड़ कर चले जाने की आज्ञा दी गई लेकिन सिखों ने आज्ञा का उल्लंघन किया। पुलिस को मार कर भगा दिया गया। तब आलाओं का पालन करने के लिए सरकारी जहाज़ में सहायक सैन्यदल भेजा गया। कनाडा की सरकार ने बापिजी यात्रा के लिए सन्दर्भ की व्यवस्था की और २३ जुलाई १९१४ को कोमागाटा माल ने कनाडा से एगिया के लिए यात्रा आरम्भ की। "इस समय तक यात्रियों का भेष बहुत बड़ गया था क्योंकि उन्होंने दल यात्रा के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया था। प्रत्यक्ष कानिकारी प्रभावों से यह भेष और भी व्याप्त बड़ गया। कानिकारी दल ने बेंक्यूवर में जहाज़ पर सारी से दाख भिजवाने का प्रयत्न भी किया था।"<sup>३</sup>

कोमागाटा माल के बापिज लौटने से पहले ही यूरोप में युद्ध आरम्भ हो गया। भारतीय अधिकारियों ने यात्रियों पर, बीच में किसी वन्दरगाह पर न उतरने की रोक लगा दी और उनसे सीधे बलकत आने के लिए कहा। २९ गिनवम्बर को जहाज़ ने बंगाल में लगर डाला। इस समय तक 'भारत प्रवेश' अध्यादेश बन गया था। उसके अनुसार भारत सरकार, राज्य-कारण की दृष्टि से आवश्यकता अनुभव करने पर, भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्थायित्व पर रोक लगा सकती थी। अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार ने सारे यात्रियों को एक

१ सरदार सुरदीप सिंह सिगापुर में जाकर बस गए थे और वे वहाँ के एक समूह के नेता थे।

२ Indian Sedition Committee Report, 1918, page 147.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४८

संगाल रेलगाड़ी न बँटकर, भीचे पत्रात्र बँट जाने की आज्ञा दी। यात्रियों को कोई किराया नहीं देना था। लेकिन 'निकरों' ने गाड़ी में घुसने से इन्कार कर दिया और बलबल में एक जट्टम के रूप में घुसने का प्रयत्न किया। उनको बलात् लौटाया गया। पलत उपद्रव हुए और दानो आग के आक्रमों भारे गए। बहुत से सिक्कों के पास अमेरिकन रिवाल्वर थे। ब्रह्मच के निफ़ें ६० आदमी, जिनमें १७ मुसलमान भी सम्मिलित थे स्पंगाल रेलगाड़ी से पत्रात्र गए। उपद्रव में १८ ब्रिक्स मारे गए, बहनों का उस समय प्रा बाद में गिनफताग कर लिया गया, और २९ आदमी, जिनमें गुरदील मिह भी सम्मिलित थे, घायल हुए। जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से अधिकांश को अगली जनवरी में क्रपण धर जान की आज्ञा दे दी गई; ३१ लोगों को जल में तडावन्द कर दिया गया।<sup>१</sup> इन प्रयाग कनाडा के विनिदनों से बरने के प्रयाग का अन्त हुआ।

१०

कोमागाटा मार्ग की घटना के कारण, ब्रिटिश सरकार के प्रति सिक्कों की भावनाएँ बड़ी तीव्र हो गईं, निक्का के अनुमान उनकी सारी विपत्तियों के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी। ब्रिदों न रहन बाल निक्कों<sup>२</sup> पर गुरद-गर्दी के शान्तिकारी प्रयाग न्य जब अधिक प्रभाव हो सकता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह पार्टी जर्मन सरकार की महायत्ना से भारत में क्रांति करने के लिए योजना बना रही थी।<sup>३</sup> पार्टी के शान्तिवागियों ने निक्को पर पत्रात्र वास्तविक प्राने के लिए जोर दिया और कहा कि उन सरकार को बलात् फँसने के लिए सहायता दें बिना साम्राज्य के प्रति अपनी पिछली नेवाओं के बरले उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया था। 'बिदेगा न बने हुए बहनों-से भारतीयों पर प्रभाव पडा और वे कनाडा, मद्रास राज्य, फिलिपाइन, हांगकांग और चीन से भारत लौट आए।'<sup>४</sup>

सन् १९१५-१५ में गुरद पार्टी के प्रचार की तीव्रता बढ़ गई। हरदयाल ने ही रामचन्द्र, समावरी और बरकतुल्ला की सहायता से गुरद पार्टी का संगठन किया था और उसका प्रयाग केन्द्र कॅलिफोर्निया में था। पत्रात्र में शान्तिवादी आन्दोलन<sup>५</sup> का उपक्रमण करने के बाद हरदयाल १९११ के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुँचे थे और कॅलि (कॅलिफोर्निया) में बस गए थे। वहाँ पर बने

१ Indian Sedition Committee Report, 1918, पृष्ठ १९८।

२ कनाडा में लगभग १००० निक्का बने हुए थे। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र, फिलिपाइन, हांगकांग और चीन में भी बहनों-से निक्का बसे हुए थे।

३. इसी अध्याय में व्यवसाय वर्गन किया जा चुका है।

४. उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १९९।

५. इसी अध्याय के आठवें विभाग की देखिये।

हुए सिकन्दो में एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन पहले से ही काम कर रहा था। हरदयाल ने उसे शक्तिशाली क्रांतिकारी केन्द्र बनाने के लिए अपना काम तुरन्त आरम्भ कर दिया। उन्होंने सारे समुक्तराष्ट्र में प्रचार करने के लिए एक परिक्रम का संगठन किया। सन् १९१३ में उन्होंने 'गदर' नामक एक पत्र 'युगान्तर आश्रम' से निकाला और उसे कई भारतीय भाषाओं में छापा। यह पत्र अमेरिका और सूदूर पूर्व में बसे हुए भारतीयों में और भारत के विभिन्न भागों और विभिन्न वर्गों में मुजब बाँटा जाता था। " 'गदर' की भाषा, ब्रिटिश-विरोधी और अत्यन्त उग्र होनी थी, उसमें मानवीय मनोभावों को हर सम्भव मुक्ति से भड़काया जाता था, उसके प्रत्येक वाक्य में हत्या और विद्रोह का प्रचार होता था, और सभी भारतवासियों से भारत जाने के लिए आग्रह किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि वे भारत में अंग्रेजों की हत्या करें, सरकार के विरुद्ध क्रांति करें और हर सम्भव उपाय को काम में लाकर ब्रिटिश राज्य का अन्त करें"।<sup>१</sup> हरदयाल ने इस समाचार-पत्र की सहायता से और सार्वजनिक तथा निजी सभाओं में व्याख्यानो द्वारा पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। हरदयाल के अधिकारियों ने उन्हें निर्वासित करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया लेकिन वे 'युगान्तर आश्रम' का काम रामचन्द्र को सौंप कर बरकतुल्ला के साथ स्विट्जरलैंड भाग गए और वहाँ से जर्मनी चले गए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है<sup>२</sup>, इन लोगों ने बर्लिन में इंडियन नेशनल पार्टी का संगठन किया और जर्मनी की सहायता से भारत में प्रबल क्रांति करने की योजना बनाई।

महायुद्ध के पहले तीन वर्षों में पञ्जाबके क्रांतिकारी आन्दोलन का निर्देशन दो परस्पर अमबद्ध केन्द्रों से हुआ, फलतः आन्दोलन की दो पृथक् धाराएँ थी—एक में तो मुख्यतः विदेशों से लौटे हुए सिक्ख थे<sup>३</sup> और दूसरी धारा में 'पैन-इस्लामिक' मुसलमान थे। सिकन्दो का निर्देशन अमेरिका से पिगले को भेज दिया था। इस धारा की सहायता के लिए गदर पार्टी ने अमेरिका से पिगले को भेज दिया था। इस धारा को रामबिहारी बोन का सहयोग भी प्राप्त था, जैसा कि पहले कहा जा चुका है रामबिहारी बोन को दिल्ली पड़्यन्त्र केस में फाँसी का दण्ड दिया गया था पर वे गिरफ्तार होने से पहले ही फरार हो गए थे। 'पैन इस्लामिक' पड़्यन्त्र का निर्देशन-केन्द्र काबुल में था और इसके नेता थे बरकतुल्ला और महेन्द्र प्रसाद। इस पड़्यन्त्र

१ Indian Sedition Committee Report 1918, pages 145-146.

२ इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिये।

३ इनमें कुछ मुसलमान और कुछ हिन्दू भी थे।



के सम्बन्ध में आगे चर्चा की जाएगी।

११.

महापुद्ग आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद, कलकत्ता, मद्रास और कोल्हा में, विदेशों में बने हुए निक्कों में भरे हुए जहाज आने लगे। सरकार को जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये लोग गदर पार्टी के अनुयायी हो गए थे और वे पञ्जाब में क्रान्ति करने के उद्देश्य से वापिस लौट रहे थे। २९ अगस्त १९१४ को 'विदेशियों' अध्यादेश इस लोगों पर लागू नहीं हो सकता था। अतः ५ नवम्बर १९१४ को 'मान्य प्रवेस' अध्यादेश बना कर जारी किया गया। इस अध्यादेश को सबसे पहले 'कोमागाटा मार्ग' जहाज के यात्रियों पर लागू किया गया।

२९ अक्टूबर को 'टोसा मार्ग' नामक दूसरा जापानी जहाज कलकत्ता आया, इसमें १७३ यात्री थे, जिनमें से अधिकांश, अमेरिका और सुदूरपूर्व से लौटने वाले सिक्के थे। इसमें क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता भी थे, जिनमें से प्रत्येक को, प्रान्त के एक निश्चित क्षेत्र में काम करना था। पुलिस की जानकारी में १९ नवंबर १९१५ तक, विदेशों से लौटे हुए ३१२५ आदमी पञ्जाब पहुँचे। पञ्जाब सरकार ने उनके मामलों की जांच करने के लिए प्रभावशाली निक्कों की म्याचीय कमेटीयों विसोपट्ट में नियुक्त की थी और जांच के फरम्बरूप १८९ आदमियों को जेल में रखा गया, ७०४ आदमियों पर अपने गाँव से बाहर न जाने के लिए रोक लगाई गई और २२११ आदमियों को नही भी जाने-जाने की स्वतन्त्रता दी गई।<sup>१</sup> इन प्रति-बन्धों के कारण, विदेशों से लौटने वाले लोगों की योजनाएँ चौपट हो गईं किन्तु कुछ समय बाद पिंगले और सानविहारी बोन की महायत्ना में नई योजनाएँ बना ली गईं। इस बीच में, आवश्यक निधि संग्रह करने के उद्देश्य से लूट और हत्या का क्रम आरम्भ कर दिया गया। २७ नवम्बर १९१४ को १५ आदमियों के एक दल ने मोगा तहसील के खजाने पर धावा बोला। एक थानेदार और एक जिलेदार ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, पर वे दोनों मारे गए। गाँववालों ने और पुलिस के आदमियों ने शत्रुओं का पीछा किया जिसके फलस्वरूप दल के दो आदमी मारे गए, सात पकड़े गए, बाकी भाग गए। २८ तारीख को अमृतसर जिले के एक गाँव में एक दल और इकट्ठा हुआ लेकिन पुलिस और घुड़मवारों के आ जाने के कारण वे लौंग भाग गए। ८ दिसम्बर १९१४ को एक पुलिस-अधिकारी पृथो राजपूत नामक एक सक्षम देशान्तरगामी को गिरफ्तार करने गया किन्तु उस पर हमला किया गया और उसे अथमरा कर दिया गया। १७ तारीख को हिंसार जिले के पीपली गाँव के एक

१. The Indian Sedition Committee Report 1918, page 155.

पंजाब सरकार ने इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार से एक नया, कठोर अध्यादेश बनाने के लिए कहा। एक ओर सरकार अध्यादेश बनाने में लगी हुई थी, दूसरी ओर विदेशों से लौटे हुए लोग अपनी योजना के अनुसार हड़तियों और हत्याओं के कार्यक्रम में लगे हुए थे। दिसम्बर १९१४ में और जनवरी तथा फरवरी १९१५ में पंजाब के केन्द्रीय जिलों में कितने ही डके डाले गए और रेलों की पटरियाँ उखाड़ने तथा पुत्रों को उड़ाने के प्रयत्न किए गये। इन कामों के अतिरिक्त, पंजाब के तीन महत्वपूर्ण सैनिक केन्द्रों में २१ फरवरी १९१५ को एक समकालिक व्युत्थान का पड़पन्त्र भी रचा गया।

यह पड़पन्त्र, लाहौर पड़पन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी योजना, पिगले और रासबिहारी बोस ने बड़े पल्लवपूर्वक बनाई थी। जनसंसार में बम बनाने के लिए एक फंफ्री खोली गई थी, लेकिन आन्दोलन का प्रचलन केन्द्र लाहौर में था और रासबिहारी बोस उसके मुख्य निर्देशक थे। उन्होंने "उत्तर भारत की विभिन्न छावनियों से नियत दिवस पर सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, इन छावनियों में अपने दूत भेजे। उन्होंने विद्रोह के लिए, बहूत-से गाँववालों के दलों का संगठन भी किया। बम बनाए गए, हथियार इकट्ठे किए गए, सड़े तैयार किए गए, मुद्द की घोषणा लिखी गई, पटरियाँ उखाड़ने और तारों को काटने के औजार इकट्ठे किए गए। इन लोगों ने लाहौर, फ़ैरोजपुर और रावलपिण्डी में समकालिक व्युत्थान की योजना बनाई थी, बाद में यह प्रकट हुआ कि उनका कार्य-क्षेत्र और भी ज्यादा बड़ा था।" एक गुप्तचर से सरकार को इस योजित व्युत्थान का पता लगा और सरकार ने रासबिहारी बोस के प्रचलन केन्द्र पर छापा मारा। 'तेरह आदमी पकड़े गए और चार मकानों की तलाशी ली गई। बारह बम पकड़े गए जिनमें से पाँच बम बगाली नमूने पर बने हुए थे। रासबिहारी और पिगले भाग गए लेकिन एक महीने बाद मेरठ छावनी में पिगले को पकड़ा गया और उसके पास कुछ बम भी पाए गए।"

✓ इस प्रकार व्युत्थान की योजना को आरम्भ में ही कुचल दिया गया लेकिन राजनैतिक हड़तियों और हत्याओं का रूप कुछ समय बाद तक चलता रहा। सरदार चन्दासिंह और सरदार बहादुर अठर सिंह जैसे प्रमुख सिक्ख सहयोगियों की हत्या की गई। पहले लाहौर पड़पन्त्र अभियोग के एक गवाह कपूर सिंह की भी हत्या की गई। अगस्त १९१५ तक आन्दोलन ठंडा पड़ गया और ३१ जनवरी १९१६ को पंजाब सरकार ने लिखा — "विदेशों से लौटे हुए सिक्ख

१ विस्तृत वर्णन के लिए देखिये—Indian Sedition Committee Report 1918, pages 152-53.

२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १५४

अब व्यवस्थित होने जा रहे हैं और माधारणतया मित्रों की भावनाएँ हम सब जिनकी सलाहप्रद हैं उनको पिछड़े कटे वर्गों में नहीं ग्यो।<sup>१</sup>

पंजाब सरकार व अन्य न्यति में परिवर्तन के ठो जारा ये। १९११ के 'मान ग्या एक' के अन्तर्गत सरकार ने बटागता से काम किया था। और साथ ही प्रान्त के राजभक्त गाँवों का अपने पक्ष में लड़िया था।

२०

जैसा कि पहलू बता जा चुका है पंजाब सरकार ने दिमम्बर १९१४ में वाट्स राय के विचाराय एक अध्यादेश का मनविदा प्रस्तुत किया था। उसका उद्देश्य विदेशों से लौटे हुए लोगों के राजनैतिक अपराधों के लिए, स्थिति अनिमो-निर्णय की व्यवस्था करना था। उनके द्वारा 'सदिय परिस्थितियों में शत्रुओं का बहन' एक नया, पृथक् अपराध बनाया गया, और स्थानीय सरकार की अनुमति में "(अ) राजनैतिक अपराध अर्ध-राजनैतिक अपराधों के लिए न्याय-यद्धि के निराकरण की, (ब) ऐसे अपराधों में अर्शल के निराकरण की, (स) सम्बन्धित व्यक्तियों से वर्तमान पद्धति की अपजा एक शीघ्रतर पद्धति से उमानत लेव की, (द) शान्तिकारियों को शरण देव वाले शान्तिवातियों और गाँव के अधिकारियों को सुरत दण्डन की" व्यवस्था की गई।<sup>२</sup>

भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में सुरत ही एक अध्यादेश बनाने की आदत्त-कता अनुभव नहीं की, लेकिन पंजाब सरकार आग्रह करती रही और २१ अक्टूबर को लाहौर पड्यत्र का पता लगने के बाद यह आग्रह और ज्यादा बढ गया। भारत सरकार इंग्लैंड के डिफेंस ऑफ सी रिएन्स ऐक्ट के टग पर डिफेंस ऑफ इरिया (भारत-रक्षा) ऐक्ट बनाने का विचार कर ही रही थी। अतः पंजाब और बंगाल की विरोध परिस्थितियों का गानना करने के लिए, भारत-सरकार ने, पंजाब सरकार के प्रस्तावित मनविदे की घागलों को उस ऐक्ट में सम्मिलित करने का निश्चय किया।

इस पृष्ठ भूमि में यह स्पष्ट है कि १९१५ का भारत रक्षा ऐक्ट केवल युद्ध की ही परिस्थितियों का मानना करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका उद्देश्य राजनैतिक अपराधों का दमन करना भी था और उसके लिए देश के माधारण प्रोत्तदारी कानूनों का अतिरमण करने की व्यवस्था की गई। यही मत्र, परिपद् में, इस विषय पर विवाद के सिलसिले में भारतीय प मन्त्र मोहन मालवीय ने प्रकट किया था। इस ऐक्ट को माझा शीघ्र विधान परिपद् की एक ही बँटव में (१८ मार्च १. Indian Sedition Committee Report, 1918, page

157.

२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १५१.

१९१५ को) बनाया गया और उसके विभाग न ३ के अनुसार, "किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराध पर प्राणदंड, निर्वासन-दंड अथवा सात वर्ष तक कारावास दंड" दिया जा सकता था।" इस पर प. मालवीय ने कहा, 'इस विभाग के द्वारा साधारण अपराधों के अभियोग-निर्णय के लिए फौजदारी पद्धति संहिता को धाराओं का वस्तुतः अन्त किया जा रहा है।'"<sup>१</sup>

देश अथवा साम्राज्य के सैनिक और समुद्री हितों के संरक्षण से सम्बन्धित धाराओं का परिषद् में कोई भी विरोध नहीं किया गया। मात्र ही उच्च राजनैतिक अपराधों के दंड और दमन से सम्बन्धित धाराओं का भी कोई विरोध नहीं किया गया। किन्तु बहुत से गैर-सरकारी सदस्यों ने विषय न्याय सभाओं की रचना उनके विधान, ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोगों के निर्णय और प्राणदंड देने के लिए उन न्याय सभाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित धाराओं का प्रबल विरोध किया।

यह मत प्रकट किया गया कि जिन अपराधों का देश की रक्षा से सम्बन्ध हो, उनका अभियोग निर्णय (इंग्लैंड के ढंग पर) सैनिक न्यायालय द्वारा होना चाहिए और अन्य अपराधों का निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा होना चाहिए। किन्तु विभाग न ४ के अनुसार, ऐक्ट के अन्तर्गत सभी अभियोगों का निर्णय विशेष न्याय सभाओं द्वारा होना था। प्रत्येक न्याय सभा में स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त, तीन कमिश्नर होने थे। बहुत से गैर-सरकारी सदस्यों के अनुसार कमिश्नरों के लिए जो अर्हता निश्चित की गई थी, वह असतोषप्रद थी। उनका मत यह था कि विशेष न्याय-सभाओं के सदस्य हाईकोर्ट के जज हान चाहिए, किन्तु ऐक्ट के अनुसार सैजन्स (सन-न्यायालय का) जज अथवा अतिरिक्त सैजन्स जज भी कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता था और न्याय-सभा के तीन कमिश्नरों में से केवल दो के लिए ही विधिक ज्ञान अथवा न्यायिक अनुभव की आवश्यकता थी।<sup>२</sup>

१. "Acts of 1915," page 8.
२. Indian Legislative Council Proceedings, Vol. LIII, page 490
३. "Acts of 1910", page 8.

जीवन-भर के लिए निर्वासित करने से, सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय की मांग पूरी नहीं हो सकती ? प्राण दण्ड में, एक अपरिवर्तनीय अन्याय की जोड़िन होती है। त्वरित एक सक्षिप्त अभियोग-निर्णय की व्यवस्था में यह जोड़िन और यथाशक्य दूर जानी है", विशेषकर ऐसे समय जब उच्चतर न्यायालय में अनौष्ठ करने की व्यवस्था न हो। ऐक्ट के विभाग न ६ के अनुसार कमिश्नरी का निर्णय 'अन्तिम और अपरिवर्तनीय' था।<sup>१</sup>

१३.

सन् १९१५ के भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत, विशेष न्याय-मन्त्री में, लाहौर पड़्यत्र और अन्य राजनैतिक अपराधों में सम्मिलित लोगों पर अभियोग चलाए गए। इन अभियोगों को ९ जल्यों में बांटा गया था किन्तु यहाँ पर तीन 'लाहौर पड़्यत्र' अभियोगों की मक्षिप्त<sup>२</sup> चर्चा करना ही पर्याप्त होगा।

पहले अभियोग के जल्ये में ६१ अभियुक्त थे। इस जल्ये में आन्दोलन के लघु-भाग वाले नेता सम्मिलित थे और उनमें पिगले और भाई परमानन्द भी थे। भाई परमानन्द १९१३ में भारत वापिस लौट आए थे और वे अमेरिका में हरद्वाल के प्रमुख मद्योगी माने जाते थे। विशेष न्याय-मन्त्री के निर्णय के अनुसार वे "पड़्यत्र-कारियों के नेता थे", अतः उन्हें प्राण-दण्ड दिया गया। वाइसरॉय ने इस दण्ड को घटा कर, आजीवन निर्वासन-दण्ड दिया, बाद में इसको भी खना कर दिया गया।

दूसरे अभियोग में ७४ अभियुक्त थे। २१ फरवरी की योजना के अक्षरगत ही जाने के बाद भी, विदेशी ने लौटे हुए लोग अपना प्रातिवारी काम करते रहे। उन्होंने विद्यार्थियों में और भारतीय सैनिकों में प्रातिवारी प्रचार का प्रयत्न किया और इन बातों के अनिश्चित वे लोग कई हत्याओं और उकँतियों के लिए भी उत्तरदायी थे।

तीसरे लाहौर-पड़्यत्र अभियोग में कुल १२ अभियुक्त थे पर वे लोग स्व जर्मन योजना से सम्बन्धित थे जिसके अनुसार बर्मा की ओर से भारत पर आक्रमण किया जाना था। आक्रमणकारियों का केन्द्र बेंगाल में था जहाँ जनाजा से लौटे हुए कुछ भारतीय प्रातिवारी एकत्र हो गए थे और जर्मन-अभिकर्तियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

इन पड़्यत्र-अभियोगों में अत्यन्त कठोर दण्ड दिए गए। कुल १७५ व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया था "जिन में से १३६ अभियुक्तों के अपराधों के लिये

१ "Acts of 1915", page 9.

२. विस्तृत वर्णन के लिए देखिये—Indian Sediton Committee Report 1918, pages 157-160.

चन्दा इकट्ठा किया गया और मौजना जाफर अली उसका एक किल्ला देने के लिए स्वयं ही बुस्तुन्तुनिर्माण गए। मुल्तान न इन नोटों की वृत्ततापूर्वक स्वीकार किया और उनमें १९१४ के आरम्भ में लाहौर का बादशाही मस्जिद के लिए एक तालान नजा।

तुर्किस्तान में मौजना जाफरअली के लीडन पर पन इस्लामिस्ट समाचार पत्र ब्रिटिश नीति की और भी श्यादा गांधी आलाचना करने लगे। पंजाब सरकार ने १९१३ में जमादार की जमानत जल्द कर ली। दुबारा जमानत माग गई और दी गई लेकिन पत्र की नीति में कोई अंतर नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय बाद सरकार ने प्रेम और जमानत दोनों को जल्द कर लिया। महायुद्ध आरम्भ होने पर मौजना जाफर अली और दोनों अंग्रेजी बंधुओं को उनके गांवों में नजरबन्द कर दिया गया।

महायुद्ध में तुर्किस्तान के शामिल होने पर बर्लिन के भारतीय क्रांतिकारियों ने पूर्वीय देशों में मुस्लिम व्यत्यान के लिए पन इस्लामिक भावनाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से महदप्रताप और बरखतुल्ला का काबुल भजन का निश्चय किया। महदप्रताप उत्तर प्रदेश के एक धनी जमींदार हैं और एक निरक्षर राजघरान में उनका विवाह हुआ था। महायुद्ध आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद वे स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ हरदयाल के सम्पर्क में आए। वहाँ से उन्हें बर्लिन ले जाया गया और एक प्रभावशाली भारतीय नरेश के रूप में उनका परिचय दिया गया। बरखतुल्ला भूसाठक रहने वाले थे और १९०९ में टोकियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे। जापान पहुँचने पर उन्होंने इस्लामिक फर्गनिटी नामक एक पत्र निकालना आरम्भ किया। सन १९११ में वे मिथ तुर्किस्तान और रूस गये और वृष्णवमाके सम्पर्क में आए। जापान लौटने पर उनका पत्र बन्द कर दिया गया और १९१४ में उनको प्राफेसर के पद से हटा दिया गया। तब वे तीन फर्गिस्ता पहुँच कर हरदयाल के सहयोगी और मदर पार्टी के नेता हो गए और बाद में उनके साथ बर्लिन चले गए। वहाँ से एक युवक जमन मडक के साथ उनको और महदप्रताप का काबुल भजा गया। इन लोगों के अंग्रेज मडक के काबुल जान का उद्देश्य दोहरा था—अफगानिस्तान के शासन की फोन्ना और उत्तरा भारत में प्राप्ति कराना।

पंजाब में पन इस्लामिक आन्दोलन जड़ पकड़ गया था। मुस्लिम तरण वय उत्तर्जित थे। एक गुप्त संगठन प्रातिकारी काम के लिए विद्यार्थी समुदाय में से अपने सदस्य भर्ती करने का प्रयत्न कर रहा था। उनमें लाहौर से १५ विद्यार्थी भर्ती किए जो कालजा में पढ़ने थे। इनके अतिरिक्त पेशावर और कोहाट में भी कुछ विद्यार्थी भर्ती किए गए और इन लोगों को बड़ टंड मड रास्तों से भारत का

उत्तरी पश्चिमी सीमा के बाहर भेजा गया, जहाँ वहाँवाले समुदाय का ब्रिटिश-विरोधी प्रचार केन्द्र था। इस केन्द्र में ये लोग काबुल गये, जहाँ आगमन में ही उन्हें नजरबन्द रखा गया पर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और कूठ घर्ना पर वहाँ भी थाने-जाने की स्वतन्त्रता दे दी गई।<sup>१</sup> उन लोगों का 'निलक लेटर' पत्र में सम्बन्ध था। "इस पत्र की योजना भारत में बनाई गई थी। और उसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य का अन्त करना था। योजना के अनुसार, उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत पर आक्रमण होना था और उम्मीद मगघ पर देश में मुस्लिम व्युत्थान होना था। इस योजना का वायांन्वित करने के उद्देश्य से अगस्त १९१५ में उर्वदुल्ला नामक एक मौलवी अपने तीन साथियों—अब्दुल्ला, फतेह मुहम्मद और मुहम्मद अली—को लेकर अफ़गानिस्तान पहुँचा।<sup>२</sup> उर्वदुल्ला, देवचन्द के एक मख़्तबी मक़तब का मौलवी था और उनमें उस मक़तब के बड़े मौलवी मुहम्मद हसन को भी ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं में भर दिया था। "१८ सितम्बर १९१५ को मुहम्मद हसन ने उर्वदुल्ला का अनुकरण किया और वह, मुहम्मद मियाँ और कुछ अन्य मित्रों के साथ अरब चला गया।<sup>३</sup>

मुहम्मद हसन के दल ने अरब में अपना काम शुरू किया और उनमें हड़जाज के तुर्की सैनिक गवर्नर शालिब पाशा में जिहाद की घोषणा भी प्राप्त कर ली। सन् १९१६ में मुहम्मद मियाँ, 'शालिबनामा' (जिहाद की घोषणा) को लेकर भारत लौट आया। उनमें इस घोषणा की प्रतियों का भारत और सीमा प्रान्त में वितरण किया और बाद में वह काबुल पहुँच कर उर्वदुल्ला के दल में सम्मिलित हो गया। 'शालिबनामा' में तुर्की और मुजाहदीन की उपलक्षियों का वर्णन किया गया था; उसके बाद एशिया, यूरोप और अमेरिका के मुसलमानों की तैयारियों का हाल बताया गया था; और अन्त में भारतीय मुसलमानों से यह अपील की गई थी— "मुसलमानो, जिस ईसाई सरकार ने तुम्हें गुलाम बना रखा है, उस पर आक्रमण करो। . . . दूढ़ निश्चय से, प्राणपण से प्रयत्न करो और मनुओं का संहार करो और उनके प्रति अपनी घृणा और मनुता को जता दो।"<sup>४</sup> 'शालिबनामा' ने भारतीय मुसलमानों से यह भी कहा कि वे मुहम्मद हसन का विद्वान करें और उनकी "धन और जन से हर प्रकार की सहायता करें।"<sup>५</sup>

इस काम के लिए काबुल में केन्द्र बनाया गया। उर्वदुल्ला और उसके मित्र वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे और उन लोगों ने तुर्क-जर्मन मंडल में, बर्लिन के

१. Indian Sediton Committee Report, 1918, page 175.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७६.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७७.

४. Indian Sediton Committee Report, 1918, page 178.

भारतीय प्रांतिकांतियों से और भारत के मुहाजरीन विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित कर लिया था। सन् १९१६ में रास्ते में 'गालियनामा' की प्रतियाँ बाटते हुए, मुहम्मद मियाँ भी काबुल पहुँच गया। इन सब लोगों ने मिलकर बड़े यत्नपूर्वक अपनी योजना बनाई। एक 'सामयिक सरकार' की स्थापना की गई और महेन्द्रप्रताप को उसका अध्यक्ष तथा बरखतुल्ला को उसका प्रधान मंत्री बनाया गया। इस 'सामयिक सरकार' ने रूसी तुर्किस्तान के गवर्नर के पास एक पत्र भेजा और साथ ही एक पत्र तत्कालीन जार (रूस नरेश) के पास भी भेजा—यह पिछला पत्र एक साने की तस्तरी पर लिखा गया था और उसमें रूस से यह कहा गया था कि "बहु अग्रजा के साथ अपनी मित्रता तोड़ कर भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दे।" 'सामयिक सरकार' ने मौलाना मुहम्मद हसन के जरिये से तुर्किस्तान सरकार के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। मौलाना मुहम्मद हसन को दो पत्र लिखे गए—एक पत्र उर्वदुल्ला ने लिखा और दूसरा पत्र मुहम्मद मियाँ ने लिखा। ये पत्र पीले रेशमी कपड़े<sup>२</sup> पर लिखे गए और उन्हें हैदराबाद (सिंध) के शेख अब्दुल्हीम के पास भेजा गया, और एक पृथक् पत्र में, उनसे यह कहा गया कि वे मक्का में मौलाना मुहम्मद हसन के पास उन रेशमी पत्रों को या तो किसी विद्वान्पत्र आदमी के जरिये से या खुद ही पहुँचा दें।

“मुहम्मद मियाँ के पत्र में, जर्मन और तुर्क मडला के आने की, जर्मन मडल के वापिस चले जाने की,<sup>३</sup> तुर्क मडल के ठहरने की, कार्यक्रम के अभाव की, भागे हुए विद्यार्थियों की, 'गालियनामा' के प्रचार की, प्रस्तावित 'खुदा की फौज' की और 'सामयिक सरकार' की खर्चा की गई थी। प्रस्तावित फौज में भारतवासियों की भर्ती की जानी थी, इसके अतिरिक्त इस्लामी शासक में ऐक्य स्थापित करना था। मुहम्मद हसन को ये सब बातें तुर्किस्तान सरकार को बतानी थीं। उर्वदुल्ला के पत्र में प्रस्तावित सेना का सूचीबद्ध विवरण दिया गया था। मदीना में सेना का प्रधान केन्द्र होना था और स्वयं मुहम्मद हसन को उसका मुख्य सेनापति बनना था। स्थानीय सेनापतियों के आधीन कुस्तुन्तुनिया, तेहरान और काबुल में केन्द्र बनाने थे। काबुल में उर्वदुल्ला को सेनापति बनना था। सूची में अन्य सैनिक पदों के लिए बहुत से लोगों के नाम दिए गए थे। लाहौर के विद्यार्थियों में से

१ Indian Sedition Committee Report 1918, पृष्ठ १७९

२ इसी कारण यह योजना, रेशमी पत्र (ज्यातु सिल्क लेटर) पत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

३ सन् १९१६ के आरम्भ में जर्मन मडल, काबुल से वापिस चला गया क्योंकि उसे वहाँ अधिक ठहरना निरर्थक प्रतीत हुआ।



एक को मेजर जनरल का पद मिलना था एक को कर्नल का और छै को लेफ्टिनेंट कर्नल का ।”<sup>१</sup>

कानुल पहुँचनेवाले मुहाजरीन विद्यार्थियों में पंजाब के उप-गवर्नर के मित्र, एक खान के दो लड़के भी थे । इन लड़कों के साथ एक नौकर भी काबुल गया था और उन्होंने इस नौकर के द्वारा खान व पाम सदेश भेजे—और खान ने उन लड़का के प्रत्यागमन के लिए सर माइकेल ओ’ हायर से प्रवन्ध कराना चाहा पर उसे सफलता नहीं मिली । अस्तु, ‘रिसमी पत्र’ (सिलक लेटर्स) इमी नौकर के द्वारा भारत भेजे गए थे और वे उसके कोट के अस्तर के अन्दर मिले हुए थे । खान से मिलने आने से पहले वह उस कोट को एक भारतीय रिपामत में छोड़ आया था । खान को दाल में कुछ काला दिखाई दिया और उसने नौकर को डरा भमका कर सारा भद मालूम कर लिया । अन्त में कोट भेगाया गया और खान ने उन ‘रिसमी पत्रों’ को निकाल कर अपने विभाग के कमिश्नर को सौंप दिया और उसन उन्ह उप-गवर्नर के पास भेज दिया ।<sup>२</sup>

इस प्रकार ‘सिलक लेटर्स’ पड्यन का पता लगा और पंजाब सरकार ने उस पड्यन को साकार न होने देने के लिए उपयुक्त प्रवन्ध कर लिया ।

## उन्नीसवाँ अध्याय

# वैधानिक आन्दोलन

१

दमन और गुधार की दोहरी सरकारी नीति के कारण भारत का राजनीतिक जीवन निरुद्ध हो गया था । बमाल में जहाँ आन्दोलन अत्यन्त उग्र था और जहाँ दमन भी अपने शिखर पर था, मावजनिक जीवन गुप्त धाराजा में ढकेल दिया गया था और उसके फलस्वरूप बहुत से नान्तिकारी अपराध हुए थे । अन्य प्रान्ता में, उचित प्रेरणा के अभाव में, राष्ट्रीय सस्वारों मुरझा गई थी । सिलक, माण्डले में एक लम्बी अवधि के लिए कंद व और चानू अरविन्द घोष स्वयं ही राजनीतिक जीवन से अलग हो गए थे । इन दोनों बातों ने ‘उग्र दंड’ को सत्रिय मन्त्र से वचित कर दिया था । मुसलमान और नरम दल के लोग मॉर्ले मिटो मुधारो में फँसे हुए थे और अपन पार्षिक अधिवेगना न, पुरानी शिवायता को दूर करने के सबब में कुछ प्रस्तावों का पारण करने के अतिरिक्त, सार्वजनिक कामों से दूर थे ।

१ Indian Sediton Committee Report, 1918. page 178

२. O’Dwyer India as I Knew it, page 178,

सबसे पहले मुस्लिम समुदाय में पुनरुत्थान की चप्टा प्रकट हुई। शिक्षित मुसलमानों के तरुण वर्ग ने यह अनुभव किया कि अन्य दंगवासियों के हितों से, उनके हित मूलतः भिन्न नहीं थे। इसके अतिरिक्त अब इस्लामीय देशों—विशेषकर तुर्किस्तान और ईरान—के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने उनका प्रभावित किया और उनमें राष्ट्रीय भावनाएँ भरी। उसी समय दो ऐसी बातें और हुईं जिनसे कारण भारतीय मुसलमान ब्रिटिश कमचारीत न से विमुख हुए और अपने देश के अन्य निवासियों के अधिक निकट आए—पहली बात थी अंगरेजों की त्रिपोली और बाल्बेन युद्ध के सिविलिसड में तुर्किस्तान विरोधी नीति, और दूसरी बात थी तुर्किस्तान के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के व्यवहार का संबंध में मुसलमानों के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों का सहानुभूति। अस्तु मुस्लिम तरुण वर्ग भारतीय राष्ट्रवादियों का साथ संधान के लिए प्रयत्न करने लगा और सन १९१३ में इस दिशा में पहला कदम उठाया गया।

तरुण नेताओं के उद्योगानुसार 'रीग के लिए नया संविधान बनाने के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य में दिसम्बर १९१२ में कलकत्ता में अखिल भारतीय मुस्लिम रीग की परिषद् की माटिंग करने का आयोजन किया गया। इस माटिंग में मुस्लिम समुदाय के सभी प्रगतिशील नेताएँ आए और इनमें मि० मुहम्मद अली जिन्ना भी थे जो अब तक रीग में दूर रहते थे।<sup>१</sup> उस समय के एक सदस्य का प्रस्ताव था और उन्होंने एक विपुल रूप में साम्प्रदायिक संस्था (मुस्लिम रीग) का सदस्य होने से इन्कार कर दिया था। इस माटिंग में का प्रस्ताव के राष्ट्रीय आदेश को स्वीकार किया<sup>२</sup> और रीग के लिए एक नए संविधान का संविदा तयार किया जिस २२ मार्च १९१३ को अखिल भारतीय मुस्लिम रीग के वार्षिक अधिवेशन में यह उत्साहपूर्वक अंगीकार किया गया। यह अधिवेशन उलनऊ में हुआ था और सर इब्राहीम रहमतुल्ला उसने सभापति थे।

नए संविधान में रीग के उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया — (१) इस देश के निवासियों में ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति राजभक्ति की भावनाओं का पोषण करना और उनका प्रामाण्य देना (२) भारतीय मुसलमानों के राजनतिक एवं अन्य अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना, (३) भारत के अन्य समुदायों और मुसलमानों में एक-दूसरे को प्रोत्साहन देना और पारस्परिक मित्रता बढ़ाना (४) उपयुक्त उद्देश्यों को किसी प्रकार की शक्ति पहुँचाएँ बिना

१ इस माटिंग में उपस्थित हाने वाले अन्य प्रगतिशील नेताओं में सर इब्राहीम रहमतुल्ला, माटिंगना मुहम्मद अली मजहर हक हसन इमाम मुहम्मद दाफी और वज़ार हसन थे।

२ रीग के नए संविधान का पुराने नेताओं ने प्रबल विरोध किया था।

ब्रिटिश राजमता के अन्तर्गत वैधानिक उपायों द्वारा भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन-व्यवस्था प्राप्त करना और इस उद्देश्य के लिए जय वाता के अतिरिक्त राष्ट्रीय एजेंसी को प्राप्तिमान देना, वर्तमान सामन्य व्यवस्था में रूपा सुधार करना और भारत के निवासियों में सामाजिक भावना का पोषण करना तथा उक्त उद्देश्य के लिए परस्पर सहयोग का प्राप्तिमान देना।<sup>१</sup>

मुस्लिम लीग के आदेश तथा उसकी नीति में इस परिवर्तन का कारण न हृदय से स्वागत किया और उगने अपन कराची अधिवेशन (दिसम्बर १९१३) में उसकी व्यक्त करन के लिए एक विशेष प्रस्ताव का पारण किया। इस अधिवेशन का समाप्तित्व नवाब सयद मुहम्मद बहादुर ने किया था।<sup>२</sup> अस्तु उक्त प्रस्ताव में यह वादा प्रकट की गई कि विभिन्न समुदायों के नतागण, राष्ट्रीय हित की मारा समस्याओं के साथ में एक समुक्त कार्य-योजना अपनाते के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे।<sup>३</sup>

राष्ट्रीय एजेंसी और समुक्त कार्यक्रम की दिशा में दूसरा कदम मि० जिन्ना और उनसे साथियों ने उठाया—उहान अतिरिक्त भारतीय मुस्लिम लीग से अपना अधिवेशन कार्यक्रम अधिवेशन के साथ एक ही जगह करन के लिए कहा। दिसम्बर १९१५ में दोनों संस्थाओं के अधिवेशन बम्बई में एक ही समय पर किए गए और उन कार्यक्रम के नतागण लीग के इस अधिवेशन का क्षेत्र के लिए हाल में घुस ता वह उल्लास और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया। अस्तु युद्धोत्तर काठ के लिए दोनों संस्थाओं ने परस्पर मिलकर एक सुधार योजना बनाने का और उस योजना को कार्यान्वित कराने के निमित्त सरकार पर जोर देने का निश्चय किया। दोनों संस्थाओं ने इस उद्देश्य के लिए कमेटियां नियुक्त कीं। इन्हान कलकत्ता में और बाद में (दिसम्बर १९१८ में) पत्तनऊ में अपनी बैठक की जहाँ कुछ ही समय बाद लीग और कार्यक्रम के वापिक अधिवेशन होन काठ के। सुधारा की एक समुक्त योजना सूचित की गई और उसमें भारत के विभिन्न विधान-भेदों में मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के नियम द्वारा हिन्दु मुस्लिम प्रश्न को तै किया गया। यह प्रतिनिधित्व मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से नहीं अधिक था। अस्तु कार्यक्रम और लीग, दोनों ने अपन अधिवेशनों में इस योजना का साक्षात् अनुमादन किया और यह समझौता कार्यक्रम लीग योजना

१ Indian Year Book, 1914, page 476

२ राष्ट्रीय एजेंसी की दिशा में मुस्लिम समुदाय के तक्षण नताजा के साहसिक एवं दगमन्ति पून कृत्य की सराहना के प्रतीक स्वरूप उन वष के लिए नवाब बहादुर का विशेष रूप से छाँटा गया था।

३ Besant How India Wrought for Freedom, page 564

के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भारत की दो बड़ी जातियों ने और दो बड़ी राजनैतिक सस्थाओं ने 'एक कार्यक्रम' अपनाया, और इस रूप में उनके द्वारा—विशेषकर उसी वर्ष नरम और उग्र पक्षों में फिर से ऐक्य हो जाने पर—ब्रिटिश भारत की राजनीतिक दृष्टि से जगो हुई सारी जनता का प्रतिनिधित्व हुआ।

२

सन् १९०७ में सूरत-विच्छेद के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एक विशद रूप से नरम-शली सस्था हो गई थी और उसके फलस्वरूप देश में उसकी प्रतिष्ठा घट गई थी। लेकिन उस सस्था ने अपनी आन्तरिक दृढ़ता और सामर्थ्य के बल पर, सन् १९१४ के अन्त तक, फिर देश के राजनैतिक जीवन में अपनी विगनवालीन प्रतिष्ठा और प्रधानता प्राप्त कर ली थी। इसके कई कारण थे और इनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि उग्र पक्ष ने किसी प्रतियोगी सस्था की स्थापना नहीं की थी और सरकार की दमन नीति के फलस्वरूप उग्र दल बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया था। इन परिस्थितियों में, देश में जो कुछ भी राष्ट्रवादी राजनैतिक जीवन था, उसे कांग्रेस का मध्यम मिला और कांग्रेस के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति हुई। विच्छेद के बाद कांग्रेस के नए सविधान में उसके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए थे और कार्य पद्धति के निश्चित नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया था। यह कांग्रेस सन् १९०८ के बाद प्रतिवर्ष किसी बड़े शहर में अपना अधिवेशन करती थी और राष्ट्रीय परिवादों को दूर करने के लिए हलचल करती थी और स्वदेश तथा उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति के सुधार के लिए मांग करती थी। इसके अधिवेशनों में राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति—जैसे फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, नुरेन्द नाथ बनर्जी, डी० ई० वाचा, मदन मोहन मालवीय, राजपतराय, सत्येन्द्र तिनहा, भूपेन्द्रनाथ बनसु, अम्बिकाचरन मजूमदार, कृष्णस्वामी ऐयर, एन० सूबा राव, सकरन नैयर, मुहम्मद अली जिना, जमरूल हक, ए० रसूल, हसन इमाम, सैयद महमूद, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास शास्त्री, सी० वाई० चिन्तामणि, सच्चिदानन्द तिनहा, तेज बहादुर सपरू, विरान नारायण दर, हरविशानलाल गोहरन नाथ मिश्र—भाग लेते थे। इन लोगों के अतिरिक्त कांग्रेस में भाग लेने वालों में, श्रीमती एनी बेसेन्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे, 'विश्वोत्सर्गिकल सोसाइटी' की प्रेसिडेंट थीं और भारत के धार्मिक, सामाजिक और शिक्षण क्षेत्रों की अग्रणी थीं। उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना था और १९१४ तक वे उसके धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षण विषयक पुनरुत्थान के कामों में व्यस्त थीं। किन्तु महायुद्ध के प्रथम वर्ष में उन्होंने राजनैतिक जीवन में प्रवेश करने का निश्चय किया और पहली बार (दिसम्बर १९१४ में) कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुईं—और जैसा कि प्रवेक्षित था, उन्होंने

तुरन्त ही कांग्रेस सगठन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। अगले चार वर्षों में वे कांग्रेस की परिपक्वता में और ब्रिटिश भारत के राजनैतिक जीवन में अग्रणी रही और सन् १९१७ के दिसम्बर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। भारतवासियों की राजनैतिक तंत्र को दूर करने का और सक्रिय काम के लिए उन्हें संगठित करने का श्रेय, श्रीमती एनी बीसेन्ट के अतिरिक्त केवल लोकमान्य तिलक को ही दिया जा सकता है। और यह श्रीमती बीसेन्ट के ही प्रयत्न और प्रभाव का परिणाम था कि सन् १९१६ में कांग्रेस के नरम और उग्र पक्षों का लक्षणक में सम्मिलन हुआ और श्री तिलक और उनके समर्थकों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ।

३

सन् १९०८ और १९१६ के बीच कांग्रेस की कार्य-प्रवृत्ति वही रही जो सन् १९०५ से पहले थी—किसी प्रमुख नगर में प्रतिवर्ष बड़े दिना की छुट्टियाँ में कांग्रेस-अधिवेशन होता था और उसमें सभी महत्त्वपूर्ण राजनैतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर सामान्य प्रस्तावों का पारण किया जाता था। सन् १९१४ में भारतीय परिवादों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के सन्दर्भ में ब्रिटिश जनमत जागृत करने के लिए एक शिष्ट मंडल इगुड भजा गया। इस मंडल के सदस्य थे— मि० भूपेन्द्रनाथ बसु एम० ए० जिन्ना एन० एम० समर्थ एस० सिन्हा मजबूत हक, माननीय श्री० एन० शर्मा और लाला लजपत राव। गहिल शतवद कुली व्यवस्था को समाप्त करने की बात को छोड़कर कांग्रेस को अग्र भागों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसके अन्य परिवाद यथावत् धन रहे। इन आठ वर्षों में (जब कांग्रेस पूर्णरूप से नरम दल वादों के अधीन थी) उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति और राजनैतिक सुधारों की समुक्त योजना जो देश की दो बड़ी राजनैतिक सम्भावनाओं को मान्य थी। विषय के निष्पक्ष विवेचन के हित में यह कठु सत्य कहना अनिवाय है कि सन् १९१६ की सामुदायिक एकता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय जीवन के एक मौलिक सिद्धान्त का हनन किया गया था। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पक्षक निर्वाचन क्षत्र धनान के प्रस्ताव का बराबर विरोध किया था। यह सच है कि कांग्रेस मुसलमानों को और अन्य अल्पसंख्यकों को उन्नत और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता अनुभव करती थी किन्तु उसने पृथक् निर्वाचन क्षत्रों को देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए घातक बताया था, और उनमें उनकी व्यवस्था की अराष्ट्रीय और अलोकतंत्रीय कह कर निन्दा की थी। किन्तु सन् १९१६ में कांग्रेस ने राजनैतिक चर्चों में ऐक्य प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को गुफ्तारक सिद्धांत १ बहुत से कांग्रेसी, साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षत्रों के दुष्परिणामों के प्रति पूरी तरह सजग थे, किन्तु उनकी दृष्टि में स्वराज्य के लिए यह मूल्य देना अनि

का और विधान-काय में साम्प्रदायिक नियमाधिकार को स्वीकार किया। इन तीनों रियायतों के मौलिक सिद्धान्त गलत थे और वे बहुत से काग्रसियों की जावन भर की निष्ठा के विरुद्ध थे। य रियायत काग्रस लीग योजना में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा आपत्तिजनक थी। किन्तु यह भाग्य का व्यंग्य है कि सरकार ने एक ओर तो योजना के अधिकांश भाग को अस्वाकार कर दिया और दूसरी ओर उसी योजना के साम्प्रदायिक समझौते को १९१९ के मुंधारो का अनिवाय अंग बना दिया।

सन १०१६ के काग्रसियों के पक्ष में यह कहना आवश्यक है कि उनका दृष्टि मय रियायत अस्थायी थी। उन लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार यह विश्वास जमा दिया गया था कि थोड़े ही समय में पथक निर्वाचन क्षत्रा की व्यवस्था का अंत हो जायगा और उनके स्थान पर वास्तविक राष्ट्रीय एवं लोकनग्रीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा।<sup>१</sup> अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त प्रत्यागा अत्यन्त अस्वाभाविक थी और उसका निरागा में परिणत होना अवश्य नावी था।

४

विचाराधान यग में असन्तोष क्रोध और अवमान की भावनाओं को सबसे ज्यादा उत्तजित करने वाला विषय था—दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जान वाला दुर्व्यवहार। दक्षिण अफ्रीका की उस अवस्था की चर्चा की जा चुकी है<sup>२</sup> जिसमें महात्मा गांधी को (काठे वानून के नाम से प्रसिद्ध) एगियाटिक रजिस्ट्रान एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने को विवग किया था। यह एक्ट मार्च १९०७ में ट्रांसवाल पार्लियामण्ट में बनाया था। जब सत्याग्रह के फलस्वरूप महात्मा गांधी सहित लगभग १५० आदमी जक पड्डेच गए तो सरकार ने सधि चर्चा की। महात्मा गांधी और जनरल स्मटस में समझौता हुआ और इसके अनुसार भारतीयों को स्वच्छापूर्वक अपना निबधन कराना था और सरकार को 'दाला शानून' रद्द करना था।<sup>३</sup> किन्तु जब महात्मा गांधी ने अपन साधियों के विरोध के होते हुए और साथ ही अपन प्राणों को जोखिम में डालकर<sup>४</sup> अपनी ओर से सबधित समझौते के

वाय था। उह यह आगा थी कि स्वराज्य के बाद साम्प्रदायिकता का कालान्तर में अपन-आप अन्त हो जायगा।

१ सन १९१६ के काग्रस-लीग समझौते के सवध में इस पुस्तक के पहले अंगरेजी संस्करण की आलोचना का मयावत रखा गया है।

२ इसी पुस्तक का बारहवां अध्याय देखिय।

३ जनरल स्मटस ने महात्मा गांधी से कहा था 'अधिकांश लोगों का स्वच्छापूर्वक निबधन कराने पर मैं एगियाटिक एक्ट को तुरन्त रद्द कर दूंगा। Satyagraha in South Africa page 242

४ Gandhi Satyagraha in South Africa, page 306

भाग को पूरा कर दिया ता जनरल स्मट्स न 'काले कानून' को रद्द करने से इकार कर दिया। इसी बीच ट्रांसवाल पार्लियामण्ट ने एक ऐक्ट और बना दिया था जिसके अनुसार प्रत्येक नए भारतीय को वहाँ बसने से रोक दिया गया था। एसी परिस्थितियों में, विवसा होकर फिर सत्याग्रह आरम्भ करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। इस धार यह सत्याग्रह दोनों एकटो के विरुद्ध होना था। सरकार को अन्तिमत्पम दिया गया कि यदि सुमश्रीते के अनुसार वाला कानून रद्द नहीं किया जाता और यदि इस विषय म सरकार का निणय एक नियत दिनांक तक प्राप्त नहीं होता तो भारतीया द्वारा प्राप्त किए हुए निवधन-पत्रो को जला दिया जायगा और वे लोग उसका फल भोगन की तैयार रह्य।<sup>१</sup> १६ अगस्त १९०८ को एकत्र किए हुए निवधन पत्रो को (जिनकी संख्या २००० से अधिक थी) जला दिया गया और सत्याग्रह फिर आरम्भ कर दिया गया। बहुत से लोग जल गये—बहुनो को भारत के लिए निर्वासित कर दिया गया। जल म हर प्रकार की कठोरता बरती गई—एक आबमी ठंड लगने के कारण न्यूमोनिया से मर गया। एक जल में सत्याग्रहियों को विवसा होकर भूल हडनाल करती पड़ी। मिस्टर गांधी और सेठ हाजी इबीब का जो शिष्ट मंडल इगलेंड गया था, वह भी खाली हाथ लौट आया। जेल जानेवाले सत्याग्रहियों के वृद्धुवो के लिए मिस्टर गांधी ने मि कैथेनबारव की जमीन पर टाल्लटाय फार्म को आरम्भ किया। सधर्य चलता रहा और जब तक एक-दो सत्याग्रही जेल जाते रहे।

दक्षिण अफ्रीका म दुबारा सत्याग्रह आरम्भ होन पर भारत के लोगों में हलचल हुई। देश के विभिन्न भागो में सभाएँ की गईं। सधर्य जारी रखन के लिए चन्दा इकट्ठा किया गया और दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। फरती १९१० में मि गोखले ने साम्राज्यीय विधान परिषद् में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके द्वारा नैटाल उपनिवेश के लिए 'सतंबन्द' मजदूरो की भर्ती रोकने के लिए स-परिषद् गवर्नर-जनरल को अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की। उस प्रस्ताव का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश में भारतीयो की स्थिति सुधारन के लिए वहाँ की सरकार पर दबाव डालना था। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया और नैटाल के लिए 'सतंबन्द' मजदूरो की भर्ती पर रोक लगा दी, पर वांछित फल प्राप्त नहीं हुआ। मि० गोखले ने दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए और वहाँ की घलुस्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत-मनी की सहायता मागी। अक्टूबर और नवम्बर १९१२ म मि० गांधी के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न भागो का दौरा किया। उन्होंने यहाँ के मधिमंडल से भी काफी लम्बी बातचीत की। जनरल बोधा से यह आश्वासन मिल जाने पर कि 'काला कानून' रद्द कर दिया जायगा और ३ पौंड

का टैक्स समाप्त कर दिया जायगा, मि० गोखले नवम्बर १९१२ में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए ।<sup>१</sup>

जनरल स्मट्स ने फिर बचन भंग किए और ३ पौंड के टैक्स को रद्द करने के लिए विधान प्रस्तुत करने से इस्वार कर दिया और यह कारण बनाया कि नैटाल के सदस्य उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध थे । विवश होकर सत्याग्रह के कार्यक्रम में इस टैक्स को रद्द करने की मांग को भी शामिल किया गया ।

इस समय तक सत्याग्रहियों का छोटा-सा दल लगभग निपट चुका था । किंतु सीधे ही एक नया परिवार उठ खड़ा हुआ और उसके कारण महात्मा गांधी को सत्याग्रह को फिर एक सक्रिय रूप में चलाने का अवसर मिला । और इस बार उन्होंने स्त्रियों से भी सहयोग देने के लिए कहा । १४ मार्च १९१३ को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मि सर्ल ने एक निर्णय द्वारा ऐसे विवाहों को जिन का निबन्धन नहीं हुआ हो और जिन को ईसाई ढंग पर न किया गया हो, अमान्य घोषित कर दिया । महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार से प्रार्थना की कि इस सम्बन्ध में भारतीयों के लिए एक विशेष विधान बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया । तब महात्मा गांधी ने भारतीय पुरुषों और स्त्रियों से इस विषय पर सत्याग्रह करने के लिए कहा । स्त्रियों के सब से पहले जत्ये में फ़ोनिक्स आश्रम में रहनेवाली १६ स्त्रियाँ थीं जिन में श्रीमती वस्तूरवा गांधी भी थी । इन सब को तीन महीने का कठोर वारावास्त-दंड दिया गया । दूसरे जत्ये में ११ स्त्रियाँ थी जो सन् १९०८-९ के सवर्ष के दिनों में टालस्टॉय फार्म में रही थीं । इन स्त्रियों ने न्यूकैसिल की खानों में काम करने वालों को भडकाने के लिए नैटाल की सीमा में प्रवेश किया । धर्मिकोंने (जिन की सख्या लगभग ६००० थी) वर्तुष्य की पुकार पर ध्यान दिया और हड़ताल कर दी । इन ११ स्त्रियों के गिरफ्तार हो जाने पर हड़तालियों के नेतृत्व के लिए महात्मा गांधी स्वयं न्यूकैसिल पहुँच गए ।

खानों के मालिकों ने हड़तालियों के साथ बठोर व्यवहार किया । हड़तालियों को उनके मकानों में से निकाल दिया गया और उन लोगों को अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ खुले मैदान में रहना पड़ा । टालस्टॉय फार्म की स्त्रियों के कारावास के कारण वे लोग और ज्यादा चिड़ गए थे और खानों में काम पर जाने के लिए तैयार नहीं थे । भारतीय परिवारों को दूर कराने के उद्देश्य से मि. गांधी ने उनके साथ ट्रांसवाल की सीमा पर आकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया ।

न्यूकैसिल से ट्रांसवाल के लिए इस 'शान्ति पूर्ण' सेना की ऐतिहासिक यात्रा २८ अक्टूबर की आरम्भ हुई । इस सेना का उद्देश्य टालस्टॉय फार्म पर पहुँचना था ।

१. Gandhi . Satyagraha in South Africa, page 408.



लेकिन सीमा पर हड़तालियों के गिरफ्तार कर लिए जाने का डर था। इस सेना में २०३७ आदमी, १२७ स्त्रियाँ और ५७ बच्चे थे। मि गांधी को मार्ग में तीन बार गिरफ्तार किया गया—दो बार जमानत पर छाड़ दिया गया लेकिन तीसरी बार उन्हें उरवन ले जाया गया और उनपर अभिवोग चलाया गया, जिस क फरस्वरूप उन्हें ९ महीने का कठोर कारावास दंड दिया गया। १० नवम्बर को हड़तालियों की भी गिरफ्तारी की गई और उन्हें तीन स्पेशल रेलगाड़ियों में भरकर न्यूकैसिल भेज दिया गया। वहाँ उनपर अभिवोग चलाया गया और उनको जेल भेज दिया गया। विन्तु साधारण जेलों में रखने के स्थान पर उन्हें खानों के बाड़े में बाटेदार तारों के घरे में रखा गया और खानों के यूरोपियन नौकरों को उनका रक्षक बनाया गया। मि गांधी ने लिखा है—‘ये मजदूर बहादुर आदमी थे और उन्होंने खानों में काम करने से साफ इन्कार कर दिया, जिस के फरस्वरूप उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उद्धत रथको ने मजदूरों में ठोकरें मारी, उन्हें गालियाँ दी और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार किए और उन गरीब मजदूरों ने इन कष्टों को शान्ति-पूर्वक सहन किया।’ दक्षिण अफ्रीका के अन्य भागों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों ने, न्यूकैसिल के मजदूरों के प्रति सहायुभूति के कारण, अपने यहाँ भी हड़ताल की। कुछ स्थानों पर गोलियाँ चलाई गईं और कुछ भारतीय मजदूर मारे भी गए। बहुत-सी स्त्रियों ने सत्याग्रह किया, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और दंड दिया गया। उनके साथ बड़ी निष्ठा का व्यवहार किया गया और थलियझा मुदालियर नामक एक सोलह वर्ष की लड़की को जेल में बुझार हुआ और बाद में जेल से छोड़े जाने पर वह शीघ्र ही मर गई। दक्षिण अफ्रीका का सारा भारतीय समुदाय उड़न यूरोपियनों के जातीयतापूर्ण संगठित अत्याचार का सामना करने के लिए, एक संयुक्त निकाय के रूप में उठ खड़ा हुआ।

दक्षिण अफ्रीका की क्रूर एवं अन्यायपूर्ण सरकार के विरुद्ध वहाँ के भारतीय समुदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशंसा की गई। सारे देश में विराट् सभाएँ की गईं। और उनमें भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ्रीका की सरकार के दुर्व्यवहार का विरोध किया गया। कूट में पड़े हुए अपने भाइयों के साथ भारतवासियों ने हार्दिक सहायुभूति प्रकट की। सत्याग्रहियों की सहायता के लिए चन्दे इकट्ठे किए और उसमें देशी नरेशों और गरीबों, सभी ने सहयोग दिया। सत्याग्रहियों के प्रति भारतवासियों की सहायुभूति म लार्ड हार्डिज ने अपना और अपनी सरकार का योग दिया। भारत सरकार के लिए यह एक असामान्य बात थी। २४ नवम्बर १९१३ को लार्ड हार्डिज ने महाजन सभा, भद्रास में एक व्याख्यान में कहा—‘हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका

१. *Gandhi • Satyagraha in South Africa*, page 476.

म आप के देग नाइयो न वहाँ के कानूनो को जिन्ह बह गहित और अन्यायनूा समनते ह तोड़न के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध करन का साठन किया है। वहाँ के कानूनो के प्रति उन लोगो के जो नाब ह उनमे हन लो नी असहमत नही हो सकते। वे शोग कानूना को तोड़न के परिणामा स भली भाति परिचित हैं और ब बीरतापूर्वक सारे दड सहन के लिए तयार ह। उनके इस सघष में भारत की प्रबल हार्दिक सहानुभूति ह। यद्यपि म स्वय भारतीय नही हैं कित् उनके प्रति आपके साथ ही मेरी सहानुभूति नी है।<sup>१</sup> लाड हाडिज न व्यान्यान के अन्त में इस बान की मा की कि इस सारे विषय की निष्पक्ष व्यक्तियो द्वारा जांच की जाए और जांच करनवाली कमटियो म भारतीय हिता को नी पूण प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी बीच मि गोपले न जिन्ह समुद्री तार द्वारा दक्षिण अफ्रिका के सघष के दैनिक समाचार मिलते रहते प मि एडिडिज और मि पिअसन से नंडाल और ट्रासवाल में भारतीयो की सहानुभूता करन के लिए दक्षिण अफ्रीका जान को कहा। भारत सरकार न भारतीय परिवारो को दूर करान के लिए सर बरमिन राबटसन को भजा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार न एक जांच कमीटी नियुक्त की, लेकिन उसकी रचना असतोषप्रद होन के कारण सत्याग्रहियो न उसके सामन गवाही दना अस्वीकार कर दिया। सरकार और मि गांधी में एक सामयिक समझौता हुआ जा सन् १९१३ के गांधी-स्मटस नमनोत के नाम से प्रतिष्ठ है। इसके अधिका नाग को सन् १९१४ के इडियन्स रिलीफ एक्ट में रूप दिया गया। एक्ट न तीन पौड के गहित टैक्स को रद्द किया भारतीय विवाहा को मान्यता प्रदान की (कित् एक पत्नी और उसके ही बच्चा को वैध माना जा सकता था) और विभाजन निश्चित होन पर अधिवासो प्रमाणक (Domicile Certificate) के आधार पर नियत में प्रवेश करन के अधिकार को स्वीकार किया।<sup>२</sup> मि गांधी और जनरल स्मटस में पत्र व्यवहार द्वारा अन्य बातें तै की गइ। जनरल स्मटस को मि गांधी न अपन अन्तिम पत्र म लिखा, 'इडियन्स रिलीफ विधयक के कारण स और इन पत्र व्यवहार ने उन सत्याग्रह सघष का अन्त हो गया है जिम का आरम्भ सितम्बर १९०६ में हुआ था और जिस के कारण भारतीय समुदाय को आर्थिक क्षति क अतिरिक्त कांफ्रों सारौरिक कष्ट उठान पड ह और सरकार को काफी चिन्ता और परेशानी का सामना करना पडा है।'<sup>३</sup>

जिस समय दक्षिण अफ्रीका में सघष हो रहा था, उना समय एक निष्क-

१ Modern Review, December 1913, page 638

२ Gandhi Satyagraha in South Africa, page 505

३ प्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५०६

मडल भारत का दौरा कर रहा था। यह मडल कनाडा से आया था और कनाडा के भारतवासियों की स्थिति और उनके कष्टों के सम्बन्ध में जनमत जागृत कर रहा था। इस मडल के सदस्य थे मि नन्दासिंह नारायण सिंह और बलवन्त सिंह। कनाडा में भारतवासियों की दशा के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है और वहाँ के विनियमों से बचने के लिए सरदार गुरदीत सिंह के प्रयत्न और कौनागाटा माह की यात्रा का भी वर्णन किया जा चुका है।<sup>१</sup> अस्तु, सन् १९१७ के साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मडल ने स्वशासक उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति के प्रश्न को विचारार्थ प्रस्तुत किया। सर सत्येंद्र ने इस विषय पर एक अत्यन्त योम्यतापूर्ण डग स लिखा हुआ श्रापन सम्मेलन के सामने रखा। विस्तृत एवं निस्तकोच रूप से विचार हुआ और उसके फलस्वरूप पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगले वर्ष सम्मेलन ने एक विस्तृत प्रस्ताव का पारण किया। और इस अधिकार को मान्यता दी कि प्रत्येक देश को अपनी जन रचना विनियमित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए किंतु भ्रमण, वाणिज्य और अध्ययन के मिलसिले में ब्रिटिश नागरिकों पर एक दूसरे देश में आने-जाने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। सन् १९१८ के प्रस्ताव ने अन्त में यह निश्चय किया —“अन्य ब्रिटिश देशों में पहले से बसे हुए भारतीयों को (भारत से) अपनी स्थियों और बच्चों को लाने का अधिकार होना चाहिए किंतु (अ) उक्त प्रत्येक भारतवासी की एक पत्नी और उसके ही बच्चों को सम्बन्धित उपनिवेश में प्रवेश करने का अधिकार होगा और (ब) प्रत्येक प्रवेश करने वाले को अपने किमान के लिए भारत-सरकार का प्रमाणक प्रस्तुत करना होगा।”<sup>२</sup>

इस प्रकार १९१८ के प्रस्ताव ने स्वशासक उपनिवेशों में भारतीयों की समस्या का सामयिक हल किया। यह हल वस्तुतः एकामी और भारत के लिए अहितकर था। उपनिवेशों में ऐसे बहुत से प्रदेश थे जहाँ कोई आबादी ही नहीं थी अथवा बहुत छिन्नी हुई आबादी थी। भारतवासी पिछले कितने ही वर्षों से इन स्थानों में बसने अथवा नौकरी करने के अधिकार के लिए प्रयत्न और बलिदान कर रहे थे। उक्त समझौते के अनुसार यह अधिकार उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया। बदले में भारत सरकार को अन्य उपनिवेशों के लोगों को भारत में बसने से रोकने का अधिकार दिया गया—यह एक ऐसा अधिकार

१ इसी पुस्तक के १८ वें अध्याय का नवाँ विभाग देखिए।

२ Resolution of the Imperial War Conference of 1918, quoted by “Emigrant” in “Indian Emigration” page 35

था जा बिल्कुल निरर्थक था। तथापि, सन् १९१८ के प्रस्ताव के पारण से, स्वशासन उपनिवेशों में पहले से बने हुए भारतीयों की स्थिति में, निश्चित सुधार हुआ।

५

पहले महायुद्ध के दिनों में, ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए भारतवासियों के देशान्तरगमन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, और अन्त में भारत सरकार को विवश होकर गृहित 'सर्तबंद धम व्यवस्था' को समाप्त करना पड़ा। सन् १८३३ में दस-प्रगट तोड़ने के बाद यह व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। उपनिवेशों का रोपक समुदाय भारत में अपने अभिवर्तानों द्वारा साधारणतया पाँच वर्ष के लिए नियत वेतन के आधार पर मजदूरों को भर्ती करता था। इस सर्तबंद प्रथा में पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद मजदूरों को भारत लौटाने की अवधि उपनिवेश में स्वतंत्र नागरिक की तरह बसने की अवधि फिर भर्ती कर लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

आरम्भ से ही यह स्पष्ट था कि देशान्तरगमन की उक्त सर्तबंद प्रथा अवाञ्छनीय थी। मजदूरों को भर्ती करने में जबरदस्ती और जालसाजी से काम लिया जाता था। बहुत-से अनभिन्न लोगों को धोखा दिया गया, बहुत-सी विवाहित स्त्रियाँ को लुभाया गया, बूढ़ माताओं और पिताओं के अकेले लड़कों को लालच दिया गया, स्टेशनों और तीर्थ स्थानों पर भौंड में बिछुड़े हुए सबंधियों का अपहरण किया गया, और एक गाँव से दूसरे गाँव को जानेवाले लोगों को बहनाया गया। वे लोग भर्ती गाँवों में ले जाए जाते थे और वहाँ पर इन लोगों से सर्त के पत्रों पर हर प्रकार के उपायों को काम में लाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे।<sup>१</sup> इन लोगों को न तो यात्रा की सर्त ही ठीक-ठीक बताई जाती थी और न यह ठीक-ठीक बताया जाता था कि वे लोग बिन सर्तों के अनुसार उपनिवेशों में रहने अवकाश प्राप्त करेंगे। उपनिवेशों में इस व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूरों पर जुमाने होते थे, उनको पीटा जाता था, कैद किया जाता था। भर्ती किए जानेवाले मजदूरों से इन बातों की कोई चर्चा नहीं की जाती थी। सारी व्यवस्था धोखे और जालसाजी पर टिकी हुई थी।<sup>२</sup> यह सच है कि भारत-सरकार ने स्थिति सुभालने के लिए प्रयत्न किया था और भर्ती के सबंध में कुछ प्रतिबंध<sup>३</sup> लगाए थे किन्तु जैसा कि २० मार्च

१ इस सबंध में विस्तृत वर्णन के लिए देखिए—Report of Messers Andrews and Pearson on Indentured Labour in Fiji.

२ श्री गोखले के अनुसार यह व्यवस्था बर्बर थी और धूर्तता पर टिकी हुई थी—देखिए—Speeches of Gokhale, page 520

३ इस सबंध में जो कानून बनाए गए, उनके सक्षिप्त इतिहास के लिए

१९१६ को साम्राज्यीय विधान परिषद् में प० मालवीय ने कहा, भर्ती करनेवाले धूर्त अभिकर्ता बड़ी रकमों के लालच से<sup>१</sup> उनको निष्फल कर देते थे। समुद्री यात्रा का प्रबन्ध अत्यन्त असन्तोषप्रद होता था। बहून-से लागों को घोड़ी-सी जगह में भर दिया जाता था, खाने और सोने का उचित प्रबन्ध नहीं होता था। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता था कि बहून-से लोग बीमार पड़ जाते थे और उनमें से बहून-से लोग मर भी जाते थे। उपनिवेशों में और भी ज्यादा सख्ताव हालत होती थी। कितने ही मजदूर पागल हो गये और कुछ ने आत्महत्या भी की। सन् १९०८-१२ के वर्षों में शर्तबन्द भारतीय मजदूरों की आत्महत्या का अनुपात, प्रति दस लाख ९२६ था<sup>२</sup> जो साधारण परिस्थितियों में आत्महत्या के अनुपात की तुलना में भयंकर प्रतीत होगा। बहून से मजदूर भ्रष्ट और पतित जीवन व्यतीत करते थे।<sup>३</sup>

जब भारतवासियों को उपनिवेशों में रहनेवाले अपने देशभाइयों की दशा का पता लगा तो उन्होंने उस गहित 'शर्तबन्द' मजदूर व्यवस्था का अन्त कराने के लिए हलचल की। कांग्रेस ने वार्षिक अधिवेशनों में व्याख्यान दिए गए और प्रस्ताव स्वीकार किए गए। समाचार-पत्रों ने आन्दोलन विद्या और साम्राज्यीय विवायिका सभा के निर्वाचित सदस्यों ने इस परिवाद को दूर करने के लिए सरकार पर जोर दिया। सन् १९१० में श्री गोलखले ने साम्राज्यीय विधान परिषद् में इस विषय पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसकी चर्चा की जा चुकी है। ४ मार्च १९१२ को मि गोलखले ने विधान परिषद् में एक और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके द्वारा भारत में 'शर्तबन्द' मजदूरों की भर्ती को पूर्ण रूप से वर्जित कर देने के लिए

देखिये—“Indian Emigrant” by an Emigrant, pages 15 to 25.

१ यू पी के पश्चिमी जिलों में एक पुरुष-मजदूर भर्ती करने की फौस ४५ रुपए थी और एक स्त्री-मजदूर भर्ती करने की फौस ५५ रुपए थी। Proceedings of the Imperial Legislative Council, vol. LIV page 400.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०४

३ श्री एण्ड्रिऊज और श्री पिअर्सन ने फिजी की हालतों का इस प्रकार वर्णन किया है—“हम फिजी की कुली वस्तियों के अपने पहले दृश्य को भूल नहीं सकते। स्त्रियों और पुरुषों—सभी के चेह्रों से उनके ग्रन्थ जीवन का निश्चित परिचय मिलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि पतित जीवन की महामारी का प्रकोप हुआ है। वैवाहिक ग्रन्थि की पवित्रता का कोई स्थान नहीं था—सर्वत्र पाशवित्रता का राज्य था। स्त्रियाँ अपने पतियों को बदरतीं रहती थीं और लड़कियों का वध-विषय होता था।”—उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०६

उनको पद-ग्रहण करने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार अधिवाग सदस्या के मनोनीत लाज लाजपत राय को अध्यक्ष पद के लिए छाँट जान से रोक दिया। एसी दशा में यह विचार किया जाता था कि बम्बई अधिवाग अंतुच्छद न० २० में सगोधन करना अम्बोवार कर देगा और उग्र पक्षवाग का अपना पृथक् सगठन बनाना होगा। किन्तु वाप्रस अधिवेशन से कुछ ही सप्ताह पहले सर फारोबसाह वा दहान्त हो गया। श्री गोखल की बई महीन पहल मृत्यु हो चुकी थी। अस्तु, श्रीमती बीसट और उनका समयको न वा प्रस में उग्र पक्ष के पुनरागमन के लिए बाछित सगोधन सरलता में स्वाकार करा लिया। दिसम्बर १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में उग्र पक्ष के लोगो न पुरी तरह भाग लिया और उत्तम तिलक को अत्यन्त उत्साहपूर्ण स्वागत और अपूब सम्मान प्राप्त हुआ।

७

सन १९१७ में राजनैतिक आन्दोलन अपन गिखर पर पहुँच गया। लोकमान्य तिलक और श्रीमती बीसेन्ट न बड़ बलपूर्वक पिछल तीन चार बरों में उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर लिया था।

जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है दमन और मुघार की दाहुरी नीति न देश के राजनैतिक जीवन को अत्यन्त सिथिल कर दिया था। धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से स्थिति में मुघार हुआ अकिन श्री गाधी के प्रख नतृत्व के अन्तगत दक्षिण अफ्रीका की घटनाओ से उसको विशप प्रोत्साहन मिला। दक्षिण अफ्रीका और अन्य उपनिवेशों में भारतीयों की अपमानजनक स्थिति से लोगो को साम्राज्य में अपनी वास्तविक स्थिति का पता गया और उनको इस बात का दढ़ विदवास हो गया कि जब तक वे स्वयं अपन देश के मालिक नहीं हाग तब तब विदेश में अच्छा व्यवहार प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती—नेवल स्व-शासन से ही उनकी प्रतिष्ठा बढ सकती थी।<sup>१</sup> सन १९०६ के बलवत्ता अधिवेशन में श्री दादाभाई नौरोजी न अध्यक्ष पद से इस बात को स्पष्ट गढरो में व्यक्त भी किया था किन्तु उस समय स्वराज्य का आदेश उग्र-पक्षी नतावा के अनुसार भी बहुत दूर माना जाता था। युरपीय महायुद्ध छिड़न पर सारी स्थिति बदल गई और मुद्दुर भविष्य का आदेश निक्कट भविष्य में व्यवहाय दिगारई बन लगा।

१ यह बात श्रीमती बीसेन्ट न इस आगठ भारतीय आओचना के उत्तर में कही थी कि भारतीय नतागण युद्ध की परिस्थितिया का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहत है। दखिए Annie Besant 'The Future of Indian Politics'—pages 52 to 66

महायुद्ध ने स्वशासन की माँग को जन्म नहीं दिया वरन् उसकी पूर्वस्वित माँग को एक नई महत्ता, अविचल्यता और वान्तविकता प्रदान की। युद्ध ने भारतीयों को दासता के अपमान और उसकी वीभत्सता के प्रति फिर से सचेत किया और उन्हें स्वशासन और स्वतन्त्रता का सच्चा मन्व्य बताया। यदि जर्मन सेनाओं ने इंग्लैंड जीत लिया तो क्या दया होगी? इसके उत्तर में अगरेज राजनीतिज्ञ जो चित्र खींचते थे, वह इतना भयंकर होता था, कि उस विपत्ति को रोक्ने के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं मालूम पड़ता था। इस सबध में दूसरी बात यह थी कि अगरेज राजनीतिज्ञों ने अपने पक्ष के लिए सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उस युद्ध को 'संसार में लोकतन्त्र की सुरक्षा करने के निमित्त' बताया। भविष्य में प्रत्येक बड़े अथवा छोटे राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना था, और किसी भी राष्ट्र को चाहे वह किना ही छोटा अथवा दुर्गल क्यों न हो, ऐसी दासता-व्यवस्था के अन्तगत, जिसका वह राष्ट्र अनुमोदन न करता हो, रहने के लिए विवश नहीं करना था। भारतीय नेताओं ने इन धापणाओं को यथावत् स्वीकार किया और भारतीय स्वशासन के लिए उनका उपयोग किया। श्रीमती एनी बीसेण्ट ने मद्रास प्रेसीडेन्सी में और श्री तिलक ने बम्बई प्रेसीडेन्सी में होम-रूल (स्वराज्य) के लिए जोरों में प्रचार किया। श्रीमती बीसेण्ट और लोकमान्य तिलक, दोनों ही चतुर राजनीतिज्ञ थे—दोनों ही महायुद्ध में हर प्रकार की सहायता करने के लिए उत्सुक थे, किन्तु दोनों ही का यह मत था कि महायुद्ध ने भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक दैवी अवसर प्रदान किया है और उसका लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। जब उनको अथवा उनके साथियों को युद्ध-सम्मेलनों में बुलाया जाता था तो वे स्वशासन और समान प्रतिष्ठा का प्रश्न सामने ले आते थे और उसको युद्ध की सहायता के प्रश्न के साथ जोड़ देते थे।<sup>१</sup> लेकिन अन्य भारतीय नेताओं की निष्ठा दृढ़तर थी—उन्हें चुपचाप गुरत सेवा करने और धैर्यपूर्वक पुरस्कार की प्रतीक्षा करने की नीति में विश्वास था। उनमें से कुछ को बाद में यह अनुभव हुआ कि उनकी निष्ठा गलत थी, किन्तु दुर्भाग्य से उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी।

श्रीमती बीसेण्ट सन् १९१४ के आरम्भ में कांग्रेस में सम्मिलित हुई थी और उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा और संगठन की सहायता से औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा

१ मि तिलक और उनके साथियों का यह मत था कि युद्ध में सहयोग देने के लिए भारतीयों को सेना में बराबरी का स्थान दिया जाना अनिवार्य था। उन्हें इस बात का निश्चय होना चाहिए था कि युद्ध के बाद वे एक स्वतन्त्र भारत में लौटेंगे।

डोमिनियन स्वराज्य प्राप्त करने की आशा की थी।<sup>१</sup> किन्तु सीधे ही वह इस निर्णय पर पहुँची कि नरम दली कांग्रेस में आगे बढ़ने और सर्वसाधारण को शिक्षित तथा संगठित करने के साहस का अभाव है। अतः उन्होंने 'न्यू इंडिया' नामक एक दैनिक पत्र को और 'कामनवेल' नामक एक साप्ताहिक पत्र को निकाला और एक नई राजनैतिक सस्था की स्थापना की। इस नई सस्था को अविलम्ब स्वराज्य की माँग के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वसाधारण में सारे वर्ष काम करना था। किन्तु होम रूल लीग स्थापित करने से पहले, उन्होंने कांग्रेस को वही काम करने के लिये अवसर देना स्वीकार किया और नियत समय बीत जाने के बाद ही सितम्बर १९१६ में होम रूल लीग का मद्रास में उद्घाटन किया गया। अप्रैल १९१६ में लोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी और वे दैनिक 'केसरी' और साप्ताहिक 'महर्द्रा' की सहायता से महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे। जेल से छूटने के समय से ही श्री तिलक राष्ट्रवादी (उग्र) पार्टी को फिर से संगठित और दृढ़ करने के लिए काम कर रहे थे और उनके प्रेरक एवं योग्यतापूर्ण नेतृत्व में पार्टी का बल और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। पूना और मद्रास दोनों ही स्थानों की होम रूल लीगों ने मिलकर देश में होम रूल के लिये प्रबल प्रचार किया। दिसम्बर १९१६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने सुधारों की एक संयुक्त योजना स्वीकार की और उन्होंने देश में उसके प्रचार के लिए होम रूल संगठन के उपयोग करने का निश्चय किया। सन् १९१६ के लखनऊ (कांग्रेस) अधिवेशन के बाद श्रीमती बीसेण्ट और श्री तिलक ने 'कांग्रेस लीग योजना' के समर्थन और देश की राजनैतिक एवं राष्ट्रीय जागृति के लिए और भी ज्यादा जोरों से प्रचार का काम किया।

वम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियों में होमरूल-आन्दोलन से उन प्रेसिडेन्सियों की सरकारों को परराहट हुई और उन्होंने श्रीमती बीसेण्ट और श्री तिलक की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाकर उन नए आन्दोलनों का परोक्ष रूप से दमन करने का प्रयत्न किया। मई १९१६ में, मि. तिलक के विरुद्ध कार्यवाही की गई और होमरूल-सभाओं में उनके कुछ व्याख्यानों पर आपत्ति की गई; और उनसे एक वर्ष तक सद्व्यवहार के लिए २०००० रुपये की एक व्यक्तिगत बॉण्ड भरने की और इतनी ही रकम की दो जमानतें जमा कराने की आज्ञा दी गई। बाद में, वम्बई हाईकोर्ट में अपील के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट की आज्ञा रद्द कर दी गई। लगभग इसी

१. श्रीमती बीसेण्ट ने सर फ़ोरोज़शाह और अन्य कांग्रेसियों के समक्ष अपना सारा कार्यक्रम रखा था जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षण विषयक कार्यक्रम भी सम्मिलित था, किन्तु उन लोगों ने धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम को अपनाने से इकार कर दिया था।



समय ( २६ मई १९१६ को ) 'न्यू इंडिया से २००० रुपए की जमानत मांगी गई, जो २८ अगस्त को ज्वन कर ली गई । दुबारा १०००० रुपए की जमानत मांगी गई और वह तुरन्त ही दे भी दी गई । श्रीमती वीसेण्ट ने जवानी की आशा के विरुद्ध मद्रास-हाईकोर्ट में अरील की और वाइ.मुं प्रिवी कौंसिल में भी अरील की, पर कोई सफलता नहीं मिली ।

श्री तिलक और श्रीमती वीसेण्ट के राजनैतिक कामों पर सरकारी रोक का, विलकुल उलटा प्रभाव हुआ । सन् १९१७ में उन दोनों ने राष्ट्रीय प्रचार के काम में अपने आप को पूरी तरह—नन मन से—लगा दिया और होमरूल का आन्दोलन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया । सन १९१७ के आरम्भ में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके फलस्वरूप लोगों में असंतोष की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई और होमरूल की मांग और ज्यादा जोरदार हो गई । सरकार ने सक्रिय निरस्तसाहन और साधारण दमन की नीति अपनाने की आवश्यकता अनुभव की । एक आज्ञा द्वारा स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को होमरूल-सभाओं में सम्मिलित होने से रोका गया । प्रान्तीय गवर्नरों ने होमरूल के प्रचार को निरस्तसाहित करने के लिए व्याख्यान दिए और आन्दोलन के नेताओं को चेतावनी दी । मद्रास-सरकार और भी आगे बढ़ी और उसने श्रीमती वीसेण्ट और उनके दो सहयोगियों को नजरबन्द करने की आज्ञा दी । राष्ट्रवादी नेताओं के अनुसार सरकार ने अ-ब्राह्मणों को होमरूल विरोधी आन्दोलन आरम्भ करने में सहायता दी और प्रेसीडेन्सी में साम्प्रदायिकता की ज्वाला को भड़काया । अस्तु, श्रीमती वीसेण्ट, श्री वादिया और श्री एरण्डेल को नजरबन्दी से सारे देश में विरोध और रोष का ज्वार उमड़ पड़ा और देश के विभिन्न स्थानों में विरोध-सभायें की गईं । राष्ट्रवादी नेतागण जो अबतक होमरूल संगठन से अलग रहे थे, अब उसमें सम्मिलित हो गए और उसके दायित्वपूर्ण पदों पर काम करने लगे । जुलाई में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी मीटिंग में होमरूल लीगा के काम की सराहना की और श्रीमती वीसेण्ट और उनके सहयोगियों की नजरबन्दी के सम्बन्ध में सरकारी कार्यवाही की निन्दा की । उसने श्री तिलक की प्रेरणा से वाइसरॉय और भारत-मन्त्री के समक्ष दृढ़ एवं गम्भीर प्रतिनिधित्व किया, भारत-सरकार की दमनकारी एवं प्रतिक्रियावादी नीति की निन्दा की और तुरन्त ही स्वराज्य की एक बहुत बड़ी किस्म प्रदान करने की मांग की । कमेटी ने कहा कि एक राजकीय उद्घोषणा द्वारा भारतीय राजनैतिक भागों को स्वीकार किया जाए और नजरबन्द नेताओं—श्रीमती वीसेण्ट और उनके सहयोगियों—को मुक्त किया जाए । कमेटी ने सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी कि यदि उक्त कार्यवाही जल्दी न की गई तो देश में १ इसी पुस्तक के संग्रहों अध्याय का सातवाँ विभाग देखिए ।

असन्तोष और अशान्ति की बड़वार बराबर होती रही। श्रीमती बीसेण्ट का १९१७ के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पद दिया गया, और श्रीमती बीसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के छुटकारे के लिए प्रयत्न जारी रखने का निणय किया गया।

जुलाई और अगस्त १९१७ में भारतीय राजनैतिक आंदोलन चींगी पर पहुँच गया। इन्ही दिना (जुलाई १९१७ में) मसोपोटामियन कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें इंग्लैंड तथा भारत दोनाही देशों में खलबली मचा दी और उसके फलस्वरूप भारतीय राजनैतिक मुद्दों को विशेष समर्थन और बल प्राप्त हुआ। लाड हार्डिज की सरकार और भारत मंत्री मि० चेंबरलेन ने जिस प्रकार मसोपोटामिया के युद्ध का संचालन किया था वही मंत्री ने उसकी तीव्र आलोचना की थी। लाड अबन में अपने एक व्याख्यान द्वारा लाड हार्डिज ने दोष के अधिकांश भाग को ब्रिटिश युद्ध विभाग के सिर मढ़ दिया किन्तु मि० माण्टगु ने, जो पहले उप-भारत मंत्री रह चुके थे हाउस ऑफ कॉमन्स में मसोपोटामियन कमिशन रिपोर्ट पर अपने (१२ मार्च १९१७ के) प्रसिद्ध व्याख्यान में तत्कालीन भारत सरकार की बड़ी तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे आधुनिक उद्देश्यों को दृष्टि से भारत सरकार अत्यन्त जड़, अत्यन्त निश्चेष्ट और अत्यन्त असमर्थ है।<sup>१</sup> उन्होंने यह मत प्रकट किया कि वाइसरॉय को काम करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए भारतीय विधायिका सभाओं को आंशिक नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाना चाहिए, इंडिया ऑफिस के व्यय का बोझ भारतीय राजस्व पर नहीं होना चाहिए और भारत परिषद् के अधिकारों को घटाकर, भारत-मंत्री को वास्तविक दायित्व सौंपा जाना चाहिए। इसी सम्बन्ध में उन्होंने इंडिया आफिस (भारत मंत्री के पूरे कार्यालय) के ढाँचे में सुधार करने के लिए कहा और तत्कालीन इंडिया आफिस की इन शब्दों में निन्दा की— प्रविधानीय व्यवस्था के अनुसार इंडिया आफिस की कार्य-प्रणाली में इतना धुमाव फिराव है और इतना वाग्जाल की सानापुरी करनी पड़ती है कि साधारण नागरिक उसका स्वप्न में भी अनुमान नहीं कर सकता।<sup>२</sup> मि० माण्टगु ने इस भारतीय माँग का समर्थन किया कि ब्रिटिश नीति तुरन्त घोषित की जानी चाहिए और भारत की ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब कुचक्रता का तर्क भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि मसोपोटामिया की घाघलेबाजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत सरकार अक्षम है।<sup>३</sup> उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, "यदि आप भारतवासियों की राजभक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें अपने भाग्य

१. The Indian Annual Register, 1919, page IX

२ Ibid page XI

Indian Annual Register, page XII.

नियंत्रण के लिए अधिक अवसर दीजिए—असमर्थ परिपदा के रूप में नहीं बरन् स्वयं कार्यकारिणी के अधिकाधिक नियंत्रण के रूप में।” अन्त में उन्होंने कहा — “यदि आप आधुनिक अनुभव के आधार पर इस एक शताब्दी पुरान और प्रतिरोधपूर्ण ढांचे में परिवर्तन नहीं करग तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भारतीय साम्राज्य के नियंत्रण का अधिकार छो देंगे।”<sup>१</sup>

भारतीय राष्ट्रवादी पत्रों ने प्रचार के लिए मि० मॉण्टगु के व्याख्यानो का लाभ उठाया। उसकी प्रशंसा की गई और उसको विस्तृत रूप से उद्धृत किया गया। देश की सरकारी व्यवस्था में सुगन्त परिवर्तन करन की आवश्यकता बतान के लिए उसका उपयोग किया गया। इस प्रकार होम-रूल और नज़रन्द नताओ की भूमि के आन्दोहन का प्रथम प्रोत्साहन मिला।

इसी बीच यूरोप में युद्ध स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई और इंग्लैण्ड को भारत से अधिक सहायता प्राप्त करन की आवश्यकता हुई। भारतवासी सहायता के लिए तैयार थे किन्तु इस बात का निश्चित आश्वासन चाहते थे कि निकट भविष्य में उन्हे स्वराज्य मिल जाएगा। मि० लॉयड जॉर्ज व समय के प्रवाह को अनुभव किया और मि० चैम्बरलैन के स्थान पर (जिन्हान मेसो-पोटामियन कमीशन रिपोर्ट से सम्बन्धित आलोचनाओं के कारण त्यागपत्र दे दिया था), मि० मॉण्टगु को भारत मंत्री नियुक्त किया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल न अन्य कामो में व्यस्त होते हुए भी, भारतीय नीति की नई घोषणा का मसविदा तैयार करने का काम हाथ में लिया और साथ ही श्रीमती बोसेण्ट और उनके सहयोगियो को छाड़ने के सम्बन्ध में भारत-सरकार से लिखा-पढी की। इसके अतिरिक्त सरकार न मेना के ‘कमीशंड’ पदा पर भारतीयों को नियुक्ति के सम्बन्ध में रोक हटाई और ९ व्यक्तिया को, जिन्हाने युद्ध में ब्रिटिश सेवा की थी, उक्त ‘कमीशंड’ पद प्रदान किए। २० अगस्त १९१७ को, मि० चार्ल्स रॉबर्ट्स के एक प्रश्न के उत्तर में मि० मॉण्टगु ने हाउस ऑव कॉमन्स में यह ऐतिहासिक घोषणा की — साम्राज्य सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयो को अधिकाधिक साथ लिया जाए और स्वशासन सस्थाओ का प्रमत्त विकास किया जाए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में कम-उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके।”<sup>२</sup> यह और बहना चाहेगा कि इस नीति की प्रगति प्रमत्त कई किस्मों में ही हो सकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, जिन पर भारत के विभिन्न लोगो की उन्नति और भलाई का उत्तरदायित्व है प्रत्येक किस्म के समय और परिमाण का निर्णय करेगी जिसमें वे इस बात को

१ Ibid, page XIII.

२. Ibid, page, XIV.

ध्यान में रखनी कि जिन लोगों को सेवा के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनमें कितना सहयोग प्राप्त हुआ है और उन पर उत्तरदायित्व का कितना बोझ डाला जा सकता है।”<sup>१</sup>

उसी समय भारत मंत्री न यह भी बताया कि सम्राट्-सरकार न उनको परामर्श और जांच के उद्देश्य से तुरन्त ही भारत भ्रमण का निश्चय किया है।

२० अगस्त १९१७ को घोषणा से भारतीय राष्ट्रवादियों के दिल में फिर एक बार फूट पड़ी। नरम पक्ष के राष्ट्रवादियों ने उस घोषणा का ‘भारत क मंगला कार्टा’ के रूप में स्वागत किया, उन्होंने सरकार से उसके उद्देश्यों को साईं के रूप में, नजरबन्दा को छोड़ने की माँग की और भारत-मंत्री के अभ्यागमन के लिए लोगों को जागृत करने के निमित्त अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करने का निश्चय किया।”<sup>२</sup> दूसरी ओर उग्र पक्ष के मतानुसार उक्त घोषणा, भाषा और तत्वदाना ही की दृष्टि से असन्तोषप्रद थी और उन्होंने नजरबन्दों के छुटकारे के लिए और साथ ही भारतीय आवाजाही और माँग की श्वेतर मान्यता के लिए आन्दोलन जारी रखने का निश्चय किया।

नजरबन्द नेताओं के छुटकारे का आन्दोलन कुछ अशा में सफल हुआ। ५ मितम्बर १९१७ को भारत सरकार ने नजरबन्दों के छुटकारे के निमित्त मद्रास-सरकार से इस शर्त पर सिफारिश करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की कि ‘वे नेतागण युद्ध के अवशिष्ट समय में राजनैतिक आन्दोलन के लिए उग्र एवं अवैधानिक उपायों को काम में नहीं लाएँगे।’<sup>३</sup>

दोना होम-रूल सस्थाआ ने भारत में राजनैतिक जागृति और प्रचार के अपने कामों को जारी रखा और साथ ही इंग्लैंड में भी प्रचार-कार्य करने का निश्चय किया। श्री तिलक और श्रीमती बीसेण्ट, दोना ही इस अवसर पर इंग्लैंड में जनमत शिक्षित करने की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे और उन्होंने पुराने वाग्रसिद्धा पर इंग्लैंड में एक सिष्टमडल भेजने की वाछनीयता पर जोर दिया। सन् १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में वाग्रसेन ने एव सिष्टमडल भेजने का निश्चय किया था, किन्तु बाद में सर विलियम वेडरबर्न की मंत्रणा से उसका विचार छोड़ दिया गया। इस बीच इंग्लैंड में निरुत्त आग्र-भारतीयों तथा अन्य प्रतिनिधायवादियों ने भारत-

१. Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 1.

२ India in the years 1917-18, page 37.

३ अली-बखुआ ने सरकार की आश्वासन देने से इन्कार कर दिया था, अतः उनको मुक्त नहीं किया गया।

India in the years 1917-18, page 41.

विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया। इन लोग न सुधार-नीति का विरोध करने के लिए इंडो ब्रिटिश-एसोसियेशन की स्थापना की और लाड सिडनहैम को उसका अध्यक्ष बना दिया। अस्तु, श्री तिलक न इंग्लैंड के मजदूर दल के सम्पर्क स्थापित करने के लिए और वस्तुस्थिति देखन के लिए मि० दंप्टिस्टा को इंग्लैंड भजा। इसके अतिरिक्त एक होम हल शिष्टमंडल भजन के लिए घन इकट्ठा करने के उद्देश्य से उन्होंने महाराष्ट्र का व्यापक परिचरम किया, इसी प्रकार धीमेष्ट न भी प्रयत्न किया। दोनों होमहल लीगो न सन् १९१८ के वसंत में अपन शिष्ट मंडलो को इंग्लैंड भजन का निश्चय किया। और सरकार न आवश्यक पारपन भी प्रदान कर दिए। पहला शिष्टमंडल माच में चला गया और दूसरा शिष्टमंडल कोलम्बू से प्रस्थान करन वाला ही था कि ब्रिटिश युद्ध कंबिनेट के आदेशानुसार पार-पत्र रद्द कर दिए गए। इस प्रकार होम हल लीगा को ब्रिटिश जनता के समक्ष अपन दृष्टि-कोण व्यक्त करने से रोक दिया गया और उनसे इंडो ब्रिटिश एसोसियेशन के कुटिल प्रचार का प्रत्युत्तर देन के अवसर को छीन लिया गया।

१० नवम्बर १९१७ को माण्टगु मिदान भारत आया और उसन परामर्श और जांच का काम आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप भारतमन्त्री और वाइसराय न सुधारो की एक समुक्त योजना प्रस्तुत की जो 'मिदान' के अन्य सदस्या—लाड डॉनोमोड, सर विलियम ड्यूक मि० (बाद में सर) भवेन्द्रनाथ बसु और मि० चार्ल्स रॉबर्ट स—को भी मान्य थी। इसी योजना को बाद में सन् १९१९ के मर्वन मेष्ट ऑब् इडिया एक्ट न रूप दिया गया।

### दोसरा अध्याय

## मॉण्टफोर्ड सुधार

१

मॉल्ले मिष्टो सुधारो का उद्देश्य भारत में सासद्-व्यवस्था स्थापित करना नहीं था। यह बात स्वयं लाड मॉल्ले न लॉर्ड भवन के अपन व्याख्यान में स्पष्ट कर दी थी। दूसरी ओर सन् १९१९ के सुधारो के समुक्त प्रवर्तको के अनुसार उन (मॉल्ले मिष्टो) सुधारो का उद्देश्य एक एसा विधान बनाना था, जिसके जारो ओर पिछड़ हुए विचारो के प्रतिगामी लागू एकत्रित हो सके और भविष्य में किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का विरोध करे।<sup>१</sup> लॉर्ड मॉल्ले और लॉर्ड मिष्टो दोनो ही, शासन में केवल एसे भारतीयो को साथ लेना चाहते थे जो भविष्य में शक्ति के समतुल्य को बदलन का और भारतीय सत्वाओ के लोकतन्त्रोकरण का विरोध करेग।<sup>२</sup> किन्तु भारत के नरम

१. The Report of the Indian Constitutional Reforms, 1918, page 48

पक्ष के राष्ट्रवादी बड़ी आशाएँ लगाएँ बैठे थे और उनका यह विश्वास था कि लार्ड माले का प्रत्याख्यान लाइ भवन में विरोध शान्त करने के लिए था और सुधारों से सरकारी ढाँचे में परिवर्तन होगा और निर्वाचित सदस्यों को शासन में उत्तरदायित्व-पूर्ण सहयोग का अवसर मिलेगा।<sup>१</sup> श्री गोसले ने यह आशा की थी कि द्वितीय विषयों में भारत सरकार के नियंत्रण का स्थान परिषद की आलोचना और विवेचना के नियंत्रण को मिलेगा।<sup>२</sup> जातीय दृष्टिकोणों को पृष्ठभूमि में रखा जाएगा और सर्वोच्च परिषदों में प्रत्यक्ष प्रश्न के भारतीय दृष्टिकोण को उचित महत्त्व प्राप्त होगा।<sup>३</sup> और प्रान्तों में ऐसा कोई विधान नहीं बनाया जावेगा जिसके विषयों में गैर-सरकारी बहुमत हो और निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय विषयों पर प्रभाव डालने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा।<sup>४</sup> विन्तु एक्ट के लागू होने के बाद कुछ ही महीना में श्री गोसलेके विचार बदल गए। अगस्त १९१० में उन्होंने साम्राज्यीय विधान परिषद में कहा — श्रीमान्! अब हम इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि जब सरकार एक बार कोई निश्चय कर लेती है तो परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य चाहे जो कहे विन्तु उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होता।<sup>५</sup> प्रान्तीय परिषदों को दशा भी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि निर्वाचित सदस्यों का कहीं पर भी कारगर बहुमत नहीं था और इसके अतिरिक्त लगभग सभी विषयों में अन्तिम सत्ता साम्राज्यीय सरकार के हाथों में थी।

इस प्रकार माँ मिण्टो सुधार भारत के अत्यन्त नरम पक्षी राजनीतिज्ञ को भी सन्तुष्ट न कर सके। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि साम्राज्यीय विधान परिषद में एक ठोस और दृढ़ सरकारी ब्यूह था। इस ब्यूहसे बचन, उसको तोड़ने अथवा बधन का कोई उपाय नहीं था। सरकार और गैर-सरकारी भारतीयों के बीच यह ब्यूह चीन की दीवार की भाँति स्थायी रूप से जमा हुआ था। परिषदों में जो चर्चा होती थी वह वस्तुतः निर्जीव होती थी और उसमें से वास्तविकता और उत्तरदायित्व की भावना को दूर कर दिया जाता था। सरकारी सदस्यों के मस्तिष्क में अन्तःकरण और अनुशासन के बीच एक तीखा संघर्ष था, और गैर-सरकारी सदस्यों के मस्तिष्क में विवशता और निराशा की भावना तीखी हो गई थी और उस नरम पक्ष के लोगों को उग्र पक्ष वालों के साथ एक होने को विवश कर दिया था। सारे विषयों में जातीय भेदभाव को प्रयत्नता से

१ The Report of the Indian Constitutional Reforms, 1918, page 64

२ उपयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६५

३ Proceedings of the Imperial Legislative Council Vol XLIX, page 29

जाती थी। मि० कर्टिस के अनुसार, एसा प्रतीत होता था कि सारी व्यवस्था का उद्देश्य जातीय भावनाओं को दृष्टिपूर्वक करना और जातीय भदभरवा को बढ़ाना था।<sup>१</sup>

यह बात केवल साम्राज्यीय विधान परिषद में ही नहीं थी जहाँ सरकारी सदस्य का बहुमत था, वरन् यह बात प्रान्तीय परिषदा में भी थी, जहाँ गैरसरकारी सदस्य बहुमत में थे और बंगाल में भी, जहाँ निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। इसका एक कारण तो यह था कि गैर-सरकारी बहुमत केवल नाममात्र का था। जैसा कि मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है, 'अनुपस्थित रहने वाला गैर-सरकारी सदस्यों की अपेक्षा गैरसरकारी सदस्य अधिक होते थे और इस प्रकार गैर-सरकारी बहुमत निरर्थक हो जाता था।'<sup>२</sup> दूसरा कारण यह था कि नामनिर्देशित और यरोपियन सदस्य साधारणतया, सरकारी पक्ष की ओर रहना अपना कर्तव्य समझते थे। तीसरा कारण यह था कि सरकारी सदस्यों को केवल समुक्त रूप से ही काम नहीं करना पड़ता था वरन् उन्हें केंद्रीय सरकार के निर्णयों की रक्षा करनी होती थी, चाहे वे निर्णय प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण के विरुद्ध ही क्या न हों। भारत मंत्री के अनुसार उस व्यवस्था का सिद्धान्त यह था कि 'भारत के लिए एक ही शासन-व्यवस्था है अतः स्थानीय (प्रान्तीय) सरकार का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने में, भारत सरकार के निर्णय का यथाशक्ति समर्थन करे।'<sup>३</sup>

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि गैर-सरकारी सदस्य का शासन अथवा विधान कार्य पर कोई प्रभाव नहीं था। बहुत-से विषयों में विधेयकों का अन्तिम मस-विदा बनाने और प्रशासनीय निर्णय करने से पहले उनसे परामर्श किया जाता था। परिषदा में प्रस्तुत हो जाने के बाद भी कितने ही प्रस्तावों में गैर-सरकारी सदस्यों ने महत्वपूर्ण संशोधन कराया था। निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में यही बात हुई थी—इंडियन कोर्ट फीत (एमेण्डमेण्ट) बिल (१९१०), इंडियन फंड्रीज बिल (१९११), इंडियन पेटेंट्स एण्ड डिजाइन्स बिल (१९११) रिमिनल ट्राइब्स बिल (१९११), लाइफ एश्योरेन्स कम्पनीज बिल (१९१२), और इंडियन (बोगस डिप्रीज) मेडिकल बिल (१९१६)। किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय सदस्य केवल उन्हीं विधेयकों में संशोधन कराने में सफल हुए थे जो सरकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे अथवा जो मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 'देश की शान्ति और सुरक्षा'<sup>४</sup> से सम्बन्धित नहीं थे। प्रशासनीय विषयों में भी सरकार

१. Curtis : Dyarchy, page 372

२. Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 62

३. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ५८

४. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६०

पर सरकारवारी मत का कुछ हद तक प्रभाव पडा था—जस कुछ उपनिवेशों के लिए 'गान्ध' मजदूर व्यवस्था का अन्त सयुक्त प्रान्त में वायपात्रिका परिषद की स्थापना पंजाब में हाई-वाट की स्थापना जल-शासन की जाँच और उस पर रिपोर्ट करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति और ठोकसेवा आयोग तथा औद्योगिक आयोग की नियुक्ति।<sup>१</sup> सही अनुदष्टि के लिए यह कहना उचित होगा कि सन् १९१७ के अन्त तक साम्राज्यीय विधान परिषद में १६८ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उनमें से सरकार ने केवल २४ को स्वीकार लिया ६८ प्रस्ताव वापिस ले लिए गए और ७६ रद्द कर दिए गए।<sup>२</sup>

मात्र मिष्टो सुधारों की असफलता का दूसरा कारण यह था कि प्रान्तीय सड़कारों पर भारत-सरकार का नियंत्रण कम नहीं हुआ और साथ ही सावजनिक नौकरियाँ में भारतीयों की भर्ती के सम्बन्ध में अत्यन्त अनुदार नीति का अनुसरण किया गया। स्थानीय सञ्चालन में कोई उन्नति नहीं हुई प्रान्तीय वित्त की स्वतन्त्रता नहीं मिली और सावजनिक नौकरियों में भारतीयों की संख्या में कोई विषय वृद्धि नहीं हुई।<sup>३</sup> भारत सरकार अब भी ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी थी और वह प्रान्तीय शासन और विधान में अपना नियंत्रण कम नहीं कर सकती थी। वित्त और शासन से सम्बन्धित वह क्षेत्र जिसमें परिषद सरकारी कामों पर प्रभाव डाल सकती थी अत्यन्त सन्तुष्ट था। बार-बार स्थानीय (प्रान्तीय) सरकारों को यह कहना पड़ता था कि प्रस्तुत विषय उसके अधिकार से बाहर है। प्रान्तीय बजटों के कारण व सरकार राजस्व के क्षेत्र में कोई नया बन्दन नहीं उठा सकती थी। भारत-सरकार के नियंत्रण के कारण उह प्रशासनीय क्षेत्र में काम करने की स्वतन्त्रता नहीं थी अतः वे भारत सरकार के समक्ष परिषद का दृष्टिकोण ही प्रस्तुत कर सकती थी।<sup>३</sup>

मात्र मिष्टो सुधारों की असफलता का तीसरा कारण यह था कि उनकी योजना के अन्तर्गत जो निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई थी वह विशुद्ध अपर्याप्त थी उसमें विभिन्न समुदायों के साथ भेदभाव किया गया था और उसका मौखिक सिद्धांत गलत था। एक ओर तो मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे और अन्य हिता को विषय प्रतिनिधित्व दिया गया था किन्तु दूसरी ओर आम जनता को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। प्रस्तुत व्यवस्थाकरण के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इतनी सन्तुष्ट और टढ़ी थी कि उससे न तो योग्यता की राजनीतिक जागृति

१ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 61.

२ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ६१

३ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ६५



ही हो सकती थी और न उससे उन आगम उत्तरदायित्व की भावना भरी जा सकती थी। यह कथन आज दिया हुए तथ्या से स्पष्ट ही जाएगा—साम्राज्यीय विधान परिषदों के लिए साधारण निर्वाचन क्षत्रा में मतदाताओं की औसत संख्या केवल २१ थी और एक क्षत्र में तो यह संख्या कुछ ९ थी। 'परिषद्' के सारे निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होने वाले कुल वोटों की संख्या ६००० से अधिक नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को औसत में लगभग १५० वोट प्राप्त होने थे। संपुर्ण प्रांत की विधान परिषद् के सदस्यों को प्राप्त होने वाले कुल वोटों की संख्या लगभग ३००० थी और प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को औसत में १६३ वोट प्राप्त होते थे।<sup>१</sup> प्रांतीय परिषदों के लिए साधारण जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्थानाय मंत्रों के घर-घर कारी सदस्य करते थे और साम्राज्यीय परिषद् के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के घर-घर द्वारा सदस्य करते थे। इसका परिणाम यह था कि आज मतदाता और विधान परिषद् के उसके प्रतिनिधि में कोई सम्पर्क नहीं था और उस मतदाता की वोटों का विधान परिषद् को कायब रही पर कोई प्रभाव नहीं था।<sup>२</sup> सन् १९०९ के भारतीय परिषद् एक्ट को इस निर्वाचन-व्यवस्था को मि. वटिसन एक वचना बलाया है।<sup>३</sup>

एसे मौखिक दोषों के हान हुए राजनतिक सुधारों के प्रश्न का अनिश्चित रूप से स्थगित करना संभव नहीं था और महायुद्ध से सम्बन्धित कामों में व्यस्त होने पर भी सरकार को विचार होकर इस ओर ध्यान देना पड़ा। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर 'गार्ड' विंजगटन ने श्री गोखले से एक सुधार-योजना तयार करने के लिए कहा जिसे उन्होंने मार्च १९१५ तक पूर्ण रूप से तयार कर दिया। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह योजना जो गोखले के राजनतिक मृत्युकेन्द्र<sup>४</sup> के नाम से प्रसिद्ध है मृतजात थी। श्री गोखले की दृष्टि प्रांतीय स्वायत्तता पर थी—जिसका अर्थ केवल यह था कि उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता हो। उसमें उत्तरदायित्व प्रदान करने की समस्या पर विचार नहीं किया गया था। यही दाप उम नापन<sup>५</sup> में जा जा साम्राज्यीय विधान परिषद् के उनीस भारतीय सदस्यों न प्रस्तुत किया था और यही दाप उम योजना में भी था जिसे १९१६ में वापस और

१ Curtis Dyarchy, Page 368

२ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, Page 54

३ Curtis Dyarchy, Page 368

४ इस योजना के लिए देखिए—Keith Speeches and Documents on Indian Policy Vol II Page III to 116

५ इस ज्ञापन के लिए देखिए—उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ११६ से १२४ तक।

मुस्लिम लीग न सयुक्त रूप से, बड़े यत्नपूर्वक बनाया था।<sup>१</sup> उत्तरदायी सरकार की क्रमशः स्थापना करने की दृष्टि से भारतीय समस्या का हल करने वाली सबसे पहली सुधार-योजना वह थी जिसे मि० लायोनल कर्टिस के नेतृत्व में 'इंग्लिश राउण्ड टैबल ग्रुप' न तैयार किया था। इस योजना में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था।<sup>२</sup> इनो द्वैध प्रणाली के आधार पर मि० मॉण्टगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड न अपनी योजना बनाई और उसको भारतीय वैधानिक सुधारों पर (१९१८ की) अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया।

मि० कर्टिस न भारतीय जनता को सम्बोधित करते हुए कई पत्र प्रकाशित किए और उनमें यह बताया कि 'स्व शासन आर उत्तरदायी शासन' में एक महत्वपूर्ण अन्तर था। यह बात सच थी। भारत को स्वशासन तो अविलम्ब प्रदान किया जा सकता था। सरकारी ढाँचे को चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की मर्यादा पर्याप्त थी। किन्तु अपठ ग्रामवासियों को उत्तरदायी सरकार के लिए शिक्षित करना मामूली काम नहीं था और उसे जल्दी नहीं किया जा सकता था—विशेषकर ऐसी स्थिति में जब वे लोग भाषा, धर्म और दूरी से विभाजित थे। इस बात का लॉर्ड कर्जन जैसे चतुर व्यक्ति अच्छी तरह जानते थे और सन् १९१८ के सुधारों के कार्यान्वित होने के बाद यह बात प्रकट हो गई थी कि २० अगस्त १९१७ की प्रसिद्ध घोषणा का मसविदा तैयार कराने में लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ था। वस्तुतः कांग्रेस-लीग-योजना को अस्वीकार करने का वास्तविक कारण यह था कि उसमें भारतीय हाथों में बहुत ज्यादा अधिकार सौंपने की मांग की गई थी।

'कांग्रेस-लीग-योजना' के अनुसार केन्द्र और प्रान्ता, दोनों ही की परिपदे विस्तृत होती थी, नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या कुल के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी थी, पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर परिपदा में मुसलमानों को निश्चित अनुपात में स्थान मिलने थे, प्रान्तीय विधान मंडलों का विधायिका एवं वित्तीय नियंत्रण का पूर्णाधिकार मिलना था, उन्हीं मंडलों की प्रस्ताव द्वारा प्रान्तीय कार्यकारिणी सरकार का निर्देशन करने का अधिकार मिलना था, और रक्षा, विदेश एवं राजनैतिक विभागों से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य सब विषयों में एम्बेड्जो अधिकार केन्द्रीय क्षेत्र में दिए जाने थे। उस योजना में प्रान्तीय एवं केन्द्रीय कार्यपालिका सरकारों का ढाँचा बदल दिया गया, उनके अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होने थे जो सिविल सर्विस के सदस्य न हों, और कार्यकारिणी परिपद के आधे सदस्य भारतीय होने थे जो विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

१ Keith : Speeches and Documents on Indian Policy, Vol II, pages 124-132

२ Curtis Dyarchy

धुने जानें थे । साधारणतया कार्यकारिणी परिषदों में सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्ति नहीं होती थी । एसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उक्त योजना का, जिसमें भारतीयों को इनमें विस्तृत अधिकार मँपने की माग की गई थी, आगल-भारतीय कमन्वेलथ ने विरोध किया, उनकी तीव्र आलोचना की गई<sup>१</sup> और उसे १९१८ के मुद्दारों के समुक्त प्रवर्तकों ने अस्वीकार कर दिया ।

३

भारत-मंत्री और चाइमरस्य की समुक्त रिपोर्ट उस मुद्दार योजना पर अवलम्बित थी जिसे इंगलिश राउण्ड टेबल ग्रुप के सदस्य सर विलियम ड्यूक और उस ग्रुप के नेता मि कर्टिस ने तैयार किया था । सर विलियम ड्यूक उस समय भारत परिषद् के सदस्य थे, उनसे पहले वह बंगाल के उप-गवर्नर रह चुके थे और बाद में वे मॉण्टेगु मिशन के सदस्य होकर भारत आए । मुद्दारों के मन्त्रय में सर विलियम की तीन धारणाएँ थी :—(१) अब यह समय आ गया है कि भारतीयों की उत्तरदायी दायित्व की कला में शिक्षित करना चाहिए और इसके लिये कुछ ऐसे विषयों को जिन में कोई जोखिम न हो, लोक-नियंत्रण के अन्तर्गत कर देना चाहिए, (२) कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं (जैसे पुलिस विभाग) जिनकी दृढ़ता और जिन की क्षमता सरकार के लिये अपरिहार्य है, उनको वर्तमान स्थिति में लोक-नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं मँपा जा सकता<sup>२</sup>; और (३) प्रत्येक प्रान्त में कुछ जन-जाति क्षेत्र हैं जिनमें सरकार का दायित्व बढ़ाना चाहिए । इन धारणाओं को

१. ये आलोचनाएँ सक्षेप में इस प्रकार थीं (१) कार्यकारिणी सरकारों का विधान इसलिए अयत्नाप्यप्रद था कि उनमें सिविल सर्विस वालों को दूर रखा गया था । इन्हीं लोगों को सरकारी काम की सबसे ज्यादा जानकारी और उसका अनुभव था । अध्यक्ष को कार्यकारिणी बनाने में अपने निर्णय से काम लेने से बचत कर दिया था । (२) कार्यकारिणी की स्थिति जोखिम में भरी हुई थी । कार्यकारिणी के सदस्य पाँच वर्षों की नियुक्त होते थे; उनपर विद्याभिक्षा की कठोर नियंत्रण दिया गया था । ऐसी दशा में कतिविरोध स्वाभाविक था । (३) विशेषाधिकार का संरक्षण निरर्थक था । (४) योजना में राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी । (५) योजना अव्यवहार्य थी ।  
The Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 104—113.

२. Curtis : Dyarchy, page 18. The Duke Memorandum was first published in India in 1920 in Dyarchy by Lionel Curtis.

मान लेन पर द्वय प्रणाली के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी जिसके अनुसार प्रात का शासन दो भागों में बाँटा जाना था—एक तो वह भाग जो जनता के प्रति उत्तरदायी होना था और दूसरा वह भाग जो भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होना था। सर विलियम के जापन न बंगाल सरकार को दो भागों में बाँटा था—(१) स-परिषद् गवर्नर के आधीन सरक्षित विभाग और (२) हस्तान्तरित विभाग जिनका संचालन गवर्नर की अध्यक्षता में कुछ सदस्यों के मंत्रिमंडल के हाथ में होना था। तुरन्त हस्तान्तरित विभाग जानवारा विभाग था— शिक्षा स्थानीय स्वशासन एवं समाजन। शीघ्र ही इन में पाँच विभाग और जोड़ जायें थे—निवधन सहयोग आकलन कृषि वन और सावजनिक निर्माण। हस्तान्तरित विभागों का सच चयन के लिए कोई पृथक अथवा विधाय व्यवस्था नहीं थी बल्कि यह सुझाव दिया गया था कि आवकागी की आय का उपयोग किया जाए और नए टक्स लगाए जाएँ।

यह जापन सन् १९१६ के आरम्भ में ही तैयार हो गया था। उसके कुछ समय पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय होकर आ गए थे। मई १९१६ में उस जापन की एक प्रति वाइसराय के पास भजी गई और अक्टूबर १९१६ में इंग्लिश राजउद्घटन श्रम के नेता मि. कर्टिस उस योजना के मौलिक विचारों का प्रतिपादन करने के लिए भारत आए। कुछ समीक्षण करने के बाद वह योजना एक संयुक्त संवोधन के रूप में भारत मंत्रों और वाइसराय के समक्ष (नवम्बर १९१७ में) प्रस्तुत की गई। इस संयुक्त संवोधन में ६४ यूरोपियनों के और ९० भारतीयों के हस्ताक्षर थे। नवम्बर १९१७ में प्रकाशित होने पर यूरोपीय और भारतीय दोनों ही प्रकार के समाचार-पत्रों ने उसका तीव्र आलोचना की।

४

मि. मांटगु अपने मिशन के सदस्यों के साथ १० नवम्बर १९१७ को बम्बई में आए। प्रकटत उनका उद्देश्य भारत की राजनतिक दशा की जांच करना था, भारतीय जनता और उच्च सरकारी अधिकारियों के मत से परिचित होना था, और वाइसराय के सहयोग से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत मंत्रों के भारत जान का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। भारत जान से पहले ही उन्हें वायस-रॉय-योजना और डब्ल्यू. जापन दोनों का पता था और उन्होंने अपनी योजना कम से कम उसकी रूपरेखा निश्चित कर ली थी। भारत जान के उनके दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि वे इस ढंग से काम करना चाहते थे कि मानो मुझों की सारी योजना भारत सरकार द्वारा ही बनाई गई है।<sup>१</sup> इस दृष्टि से वे अधिकांश रूप में असफल रहे। उन्हें वाइसराय की कार्यावरिणी-परिषद् से,

प्रान्तीय सरकारों के अध्यक्षों से विनयपूर्वक पत्रों के सर माइकेल ओ डायर और मद्रास के लाड पेण्ट्रिड से और युरोपीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई। विरोधी दल के लिए उन्हें बहुत-सी रियायत करनी पड़ी। सिविल सर्विस के लोगों को उन्हें यह आश्वासन देना पड़ा कि उनके वेतन में काफी वृद्धि की जाएगी। गवर्नरों को उच्च पदा पर पहुँचाने के लिए उन्हें अधिक अवसर प्रदान किये जायेंगे और उन्हें सरक्षण मिलेगा जिसमें उनके नए अधिपति—मंत्रिमण—हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। भारत-सरकार को प्रसन्न करने के लिए प्रान्तीय स्वायत्तता पर प्रतिवध लगाय गए और प्रान्तीय जनता को प्रदान किए जानेवाले उत्तरदायित्व की घटा दिया गया। इस प्रकार योजना का आन्तिम रूप सामन आया उसमें मौलिक योजना की इस भव्यता का अभाव था जिसे बनाए रखने के लिए मि माटगु बड़ उत्सुक थे। भारत आन पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री को अपने पहले पत्र में उन्होंने लिखा था— मेरे भारत आन का अर्थ यह है कि हम लोग कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। मैं इंग्लैंड लौट कर कोई खोल रूपन नहीं दिखा सकूँगा वह बात युगांतरकारी होनी चाहिए जैसा वह निरर्थक है वह भारत के भावी इतिहास की केन्द्रशिला होनी चाहिए।<sup>१</sup> मैं इंग्लैंड के अपने साथियों को यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि हमारे परामर्श के फलस्वरूप कोई ऐसी योजना बनी है जो अत्यंत सशुभ और कृपण है तो यह छलवातक होगा—क्याकि वे लोग फिर कभी हमारा विश्वास नहीं करेंगे—उस देश के लोग जिसका इतिहास हमारा गौरव है।<sup>२</sup>

किंतु रिपोर्ट पूरी होने पर अब लायड जाज को सूचना दी गई तो उस समय भारत मंत्री की भाषा बिलकुल भिन्न थी। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह उद्देश्य नहीं है उसमें एक सिद्धान्त है प्रस्तावों में सुधार के लिए बहुत मुझाईश है किन्तु रिपोर्ट को उपेक्षा नहीं की जा सकती। तथापि इस योजना को यदि शीघ्र ही कार्यान्वित नहीं किया जाता तो वह समयानुरूप नहीं रहेगी।<sup>३</sup> ब्रिटिश सरकार को आवश्यक विधान बनाने में डेढ़ वर्ष लगा और उसके बाद सुधारों को कार्यान्वित करने में एक वर्ष और लगा। फरवरी १९२१ में ब्रिटेन के ड्यूक न नियमानुरूप साम्राज्यीय विधान सभा का उद्घाटन किया और उस समय तक देश में असहयोग आन्दोलन पूरा जोर पकड़ गया था। माँ मिटो सुधारों की भाँति माण्टफोड सुधार भी कार्यान्वित होने के समय तक पुराने पड़ गए थे।

१ Montagu An Indian Diary, page 8

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १० और ११

३ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ३६२

मि माण्टगु को अपन दूसरे और तात्कालिक उद्देश्य में अधिक सफलता मिली। सन १९१७ के बीच के महीनों में भारतीय स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। उसी समय यूरोप में युद्ध को स्थिति भी अत्यंत सन्नटागत थी। ब्रिटिश सरकार के मतानुसार यह अत्यंत आवश्यक था कि भारत को स्थिति सुधरे और वहाँ से युद्ध के लिए अधिक सहायता प्राप्त हो। २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मि माण्टगु के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोग का ध्यान आन्दोलन की ओर से हटा और उहान भारत मंत्री और उनके साधियों पर जोर डालन का प्रयत्न किया। १८ फरवरी १९१८ को मि माण्टगु ने लिखा— युद्ध के अत्यंत सकटपूर्ण समय में मन भारत को ७ महीने तक गान्त रखा है। मन राजनीतिना को अपन मिशन के अतिरिक्त और किसी विषय पर ध्यान ही नहीं देना दिया।<sup>१</sup> उहान एक और बड़ी बात की थी। उहान अपन पक्ष में भारतीय नेताओं के एक दल का संगठन कर लिया था। इन नेताओं को उनके उद्देश्य की सच्चाई में विश्वास था और वे उनको पूर्ण सहयोग देने को तैयार थे। मि माण्टगु के विचार से यह बात आवश्यक थी कि हमारा समर्थन करने के लिए एक दल हो। अन्यथा मैं मन्त्रिमण्डल को इस बात का विश्वास कस दिला सकूंगा कि भारत में हमारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई समुदाय तैयार है।<sup>२</sup> १२ दिसम्बर १९१७ को अपनी योजना में उहान निम्नलिखित बात को एक पृथक स्थान दिया— भारतीयों की एक नई संस्था बनाई जाए जिस सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता दी जाए। यह संस्था हमारे प्रस्तावों के पक्ष में प्रचार करे और हमारी सहायता करने के लिए इंग्लैण्ड को गिण्ट मंडल भेजे।<sup>३</sup> उहान इस विषय पर मि (बाद में सर) भेनेद्रनाथ बसु और सर (बाद में लाड) सत्येन्द्र सिन्हा से बात की— हम उगा न एक मध्यम दल बनाने के बारे में वार्तागत किया। वे लोग बड़ उत्साही प्रतीत हुए और समाचार-पत्र निकालने के बारे में कहा। मेरे विचार से वे सचमुच कुछ करना चाहते हैं।<sup>४</sup> और उहान काम किया। कुछ ही महीनों में माडरेट पार्टी अस्तित्व में आई। उसका पृथक संगठन बना और उसने अपन प्रान्तीय एवं अखिल भारतीय सम्मेलन पृथक रूप से किए।

५

भारतीय वधानिक मुद्दा से संबंधित रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ को

१ Montagu An Indian Diary, page 288

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १३४

३ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०२-१०४

४ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १०४

५ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ २१७

प्रकाशित हुई। किन्तु काम पूरा करने के लिये तीन कमेटीयाँ नियुक्त की गई—लाड साइथवॉरो की अध्यक्षता में मनाधिकार कमेटी मि रिचर्ड फीथम की अध्यक्षता में कार्याधिकार कमेटी और लाड विडव की अध्यक्षता में गृह प्रशासन कमेटी। इन कमेटीयो की रिपोर्टें जून १९१९ में प्रकाशित हुई। इन रिपोर्टों के आधार पर सन १९१९ का गवर्नमेन्ट ऑव इंडिया विधायक का मसविदा बनाया गया। ५ जून १९१९ को मि माण्टगु ने विधायक के दूसरे वाचन के लिए कहा। दूसरे वाचन के बाद दोनों भवनों ने विधायक को एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपन का निणय किया। लाड सल्वोन इस प्रवर-समिति के अध्यक्ष थे और उनके अतिरिक्त उस समिति में सात हाउस आब कामर्स के सदस्य थे और सात ठाड भवन के सदस्य थे। इस संयुक्त प्रवर-समिति ने बहुत-से—सरकारी और गैर-सरकारी अगरेज और भारतीय—साक्षियों का परीक्षण किया। उसने एक बड़ी योग्यतापूर्ण रिपोर्ट तयार की जिसे हाउस ऑव कामर्स ने स्वीकार किया और विधायक ने तदनुसार परिवर्तन किया गया। ५ दिसम्बर को हाउस आब कामर्स ने उसका पारण किया १८ दिसम्बर को हाउस आब ठाडस ने उसका पारण किया और २३ दिसम्बर १९१९ को उसे राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। किन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए अनुपूरक नियम बनाने थे। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय समीकरण के सबब में सरकार को परामर्श देने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने की भी आवश्यकता थी। वित्तीय सबब कमेटी ने जिसके अध्यक्ष लाड मेस्टन थे अपनी रिपोर्ट ३१ मार्च १९२० को प्रस्तुत की। भारत सरकार ने २० जुलाई १९२० को एक्ट के अन्तगत बन हुए नियमों को प्रकाशित किया। नए विधान मंडलों के लिए नवम्बर में निर्वाचन हुए और १ जनवरी १९२१ को भारत में सुधारों को कार्यान्वित किया गया।

✓ ✓  ६

सन १९१९ के सुधारों ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास में तीन नई और महत्वपूर्ण बातों को—उत्तरदायी शासन का आरम्भ किया देशी नरेशों को भारतीय शासन में—विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में—साथ लिया और द्वेष शासन व्यवस्था को प्रवर्तन किया।

२० अगस्त १९१७ को जिस नीति की घोषणा की गई थी उसे व्यवहार में लाने के लिए भाष्टफोड रिपोर्ट ने चार बड़-बड़ सिद्धान्त निश्चित किए थे। इनमें से पहला सिद्धान्त यह था—

स्थानीय संस्थाओं पर जहाँ तक संभव हो, पूर्ण रूप से लोक नियंत्रण होना

चाहिए और उन्हें बाहरी नियंत्रण से बरादा से बरादा स्वतन्त्रता होनी चाहिए।”

इस विषय पर भारत सरकार ने मई १९१८ के प्रस्ताव<sup>१</sup> में अपनी नीति पहले ही निश्चिन कर दी थी किन्तु प्रत्येक प्रान्त को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उस नीति को कार्यान्वित करने का काम नई प्रान्तीय सरकारों के लिए छोड़ दिया गया था।

माॅग्ट फोर्ड रिपोर्ट के दूसरे मूत्र में दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था—प्रान्तीय सरकारों के प्रति सत्ता का निष्पण और प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायित्व का आरम्भ। दूसरे सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के लिए प्रान्तीय सरकारों का दो भागों में विभाजन होना था—एक भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी और दूसरा प्रान्तीय मन्त्रालयों के प्रति। इस प्रकार माॅग्ट फोर्ड रिपोर्ट ने २० अगस्त १९१७ की घोषणा की नीति को रूप देने का प्रस्ताव किया। ऐक्ट की प्रस्तावना में इस नीति को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया और भारत के उन्नत राष्ट्रवादियों को ‘आत्म निषेध’ की भाँति को अस्वीकार किया और साथ ही पूर्ण सत्ता-सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी। उसमें यह भी कहा गया—“भारत-वासियों की उन्नति और बलाई का दायित्व पार्लियामेन्ट पर है और केवल वह पार्लियामेन्ट ही इस बात का निर्णय कर सकती है कि (उत्तरदायित्व की) प्रत्येक किस्म कब दी जाएगी और कितनी बड़ी होगी।”

७

इस प्रकार माॅग्टफोर्ड सुधारों के केन्द्रीय प्रस्ताव ने प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए दो महत्वपूर्ण बातें आरम्भ की—उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतन्त्रता और जनता के प्रति शक्ति का हस्तान्तरण।

प्रशासन के विषयों और आय की मुद्दों को दो—केन्द्रीय और प्रान्तीय—बर्गों में बाँटा गया। अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्रीय विषय ये थे—रक्षा (इसमें सना, नौसेना और हवाई सना को गणना थी), विदेश-सम्बन्ध, देशी राज्यास सम्बन्ध, रेलों (कुछ अपवादों को छोड़कर), सैन्य महत्व के संचार साधन, डाक और तार, मुद्रा और टकरा, सावजनिक ऋण, साम्राज्यीय राजस्व की मदें, दीवानी और फौजदारी कानून और पद्धति, पार्मिक (चर्च आदि से सम्बन्धित) व्यवस्था, अखिल भारतीय नौकरियों, ईशानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्थाएँ, और ऐसे सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रान्तीय विषय घोषित न किए गए हों। महत्वपूर्ण प्रान्तीय विषय ये थे—स्थानीय स्वशासन, शिक्षा (कुछ अपवादों को छोड़कर);

१. The Report on the Indian Constitutional Reforms 1918 page 123.

२. इसी पुस्तक का १७ वाँ अध्याय देखिए।



चिकित्सा विभाग, समाज न और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण जैसे सड़क, भवन, छोटी रेलवे लाइनें, कृषि, उद्योग-धंधों का विकास, आवकारी, पशु चिकित्सा विभाग, मनिकेव और सहयोग गमितियां, दुमिभ सहायता, माल-गुजारी प्रशासन, सिचाई वन, न्याय पुलिस जल, फंड्री निरीक्षण और श्रम-समस्या, प्रान्तीय ऋण, और ऐसे काम जिन्हें अभिकर्ता के रूप में करना हो।

कार्याधिकार का यह विभाजन इतना निश्चित और बठोर नहीं था जंसा कि सप-व्यवस्था में होता है। यदि कभी इस बात पर सन्देह होता कि कोई विषय केन्द्रीय है अथवा प्रान्तीय, तो उस प्रश्न का निर्णय स-परिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा होता था और यह निर्णय अन्तिम था। दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार किसी भी विषय को (जो सूची के अनुसार केन्द्रीय हो) स्थानीय महत्त्व का बताकर, उसे प्रान्तीय विषय घोषित कर सकती थी। अन्त में कुछ प्रान्तीय विषयों पर विधान बनाने के लिए स-परिषद् गवर्नर-जनरल को पूर्व-अनुमति लेना आवश्यक था।

इसी प्रकार राजस्व की मदों को दो वर्गों में बाँटा गया था और विभाजित शीर्षकों की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया था, किन्तु केन्द्रीय सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए प्रान्तीय असादान की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार को अपना सारा व्यय चलाने के लिए नई मदों से राजस्व आय को जल्दी से जल्दी बढ़ाना था और उपर्युक्त असादान व्यवस्था केवल उसी समय तक के लिए थी।

राजस्व की मदों का बटवारा मेस्टन कमेटी को सिफारिशों के अनुसार किया गया था। राजस्व की निम्नलिखित मदें प्रान्ता की सौंपी गई थी—मालगुजारी आवकारी, सिचाई, वन, स्टाम्प और निवन्धन। स, प्राग्गीय राजस्व मदों में सीमा-शुल्क, आयकर, रेले, डाक और तार, नमक और अफीम की गणना थी। अन्य मदें भी इसी तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच विभाजित थी। बम्बई और बंगाल को आपत्ति को कुछ हद तक दूर करने के लिए, आय-कर की अतिरिक्त उगाही में से उन्हें २५ प्रतिशत का भाग दिया गया था, बदाते कि वह अतिरिक्त उगाही, आय के निर्धारण में वृद्धि के कारण हो।

मेस्टन कमेटी ने यह अनुमान किया था कि राजस्व की मदों के नए बटवारे के कारण केन्द्रीय बजट में सन् १९२१-२२ में ९८३ ०६ लाख रुपए का घाटा होगा। दूसरी ओर कमेटी ने यह अनुमान किया था कि प्रान्ता की कुल आय में १८५० लाख की विशुद्ध वृद्धि होगी। अतः कमेटी ने केन्द्रीय घाटे को पूरा करने के लिए प्रान्ता का आरम्भिक असादान निश्चित करने का आधार उनकी 'नई व्यय-सामर्थ्य' को बनाया। यह बात स्वोकार की गई कि यह आधार वस्तुतः साम्यामूलक नहीं था और आदर्श आधार 'देने की सामर्थ्य' पर होना चाहिए था। अतः इस बात का प्रस्ताव किया गया कि सात वर्षों के अन्दर वास्तविक असादान आदर्श आधार के

अनुसार हो जाना चाहिए। इस बीच भारत सरकार को अपनी वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार करनी पड़ी कि वह प्रान्तीय असादान की आवश्यकता से जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए। भारत सरकार द्वारा निश्चित आरम्भिक और मानक असादान इस प्रकार थे —

प्रान्त	बढ़ी हुई व्यय-सामर्थ्य (लाख रुपया में)	सन् १९२१-२२ का आरम्भिक असादान (लाख रुपयो में)	आरम्भिक असादान का अनुपात (प्रतिशत)	भारत सरकार द्वारा निश्चित मानक प्रतिशत
मद्रास	५७६	३,४८	३५%	१७/९०
बम्बई	९३	५६	५%	१३/९०
बंगाल	१,०४	६३	६%	१९/९०
संयुक्त प्रान्त	३,९७	२,४०	२४%	१८/९०
पंजाब	२,८९	१,७५	१८	९/९०
बर्मा	२,४६	६४	६%	६/९०
बिहार तथा उड़ीसा	५१	X	X	X
मध्य प्रान्त	५२	२२	२	५/९०
आसाम	४२	१५	१%	२/९०
कुल जोड़	१८,५०	९,८३	१००	९०

भारत के ८ बड़े प्रान्तों में (जिनका उपर्युक्त तालिका में नाम दिया गया है) एक-सी शासन-व्यवस्था व्यवहार में लाई गई। इस समय बर्मा को छोटा दिया गया था किन्तु १९२२ में बर्मा में और १९३१ में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में उसी व्यवस्था को कार्यान्वित किया गया। ये सब 'गवर्नरों के प्रान्त' कहलाते थे।

मॉण्टफोर्ड सुधारों के फलस्वरूप, प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में व्यवहार में आने वाली व्यवस्था, ट्रैडि-प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। प्रान्तीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था—'सरक्षित' और 'हस्तान्तरित'। हस्तान्तरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, उद्योग-धंधों का विकास, आचकारी, पशु-चिकित्सा, मीन क्षेत्र और सहयोग समितियों की गणना थी। सरक्षित विषयों की सूची में निम्नलिखित विभाग थे—वित्त, मालगुजारी; दुर्भिक्ष सहायता; न्याय, पुलिस, जेल, मुघारालय, जन-जाति, समाचार-पत्रों, छात्रे-शाखा और पुस्तकालय का नियंत्रण; सिंचाई और जल-मार्ग, फंक्शनों का निरीक्षण, खानें, बिजली, गैस, बॉइलर, मोटर गाड़ी, श्रम-हित और औद्योगिक झगड़े, अपराजित क्षेत्र और सार्वजनिक मेवाएँ, और

अभिकर्ता के काय । सरनित विषयों के उचित प्रवच के लिए प्रान्तीय सरकार (१९१९ के एक्ट के अनुसार) भारत मंत्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इन्कलड की जनता के प्रति उत्तरदायी थी । हस्तान्तरित विषयों में सुप्रासन का उत्तरदायित्व प्रान्तीय विधान-परिषदों द्वारा प्रान्तीय मतदानाओं पर था ।<sup>१</sup> एसी परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारों को उच्चतर सत्ता के नियंत्रण से मुक्त करना सम्भव नहीं था । अतः केवल हस्तान्तरित विषयों के क्षेत्र में ही भारत मंत्री और भारत सरकार के नियंत्रण में कुछ वास्तविक कमी हुई ।

सरवन प्रवर-समिति ने यह मत प्रकट किया था कि सरक्षित विषयों के प्रशासन के सञ्चय में प्रविधानीय रूप से नियंत्रण कम करना न तो वाछनीय था और न उसको कोई आवश्यकता ही थी । किंतु उसने यह सुझाव दिया था कि व्यवहार द्वारा एक एसी परंपरा डाली जावे कि जब प्रान्तीय सरकार और विधान मंडल किसी विषय पर सहमत हो तो साधारणतया उनके दक्षिण को मान्यता दी जावे और ऐसे अवसरों पर भारत मंत्री और भारत सरकार हस्तक्षेप न कर जब तक कि किसी केंद्रीय विषय की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक न हो ।<sup>२</sup> हस्तान्तरित विषयों के सञ्चय में सरवन प्रवर-समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि भविष्य में भारत मंत्री और भारत सरकार का नियंत्रण कम से-कम होना चाहिए ।<sup>३</sup> इस उद्देश्य से प्रविधानीय नियम बनाए गए जिनके अंतर्गत केवल निम्नलिखित बातों के लिए सपरिषद गवर्नर जनरल में अधीक्षण निवेशन और नियंत्रण के अधिकार निहित किए गए —

(१) केंद्रीय विषयों के प्रशासन के रक्षण के लिए

(२) संबंधित प्रांतों में मतभेद होने पर उनके प्रश्नों का निपटारा करने के लिए और

(३) एक्ट की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् एस २९ए एस ३९ (१ए) भाग ७ ए के सञ्चय में अथवा उनके उद्देश्य से अथवा उनके अन्तर्गत भारत मंत्री द्वारा अथवा उसकी अनुमति से बनाए हुए नियमों के अनुसार सपरिषद गवर्नर जनरल के निहित अथवा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करने के लिए ।<sup>४</sup>

उपयुक्त तीन विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विषयों में भी भारत-

१ Mukherjee Indian Constitutional Documents Part II page 524

२ Sapru The Indian Constitution pages 21 22 एक्ट क इन निर्दिष्ट विभागों का ठको नियुक्तिया और हाई कमिश्नर द्वारा उगाहे हुए प्रांतीय ऋणों आदि से सम्बन्ध था ।

नियुक्त किए जाते थे और अन्य पाँच प्रान्तों के लिए साधारणतया ज्येष्ठ लोक-सेवक छांटे जाते थे जिनके सम्बन्ध में प्रविधान के अनुसार गवर्नर-जनरल से परामर्श करना आवश्यक था। कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती थी। उनका कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए निश्चित था और उनका वेतन भी ऐक्ट द्वारा निश्चित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट ने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या चार निश्चित की थी किन्तु समुक्त प्रवर समिति का यह मत था कि अधिकांश प्रान्तों में दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रविधान के अनुसार परिषद् के लिए कम-से-कम बारह वर्षों के अनुभवी एक लोक-सेवक की नियुक्ति करने का नियम था। कार्यकारिणी परिषद् में किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति के लिए कोई प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की गई थी, किन्तु यह बात उपलक्षित थी कि उक्त दो सदस्यों में से कम-से-कम एक सदस्य गैर-सरकारी भारतीय होगा। समुक्त प्रवर समिति की सिफारिश के अनुसार कार्यकारिणी के लिये दो यूरोपियनों की नियुक्ति होने की दिशा में दो गैर-सरकारी भारतीयों की भी नियुक्ति होनी थी।

गैर-सरकारी व्यक्तियों में से गवर्नर द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होनी थी, जिनके लिए यह आवश्यक था कि वे प्रान्तीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य हों अथवा नियुक्ति के बाद छ महीने के अन्दर ही निर्वाचित सदस्य हो जावें। समुक्त प्रवर समिति के अनुसार ऐसे ही व्यक्ति मंत्री नियुक्त किए जाते थे जिन्हें विधान-परिषद् का विश्वास प्राप्त हो सकता था और जो उसका नेतृत्व कर सकते थे। मंत्रियों की प्रतिष्ठा बही होनी थी जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की थी और उन्हें वही वेतन मिलना था जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को मिलता था—किन्तु विधान-परिषद् आवश्यक समझने पर बोट द्वारा उस वेतन को घटा सकती थी। ऐक्ट के अनुसार “इस प्रकार नियुक्त किए हुए मंत्रियों का कार्य-काल गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त था।” प्रविधान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निश्चित नहीं की गई थी, किन्तु समुक्त प्रवर समिति का यह मत था कि “किसी भी प्रान्त में दो से कम मंत्रियों की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ प्रान्तों में अधिक मंत्रियों की आवश्यकता होगी।”<sup>१</sup> गवर्नर के स्वविवेक पर कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों और मंत्रियों की सहायता के निमित्त परिषद् कार्यवाह नियुक्त करने के लिए ऐक्ट में व्यवस्था की गई थी। परिषद् कार्यवाहों की नियुक्ति विधान-परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों में से की जाती थी

१. Mukherjee : The Indian Constitution Part I. page 228.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५१२.

और उनको विधान-परिषद् द्वारा निश्चित वेतन मिलना था।

सरक्षित विषयो का शासन, गवर्नर द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार स-परिषद् गवर्नर द्वारा होना था। कार्यकारिणी परिषद् में मतभेद होने पर विषयो का निर्णय बहुमत के अनुसार होना था। परिषद् में समान मत होने पर अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णायक वोट देने का अधिकार था। किन्तु यदि गवर्नर के मतानुसार, "उसके प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा अथवा हितों पर मौलिक प्रभाव पड़ना हो" तो वह अपनी परिषद् के बहुमत के निर्णय का प्रविधान के आधार पर उल्लंघन कर सकता था।"

गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट १९१९ के अनुसार हस्ताक्षरित विषयो का शासन गवर्नर को अपने मंत्रियों के परामर्श स करना था किन्तु उसको मंत्रियों को सलाह को अस्वीकार करने और अपने निर्णयानुसार काम करने का अधिकार था। दूसरी ओर मंत्रिगण त्याग-पत्र दे सकते थे। "अन्तिम स्थिति में गवर्नर अपनी विधान परिषद् का विलोपन कर सकता था और नए निर्वाचन के बाद नए मंत्री छांट सकता था, किन्तु मन्त्रि-अधिवेशन की शक्ति ने यह आशा ब्रकट की थी कि इस मार्ग के अपनाने पर गवर्नर एक ऐसे स्थिति में पहुँच जाएगा कि विलोपन के विषय पर वह नए मंत्रियों के विचारों को स्वीकार कर सकेगा।"<sup>१</sup> किन्तु आयात को दशा में, जिसके लिए गवर्नर-जनरल के पास सत्यापन करने का नियम था, गवर्नर को इस बात का अधिकार था कि वह मंत्रियों के रिक्त स्थानों को पूर्ति न करे और हस्ताक्षरित विषयो के शासन को अस्थायी रूप से अपने हाथों में ले ले। यह अधिकार, इस सम्बन्ध में बनाए हुए एक नियम के कारण और भी सबल हो गया था, जिसके अनुसार भारत मंत्री की पूर्ण-अनुमति से गवर्नर-जनरल किसी हस्ताक्षरित विषय का निश्चित समय के लिए विलम्बन कर सकता था।

यह एक विचित्र बात है कि मॉण्टफोर्ड सुधारों में मंत्रियों की संयुक्त सभा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गवर्नरों को जो अनुदेश दिये गये थे उनके अनुसार गवर्नर के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मंत्रियों के संयुक्तरूप से परामर्श करे अथवा मंत्रियों की एक मंडल के रूप में सभा करे। एक्ट के अनुसार गवर्नर द्वारा विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति पृथक् रूप से होनी थी और वे विधान-मंडल में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने थे। यह बात पूर्ण रूप से गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ दी गई थी कि वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति एक ही राजनैतिक पार्टी में से करे अथवा विभिन्न राजनैतिक दलों में से करे अथवा वह ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त

१ Mukherjee The Indian Constitution Part I, page 226.

२. उपर्युक्त पुस्तक, भाग २ पृष्ठ ५१२.

कर लेन पर विधान मंडली में सुधार करन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो गया । माण्टफोर्ड रिपोर्ट न प्रान्ता में दूसरे (विधायिका) भवन स्थापित करन के प्रस्ताव का विरोध किया किन्तु इस बात का प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक प्रान्त में एक विस्तृत विधान परिषद होनी चाहिए विभिन्न प्रान्ता की परिषदा का आकार और उनकी रचना भिन्न होनी चाहिए उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुत बड़ा बहुमत होना चाहिए और उनमें आवश्यक साम्प्रदायिक और विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।<sup>१</sup>

एक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों के अनुसार गवर्नरो के प्रान्तों की विधान परिषदा के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थी—बंगाल १२९, बम्बई १११ मद्रास १२७ यू पी १२३ पंजाब ९३ बिहार तथा उड़ीसा १०३, मध्यप्रान्त ७० आसाम ५३ । माण्टफोर्ड रिपोर्ट न इस बात की सिफारिश की थी कि सरकारी सदस्यों की संख्या कुल के २० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७० प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । कुछ वर्गों और हिजा को प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकारी व्यक्तियों का नाम निर्दान होना था । इन सिफारिशों को समुक्त प्रवर समिति और पार्लियामन्ट न स्वीकार किया और उनको गवर्नमन्ट अब इंडिया एक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों में रूपा दिया गया ।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट न यथासंभव विस्तृत मताधिकार पर अवलम्बित प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था अपनायन की सिफारिश की थी । किन्तु कुछ समुदायों और विधाय हितों के लिए साम्प्रदायिक और विधाय निर्वाचन क्षत्र बनाने के लिए कहा गया था । माण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रवक्तकों को इस बात का विश्वास था कि पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षत्रों की व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के विकास के लिए लोगों में नागरिक भावना की वृद्धि के लिए और पिछड़ी हुई जातियों की प्रगति के लिए घातक थी । उस व्यवस्था के फलस्वरूप पिछड़े हुए समुदायों के स्व-आयत्त और प्रगति के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था और उसमें विभिन्न समुदायों के तत्कालीन पारस्परिक सम्बन्धों के स्थिर हो जान का डर था । तथापि मि० माण्टगु और लार्ड चेम्सफोर्ड न मुसलमानों के लिये वही व्यवस्था बनाय रखना आवश्यक समझा और माले मिण्टो सुधारों के समय दी हुई प्रतिज्ञा को उसका कारण बताया । किन्तु उन्होंने लिखा कि जिन प्रान्तों में मुसलमान मतदाताओं का बहुमत है वहां साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करन के लिए हम कोई कारण

१ The Report on Indian Constitutional Reforms 1918, page 146

दिखाई नहीं देता ।"<sup>१</sup> अन्य समुदायो ने—जैसे पंजाब में सिक्खों ने, मद्रास में अ-ब्राह्मणों ने, भारतीय ईसाइयों ने, आंग्ल-भारतीयों ने, यूरोपियनों ने और बम्बई में लिगायतों ने<sup>२</sup>—मॉण्टेफोर्ड मिशन से, स्वाभाविक रूप में इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों की भांति उनके लिए भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनाई जाए । मॉण्टेफोर्ड रिपोर्ट के लेखक साम्प्रदायिक व्यवस्था को साधारण-तया विस्तृत करने के विरोधी थे और उन्होंने एक अपवाद (सिक्खों) को छोड़ कर इन समुदायों को माँग को अस्वीकार कर दिया । उनका यह मत था कि 'पंजाब के सिक्खों का पूषक और महत्वपूर्ण समुदाय है, भारतीय सेना को उस समुदाय से साहाय्य एवं महत्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है, किन्तु वे सभी जगह अल्पसंख्यक हैं और अनुभव से यह प्रकट हुआ है कि उन्हें लगभग कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । अतः हम सिक्खों के लिए भी और केवल उन्हीं के लिए उस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं जिसे मुसलमानों के सम्बन्ध में अपनाया गया है ।'<sup>३</sup> किन्तु जब मुसलमानों और सिक्खों के लिए एक धार उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तो उसे अन्य समुदायों के लिए अस्वीकार करना असंभव था और मताधिकार कमेटी ने निम्नलिखित समुदायों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था अपनाने की सिफारिश की—मद्रास में भारतीय ईसाइयों के लिए बम्बई, मद्रास, बंगाल, यू पी, बिहार तथा उड़ीसा में यूरोपियनों के लिए, और मद्रास तथा बंगाल में आंग्ल-भारतीयों के लिए । कमेटी ने मद्रास के अ-ब्राह्मणों के और बम्बई के मराठों के सम्बन्ध में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इस बात की सिफारिश की कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में एक से अधिक सदस्य चुने जाने हों उनमें उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएँ ।

इस प्रकार १९१९ के ऐक्ट के अंतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार मुसलमानों सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल-भारतीयों को पूषक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और अ-ब्राह्मणों और मराठों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए । नियमों ने जमींदारों, वाणिज्य और उद्योग, रोपक और खनिज हिस्सों के लिये और साथ ही विश्वविद्यालयों के लिए विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की । दलित वर्गों, श्रम आदि के लिए नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई । किन्तु स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि विदेशियों के लिए इस कोमल विषय पर निर्णय करना उपयुक्त नहीं समझा गया उसका निर्णय नहीं, सुधरी हुई परिपदों के लिए छोड़ दिया गया ।

१ The Report on Indian Constitutional Reforms  
1918, page 149.

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १५०

अनुपात विभिन्न प्रान्तों के लिए विभिन्न था—सबसे ज्यादा यू० पी० में ११८ और सबसे कम बिहार तथा उड़ीसा में ३९।<sup>१</sup>

२ इस तालिका में शहरी और ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन को प्रकट किया गया है—

विधान परिषद् का नाम	शहरी निर्वाचन क्षेत्रों से				ग्राम्य निर्वाचन क्षेत्रों से				कुल (शहरी और ग्राम्य संख्या की संख्या)
	मुस्लिम	हिन्दू	शैर-मुस्लिम	कुल	मुस्लिम	हिन्दू	शैर-मुस्लिम	कुल	
१ मद्रास	२	..	९	११	११	..	५६	६७	७८
२ बम्बई	५	..	११	१६	२२	..	३५	५७	७३
३ बंगाल	५	..	११	१७	३३	..	३५	६८	८५
४ यू० पी०	४	..	८	१२	२५	..	५२	७७	८९
५ पंजाब	५	१	७	१३	२७	११	१३	५१	६४
६ बिहार तथा उड़ीसा	३	..	६	९	१५	..	४२	५७	६६
७ मध्यप्रान्त	१	..	९	१०	६	..	३१	३७	४७
८ आसाम	..	..	..	१	१२	..	२०	३२	३३

मतदाताओं को अर्हतायें विभिन्न प्रान्तों के लिए, शहरी, ग्राम्य और जमोदार निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए भिन्न थीं। किन्तु अनर्हतायें सभी जगह एक ही थीं अर्थात् कोई भी व्यक्ति जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन न हो अथवा (२) स्त्री हो, अथवा (३) अधिकारी न्यायालय के निर्णयानुसार बहिष्कृत-मस्तिष्क हो, अथवा (४) २१ वर्ष से कम आयु का हो, तो वह अपना नाम निर्वाचक-नामावली में लिखने का अधिकारी नहीं था। छ महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के सबंध में अथवा कदाचार के कारण अभिसमित व्यक्ति को पांच वर्ष तक मत-धिकार से वंचित कर दिया गया था। प्रान्तीय सरकार को प्राधिकार दिया गया था जिसके अनुसार वह अनर्हता को और देशी राज्या के शासक और उनको प्रजा के सम्बन्ध में अनर्हता को दूर कर सकती थी। प्रान्तीय विधान-मंडल विशेष प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को मत-धिकार प्रदान कर सकते थे।

यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनर्हता न हो और उसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सारी अर्हतायें प्राप्त हो तो वह उस क्षेत्र को निर्वाचक नामावली

१ Report of the Reforms Enquiry (Muddiman) Committee 1924, page 129.



में अपना नाम निबन्धित कराने का अधिकारी था। साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों की अहंताएँ य थी — (१) निर्वाचन-क्षेत्र में पिछले बारह महीना से निवास और चुगी को कम से कम ३ रुपये<sup>३</sup> प्रतिवर्ष के टैक्स का भुगतान, अथवा (२) ऐसे मकान का निवास अथवा स्वामित्व, जिसका वार्षिक किराया ३६ रुपये<sup>४</sup> अथवा उससे अधिक हो, अथवा (३) कम से कम २००० रुपये प्रतिवर्ष की आय पर आय-कर निर्धारण, अथवा ग्राम्यक्षेत्रों में एग्री कृषि व भूमि का स्वामित्व जिसका वार्षिक निर्धारित मूल्य कम से कम १० रुपये हो। विभिन्न प्रांतों में यह पिछली रकम १० रुपये से लेकर ५० रुपये तक थी।<sup>५</sup> सभी प्रांतों में मताधिकार के लिए संन्य-सेवा को अहता दी गई थी और पंजाब तथा मध्य प्रांत में गांव के मुखिया अथवा 'लम्बरदार' को भी मताधिकार दिया गया था। जमींदारों के निर्वाचन-क्षेत्र की मुख्य अहता यह थी कि वह व्यक्ति इतनी जमीन का मालिक हो जिसकी निर्धारित मालगुजारी ५०० रुपये हो। विभिन्न प्रांतों के लिए यह रकम भी भिन्न थी और वह पंजाब में ५०० रुपये से लेकर ५०० पी० में ५००० रुपये तक थी। विश्वविद्यालयों के निर्वाचन क्षेत्र में ७ वर्ष से अधिक अवधि के सभी स्नातकों को मताधिकार दिया गया था। अन्य व्यक्ति निर्वाचन-क्षेत्र के लिए उन विषय हितों की सस्थाओं को—जैसे वाणिज्य मंडल (चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स), मिलमालिका की सस्थाओं रोपक सस्थाओं आदि को—मताधिकार दिया गया था।

प्रान्तीय विधान मंडलों के अभ्यर्थियों के लिए विषय अहतायें निश्चित नहीं की गई थी। उनके लिए केवल दो बातें आवश्यक थी। एक तो यह कि उनको, जिस निर्वाचन-क्षेत्र से वे खड़े हो रहे हों उसके मतदाता<sup>६</sup> की सारी अहतायें प्राप्त होनी चाहिए<sup>७</sup> और उनकी आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त अनहंताओं के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनहतायें थीं—जैसे दिवाला, बकालत से निलम्बन आदि।

निर्वाचन और उनको निर्दोषिता के सबंध में बहुत से नियम बनाए गए थे। कदाचार को रोकने के लिए कठोर नियम निश्चित किए गए थे। निर्वाचन सम्बन्धी खगड़ों का निपटारा करने के लिए, गवर्नर द्वारा कमिश्नरों की नियुक्ति करने की १ बड़े शहरों—जैसे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई—के लिए यह रकम इससे बहुत ज्यादा थी।

२ बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा में मुसलमानों के लिए काफी कम रकम निश्चित की गई थी।

३ यू० पी० में यह रकम २५ रुपये थी।

४ निवास सम्बन्धी अहंताएँ बम्बई, पंजाब और मध्यप्रान्त के अभ्यर्थियों के ही लिए थीं।

व्यवस्था को गई थी। इस सम्बन्ध में गवर्नर को आज्ञाएँ कमिश्नर को रिपोर्ट के अनुसार होनी थी और वे आज्ञाएँ अन्तिम थी।

इस प्रकार नई विधान-परिषद् निर्वाचन सत्याएँ थी, किन्तु निर्वाचन व्यवस्था विगुद्ध रूप से प्रादेशिक नहीं थी। सरकारी गुट का अनुपात अवश्य कम था किन्तु वह महत्त्वपूर्ण नहीं था। नाम निर्देशित सदस्य और विरायत या साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की सहायता से वह गुट काफी प्रभाव डाल सकता था।

गवर्नर के प्रान्त की विधान-परिषद् ३ वर्ष के लिए बनाई जाती थी। किन्तु आवश्यकता हान पर उमका विरोध तीन वर्ष की अवधि से पहले भी किया जा सकता था। विरायत परिस्थितियों में गवर्नर विधान-परिषद् का जीवन अधिक से अधिक एक वर्ष तक के लिए बढ़ा भी सकता था। परिषद् के आह्वान, सत्रावसान और विलोपन या और साथ ही उसकी सभा के स्थान और समय के निर्दिष्ट करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया था। गवर्नर विधान-परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता था किन्तु वह उसको सम्बोधन करने का अधिकारी था। परिषद् के अध्यक्ष को पहले चार वर्ष के लिए नियुक्ति और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुष्टि, गवर्नर को करनी थी।

विधान-परिषद् को प्रान्तीय सभासदन और शान्ति के लिए विधि बनाने का साधारण अधिकार दिया गया था। किन्तु इस अधिकार को कई प्रकार से परिमित कर दिया गया था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सब से पहली बात तो यह थी कि निक्षेपण नियमा के अनुसार बहुत से विषयों में गवर्नर-जनरल की पूर्ण-स्वीकृति लेना आवश्यक था। दूसरी बात यह थी कि गवर्नर, विधान-परिषद् द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को सुरक्षित विषयों के शासन सम्बन्धी अपने दायित्व के तहत पर निर्बन्धित कर सकता था। तीसरी बात यह थी कि गवर्नर किसी भी विधेयक अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में चाहे वह परिषद् में किसी भी स्थिति में क्यों न हो, विचार करने पर रोक लगा सकता था— यह कारण बता कर कि उससे प्रान्त अथवा उसके किसी भाग को सुरक्षा अथवा शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अन्तिम बात यह थी कि विधान-परिषद् द्वारा स्वीकृत विधेयकों को निषिद्ध करने का अधिकार गवर्नर और गवर्नर-जनरल दोनों में ही विहित था—साथ ही किसी भी विधेयक को परिषद् के समक्ष दुबारा विचार करने के लिए लौटाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सम्राट् को प्रांतीय विधान-मण्डल के किसी भी ऐक्ट को अस्वीकार करने का अधिकार था।

१ माण्टफार्ड ने इस बात की सिफारिश की थी कि स्वयं गवर्नर ही विधान-परिषद् का अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष भी मयासतभव सरकारी व्यक्ति ही हो।

२ इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिए।

प्रान्तीय विधान-मंडलों की विधायिका शक्ति पर ये बहुत बड़े प्रतिबन्ध थे, किंतु उनमें से कुछ द्वंद्व दासन-व्यवस्था की विचारधारा में आनुपगिक थे।

सरक्षित विभागों के लिए स-परिपद गवर्नर द्वारा आवश्यक विधान बनाने के सम्बन्ध में माटफोर्ड रिपोर्ट न कई पद्धतियों का परीक्षण किया और अन्त में उस काम के लिए बड़ी कमेटीयों बनाने की सिफारिश की जिनमें सरकारी बहुमत हो। किंतु सयुक्त प्रवर समिति ने उस योजना को अस्वीकार किया क्योंकि उसके अनुसार उस व्यवस्था से सरकारी गुट के दोष स्थायी होने का, सपरिपद् गवर्नर के दायित्व के ढक जाने का और सकट के समय में विधान तुरन्त न बन सकने का डर था। अतः कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि गवर्नर को इस बात का स्पष्ट और प्रत्यक्ष दायित्व दिया जाय कि यदि विधान-परिपद् आवश्यक विधान का पारण न करे तो वह स्वयं ही अपने उत्तरदायित्व पर सम्बन्धित विधान बना दे। 'गवर्नर के निजी दायित्व पर बने हुए ऐक्ट, गवर्नर-जनरल द्वारा सम्राट की 'कृपा' के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ।' इस को गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट १९१९, के तेरहवें खंड में रूप दिया गया।<sup>१</sup>

सरक्षित विषयों से सम्बन्धित व्यय और आपातकालीन व्यय के लिये भी ऐक्ट में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, १९१९, के अनुसार विधान-परिपद् में, प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना था और अनुदान सम्बन्धी मांगों के रूप में राजस्व के विनियोग के लिए प्रस्ताव रखे जाने थे। "परिपद् किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, अथवा प्रस्तावित परिमाण को घटा सकती है, किंतु (१) गवर्नर द्वारा इस बात का निबन्धन हो जाने पर कि उस विषय पर उसका उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उक्त व्यय आवश्यक है, प्रान्तीय सरकार को सरक्षित विषयों के सम्बन्ध में उस मांग के प्रत्यानयन करने का अधिकार होगा; (२) आपातकाल में प्रान्तीय शान्ति और सुरक्षा के लिए गवर्नर को जितना परिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागों को अधिकृत करने का अधिकार होगा<sup>२</sup>, और (३) राजस्व के विनियोग सम्बन्धी सारे प्रस्ताव गवर्नर की सिफारिश पर ही पेश किए जायेंगे।

ऐक्ट के खंड न २ (३) से विधान-परिपदों के वित्तीय अधिकार और भी ज्यादा परिमित हो गए थे। इसके अनुसार व्यय के निम्नलिखित शीर्षकों से सम्बन्धित प्रस्ताव परिपदों में प्रस्तुत नहीं किए जाने थे —

१. *India in 1919, pages 242 and 243.*

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४०.

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४१.

(१) सपरिषद् गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, और

(२) ऋणों की व्याज और निक्षेप-निधि, और

(३) एसा अन्य जितना परिमाण किसी विधि के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत निश्चिन है, और

(४) सम्राट् द्वारा उसके अनुमोदन से अथवा सपरिषद् भारत-मन्त्री द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के वेतन और निवृत्ति, वेतन, और

(५) प्रान्त के हाईकोर्ट के न्यायाधीशा के वेतन और साथ ही प्रान्तीय महाधिवक्ता का वेतन ।

विधान-परिषदों के सदस्यों को परिषद् के स्थायी नियमों के अभ्यर्षन से अधिकार प्राप्त थे—वे प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, स्वयं प्रस्ताव और मन्त्रियों के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव रख सकते थे और विधेयक प्रस्तुत कर सकते थे । परिषद् के नियमों में उचित कार्यपद्धति और प्रान्तीय सुरक्षा तथा शान्ति के हित में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए थे ।

भारत सरकार ने प्रांतीय विधान-परिषदों को कार्य-पद्धति के सम्बन्धमें नियम बनाए थे । इन नियमों की अनुपूर्ति आरम्भ में सपरिषद् गवर्नर को स्थायी आज्ञाओं से हुई किन्तु इनमें परिषदें बाद में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती थीं । इन नियमों के अनुसार स्थायी समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई ताकि सदस्यगण सरकार की वास्तविक समस्याओं के सम्पर्क में आ सकें । उनका काम केवल परामर्श देने का था और उनका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षणात्मक था । इनमें विस्तृत समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी जो नये व्ययके सारे प्रस्तावों पर परामर्श देती थी । उसके थिलकुल पृथक् सार्वजनिक लेखा समिति थी जिसकी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्ति होनी थी । नियमों में उसकी रचना और उसके कार्यों को निश्चित कर दिया गया था । अध्यक्ष सहित उसके कुल सदस्यों की संख्या १२ थी, अध्यक्ष स्वयं वित्त सदस्य होता था । इस समिति के दो तिहाई सदस्य, विधान-परिषद् के गैरसरकारी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनुसार चुने हुए होते थे । समिति को विनियोग के खातों की परीक्षा करनी होनी थी, इस बात को देखना होता था कि बांट किये हुए धन का उपयोग विधान-मंडल की इच्छानुसार हो किया गया था और उस अपनी जांच की रिपोर्ट परिषद् को देनी होनी थी । इन प्रकार विधान मंडल यह जान सकता था कि उनके निर्णयों का उचित रूप में पालन किया गया अथवा नहीं ।

गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, १९१९, ने प्रान्तीय क्षेत्र में उपयुक्त परिवर्तन किए । उनके द्वारा उत्तरदायी शासन की दिशा में पहली कदम उठाया गया ।

स्वयं ऐक्ट के अन्दर ही इस बात की व्यवस्था की गई थी कि दस वर्ष बाद एक प्रविधानीय कमीशन नियुक्त किया जाय और उनके सदस्यों को सम्राट्<sup>१</sup> तथा पार्लियामेंट के दोना भवना के अनुमोदन से छाँटा जाय। इस कमीशन को ब्रिटिश भारत की व्यवहृत शासन व्यवस्था, शिक्षा की वृद्धि और प्रतिनिधि सत्स्यो के विकास और अन्य सम्बन्धित विषयों की जाँच करनी थी और निम्नलिखित बातों पर रिपोर्ट देनी थी—उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को मान्यता देना बाछनीय है अथवा नहीं, यदि बाछनीय है तो किस हद तक मान्यता दी जाय, तत्कालीन उत्तरदायी शासन को कितना विसृत, सशोधित अथवा परिमित किया जाय, और दूसरे विधायिका भवनों की स्थापना करना बाछनीय है अथवा नहीं। इन बातों के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत और प्रान्तों से सम्बन्धित अन्य बातों का सम्राट् द्वारा कमीशन को उसके विचारार्थ सौंपा जा सकता था।<sup>२</sup>

९

यद्यपि मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केन्द्रीय शासन का स्वरूप बदलने का अथवा केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था आरम्भ करने का कोई उद्देश्य नहीं था, तथापि केन्द्रीय व्यवस्था को भारत में अथवा इंग्लैंड में यथावत् छोड़ना सम्भव नहीं था। अतः मॉण्टफोर्ड सुधारों ने भारत और इंग्लैंड दोनों ही स्थानों में सरकारी ढाँचे में कुछ परिवर्तन किए और भारतीय लोक सेवाओं तथा देशी राज्यों के साथ सम्बन्ध की समस्या पर भी प्रकाश डाला।

२० अगस्त १९१७ की घोषणा में यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति, “शासन के प्रत्येक विभाग में अधिवाधिक भारतीया को साथ लेने की है।” किन्तु मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दी। “किसी सेवा में अचानक ही नये अथ की ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए कि उसका सारा स्वरूप ही एकदम बदल जाय” और प्रतिवर्ष भर्ती किये जाने वाले भारतीयों की सख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनको “उस सेवा के पुराने सदस्य उचित रूप से शिक्षित

१ ऐक्ट में अथवा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे भारत मन्त्री पर कोई ऐसी रोक हो कि कमीशन के लिए पार्लियामेंट के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश न की जाय।

२ Clause 41 of the Act. India in 1919, page 513. इस बात में सन्देह है कि देशी राज्यों से संबंधित प्रश्नों को उस कमीशन को सौंपना वैध था। १९१९ के ऐक्ट के अनुसार केवल ब्रिटिश भारत से सम्बन्धित विषय ही उसे सौंपे जा सकते थे।

कर सक और उस सेवा की भावना से प्रेरित कर सक।<sup>१</sup> अतः यह प्रस्ताव किया गया कि जिन सेवाओं के लिए इगूड म नर्ती होनी थी उन सेवाओं के लिए भारत म नर्ती करने के निमित्त एक नियत अनुपात निश्चित कर दिया जाय। उदाहरण के लिए इंडियन मॉबिल सर्विस के ३३ प्रतिशत पदा व लिए भारत म नर्ती की जाय।<sup>२</sup> विभिन्न लोकसेवाओं म भारतायकरण की गति प्रभा बड़ाई जाती थी।

सन् १९१९ के गवर्नमण्ट ऑफ इंडिया एक्ट न स-परिपद् भारत मत्री को प्राधिकार दिया कि वह इंडियन सिविल सर्विस<sup>३</sup> म भारत के अधिवासी लोगों की नियुक्ति के नियम बनाव और साथ ही भारत की सिविल नौकरियों के वर्गीकरण के लिए उनकी नर्ती की प्रक्रिया के लिए उनके बतन, भत्त व्यवहार और अर्थासन के विनियमन के लिए नियम बनाव।<sup>४</sup> एक्ट के प्राधिकार के बल पर भारत मत्री नियम आदि बनाने के अधिकार को स-परिपद् गवर्नर जनरल को अथवा प्रांतीय सरकार आदि को सौंप सकता था। १९१९ के एक्ट न स परिपद् भारत मत्री द्वारा एक लाक-मवा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की। इस आयोग म अल्पसंख्यक पांच से अधिक सदस्य नहा होना था प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष का था किन्तु उसको दुबारा नियुक्ति भी हो सकती थी। यह लोक सेवा आयोग भारत म लोक-सेवाओं की नर्ती और नियमन के संबंध म वह तारे जाय करेगा जो स-परिपद् भारत-मत्री द्वारा नियमों के अनुसार उस सौंपे जायगा।<sup>५</sup>

स परिपद् भारत मत्री द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार भारत म सम कार्मिक प्रतियोगितापूर्ण परीक्षाओं की व्यवस्था कुछ हद तक अपनाई गई, साथ ही विभिन्न समुदायों और प्रांतों का आन-मवाजा म प्रतिनिधित्व देन के लिए नाम निर्दान की व्यवस्था की गई। किन्तु सिविल सेवाओं से सम्बंधित सारे प्रश्नों को जिनम प्रांतीय सदस्यों के बतन बढ़ाने का प्रश्न भी सम्मिलित था, सन् १९२२ म एक राजकीय समिति को सौंपा गया। इस समिति के अध्यक्ष आइ. ए. थोप।

माष्टकोड रिपोर्ट के संयक्त लेखकों का आन-मवाजा के पुराणाय सदस्यों के

१ The Report on Indian Constitutional Reforms 1919 page 200

२ उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ २०१

३ Section 37 (1) of the Act India in 1919, page 252

४ Section 36 (2) of the Act, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ २५१

५ Section 38 (2) of the Act, उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५२

सबध में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी और केवल उनके वेतन तथा भत्त में वृद्धि के लिए और वैधानिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण उनकी क्षतिपूर्ति के लिए ही सिफारिश नहीं की थी वरन् नए संविधान में उनको प्रबल संरक्षण देने की व्यवस्था भी की थी। इसी उद्देश्य से १९१९ के ऐक्ट में तीन महत्वपूर्ण धाराओं को स्थान दिया गया। पहली धारा में उनको जो संरक्षण दिया गया था उसके अनुसार मन्त्रिगण उनको पदव्युत्त नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर मन्त्रियों के लिए उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बनाये रखने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। दूसरी धारा के अनुसार इन सदस्यों को मन्त्रियों का अतिरिक्त करके गवर्नर से सिकायत करने का अधिकार दिया गया। तीसरी धारा के अनुसार उनके वेतन, भत्ते आदि का पूर्ण संरक्षण किया गया। यदि इन संरक्षणों के बावजूद, सिविल सेवाओं के कुछ सदस्य "ऐसा अनुभव करें कि वह दूध प्रणाली के अन्तर्गत उपयुक्त रूप से काम नहीं कर सकते" तो संयुक्त प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया कि सम्राट् सरकार, यदि उसके लिए यह शक्य हो, तो उन सदस्यों को अन्यत्र समान पद प्रदान करे अथवा उनको आनुपातिक पंशन पर निवृत्त<sup>१</sup> कर दिया जाय।

१०

मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट का तीसरा मूल यह था -

"भारत सरकार, पार्लियामेण्ट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, और इस उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, प्रान्तों में आरम्भ होने वाली नई व्यवस्था के अनुभव-काल में, उस (भारत सरकार) का मौलिक विषयो में अधिकार निर्विवाद है। इस अवधि में भारतीय विधान परिषद्, विस्तृत और अधिक प्रतिनिधिपूर्ण की जानी चाहिए और सरकार को प्रभावित करने के उसके अवसर बढ़ाए जाने चाहिए।"<sup>२</sup>

इस नीति को गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९१९ के भाग २ में और इस सबध में भारत सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों में रूप दिया गया। दो भवनों के एक नए विधान मंडल की स्थापना की गई और वाइसरॉय की कार्यकारिणी-परिषद् की रचना में थोड़ा-सा संशोधन किया गया। कार्यकारिणी परिषद् को सदस्यता के सबध में अधिकतम सीमा के प्रतिबन्ध को दूर कर दिया गया,<sup>३</sup>

१. Mukherjee: The Indian Constitution; part II, page 526.
२. The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 124.
३. Clause 28 (1) of the Act, India in 1919, page 248.

भारतीय उच्च न्यायालया के १० वर्ष से अधिक की स्थिति के पक्षीय उत्तके सदस्य नियुक्त किए जा सकते थे<sup>१</sup> और भारतीय विधान-परिषद् के सदस्य में से परिषद्-कायदा नियुक्त करने की व्यवस्था की गई।<sup>२</sup> कार्यकारिणी परिषद् के तीन सदस्य के लिए पूर्ववन् मवा को अहता आवश्यक थी—अर्थात् वे लोग भारत में कम से-कम दस वर्ष तक सभा के सदस्य रहे हों। कार्यकारिणी परिषद् में भारतीयों को नियुक्ति करने के संबंध में कोई प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की गई थी किन्तु समुक्त प्रवर समिति को सिफारिसों पर तीन भारतीयों को परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया।

नए केन्द्रीय विधान मंडल में दो नवम्बर होना थे—राज्य-परिषद् और भारतीय विधान सभा। राज्य परिषद् स्थापित करने के लिए माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने मुख्यतः इस उद्देश्य से सिफारिस की थी कि यदि किसी अनिवार्य विधान को अधिक लोकाधिमत प्रथम भवन स्वीकार न करे तो भारत सरकार उसका राज्य-परिषद् से पारण करवा सके। अतः उसने इस बात का प्रस्ताव किया कि राज्य-परिषद् में कुल ५० सदस्य हों जिनमें से आठ, सरकारी व्यक्ति हों, ४ नाम-निर्देशित गैर-सरकारी व्यक्ति हों और शेष २१ निर्वाचित व्यक्ति हों—जिनमें से १५ सदस्य प्रान्तीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों और ६ सदस्य जमादारा, मुसलमानों और वाणिज्य मंडलों द्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित हों। रिपोर्ट के लेखक ने कहा “राज्य-परिषद्, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भारत का सर्वोच्च विधायिका सत्ता होगी और उसे सारे भारतीय विधानों को दोहराने का अधिकार प्राप्त होगा। अतः हम उसकी ओर देश के सर्वोत्तम उपलब्ध ऋविषयों को आकर्षित करना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि वह विकसित हो और उसमें वे सब विषय पत्राएँ हों जो दोहराने वाले भवना के लिए आवश्यक और उपयुक्त समझे जाते हैं।”<sup>३</sup> समुक्त प्रवर समिति ने इस बात को आवश्यक अथवा वाछनीय नहीं समझा कि “राज्य-परिषद् को सरकारी विधान के लिए उपकरण बनाया जाय।” समिति ने इस बात को सिफारिस की कि “आरम्भ में ही उसकी वास्तविक द्वितीय भवन के रूप में रचना की जाय।”<sup>४</sup> मताधिकार कमेटी ने इस बात का मुझाव दिया था कि राज्य-परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों का वही मतदाता निर्वाचन करें जो विधान सभा के लिए निर्वाचन करते हैं, किन्तु

१ Clause 28 (2) of the Act. India in 1919, page 249.

२ Clause 28 (1) of the Act. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६९.

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७९.

४ Mukherjee The Indian Constitution, Part II, page 520.



संयुक्त प्रवर समिति ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और उसने भारत सरकार को यह प्राधिकार देने की सिफारिश की कि वह राज्य परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र बनावे ।

भारत सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार राज्य-परिषद् में ६० सदस्य होने थे जिनमें से एक सदस्य की गवर्नर-जनरल द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जानी थी । शेष ५९ सदस्यों में से, २५ नाम निर्देशित होने थे—१९ सरकारी और ६ गैर-सरकारी, ३४ निर्वाचित होने थे—२० साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, ३ यूरोपीय वाणिज्य-मंडल से और ११ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से (१० मुस्लिम क्षेत्र से और १ सिक्ख क्षेत्र से) । राज्य-परिषद् को पुनरीक्षक भवन के रूप में काम करना था और उसे विधान के सबंध में प्रथम भवन के बराबर अधिकार प्राप्त थे ।

प्रथम भवन का नाम था भारतीय विधान-सभा और इसमें—सभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त—१४३ सदस्य होने थे । अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा पहले चार वर्षों के लिए की जानी थी । अन्य सदस्यों में से, ८० नाम-निर्देशित होने थे—२५ सरकारी और १५ गैर-सरकारी, और १०३ निर्वाचित होने थे—५१ साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से, ३२ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से (मुसलमानों द्वारा ३० और सिक्खों द्वारा २) , और २० विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से (जमींदारों द्वारा ७, यूरोपियनों द्वारा ९ और भारतीय वाणिज्य वर्ग द्वारा ४) । मताधिकार कमेटी ने भारतीय विधान-सभा के लिए परोक्ष निर्वाचन-व्यवस्था की सिफारिश की थी, क्योंकि उसके मतानुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था वाञ्छनीय होते हुए भी अव्यवहार्य थी—प्रान्तीय मताधिकार के आधार पर बने हुए निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े और बोलसल होंगे, सकीर्ण मताधिकार "अयुक्त" और "राजनैतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय" होगा ।<sup>१</sup> संयुक्त प्रवर समिति ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और इस बात की सिफारिश की कि भारत सरकार से इस सबंध में नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने को नहा जाय ।

इस प्रकार केन्द्रीय विधान-मंडल के लिए निर्वाचन-व्यवस्था, मताधिकार और विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना के प्रश्न, भारत सरकार के निर्णय के लिए छोड़ दिये गए थे । भारत सरकार ने केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों भवनों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के पक्ष में निर्णय किया । राज्य परिषद् के निमित्त उन लोगों को मताधिकार दिया गया जिनकी आय-कर से निर्धारित वार्षिक आय १०००० रुपये से कम न हो। (विभिन्न स्थानों अथवा समुदायों में यह

१ Mukherjee . The Indian Constitution, Part II  
page 215

बेधियों पर अथवा संपुनत राज्य के विधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो कोई अधिकार नहीं था।

य प्रतिबंध ब्रिटिश पार्लियामेण्ट की प्रभुता यथावत बनाय रखन के लिए आया गया था। इनके अतिरिक्त गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को श्रेष्ठता और सत्ता बनाय रखन के लिए केन्द्रीय विधान मंडल पर और बहुत स महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए थे। सबसे पहला प्रतिबंध यह था कि निम्नलिखित बातों पर प्रभाव डालन वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल को पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था -

(१) सावजनिक ऋण अथवा भारतीय सावजनिक राजस्व अथवा भारतीय राजस्व पर किसी परिवर्धन का भार अथवा

(२) भारत को ब्रिटिश प्रजा के किसी वर्ग के धर्म उसकी रीति अथवा परंपरा अथवा

(३) सम्राट की जल स्थल और वायु सेना के किसी भाग का अनुशासन, अथवा

(४) सरकार का विदेशी नरेशों अथवा रियासतों से संबंध, अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव-

(अ) जिससे ऐसे प्रान्तीय विषय अथवा ऐसे किसी प्रान्तीय विषय के किसी भाग का विनियमन होता हो जो इस एक्ट के अन्तर्गत बन हुए नियमों के अनुसार भारतीय विधान-मंडल के विधान धर्म के अभ्यधीन न हो, अथवा

(ब) जिससे प्रान्तीय विधान-मंडल का कोई एक्ट रद्द या संशोधित होता हो, अथवा

(स) जिससे गवर्नर-जनरल द्वारा बनाया हुआ कोई एक्ट अथवा अध्यादेश रद्द अथवा संशोधित होता हो।<sup>१</sup>

दूसरा प्रतिबंध यह था कि यदि गवर्नर-जनरल के मत से किसी विधायक अथवा उसकी किसी भाग से ब्रिटिश भारत अथवा उसका किसी भाग की शान्ति अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो<sup>२</sup> तो वह उस विधायक या उसके सम्बंधित भाग पर चाहे वह किसी भी नयन में और किसी भी स्थिति में क्या न हो उर्दा करने के संबंध में रोका जा सकता था।

१ Section 67 clause (2) of the Consolidated Act See Mukherjee The Indian Constitution, part I, pages, 281 and 282

२ उपसुद्धि पुस्तक पृष्ठ २८२

केन्द्रीय विधान-मंडल की सत्ता पर सीसरा प्रतिबन्ध यह था कि यदि गवर्नर-जनरल के मत से 'ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति सुरक्षा अथवा उसके हित के लिए' <sup>१</sup> किसी विधि का बनाना अनिवार्य है और यदि दोनों भवनो ने उसे बनाने से इन्कार कर दिया है तो उसे प्राधिकार था कि वह उस विधि का विधान कर दे अर्थात् प्रचलित शब्दावली में उसका निबन्धन कर दे। ऐसे प्रत्यक ऐक्ट के लिए सम्राट् की स्वीकृति लेने का नियम था किंतु 'इससे पहले यह आवश्यक था कि उसकी प्रतियां पार्लियामेंट के प्रत्यक भवन के समक्ष अधिवेशन के कम-से-कम आठ दिनों तक रखी जावें।' <sup>२</sup> यह व्यवस्था समुक्त प्रवर समिति की सिफारिश से, मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट की उस मौलिक योजना के स्वरूप पर अपनाई गई थी जिसके अनुसार मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रस्तावित द्वितीय भवन को अनिवार्य विधान बनाना था। समिति की दृष्टि में यह उचित नहीं था कि गवर्नर-जनरल अपने दायित्व को छिपावे और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित राज्य-परिषद् के सरकारी गुट से इसका काम निकाले। इस सम्बन्ध में पहले भी ध्यान आकषित किया जा चुका है।

केन्द्रीय विधान-मंडल के अधिकारों पर चौथा प्रतिबन्ध यह था कि गवर्नर-जनरल को आपातकाल में "ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति और उसके सुशासन के लिए अध्यादेश" <sup>३</sup> बनाने का अधिकार था। गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए हुए अध्यादेश की उतनी ही विधिक मान्यता होनी थी जितनी कि भारतीय विधान मंडल द्वारा बनाये हुए किसी ऐक्ट की। कोई भी अध्यादेश छे महीने से अधिक के लिए जारी नहीं किया जा सकता था।<sup>४</sup>

पांचवां प्रतिबन्ध यह था कि गवर्नर-जनरल को केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों भवनों द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पहले, फिर विचार करने के लिए मंडल के पास वापिस भेज देने का अधिकार था।

अन्तिम बात यह थी कि भारतीय विधान मंडल को किसी भी विधि के विधायन के लिये गवर्नर-जनरल की स्वीकृति अनिवार्य थी। उसे अधिकार था कि उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे अथवा उसे सम्राट् की कृपा के लिए सुरक्षित कर दे। सम्राट् को भारतीय विधान-मंडल अथवा गवर्नर जनरल द्वारा बनाय हुए किसी भी ऐक्ट को अस्वीकार कर देने का अधिकार था। समुक्त प्रवर समिति न

१. Section 37 B of the Consolidated Act Mukherjee  
Indian Constitution, Part I, page 293

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९६

३ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९८, २९९

४ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९९

इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गवर्नर-जनरल का निषेधाधिकार वास्तविक था और उत व्यवहार में लान का उद्देश्य था।

गवर्नर-जनरल की अनुमति के लिए किसी विधायक को उसके पास भवने से पहले यह आवश्यक था कि विधान मंडल के दोनों भवना ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी हो। यदि किसी विधायक का एक भवन न स्वीकार कर लिया है बिना उस भवन के स्वीकार कर लेने के छे महीने के अन्दर ही उस विधायक को उसी रूप में अथवा संशोधना के बाद (जो पहले भवन को मान्य हो) दूसरे भवन से स्वीकृति नहीं मिलती तो गवर्नर-जनरल स्वविवेक से उस विधाय के निर्णय को दोनों भवना के संयुक्त अधिवेशन का सौंप सकता था।<sup>१</sup> इस प्रकार दोनों भवना के गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी।

दोना भवना के सदस्या को निश्चित नियमा के अनुसार प्रश्न पूछने का, अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का स्पगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, और विधान के प्रश्न प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। सदस्या को भवना में भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार भी दिया गया था।

गवर्नरमट ऑव इंडिया एक्ट, १९१९ के अनुसार, गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद् का वित्तीय विवरण, भारतीय विधान-मंडल के दोनों भवना में प्रस्तुत किया जाना था। सरकार को—केवल गवर्नर-जनरल की ही सिफारिश पर—अनुदानों की माँग के रूप में राजस्व-विनियोग के प्रस्ताव प्रस्तुत करने प। व्यय के निम्न-लिखित शीर्षका को छोड़ कर, सब नव प्रस्तावा पर भारतीय विधान सभा को अपना मत प्रकट करने का अधिकार था।

(१) ऋणा की व्याज और नि.प निधि सम्बन्धी परिव्यय, और

(२) एना व्यय जिनका परिमाण किसी विधि द्वारा निश्चित हो, और

(३) सम्राट् द्वारा अथवा उसके अनुमान में अथवा मपरिषद् भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त किये हुए लागा के बतन और निवृत्ति-बतन और,

(४) मुख्य कमिश्नरा और न्यायिक कमिश्नरा के वेतन, और

(५) एना व्यय जिन को मपरिषद् गवर्नर-जनरल की आज्ञानुसार निम्न-लिखित वर्गों में गणना हो—

(अ) धर्म (चर्च) सम्बन्धी,

(ब) राजनैतिन,

(म) सुरक्षा सम्बन्धी।<sup>१</sup>

१. Section 25 of the Act of 1919, "India in 1919" page 249.

दोनो म से किसी भवन म बिना गवर्नर जनरल के निदण के उपयुक्त मदा पर तो चर्चा भी नही की जा सन्ती थी ।

व्यय की अथ मद्दो पर विधान सभा अपना मत प्रकट करती थी—वह किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुल मांग को घटाकर किसी मांग के परिमाण को घटा सकती थी किंतु गवर्नर जनरल को, यह घोषित करन पर कि विधान सभा द्वारा अस्वीकृत मांग उसके उत्तरदायित्व के पालन के लिए आवश्यक ह उस मांग के परिमाण को यथावत रखन का अधिकार था । आयातकाल म ट्रिटिंग भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल को जितना परिमाण वह ठीक समझ उतन के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागो का प्राधिकृत करन का अधिकार था ।<sup>१</sup>

इस प्रकार भारतीय विधान मडल केवल एक प्रभता रहित विधायक निकाय ही नहो था वरन वह कार्यकारिणी के समक्ष अगत भी था । प्रशासनीय विधानीय एव वित्तीय सभी क्षत्रो म स परिषद् गवर्नर-जनरल का पूरा अधिकार था । कार्यकारिणी विधान मडल से स्वतंत्र हो नहो थी वरन इसको लगभग सभी विषयो म उसका उल्लघन करन का अधिकार था । तथापि कुछ सदस्यो को स्थायी समितियो के द्वारा कार्यकारिणी विभागो के संचालन और प्रशासनीय समस्याओ के निवट-सम्पर्क म आन का अवसर मिल जाता था । सभा की स्थायी समितियो म वित्त समिति और सावजनिक सेवा समिति अधिक महत्वपूर्ण थी । सभा के सदस्यो को भारत सरकार की वास्तविकता प्रकट करन का भी अवसर था—यह जतान का कि सरकार देश के योगो की इच्छाओ और उनके हितो के विरुद्ध काम कर रही थी । भारतीय विधान सभा और चाहे जो कुछ करन म समर्थ या असमर्थ हो किंतु उसे भारत सरकार का असली स्वरूप प्रकट करन का अधिकार अवश्य था ।

१२

१९१९ क एक्ट न भारत की गृह सरकार म भी कुछ परिवर्तन किये । सब से पहले ज्ञात तो यह हुई कि प्रांतो को आंगिक उत्तरदायित्व देन के कारण सपरिषद भारत मंत्री को नियंत्रण कम करन का अधिकार दिया गया । सरक्षित विभागो के सबध म अथवा भारत सरकार के सबध म प्रविधानीय रूप से नियंत्रण कम करना सम्भव नहो था क्योंकि इनके लिए पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व था । किंतु समयन प्रवर समिति न एसी परम्परा डालन का सुझाव दिया था कि असाधारण परिस्थितियो के अतिरिक्त एसे विगुद्ध रूप से भारतीय विषयो म दिलके सच स सचकार और भारतीय विधान मडल सहमत हो भारत मंत्री हस्तक्षेप न करे । यह बात आर्थिक विषयो के सबध म विनाप रूप से आवश्यक

१ Section 25 of the Act of 1919 India in 1919 page 249

अनुभव की गई क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति इस बात का सदह दूर करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थी कि भारत की आर्थिक नीति ब्रिटन के व्यापार के हित में ब्लाइट हाल से निर्दिष्ट होती है। यही कारण है कि इस दृष्टि से व्यवहृत नीति आर्थिक स्वायत्तता परंपरा के नाम से पुकारी जाती थी।

१९१९ के एक्ट ने यह सरकार के सबंध में दूसरा परिवर्तन भारत-परिषद् के संविधान में किया। भारतीय जनमत ने भारत-परिषद् का तोड़ने की मांग की थी और क्रिउवे कमटी का मत बराबर बढ़ा हुआ था। किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-परिषद् को बनाए रखने की सिफारिश की जिस १९१९ के एक्ट ने स्वीकार किया और उसमें कुछ साधारण संपोधना के अतिरिक्त भारत-परिषद् को पूर्ववत् बनाए रखा। परिषद् की सदस्यता की अधिकतम सीमा को १४ से घटाकर १२ कर दिया गया और न्यूनतम सीमा को १० से घटाकर ८ कर दिया गया। अविष्य में नौ सदस्यों के स्थान पर परिषद् के आधे सदस्यों के लिए हासला की अहता आवश्यक थी। नये सदस्यों का कार्यकाल सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया। सदस्यों के लिए १२०० पौंड का वार्षिक वेतन निश्चित कर दिया गया किन्तु भारतीय सदस्यों को इस वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंड का वार्षिक भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई। परिषद् की मीटिंग कम-से-कम प्रति सप्ताह के स्थान पर प्रतिमास होती थी। गण-भूति के सबंध में प्रविधानाय व्यवस्था नहीं की गई, उसको सच्चा स्वयं भारत मंत्री का निश्चित करने की थी। कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार स-परिषद् भारत मंत्री का दिया गया। इस सबंध में इस बात की ओर ध्यान उचित होगा कि संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-परिषद् की उपयोगिता बर्धन के लिए विभाग व्यवस्था अपनाने की सिफारिश की थी।

तीसरी बात यह थी कि माण्टफाड मुथारा ने स-परिषद् भारत मंत्री के अधिकरण कार्यों को प्रासन्नोय एवं राजनतिक कार्यों से पृथक् करने का व्यवस्था का थी। क्रिउवे कमटी का यह मुताब था कि स-परिषद् भारत मंत्री के अधिकरण-कार्य भारत के हाई कमिश्नर का (जिसको इसा उद्देश्य ने अदन में नियुक्ति की जावे) सोप दिय जान चाहिएँ। एक्ट ने सघ्राट् का अधिकार दिया कि वे संयुक्त राज्य में भारत के हाई कमिश्नर का नियुक्ति के लिए उसके वेतन विबुनि वेतन अधिकार वत्तव्य और उमकी नवा का गतों के लिए परिषद् आदेश द्वारा व्यवस्था कर और उमका वे नये अधिकरण काम सोप दन की व्यवस्था कर जा पहल सपरिषद् भारत मंत्री द्वारा दिय जान न साथ हा व सनें

१ Mukherjee The Indian Constitution, Part II,

निश्चित कर दें जिनके अनुसार उसे स-परिपद् गवर्नर-जनरल अथवा प्रान्तीय सरकारकी ओर से बाम करना होगा।”<sup>१</sup>

सन् १९२० में भारत के हाई कमिश्नर<sup>२</sup> की नियुक्ति की गई और उसको पब्लिक विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग और भारतीय व्यापारिक कमिश्नर के कार्यों के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कमरा इंडिया ऑफिस के सारे अधिकरण-कार्यों को लन्दन के भारतीय हाई कमिश्नर को सौंपने का उद्देश्य था।

संयुक्त प्रवर्ग समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि इंडिया आफिस के सारे राजनैतिक और नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के व्यय का भार (इसमें भारत-मन्त्री का वेतन भी सम्मिलित था) ब्रिटिश राजस्व पर होना चाहिए और केवल अधिकरण-कार्यों के व्यय का भार भारतीय राजस्व पर होना चाहिए। अतः १९१९ के एक्ट ने व्यवस्था की कि ‘भारत मन्त्री का वेतन उसके उपमंत्रियों का वेतन और उसके विभाग का अन्य व्यय भारतीय राजस्व से न दिया जाकर, पार्लियामेण्ट से दिया जावे और यह व्यय इसी प्रकार दिया जाएगा।’<sup>३</sup> इस धारा के अनुसार इंडिया ऑफिस के नियंत्रण सबधी और राजनैतिक कामों के व्यय का भार साथ ही भारत मन्त्री और उसके उपमंत्रियों के वेतन का भार ब्रिटिश राजस्व पर डाल दिया गया।

१३

इस प्रकार १९१९ के सुधार केवल प्रान्तीय ञत्र तक ही सीमित नहीं थे उन्होंने केन्द्रीय सरकार और गृह सरकार पर भी प्रभाव डाला। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारतीय नरेशों को भी अपनी परिधि में लिया। नरेन्द्र मडल (चेम्बर ऑव प्रिंसेज) और उसकी स्थायी समिति की स्थापना द्वारा ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सहयोग-व्यवस्था को सुधारन का प्रयत्न किया गया। ब्रिटिश भारत की सरकारों और देशी राज्यों के आपसी झगडों को और देशी नरेशों के सन्ध में कदाचार के आक्षेपों को जांच कमिशन के सिपुर्दे करने की व्यवस्था भी की गई।

मि मॉण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का यह मत था कि ब्रिटिश भारत के वैधानिक परिवर्तनों से देशी राज्यों पर भी प्रभाव पडगा और इसी कारण उन्होंने

१ Section 35 of the Act, India in 1919, page 251.

२ सर विलियम मेयर को सबसे पहला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। सर मेयर कुछ ही समय पहले भारत सरकार के वित्त-सदस्य के पद से निवृत्त हुए थे।

३ Section 30 of the Act, India in 1919, page 249. १

देशी राज्या स सबध क प्रश्न का परीक्षण किया।<sup>१</sup> उन्होंने देश नरेशों को इस बात का आश्वासन देने की आवश्यकता अनुभव की कि ब्रिटिश भारत में चाहे जो परिवर्तन हो किन्तु सधिया सनदा और व्यवहार के अनुसार उह जो अधिकार प्रतिष्ठा और विभागाधिकार प्राप्त ह उनम किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।<sup>२</sup> वस्तुत एम किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं थी क्यकि माण्टफोड रिपोर्ट न जिन परिवर्तना की सिफारिश की थी उनसे देशी राज्या के साथ सबध के प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किन्तु कुछ देशी नरेश इस अवसर से लाभ उठाकर अपनी स्थिति मुधारन के लिए और अपन परिवारों और अपनी असमर्थताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थ।

माण्टफोड रिपोर्ट म कहा गया था— देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रही ह। आरम्भ में देशी राज्यों को अपनी परिधि से बाहर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, उसके बाद लाड हेस्टिंग्स की नीति के अनुसार देशी राज्य अधस्थ और विश्लिष्ट हो गए। इस नीति का स्थान उस वर्तमान नीति न लिया जिसके अनुसार देश राज्या का सर्वोच्च सत्ता स सहयोग और एक्य का सबध है।<sup>३</sup> किन्तु इस सबध में इस बात की जरूर ध्यान दिखाना आवश्यक है कि देशी राज्या और ब्रिटिश सरकार में जो सहयोग था, वह बराबरी की हतिमित से नहीं था। लाड वर्निंग न समय स लार्ड रीडिंग के समय तक भारत की ब्रिटिश सरकार न देशी नरेशों की अवस्थता और अपनी श्रेष्ठता पर बराबर जोर दिया—यहाँ तक कहा गया कि उसको प्रभुता का शब्दा द्वारा पूण रूप स व्यक्त कहा गया जा सकता, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था, और ब्रिटिश सत्ता को सधिया, सनदा आदि स स्वतन्त्र रूप स, देशी राज्या न सभा विषया में हस्तक्षेप करने का पूण अधिकार था। अस्तु, माण्टफोड रिपोर्ट में उनकी स्थिति इस प्रकार व्यक्त की गई — देशी राज्या का बाहरी आप्रमण से सुरक्षा प्राप्त ह, सर्वोच्च सत्ता उनकी आर से देशी और विदेशी राज्या के प्रति काम करती ह और जब उनका प्रदशा का आन्तरिक शान्ति पर कोई बड़ा सबट होता है तो हस्तक्षेप करता है। दूसरी आर विदेशी सरकारों के साथ उनका वही सबध है जो सर्वोच्च सत्ता के ह, सुरक्षा में उनका समान दायित्व है, और उन पर अपन प्रदशा की समृद्धि और उनके

१ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 193

२ उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १९६।

३ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 190



मुद्रासन का दायित्व है।”<sup>१</sup>

पिछले सत्तर वर्षों में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के सम्पर्क-बिन्दु काफी बढ गये थे और बहुत से कामों के लिए भारत के ये दोनों भाग लगभग एक इकाई बन गए थे। मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के अनुसार — ‘भारत के दोनों भागों के परस्पर घुलमिल जाने की दिशा में एक प्रक्रिया काम करती हुई दिखाई देती है। अकाल के अवसरा पर हमने देशी राज्यों की सहायता की है, हमने उन्हें ब्रिटिश भारत के अनुभवों अधिदारिया की सेवाएँ निम्नलिखित कार्यों में प्रदान की है—उनकी मालगुजारी अथवा वित्तीय व्यवस्था को दोहराने अथवा उसका निरीक्षण करने के लिए अथवा उनके प्रदेशों में कृषि और सिंचाई की दशा सुधारने के लिए। बहुत से देशी राज्यों में दीवानी और फौजदारी पद्धति के सवध में हमारी सहायता को अपनाया है। कुछ देशी राज्यों ने हमारी शिक्षण-व्यवस्था का अनुकरण किया है और उसे आगे भी बढ़ाया है। पुलिस और न्याय के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। हमारी रेलवे और तार-व्यवस्थाएँ बहुत से देशी राज्यों में भी काम करती हैं। भारतीय सीमा शुल्क का सभी देशी राज्यों से सम्बन्ध है जिनमें वे राज्य भी सम्मिलित हैं जिनके अपने निजी बन्दरगाह हैं।”<sup>२</sup> इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के दोनों भाग बहुत से विषयों में एक दूसरे के बहुत निकट आ गये थे। किन्तु देशी राज्यों की राजनैतिक जागृति, ब्रिटिश भारत की अपेक्षा कहीं कम थी। विभिन्न देशी राज्यों में भी यह जागृति एवसी नहीं थी। अतः यह कहा गया, ‘देशी राज्य विकास की विभिन्न सीड़ियों पर हैं। कहीं सामान्य गति है, कहीं कुछ अधिक उन्नति हो गई है, और कुछ राज्यों में प्रतिनिधि सभाओं का प्रारम्भ हो गया है। इन सभी राज्यों की, जिनमें सबसे जगदा उन्नत राज्य भी सम्मिलित हैं, यह एक विशेषता है कि उनमें से प्रत्येक में उसके नरेश का व्यक्तिगत राज्य है और उसका विधान, न्याय और शासन पर नियन्त्रण है।’<sup>३</sup>

अस्तु देशी राज्यों की स्थिति क्रमशः सुधरती रही। विद्रोह के बाद के वर्षों में अगरेजों को देशी नरेशों पर अविश्वास था और उन्हें इस बात का डर था कि अवसर मिलने पर वे सब अगरेजों के विरुद्ध एक हो जाएँगे। अतः उस समय ब्रिटिश नीति देशी राज्यों को विश्लिष्ट रखने की थी और देशी नरेशों के परस्पर मिलने के अवसर यथासंभव सीमित कर दिये गये थे। किन्तु

१. लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिज और लॉर्ड रीडिंग ने देशी राज्यों की अधस्त स्थिति के सवध में विशेष रूप से जोर दिया था।

२. The Report on the Indian Constitutional Reforms 1918, page 191.

ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने पर, देशी नरेशों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ; और उन का समर्थन प्राप्त करने की ओर देश के शासन में उनको साथ लेने की नीति का प्रमत्त विकास हुआ। ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों की माँगों के विरुद्ध देशी नरेशों की दृढ़ दीवार का उपयोग करने की सम्भावनाओं की ओर सब से पहले लॉर्ड लिटन का ध्यान आकर्षित हुआ था। इसी कारण उन्होंने बड़े देशी नरेशों की एक भारतीय प्रिवी कौंसिल बनाने की सिफारिश की थी। जैसा कि अन्यत्र<sup>१</sup> कहा जा चुका है। उस प्रस्ताव का केवल इतना ही फल हुआ कि देशी नरेशों के नाम के साथ "साम्राज्यी की परिपद् के सदस्य" की शोखली उपाधि जोड़ दी गई। लॉर्ड कर्जन ने फिर उसी विचार को उठाया और "देशी नरेशों की परिपद्" की स्थापना करने का प्रस्ताव किया। किन्तु ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों में, राष्ट्रीय शक्तियों से सकट का सामना करने के उद्देश्य से परस्पर सहयोग के विचार को सक्रिय रूप देने का काम लॉर्ड मिटो ने किया। जैसा कि नरेन्द्र-मडल के विशेष सगठन-विभाग ने 'दि ब्रिटिश प्रिन्स एण्ड दि इंडियन स्टेट्स' में कहा है :—“ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि से लॉर्ड मिटो धबरा गए थे.....और उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध देशी नरेशों के सगठन में एक दृढ़ दीवार दिखाई दी।” उन्होंने बताया कि “इस सारी व्यवस्था को केन्द्रीय बात यह है कि साम्राज्यीय सरकार और देशी राज्यों के हित एक हैं; अतः उनके प्रदेशों के आन्तरिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिये।” अस्तु, “सारे भारत—प्रान्तों और साथ ही राज्यों—की भलाई से संबंधित विषयों पर देशी नरेशों से परामर्श करने की परंपरा आरम्भ की गई।”<sup>२</sup> लॉर्ड मिटो ने आरम्भ में साम्राज्यीय मन्त्रणा-परिपद् स्थापित करने का प्रस्ताव किया और बाद में देशी शासकों की साम्राज्यीय परिपद् बनाने का सुझाव दिया किन्तु दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को रूप नहीं दिया गया। लॉर्ड हार्डिज ने उस नीति को एक कदम और आगे बढ़ाया और देशी राज्यों में उच्चतर शिक्षा के सबंध में विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। देशी राज्यों के हितों से संबंधित प्रश्नों पर परामर्श करने की परंपरा को भी लॉर्ड हार्डिज ने जारी रखा और नरेशों को परस्पर परामर्श करने के लिए प्रोत्साहन दिया। सन् १९१४ तक कुछ प्रमुख देशी नरेश भारत की भावी नीति में देशी राज्यों की

१. See Introduction of Singh : Indian States and British India : Their Future Relations; particularly pages 56-57.

२. Quoted in Singh : Indian States and British India : Their Future Relations, page 56.

स्थिति सुरक्षित रखन के बारे में विचार करना लगभग । लाड चेम्सफोर्ड ने अपना दो पूर्वाधिकारियों की नीति को जारी रखा और केवल देशी राज्यों से संबंधित और साथ ही देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत से संयुक्त रूप से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए देशी नरेशों के वार्षिक सम्मेलन किए । किन्तु देशी नरेश वस्तुस्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे और जब मि. माण्टफोर्ड तथा लाड चेम्सफोर्ड ने सुधारों के सिलसिले में जाँच करने के लिए देश का दौरा किया तो देशी नरेशों ने एक शिष्ट मंडल द्वारा अपना परिवादों का प्रतिनिधित्व किया और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किए । उन्होंने तीन मुख्य दिशाओं में परिवर्तन करने के लिए कहा । डा. रशब्रुक विलियम्स के गब्दानुसार वे यह अनुभव करते थे कि अखिल भारतीय नीति निश्चित करने में उनका कोई स्थान नहीं था । उनका दूसरा परिवाद यह था कि देशी राज्यों और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के मगडों का निपटारा करने के लिए कोई निष्पक्ष व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अधिकांश मामलों में भारत सरकार स्वयं फँसी हुई होती थी और वही नियंत्रण करती थी । अन्त में उनका यह विश्वास था कि राजनतिक विभाग प्रायः सधियों की उपेक्षा करता था और साधारणतया उसका व्यवहार स्वेच्छापूर्ण होता था । १

इन दोषों को दूर करने के लिए देशी नरेशों ने एक ऐसी सभा बनाने की योजना रखी जिसमें वे परस्पर मिल सकें और अपना सवमान्य हितों पर विचार कर सकें और जिसके द्वारा वे अखिल भारतीय विषयों पर ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के साथ मिल कर परामर्श कर सकें । इसके अतिरिक्त उन्होंने एक योजना का प्रस्ताव किया जिसके अनुसार विवादास्पद विषयों के लिए एक निष्पक्ष यथार्थ को सौंपे जानें थे । अन्त में उन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की कि राजनतिक कायदा का उनकी एक समिति के साथ सम्पर्क हो ताकि विभाग की साधारण नीति देशी नरेशों की इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जा सके । २

माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने देशी नरेशों के मुख्य प्रस्तावों को स्वीकार किया । रिपोर्ट में कहा गया— हम परामर्श के उद्देश्य से एक स्थायी निकाय स्थापित करना चाहते हैं । कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका देशी राज्यों पर साधारणतया प्रभाव पड़ता है

१ Quoted from the British Crown and the Indian States in Singh Indian States and British India Their Future Relations, page 58

२ Singh Indian States and British India Their Future Relations, page 59

साथ ही एस प्रश्न भी हैं जिनका पूरे साम्राज्य से अथवा ब्रिटिश भारत और दूरी राज्या स समान संबंध हैं, हमारा यह विचार है कि उन प्रश्नों पर प्रस्तावित निकाय का मत अत्यन्त मूल्यवान् होगा। वाइसरॉय उन प्रश्नों को उस परिषद् के विचारार्थ भेजेगा और हम को उनका सुचिन्तित मत जानने का अवसर मिलेगा। हमारे विचार से वाइसरॉय द्वारा अनुमादित कार्यावली पर विचार करने के लिए उस परिषद् की सभाये नियमित रूप से—साधारणतया वर्ष में एक बार—हानी चाहिए।<sup>१</sup> इस प्रकार माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने देशी नरेशों की एक स्थायी परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव किया। हमारा दूसरा प्रस्ताव यह है कि देशी नरेशों की उस परिषद् प्रति वर्ष एक छोटी स्थायी समिति नियुक्त करे जिसमें वाइसरॉय और राजनैतिक विभाग द्वारा परपरा और व्यवहार के विषयों पर अभिप्रेत किया जा सक।<sup>२</sup> रिपोर्ट में कहा गया कि इस समिति में परिषद् की इच्छानुसार दीवाना अथवा मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अन्त में रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि जिन विवादों में निष्पक्ष जांच वाछनीय हो, वाइसरॉय एक कमीशन नियुक्त करे जिस में एक हार्डकर्ट का न्यायाधीश और उसके अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि हो। यदि उस कमीशन की रिपोर्ट वाइसरॉय को मान्य न हो तो उस भारत-मंत्रों के निर्णय के लिए अभिहित किया जावे।<sup>३</sup>

सन् १९१९ की जनवरी के अन्त में देशी नरेशों के एक सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया, किन्तु यह सम्मेलन प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँच सका। उस सम्मेलन ने नरेशों की परिषद् की योजना का अनुमोदन किया और यह सुझाव दिया कि उसे नरेश मंडल के नाम से पुकारा जावे। इस सम्मेलन की सिफारिशों भारत मंत्रों के समक्ष रखी गई, और वाइसरॉय ने भारत मंत्रों के परामर्श से नरेश मंडल स्थापित करने की योजना का मसविदा तैयार किया जिसे नवम्बर १९१९ में देशी नरेशों का दूसरा सम्मेलन के समक्ष रखा गया। सम्मेलन ने इस योजना का अनुमोदन किया और कार्यपद्धति, पंच न्यायालय और जांच कमीशन के नियमों का मसविदा बनाने में वाइसरॉय की सहायता करने को एक कमीटी नियुक्त की। ८ फरवरी १९२१ का ड्यूक ऑफ बँनाट ने नरेश-मंडल का नियमानुसार उद्घाटन किया।

१ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 195.

२. जयसूक्त पुस्तक, पृष्ठ १९५-१९६

३. जयसूक्त पुस्तक, पृष्ठ २९६.

१४

ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में सहयोग के लिए इस नई व्यवस्था के सवध में सन् १९१९ के गवर्नमेन्ट आक्ट इंडिया एक्ट में कोई धारा नहीं थी। नरेन्द्र-मडल की स्थापना का निर्णय एक राजकीय उद्घोषणा द्वारा व्यक्त किया गया था।

नवम्बर १९१९ में देशी नरेशों के सम्मेलन में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने शासक नरेशों और 'शासक सामन्तों में विभेद किया था। शासक नरेश देशी राज्यों के वे शासक थे जिनको राजप्रतिष्ठा के आधार पर तोषो की सलामी मिलती थी, जिनको अपने प्रदेशों के आन्तरिक शासन का लगभग पूर्ण अधिकार था और जिनको स्वयं ही नरेन्द्र-मडल का सदस्य होना का अधिकार था। अन्य सब केवल शासक सामन्त थे। अन्त में नरेन्द्र मडल की रचना के अनुसार केवल १०८ देशी नरेशों को व्यक्तिगत सदस्यता का अधिकार दिया गया। अन्य देशी राज्यों को दो समूहों में बाँटा गया—वे राज्य जिनको नरेन्द्र मडल में प्रतिनिधित्व दिया गया—एसे १२७ राज्य थे और उनको १२ प्रतिनिधि सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया था, और वे राज्य जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और इन की संख्या ३२७ थी। इस प्रकार नरेन्द्र-मडल में १२० सदस्य थे—१०८ शासक नरेश जो अपने अधिकार के बल पर उसके सदस्य थे, और १२ प्रतिनिधि जो शासक सामन्तों द्वारा चुने गए थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने नरेन्द्र मडल के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दी थी, —“पहली बात तो यह थी कि मडल में उपस्थित होना और वोट देना, सदस्यों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा, 'दूसरी बात यह थी कि मडल में परामर्श किया जावेगा किन्तु उसकी कोई कार्यकारिणी सत्ता नहीं होगी, और 'तीसरी बात यह थी कि मडल की स्थापना से भारत सरकार और किसी देशी राज्य के सीधे सवध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक देशी राज्य का, चाहे उसे मडल में प्रतिनिधित्व हो अथवा न हो, भारत सरकार से सीधे सवध बनाय रखने का अधिकार यथापूर्व रहेगा।” अन्त में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा — ‘इस सवध में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि मडल में किसी राज्य-विशेष के आन्तरिक मामलों की अथवा किसी व्यक्तिगत शासक के कार्य की चर्चा नहीं की जावेगी।”

इस नरेन्द्र-मडल की, वाइसरॉय की अध्यक्षता में, उसके द्वारा अनुमोदित कार्यवाही पर विचार करने के लिए साधारणतया वर्ष में एक बार सभा होती थी। मडल को अपने लिये एक चांसलर का निर्वाचन करना होता था जिसे वाइसरॉय की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का पद ग्रहण करना होता था। वह स्यायी समिति का

१ देशी नरेशों के सम्मेलन में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के व्याख्यान से अनूदित—  
देखिये The Indian Annual Register, 1920, page 88.

ना अध्यक्ष होता था जिसमें उनके अतिरिक्त चार या पांच सदस्य और होते थे। स्थायी समिति के सदस्यों का इन बातों में अभ्यर्थीन प्रति वर्ष निर्वाचन होता था कि उनमें—राजपूताना मध्य भारत बम्बई और पंजाब—प्रत्येक क्षेत्र के दोगे नरेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

महान के कार्यों और उनके अधिकारों पर प्रतिबंधों को राजकीय उपायों में इस प्रकार व्यक्त किया गया —

साधारणतया देगी राज्या के प्रदेगा में सबंधित विषया पर और साथ ही उन विषया पर जिनका ब्रिटिश भारत अथवा मेरे गण साम्राज्य के साथ उन प्रदेगा पर भी संबन्ध रूप में प्रभाव पड़ता है मरा वाइसरॉय निस्सकोच परामर्श करेगा। उसका किसी व्यक्तिगत देगी राज्य अथवा किसी व्यक्तिगत नरेश के मरा सरकार के साथ संबन्ध में लागू नहीं होगा और उक्त देगी राज्या की वर्तमान व्यवस्था और उनकी वाय-स्वतंत्रता पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़गा।<sup>१</sup>

स्थायी समिति की भारत सरकार के केंद्र में प्रति वर्ष दो या तीन बार मांग्य हाती है और उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम यह है कि वह एक विषया पर जिनका देगी राज्या और ब्रिटिश भारत दोनों के गानत में साथ संबन्ध है, सरकार के विभिन्न विभागों के साथ विचार विनिमय करती है।<sup>२</sup>

१५

मालफाड रिपोर्ट में देगी राज्या के संबन्ध में दो विषया पर और निर्देश किया था उनका संपूर्ण विवरण देना आवश्यक है। रिपोर्ट के लक्ष्य में कहा — हमारे दो अवशिष्ट प्रस्तावों का ब्रिटिश भारत की संविधानाय योजना में प्रत्यक्ष संबन्ध है। हम इन बातों को निपारित करते हैं कि साधारण सिद्धान्त के रूप में भारत सरकार के साथ सारे महत्वपूर्ण देगी राज्या के मोक्ष राजनतिक संबन्ध हान चाहिये।<sup>३</sup> इस बात की बल बुगालता और वाय-मचालन में ग्राहना का ही दृष्टि से कहा वरन् साधारण नाति के आधार पर ना— अखिल भारतीय

१ Singh Indian States and British India Their Future Relations, page 61—के एक उद्धरण का अनुवाद।

२ उपरोक्त पुस्तक पृष्ठ ६३।

३ The Report on Indian Constitutional Reforms, 1918 page 197 इस निपारित के पत्रस्वरूप पस्तुत जा परिवर्तित हुए उनमें निम्न दसिक—Singh Indian States and British India, Their Future Relations, page 53 and 54

महत्व क विषया को प्रान्तीय विषया स अलग करन क लिए—उसकी आवश्यकता थी । अन्य देशी राज्या के सभ में रिपोर्ट के गस्तका न कोई निश्चित सिफारिश नहीं की । उन्हान लिखा — भारत सरकार इन राज्या न सीध सबध स्थापित कर सकती हँ अथवा इस समय उनको प्रान्तीय सरकारा के साथ सभ बनाय रखन का छोट सकती है । किन्तु दूसरी स्थिति में हमारे विचार स प्रान्तीय अध्यक्ष को देनी राज्या क साथ अपन सबध स केन्द्रीय सरकार के अभिवर्ता के रूप में काम करना चाहिय और देशी राज्यों के साथ य प्रान्तीय सबध इस अर्थ में प्रान्तीय विषय नहीं मान जान चाहिएँ कि कभी भी व विधान परिषद् के नियन्त्रण के अन्तगत आ सकते है ।<sup>१</sup>

मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट का दूसरा और अन्तिम प्रस्ताव देशी नरेशा और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों द्वारा देशी राज्या और ब्रिटिश भारत दोनों से संबंधित विषया पर संयुक्त रूप स परामश करन की व्यवस्था के सबध में था । राज्य-परिषद् में कुछ नरेशों को उस समय सम्मिलित करन का प्रस्ताव अव्यवहाय था । अंत रिपोर्ट के लेखको न इस बात की सिफारिश की कि वाइसराय एस अवसरा पर राज्य-परिषद् और नरेश-परिषद् अथवा उनके प्रतिनिधिया के बीच संयुक्त परामश का प्रबंध करे ।<sup>१</sup>

## इक्कीसवाँ अध्याय

# विच्छिन्नता की वृद्धि

१

मॉण्टफोर्ड-योजना भारतवासियों के लिये वस्तुतः झगड़ की जड़ सिद्ध हुई । बड़ बल और बलिदान के बाद क्रमशः जो एक्य स्थापित किया गया था वह बिना किसी विशय प्रकट प्रयास के, लगभग तुरन्त ही नष्ट कर दिया गया । दस वर्ष अलग रहन के बाद राष्ट्रवादियों के नरम और उग्र पक्ष ओ पुन एक हो गए थ, उनको माण्टफोर्ड-योजना ने एक बार फिर विभाजित कर दिया । कई सामुदायिक और साम्प्रदायिक मस्याएँ अस्तित्व में आई अथवा दृढ़ की गई । उनका उद्देश्य प्रस्तावित मुधारों में अपन वर्ग अथवा समुदाय के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना था । दिसम्बर १९१६ स ग्खनऊ में जो हिन्दू मुस्लिम एक्य हुआ था उस पर अक्टूबर १९१६ में आरा (बिहार) के साम्प्रदायिक दगा के कारण इतना तनाव पडा कि वह टुकड़-टुकड़ होन के कारण-कारण बना ।

१ Report on Indian Constitutional Reforms, 1918, page 198

दंगा का तात्कालिक कारण यह था कि २९ सितम्बर १९१७ को इब्राहीमपुर (जिला, ग्वाहावाड) के मुसलमानों ने अपने समझौते को तोड़ कर गाय का बलिदान किया था। निक्टवर्नी ग्राम्य क्षेत्रों के हिन्दू गाय का बलिदान सदा के लिए बन्द कर देने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था क्योंकि उनके लिये गाय बड़ी श्रद्धा की चीज थी। ३० सितम्बर की सुबह को हिन्दुओं के बहुत बड़ दल न—अनुमानत २५००० आदमियों ने—इब्राहीमपुर और निक्ट के कुछ गाँवों पर आक्रमण किया। उस तितर-बितर रक्त के त्रिण्डे पुलिस को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस अवसर पर काफी लूट मार भी हुई और एक घाने पर आक्रमण किया गया। तुरन्त ही उस जिले को सैन्य-पुलिस भेजी गई और ३६ घण्टे तक प्रवृत्त शान्ति रही। किन्तु २ अक्टूबर को जिले के अधिकांश भाग में फिर एक-माथे दंगे आरम्भ हो गए और ६ दिन तक न्याय और व्यवस्था का अभाव रहा। १ अक्टूबर का झगड़ा गाय जिले में भी फैल गया। बहुत-से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। “भारत-सुरक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये हुए विराय न्यायालया में उन पर अभियोग चलाया गया और लगभग एक हजार आदमियों के दाप सिद्ध हुए और उनका विभिन्न अवधियों के लिए कारावास-दंड दिया गया।”<sup>१</sup>

आगे के इन उपद्रवों की सारे भारतीय समाचार-पत्रों ने तीव्र निन्दा की किन्तु डा. रंगसुव विलियम्स ने लिखा है कि कुछ हिन्दू समाचार-पत्रों ने “सर्वकार के सिर दाप मकाने का प्रयत्न किया और अनभिज्ञ देहान्ती जनता की धर्मांधता की चर्चा नहीं की।”<sup>२</sup>

इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घापीणा के बाद, हिन्दू-मुस्लिम-सोहादे के हाने हुए भी, भारत में एक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हुआ। और यह एक विचित्र बात है कि भॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भी देश में भीषण दंगे हुए। १८ सितम्बर १९१८ को यू. पी. के महारनपुर जिले में, पटारपुर नामक गाँव में एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ। गाय का बलिदान रोकने के प्रयत्न में हिन्दुओं द्वारा लगभग २० मुसलमान मारे गए। बहुत से हिन्दू गिरफ्तार किये गए और उन पर अभियोग चलाया गया। “१३५ अपराधी सिद्ध हुए, ८ का प्राणदण्ड दिया गया, १३५ का आजीवन दण्ड-निर्वाणन दण्ड दिया गया और २ का मात्र वर्ष का पटार कारावास।”<sup>३</sup>

१. India in 1917-18, page 39

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६०।

३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ६०-६१।

४. Lovett: A History of the Indian Nationalist Movement, page 180.



इन दंगा के कारण हिन्दू-मुस्लिम एक्य की प्रबल परीक्षा हुई और यदि कुछ बाहरी कारण न होते जिनके फलस्वरूप मुसलमान ब्रिटिश सरकार<sup>१</sup> के विरुद्ध हठात् हुए तो वह एक्य समाप्त हो गया होता। अस्तु महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की खिगाफत और तुर्किस्तान के सन्ध में मुस्लिम भागा के प्रति सहानुभूति के कारण साम्प्रदायिक एक्य दृढतर हुआ। राजनतिक दृष्टि से जब हुए बहुत से हिन्दुओं ने खिगाफत के प्रश्न और शान्ति-सम्मेलन में मुस्लिम विरोधियों के प्रति संधि शर्तों के सन्ध में मसतमाना का पूण समयन किया।

३

हिन्दुओं के इस भाव ने हिन्दू-मुस्लिम-मौहाद बनाय रखा। तथापि भाण्ट फाड रिपाट के प्रकाशन से साम्प्रदायिक भावनाओं और भेदा का बढ़ावा मिया। १९१६-१७ में अ-ब्राह्मण आन्दोलन मद्रास में आरम्भ हो गया था। डा नयर के योग्यतापूण एवं आत्रामव नतुत्व में उसने बड़ी गांध्रता से प्रगति की थी। उन लोगो का यह धारणा थी कि उनके आन्दोलन के प्रति सरकार की सहानुभूति थी। अस्तु राष्ट्रवादियों का इस बात का पूरा विश्वास था कि सरकार प्रेरणा से ही सारे आन्दोलन का संगठन किया गया था और उसका उद्देश्य होमरूल आन्दोलन का विराय करना था।

मद्रास प्रसोडन्नी में बहुत समय से ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी प्रभावपूर्ण और प्रतिष्ठित थी और मुख्यतः उहा के हाथों में शक्ति केन्द्रित थी—किंतु सम्पत्ति मुख्यतः अ-ब्राह्मणों के हाथों में थी। अपनी शक्ति विद्या और श्रद्धता के अभिमान में ब्राह्मणों ने गतान्तिया से इतर जातियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया था। यद्यपि कुछ प्रगतिशास्त्र ब्राह्मण समाज-सुधार के काम में लग चुके थे और इतर

१ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीखी भावनाओं की कलकत्ता के साम्प्रदायिक दंगों में अभिव्यक्ति हुई। य दंग ९ और १० सितम्बर १९१८ को हुए। सरकार ने मुस्लिम-सम्मेलन करन पर रोक लगा दी थी। उस सरकारी आण्ट का रद्द करान के लिए एक मुस्लिम जलूस गवर्नमेण्ट हाऊस की तरफ जा रहा था। उसे रोकन के लिए पुलिस ने प्रयत्न किया और उसके फलस्वरूप उपद्रव आरम्भ हो गया। जलूस को तितर बितर करन के लिए पुलिस को गोली चरानी पडी। अगले दिन स्थिति और ज्यादा बिगड गई। मित्र मजदूरों ने उपद्रवियों का साथ दिया और एक फोरमन को बरी तरह पीटा। लगभग दो हज़ार मुसलमानों ने कलकत्ता शहर में बलात प्रवण करन का प्रयत्न किया। इन लोगो को तितर बितर करन के लिए फिर गोली चलानी पडी।

जातियों को ऊपर उठाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे तथापि ब्राह्मणों और अ-ब्राह्मणों के संबंध बहुत असंतोषप्रद थे—एक ओर श्रेष्ठता का अभिमान था और दूसरी ओर आत्म-दैन्य था। लॉर्ड पैण्डलैण्ड की सरकार ने श्रीमती बीसेण्ट के भारतीय होमरूल के समर्थित प्रचार का सामना करने के लिए, उस स्थिति का चतुरतापूर्वक उपयोग किया। १९१७-१८ में अ-ब्राह्मणों ने होमरूल की मांग के विरुद्ध प्रचार किया और जिसे वह 'ब्राह्मणराज्य' कहते थे उसे अस्तित्व में न आने देने के लिए, ब्रिटिश राज्य को बनाये रखने की मांग की। अ-ब्राह्मणों के पक्ष को व्यक्त करने के लिए और भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण का विरोध करने के लिए, डा नैयर इंग्लैंड गए।

मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट ने, पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा अथवा समुक्त निर्वाचन-क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों द्वारा अ-ब्राह्मणों को विरोध प्रतिनिधित्व देने की मांग को अस्वीकार किया क्योंकि अ-ब्राह्मण वर्ग प्रेसीडेंसी में बहुसंख्यक थे। इसका अ-ब्राह्मणों ने, जो 'जस्टिस पार्टी' के रूप में संगठित थे, प्रबल विरोध किया। उन्होंने काफी हलचल मचाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ बहु-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान रखने की उनकी मांग को समुक्त प्रचलन समिति ने स्वीकार कर लिया।

३.

मद्रास के अ-ब्राह्मणों की अपेक्षा पंजाब के सिक्खों का पक्ष कहीं अधिक प्रबल था। वस्तुतः सिक्खों का ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों की वही व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता अनुभव की जो मुसलमानों के संबंध में अनाई गई थी।

सन् १९१९ तक सिक्खों का कोई पृथक् राजनैतिक संगठन नहीं था। उन समय तक उन्होंने अपना ध्यान धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया था और इनके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रयत्न किया था। १८८८ में 'गालगा दीवान' नामक एक मुद्दार-संस्था लाहौर में स्थापित की गई थी—और उसकी मारे प्रान्त में 'गिहू सभा' नामक धार्मिक शाखाएँ थीं। गालगा दीवान का उद्देश्य, सिक्ख सभ्यता में अध-विश्वास और हिन्दू धर्मसंघर्ष को दूर करना था और उनके स्थान पर मित्रता रीतियों को प्रोत्साहन देना था। गालगा दीवान के प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि १८९२ में अमृतसर में गालगा-कालिदा स्थापित किया गया। किन्तु योगी वनाचरी के आरम्भ होने तक गालगा दीवान का संगठन मूलतः हीन रहा। दूसरी ओर, लगभग उन्नीसवें अमृतसर में 'बीक गालगा दीवान' नामक एक दूसरा केंद्रीय संगठन अस्तित्व में

जाया। यह दीवान अब भी वनमान है और महत्वपूर्ण शिक्षणात्मक कार्य कर रहा है। सन् १९०८ के बाद उसकी शिक्षण समिति न प्रति बंध सिक्ख शिक्षणात्मक सम्मेलन का संगठन किया है और उसन प्रान्त म बहुत-सी शिक्षण सस्याओ को बराबर आर्थिक अवलम्ब दिया है।

सिक्खों की धार्मिक सामाजिक एव शिक्षा सबधी उन्नति को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त इस दीवान न सिक्ख समुदाय क राजनैतिक हितों पर भी ध्यान दिया है। दीवान की राजनैतिक नीति को कोई प्रबल समर्थन नहीं मिला है क्योंकि सिक्ख तरुण वर्ग की दृष्टि म वह नीति अत्यन्त नरम अथवा पिछडी हुई और सरकार के पक्ष म है। रिक्वागज (मई दिल्ली) के गह्वारे की दीवार पर जगड के मन्त्र म दीवान बहुत अप्रिय हो गया—क्याकि सरकार के प्रति उसका भाव कठोर नहीं था। तथापि यह दीवान सिक्खों के राजनैतिक हितों का संरक्षण करता रहा और समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करता रहा। माण्टगु मिशन को उसन एक लिखित ज्ञापन दिया और एक शिष्ट मंडल का संगठन किया जिसन भारतमन्त्री और वाइसरॉय से भेट की।

सिक्ख ज्ञापन न प्रान्त के राजनैतिक और आर्थिक जीवन म सिक्खा की महत्वपूर्ण स्थिति पर जोर दिया और महायुद्ध तथा व्युत्थान के समय म उनके महान बलिदानों को ओर ध्यान आकर्षित किया। महायुद्ध के समय म पंजाब म कुल जितन सैनिक भर्ती किये गए थ उनम से एक तिहाई सिक्ख थ और साधारण समय म कुल भारतीय सेना म २० प्रतिशत सिक्ख सैनिक होते थ। इसके अतिरिक्त वे पंजाब के शासक रह चुके थ और प्रान्त के कुलीन और प्रतिष्ठित जमींदार वर्ग में आप से अधिक लोग सिक्ख थ। शिक्षा के क्षेत्र म भी प्रान्त के बहुसंख्यक समुदाय की अपेक्षा उहान अधिक प्रगति की थी। इन तथ्यों के आधार पर ज्ञापन म यह माँग की गई कि पंजाब-परिषद म उहे एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जावे और सेवाओं म उन्हे उचित भाग दिया जावे।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट न अनुपात के प्रश्न को नहीं छोडा किन्तु मुसलमानों के आधार पर सिक्खों की पृथक प्रतिनिधित्व की माँग को स्वीकार कर लिया। पंजाब सरकार न सिक्खों को अधिक स्थान देने की माँग का समर्थन किया — प्रान्त में उनकी प्रभावशाली स्थिति कुछ हद तक ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों पर कुछ हद तक उनकी संघ प्रतिष्ठा पर और कुछ हद तक केन्द्रीय जिलों तथा नहर उपनिवेशों म उनके आर्थिक महत्व पर अवलम्बित है। उस स्थिति के कारण

१ पंजाब म सिक्खों की जनसंख्या कुल ११ प्रतिशत थी किन्तु वे ४० प्रतिशत मालगुजारी और नहर की आवश्यकता देते थ।

यह उचित हो है कि उनकी मरजा को और ध्यान देकर उन्हें काफी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।<sup>१</sup> किन्तु पञ्जाब-परिषद् ने उनके विषय पर विचार करना अस्वीकार किया और एक प्रस्ताव द्वारा केवल हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए 'काश्मीर लोग यात्रा के स्थान विभाजन का अनुमादन किया' क्योंकि उस राष्ट्रीय समझौते में सिक्खों का कोई स्थान नहीं था। मताधिकार बमटो ने सिक्खों का पञ्जाब-परिषद् में ५४ में से कुल ८ स्थान प्रदान किए जिसके कारण उनमें प्रबल अन्याय हुआ और उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक पपक राजनैतिक मस्या संगठन बनाने की आवश्यकता अनवकी। लायलपुर जिले के निरख जाग बड़े और उन्होंने अन्य जिला के तरण वर्ग के महुयों में निरख लीग की स्थापना की। इस लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में काश्मीर-मन्दाह में किया गया और उसके अध्यक्ष सरदार गज्जनसिंह थे जो पञ्जाब विधान-परिषद् के सदस्य थे। सिक्खों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था लीग ने उसे अपवाप्त बनाया और पञ्जाब-परिषद् में एक तिहाई निर्वाचित तथा नामनिर्देशित स्थानों के लिए मांग की।

निरख लीग और चीफ ग्यालना दीवान, सिक्खों का प्रतिनिधित्व बढाने के लिए हलचल करते रहे और उन्होंने भारत मंत्री तथा ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के नामने अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सिष्टमंडल इन्स्टीट्यूट बना, किन्तु उसका कोई विशेष फल नहीं हुआ। अन्त में जा यात्रा स्वीकार की गई उनमें कुल ९३ निर्वाचित तथा नामनिर्देशित स्थानों में से सिक्खों को १० स्थान दिये गए। निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ७१ थी जिसमें से ३० मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों में, २० साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में, ७ विधायक निर्वाचन-क्षेत्रों में और १० निरख निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाने थे।

८

मुधारा के प्रश्न ने साम्प्रदायिक भावना का केवल अ-शाह्यता और सिक्खों में ही नहीं बढाया करने पूरापियता, आन्दोलनों और भारतीय इनादों में भी बढाया। "काशी समय से गैर-मरकारी अश्रेष्ठ-नमुदाय भारतीय राजनीति में कोई स्थान दिलवती नहीं लेता था। लगभग तीन वर्षों पश्चात् इत्बट्टे सिद्ध आन्दोलन के मध्य में जा पूरापियत डिफेंस एनालिसिस म्हापिन की गई थी, उसका प्रभाव बढूत पट गया था और उसकी संख्या बढूत कम हो गई थी।<sup>२</sup> किन्तु मुधारा की नई नीति के कारण पूरापियत नमुदाय अपना संगठन दृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव करने लगा।

१. The Gurudwara Reform Movement and the Sikh Awakening, page 75

२. India in 1917-18, page 43.

सन् १९१३ में यूरोपियन डिफेंस एसोसियेशन का नाम केवल 'यूरोपियन एसोसियेशन' हो गया था और १९१७ में उस एक नए आधार पर संगठित करने का प्रयत्न किया गया। "सारे भारत में उसकी शाखाएँ बनाई गईं और कलकत्ता में एक नया केन्द्रीय संगठन स्थापित किया गया। अंग्रेजों के अधिकांश पत्रा का समर्थन पाकर, कुछ ही समय में उसकी सदस्यता ७०० अथवा ८०० से बढ़कर लगभग ८००० हो गई।" जब मि. मॉण्टगु भारत में आए तो यूरोपियन एसोसियेशन ने भारत मंत्री और वाइसरॉय के सामने अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। भारत पर सुधार लादने के परिणामों के संबंध में उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की और राजनैतिक प्रगति के सिलसिले में त्वरा की नीति का तीव्र विरोध किया। उसने नैरसख्तारी यूरोपीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की। मॉण्टगोडें-रिपोर्ट ने पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये यूरोपियनों की मांग को अस्वीकार किया किन्तु यूरोपीय हितों के संरक्षण के लिए सरकार को विशेष अधिकार देने की और साथ ही यूरोपीय वाणिज्य, उद्योग, सैनिक तथा रोपक हितों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की। यूरोपियन एसोसियेशन इससे सन्तुष्ट नहीं हुई और उसने यूरोपीय व्यापारिक हितों को दिए हुए विशेष प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त, पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये मताधिकार कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आंग्ल नास्तियों और भारतीय ईसाइयों की मांग को भी मॉण्टगोडें रिपोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने भी मताधिकार कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इन तीनों समुदायों की पृथक् प्रतिनिधित्व की मांगों को मताधिकार कमेटी और संयुक्त प्रवर समिति, दोनों ने स्वीकार किया और १९१९ के सुधारों में उनको (जिन प्रान्तों में उनकी वाणी महत्त्व थी) पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

५

यद्यपि सुधारों की नीति का भारत की यूरोपियन एसोसियेशन ने प्रबल विरोध किया है, किन्तु वह इंग्लैंड की इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन के दृढ़ विरोध की तुलना में बहुत कम था। इस एसोसियेशन की २० अगस्त १९१७ की घोषणा के कुछ समय बाद ही लन्दन में स्थापना की गई थी और उस का उद्देश्य सरकार की नई नीति का विरोध करना और ब्रिटेन में भारत-विरोधी जनमत जागृत करना था। किन्तु प्रकटत उसका उद्देश्य "भारतीय जनता के ऐक्य और उसकी उन्नति" को प्रोत्साहन देना था। इस दिशावटी उद्देश्य की आलोकना करते हुए हिंड्रिख हार्डेनस महाराजा वीकानेर ने कहा — "इस एसोसियेशन की व्यवस्था, उसके तर्क और

विभिन्न बायों न उनके प्रदर्शित उद्देश्य पर एक जाल डाल रखा है और हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि एम मित्रा ने हमारी रक्षा हा।"<sup>१</sup>

इंडो ब्रिटिश एनामिशन का संगठन कुछ निवृत्त आंग्ल-भारतीय अधि-राज्या न किया था, लार्ड सिडनहैम उनके नेता थे। माटगु मिशन के भारत पहुँचन के कुछ ही दिन पहले ३० अक्टूबर १९१७ को उसका उद्घाटन हुआ। उसत आरम्भ म ही भारतीय वाणिज्य म सम्बन्धित ब्रिटिश व्यापारिया के पान एक गुप्त पत्र भजा और उनस एमोसियशन की निधि के लिए उदारतापूर्वक अगदान देने के लिए कहा और उन्हें यह बताया कि उनका दान भारत म ब्रिटिश हिता के बोन को नीति हागा।' इस पत्र में अग्रजा क स्वार्थी और हिता का उक्तवाया गया। लन्दन मे एक भारतीय पत्रकार की चतुर्गई म इस पत्र का प्रकाशन हा जाने पर एनामिशन का वास्तविक रूप प्रकट हा गया।

इंडो ब्रिटिश एनामिशन ने ब्रिटेन म बड जारा स भारत-विराधी प्रचार किया और उनत इस बात का प्रयत्न किया कि भारत म यूरोपियन एनामिशन उसका अनुकरण करे। आरम्भ से ही उनने समाचार-पत्र और पुस्तिकाआ द्वारा निरन्तर प्रचार किया है। उनका उद्देश्य भारत की स्थिति के बारे में माधारण आदमिया के मस्तिष्क म भय उत्पन्न करना है। उनमें भारत के शिक्षित वर्गों का हर ढग से अवमान किया जाता है... कनी (अप्रेड) मडदूर के व्यक्तिगत और बग हित का उभाडा जाता है और कनी भारतीय व्यापार म लगी हुई कम्पनिया के स्वार्थों का उक्तवाया जाता है।"<sup>२</sup> उनने, भारतीयों के विराय म ओर साथ ही भारत मे राजनैतिक मुषारा की नीति क विराय में, जतमन जागृत करने के लिए, प्रत्येक अवसर से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। उनने इंडियन निडोमिन्ट कमटी की जांच का लाभ उठाने के लिए "भारत में कहरा—राजशाह और हत्या" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। मन्वत इंडो-ब्रिटिश एनामिशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाआ म यह सब न ज्यादा निन्दापूर्ण और अपभाषात्मक थी, किन्तु इन ढग की वह हाई अर्थी पुस्तिका नहीं था। सब यह है कि भारत के इन स्व-घोषित मित्रा और मुनक्तिवा ने गिजित भारतीयों और इंग्लैंड म उनके मन्वयों का गाली देने म कनी नीमाआ का उल्कषण कर दिया था।

१. म्वाय हाटल (ल-रन) क १२ मार्च १९१९ क व्याख्यान न उद्धृत—इतिवे—

Indian Annual Register, 1919, page 83.

२ The Indian Annual Register 1919, page 83-84.

इंडो ब्रिटिश एसोसियेशन ने माटफोर्ड-योजना का जब मे उसका पहली बार विचार सूझा और जबतक वह कार्यान्वित की गई और उसके बाद भी, अत्यन्त प्रबल विरोध किया। इस एसोसियेशन के सदस्य भारत में स्वशासन सस्याज को वृद्धि के विचार से अपना मेल नहीं बिछा सके।

६

अगरेजों का एक वर्ग और था जो सुधारों की नीति का लगभग उतना ही अट्टर विरोधी था जितना कि इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन का अगरेज समुदाय— और यह वर्ग था इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य का। इंग्लैंड में बसे हुए सिविल सर्विस के निवृत्त सदस्यों की भाँति ये लोग वैसा ही सार्वजनिक प्रचार करने के लिए स्वतन्त्र नहीं थे, किन्तु अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने यथासंभव विरोध करने के लिए सगठन किया। मॉण्टफोर्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने उनका विरोध दूर करने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न किया था, और उन्होंने लिखा भी था—“यह कहना अपवादपूर्ण है कि इंडियन सिविल सर्विस ने एक निवाय के रूप में पिछले अगस्त में प्रकट की हुई नीति का प्रतिरोध किया है अथवा वह भविष्य में प्रतिरोध करेगा। उन्होंने उसका स्वागत किया है क्योंकि इस बात को उनसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता कि नीति घोषित करने की कितनी भारी आवश्यकता थी और वे उस नीति को दृढ़ निश्चय के साथ ठीक उसी तरह कार्यान्वित करेंगे जैसे कि उन्होंने सदैव अपने लिए निर्धारित अन्य नीतियों को कार्यान्वित किया है।”<sup>१</sup>

यह सच है कि अन्त में भारतीय सिविल सर्विस के अधिकांश सदस्यों ने १९१९ के सुधारों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया, किन्तु मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ ही समय बाद उन्होंने प्रस्तावों का विरोध करने के लिए और इस दक्तव्य का खण्डन करने के लिए कि उन्होंने सुधारों का स्वागत किया है, अपना सगठन किया। मद्रास की इंडियन सिविल सर्विस एसोसियेशन ने भारत मंत्री के मध्य प्रस्तुत करने के लिए एक ज्ञापन का मसविदा तैयार किया और उसमें कहा गया—“जब हम ब्रिटिश भारत के प्रशासन से संबंधित योजना और प्रस्तावों को आलोचना नहीं करना चाहते, किन्तु इस विषय पर हम यह कहना उचित और वाछनीय समझते हैं कि अगरेजों समाचार-पत्रों में जो यह सकेत किया गया है कि सिविल सर्विस का सारा समुदाय प्रस्तावित योजना का केवल अनुमोदन ही नहीं करता बरन् स्वागत भी करता है, वह गलत है।”<sup>२</sup>

१. The Report on Indian Constitutional Reforms 1918, pages 206-207

२. The Indian Annual Register, 1920, page 213

१९१८ में दंग म बई आइ० सी० एस० सत्याजा का संगठन किया गया । एन की बिहार म स्थापना की गई दूसरा को मद्रास म और तीसरो बंगाल में स्थापित होनी थी किन्तु उसके बिचार को रूप नही मिला । बिहार एनोसियगन न अपन सदस्या के पास एक गुप्त पत्र भजा था जो विगी तरह से पटना क सचराइंट के हाथ म पड गया और उसम २० दिसम्बर १९१८ को प्रकाशित किया गया । एसा ही एक गुप्त पत्र मद्रास आई० सी० एम० एसासियगन के कायबाह न सिविल सर्विस के ब्रिटिश सदस्या के पास भजा था । उसको एव प्रति मद्रास क न्यू इंडिया न किना तरह प्राप्त कर ली और वह पत्र उत्तम ११ जनवरी १९१९ को प्रकाशित किया गया ।

मद्रास क पत्र म भारत मधी क समग्र प्रस्तुत किए जान चाहे एक नापन का मसविदा था । सिविल सर्विस क एक सदस्य न जिसक नाम वह हस्ताक्षर क किए भजा गया था उन पत्र के बारे म यह कहा — इनमें मादकता की एक उग्र मात्रा दी गई ह । सारा पत्र राजनतिक बत्रानित स परिपूर्ण ह उसको बिद्राहपूर्ण नापा म प्रतीष ह ।<sup>१</sup>

मद्रास के पत्र से भारतीय राजनतिक क्षया में बड़ी हचबल हुई और इंडियन सिविल सर्विस के सदस्या के मनाभाव और कायों को निंदा करन के लिए देग क विभिन्न भागा में सावजनिक सभाएँ की गई ।

सिविल सर्विस द्वारा माण्टफाड प्रस्तावा का विरोध अविवक्षुण और अग्रयमित था किन्तु साथ ही वह स्वानाविक भी था । पिछली बई पीडिया से देग क शासन में सिविल सर्विस के सदस्या का स्थिति अत्यन्त गकिनागी और विगवाधिनारपूर्ण थी । अनानक ही उन सदस्यो को नविष्य में अपना अधस्य स्थिति का चित्र दिखाई दिया । व आप स बाहर हा गए और अपनी निराशा में उह जो कुछ गूग पडा वही करन ग । मद्रास और बिहार क पत्रा स उनका चिंता और पबराहट व्यक्त होनी ह । उनस यह भी प्रबट होना ह कि सिविल सर्विस के सदस्य नुचत स्वार्थी नावनाजा स प्रवृत्त थ । अस्तु भारत सरकार का बड़ी पबराहट हुई और बाइसराय न सिविल सर्विस का प्रान्त करन क लिए उनर गुण गान आरम्भ कर दिए और उनर आधिक तथा राजनतिक हिता क पूण मरक्षण क लिए दृढ़ आदधानन दिया ।<sup>२</sup> किन्तु गड चम्पफाड क व्याख्यान स भारतीय जनमत क नताजा में फिर राष छा गया । उन व्याख्यान का अप धा प्रतिभियावादी गकिनागी विजय । उसन एव आर ऊँचो नोसरिया क बिद्राहा सदस्या का

१ The Indian Annual Register, 1920, Page 221

२ ६ फरवरी १९१९ का भारतीय विधान-परिषद् में लॉर्ड चम्पफाड का व्याख्यान



धमकी दी थी और दूसरी ओर रालेफ कमेटो द्वारा प्रस्तावित दमनकारी विधान बनाने के लिए सरकारी निश्चय को प्रकट किया था। वस्तुतः वाइसरॉय के व्याख्यान के बाद तुरन्त ही गृह-सदस्य न भारतीय विधान-परिषद् में उन विधयको को जो 'काले कानून' के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रस्तुत किया। सरकार की इस दोहरी असन्तुष्टि नीति ने सावजनिक भावनाओं को अत्यन्त तीव्र कर दिया और उसके फलस्वरूप देश में एक ऐसी ज्वलन्त हड़ताल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी।

७

इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से भारत के राजनीतिक मतभेद फिर आरम्भ हुए। १९१७-१८ में विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं ने ही अपना फिर से संगठन नहीं किया वरन् कांग्रेस में दुबारा फट पड़ी और (१९०७ के विपरीत) इस बार अलग होना वाला न अपना पृथक् राजनीतिक संगठन बनाया और उस अखिल भारतीय संस्था के अन्तर्गत प्रांतीय शाखाएँ बनाई और इस प्रकार दोनों पक्षों में फिर से एक होना लगभग असम्भव हो गया।

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है मि. मॉण्टगु के भारत आने का एक उद्देश्य यह भी था कि वे भारत में एक माडरेट पार्टी स्थापित करना चाहते थे जो उनकी सुधार-योजना को अपना समर्थन दे और बाद में उसे कार्यान्वित भी करे। भारत से वापिस जान से पहले बंगाल के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध में उनका समझौता हो गया था। और मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ समय पहले बंगाल में 'नेशनल लिबरल लीग' की स्थापना हो गई थी। भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिन बाद थी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बलकत्ता में इंडियन एमोसियेशन की सभा की और उसमें मॉण्टफोर्ड प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। अगस्त १९१८ में नेशनल लिबरल लीग ने राजा प्यारे मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में बंगाल के मध्यम पक्ष का पहला सम्मेलन किया। राजा साहब बहुत पिछड़े हुए विचारों के आदमी थे और उन्होंने मॉण्टफोर्ड-योजना का केवल हार्दिक समर्थन ही नहीं किया वरन् भारत में उत्तरदायी शासन आरम्भ करने की कठिनाइयों की ओर विचार रूप से ध्यान आकर्षित किया। "भारत में अस्सी जातियाँ हैं, उनकी इतनी ही विभिन्न भाषाएँ हैं और वे विभिन्न प्रकार के संकटों धर्मों का अनुसरण करती हैं। उनमें कोई ऐक्य और सुदृढ़ता नहीं है।" उन्होंने व्याख्यान के अन्त में कहा — अधिकारियों के राज्य के स्थान पर लोकप्रिय

राज्य स्थापित करने के सम्मेलन का उ म जा सबट उपस्थित हात ह । उनसे सभी समयदार आदमी स्वाभाविक रूप म डरते ह । जिस योजना को रिपोर्ट म रूप दिया गया ह उससे स्वागत की दिशा म काफी प्रगति हागी और हम उसका स्वागत करते ह । <sup>१</sup> सम्मेलन ने एक लम्बे प्रस्ताव द्वारा मि माण्टगु और ग्राड चम्सफोर्ड को वृत्तज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया और इस बात का स्वीकार किया कि माण्टफोर्ड प्रस्ताव म उत्तरदायी गति की दिशा म काफी प्रगति होगी । योजना के साधारण सिद्धान्त का प्रस्ताव म स्वागत किया गया और साथ ही यह कहा गया कि मावजनिक निकाय व मन्दाव का ध्यान म रखते हुए उसमें उपयुक्त सगाधन कर किया जाय । <sup>२</sup>

माण्टफोर्ड रिपोर्ट व प्रकाशन क कुछ ही समय बाद चम्बई क नौ मध्यम दली नेताओं ने एक गणपन निकाय और उसमें मुधार योजना क संवध म अपन विचार प्रकट किए । वस्तुतः सार देश के मध्यमदशा नेताओं व विचार एवम्न ध—उह रिपोर्ट व ग्यवा की सचार् सहानुभूति और उनके सदुद्देश्य पर पूरा विश्वास था । उनके अनुसार प्रस्ताव प्रगतिशील और तात्त्विक थ । किन्तु उहान भारत सरकार क संवध म योजना म मुधार करने व गिए कुछ सुधाव नी दिए ।

काग्रम व वाम-मधी नेता दा वगै म बँट हुए थ । उग्र वग म हामरूल आदान व प्रगतिशील समर्थक थ । उनके अनुसार प्रस्तावित योजना भारतीय जनता क प्रति अविश्वास पर अवर्धित था और सिद्धान्त तथा रूपरेखा म इतनी गुप्त थी कि उसमें सगाधन करना अथवा उसका मुधारना अथवा था । <sup>३</sup> दूसरी आर उम व दाय वग के अनुसार जा प्रमण काग्रम मच पर अधिकाधिक प्रमुख स्थान पाता गया प्रस्तावित योजना अस्तन्तापप्रद और अमान्य था किन्तु काफी बड़े सगाधन व बाद वह स्वीकार की जा सकती थी ।

किन्तु काग्रम व व दाय वग और माडरेटा की स्थिति म बहुत बड़ा अन्तर था—एक की दृष्टि म माण्टफोर्ड प्रस्ताव अस्तन्तापप्रद और निर्गणजनक थ और दूसरे की दृष्टि में व प्रगतिशील और तात्त्विक थ । तथापि (और यह बात विचित्र प्रतीत हा ती कि) यह अन्तर गतिविक था वास्तविक नहा दाना म व व दृष्टिकाण का अन्तर था तत्त्व का नहा । दाना वगै ने सगाधन व गिए जा मुनाब दिए <sup>३</sup>

१ The Indian Annual Register, IV, page 131

२ Home Rules Manifesto, July 8 1918, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ११०

३ उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५५ म ६५ तक

उनमें बहुत बड़ा एक-सा-पन था। दोनों वग के द्रीय शासन में उत्तरदायित्व का अंग चाहते थे। दोनों ही प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का क्षेत्र विस्तृत करना चाहते थे और प्रान्तीय अध्यक्षों के अधिकार कम करना चाहते थे। दोनों ने भारत-परिषद लीडन की ओर भारत सरकार पर नियंत्रण कम करने की मांग की। एसी परिस्थितियों में मुझ ऐसा प्रतीत होता है कि यदि माडरेटों ने काग्रस के विनाय अधिवेगन से अलग रहने का निणय न किया होता तो माण्टफोर्ड सुधारों के प्रश्न पर काग्रस में फट न पड़ी होती किन्तु माडरेट नताओं ने अलग होने का और सुधारों को वार्यावित्त करने के लिए अपना स्वतंत्र दण बनाने का पहले से निश्चय कर लिया था।

माडरेटों के अग्र होने की इस नाति के क्या कारण थे? मेरे मत में उसके लिए तीन बातें मुख्यत उत्तरदायी थीं।

पहला महत्वपूर्ण कारण माडरेटों का यह विश्वास था कि काग्रस में होम रूल के समयवों की प्रधानता थी जिन्होंने अपन आप को माण्टफोर्ड सुधारों का कट्टर विरोधी प्रकट कर दिया था। उन्हें उस बात का डर था कि काग्रस माण्टफोर्ड सुधारों को बिना अधिक विचार किए ही ठकरा देगी और इस प्रकार उनकी स्थिति बड़ी भद्दी हो जायगी। अतः उन्होंने काग्रस के (अगस्त १९१८ के) विनाय अधिवेशन में सम्मिलित न होने का निश्चय किया।

यह सच है कि श्री तिलक श्रीमती बीसेण्ट और अन्य काग्रस-नताओं ने आरम्भ में जो विचार प्रकट किए थे वे असमर्थ थे।<sup>१</sup> किन्तु काग्रस के विनाय अधिवेगन के समय तक उनके विचारों में परिवर्तन हो गया था और श्री तिलक श्रीमती बीसेण्ट और पण्डित मदन मोहन मालवीय जैसे विवेकपूर्ण नतागण माडरेटों को काग्रस की परिधि में रखने के महत्व को अनभव करने लग थे। इसी कारण से काग्रस की विषय-समिति ने सुधारों के संबंध में एक समर्थ प्रस्ताव अपनाया।

१ श्री तिलक ने माण्टफोर्ड रिपोर्ट को सूयहीन प्रभात बताया। श्रीमती बीसेण्ट के अनुसार इंग्लण्ड और भारत दोनों ही के लिए अगोभनीय थे। माननीय श्री पटल के अनुसार रिपोर्ट ने कुछ हद तक प्रतिगामी प्रस्ताव किए थे। श्री केकर के अनुसार प्रस्ताव नर रूप से निराशाजनक थे। श्री जितेन्द्रनाथ बनर्जी के अनुसार सुधार अनुहार अधिकचरे अपर्याप्त और इसी कारण निराशाजनक और निष्फल थे। डा मुबह्राण्य एयर ने अपन देगवासियों को यह सलाह दी कि उन्हें जो अप्नीम दी जा रही थी वे उसका स्पष्ट भी न कर। Athalye *The Life of Lokmanya Tilak*, page 251 52 से अनूदित

सबसे बड़ा रोष श्री मुरुन्दनाथ बनर्जी पर था जिन्हें दिसम्बर १९१७ तक 'कांग्रेस लीग याजना का समर्थन किया था और जो एक नियत अवधि के अन्दर स्वशासन के लिए मांग कर रहे थे ।

दस म मांडरेटा का स्थिति और भी बड़ा खराब थी, दस व लगे न उनकी निन्दा की और उनकी विश्वासघाती तथा पद-लोलुप बनाया । अगले कुछ वर्षों में आम जनता में वे बहुत अप्रिय हो गए—सांख्यिक सभाओं में उनका व्याख्याना में विघ्न डाला जाता और बीच में बड़ा शोर मचाया जाता । इस प्रकार कांग्रेस और मांडरेटा के बीच की साईं पक्की और स्पामी हो गई । और जब प मोती लाल नेहरू ने पंजाब की दुःसद घटनाओं की पृष्ठभूमि में—जिनके सम्बन्ध में मांडरेटा और कांग्रेसिया में लगभग कोई मतभेद नहीं था—उन्हें अनुत्तर-अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने उत्तम सम्मिलित होने में इकार कर दिया ।

१९१९ के आरम्भ में हामरूल के समर्थकों में भी फूट पड़ गई । उस समय तक श्रीमती बीसट बहुत हद तक मांडरेटा हो गई थी । महात्मा गांधी ने रालेड विरायका के कानून बनाए जाने को दना में मत्प्राप्त करने का प्रस्ताव किया था । श्रीमती बीसट उस प्रस्ताव के विरोध में थी । और उसी बात पर विस्फोट हुआ । उन्हें इंडियन हामरूल लीग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया किन्तु उनके व्यक्तिगत समर्थकों ने उन्हें राष्ट्रीय होमरूल लीग का अध्यक्ष चुन दिया ।

## ८

इस अध्याय का समाप्त करने में पहले इस बात का सतिष्ठ रूप में उल्लेख करना उचित होगा कि मांडरेटा-विरोध के सम्बन्ध में भारतीय विधान-परिषद् के संरक्षक सदन की क्या स्थिति थी । सर्वोच्च विधान-मंडल में 'मांडरेटा' बहुमत में थे—कांग्रेस के वामपक्ष के केवल दो सदस्य (मि पटेल और मि खापड) थे और कांग्रेस के केन्द्रीय वर्ग के केवल तीन सदस्य (मि जिन्ना, प मालवीय और मि मजसूर हक) थे—गण २० निर्वाचित और पाँच नाम-निर्देशित संरक्षक सदन के सदस्य मध्यम पक्ष और पिछड़े हुए विचारों के व्यक्ति थे । ऐसी दना में मांडरेटा के नेता द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रस्ताव का फल पहले में निर्दिष्ट था ।

६ दिसम्बर १९१८ का श्री मुरुन्दनाथ बनर्जी ने भारतीय विधान-परिषद् में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया —

“(१) यह परिषद्, महामहिम बाइरराय और भारत मंत्री का मुपारा में सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए सम्झौदा दती है और उन्हें भारत में उत्तरदायी शासन की प्राप्ति की दिशा में निश्चिन्त प्रगति और वास्तविक प्रयत्न के रूप में स्वागत करती है ।

(२) यह परिपद सपरिपद गवर्नर जनरल ने इस बात की सिफारिश करती है कि इस परिपद के सारे गवर्नर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाय जा मुद्धारों की रिपोर्ट पर विचार करे और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार में अपनी सिफारिश करे ।<sup>१</sup>

प्रस्ताव के पहले भाग का मि पटल जीर मि खापड न विरोध किया और उसकी प मालवीय और मि जिता न तीव्र आलोचना की । दूसरे भाग का सारे भारतीय सदस्यों ने समर्थन किया वाणिज्य मंडल के दो यूरोपीय प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया । किंतु जसा कि प्रस्तावित था प्रस्ताव के दोनों भागों का गवर्नर-सरकारी बहुमत से पारण हुआ और माण्टफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने के लिए परिपद के गवर्नर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी बनी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी उसके अध्यक्ष हुए और श्रीनिवास शास्त्री उसके कायवाहक हुए । कुछ समय बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं — मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा । यद्यपि योजना में निश्चित प्रगति थी किंतु वह हमारी आशाओं की दृष्टि से कम थी । एक विषय के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से स्पष्ट थी के द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और इसी बात पर हमने अपनी रिपोर्ट में और संयुक्त प्रवर-समिति के सामने अपनी गवाही और अपने प्रतिनिधित्व में खास तौर पर जोर दिया ।<sup>२</sup> जसा कि मि रॉड्रिग विलियम्स ने कहा है कमेटी के काम का वास्तविक महत्त्व इस तथ्य में निहित था कि भारतीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों के मांडरेट पक्ष ने माण्टगु चेम्सफोर्ड योजना को भारत के भावी दधानिक विकास का आधार मान लिया था ।<sup>३</sup>

### बाईसवाँ अध्याय

## अमृतसर का हत्याकाण्ड

१

सन् १९१९ ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है । सन् १८५७ के बाद १९१९ में पहली बार भारत में ब्रिटिश सत्ता को राष्ट्रीय परिमाण पर खिलाफत दी गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में ब्रिटिश

१ Bannercjee A Nation in the Making, page 310

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ३१४ ।

३ India in 1917-18, page 60

प्रतिष्ठा फिर त जमान क लिए अजन्त नीपण उपाया से काम लिया । लोका के हृदय म आतन जमान के लिए एक ब्रिटिश जनरल न सहसा एकत्र गान्तिपूष नागरिका पर उस समय तक गोलो चलान के लिए अपन सनिका को आज्ञा दा जब तक कि उनकी गोलिया ही समाप्त न हो जायें । य लोका एक धरे ग फँसे हुए थ और उसत बाहर निकलन का केवळ एक ही सकरा माा पा जिधर से कि गोलियां चलाई जा रही थी । इस नीपण हत्याकाण्ड क फलस्वरूप सिक्खा के धार्मिक केन्द्र (अमृतसर) के जलियांवाला बाग म कई सौ आदमी मार गए और कई सौ आदमी घायल हुए । प्रान्त के पांच जिला म फौजी कानून घोषित कर दिया गया । लोका को आतचित करन के लिए दो बार हवाई जहाजा को काम म लाया गया और ब्रिटिश अधिकारिया न फौजी कानून को पूष बबरता क साथ लाा किया । तथापि उसी बष प्रान्तो म उत्तरदायी गानून आरम्भ करन के उद्देश्य स गवर्नमेण्ट आव इंडिया एक्ट, १९१९ का पारण हुआ ।

बिन्तु सन् १९१९ म ही स्थायी महत्व को दो घटनाएँ और हुई—  
(१) महात्मा गांधी न दण के सावजनिक जीवन म प्रवेश किया और व तुरन्त ही अखिल भारतीय नेता हो गए और (२) अन्याया और परिवादा को दूर करन के लिए लोका को सावजनिक सत्याग्रह का पाठ पढाया गया ।

## २

इस प्रकार सन् १९१९ में भारत में विापकर पञ्जाब में अबदस्त राज नतिक उथल-पुथल हुई । इस दुखद परिस्थिति के लिए कई बात उत्तरदायी थी बिन्तु उन सबको तीन मुख्य—आधिक प्राकृतिक और राजनतिक शीपका म बाँटा जा सकता ह ।

यूरोपीय महायुद्ध को जीतन क लिए भारत न जन धन और सामग्रो के रूप म जो महान सहायता की थी उन पर्याप्त रूप न स्वाकार किया गया ह बिन्तु इस बात की बहुत कम लोका को जानकारी ह कि युद्ध क कारण भारतीय जनता को नयकर बघ्ट उठान पड थ ।

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उस समय भारत की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी और एक उच्च वर्षों म सरकार को कर बडान की आवश्यकता ही नहा अनुभव हुई बिन्तु १९१६ म २६ लाख पौड क घाट का पूरा करन के लिए सीमा गुल्ब बडान पड । यह वृद्धि नूती माल पर नहा की गई और विद्या न आन बाल तथा भारत म बन हुए बपड पर ३३ प्रतिशत का गुल्ब मभावन् रचा गया । युद्ध के दिना म पुरान विवाद न बचन क उद्देश्य न भारत मन्त्री को आज्ञा पर ही नूती माल का छूट दी गई । बिन्तु अगल बष और स्यादा टक्म बडान को आवश्यकता

स्थिति में फँस गया और उसकी यद्ध विजय के सिलसिले में भारत के बन्दिाना में गणना की जा सकती है । <sup>१</sup>

आर्थिक जीवन की अव्यवस्था और दैनिक उपयोग की चीजों की कमी और उनके बढ़ हुए दामों के कारण भारत में गृह और गाँव दोनों स्थानों में असाधारण कष्ट हुए और उसके कारण देश में अगान्ति बढ़ी । औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों की हड़ताल एक साधारण बात हो गई और देश के विभिन्न भागों में कष्टापीत लोग न बाजारों को लटा ।

कृषक अगान्ति के दो प्रदेश—एक चम्पारन (बिहार) और दूसरा खड़ा (गजरात)—विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

चम्पारन की कृषक-समस्या काफी पुरानी थी किन्तु १९१७ में वह बहुत ताड़ण हो गई । बाजार में रासायनिक द्रव्य से घन हुए सस्त रब मिश्रण के कारण नील की खती शोषप्रद नहीं रही थी किन्तु यूरोपियन रोपका न द्रव्योपाजन का एक नया द्रव्य निकाला था । उन्होंने बगार कारखानों की एक धारा का लाभ उठाकर कारखानों के लगान ४५ से लेकर ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिए और उन्हें नील की खती करने में छूट दे दी । यह बढ़ी जागरहवागी के नाम से परिचित है उन गाँवों में की गई जिनमें गाँववालों का जमीन में स्थायी पट्टा था और उसकी कुल रकम लगभग ३ लाख रुपये प्रति वर्ष थी । जहाँ रोपका के अस्थायी पट्टे में वहाँ उन्होंने एकमुत्त रकम रकम पर जोर दिया । बाबू राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है —

बिल्कुल ठीक आकड़ों में नहीं मिल सके किन्तु इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि केवल इसी मद में अन्तर्गत जा रकम वसूल की गई थी वह १६ और २० लाख रुपये के बीच में थी । <sup>२</sup>

अगान्ति में बढ़ी और एकमुत्त रकम की माँग के कारण चम्पारन के किसानों का जिनसे अर्थ अथवा रकम बलात् ली जाती थी बढ़ी भारी कठिनाई हुई । रोपकण विभिन्न प्रकार के अववाव लेते थे <sup>३</sup> किसानों में बहुत कम मजदूरों पर बगार कराते

१ Rajendra Prasad The Agrarian Problem in Champaran, Hindustan Review July 1918, page 52

२ उपयुक्त मार्गिक पत्र पृष्ठ ५२

३ निम्नलिखित अववाव धरानों में जानें — पाना खर्चा (सिंचाई काटने) पाडा खरान्ना का खर्चा (पाडाही) हाथी मरोदन का खर्च (हथियाहा) माटर खरान्ना का खर्च (माटरही अथवा हवाही) तेक अथवा ईशक काटने का खर्च (काटने काटने) बाट खरान्ना का खर्च (बाट खरान्ना)

ये और उनकी गाड़ियों और उनके जानवरों से काम लेते थे। १९१६ तक किसानों के कष्ट असह्य हो गए। बिहार विधान-परिषद् में उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया किन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ। कांग्रेसी नेताओं से हस्तक्षेप करने की अपील की गई। अन्त में मि गांधी ने चम्पारन जाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करने के लिए कहा गया।

मि गांधी अग्रेल १९१७ में चम्पारन पहुँचे और किसानों की शिकायतों की विस्तृत रूप से जाँच आरम्भ की। उन्हें उस जिले को छोड़ देन के लिये सरकारी सूचना दी गई जिसको उन्होंने उपेक्षा की, किन्तु बाद में प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से वह सूचना वापिस ले ली गई।<sup>१</sup> मि गांधी की छानबीन के फलस्वरूप सरकार ने एक जाँच कमेटी नियुक्त करन का निश्चय किया जिसमें मि गांधी भी एक सदस्य थे और मर फ्रैंक स्लाई उसके अध्यक्ष थे। कमेटी ने अपना काम ठीक ढंग से किया और सभी सदस्या द्वारा अनुमोदित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी के आधार पर १९१८ का चम्पारन कृषक-ऐक्ट बनाया गया। तिनकठिया प्रथा का अन्त किया गया, शरहबशी २० से लेकर २५ प्रतिशत तक कम की गई और जो एकमुश्त रकम ली गई थी उनका २५ प्रतिशत भाग किसानों को वापिस दिलाया गया और साथ ही अवकाश लेना बर्जित कर दिया गया। कार्यकारिणी अधिकारियों को अपराधी जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही करन का प्राधिकार दिया गया।

चम्पारन जाँच कमेटी का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि महात्मा गांधी को अपने प्रान्त में जाना पडा। १९१७ में अतिवृष्टि के कारण जिला खडा (गुजरात) में फसलों की बहुत बड़ी क्षति पहुँची थी। इस क्षति के परिमाण के सन्नध में सरकारी और गैरसरकार आगणन में काफी अन्तर था, और मालगुजारी में छूट उस परिमाण के आधार पर ही होनी थी। पट्टीदारों के आगणन से फसल चौथाई हुई थी और मालगुजारी में २३ लाख रुपये की छूट की आवश्यकता थी। दूसरे ओर जिले के कलक्टर ने केवल १७५००० रुपये की छूट दी थी। सरकार के समक्ष कई बार प्रतिनिधित्व किया गया कि पट्टीदारों के साथ न्याय किया जाय

उत्तराधिकार के समय पर सामन्तवादी नजराना (बयाही पिताही), विधवा विवाह (सगौग), और दणहरा, चैननवमो आदि पर नजराना।

१ इसका पूरा वृत्तान्त महात्मा गांधी की आत्म कथा में दिया गया है — My Experiments with Truth Vol II pages 355 to 407

० मि गांधी ने लगभग १३०० किसानों के दयान एकत्र किए।

Hindustan Review, July 1918, page 51



वित्तु उसका कोई फल नहीं हुआ। महात्मा गांधी लिखते हैं — जब सारी प्रायनाजा और निवेदना का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो मन सहयोगिता से पत्रमग करन के बाद पत्राक्षरों की सत्याग्रह को शरण लेने की सलाह दी।<sup>१</sup> इस प्रकार मि गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आरम्भ किया।

खड़ा के विमना से यह प्रतिज्ञा करन का कहा गया कि वे सरकार का मालगुजारी नहीं दें क्योंकि फसल चौलाई ने भी कम हुई थी। वित्तु यदि सरकार सारे जिले में दूसरी निर्धारित कित्त की उगाही छोड़ने का तयार हो जाए तो वे लोग जिनके लिए यह संभव हो अरना पूरा अवकाश मागुजारी देंगे।<sup>२</sup>

२८ मार्च १९१८ को सत्याग्रह आरम्भ किया गया। सर गकरन नगर में लिखा — सरकारी मालगुजारी का भुगतान नहीं किया गया। परेलू बतना दुधारू गाया और अन्य सम्पत्ति को आसजित किया गया। सरकार ने उमीन का ज्वन करन की आगा जारी की और सरकारी अधिक किया न मागुजारी बन्द करन के लिए सभी सनव उपाया में काम किया। १२ अथवा १३ अप्रैल को स्वयं कमिन्तर न किसानों की एक सभा की और उनको सरकारी आगाओं का पान्न करन के लिए समयाग उल्लंघन करन वाता का भयकर परिणामा की धमकी दी और उनसे कहा कि वे अपने सलाहकारों हाम रूल वाता की वाता पर ध्यान न दें जिन्हें मालगुजारी न देने के फल स्वयं नहीं भागने पड़ेंगे। वित्तु किसान अपने निश्चय पर जम रहे।<sup>३</sup> यहाँ तक कि गाँव के मुखिया ने भी सरकार का आगाओं पर ध्यान नहीं दिया। २५ अप्रैल को सरकार ने मागुजारी की उगाही का निश्चय कर दिया और इस बात का आगा दी कि केवल वही लोग जिनके लिए संभव हो उस समय मालगुजारी दें और अन्य सब लोग अगल वष उसका भुगतान न करें। वित्तु विचित्र बात यह है कि उक्त आगा ३ जून तक प्रचारित नहीं की गई। उस समय तक सम्पत्ति का बुरकी आर अन्य सरकारी वायवाहिया का श्रम जारी रहा।<sup>४</sup> मि गांधी को स्वयं विमा डग से सरकारी निगम में पहुँक ही पता लग गया और अधिकारियों के अमतोपप्रद डरों के हात हुए भी सत्याग्रह आरम्भ समाप्त कर दिया।

१ Gandhi My Experiments with Truth Vol II page 430

२ उपयुक्त पत्रक पृष्ठ ४३१।

३ The Indian Annual Register 1919 Part IV, page 83

४ The Indian Annual Register 1919 part IV, page 84

यद्यपि महात्मा गांधी आन्दोलन के फल और किसानों के भाव से सतुष्ट नहीं थे तथापि उनके मत से खड़ा-आन्दोलन देश के लिए पराक्षरूप से बहुत लाभदायी था और उसने गुजरात के किसानों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। “खड़ा-सत्याग्रह से गुजरात के किसानों की जागृति और उनकी सच्ची राजनैतिक जिम्मा आरम्भ हुई। गुजरात के सावजनिक जीवन में नई शक्ति और नए साहस का संचार हुआ। पटीदार किसानों की अपनी शक्ति का बोध हुआ। सावजनिक मस्तिष्क पर इस पाठ की अमिट छाप पड़ी कि लोगों का उद्धार उनके त्याग और व्रतदान की सामर्थ्य पर निर्भर है। खड़ा आन्दोलन से गुजरात में सत्याग्रह की जड़ मजबूत हो गई।”<sup>१</sup>

सन् १९१८-१९ में अकाउंट प्लेग और इन्फ्लुएन्जा की दैवी विपत्तियाँ न उपयुक्त आर्थिक कारणों के साथ मिलकर लोगों के कष्टों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।

३

सन् १९१८-१९ में भारत में वर्षा १९ प्रतिशत कम हुई। ऐसा कोई प्रान्त नहीं था जहाँ वर्षा की थोड़ी या बहुत कमी न हुई हो और इसका परिणाम यह हुआ कि फसल बहुत खराब हुई—यहाँ तक कि पिछली दशाब्दी में इतनी खराब फसल नहीं हुई थी।<sup>२</sup> सरकार के सारे प्रयत्नों के होते हुए भी बढ हुए दामों और नाज की कमी के कारण लोगों को अचणनीय कष्टों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों की सबसे प्रबल चोट निम्न वर्गों पर हुई और साथ ही उन लोगों पर भी जिनकी अल्प और निश्चित आय थी और जो शहरों में रहते थे।<sup>३</sup>

१९१७ की भाँति जहाँ-तहाँ उपद्रव हुए और बाजारों में लूट मार भी हुई।<sup>४</sup>

इस दुर्दशा के वातावरण में प्लेग और इन्फ्लुएन्जा की महामारियों का प्रकीर्ण हुआ। (संभवतः) अतिवृष्टि के कारण १९१७ में प्लेग अत्यन्त उग्र रूप में प्रकट हुआ और जुलाई १९१७ से जून १९१८ तक देश में प्लेग के कारण ८ लाख से अधिक व्यक्ति मर गए। देश के विभिन्न भागों में मलरिया और हंजा फंग जान के कारण यह मृत्यु-संख्या और भी ज्यादा हो गई। सन् १९१७ में ही भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की साधारण दशा काफी बुरी थी किन्तु १९१८ में वह और भी

१ Gandhi My Experiments with Truth Vol II pages 441-42

२ India in 1919, page 64

३ उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ६७

४ India in 1917-18, page 90

रसादा विगड गई। अस्तु जून १९१८ में इन्फ्लुएन्जा के प्रचंड रूप का पता लगा। यह महामारी दम्बई में आरम्भ हुई और कुछ ही समय में सारे देश में फैल गई। चार-पाँच महीने के अन्दर ही देश में इस महामारी के कारण ६० लाख से अधिक व्यक्ति मर गए।

यद्यपि मृत्यु-सम्बन्धी उपर्युक्त आकड अत्यन्त भयावह हैं तथापि उनसे लोगो के वास्तविक कष्टो का चित्र प्रस्तुत नहीं हो सकता। महामारी से जो लोग प्रभावित हुए थे उनका अनुपात कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से लेकर अस्सी प्रतिशत तक था किन्तु चिकित्सा का प्रबन्ध अत्यन्त अपर्याप्त था। लोगो की आर्थिक स्थिति भयावह थी। नाज के दाम लोगो की बिसात के बाहर थे और चारे की कमी के कारण दूध का प्राप्य परिमाण बहुत कम हो गया था — पोषक भोजन कमवल और गरम कपडे के दाम बहुत रसादा बढ़ हुए थे। फलत जो लोग बीमारी से ठीक हो गए थे वे बहुत समय तक अपना साधारण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सके। इन सब कारणों से लोगो के विशपकर पश्चिमी उत्तरी और केन्द्रीय भारत के लोगो के कष्टो को अत्यन्त तीक्ष्ण कर दिया।

४

इस प्रकार १९१७ और १९१८ में भारत भयंकर विपत्तियो का सामना कर रहा था, और उन विपत्तियो के कारण सारे देश में असाधारण तीखापन था। राजनैतिक कारणों से यह तीखापन कई गुना बढ़ गया।

देश में, विशेषकर बंगाल में सरकार की दमनकारी नीति के कारण प्रबल असन्तोष था। शान्तिकारी अपराधों का दमन करने के लिए भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत से नवयुवकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। नजरबन्दी का साथ दुर्भ्रंश के और उन्हें अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में रखने के आदेश दिए गए। तीन मामलों में सम्बन्ध में—गारे देश में—विशपनर बंगाल में—बड़ा रोष फैला। पहले दो मामलों में एक—उनमें से एक प्रोफसर ज० सी० घोष से संबंधित था और दूसरा मि एस एन गठ से। प्रो० घोष का एक एपेल्ल गौठरी में बढ़ कर दिया गया था जिसके कारण उन्हें बड़ कष्ट उठान पड़ बाद में वे पागल हो गए। यही बात मि० गठ के मामले में हुई। तीसरा मामला बहुत विचित्र था। बाकुड़ा जिले के पुत्रिस सुपरिण्डण्ट से तार द्वारा यह कहा गया कि वह शाहबादपुर गाँव के कामनवीय घोष के मरान्तु सिधुवांग देवी को गिरफ्तारी कर ल—जिसका नाम और पता एक 'भयंकर' शान्तिकारी के बागडों में एक पर्चे पर लिखा हुआ पाया गया था। उस अधिकारी का कामनवीय घोष का मरान्तु तो नहीं मिया पर उस कुञ्जपोष

नामक व्यक्ति के यहाँ एक सिधुवाला नामक स्त्री का पता लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिधुवाला से यह पता लगा कि उसकी भाभी का नाम भी सिधुवाला था। गलती का कोई अवसर ही न हो, इस विचार से पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट देवेन्द्र घोष के गाँव गया और उसने दूसरी सिधुवाला को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों स्त्रियों को बाकुरा ले जाया गया जहाँ वे रात में ग्यारह बजे पहुँची और उन्हें थाने तक पैदल चलने को विवश किया गया। दूसरे दिन, ६ जनवरी १९१८ को उन्हें जेल भेज दिया गया। पन्द्रह दिन बाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं था और वे भूल से गिरफ्तार कर ली गई थी।

जिले के दो विभिन्न गाँवों से, बिना निश्चित सूचना के और बिना आवश्यक जांच किए हुए, दो पर्दानशीन स्त्रियों को गिरफ्तारी से, चारों ओर बोध का उद्घान आया। कलकत्ता में और अन्य स्थानों में विरोध-सभाएँ की गईं और इस सत्रध में बंगाल विधान-परिषद् में भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सारे देश में, विशेषकर बंगाल में बड़ा भारी तीखापन छाया हुआ था और सरकार ने असतोष का शमन करने के उद्देश्य से, नजरबन्दों के अभियोगों के पुनरीक्षण के लिए एक कमेटी नियुक्त की—मि० जस्टिस वीच फोफ्ट और मर नारायण चन्दावरकर इसके सदस्य थे।

वीच फोफ्ट कमेटी ने कुल ८०६ मामलों का पुनरीक्षण किया। इनमें से १०० बन्दियों के मामले सन् १८१८ के विनियम न० ३ के अन्तर्गत थे, ७०२ व्यक्ति भारत रक्षा संकेत के अन्तर्गत नजरबन्द थे; और ४ व्यक्ति 'भारत प्रवेश' अध्यादेश के अन्तर्गत बन्दी थे।<sup>१</sup> कमेटी इस परिणाम पर पहुँची कि सरकार के पास जो प्रमाण थे उनके अनुसार ८०० व्यक्तियों की नजरबन्दी न्याय्य थी। कमेटी ने घोष छै नजरबन्दों को छोड़ देने की सिफारिश की।

किन्तु वीच फोफ्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहिले ही, अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन के नाम सर मुब्रह्मण्य ऐयर के पत्र के मामले ने भारतीय क्षेत्रों में सनसनी पैदा कर दी।

यह पत्र जून १९१७ में लिखा गया था और दो अमेरिकन थियांसोफिस्टो—होचर दम्पति के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। उस पत्र में कहा गया था कि यदि भारत को स्वतन्त्रता का वचन मिल जाय तो युद्ध के लिए भारत से १ करोड़ आदमियों को भर्ती हो जायगी। पत्र में ब्रिटिश राज्य की तीव्र आलोचना की गई थी। वाइसराय और भारत-मंत्री ने, राजनैतिक सुधारों के तिलसिले में सर

१. See Lowett: A History of Indian Nationalist Movement, page 196.

मुद्रहण्य एयर के उनसे भेंट करने पर, उनसे बड़ी फटकार लगाई। यह बात भारत-मन्त्री न इस सबध में पार्लियामेण्ट में प्रश्न पूछे जाने पर व्यक्त की।

इस पर सर मुद्रहण्य न समाचार-पत्रों में एक पत्र प्रकाशित किया और उन्हान अपना निवृत्ति वेतन छोड़ देने की तत्परता प्रकट की। उन्होंने मद्रास सरकार के मुख्य कार्यवाह को एक पत्र लिखा और वे० सी० आई० ई० तथा दोबान बहादुर की अपनी उपाधिया का परित्याग कर दिया।

इस घटना से भारत में बड़ी हलचल हुई और सारे देश के राष्ट्रवादी पत्रों न सर मुद्रहण्य की प्रशंसा की।

५

लोक-सेवाओं के सबध में इन्स्टीट्यूटन कमिशन की रिपोर्ट और बंधानिक मुधारा के सम्बन्ध में माण्टफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होने पर राजनैतिक असन्तोष और ज़्यादा बढ़ गया। सन् १९१८-१९ में सर्वसाधारण यह अनुभव करने लगा था कि 'युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारतीय आकाशाओं और विशेषकर राज-नैतिक मुधारा के प्रति, सरकारी और गैर-सरकारी यूरोपीय समुदाय का भाव बदल गया था।' प्रान्तीय गवर्नरों और वाइसरॉय के व्याख्यानों में यह धारणा दृढतर हो गई। उसी समय जातीय उद्दता और असहिष्णुता की कई घटनाएँ हुईं। मि हसन इमाम कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे और अगस्त १९१८ के विशेष कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मि कलेटन आई सी एस ने (जो बिहार सरकार के एक उच्च अधिकारी थे) और जो मि हसन इमाम के साथ रेल में एक पहली श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, उनको गालियाँ दी और उन पर हमला किया। इस घटना में सारे देश में तीखापन बढ़ना स्वाभाविक ही था। किन्तु शोध और तीखापन का शिखर तक पहुँचाने का काम रॉलिट-रिपोर्ट और रॉलिट-विधेयकों ने किया। भारतीय सैनिका को मित्र राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों ने अपने व्याख्यानों में बहुत-सी आशाएँ दिलाई थीं। भारत लौटने पर उन्हें दूसरा ही दृश्य दिखाई दिया। जब वे पंजाब में अपने घर पहुँचे तो उन्हें अकाल, कठिनाई और निरबुद्ध राज्य का वातावरण मिला। राउट-विधेयकों के रूप में उनका स्वागत करने की तैयारियाँ की जा रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि ये विधेयक खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए जा रहे थे—रॉलिट कमिटी ने स्पष्ट बड़ा था कि विदेशों से बहुत बड़ी सहाय्य में सैनिका के लौटने पर जो परिस्थिति सम्भवत उत्पन्न हो सकती थी, उसी का सामना करने के लिए विशेष दमनकारी कानून की आवश्यकता थी।

किन्तु रॉलिट-रिपोर्ट और विधेयकों के सबध में चर्चा करने से पहले, खिलाफत

क प्रश्न पर मुस्लिम आंदोलन और पंजाब में सर माइकल आ डायर के उग्र गतिन में उत्पन्न विंग परिस्थिति का कारण कुछ विवरण देना उपयुक्त होगा।

तुर्किस्तान के आमंत्रण और खरीफा की स्थिति पर उसके प्रभाव के संबंध में भारतीय मसजिदां में बड़ी उद्विग्नता थी। तुर्किस्तान-सहित अन्य वंशीय गतिन का परास्त करने में भारतीय मुसजिदां न भी पूर्ण हाथ बँटाया था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्रीयता और आम गतिन के सिद्धान्तों का तुर्क प्रदाता पर भी लागू किया जाएगा और खरीफा की स्थिति के संबंध में यूरोपीय गतिन का कोई हस्त रय नहीं करेगी। किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद विभिन्न प्रकार की बात सुनाई पड़ी कि तुर्किस्तान को नई भागा में बाँट दिया जायगा और उन प्रश्नों का जिनमें मुसजिदां का धार्मिक स्थान व सर मुस्लिमों के जाधिये में रखा जायगा— और इन सब बातों के साथ खिगाफत का प्रश्न मिला हुआ था। ये सारी बातें भारतीय मुसजिदां की चिन्ता में डाल हुए थी और उनमें मुसजिदां में असंतोष बढ़ रहा था। मि माण्टगु के अनुसार भारत की दुघटनाओं की पहली राजनीतिक कारण तुर्किस्तान के संबंध में मुस्लिम दृष्टिकांश था।<sup>१</sup>

किन्तु भारतीयों के अनुसार उन दुघटनाओं का अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पंजाब में सर माइकल ने अपने उग्र गतिन से प्रबल असंतोष फैला दिया था।

पंजाब के युद्धरागीन उप-गवर्नर को बड़ी व्यक्तिगत राज्य में दृढ़ विश्वास था। उसके अनुसार सरकार का मुख्य काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। उसे कार्यकारिणी परिषदा और राजनीतिक सुधारों में कोई विश्वास नहीं था। गेना की उच्च राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी। जबकि नौकरियाँ और अधिकारों के लिए शार मजान बागें शिक्षित वर्ग में बुरे माण्ड होते थे और उनके महत्व को घटाने के लिए वह प्रत्येक अवसर का लाभ उठाता था। युद्ध के दिनों में उसने निदयतापूर्वक दमन किया और शूरमायु त्रिंज और श्री विपिनचंद्र पाठ जस प्रतिष्ठित नेताओं के प्रात में प्रवेग करने पर रोक लगा दी। और उसकी यह बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि युद्ध जीवन के लिए अन्य प्रास्ता की अप ता उसने प्रान्त में जन धन और सामग्री का संग्रह अधिक समाधान हो। किन्तु इस उद्देश्य के लिए बहुत से अवसरों पर बलात् भर्तों की गई

१ Speech of Mr Montagu on 22nd May 1919 in the House of Commons The Indian Annual Register, Part II, page 123

और लोग को बड़ कष्टों का सामना करना पड़ा। जना कि मुजफ्फराबाद के नर न्यायाधीश मि कोल्डस्पीन ने लिखा— 'मुझे ज्ञान उगाहन के लिए और ननिका का भर्ती करन के लिए जा उपाय काम में लाय गए व बहुधा अनधिकृत आपत्तिजनक अत्याचारपूर्ण और सरकार को इच्छा के विरुद्ध थे। दूर के जिला में वे लाया जो असह्य थे।' गाहपुर जिले में स्थिति और भी खराब और गंभीर हो गई। वहां के एक अति उत्साही तहसीलदार सयद नादिर हुसैन ने अल्पन आपत्तिजनक<sup>१</sup> और अत्याचारपूर्ण उपायों में काम लिया और स्वयं सर माइकेल के अनुमति उमका दरा बलात् भर्ती की तरह था। प्रायः न बरे हुए लाया न उसकी हत्या कर दा। प्रयत्न जिले के लिए ननिका का मर्यादा धुड़ श्रृंग और चंदे की रकम निर्दिष्ट कर दी गई थी और उस सख्या अपवा रकम का पूरा करन के लिए हर संभव उपाय का काम में गया गया। और सबसे खराब ख़ुबन वाली बात यह थी कि लाया को इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध आवाज उठाने की आशा नही थी। उसकी राजद्रोह में गिनता थी और सर माइकेल की सरकार उसका निदयतापूर्वक दमन करन पर तुला हुई थी। माइकेल ही जान के बाद १९२२ में धीमती बीसपट न लिखा— सर माइकेल का कठोर और अत्याचारपूर्ण गानन, बलात् भर्ती और मुड़ करण की उगाही और नारे राजनैतिक नेताओं का निष्ठुर अदन—य सब बात ऐसी थी जिहान तीव्रपन की चिन्तारिया का जावित रखा जिनमें आ की लपट बिनी भी समय फूट सकता था। बम्बई में १९१८ के विषय अधिवान में प्रजाव के प्रति निधिया न हम बताया था कि प्रान्त के लाय एक ज्वालामुखी के ऊपर रहे रहे थे जो बिनी भी असाधारण अत्याचार के काम में फूट सकता था। इस कारण जब १९१९ में उनी प्रान्त में उपद्रव हुए तो हम कई आश्चर्य नही हुआ।<sup>३</sup>

६

१९१९ में नावजनिक उभाड़ का तात्कालिक कारण था—रॉलिट अपवा काल विषयका का कारण। १९१७ के अन्त में न्यायाधीश एम ए टी रॉलिट का अध्यक्षता में भारतीय राजद्रोह कमेटी नियुक्त की गई थी। उनमें अप्रैल १९१८ में अपना रिपोर्ट दी। कमेटी ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए उन नार प्रमाणों का जांच का जिनके आधार पर भारत रक्षा एक्ट के समाप्त होने पर कानूनीचारा अपराधा में निरपत्त के लिए विषय विधान बनाने का जहा गया था। कमेटी ने अपना नारा काम गुप्त रूप में किया। अस्तु मि माण्डु ने एन विषय विधानों के नकल के

१ Congress Punjab Inquiry Committee Report, vol I Page 18

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ १९।

३ Besant The Future of Indian Politics, Page 236

प्रति मि रॉगिट को सावधान कर दिया था और उस अवधि में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को स्वीकार कराने के बारे में चेतावनी दे दी थी। मि माण्टगु ने लिखा है — मन उन्हें बताया था कि नज़रबन्दी और पुलिस की सहायता से सरकार का काम चलायें के दंग से हम सम्भवतः अपने उत्तराधिकारियों के लिए परेशानियाँ पैदा कर देंगे और मन यह आशा प्रकट की थी कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना में से वह उसी बात को स्वीकार करेगा जो सामाजिक रूप में रक्षणीय हो।<sup>१</sup> किन्तु राष्ट्र कमटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि नास्तिककारी अपराधों से निपटने के लिए साधारण फौजदारी कानून अपर्याप्त था और उसमें दो प्रकार के विधायक विधान बनाने की सिफारिश की—एक दण्डात्मक और दूसरा प्रतिबन्धक। भारत सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को रूप देने के लिए दो विधायक बनाए। सभी जगह विरोध प्रकट किया गया सरकार को सावधान बिया गया किन्तु सरकार ने उन विधायकों को एक्ट बनाने के प्रयत्न में अपना निश्चय नहीं बदला। अन्त में उनमें से केवल एक विधायक ही एक्ट बना किन्तु उसके कारण एक देशव्यापी उथल-पुथल हुई जो उस समय तक भारतीय इतिहास के लिए नई चीज़ थी।

इस कानून का सरकारी नाम था—अराजकतापूण और नास्तिककारी अपराध एक्ट। यह एक्ट सावजनिक अधिकार और भारतीय राजनैतिक जीवन दोनों ही का दमन करने के लिए बनाया गया था। किन्तु दूसरे पक्ष के मतानुसार इस एक्ट का उद्देश्य राजनीति का मोक्षन<sup>२</sup> और अराजकता तथा नास्तिक से लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना था।<sup>३</sup>

यह एक्ट पाँच भागों में बाँटा गया था। पहला भाग दण्डात्मक था दूसरे और तीसरे भाग प्रतिबन्धक थे चौथे भाग में उन अपराधी लोगों को एक्ट के अन्तर्गत लाया गया था जो पहले से ही सरकारी नियंत्रण में थे और पाँचवाँ भाग में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि यदि एक्ट अथवा उसका कोई भाग किसी विधायक सदन में गमन रहे तो भी जो आवश्यकियाँ पहले ही जारी हो गईं हों उन्हें पूरा कर दिया जाय।

१ Montagu An Indian Diary, page 156

२ Speech of Sir William Vincent See Punjab Unrest Before and After, page 5

३ Speech of Sir Michael O' Dwyer of April 10, 1919 Pearey Mohan The Imaginary Rebellion and How it was Suppressed, page 13



पहले भाग में अपराधों के सवध में शीघ्र अभिमान नियम की व्यवस्था की गई थी और उसके विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं था।<sup>१</sup> किसी प्रान्त में पहले भाग के लागू कर दिए जाने पर हाईकोर्ट के तीन जजों का एक विधाय न्यायालय बनना था जो अपना काम कहीं भी और साथ ही गुप्त रूप से कर सकता था। इस न्यायालय में एक प्रमाण भी मान्य था जो इंडियन एक्टिविटीज एक्ट के अनुसार ग्राह्य नहीं था। नियम जजों के बहुमत से होना था और वह अन्तिम था। किन्तु प्राणदण्ड देने के लिए सारे जजों का एकरमत होना आवश्यक था।

दूसरे भाग के अनुसार प्रान्तीय सरकार का अधिकार था कि यदि उस किसी व्यक्ति के बारे में यह विश्वास है कि उसका किसी एस आन्दाइन से सवध है जिससे राजसत्ता के विरुद्ध अपराध होना की संभावना है तो वह उसको अमानत देने के लिए अथवा अपना पता देने के लिए अथवा किसी विशेष स्थान में रहने के लिए अथवा किसी निर्दिष्ट काम से दूर रहने के लिए अथवा धान में अपनी हाजिरी देने के लिए आज्ञा दे सकती थी।<sup>२</sup> आरम्भ में यह आज्ञा बचक एक महान के लिए हानी थी किन्तु जांच कमटी की रिपोर्ट पर वह एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती थी। इस जांच कमटी में (प्रत्येक मामले के लिए) सरकार द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति होना थी। कमटी का काम गुप्त रूप से होना था और संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर सफाई पत्र दे सकता था किन्तु उस वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं था।

तिसरा भाग और भी ज्यादा बड़ा था। उसमें किसी भी स्थान की तलाशी और बिना वारण्ट के किसी भी सदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी और उस किसी नियत स्थान में निश्चित गतों के आधीन रखने की<sup>३</sup> व्यवस्था थी। आरम्भ में इस नजरबन्दा की अवधि एक वर्ष तक सीमित थी किन्तु बाद में यह तीन वर्ष तक हो सकती थी। दूसरे भाग का तरह इसमें भी जाच-बमटा की व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार के अनुसार भारत में अराजकतावादी और प्रान्तिकारी अपराधों का सामना करने के लिए एकट की उपयुक्त धाराएँ अत्यावश्यक थी। सन् १९०९ और १९१८ के बीच प्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण ३११ अपराध अथवा अपराधों के प्रयत्न हुए थे जिनमें १०३८ व्यक्ति संबंधित थे। भारत में एकट न अपराधों की संख्या घटाकर १० प्रतिवर्ष कर दी थी और १९१८ के

१ Punjab Unrest Before and After, page 3

२ उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ८।

३ Section 34 (I) of the Act, India in 1919, page 213

पिछले तीन महीनों में कोई शान्तिकारी अपराध नहीं हुआ था ।”<sup>१</sup>

भारतीय विधान-परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों ने विधेयक की सामर्थ्य पर सन्देह नहीं किया किन्तु उन्होंने शान्तिकाल में कार्यकारिणी को राजनैतिक जीवन का दमन करने के लिये असाधारण अधिकार देने का और सदिग्ध व्यक्तियों को चुले और विधिवत् अभियोग निर्णय से बचित करने का प्रबल विरोध किया। शान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए, पहले से ही विस्तृत अधिकार मिले हुए थे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि समस्या का वास्तविक हल, निर्दयतापूर्ण दमन के स्थान पर राजनैतिक आधार था। स्वयं लॉर्ड मार्ल के अनुसार ‘सिन फोन से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय, आयर्लैण्ड को स्वशासन देना था।’ गैर-सरकारी सदस्य ने सरकार से अपील की कि वह “पिछले कुछ दिनों से बराबर बिगड़ती हुई स्थिति पर ध्यान दे, वह स्थिति भविष्य के लिए सफ्टपूर्ण थी।” सर तेजबहादुर सपरू ने कहा — “श्रीमान् सारे देश में रोष छाया हुआ है, विभिन्न स्थानों पर विरोध सभाएँ हो रही हैं।

इस नीति से देश एक भयकर आन्दोलन की भवरा में फँस जायगा ।”<sup>२</sup> किन्तु गैर-सरकारी सदस्यो के समुक्त विरोध के होते हुए भी—जिनमें से चार सदस्यो ने विरोध में त्याग-पत्र भी दिया —सरकार ने कानून बनाया जिसके परिणामा पर सर्वत्र दौक प्रगट किया गया।

७

जिन दिनों भारतीय विधान-परिषद् में रॉलेट विधेयको पर विवाद हो रहा था, उन्ही दिनों महात्मा गांधी ने वाइसराय को पत्र लिखा और यह स्पष्ट कर दिया ‘कि सरकारी नीति के कारण मेरे लिये सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया है।’<sup>३</sup> बम्बई में सत्याग्रह सभा बनाई गई, सत्याग्रह की प्रतिज्ञा का मसविदा तैयार किया गया और सदस्यो ने वह प्रतिज्ञा की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरम्भ करने का निर्णय समाचार-पत्रों में अपने एक पत्र द्वारा व्यक्त किया, जिस में सत्याग्रह शपथ भी थी। वह शपथ इस प्रकार थी —

‘अपने अन्त करण से यह अनुभव करने के कारण कि ये विधेयक स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध, और व्यक्ति के प्रारम्भिक अधिकारों के लिए घातर हैं हम यह दृढ निश्चय करते हैं कि उनके कानून बनने पर और उनके रद्द न होने के समय तक हम उन कानूनों की ओर साथ ही उन

१ Punjab Unrest: Before and After, pages 2 and 3.

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५५।

३ Gandhi: My Experiments with Truth, Vol. II. page 482.

सब कानूना की जो निम्नत को जान वाली कमेटी उचित समन, सविनय अवज्ञा करण और हम फिर यह बूढ़ निश्चय करते ह कि इस सपप न हम सत्य का पूर्ण रूप मे अनुसरण करण और जीवन व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के प्रति हिंसा से दूर रहण।<sup>१</sup>

विन्तु गर-सरकारी सदस्या की चेतावनी की तरह सत्याग्रह-सभा के इस नियय वा सरकार पर कोई प्रभाव नहा हुआ और विधायक वा सरकारी बाटा से १८ मार्च १९१९ को पारण हुआ और यह २१ मार्च को कानून बन गया। उस समय महात्मा गांधी मद्रास म थे। एक स्वप्न म उन्ह सत्याग्रह करण वा विचार आया और दूसरे दिन प्रात काठ श्री राजगोपालाचारी स जिनके यहाँ वे ठहरे हुए थे, उ होन अपन स्वप्न को बताया — पिछली रात मुन स्वप्न में यह विचार आया कि हम सारे देस से सावजनिक हडताल करण के लिए बहना चाहिए। सत्याग्रह-आत्म-शुद्धि की प्रतिया है हमारा सपप पवित्र है और मुन यह उचित प्रतीत होता है कि उसका आरम्भ आत्म-शुद्धि के पिछी काय से किया जाय। अतः सारे भारतवासी उस दिन अपना कामकाज छोडकर उपवास और प्रार्थना करे।<sup>२</sup>

श्री राजगोपालाचारी और अन्य व्यक्तिया न उस विचार का स्वागत किया और महात्मा गांधी न एक पत्र द्वारा उसे सबसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। 'पहले तो हडताल के लिए ३० मार्च (१९१९) निश्चित की गई, पर बाद में तारीख बदल कर ६ अप्रैल कर दी गई।' उस दिन (अर्थात् ६ अप्रैल को) सारे देस में, शहरो और गाँवा में सभी जगह शान्तिपूर्ण सफल हडताल हुई।<sup>३</sup>

विन्तु कुछ स्थान एस थे जहाँ हडताल की तारीख बदल जान का देर से पता लगा और इसलिए वहाँ पर ३० मार्च को भी हडताल हुई। इन स्थाना में दिल्ली नगर भी एक था और वहाँ पर ही विचारधारीन वय की दु सद घटनाएँ सबसे पहले हुई।

३० मार्च को दिल्लीवासिया न उपवास किया और हडताल की। हण्टर-कमेटी की रिपोर्ट क अनुसार लोगो की एक भीड न रेल्व उपाहार-गृह बन्द करण की जिद की और वही स पगडा आरम्भ हुआ। रेल्व-मुलिस न हस्तभय किया और भीड में स दो आदमिया को गिरफ्तार कर लिया। इसत लोगा म प्राथ फल

१ Punjab Unrest Before and After, page 34

२ Gandhi My Experiments with Truth, Vol II, page 486

३ Gandhi My Experiments with Truth, Vol II, page 487

गया और उन्होंने तितर बितर होन से इन्कार कर दिया और साथ ही दोना आदमियों को छोड़ने की माँग की। पुलिस पर ईंटे भी फेंकी गईं। अन्त में भीड़ पर गोली चलाई गई और उसे निकट के क्वीन्स गार्डन में खदेड़ दिया गया। इस पर भीड़ टाउन हाल के सामने जमा हो गई और वहाँ अधिकारियों ने फिर गोली चलान की आवश्यकता अनुभव की। "इसके फलस्वरूप उस दिन गोलियों से मारे जाने-वाले आदमियों की संख्या ८ हो गई। अस्पताल में लगभग एक दर्जन घायल व्यक्ति पहुँचे किन्तु उनकी वास्तविक संख्या कही जाया नहीं थी।" १ उसके बाद कोई शगडा नहीं हुआ और तीसरे पहर सार्वजनिक सभा शान्तिपूर्वक समाप्त हो गई। ६ अप्रैल की हड़ताल भी शान्तिपूर्ण रही। किन्तु मि गांधी की गिरफ्तारी के कारण १० से लेकर १७ अप्रैल तक बराबर हड़ताल रही। पुलिस ने दुकानों को बलात् खुलवाने का प्रयत्न किया जिसके कारण विल्लीमारान में १७ तारीख को शगडा हो गया "पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। लगभग अठारह आदमी घायल हुए जिनमें से बाद में दो मर गए।" २

३० मार्च की घटनाओं के बाद, दिल्ली के स्थानीय नेताओं ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाया। उन्होंने ६ अप्रैल की हड़ताल के बाद आने की स्वीकृति दी। अस्तु ७ अप्रैल की रात को वे बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बीच पंजाब के उप-गवर्नर और दिल्ली के चीफ कमिश्नर के परामर्श से भारत सरकार ने पंजाब और दिल्ली में मि गांधी के प्रवेश पर रोक लगा देने का निश्चय किया और एक आज्ञा जारी की गई जिसमें उनसे बम्बई प्रेसीडेन्सी में ही रहने का निर्देश किया गया। पलवल स्टेशन पर उन्हें यह सरकारी आज्ञा-पत्र दिया गया जिसका पालन करने से उन्होंने इकार कर दिया। फलतः पलवल स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की अभिरक्षा में उन्हें बम्बई वापिस भेज दिया गया।

१० तारीख की सुबह को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की सूचना अहमदाबाद पहुँची, जहाँ उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था और जहाँ उनके प्रति लोगों में असाधारण श्रद्धा थी। उस समाचार से बड़ी उत्तेजना हुई। हड़ताल घोषित की गई। दो यूरोपियनों से सवारी छोड़ कर पैदल चलने के लिए कहा गया और उसी सम्बन्ध में शगडा हो गया किन्तु जिला-मजिस्ट्रेट मि चैट फील्ड ने स्थिति को अपनी कुशलता से सभाल लिया। दूसरे दिन कुमारी अनसूया साराभाई की गिरफ्तारी के समाचार से लोगों का क्रोध और ज्यादा हो गया। मिल मजदूर आये से बाहर हो गए और उन्होंने आगजनों और हिंसा के कई काम किए। कई बार भीड़ों पर गोली

१ Disorder Inquiry (Hunter) Committee Report, page 3

२ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४।

चलानी पड़ी और १२ तारीख की सुबह को एक सैनिक घोपणा जारी करनी पड़ी। १३ तारीख को कुमारी साराभाई और महात्मा गांधी दोनों ही अहमदाबाद पहुँच गए,<sup>१</sup> और उन्हें नगर में फिर से व्यवस्था स्थापित करने के काम में सहायता देने के लिए अनुमति दी गई। १४ को घोपणा वापिस ले ली गई।<sup>२</sup> मि गांधी ने एक बहुत बड़ी सभा में भाषण दिया, लोगों के हिसापूर्व कामों की निन्दा की और इनसे अपना काम करने के लिए जोर दिया। इस भाषण का वाछित प्रभाव हुआ और अहमदाबाद के झगड़े १४ अप्रैल को लगभग समाप्त हो गए।<sup>३</sup>

“झगडा के सिलसिले में……उपद्रवियों में से २८ आदमी मारे गए और १२३ घायल हुए, यह संभव है उनकी संख्या अधिक हो।……अहमदाबाद नगर में आठ जगह और निकट के अन्य स्थानों में १४ जगह तार काटे गए। अहमदाबाद में उपद्रवियों ने लगभग ९३ लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट की……संभवत इसका मुख्य कारण यह था कि मि गांधी और कुमारी साराभाई के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण उपद्रवी आपे से बाहर हो गए थे। उन लोगों को अपने बीच में स्वतन्त्र देख कर, साथ ही मि गांधी का भाषण सुनकर, उनके मस्तिष्क में से अव्यवस्था जारी रखने के विचार दूर हो गए।”<sup>३</sup>

१० अप्रैल की दोपहर तक पंजाब में कोई उपद्रव नहीं हुआ। रॉलेट-विधान के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में विरोधकर लाहौर और अमृतसर में सभाएँ हुई थी। ६ अप्रैल को सारे प्रान्त में सफल और शान्तिपूर्ण हड़ताल हुई। अमृतसर में ३० मार्च को भी। सारे प्रान्त में प्रबल असंतोष था और कुछ उत्तेजना भी थी। रॉलेट-एक्ट के विरुद्ध भावनाएँ जमी हुई थी, साथ ही राजनैतिक सुधारों और शिक्षित वर्गों के प्रति उप-नवनों के भाव के कारण प्रान्त में बड़ा भारी तीखापन था। किंतु कोई प्रातिकारी आन्दोलन नहीं था—उसे १९१६ में ही दबा दिया गया था। प्रान्त के सभी नेताओं का आन्दोलन के लिए शान्तिपूर्ण एवं बंध उपायों में विश्वास था। किंतु सर माइकेल की सरकार, प्रान्त में हर प्रकार के आन्दोलन और राजनैतिक जीवन का दमन करने पर तुली हुई थी। ७ अप्रैल १९१९ को सर माइकेल ने पंजाब विधान-परिषद् में, पंजाबियों की सराहना करते हुए, सार्वजनिक नेताओं को यह धमकी दी—“इस प्रान्त की सरकार का यह दृढ़ निश्चय है और वह निश्चय भविष्य में भी बना रहेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था जो सुद्ध काल में

१. बम्बई ले जानर महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया; कुमारी साराभाई को गिरफ्तारी का समाचार मिला था।

२. The Disorders Enquiry Committee Report, page 13.

३. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १३.

सफलतापूर्वक कायम रखी गई थी वह शांति-काल में भंग नहीं होगी। इसीलिए भारत रक्षा एक्ट के अन्तगत लाहौर और अमृतसर के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कायबाही की गई है। राउल एक्ट के विरुद्ध लाहौर और अमृतसर दोनों ही स्थानों में जो प्रदर्शन हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि अनभिन्न और सहज विश्वासी लोगों को किस प्रकार सरलता से बहकाया जा सकता है। जो लोग उनको बहकाने वाले हैं उन पर एक विकट उत्तरदायित्व है जो लोग तक के स्थान पर अनभिन्नता से अपील करते हैं उनकी भी एक दिन खबर ली जायगी।<sup>१</sup>

अगले कुछ दिनों की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि उक्त धमकी खोखली नहीं थी।

<

अमृतसर में ३० मार्च और ६ अप्रैल को हड़तालों में पूर्ण शांति रही थी। दो स्थानीय नेताओं—डा सत्यपाल और डा किचलू—को भारत रक्षा एक्ट के अन्तगत मावजनिक सभाओं में बोलने से रोक दिया गया था तथापि हड़तालों में कोई भी उपद्रव नहीं हुआ था। ९ अप्रैल को रामनवमी थी उस दिन एक विराट जलूस निकाला गया जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी सम्मिलित हुए। यह उसका भी शांतिपूर्ण रहा। हृष्टर-कमेटी न लिखा है— यह निश्चित है कि उस दिन शांति रही और यूरोपियनों के साथ कोई छड़ छड़ नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर स्वयं भीड़ में फँस गया और बाद में उसने इलाहाबाद बक के बरामदे में से सारे जलूस का दस्ता। उसका कहना है कि साधारणतया लोगों का व्यवहार शिष्टतापूर्ण था। जलूस की प्रत्येक कार मेरे सामने रुकी और बड़ न गाड़ सेव दि किंग बजाया। उसी दिन सरकार ने डा सत्यपाल और डा किचलू के अमृतसर में निर्वासन की और उन्हें धमशाला नामक स्थान में नजरबंद रखने की आज्ञा जारी की। यह आज्ञा भारत रक्षा एक्ट के अन्तगत दी गई थी। दस तारीख को सुबह दस बजे उन्हें चुपचाप कार से धमशाला ले जाया गया और स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारियों ने सिविल स्टेशन पर भीड़ न घुसने के उद्देश्य से सैनिक और पुलिस प्रबन्ध कर दिया। लगभग साढ़ ग्यारह बजे निर्वासन का समाचार सारे शहर में फैल गया। हड़ताल घोषित कर दी गई और दोनों नेताओं को छोड़ने की मांग करने के लिए लोग जलूस बना कर डिप्टी कमिश्नर के मकान की तरफ बढ़े। हृष्टर कमेटी के बयान के अनुसार भीड़ के पास लाठियाँ थपकाई और कोई लड़ने की कोशिश नहीं की और उनमें रास्ते में यूरोपियनों के साथ कोई

छेड़छाड़ नहीं की।<sup>१</sup> रेल के फाटन के पास भीड़ को रोका गया और उसे शहर की तरफ बलात् लौटाया गया। इसी प्रयत्न में दो बार गोली चलाई गई। भीड़ दृढ़ और उग्र हो गई और उसने हत्या लूटमार और आगजनी शुरू कर दी। रास्ते में दो यूरोपियन—स्त्री अथवा पुरुष—मिल उहे बुरी तरह पीटा गया। नेशनल एंड एलायंस बैंक<sup>२</sup> की इमारत में आग लगाई गई उसके यूरोपियन मैनेजर की हत्या की गई और बैंक के गोदामा को लूट लिया गया। टाउन हाउस और अन्य सार्वजनिक इमारतों में भी आग लगाई गई। तार बाट गए और मिन्स शरवड नामक एक ईसाई प्रचारिका को बुरी तरह पीटा गया और उस मरा हुआ समय पर एक गली में छोड़ दिया गया जहाँ से बाद में कुछ हिन्दुओं ने उस अस्पताल पहुँचाया। तुरन्त ही शहर में फौजी टुकड़ियाँ भजी गईं और शाम तक भीड़ गायब हो गई। १० अप्रैल को सैनिका की गोली से मरे हुए लोगों की संख्या लगभग १० थी, घायलों की संख्या अधिक होगी।<sup>३</sup>

११ अप्रैल को, लोगों को मृत व्यक्तियों की दाह प्रिया कराने की अनुमति दी गई। एक बहुत बड़ा जलूस निकाला गया और किसी प्रकार की गडबडी नहीं हुई। उसी शाम को जनरल डायर अमृतसर पहुँचा और उसने शहर की सैन्य-टुकड़ियों का संचालन अपने हाथों में ले लिया। १२ अप्रैल को बहुत-सी गिरफ्तारियाँ की गईं और एक घापणा द्वारा सारी सनाएँ और भीड़ वार्जित कर दी गईं। हण्टर-बमटों ने लिखा है— यह प्रकट नहीं होता है कि उस घापणा का प्रकारान के लिए क्या व्यवस्था की गई। जिन स्थानों पर घापणा (जो अंगरेजी में थी) पढ़ी गई, उनका नक्शा देखने से यह प्रत्यक्ष है कि शहर के बहुत से भागों में घापणा नहीं पढ़ी गई।<sup>४</sup>

दूसरी ओर १२ अप्रैल की ही शाम को इस बात की सार्वजनिक सूचना दी गई थी कि १३ अप्रैल को शाम के साढ़े चार बजे जाय्यावाला बाग में एक सार्वजनिक सभा होगी। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया किन्तु उसने सभा आरम्भ होने से कुछ ही देर बाद अपनी फौजी गाड़ियाँ और अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच कर बिना चर्चा की दिए हुए उस समय तक उन सैनिकों का गोली चलावने की आज्ञा दी जब तक कि उनकी गोलियाँ ही समाप्त

१ The Disorders Inquiry Committee Report, page 22

२ चाटेंड बैंक का अधिक धनि नही पहुँची और उसने यूरोपियन मैनेजर और उपमैनेजर का पुत्रिन न उन स्थानों में न निकाला, जहाँ से छिप गए थे।

३ The Disorders Inquiry Committee Report, page 29

४ डायरन रिपोर्ट पृष्ठ ३०

न हो जायें। सर बलप्टाइन् शिरोऊ न इम दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया ह —

जिहोन जालियाँवाग वाग नही दखा ह उनके तिए उस दृश्य की भयकरता का अनुमान करना कठिन होगा। किसी समय वह एक वाग था किन्तु आजकल वह एक खात्री जगह ह जहाँ अक्सर भेजे होते ह अथवा सावजनिक सभाएँ होनी ह उसका विस्तार टूफालगर स्ववायर के बराबर होगा। यह वाग चारो तरफ दीवारो से घिरा हुआ ह जिनके ऊपर चारो ओर के मकाना का पिछवाडा दिखाई देता ह। म उसी सकरी गत्री से गया जिससे जनरल डायर अपन पचास सनिक लकर गया था। म उसी उठी हुई जमीन पर खडा हुआ जहाँ खड होकर उसन विना चेतवनी दिए उगभग सौ गज की दूरी स एक घनी भीड पर जो उस घरे के एक निचले भाग की ओर थी और जहा मच स ब्यारघान दिए जा रहे थ गोली बरसान की आना दी थी। उसके अनुसार भीड में लगभग ६००० आदमी थ और लोगो के अनुसार जन समूह १०००० से अधिक थ। य सब लोग निहत्थ और बिल्कुल धिरे हुए थ। बबराई हुई भीड नुरत फट पडी किन्तु लगातार दस मिनट तक गोलिया बराबर बरसती रही—कुल १६५० बार किए गए—उन लोग पर जो चूहो की तरह पिंजड म फस गए थ जो बाहर निकउन का निरथक प्रयन कर रहे थ और जो गोलियो की बीछार स बचन के लिए जमीन पर लट गय थ। जहाँ भीड घनी थी वहाँ गोलियाँ चलान के लिए जनरल डायर न व्यक्तिगत रूप से निदगन किया। उसी को गन्दाबलो म निशान अच्छ थ। दस मिनट बाद जब गोलिया समाप्त हो गइ तो वह अपन सनिको के साथ उसी माग से गौट गया था जिससे वह आया था। सरकारी आकडो के अनुसार जो कई महीनो बाद बताए गए जनरल डायर न ३७९<sup>१</sup> आदमिया को जान से मार दिया था और लगभग २००<sup>१</sup> घायल आदमिया

१ कायस जाच कमटी न लिखा ह — मत्यु सख्या के सम्बन्ध म यह बात ध्यान दन योग्य ह कि सरकार न अपन कयनानुसार २९ अगस्त (अर्थात् हत्याकांड के चार महीन बाद) तक आकडो की छानबीन आरम्भ नही की। मि थामसन न उस समय कहा था कि २९० से अधिक व्यक्ति नही मरे थ। अब उहोन सेवासमिति के आकडो को —अर्थात् ५०० की मत्यु सख्या को—स्वीकार कर लिया ह। य आकड वास्तविक छानबीन पर आधारित ह और मत्यु सख्या इनसे कम किसी भी हालत म नही हो सकती। वास्तविक सख्या का कभी भी पता नही लग सकता किन्तु बडी सावधानी से जाच करन के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे ह कि लात्र गिरधारी लात्र का अनुमान—अर्थात् १००० की मत्यु सख्या—किसी भी प्रकार स अतिर नही हो सकती ह (रिपोट का पृष्ठ ५७)। लात्र गिरधारी ठाल न उस को अपनी जाखो मे देखा था और गोलिया चलना बंद होन क



को जमीन पर पड़ा छोड़ दिया जिनके लिए (उसी की शब्दावली के अनुसार) उसने रत्ती भर भी ध्यान देने को अपना कर्तव्य नहीं समझा।”<sup>१</sup>

सर वैंलेण्टाइन ने लिखा है — “यदि स्वयं जनरल डायर का हण्टर-कमीशन के सामने दिया हुआ वक्तव्य न होता, तो संभवतः यह कहा जा सकता था कि सिविल सत्ता के अचानक लुप्त होने पर उसे अपने असंतुलित निर्णय से चारा और खून दिखाई दिया। किंतु उसी के कथन से यह पता लगता है कि अपने सैनिकों के साथ जालियाँवाले बाग को जाते हुए उसने जान बूझ कर ऐसा निर्णय किया था और यदि सकरे रास्ते ने उस अपनी मशीनगने पीछे छोड़ने को विवश न किया होता तो उसने और भी ज्यादा बड़ा हत्याकाण्ड किया होता। उसने बताया कि उसका उद्देश्य सारे पंजाब में आतंक जमा देना था।”<sup>२</sup>

पटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचे थे।

१ लाला गिरधारी लाल पंजाब वाणिज्य मंडल के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने एक मकान में से जहाँ से बाग दिखाई देता था सारा हत्याकाण्ड देखा था। उनके विश्वसनीय, आँखों-देखें, विवरण को उद्धृत करना उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा — “मैंने मकड़ों लोगों को वही मरते हुए देखा। उम दूर की सब से बुरी बात यह थी कि दरवाजे से भागने का प्रयत्न करनेवाले लोगों पर, निर्देशन द्वारा गोली चलाई जा रही थी। चार या पाँच सक्ती जगहें ऐसी थी जहाँ से निकला जा सकता था। वहाँ पर गोलियाँ वस्तुतः बरस रही थी और बहुत से लोग भागने वाली भीड़ के पैरों तले कुचले गए उनमें से कुछ मर भी गए। खून बुरी तरह बह रहा था। जो लोग जमीन पर लेटे हुए थे वे भी गोलियों से नहीं बचे। मरे हुए अथवा घायल लोगों को देखने के लिये अधिकारियों ने कोई प्रबन्ध नहीं किया मैंने बहुत से घायलों को पानी दिया और उस समय जो कुछ सहायता संभव थी वह मैंने की। मैंने चारों तरफ का चक्कर लगाया और सब को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। कहीं-कहीं पर लोगों के ढेर बन गए थे। मृत शरीर बड़ी उम्र के लोगों के थे और उनमें बच्चे भी थे। कुछ लोगों को खोपड़ियाँ फट गई थी, कुछ की आँखें बाहर निकल आई थी बहुत-से लोगों की नाक, छाती अथवा हाथ-पैर चूर-चूर हो गए थे। मेरे विचार से उस समय बाग में १००० से अधिक मृत शरीर थे। बहुत-से लोग मरे हुए शरीरों को भी नहीं उठा सके इस डर में कि वही ८ बजे बाद दुवाग गोली न चलाई जाय।”

pages 56-57 of The Congress Inquiry Committee Report में जनूदित।

२. Chisol : India . Old and New, pages 177-78.

पंजाब के अन्य स्थानों में १० और १५ अप्रैल के बीच जो दुर्घटनाएँ हुई, उनका विस्तृत विवरण देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। हण्टर-कमीशन की रिपोर्ट में और अन्यत्र उनका विस्तृत वर्णन किया गया है।<sup>१</sup> यहाँ केवल लाहौर कसूर और गुजरांवाला की दुःखद घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा कर देना ही पर्याप्त होगा।

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिलने पर १० अप्रैल को लाहौर में हड़ताल की गई। एक जलूस बनाया गया और उसमें शोक प्रकट करने की दृष्टि से एक कागज झंडा साथ लिया गया। अनारकली से माल की ओर जाने के समय<sup>२</sup> उस जलूस को रोका गया और उससे तितर-बितर हो जाने को कहा गया। कहा यह जाता है कि लोग बहुत उत्तेजित थे, उन्होंने तितर-बितर होने से इकार कर दिया और उस समय उन पर गोली चलानी पड़ी। १४ अप्रैल को वहाँ के लोकप्रिय नेताओं को—फडित रामभद्र दत्त लागा हरकिशनलाल और लाला दुली चन्द को—निर्वासित कर दिया गया। फलतः १० अप्रैल से १७ अप्रैल तक हड़ताल रही। १८ अप्रैल को फौजी कानून के अन्तर्गत दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने के लिए ब्रिक्ड किया गया। लाहौर में भीड़ न हिंसा के कोई काम नहीं किए।

किंतु कसूर में उसकी उल्टी बात हुई वहाँ भीड़ उग्र हो गई और उसने दो यूरोपियनों को मार डाला सार्वजनिक इमारतों तथा रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई और संचार-साधनों को तोड़-फोड़ की। ११ अप्रैल को हड़ताल आरम्भ हुई और दूसरे दिन भी जारी रही। कसूर में कसाइया और चमड़े का काम करनेवालों का एक उपद्रवी बग है,<sup>३</sup> उसने १२ अप्रैल की सुबह को स्वतन्त्रता दिवस का जलूस निकालने का आयोजन किया। यह जलूस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा और

१ Disorders Enquiry Committee Report के पृष्ठ ३६ से ७३ तक देखिए। इसके अतिरिक्त Pearey Mohan The Imaginary Rebellion and How it was Suppressed देखिए पृष्ठ ५५ से ९४ तक। साथ ही Congress Punjab Inquiry Committee Report, 1919-20 के पृष्ठ ४५ से १५५ तक भी देखिए।

२ The Disorders Inquiry Committee Report, page 39

३ Quoted from the Punjab Government Report by Pearey Mohan The Imaginary Rebellion and How it was Suppressed, page 69

अधिकाधिक उत्तेजित होता गया। पंजाब सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है—“इस समय तक केवल उग्र प्रदर्शन का ही उद्देश्य था। स्टेशन पहुँचने पर भीड़ ने काफी क्षति पहुँचाई, दरवाजे तोड़े, खिड़कियों पर पत्थर फेंके किन्तु भीड़ स्टेशन के अन्दर नहीं गई और उसने पटरियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। कुछ देर बाद भीड़ लौटी किन्तु अपने नेताओं के भड़काने पर वह रुक गई और उसने बहुत बड़े परिमाण में तोड़-फोड़ का काम आरम्भ किया। उसने एक तेल के गोदाम में आग लगाई, रेल के सिगनल को नुकसान पहुँचाया, तार काटे, मेंब्रो और कुर्सियों को ताँडा और टिकट के दफ्तर में लूटमार की।”<sup>१</sup> उस समय तक कुछ स्थानीय नेता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए समझाया। इसी बीच स्टेशन पर एक गाड़ी आई जिसमें कुछ यूरोपीय यात्री भी थे। भीड़ ने यूरोपियनों पर आक्रमण किया। उनमें से अधिकतर लोग बच गए—कुछ लोगों ने उन्हें रेलगाड़ी से उतार कर बिन्ही भारतीयों के यहाँ शरण लेने के लिए समझा दिया था। किन्तु दो यूरोपियनों ने गाड़ी से उतरने से इकार कर दिया और उन्होंने अपने रिवाल्वरा से गोलियाँ चला कर अपनी रक्षा की। उन पर पत्थर फेंके गए। बाद में भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अधमरा करके छोड़ दिया गया क्योंकि उसी समय पुलिस आ गई और उसने गोलियाँ चला कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

गुजराँवाला में भी जबदस्त हमला हुआ। वहाँ के रेलवे स्टेशन के दोनों सिरों पर दो पुल थे, १४ अप्रैल को उन पुलों पर बंदी हुई गाय और बटा हुआ सूअर लटका हुआ देख कर लोगों में बड़ी उत्तेजना हुई। लोगों का यह विश्वास था कि पुलिस ने हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा कराने के लिए गाय को (साथ ही सूअर को भी) बाट कर लटका दिया था।<sup>२</sup> भीड़ ने पुलों में आग लगा दी। काची पुल पर पुलिस ने गोली चलाई और कुछ लोग घायल हो गए। इस पर भीड़ क्रोध में पागल हो गई और उसने सार्वजनिक इमारतों और संचार-साधना की ताँड़-फोड़ की। उसने तहसील, डाक बंगला, जिला न्यायालय, चर्च और रेलवे स्टेशन में आग लगा दी। लगभग ३ बजे शाम को लाहौर से हवाई जहाज आए और उन्होंने पहरे पर बम गिराए। बाद में फौजी टुकड़ियाँ भी आ गईं। हण्टर-कमीशन ने लिखा है—“गुजराँवाला के डिप्टी कमिश्नर वनेल जी’ प्रायन ने हमें बताया कि जहाँ तक पता लग सका है, १६ अप्रैल का पुलिस की गोलियाँ ने कुल ११ व्यक्ति मारे गए और २७ घायल हुए।”<sup>३</sup>

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०

२. The Disorders Inquiry Committee Report, page 48.

३. The Disorders Inquiry Committee Report, page 58.

१०

१५ और २४ अप्रैल (१९१९) के बीच में पंजाब के पाँच जिलों में मार्गल लॉ (फौजी कानून) की घोषणा की गई। यह फौजी कानून ११ जून तक लागू रहा, किंतु रेलवे मार्गों पर तथा स्टेशनों के क्षेत्रों को इस कानून से २५ अगस्त का छुट्टा-कारा मिला।

फौजी कानून घोषित करने और उसे इतने समय तक लागू रखने अथवा उसे इतनी कठोरता से व्यवहार में लाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में हटर कमेटी में मतभेद था। किंतु सभी भाग्यवासियों ने एवमत्त स उस ढंग की निन्दा की, जिससे १९१९ में पंजाब की स्थिति को सभागत गया था और जिससे उस प्रान्त में फौजी कानून को व्यवहार में लाया गया था। फौजी कानून के कुछ प्रशासकों ने असाधारण निर्दयता और बबरता से काम लिया था। इन लोगों की बर्बरता के व्यक्तिगत कार्यों का वर्णन करना न तो संभव है और न उससे कुछ लाभ ही है। किंतु इस सम्बन्ध में तीन प्रतिनिधिपूर्ण सम्मतियाँ व्यक्त करना उपयुक्त होगा— एक सम्मति सर वेंलेण्टाइन सिगेल की है जिन्हें भारतीय आकांक्षकों का विरोधी माना जाता है, दूसरी सम्मति भारत-मन्त्री मि माटगु की है और तीसरी सम्मति एक भारतीय मॉडरेट राजनैतिक सर शिवास्वामी एयर की है जो १९१९ के मॉडरेट सम्मेलन के अध्यक्ष थे और जो सत्याग्रह कार्यक्रम के विरोधी थे। उन सम्मतियों के अन्तर्गत १९१९ में पंजाब में फौजी कानून के प्रशासन का सही चित्र मिल जाता है। सर वेंलेण्टाइन न लिखा है—

तब, जलियाँवाला बाग के दो दिन बाद पंजाब में फौजी कानून की विधिवत् घोषणा की गई। यद्यपि इसके बाद जलियाँवाला बाग जैसे बाड नहीं हुए किंतु विद्रोह का सवट (चाहे आरम्भ में वह बिल्कुल सच्चा ही क्यों न रहा हो), समाप्त हो जाने पर भी, तुच्छ एवं प्रतिकारात्मक कृत्यों की नीति बराबर कार्यान्वित की गई जिस के फलस्वरूप जातीय तीखापन बढ़ना स्वाभाविक था। यह सच है कि सर माइकेल ओ' डायर ने जनरल डायर की 'रिंग कर चलान की बीभत्स आज्ञा' का विरोध किया था<sup>१</sup> और वह आज्ञा शीघ्र ही रद्द भी कर दी गई थी। किंतु और बहुत-सी 'आज्ञाएँ' थीं जो रद्द नहीं की गई थीं। लोगों में अविशिष्ट और सामूहिक रूप से कोड़े लगाए जाते थे<sup>२</sup> और विचित्र प्रकार के 'मनमाने' दंड

१ १० अप्रैल को अमृतसर न मिस शेरवुड पर जो आघात किया गया था, उसकी चर्चा की जा चुकी है। १९ अप्रैल को जनरल डायर ने यह आज्ञा दी कि जिस गली में मिस शेरवुड गिरी थी उसमें से जानेवाले लोग हाथों और पैरों के बल रंग कर निकलें। यह आज्ञा २६ अप्रैल को रद्द कर दी गई थी।

२ हटर कमेटी की 'अल्पसंख्यक' रिपोर्ट के अनुसार २५८ लोगों पर साधारण

दिए जाते थे<sup>१</sup>—किसी व्यक्तिगत विद्रोही को दंड देन के लिए नहीं बरन् लोगो को आतंकित करने के लिए और उनका अपमान करने के लिए। फौजी कानून के अन्तर्गत न्यायिक व्यवस्था<sup>२</sup> का कोई स्थान नही रहा था।<sup>३</sup>

हण्टर कमेटो की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारत मंत्री को भी विचार होकर अपन राजपत्र में यह लिखना पडा — एक ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में इस निष्कर्ष पर न पहुचना असम्भव है कि लार्ड हण्टर की कमटो के बहुमत ने अपन विचारा को उस रूप में व्यक्त नहीं किया जसा कि तथ्यों की दृष्टि से केवल उचित ही नहीं बरन् आवश्यक था। कमेटो ने जिन घटनाओं का अपनी रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है उनको दाहराना अनावश्यक है। साथ ही उन आनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत अधिकारियों के दोषों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने से भी कांइ गम नहीं होगा। किन्तु सन्नाट-सरकार इन आनाओं और दंडों की तीव्र निंदा करती है। कमटो ने जो उदाहरण दिए हैं उनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंजाब में फौजी कानून के प्रशासन में साधारणतया तो नहीं किन्तु दुर्भाग्य से बहुत हद तक काफी एक ऐसी जातीय भावना ने काम किया है कि जिसका उद्देश्य भारतीय समाज का अपमान करना और उसे कष्ट पहुँचाना था। बहुत से अवसरों पर अन्याय किया गया और औचित्य तथा मानवता की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया।<sup>४</sup>

सन् १९१९ के अखिर भारतीय माडरेट सम्मेलन में सर गिवास्वामा ने सभापति के पद से अपन व्याख्यान में कहा — हण्टर कमेटो के समक्ष प्रमुख

रूप से कांड उगाए—कुछ विचार उदाहरण भी थे। साधारणतया यह दावा अपनाया गया था कि उस आदमी के कपड़े उतार कर उस एक चाँखट से बाँध दिया जाता था। और तब कोड़े लगाए जाते थे। प्रत्येक आदमी को ५ से ३० तक कोड़े लगाए गए। (Page 162 Disorders Inquiry Committee Report से अनूदित)

१ ७८९ व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया और जिनपर कोई मुकदमा नही चलाया गया—उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ १६६

२ १०८ व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया और ३६५ व्यक्तियों का दण्ड निवानन-दंड दिया गया। बाद में सरकार ने इन निषया को दाहराना और तब कबत २३ व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया और दण्ड का दण्ड निवानन दंड। इन आंकड़ों में फौजी न्यायालयों के प्रशासन का पता लगा है।

३ Churool India Old and New, page 179

४ Punjab Unrest Before and After, page 159

यूरोपियन सभियों के बक्लब्या स जा तव्य प्रकृत होने ह उनका आर ध्यान दना उचित हागा । जगियावाग वाग म भीड का नितर बितर हान का अवसर नहा दिया गया और सकडा निहय लोगा का करड-आम किया गया मगानगना का गागिया स जा सकडा जादमी घायग हा गए य जनगल डायर न उनकी दगा पर ब्यान दना अपना कतव्य नहा ममया गगा म खुल आम काड गगाए गए हाजिरा क नाम पर हजारा विद्यार्थिया का प्रति दिन १६ माउ पदल चलन का विदग किया गया ५०० विद्यार्थिया और प्राफनरा को गिरफनार करक नजरबन्द रगा गया ५ ७ वर्ष का आयु क स्कूग क बच्चा वा थड का सगमा दन क गिए परड म बुलाया गया फौजा कानून क विनापना को मरगित रखन का जिम्मवारी मकान मारिका पर डाला गए एक बरान क जलूम पर काड बरनाए गए डाक को खाउ कर दखा गया एम गगा को जिन्हान राजमता वा सवाएँ वा वा अकारण गिरफनार किया गया और नजरबन्द रखा गया इस्लामिया स्कूड क ६ मग म बड लडका में इमगिए कोड लगाए गए कि ब स्कूग क उक थ और बड गडने य गिरफनार जादमिया को बन्द करन क गिए खुग पिजडा बनवाया गया विचित्र प्रकार क दड दिए गए राग कर चगन का आना दी गद बनुन-स लोगा को एक माथ रस्सी म बाध कर १५ घट तक एक खुउटक म रखा गया हवाइ जहाजा वा उपयोग किया गया सम्पति खन और नग का गइ हिंदू-मुस्लिम एकन के बिरोध म मोष प्रदर्शन करन क गिए हिंदुआ और मुसलमाना का जाग में हथकडिया पहनाइ गद भारतीय क घरा का बिजली काग दा गई और नग बन्द कर दिए गए भारतीय क घरा म बिजगी के पल निकाउ कर यूगपियना क उपयोग के गिए दिए गए और एभी ही बनुन-मी बात और हुइ जिन स पजाव म आतक छा गया । १ यहाँ तक कि श्रीमन्त्री बोमट न ना जिन्हान अमृतसर की भाडा क काम की उग्र १ गद्या में निंदा की थी और जिन्हान अपयाप्त प्रमाण के आधार पर पजाव की नीडा क काम का नातिकारिया के सिर मडा था २१ न्मिम्बर १९१९ को यह गिखना आवश्यक समझा — हण्डर-कमटी के सामन मनिक अधिकारिया के वयाता को पढकर मुझ अत्यन्त दु ख हुआ ह । उहान अपन मुह स जो कुछ स्वीकार किया ह बगजियम में जमनवासिया ने उसस ज्यादा कुछ नहा किया । २

१ The Indian Annual Register 1920, page 397

२ उहान टाइम्स आव इडिया का लिखा था — तार वाटना पटरिया उखाडना स्टगना में आग लगाना वका पर हमला करना जगिया का आज्ञाद करना—य सब सत्थाइहिया क काम नहा ह और न य उपद्रविया के ही काम ह—बरन् उनमें नातिकारिया का हाथ ह ।

३ Disorders Inquiry Committee Report, page 125

जब फौजी कानून और रोक के दूर होन पर पञ्जाब की नीपण घटनाआ के समाचार भारत के अन्य भाग में पहुँचे तो सर माइकल ओ' डायर के शासन और लाड चेम्सफोर्ड की सरकार के विरुद्ध ज़ारदार आवाज़ उठाई गई। राष्ट्रवादी समाचार-पत्रा में इस बात की मांग की गई कि लाड चेम्सफोर्ड का वापिस बुलाया जाय और सर माइकेल ओ' डायर पर तथा मासाल ला के अत्याचारपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी अन्य लोग पर अभियाग चलाया जाय। वहाँ की घटनाआ न जनता को श्रुद्ध और दुःखी कर दिया था सारे देश में नयकर असंतोष था। माडरेटा न भी पञ्जाब की आतकवादी नाति और राजनैतिक सुधार की आर प्रतिश्रियावादी भाव के कारण सरकार की तीखी आलोचना की। सरकार के विरुद्ध केवल राष्ट्रवादी पत्रा में ही नहीं बरन् माडरेट पत्रा में भी इस बात की आलोचना की गई कि आरम्भ में सुधार-योजना की जो रूप रेखा थी वह बाद में काफी दबा दी गई थी।

किन्तु राष्ट्रीय विराध को एक गम्भीर पत्र द्वारा, भारत के सर्वोत्तम कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर न व्यक्त किया, उन्होंने इस पत्र द्वारा 'सर' की उपाधि का परित्याग कर दिया—

पञ्जाब में हमारे भाइया न जो अपमान और कष्ट सह हैं उनके समाचार, राधक प्रतिबन्धा की दीवारा में से रिस कर भारत के प्रत्येक भाग में पहुँच गए हैं और उनके कारण हमारे दशवासिया के हृदया में जा व्यापक रोष-बदनाहुई है, उसकी हमारे शासका न उपक्षा की है। सनवत उन्होंने अपन-आप का इस बात की बधाई दी है कि उन्होंने (अपनी दृष्टि से) शासिता का हितकर पाठ पढ़ाया है। यह जानकर कि हमारे निबदन निरधन हुए हैं और प्रतिकार का मनावेग हमारी उस सरकार के, जो अपनी नैतिक शक्ति और नैतिक परम्पराआ क अनुरूप उदारता प्रदर्शित कर सकती थी, उत्कृष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण को आवृत्त किए हुए हैं, मैं जा कम-स-कम कर सकता हूँ वह यह है कि मैं सारे परिणामा की और उनकी आखिम का अपन ऊपर लूँ और अपन एन बराडा देगवासिया के, जो आतक से हतवृद्धि और मूक हा गए हैं विराध का व्यक्त करूँ।

अब वह समय आ गया है कि सम्मान क प्रतीक, अपमान क अनगत सुदन में, हमारी निलज्जता को मुस्पष्ट कर दते हैं और मैं स्वयं विनिष्ट गौरव न विहीन हाकर अपन उन दशवासिया क बराबर खडा हाना चाहता हूँ, जिनका उनकी

कथित तुच्छता के कारण ऐसे अवमान सहन पड़ते हूँ जो किसी भी मानव-गरीर के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। इन्हीं कारणों से मुझे श्रीमान् स उचित आदर के साथ यह सहन को विवश किया है कि मुझे सर' की उपाधि स छुटकारा दे दिया जाय।<sup>१</sup>

महानधि खादनाय द्वारा उपाधि के परित्याग का अग्रजों के मस्तिष्क पर गम्भीर प्रभाव पड़ा और उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने माटफोर्ड मुद्दा की योजना का सजी से आग बढ़ाया। इस बीच पंडित भदनमोहन मातृवीय और उनके सहयोगियों के अथक प्रयत्न के फलस्वरूप अधिकाधिक तथ्या पर प्रकाश पड़ा। पंडित मालवीय ने अप्रैल मई और जून १९१९ की पंजाब की दुःखद घटनाओं का सम्बन्ध में ९२ सूक्ष्म और अन्तर्भेदी प्रश्न<sup>२</sup> तयार किए और भारतीय विधान परिषद के वायवाहक को सूचना दी कि तु गवर्नर-जनरल ने उनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। वाइसरॉय ने परिषद में अपने आद्य भाषण में एक जांच कमेटी नियुक्त करने की घोषणा की थी जिसमें अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। मातृवीयजी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कमेटी के स्थान पर एक राजकीय कमीशन नियुक्त करने की मांग की क्योंकि कमेटी को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देनी थी जो स्वयं इस मामले में फंसी हुई थी। किंतु पंडित मालवीय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और गड हण्टर की अध्यक्षता में जांच कमेटी नियुक्त कर दी गई। इस कमेटी के सदस्य थे—मि जस्टिस रविन मि राइस मजर जनरल मर जाज बरो सर चिमनलाल सित्तवादी और साहबजादा मुल्तान अहमद। बाद में पंडित जगत नारायण और मि टामस स्मिथ को भी इस कमेटी में सम्मिलित कर लिया गया। कमेटी ने अक्टूबर १९१९ में अपना काम आरम्भ किया और मार्च १९२० में अपनी रिपोर्ट दी। काग्रसी और अन्य बहुत से सरकारी व्यक्तियों ने हण्टर-कमेटी का काम में सहयोग नहीं दिया क्योंकि उसका अभिदेश-क्षेत्र अत्यंत संकुचित था और उसके अतिरिक्त पंजाब के नेताओं में जो जग में बाद में परामर्श करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

किन्तु अभी कमेटी का काम आरम्भ ही नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने उन अधिकारियों को जिनके व्यवहार के सम्बन्ध में हण्टर कमेटी को जांच करनी थी अभियोग्यता में बचाने के लिए भारतीय विधान-परिषद् में एक विधेयक<sup>३</sup>

१ The Indian Annual Register, 1920 pages 50-51

२ इन प्रश्नों के लिए देखिए— Punjab Unrest Before and After Appendix pages 1-23

३ १९१९ के इस एक्ट के ६ संश्लिष्ट विभाग थे। विभाग नं० २ के अनुसार व्यवस्था पुनः स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किसी काम के सम्बन्ध में



प्रस्तुत किया। गैर-सरकारी सदस्या न सुझाव दिया कि हण्टर-जमटी की नियुक्ति का कारण, उस विधेयक को स्थगित कर दिया जाय। ५० मदनमाहन मालवीय ने उस अवसर पर एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया जो लगभग पाँच घट म पूरा हुआ। इस व्याख्यान में उन्होंने सारो घटनाओं का वर्णन किया, सारो विधिक और वैधानिक स्थिति की विवेचना की और विधेयक का स्थगित करने के सलाह के समर्थन किया। किन्तु परिषद् के भीतर और बाहर सावजनिक विरोध के हात हुए भी, सरकार ने सरकारी सदस्या का वाटा से विधेयक का पारण कर दिया।

दूसरो ओर ब्रिटिश सरकार ने वातावरण को शान्त करने के उद्देश्य से पार्लियामण्ट में सुधार-विधेयक का जल्दी से पारण कराया और उस पर मग्राट् की स्वीकृति ली जिसकी राजकीय उद्घोषणा दिसम्बर १० १० के वाक्य में (अभूतसर) अधिवेशन के अवसर पर जारी की गई।

राजकीय उद्घोषण में सुधारों की घोषणा की गई, महायोग और मेल के लिए अपील की गई और वाइसराय को राजनैतिक अपराधियों के प्रति कृपाभाव दिखाने के लिए निर्देश किया गया। उसमें कहा गया — 'इस समय मेरी यह उल्लेख इच्छा है कि मेरी प्रजा और मेरी सरकार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के बीच जो कुछ तीक्ष्णता बच रहा हो वह पूरी तरह दूर कर दिया जाय।—एक नया युग आरम्भ हो रहा है। मेरी प्रजा के लोग और मेरे अधिकारीगण, सभी यह निश्चय कर लिये एक सर्वमान्य उद्देश्य के लिए मिल कर काम करेंगे। अतः मैं वाइसराय को निर्देश देता हूँ कि वह मेरे नाम से और मेरी ओर से राजनैतिक अपराधियों के

---

किसी सिविल अथवा सैनिक अधिकारी को दंड नहीं दिया जा सकता था। विभाग न० ३ के अनुसार सरकार के वायबाह का प्रमाण पत्र यह निम्न करने के लिए पर्याप्त था कि कोई काम सरकार के अधिकारों की आज्ञा में व्यवस्था स्थापित करने अथवा बनाने रखने के लिए किया गया था। विभाग न० ४ में उन व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें फौजा कानून के अन्तर्गत दंड दिया गया था। विभाग न० ५ में एन लाय की व्यवस्था की क्षतिपूर्ति की गई थी जिनका सम्पत्ति में निम्न अधिकारियों द्वारा काम में लाई गई थी। See pages 159-160 of "Punjab Unrest Before and After" for the Act—Also pages 161 to 174 for speech of the Home Member explaining the provisions and the Government Position.